

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	06/07
03. Referee Board	08
04. Spokesperson	10/11

(Science / विज्ञान)

05. Natural Treatment And Prevention Of Pimples And Acnes (Dr. Rajesh Masatkar)	12
06. Impact Of Environment Degradation (Dr. Seema Bhola)	15
07. Studies On The Diatoms Of Motia Lake Bhopal (Dr. Mahima Dixit)	17
08. Study Of Weed Flora Of Chickpea Fields In East Nimar Area (M.P.) (Dr. Kumud Dubey)	19
09. Suspended Particulate Matter - A Study At Road Side Area Of Khandwa City (Dr. Avinash Dube)	21
10. The Acute Lethal Toxicity Of Heavy Metals In The Environment And Human Health	23
(Dr. Seema Agrawal, Dr. Sweta Tiwari, Dr. Kiran Surage)	
11. Incidence Of Iodine Deficiency In Patients Attending Ent Outdoor At Distt. Hospital, Satna	25
(Dr. Rashmi Singh)	
12. जैविक - युद्ध (रागिनी सिंह, अनिता सिंह)	27

(Home Science / गृह विज्ञान)

13. जनजातीय समूह की किशोरियों में रक्ताल्पता के कारण एवं आहारिय उपचार (डॉ. प्रगति देसाई, संतोषी रोमड़े)	29
14. विभिन्न विद्यालयों के छात्र - छात्राओं के पोषणिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. माणिक डांगे, रजनी उपाध्याय) ..	32
15. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य	36
के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले की महू तहसील के विशेष संदर्भ में) (डॉ. नंदिनी रेखड़े, मंजू सोनगरा)	
16. महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों के परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन (डॉ. मंजू शर्मा, प्रतिष्ठा दासों धी)	39
17. फास्ट फूड का बढ़ता चलन स्वास्थ्य का दुश्मन (डॉ. गीताली सेनगुप्ता)	42
18. कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का उनकी किशोरियों के आत्म-विश्वास पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. आभा तिवारी) .	45

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

19. Determining The Impact Of Using Forensic Accounting Practices In Terms Of Reduction Of	47
Frauds And Errors -Comparative Analysis Of Public And Private Sector Organizations (Nishant Dublish, Dr. Subodh Kumar Nalwaya)	
20. A Study On Non Performing Assets Of Indian Public Sector Banks (Dr. Sudhir Mahajan)	54
21. Global Warming And Climate Change (Dr. Raju Raidas, Dr. Harsha Chachane)	58

22. GST And Its Social Economical Impact On Indian Market (Pankaj Kushwah)	61
23. Role Of Youth In Product Promotion Through Social Networking Sites	63
(Dr. Vikas Jain, Nafees Uddin Siddiqui)	
24. निमाड़ क्षेत्र में पर्यटन उद्योग विकास एवं संभावनायें (शिल्पी गुप्ता)	66
25. भू-राजस्व प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन - इंदौर जिले के संदर्भ में (डॉ. आशीष पाठक, शीतल सोलंकी)	69
26. बैंकों की गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों (एनपीए) का प्रबन्ध (दिवाला एवं शोधन असक्षमता संहिता	72
(Insolvency and Bankruptcy Code) 2016 के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. मनोज महाजन)	
27. ग्रामीण बैंकों के माध्यम से रोजगार एवं साख की पूर्ति - एक अध्ययन (बड़वानी जिले के संदर्भ में)	75
(ज्योति भरडे, डॉ. सपना सोनी)	
28. कृषि विकास की चुनौतियाँ (डॉ. कृष्ण कुमार साकेत)	78
29. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता, शासकीय योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति	80
हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन (डॉ. एन. एल. गुप्ता, जयराम बघेल)	
30. जैव विविधता और आर्थिक विकास (डॉ. दयाराम साहू)	82
31. भारत में बैंकिंग विकास की अवस्थाएँ (दीपिका यादव)	84
32. भारत के विकास में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की भूमिका (डॉ. दीपचंद भावरकर)	86
33. अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (लाभदायकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति हेतु सुझाव) (डॉ. धीरज शर्मा)	88
34. आर्थिक विकास के पर्यावरणीय मुद्दे (क्रितिका सिंह, रूपेश द्विवेदी)	90

(Economics / अर्थशास्त्र)

35. Sustainable Environment Development (Dr. Rashmi Gupta)	91
36. शासकीय रोजगार योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को उद्यमिता के माध्यम	93
से रोजगार के अवसर (अजाब खातरकर)	
37. मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि का विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर प्रभाव (डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप)	95
38. भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्तमान परिदृश्य विकास एवं चुनौतियाँ (डॉ. निशा मिश्रा, मोनिका मिश्रा)	101
39. सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषायी विविधता तथा भारतीय संविधान (डॉ. संजय कुमार साकेत)	105
40. आर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत श्रमिकों का रोजगार एवं कार्य की दशाओं का अध्ययन - वर्तमान परिपेक्ष्य में ...	108
(डॉ. सुनीता कुशवाहा)	
41. टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रभाव का आर्थिक विश्लेषण - सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सन्दर्भ में	111
(डॉ. आर. डी. सिंह, श्रद्धा मोरसिया)	
42. भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण 'प्रभाव एवं भविष्य' (डॉ. प्रमोद भारतीय)	115
43. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हितग्राहियों का आर्थिक मूल्यांकन (मध्यांचल ग्रामीण बैंक के विशेष संदर्भ में)	119
(शिल्पी श्रीवास्तव, डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय)	
44. विश्व व्यापार संगठन (WTO) एवं भारतीय कृषि - चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ (डॉ. ए. के. पाण्डेय, डॉ. गरिमा सिंह)	122

45. ग्रामीण कृषि विकास में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना की भूमिका (डॉ. आर. एस. मण्डलोई) 124
46. भारतीय कृषि की वर्तमान चुनौतियाँ एवं समाधान (डॉ. रावेन्द्र सिंह पटेल) 126

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

47. Emergence Of Armed Struggle In Kashmir Valley 128
(Dr. Poornima Sharma, Jawaid Ahmad Mir, Sajad Ahmad Dar)
48. 'इस्लाम आतंक या आदर्श' एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. मुमताज़ बेगम) 131
49. टाना भगत आन्दोलन -पुनरूत्थान से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर (नीरज कुमार) 134
50. सरकारी सीमा विवाद (डॉ. संजय जैन, डॉ. संगीता परमार) 137
51. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) की भूमिका (डॉ. कान्ता अलावा) 139

(History / इतिहास)

52. Dr. B.R. Ambedkar, A Great Constitution Maker -A Historical Overview (Dr. Praveen O.K) 141
53. महिला उत्थान में बाधक कारक - एक अध्ययन (करुणापति त्रिपाठी) 144
54. आदिवासी समाज की जन-जागृति, शिक्षा एवं भीली भाषा में बालेश्वर दयाल जी का योगदान (लीलू डामोर) 146
55. जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति एक अध्ययन (निमाड़ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में) (सवेसिंह मेड़ा) 148
56. आओं भगवान मेघनाथ की पूजा करें (प्रीति राठौर, डॉ. मदनलाल पेंवार) 150

(Geography / भूगोल)

57. मण्डला जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन (दीपिका दोहरे, डॉ. जे.एल. बरमैया) 151
58. ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन - होशंगाबाद जिले के मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के विशेष संदर्भ में (डॉ. जितेन्द्र कुमार कमलपुरिया) 154
59. अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (MOPRO) में पर्यावरण रक्षक सेवाओं का योगदान - पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में एक भौगोलिक विश्लेषण (डॉ. नीलेश कुमार सखवार) 156
60. मानव संसाधन विकास के सामाजिक अभिलक्षण - साक्षरता का स्तर (जिला होशंगाबाद के विशेष संदर्भ में) (डॉ. जितेन्द्र कुमार कमलपुरिया) 159
61. होशंगाबाद मैदान की जनजाति का सांस्कृतिक विवरण (डॉ. अर्चना पटेल) 161

(Sociology / समाजशास्त्र)

62. A Sociological Study Of Residential Patterns Of A Slum Area Of Bhopal City (M.P) 163
(Farooq Ahmad Ganiee)
63. महामति प्राणनाथ व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की सामाजिक मान्यताओं का एक अध्ययन (महामति प्राणनाथ 167
व प्रणामी संप्रदाय के विशेष संदर्भ में) (डॉ. शैलजा दुबे, सुयश दुबे)

64. आधुनिक समय में संचार एवं संचार का महत्व (डॉ. आर. के. यादव) 170
65. म.प्र. के झाबुआ जिले की जनजातियों में प्रवास की समस्या एवं समाधान एक अध्ययन (नरसु परमार) 173
66. महिला शक्ति सम्पन्नीकरण अवरोधक घरेलू हिंसा (डॉ. गौहर हुज़ेफा खान) 177
67. कोरकू जनजाति की महिलाओं में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण की भूमिका (डॉ. मीना जैन, निकिता नागोरी) ... 180
68. वस्त्र उद्योग में रोजगार की संभावनाएं (डॉ. वन्दना बर्वे, प्रो. रविन्द्र बर्वे) 183
69. मानव अधिकार -समाज में खुशहाली व सम्पन्नता (डॉ. प्रकाशिनी तिवारी, डॉ. विकास जैन) 185

(Psychology / मनोविज्ञान)

70. Differential Abilities Of School Going Slow Learner Adolescents 187
(Anuradha Kushwah, Dr. Saroj Kothari)
71. Age Of Working Women And Social Support (Dr. Mamta Barman) 191

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

72. Feministic Approach In The Play Of Girish Karnad's Nagamandala (Twishampati De) 193
73. Tagore's Heroines Challenged Patriarchy In His Short Stories - The River Stairs And The 196
Elder Sister (Dr. Vikas Jaoolkar, Pooja Bhatia)
74. Indian Woman's Image As Seen By Women Writers (Dr. Seema Sharma)..... 198
75. Religion An Aspect Of Human Spirit - Tagore's 'The Religion Of Man' (Dr. Jyoti Taneja) 200

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

76. महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों की भाषा शैली और रूप विधान (डॉ. राखी शर्मा) 202
77. हिन्दी के प्रमुख दलित साहित्यकारों की आत्मकथाओं में दलितों के जीवन संघर्ष का अनुशीलन (आई. के. बेक) 205
78. नारी - कल, आज और कल (डॉ. सारिका त्यागी) 208
79. आदमी का जहर उपन्यास में चित्रित राजनैतिक परिदृश्य (डॉ. ज्योति सिंह) 210
80. केदारनाथ अग्रवाल की कविता में लोक सौन्दर्य दृष्टि (डॉ. कुमुद कला मेहता) 212
81. इतिहास बोध और इतिहास-दर्शन अर्थ एवं स्वरूप (डॉ. मधु विजय) 214
82. ओमप्रकाश वाल्मीकि कृत आत्मकथा 'जूठन' में दलित जीवन की अभिव्यक्ति (डॉ. अशोक पंकज) 216
83. प्रकृति के सुकुमार कवि - पंत (डॉ. जिन्दर सिंह मुण्डा) 218
84. शैलेश मटियानी का उपन्यास छोटे-छोटे पक्षी के सन्दर्भ में (डॉ. मनीषा टैगोर) 220
85. लोकजीवन के कवि त्रिलोचन (डॉ. प्रज्ञा गुप्ता) 222

(Education / शिक्षा)

86. Constructivism In Science Education (Arti Arya) 224

87. उज्जैन जिले के पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 7वीं एवं 8वीं) में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की 228
मूल्यों के प्रति जागरूकता का समीक्षात्मक अध्ययन (डॉ. सुनीता शर्मा)
88. शिक्षा में नैतिकता (त्रिभुवन ठाकुर) 232
89. रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन 235
(डॉ. नमिता खोटेले, डॉ. के. नागमणी)
90. विद्यार्थियों के व्यवसायिक निर्देशन में विद्यालय की भूमिका (राकेश पाण्डे) 238
91. रतलाम जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 'शालासिद्धि' योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन एक अध्ययन 241
(प्रकाशचन्द्र शर्मा, डॉ. भंवरलाल नागदा)

(Others / अन्य)

92. भारतीय दर्शन का स्वरूप (नमिता कुमारी) 244
93. ग्रामीण स्वास्थ्य की दशा में योग शिक्षा एक प्रभावी विकल्प (डॉ. महेश कुमार मुछाल) 247
94. संगीत एवं पर्यावरणीय सापेक्षता (डॉ. बी. वर्षा) 252
95. आचार्य प्रणव शास्त्री का पत्रकारिता में योगदान (डॉ. देवेन्द्र कुमार जाटव) 256
96. उमरावजान 'अदा' उपन्यास पर निर्मित फिल्मों का आकलन (डॉ. मजीद कुरैशी) 258
97. 'अग्ग' कहानी ते उगगरवाद दी समस्या (कामिनी देवी) 259
98. शरतचन्द्र कृत ' देवदास ' पर बनी हिन्दी फिल्मों का आकलन (डॉ. मुजीद कुरैशी) 260
100. गीता में सेवा का स्वरूप (डॉ. जयराम त्रिपाठी) 261
101. राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की जीवन सन्तुष्टि का 264
तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. सतीश पाल सिंह)
102. भारतीय लोकपाल : एक परिचयात्मक अध्ययन (डॉ. वंदना शर्मा) 268
103. भारतीय राजनीति का अनीतिशास्त्रीय आचरण (डॉ. सोमवती शर्मा) 271
104. Diphospholes : Synthesis and Reactions (Dinesh Chandra Sharma) 275
105. Impact of CSR Advertisements on IPO of Coal India Limited (Devendra Prasad Pandey) 277
106. Exploring the Impact of Urbanization on Social Structures in Contemporary India: 281
A Sociological Analysis (Dr. Gouri Shanker Meena)
109. समाजनिष्ठ उपन्यासकार अमृतलाल नागर (डॉ. सिद्धि जोशी) 286

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
19. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD, Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources - Business Administration** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)

- (2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
 (4) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
 (5) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
 (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
 (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
 (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
 (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
 (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
 (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
 (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
 (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. PG College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)
46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Neapanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Natural Treatment And Prevention Of Pimples And Acnes

Dr. Rajesh Masatkar *

Abstract - Although pimples and acnes are very common among human being. It can be curable. But my intention is to aware people about this problem is that, please keeps your digestion system healthy and adds fiber in your daily diet. Then you will not be suffering from this problem. This problem leaves black scare on the affected areas. Due to this affected areas look ugly. But continue intake of fiber must solve this problem in few months.

Key Words - Pimples, Acnes, Digestion, Fiber.

Introduction - Pimples and acnes is the indication of unhealthy digestive system. If function of digestive system take place properly then whole body may feel well. If there is problem in our digestive system then person may feel uneasiness. Health of human being is totally dependent on our digestive system. Indication of good health is dependent on four actions of our body. That is ingestion, digestion, absorption and excretion. If these four actions are going well in our body then we understand that our body is healthy. Another indication of our good health is soft stool and it's easily defecation.

Objective

1. To identify and cures pimples and acnes in their initials stage.
2. To minimizes the use of costly cosmetics.
3. To saves the time of people from unnecessary treatments.
4. To increases the economical status of the people.
5. To reduces the cost of treatment at zero level.
6. To make the people of the country healthy, strong and provide natural beautiful look of their face.
7. To make the people of the country useful in the development of our nation.
8. To minimizes the intake of medicines.
9. To reduce water pollution from the use of cosmetics and chemical substances.
10. To reduce side effect from cosmetics.

Methodology – To solve the above problem, I focused on digestion and life style of the human being.

Causes of Pimples and Acnes – A number of factors are responsible for the development of pimples and acnes.

1. **Clogged pores** – The main and universal cause of acne in the forehead region because of excess oil production quality, the pores tend to get clogged, leading to acne.
2. **Dandruff in the hair** – Dandruff can trigger acne on

the forehead as it is basically a skin infection. It is caused by fungi that can also irritate the skin on your forehead and cause pimples.

3. **Oily scalp** – if you have an oily scalp, the oil can run down and result in clogged pores and acne on your forehead.
4. **Certain medications** – Medications may trigger acne.
5. **Digestive problems** – Digestive problems are probably the main cause of acne. If you do not have the issues mentioned above. Even according to Chinese medicine, pimples on forehead are related to digestive issues.
6. **Excess stress** – Stress is one factor that contributes to most of our illnesses in some way or the other. It can disrupt the hormonal balance and also the regular oil production of the skin, causing pimples.
7. **Certain hair products** – Hair styling products like hair spray, heat protectant, serum etc, tend to trigger acne when they comes into contact with your forehead.
8. **Over exfoliating** – Though exfoliation helps in removing the dead cells and keeping the skin fresh, overdoing it could result in skin irritation and acne. Anything done excessively can do more harm than good to the skin.
9. **Wearing helmets and caps** - In daily routine the inside of the helmet is not easy to clean and very often nobody even pays attention to the fact that it needs to be cleaned. The sweat from your skin can make the helmet a breeding ground for bacteria. These, when they come in contact with your forehead, can cause pimples.
10. **Hormonal causes and other genetic factors** – The final and most difficult causes to deal with are the hormonal and genetic factors. Your skin may simply be prone to getting acne. Or, the changes in the hormones seem due to the menstrual cycle or

pregnancy can disrupt the normal functioning of the skin. Either way, acne can be caused easily. Puberty In men causes acne.

11. **Intake of fried and junk food** - Vitiates kapha and pitta, leads to blood vitiation and acne.
12. **Night awakening** - Leads to normal body rhythm imbalance, stress metabolism imbalance, leading to toxins and acne.
13. **Over usage of cosmetics** - Direct impact on facial skin.
14. **Stress and anxiety** - Leading to metabolism imbalance and toxins.
15. **Physiological changes taking place during adolescence** - Attributed to hormonal imbalance.
16. **Excess intake of non vegetarian food** - Excess intake of spicy food may cause pimples and acne.

Why do pimples and acnes occur ? - According to Ayurveda vata and pitta dosha in the body lead to vitiation of Rakta (Blood) and Mamsa Dhatu (Muscle tissues). This causes constant irritation in the localized areas like face, neck, chest, back and thus multiple small elevated lesions are manifested. Such eruptions are known as Pimples. Small reddish black or pink eruptions which are initially non itching, non burning and non painful. But due to course of the time, if it is neglected or the causative factors are continued further, the condition may worsen and itching-painful-oozing or pus filed eruptions may be found. In its severity, fever, discoloration and cystic growth may be found. Constant irritation with the cosmetics and pricking by the nails are commonly worsening factors noticed in the clinical practice.

As per modern science, acne is caused when the hair follicles become plugged with oil and dead skin cells. It is caused due to over production of skin oil. (Sebum, which is produced by a gland at the root of hair follicles), Irregular shedding of dead skin cells resulting in irritation of the hair follicles of your skin.

Natural treatment of pimples and acnes - There are number treatment procedure present in Ayurveda out of them few are useful and tested procedures are presented in front of you.

High fiber diet - During pimples and acnes people may take high fiber diet in their daily routine for the proper function of digestive system and other systems of our body. Person may take daily 100gm sprouted grams or moong in their breakfast and evening snack time. Due to high fiber diet our body detoxifies in few month and we will get relief from this problem.

Triphala - Triphala is a popular Ayurvedic remedy for skin. It balances the tridosha (vata, pitta and kapha), detoxifies the whole body, fights against bad bacteria and helps in your acne healing. Take 1 tsp. of triphala with hot water on empty stomach every morning.

Lauki - Lauki juice is extremely beneficial as its high water content will keep body cool and skin healthy. It cleanses your body system within, prevents pimples and gives a

smooth and beautiful skin. Take a lauki, peel of the outer skin, and wash it thoroughly. Cut the lauki into small pieces and put it into the blender. Extract the juice, add a pinch of sendha namak and drink it.

Tulsi - Tulsi is considered sacred in Ayurveda for its wonderful healing properties and is one of the best herbs to treat acne, pimples and blemishes naturally. Crush some fresh and clean tulsi leaves, take out its juice and massage it on your face. Let the face absorb the juice of 15-20 minutes and rinse off.

Amla - Amla is known as elixir for your skin and removes excess sebum, fights acne causing bacteria and prevents scars. Make a paste of amla and apply on your face. Wash it off after 15-20 minutes.

Lemon - The acid in the lemon juice has acne fighting qualities and is also one of the most easy and cheap way to clear your skin. Apply lemon juice directly to the pimple overnight. It not only cures pimples but protects your skin too.

Papaya - Papaya is a great Ayurvedic remedy for acne and pimples. Make a paste of natural ripened papaya, wash your face, pat dry and apply papaya paste on your face. Leave the mask on for 20-30 minutes and rinse off with warm water. Repeat daily.

Life Style - Correct your life style according to our nature and season.

Discussion - Due to disturbance in daily routine of life style and eating junk food our digestive system get unhealthy. Due to that these pimples and acnes develop in our body. By following above method you can defeat this problem. Body's health depends on type of food we take and our daily routine of life style.

Findings -

1. Absence of fibers in diet for long time is the main cause of pimples and acnes.
2. Intake of fiber is very necessary for keeping digestive system healthy.
3. Due to intake of fiber we can save our health from other disease also.
4. Soft stool and its easy defecation are the symbol of good health and it is achieved by intake of fiber.

Suggestions -

1. Take plenty of fibers in diet like sprout grams, moongs, vegetables, salad, and fresh fruits to prevent this problems
2. Drink plenty of water (5-6 liters/day).
3. Eat fresh curd during lunch and drink fresh whey after one hour of lunch.
4. Do not take sour curd and whey.
5. Do not take junk food, fried food, chillies and other spices during this problem.
6. Wash our face two or three times with warm water daily.

Conclusion - In initials stage pimples and acnes can be cured permanently by following above methodology Due to pimples and acnes person feels nervousness and

demoralize in their daily life. In this way person working capacity decline in day today life and also suffers his development side of life. But keeping healthy life any person may develop as much as he desire.

References :-

1. www.stylecraze.com/articles/10-causes-and-simple-remedies-for-pimples-on-forhead/#gref.
2. www.easyayurveda.com/2014/08/04/ayurvedic-treatment-for-pimples-cause-herbs-home-remedies/
3. www.practo.com/healthfeed/10-ayurvedic-remedies-for-acne-25877/post
4. www.livescience.com/51998-dietary-fiber.html.

Impact Of Environment Degradation

Dr. Seema Bhola*

Abstract - Continued environmental degradation can completely destroy the various aspects of the environment such as biodiversity, ecosystems, natural resources, and habitats. For instance, air pollution can lead to the formation of acid rain which can in turn reduce the quality of natural water systems by making them acidic. This is a typical example of environmental degradation. Environmental degradation is therefore a concept that touches on a variety of topics namely deforestation, biodiversity loss, desertification, global warming, animal extinction, pollution, and many more.

Key Words - Anthropogenic, landslides, biodiversity, deforestation, desertification.

Introduction - Environmental degradation comes about due to erosion and decline of the quality of the natural environment. It is caused directly or indirectly by anthropogenic activities that extract various environmental resources at a faster rate than they are replaced, and thus depleting them. On this regard, degradation means damage or reduction in quality of environmental features, primarily influenced by human activities. Some natural events such as landslides and earthquakes may also degrade the nature of our environments.

Causes of Environmental Degradation -

1. Overpopulation and Over-exploitation of Resources - As the human population keeps on enlarging, there is a lot of pressure on the utilization of natural resources. This often causes over-exploitation of the natural resources, and contributes to environmental erosion. Overpopulation simply means more pollution and fast extraction of natural resources compared to how they are being replaced.

2. Ruinous Agricultural Practices

Intensive agricultural practices have led to the decline in quality of most of our natural environments. Majority of farmers resort to converting forests and grasslands to croplands which reduces the quality of natural forests and vegetation cover. Runoffs of agricultural wastes and chemical fertilizers and pesticides into marine and freshwater environments have also deteriorated the quality of wild life habitats, natural water resources, wetlands and aquatic life.

3. Landfills - The landfills discharge various kinds of chemicals on the land adjacent to forest, various natural habitats, and water systems such as underground and surface water which makes the environment unappealing to the survival of trees, vegetations, animal and humans.

4. Increase in Deforestation - Deforestation include

farming, construction, settlement, mining, or other economic purposes. For more than one hundred years, the number of trees on the planet has plummeted, resulting in devastating

5. Environmental Pollution - Due to the toxic substances and chemicals emitted from fossil fuel combustions, industrial wastes, and homemade utilities among other industry processed materials such as plastics. Land, air, and water pollution pose long-term cumulative impacts on the quality of the natural environments in which they occur.

6. Natural Causes - Natural events such as wildfires, hurricanes, landslides, tsunamis and earthquakes can totally lower the survival grade of local animal communities and plant life in a region. These disasters can also destroy alter the nature of the landscape rendering it unable to support life forms on it.

Effects of Environmental Degradation -

1. Impact on Human Health - Human health is heavily impacted by environmental degradation. Reduction in water quality is responsible for more than two million deaths and billions of illness annually across the globe. Due to environmental degradation, the results include water scarcity and decline in quality foods. Reduction in air quality is responsible for more than 300,000 deaths annually and millions of chronic diseases.

2. Poverty - In the majority of developing countries, poverty is attributed to poor crop harvests and lack of quality natural resources that are needed to satisfy basic survival needs. the lack of access to adequate basic needs such as water and food directly induce poverty.

3. Atmospheric Changes - Environmental degradation can alters some of the natural process such as the water cycle and the normal processes of animal and

plant activities. Also, environmental degradation aspects such as deforestation and mining destroy the natural land cover. This, together with air, water, and land pollution pose several atmospheric alteration threats.

4. Loss of Biodiversity - Degradation of the environment has recorded a continued destruction of wild forests and the damage of natural ecosystems that has greatly contributed to the mass extinction of species. human activities such as acidifying water systems, over-exploitation of natural resources, overpopulation, and the deliberate and indirect destruction of natural systems necessary for the survival of different species.

5. Scarcity of Natural Resources - Environmental degradation through aspects such as over-exploitation

of natural resources, pollution, and deforestation can contributes to the scarcity of resources particularly arable land, water, genetic resources, medicinal plants, and food crops.

Conclusion - Human health is heavily impacted by environmental degradation. Reduction in water quality is responsible for more than two million deaths and billions of illness annually across the globe. Environmental degradation is therefore a concept that touches on a variety of topics namely deforestation, biodiversity loss, desertification, global warming, animal extinction, pollution, and many more.

Reference :-

1. Personal Survey

Studies On The Diatoms Of Motia Lake Bhopal

Dr. Mahima Dixit *

Abstract - Paper deals with the analysis of Diatoms of the Motia lake. Samples were collected monthly from December 2008 to November 2010 from two sampling stations (Thaliwali sadak and Dhobi Ghat area) at different depth : epilimnion and hypolimnion layer. During the study period 10 genera of Bacillariophyceae were identified, they are Amphora, Cyclotella, Cymbella, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Synedra. The maximum density of Bacillariophyceae was recorded during summer, while minimum was recorded during winter.

Key Words - Bacillariophyceae, Epilimnion, Hypolimnion.

Introduction - The work was done on Motia Talab which is a perennial water body and is located adjacent to the Taj-ul-Masjid on the north west of the Bhopal city. At the present the pond is subjected to great environmental stress from various sources, enrichment of nutrients washer men's activities etc. Resulting in the extra ordinary deterioration of water quality and as such it can be categorized as highly eutrophic oxidative pond. The samples were collected between December 2008 to December 2010 from Thaliwali Sadak and Dhobi Ghat area of the Motia lake. Bacillariophyceae (Diatoms) are useful in pollution studies because they are relatively more selective than other algal groups. They become especially abundant during summer season. It is interesting to note that the utilization of silica by the diatoms which constitutes the major portion of the cell wall in diatoms and thus becomes a limiting factor for their growth specially in the rocky ponds as has been observed by Khare and Sharma (1986) in Solah Sagar pond. The growth of diatoms is also influenced by the quantity of phosphates and nitrates (Hussain and Mason, 1988 and Khare, 1993). Results of the present study are in agreement with these findings.

Material And Method - The study of lake was carried out for a period of 24 months between December 2008 and November 2010. Samples were collected on monthly intervals from all two sites were selected. One site was Thalewali Sadak and the other near the Dhobi ghat region. The monitoring was usually carried out between 10 AM to 4 PM. For the monitoring of bottom layer, depth sampler (Ruttner's water sampler) was used.

Qualitative and Quantitative enumeration of phytoplankton -

Qualitative analysis - Qualitative analysis of phytoplankton was done by hauling plankton net horizontally several times in lake to get a random sample, then sample were taken in

to plankton bottles and 1 ml lugol was added to them.

Quantitative analysis - Quantitative enumeration of phytoplankton was carried out by passing 40 litre of lake water through a plankton net from surface and 12 litre of lake water through a plankton net from bottom (hypolimnion).

The filtered sample was collected in plankton bottles of 50 ml after adding 1 ml Lugol's iodine solution. For the Quantitative estimation of phytoplankton, drop count method is preferred using a standard calibrated dropper. The identification of phytoplankton was done with the help of standard works viz., Ward and Whipple (1966), Phillipose (1967), Adoni (1975), Palmer (1980) etc.

Result And Discussion -

Qualitative Analysis - In Motia lake during the study period 10 genera of Bacillariophyceae were identified at Thaliwali Sadak area

The following genera were found - Amphora, Cyclotella, Cymbella, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, Navicula, Nitzschia, Pinnularia, Synedra.

The higher density of phytoplankton was observed during summer season while the lower density was observed during winter season.

Quantitative Analysis - In the epilimnion layer the maximum density of Bacillariophyceae was recorded as 2120 units/lit during summer (June'2010), while minimum was recorded during winter. In the hypolimnion layer the maximum density was recorded as 3805 units/lit during summer (June'2010), while minimum was recorded during winter. The *Navicula* was the dominant species of this group.

In the present study, the higher growth of diatoms was found to be markedly influenced by the duration of sunshine with high values of pH. The observations are in similarity with other previous findings reported by other researchers;

diatoms are usually abundant in the alkaline water (Phillipose, 1967). The distribution of diatoms was closely related to lake water, pH and related factors (Saxena 1998). It required higher temperature, more turbidity, silicates, free CO₂, alkaline water and dissolved organic matter as has been reported earlier by Mahajan and Mahajan (1988), Saxena (1990), Nawange (1993) and Tamot (1996). The present study was confirmed with earlier findings.

References :-

1. Adoni, A.D. (1975) - Studies on the microbiology of Sagar lake. Ph.D. Thesis, Univ. of Sagar, Sagar.
2. Hussain, Abdul and Mason, M.M. (1988): Phytoplankton community of a eutrophic reservoir. *Hydrobiologia*, 169(3) - 265-267.
3. Khare, V.S. and Sharma, P.C. (1986) - Ecology of Solah Sagar pond. *Geobios*, 3: 66-67.
4. Khare, P. (1993) - Secondary production in a tropical lentic system with reference to zooplankton and fish feeding of Motia tank, Bhopal.
5. Mahajan, A.D. and Mahajan, N. (1988) - Study of algal communities in Velhada lake near Bhusawal as indicators of organic pollution. *Proc. Nat. Symp. Past, Present and Future of Bhopal Lakes*, 133- 135.
6. Nawange, S. (1993) - Limnological studies on new mean Surwari Reservoir (Sagar district) and old Upper lake reservoir of Bhopal with special reference to macrophytic vegetation. Ph. D. Thesis, Barkatullah Univ., Bhopal.
7. Palmer, C.M. (1980) - *Algae and water pollution*. Castle House Pub. Ltd. Pp. 1-96.
8. Phillipose, M.T. (1967) - *Chlorococcales*. ICAR, New Delhi.
9. Saxena, A. (1998) - Primary productivity studies in a sewage polluted lake with special reference to phytoplankton. Ph.D Thesis, Barkatullah University, Bhopal.
10. Saxena, R. (1990) - Limnological and water quality status of the Lower lake of Bhopal with special reference to certain phytoplankton, microinvertebrates and microbiological components. Ph.D. Thesis, Bakatullah Univ., Bhopal.
11. Tamot, P. (1996) - Water quality monitoring of Lower lake, Bhopal. Research Project Sp. By EPCO, Bhopal.
12. Ward, H.B. and Whipple, G.C. (1966) - *Freshwater biology* (ed.). W.T. Edmondson. John Willey and Sons Inc. New York (1948).

Study Of Weed Flora Of Chickpea Fields In East Nimar Area (M.P.)

Dr. Kumud Dubey *

Abstract - Chickpea is the most important pulse crop of India. The grains are rich source of proteins and carbohydrates and easily available to common people. The crop is sensitive to weed competition. Farmers are aware towards insect and fungal infections. For weed eradication only traditional and cultural practices are applied. For proper growth and high productivity it is essential to give attention towards proper monitoring and perfect eradication of pests.

Key Words:- Weed flora, Chickpea plant.

Introduction - Chickpea (*Cicer arietinum*) is one of the oldest pulse cash crops that is cultivated throughout India since ancient times. It belongs to family Fabaceae. It is used for human consumption as well as for feeding the animals. The grains are used as vegetables and are a rich source of protein and carbohydrates and also contain minerals and vitamin B. Fresh green leaves are used as vegetable while straw is used as fodder for cattle. Leaves contain malic acid and oxalic acid.

Gram is a small, highly branched annual herb with hairy stem. The plant possesses flowers which are solitary axillary small bluish purple. Pods are one or two seeded. The protein content ranged from 20.9% to 25.27%. Composition of its 100 g includes proteins (20.5g) fat 4.8g, carbohydrates 5g, fibre 5g and water 10.7g. Mainly it contains albumin, globulin, prolamine and glutelin. In amino acid content glutamic acid was present in maximum concentration followed by aspartic acid and arginine. Gram is generally cultivated as a dry crop during the rabi season. It requires low to moderate rainfall and mild winter. Pruning of branches is a common practice in gram growing area. Tips of plants are nipped which encourages branching and flowering. Like other pulse crops gram can tolerate drought. Chick peas are slow to emerge and initially grow slowly. Varieties differ in colour of grain which may be white, yellow, brown or black. Commonly they are desi or kabuli.

From seed sowing to growing phase, the crop is affected by many types of insect pests- gram caterpillar (*Heliothis armigera*), aphids and cutworms. Fungal infection may cause rust, wilt, blight or root rots. At the same time many weeds may appear from seed emergence to fruiting period. Chickpea is sensitive to weed competition. The present work is made to study the weed flora of gram-fields of the area. Khandwa is situated at latitude 21°05' to 22°25' N and longitude 75°57' to 77°13' east. It has a dry moist climatic condition. Chick pea or gram is generally cultivated in the area as a dry crop during the rabi season. Shallow

irrigation and mild winter favors the growth of crop. Dollar, mini dollar, diamond, JJ-11, chaffa and vishal varieties are generally grown in the fields. Method of weed eradication and trend of pesticide application also studied. It helps to analyze the production of grains because it is a good locally available protein rich source of food for a common people.

Methodology - A field study was made in rabi season in chick pea fields of the area. Ten fields were selected randomly. Weed plants in these fields were recorded from seed sowing to fruiting condition. Weed plants were identified with the help of relevant literature. The trend of use of pesticides was also studied.

Observation Table 1 – Weed flora of chick-pea fields (Table see in the next page)

Observation Table 2 – Trend of use of pesticides in chick-pea fields of the area (Table see in the next page)

Result and Discussion - In the growing season the crop is affected by fungal and insect pests. At the same time many weed also emerges in the field. *Anagallis arvensis*, *Euphorbia hirta* and *Parthenium* recorded more abundant in the fields. Some perennial small shrubs were also present near the field hedge. It is noted that farmers are much aware towards fungal and insect infection. Application of different insecticides and fungicide is frequent and for this the farmers are dependent on shopkeepers.

Organochlorine, organophosphate or heavy metal based pesticides affect the plants by interacting with chlorophyll synthesis, process of photosynthesis and respiration.

It has been recorded that presence of weeds may decline productivity up to 10-15%. Some studies also showed that weeds have antagonistic effect on the crop growth, and affect from seed germination to seed setting. Crop weed competition indicates competition between crop and weed in a natural ecosystem in response to resources struggle for their existence. Perfect knowledge and monitoring of pests and its proper eradication should

require. Besides chemical methods traditional methods with scientific skills are essential for a safe, clean environment and for a prosperous society.

References:-

1. Gaur P. M. etal . (2010), chickpea seed production manual.
2. Maheshwari J. K. (1963),The flora of Delhi, CSIR Delhi.
3. Rajput O.P. (2001), Principles of Agronomy, Shrikrisna Publishers Agra, (pp 115-118).
4. Sen S. (2006) Economic Botany. New Central Book Agency Pvt. Ltd. Kolkata (pp 39-42).
5. Sharma O.P. (2015) Plants and Human Welfare. Pragati Prakashan Meerut.(pp 56-57)

Observation Table 1– Weed flora of chick-pea fields

S. No.	Plant Name	Local Name	Family
1	Acalypha indica L	Kuppi	Euphorbiaceae
2	Anagallis arvensis L	Krishnanil	Primulaceae
3	Argemone mexicana L	Pilikater	Papaveraceae
4	Biophytum sensitivum L	Lajni	Oxalidaceae
5	Celocia argentia L		Amaranthaceae
6	Chenopodium album L	Bathua	Chenopodiaceae
7	Chorchorus juncea L	Rajan	Tiliaceae
8	Cyperus sp		Cyperaceae
9	Euphorbia hirta L	Dudhi	Euphorbiaceae
10	Eragrostis minor L		Poaceae
11	Lagascea mollis L		Asteraceae
12	Leucas aspera (Willd) spreng	Gumpha	Lamiaceae
13	Oldenlandia corymbosa L		Rubiaceae
14	Parthenium hysterophorus	Gajar Ghas	Asteraceae
15	Portulaca oleracea L	Gol	Portulacaceae
16	Phyllanthus niruri L	Bhui amla	Euphorbiaceae
17	Tridax procumbans L		Asteraceae
18	Xanthium strumarium L	Gokhru	Asteraceae
19	Ziziphus sp	Ber	Rhamnaceae

Observation Table 2 – Trend of use of pesticides in chick-pea fields of the area

S. No.	Trade Name	Chemical Composition	Category of Pesticide
1	Amistar top	Azoxistrobin & difenoconazole	Broad Spectrum Fungicide
2	Headline	Pyraclostrobin	Fungicide
3	Folio-gold	Metalaxyl	Fungicide
4	Dupont coragen	Chlorantraniliprole	Insecticide
5	Intrepid	Chlorfenapyr	Insecticide
6	Best protect	Carbendazim mancozeb	Insecticide

Suspended Particulate Matter - A Study At Road Side Area Of Khandwa City

Dr. Avinash Dube*

Abstract - An increase in road traffic and technological development results in formation of suspended particulate matter in the environment. Particulate matter is a complex mixture of organic and inorganic particles with a variety of size and also biological matters. All these have many adverse effects on the human health, plants and environment. Now a day it becomes as an unsolved problem in the urban areas. It is noted that growth of plants become retarded and health related problems in human being get rises especially allergic. It is true that pollution is known as necessary evil for all development but for conservation of our mother nature it is essential to minimize the sources of pollution in the form of SPM.

Key Words - SPM, environmental pollution.

Introduction - Any country's growth and development is indicated by an increase in country's gross domestic product or GDP. Economic development improves standard of living of people. The major factors which are responsible for growth and development of any nation are human resources, natural resources, capital formation, technological development and social factors. Technological development leads to industrialization which is a mile stone for development. Selection of right technology also plays a role for the growth and development. Industrial developments have adversely affected the environment. Industrialization leads to urbanization. People have converted the life supporting system of entire world in to their own resources and have disturbed the environment. Formation of particulate matter is one of the results from the man made activities. The SPM are the microscopic or submicroscopic particles which are comprised of liquid or solid matter created by both manmade and natural causes. EPA defines the particulate matter as it is a term for a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air.

Present study is made to analyze particulate matters generated by various agencies on the road side areas of Khandwa city. Automobiles are the major source for production of SPM. Fuel vehicles emit a large number of exhaust fumes containing hazardous particulates in huge quantities. Directly or indirectly it affects not only human health but also causes environmental damage, affecting the nature.

Table 1 – Sources of SPM in urban area

Category	Source
Agriculture	Open burning
Mining and quarrying	Coal mining Stone quarrying Crude oil production Gas production

Power generation	Electricity Steam
Transport	Combustion Engines
Community service	Municipal incinerators

Methodology - Suspended particulate matter at different sites specially road sides were collected and studied. Samples were taken around 1 to 5 meter distance from roads. Particle size were analyse with the help of stage-ocular micrometer. Samples were collected randomly from 5 sites and analysed. Particulate matter deposition analysis was done on the surface of plants and in residential areas.

Result and Discussion - SPM are the result of combustion processes, industrial activities or natural sources. The complex mixture includes both organic and inorganic particles with a wide range of size. The smaller the particle, the deeper they can penetrate in to the living system and become more hazardous. In the present study, it is observed that deposition percent of fine particles were noted more on the road side plants as well as on house hold articles.

Table 2 – % Deposition of different sized Particles

S. No.	Particle Size	Deposition %	
		On Plants	On household articles
1	10-25mm	64%	58%
2	25-50mm	19%	15%
3	50-100mm	13%	15%
4	More than 100mm	4%	12%

Contamination of free air by particulate matter is a problem for human being. Particulates from motor vehicles can ranges from 0.01- 5000 micrometer diameter. The particulate matter molecules are produced by the process of nucleation, coagulation or by condensation. Particles of diverse origin have very different chemistries. Many times also contains biological particulate matter which include different types of spores and pollen grains.

*Associate Professor (Physics) S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

The size of particles is directly linked to their potential for causing health problems. Many scientific studies have linked particle pollution exposure to a variety of problems which include aggravated asthma, decreased lung function, coughing, difficulty in breathing, irregular heart beat premature delivery etc. SPM gets mostly deposited in trachea bronchial region .Rapid increase is observed in people having allergy and asthma in various parts of Khandwa city.

Fine SPM, when present in the environment, they become cause of reduced visibility. Particulate matters also damages crop plants, forest plants and affect diversity of ecosystem. Particulate matter can damage stone and other materials as monuments or statues. Particulate matter contains metals like Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni and Pb etc. Heavy metal toxicity can lower energy levels and damage the functioning of the brain, lungs, kidney, liver and blood composition in human beings. Various sized particulate

matters affect the plants by altering stomatal openings and rate of photosynthesis.

Development processes need to benefit people, Simultaneous pollution is known as necessary evil. Worldwide there is a strong effort to combat the lethal pollutants but even there is a poor condition of anti-pollution technology. There is a need to develop awareness towards conservation of nature and to minimize the sources of production of particulate matter.

References :-

1. Farmer A. M. (1993), Environmental Pollution,(pp 63-75)
2. Jayshanker M. etal, (2014), Journal of Environment pollution and Human health, 2(1), pp 1-6
3. Khopkar S.M. (2005), - Environmental Pollution Monitoring and Control. New Age International Publications, New Delhi. (pp 120-130)

The Acute Lethal Toxicity Of Heavy Metals In The Environment And Human Health

Dr. Seema Agrawal* Dr. Sweta Tiwari** Dr. Kiran Surage***

Abstract - Heavy metals are found naturally in the earth and become concentrated as a result of human caused activities and can enter plant, animal, and human tissues via inhalation, diet, and manual handling. Then, they can bind to and interfere with the functioning of vital cellular components. The toxic effects of arsenic, mercury, and lead were known to the ancients, but methodical studies of the toxicity of some heavy metals appear to date from only 1868. In humans, heavy metal poisoning is generally treated by the administration of chelating agents. Some elements otherwise regarded as toxic heavy metals are essential, in small quantities, for human health.

Key Words - Heavy metals, Chelating agents, Lead, Cadmium, Mercury

Introduction - Heavy metals are defined as metallic elements that have a relatively high density compared to water. Metal toxicity is the toxic effect of certain metals in certain forms and doses on life. Some metals are toxic when they form poisonous soluble compounds. Certain metals have no biological role, i.e. are not essential minerals, or are toxic when in a certain form. A common characteristic of toxic metals is the chronic nature of their toxicity. This is particularly notable with radioactive heavy metals such as radium, which imitates calcium to the point of being incorporated into human bone, although similar health implications are found in lead or mercury poisoning. Heavy metals can enter a water supply by industrial and consumer waste, or even from acidic rain breaking down soils and releasing heavy metals into streams, lakes, rivers, and groundwater.

Effects of the heavy metals - The most common pollutant heavy metals are Lead, Cadmium, and Mercury.

Effects of Lead on the environment - Lead is a naturally occurring toxic metal found in the Earth's crust. It arises from both natural and anthropogenic sources. Young children are particularly vulnerable to the toxic effects of lead and can suffer profound and permanent adverse health effects, particularly affecting the development of the brain and nervous system. Lead also causes long-term harm in adults, including increased risk of high blood pressure and kidney damage.

Health effects of lead poisoning on children - Lead has had serious consequences for the health of children. At high levels of exposure, lead attacks the brain and central nervous system to cause coma, convulsions and even death. Children who survive severe lead poisoning may be

left with mental retardation and behavioural disruption. At lower levels of exposure that cause no obvious symptoms, and that previously were considered safe, lead is now known to produce a spectrum of injury across multiple body systems. In particular lead affects children's brain development resulting in reduced intelligence quotient (IQ), behavioural changes such as shortening of attention span and increased antisocial behaviour, and reduced educational attainment. Lead exposure also causes anemia, hypertension, renal impairment, immunotoxicity and toxicity to the reproductive organs. The neurological and behavioural effects of lead are believed to be irreversible.

Effects of Mercury on the environment - Mercury is a toxic substance which has no known function in human biochemistry or physiology and does not occur naturally in living organisms.

Health effects of mercury exposure - Elemental and methylmercury are toxic to the central and peripheral nervous systems. The inhalation of mercury vapour can produce harmful effects on the nervous, digestive and immune systems, lungs and kidneys, and may be fatal. The inorganic salts of mercury are corrosive to the skin, eyes and gastrointestinal tract, and may induce kidney toxicity if ingested.

Neurological and behavioural disorders may be observed after inhalation, ingestion or dermal exposure of different mercury compounds. Symptoms include tremors, insomnia, memory loss, neuromuscular effects, headaches and cognitive and motor dysfunction. Mild, subclinical signs of central nervous system toxicity can be seen in workers exposed to an elemental mercury level in the air of 20 µg/m³ or more for several years. Kidney effects have been

* Associate Professor & HOD (Chemistry) Shri Jain Diwakar Mahavidhyalaya, Indore (M.P.) INDIA

** Asst. Professor & HOD (Seed Technology) Shri Jain Diwakar Mahavidhyalaya, Indore (M.P.) INDIA

*** Asst. Professor & HOD (Horticulture) Shri Jain Diwakar Mahavidhyalaya, Indore (M.P.) INDIA

reported, ranging from increased protein in the urine to kidney failure.

How to reduce human exposure from mercury sources

- There are several ways to prevent adverse health effects, including promoting clean energy, stopping the use of mercury in gold mining, eliminating the mining of mercury and phasing out non-essential mercury-containing products.

Promote the use of clean energy sources that do not burn coal.

Burning coal for power and heat is a major source of mercury. Coal contains mercury and other hazardous air pollutants that are emitted when the coal is burned in coal-fired power plants, industrial boilers and household stoves.

Eliminate mercury mining, and use of mercury in gold extraction and other industrial processes.

Effects of Cadmium on the environment - Cadmium is one of the most toxic elements to which man can be exposed at work or in the environment. Cd is primarily toxic to the kidney, especially to the proximal tubular cells, the main site of accumulation. Cd can also cause bone demineralization, either through direct bone damage or indirectly as a result of renal dysfunction.

Exposure to cadmium - The main routes of exposure to cadmium are via inhalation or cigarette smoke, and ingestion of food. Skin absorption is rare. Other sources of cadmium include emissions from industrial activities, including mining, smelting, and manufacturing of batteries, pigments, stabilizers, and alloys. Cadmium is also present in trace amounts in certain foods such as leafy vegetables, potatoes, grains and seeds, liver and kidney, and crustaceans and mollusks. In addition, foodstuffs that are rich in cadmium can greatly increase the cadmium concentration in human bodies. Exposure to cadmium is commonly determined by measuring cadmium levels in blood or urine. Blood cadmium reflects recent cadmium exposure (from smoking, for example). Cadmium in urine (usually adjusted for dilution by calculating the cadmium/creatinine ratio) indicates accumulation, or kidney burden of cadmium

Conclusion - There are many heavy metals found naturally in the Earth. They are becoming concentrated as a result

of undesirable human activities. The toxic effects & hazardous metals like lead, mercury & cadmium cannot be over looked. Lead may cause permanent & adverse health effects on brain and the nervous system. Some of its effects may be long lasting. The harmful toxic effect of mercury damages the central & peripheral nervous system. Cadmium being the most toxic element cause severe damage to bones resulting in bone demineralization. New inventions and way to reduce the adverse effects of these metals should be found out. So that man can lead a better healthy life while staying alone and utilizing these metals.

References :-

1. Fergusson JE, editor. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Oxford: Pergamon Press; 1990.
2. International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs – Cadmium. Lyon, France: 1993.
3. Paschal DC, Burt V, Caudill SP, Gunter EW, Pirkle JL, Sampson EJ, et al. Exposure of the U.S. population aged 6 years and older to cadmium: 1988–1994. Arch Environ Contam Toxicol. 2000;38:377–383
4. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Draft Toxicological Profile for Cadmium. Atlanta, GA: 2008.
5. Satarug S, Baker JR, Urbenjapol S, Haswell-Elkins M, Reilly PE, Williams DJ, et al. A global perspective on cadmium pollution and toxicity in non-occupationally exposed population. Toxicol Lett. 2003;137:65–83.
6. Davison AG, Fayers PM, Taylor AJ, Venables KM, Darbyshire J, Pickering CA, et al. Cadmium fume inhalation and emphysema. Lancet. 1988;1(8587):663–667.
7. Jarup L, Berglund M, Elinder CG, et al. Health effects of cadmium exposure—a review of the literature and a risk estimate [published erratum appears in Scand J Work Environ Health 1998 Jun; 24(3):240] Scand J Work Environ Health. 1998;24(1):1.
8. Wittman R, Hu H. Cadmium exposure and nephropathy in a 28-year-old female metals worker. Environ Health Perspect. 2002;110:1261.

Incidence Of Iodine Deficiency In Patients Attending ENT Outdoor At Distt. Hospital, Satna

Dr. Rashmi Singh *

Introduction - Iodine is an essential micronutrient necessary for synthesis of thyroid hormones, thyroxine (T₄), Triiodothyronine (T₃) contains 4 and 3 atoms of iodine. Adult human body contains about 50 mg of iodine and the blood level is 8-12 microgram/dl. The best source of iodine is seafood and sea salt, cod-liver oil, milk, meat, vegetables, cereals. In fresh water it is small in amount vary from 1 to 50 mcg, 90% iodine comes from food taken and 10% from water drinking

Goitrogens are chemical substances leading to development of goitre, they interfere with iodine utilization by thyroid gland, they may occur in food and water, cabbage and cauliflower, probably cyanoglucosides and thiocyanates.

Serum TSH level >2.5 mIU/l in non pregnant woman should be considered as hypothyroidism, in pregnant woman TSH level more than 2.5 mIU to less than 5 mIU/l should be taken as hypothyroidism, deficiency of iodine leads to physical and mental retardation, spontaneous abortion, stillbirth, cretinism, deaf mutism, myxedema, dwarfism, these all disorders are collectively known as **iodine deficiency disorder**, daily requirement of iodine is 150 mcg/day.

There is about 170 million people are estimated to be affected with iodine deficiency, one particular district in UP (Gonda) is known as **endemic goitre district**, Himalya goitre belt about 2400 kms extends from Jammu Kashmir to Assam. There is evidence that Thyroid dysfunction can lead to infertility, incidence of subclinical hypothyroidism is 4 to 8%, the guideline published by practice committee of American society for reproductive medicine reviews the risk and benefit of treating subclinical hypothyroidisms in female patients with history of infertility and miscarriage as well as obstetrical and neonatal outcome in this population.

Material And Method - This study Has been conducted in ENT dept. D.H. Satna from 1st Aug. to 30th Sept. in Pt's attending ENT outdoor, total patients were 4387. out of these thyroid function test was done in 210 patients which includes estimation of T₃, T₄ & T_s H level, patients usually present with swelling on front of neck which moves on swallowing few patients presented with sudden increasing body weight, swelling on their limbs, weakness lithargy, Difficulty in swallowing. Age of patients between 15 to 40 years were

180 cases, between 40 to 60 years were 30 cases, males and females ratio was also considered, patient taking iodine salt as routine was considered, their urban & rural background was also considered.

Observation & Result - Patients attending ENT outdoor were 4387 out of these 210 were patients came with complaints of thyroid problem, ratio was 1:21 between thyroid patients and total ENT patients, thyroid function test was done in 210 patients T₃, T₄ & T_s H level were seen, TSH level was taken as main criteria for iodine deficiency, normal range was between 0.5 to 5.0, level above 5 was taken as case of Hypothyroidism. Out of 210 patients, 53 patients were found hypothyroid ratio was 1:4 between hypothyroid patients & patients complains of thyroid problem, female: male ratio was 4:1, rural : urban ratio was 3:1, maximum number of thyroid problems was found between 15 to 40 years of age. 180 cases, only 30 cases were found between 40 to 60 years of age, H/o taking iodized salt was found in 60% in urban and 40% in rural areas.

Discussion - There is insufficient evidence that subclinical hypothyroidism is associated with infertility where TSH level is >2.5 mIU/l but there is fair evidence that TSH level of 2.5 to 4 mIU/l is associated with miscarriage. There is also enough evidence that treatment of subclinical hypothyroidism is associated with improved pregnancy rates and decreased miscarriage rates, there is enough evidence that TSH level >4 mIU/l is associated with adverse development outcomes, there is enough evidence that treatment with levothyroxine improves pregnancy outcomes especially in women TSH level is over 2.5 mIU/l and there is good result of universal screening in pregnant woman.

Conclusion - Currently available data support that in woman nonpregnants TSH level is > 2.5 mIU/l but less than 5 mIU/l should be treated with levothyroxine but in pregnant woman if TSH level is > 2.5 mIU/l should be treated with levothyroxine to prevent pregnancy complications. Our study concludes that as hypothyroidism is more common in rural population than urban hence more focus should be on consumption of iodized salt in rural area, epidemiological survey should be done in rural population regarding distribution & consumption of iodized salt in rural as well as urban areas, those who are living in most remote areas

where repeated monitoring is not possible intramuscular injection of iodized oil can be tried as it will give protection from hypothyroidism UP to 4 years. It is a better idea to distribute iron folic acid tablets with iodized salt in most remote population, more number of thyroid function test should be available at PHC & mini PHC level for screening of pregnant woman.

Prevention - Central govt has initiated a national programme of iodization which includes following indicators, prevalence of goitre, prevalence of cretinism, urinary iodide excretion, measurement of serum T4, T3, TSH level. Prevalence of neonatal hypothyroidism.

Goitre Control -

1. Iodized salt is distributed among the people living in areas where goitre incidence is high, iodine content is 30 ppm at production level & minimum 15 ppm at consumer level
2. National institute of nutrition Hyderabad has come out with fortified common salt (iodine + iron)
3. Iodized oil intramuscular injection of iodized oil (Poppy seed oil) 1ml will Give protection up to 4 years, Iodized oil oral still under trial.
4. Iodine monitoring in water, soil food as epidemiological study, Neonatal hypothyroidism is a sensitive index.

References :-

1. JOHN B. STANBURY, M.D. KALERVO OHELA, M.D. ROSALIND PITT-RIVERS, PH.D.
 The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 15, Issue 1, 1 January 1955, Pages 54–72, <https://doi.org/10.1210/jcem-15-1-54>
2. II. Thyroid Enlargement and Hyperthyroidism in Ulcerative Colitis
 · First published: 12 January 1975 Full publication history
 · DOI: 10.1111/j.0954-6820.1975.tb04882.x View/save citation
3. Cooper DS. Clinical practice: Subclinical Hypothyroidism. N Engl J Med 2001; 345: 260-265. PubMedCrossRefGoogle Scholar
4. Kumar A, Chaturvedi PK, Mohanty BP. Hypoandrogenaemia is associated with subclinical hypothyroidism in men. Int J Androl 2007; 30: 14-20. PubMedCrossRef Google Scholar
5. Lock RJ, Marden NA, Kemp HJ, Thomas PH, Goldie DJ, Gompels MM. Subclinical Hypothyroidism: a comparison of strategies to achieve adherence to treatment guidelines Ann Clin Biochem 2004; 41: 197-200.

जैविक - युद्ध

रागिनी सिंह * अनिता सिंह**

प्रस्तावना - युद्ध शब्द का नाम लेते ही आँखों के सामने विनाश का चित्र आ जाता है। विनाश मानवता का, विनाश सभ्यता और संस्कृति का, विनाश पशु-पक्षियों का और विनाश भौतिक-संसाधनों का।

मनुष्य प्रारंभ से ही विस्तारवादी प्रकृति का रहा है। सर्वप्रभुत्व सम्पन्न बनने के लिये वह कभी एक तो कभी दूसरे कारण से युद्ध करता रहा है। युद्ध का इतिहास आदि-मानव के अस्तित्व के साथ ही प्रारंभ हो गया था। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने युद्ध के नये-नये तरीके भी विकसित कर लिये। आदि-मानव के द्वारा भोजन प्राप्ति के लिये किया जाने वाला युद्ध समय के साथ स्त्री, पैसा तथा भूमि के लिये लड़ा जाने लगा। इसका विकृत रूप सत्ता तथा आधिपत्य के लिये होने वाले महाप्रलयकारी युद्ध के रूप में सामने आया।

विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की युद्ध-लिप्सा समाप्त तो नहीं हुई वरन् अपने विकृत स्वरूप में सामने आती गयी। आदि-मानव द्वारा पत्थरों तथा नाखुनों से किया जाने वाला युद्ध आज नवीनतम तकनीकों से लड़ा जाने लगा है।

युद्ध का विभत्स स्वरूप बारूद के आविष्कार के साथ प्रारंभ हुआ। अल्फ्रेड नोबल ने बारूद का आविष्कार पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाने तथा खदानों में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग की सहायता करने के उद्देश्य से किया था, किन्तु स्वार्थी मनुष्य ने इसका दुरुपयोग मानव-समाज का सर्वनाश करने में किया। बारूद के उपयोग ने युद्ध को अत्यंत क्रूर तथा जटिल बना दिया।

विस्तारवाद के कुत्सित इरादों को पूर्ण करने की लालसा में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता रहा। विजय प्राप्ति की इस इच्छा में हर युग में युद्ध के नये-नये संसाधनों की खोज की गयी और आणविक हथियार तथा प्रक्षेपास्त्र अस्तित्व में आते गये। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ महाविनाशक रासायनिक तथा जैविक हथियारों का उपयोग प्रारंभ हुआ। क्या हैं जैविक हथियार

जैविक हथियार ऐसे रोगाणु या जैविक पदार्थ हैं जो साँस लेने पर, कटी-फटी त्वचा के सम्पर्क में आने पर भोजन के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने पर स्वस्थ मनुष्य को बीमार बना सकते हैं। इन रोगाणुओं या जैविक पदार्थों में से कुछ संक्रामक होते हैं तथा कुछ गैर-संक्रामक होते हैं।

जैविक हथियारों की सहायता से बिना किसी पूर्व जानकारी के लाखों लोगों को निशाना बना कर मौत के घाट उतारा जा सकता है या फिर उन्हें पंगु बना तिल-तिल कर जीने के लिये बाध्य किया जा सकता है।

एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर जैविक हमला किये जाने की स्थिति में इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाती है कि जैविक हमला हुआ भी है अथवा नहीं और न ही यह ज्ञात हो पाता है कि किस प्रकार के विषाक्त जीवाणुओं का उपयोग किया गया है, वरन् यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चलती रहती है किन्तु इसके साथ ही मानवीय विनाश शनैः-शनैः अपने पैर पसारता रहता है।

जैविक युद्ध की प्रक्रिया में प्राणघातक रोगाणुओं या जैविक पदार्थों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पहुंचाया जाता है। ये रोगाणु अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं तथा सुई की नोक के बराबर स्थान में लाखों की संख्या में समाहित हो जाते हैं।

प्रमुख रूप से जैविक हथियार के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले रोगाणुओं में बैसिलस ऐन्थ्रेसिस है जो ऐन्थ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न करता है। इसे बहुत आसानी से विकसित किया जा सकता है। तेज बुखार, भूख न लगना, आँतों में सूजन तथा उल्टी जैसा लगना ऐन्थ्रेक्स के प्रमुख लक्षण हैं। ऐन्थ्रेक्स के जीवाणु कीटनाशक दवाओं तथा तेज गर्मी को आसानी से सहन कर लेते हैं। मायकोटॉक्सिन टी-2 एक तीव्र विष है जो पानी तथा खाद्य पदार्थों में मिला दिये जाने पर प्रलय मचा सकता है। इसका शिकार पक्षाघात से पीड़ित होकर अंततः मृत्यु के मुँह में चला जाता है।

इबोला वायरस हीमोरेजिक बुखार उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। सिरदर्द, बुखार एवं जोड़ों में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। कुछ समय पश्चात् पेट-दर्द, उल्टी, दस्त आदि के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। इस जीवाणु से ग्रस्त कुछ रोगी स्वतः ठीक हो जाते हैं तथा कुछ की मृत्यु हो जाती है।

बैसीलस बुर्खोल्डेरिया वायु के माध्यम से आक्रमण करने में उपयोग में लिया जा सकता है।

बाट्युलिन बैक्टिरिया द्वारा उत्पन्न विष की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा शरीर में लकवा करने के लिये पर्याप्त है।

ये तो केवल मात्र कुछ उदाहरण हैं वस्तुस्थिति यह है कि इनके अतिरिक्त भी बहुत लम्बी शृंखला संक्रामक तथा गैर-संक्रामक जैविक पदार्थों की है जो तत्काल या कुछ समय पश्चात् अपने विषाक्त प्रभाव से मनुष्य को मारने या उसे स्थायी रूप से अपाहिज करने में सक्षम हैं।

जैविक हमला होने की स्थिति में आक्रमणकारी जीवाणु सामान्य जीवाणु न हो कर जेनेटिकली रूप से परिष्कृत जीवाणु होते हैं। जिन पर सामान्य ऐंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव ही नहीं होता और जब तक इनसे लड़ने के लिये औषधि खोजी जाती है ये अपना कार्य पूरा कर चुकते हैं।

जैविक युद्ध में प्रयुक्त जीवाणुओं में प्रबल संक्रमण क्षमता होती है तथा

* सहायक प्राध्यापक (भौतिकी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (गणित) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

ये उच्च तापमान को भी आसानी से सहन कर लेते हैं।

जैविक आक्रमण हवा, पानी, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसके लिये आधुनिक संसाधनों की कतई आवश्यकता नहीं है और इस कारण यह अत्यधिक विनाशकारी होता है। इस हमले में सर्वाधिक डरावना तथ्य यह है कि इसमें गोपनीय रूप से लोगों को मौत का ग्रास अथवा अपंग, अशक्त और असहाय बनाया जाता है तथा इसके स्रोत की जानकारी न होने के कारण इससे बचाव करना भी असंभव है।

जैविक युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति इसका पूर्वानुमान न लगा पाना है यद्यपि प्रतिकूल परिस्थिति में यह हमलवार राष्ट्र को भी अपना शिकार बना लेता है।

जैविक युद्ध से बचने का सर्वोत्तम तरीका सतर्कता है। सैनिकों तथा सामान्य जनता को इस युद्ध के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिये। यथा-संभव शीघ्र आक्रमणकारी जीवाणुओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिये उच्च तकनीक-युक्त प्रयोगशाला होना चाहिये।

संसार में कोई वस्तु बुरी नहीं होती। यह मनुष्य की सोच है जो उसे

अच्छा या बुरा बनाती है। यह बात विज्ञान के लिये भी सत्य है। यह विज्ञान की ही देन थी जिसने चेचक, टी.बी. आदि जैसी दुसाध्य बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में मनुष्य की सहायता की है। यह मनुष्य का स्वार्थ है कि वह विज्ञान का दुरुपयोग कर सम्पूर्ण मानव-जाति का विनाश करना चाहता है।

आज जब हम एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज ढूँढने में प्रयासरत हैं जैविक युद्ध के बारे में सोचना भी अपराध है।

समय की माँग है कि विश्व के सभी राष्ट्र जैविक युद्ध का पुरजोर रूप से विरोध करें। जैविक युद्ध से निपटने का उत्तरदायित्व सिर्फ किसी राष्ट्र विशेष का नहीं वरन् सम्पूर्ण जगत का है इससे बचने के लिये जन-जागरण, सुरक्षात्मक उपाय, कठोर प्रावधान, उन्नत प्रयोगशाला, सामूहिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आतंक के चरम संसाधन- जैविक एवं रासायनिक हथियार डॉ. गुरुदयाल प्रदीप | www.abhivyakti-hindi.org/vigyan...
2. विज्ञान गंगा, जनवरी-फरवरी, 2014 डॉ. दुर्गादत्त ओझा | hindi.indiawaterportal.org/node/54656

जनजातीय समूह की किशोरियों में रक्ताल्पता के कारण एवं आहारिय उपचार

डॉ. प्रगति देसाई * संतोषी रोमड़े **

प्रस्तावना – जनजातीय मानव समाज का वह वर्ग है जो आज के इस सभ्य समाज में भी मानव के आदिकाल को चित्रित करता है। जनजाति एक निष्चित भू-भाग में निवास करते हैं, तथा एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं। जनजातिय समूह में आज भी स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, अर्थात् शिक्षा के अभाव में उन्हें पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है जिसकी वजह से वे पोषण जनित समस्याओं से ग्रसित हैं जैसे – प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, आयोडीन की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन अ की कमी एवं विशेष रूप से रक्ताल्पता किशोरियों में प्रमुख रूप से देखी जा रही है। जनजातीय समूह में अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी, पोषण संबंधी जागरूकता का अभाव आदि कई कारक हैं जो कि जनजातीय समूह की किशोरी बालिकाओं में रक्ताल्पता के लिए उत्तरदायी हैं।

रक्ताल्पता वह स्थिति है जब रक्त की ऑक्सीजन संवहन की क्षमता घट जाती है जिसका कारण रक्त में लाल रक्त कणों (RBC) की संख्या का कम होना हीमोग्लोबिन की मात्रा का घटना या लाल रक्त कणों का त्रुटिपूर्ण रूप से परिपक्व होना है। इन सभी के पीछे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 4.6 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मि. मीटर रक्त होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार – किशोरी बालिकाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर निम्नानुसार है-

सामान्य	-	12- 15.5 gm/dl
मध्यम	-	11- 11.9 gm/dl
कम	-	8- 10.9 gm/dl
गंभीर	-	8 gm/dl से कम

पोषणिक रक्ताल्पता की समस्या विश्वव्यापी है एवं यह समस्या बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं खिलाड़ियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होने के कारण इन समूहों में रक्ताल्पता अधिक पायी जाती है।

रक्ताल्पता की व्यापकता – विश्व स्वास्थ्य संगठन 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में किशोरियों में रक्ताल्पता की व्यापकता 30.2 प्रतिशत पाया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किशोरियों में रक्ताल्पता की व्यापकता 51.40 प्रतिशत पाया गया।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश में

किशोरियों में रक्ताल्पता की व्यापकता 52.4 प्रतिशत पाया गया।

रक्ताल्पता के प्रकार – पोषक तत्वों के प्रकार के अनुसार रक्ताल्पता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है-

1. लौह लवण की कमी से **हाईपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक** एनीमिया होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। (Hypochromic) साथ ही कणिकाओं को आकार छोटा हो जाता है। (Microcytic)
2. विटामिन बी12 की कमी से **मेगालोब्लास्टिक एनीमिया** होता है। जो आहार में इस विटामिन की कमी होने से या आंतों में इसके अवशोषण पर्याप्त न होने से होता है। विटामिन बी12 तथा फोलिक एसिड लाल रक्तकणिकाओं के परिपक्वीकरण में सहायक होते हैं अतः इनकी कमी में अपरिपक्व लाल रक्तकणिकाएँ रक्त में आ जाती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य होती है इसी कारण इसे (**मेक्रोसाइटिक**) बड़ी कोषिका का आकार वाला (ओर्थोक्रोमिक) सामान्य रंगकण वाला एनीमिया कहा जाता है।
3. जब दोनों ही परिस्थिति होती है जब आहारिय लवण के साथ ही बी12 की भी कमी होती है तो मिलाजुला प्रभाव पड़ता है याने लाल कोशिकाओं का आकार बड़ा (**मेक्रोसाइटिक**) तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम (Hypochromic) एनीमिया हो जाता है। इसे डार्डमारफीक एनीमिया भी कहा जाता है।

कारण –

1. आयरन की कमी, फोलिक एसिड, विटामिन इ12 तथा विटामिन उ की कमी प्रमुख कारण हैं।
2. पोषक तत्वों का दोषपूर्ण अवशोषण।
3. शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अपर्याप्त मात्रा में लौह-लवण लेना।
4. प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आदि के कारण लौह लवण का अवशोषण कम होना।
5. लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया की दर बढ़ना जैसे संक्रमण (मलेरिया) एवं लाल रक्त कोशिकाओं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होना।
6. किशोरावस्था, गर्भावस्था में अपर्याप्त मात्रा में लौह लवण लेना आदि जब लौह लवण की आवश्यकता अधिक होती है।
7. किशोरियों में महावारी के दौरान अधिक रक्तस्राव से रक्ताल्पता का कारण है।

लक्षण –

1. भूख न लगना।

*सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

**शोधार्थी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

2. थोड़ा-सा कार्य करने पर थकावट महसूस होना।
3. सामान्य कमजोरी व अनिद्रा।
4. किसी भी कार्य में मन न लगना।
5. सीखने की क्षमता घट जाना।
6. छोटे बच्चों में वृद्धि दर कम होना।
7. कार्यक्षमता घट जाना।
8. चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, साँस फूलना, यादाश्त में कमी।
9. आँखों के नीचे काले घेरे।
10. तीव्र रक्ताल्पता की स्थिति में त्वचा एवं आँखें पीली दिखाई देना।
11. जीभ चिकनी एवं लाल दिखाई देती है।
12. नाखून पतले चम्मच के आकार में दिखाई देना हथेलियों व तलवों में जलन व झुनझुनाहट होना।

ICMR (Indian Council of Medical Research 2011) के अनुसार किशोरी बालिका (13-18 वर्षीय) हेतु पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा इस प्रकार है।

पोषक तत्व	(13-15) वर्षीय	(15-18) वर्षीय
कैलोरी	2060 kcal/day	2060 kcal/day
प्रोटीन	65 gm /day	63 gm /day
आयरन	28 mg/day	30 mg /day
विटामिन उ	40 mg/day	40 mg/day
रेटिनाल	600 ug /day	600 ug /day
केरोटीन	2400 ug /day	2400 ug /day
केल्शियम	600 mg /day	500 mg /day

रक्ताल्पता से पीड़ित किशोरी बालिका की दैनिक आहार तालिका का नमूना (उच्च लौह लवण, उच्च प्रोटीन एवं विटामिन परिपूरित)समय

भोज्य	पदार्थ	मात्रा
सुबह 7.00 बजे	दूध	1 गिलास
नाश्ता 9.00 बजे	मैथी की भाजी का पराठा व इमली चटनी	1 पराठा
10.00	अनार	1 नग
11.45	मिक्स वेज सूप 1 कटोरी	
दोपहर 12.00 खाना	गोभी की सब्जी गेंहूँ व बाजरे की मिश्रित चपाती	1 कटोरी 2नग
	मूंग दाल	1 कटोरी
	पुलाव	1 प्लेट
	फ्रूट सलाद	1 प्लेट
शाम 4:00 बजे	अंकुरित चाट चिक्की	1 कटोरी 1 नग
रात का खाना 8:00 बजे	मैथीदाना युक्त शिमला मिर्च उड़द दाल गेंहूँ व बाजरे की मिश्रित चपाती चावल मिश्रित सलाद	1 कटोरी 1 नग 1 कटोरी 2 नग 1 प्लेट

सोते समय 10:00 बजे	दूध + खारक	1 गिलास 4 नग
--------------------	------------	-----------------

उपरोक्त आहार तालिका से निम्नानुसार पोषक तत्व प्राप्त होंगे -

(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)

रक्ताल्पता से पीड़ित किशोरी बालिका के आहार में प्रमुखता से शामिल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं उसमें उपस्थित लौह तत्व प्रतिशत में इस प्रकार है-

मौठ (9.5%), खारक (7.3%), सोयाबीन (10.4%), बाजरा (8%), सुखा करोंदा (39.1%), तिल (9.3%), हालू बीज (100%), सूखा नारियल (7.8%), बादाम (5%), मैथी भाजी (1.93%), इमली (17%) पालक (1.14%), मैथी दाना (6.5%), तरबूज (7.9%), सीताफल (4.3%)

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि जनजातीय समूह के रक्ताल्पता से पीड़ित किशोरी बालिका के आहार में स्थानीय रूप से प्राप्त सस्ते आनाज फल एवं सब्जियों का समावेश करने संबंधी जागरूकता के द्वारा इस रक्ताल्पता जैसे गंभीर समस्या से इन्हें मुक्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कानगो मंगला (1990) 'कुपोषण' सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण शास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी अकादमी भोपाल पेज नं 121
2. कुलकर्णी ज्योति (1996) 'राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम' सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण, नवीन संस्करण, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट खजुरी बाजार, इन्दौर, पेज नं 181-184
3. पल्टा अरुणा (2001) 'विभिन्न अवस्थाओं के लिए भोजन की योजना बनाना तथा पोषक तत्वों की गणना करना' प्रयोगात्मक पोषण, द्वितीय संशोधित संस्करण, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट खजुरी बाजार, इन्दौर, पेज नं 41
4. पल्टा अरुणा (2002) 'रक्ताल्पता' शरीर क्रिया एवं उपचारात्मक पोषण संस्करण, प्रकाशन शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट खजुरी बाजार, इन्दौर, पेज नं 179
5. कुलकर्णी ज्योति (2003) 'रक्तलाता के लिए आहार आयोजन' स्वास्थ्य एवं रोग में पोषणीय प्रबंध, शिवा प्रकाशन श्री गणेश मार्केट, खजुरी बाजार, इन्दौर।
6. पेज नं 113,128
7. वर्मा सुरेश, जैन अनुराधा, वाटवे श्रीधर हुसैन मुनीरा (2004) 'सामुदायिक पोषणिक समस्याएं तथा उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव' सामुदायिक पोषण एवं व्यवहारिक जीवन विज्ञान, प्रथम संस्करण, प्रकाशक शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट खजुरी बाजार, इन्दौर, पेज नं 173.
8. सी. गोपालन, शास्त्री बी.वी.रामा एवं बालसुब्रमण्यम एस.सी (2011) 'फूड कम्पोजिशन टेबल' आर.डी.ए. फॉर इण्डियन फूड्स, प्रकाशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन आई.सी.एम.आर, हैदराबाद 500007 इण्डिया, पेज नं 96, 97.
9. rchiips.org>NFHS>factsheet_NFHS-4

खाद्य पदार्थों की तालिका

खाद्य पदार्थ	खाद्य पदार्थों की मात्रा ग्राम में	कैलोरी	प्रोटीन	आयरन	विटमिन सी
चावल	100	345	6.8	0.7	—
गेहूं	100	341	12.1	4.9	—
बाजरा	50	180.5	5.8	4	—
मूंग दाल	25	87	6.1	0.9	—
उड़द दाल	25	86.7	6.1	0.9	—
मौठ	25	82.5	5.9	2.3	—
खड़े मूंग	25	83.5	6	1.1	—
मैथी दाना	25	83.2	6.5	1.6	—
खारक	50	158.5	1.2	3.6	—
दूध	400	468	17.2	0.8	4
अनार	50	32.5	0.8	0.8	8
शिमला मिर्ची	50	6	0.3	0.3	9.2
मैथी	25	12.2	1.1	0.4	13
पालक	50	36.5	1.0	0.5	14
लौकी	25	3	0.05	0.1	—
गोभी	25	16.5	1.4	10	—
गाजर	50	24	0.4	0.5	1.5
चुकन्दर	25	10.7	0.7	0.2	2.5
ककड़ी	25	3.2	0.1	0.1	1.7
तिल	25	14.5	4.5	2.3	—
गुड़	25	95.5	0.1	0.6	—
टमाटर	150	23	1.9	1.8	—
इमली	10	0.3	2.8	1.7	0.03
कुल		2193.5 किलो कैलोरी	86.05 ग्राम	39.4 मि.ग्राम	55.7 मि.ग्राम.

विभिन्न विद्यालयों के छात्र - छात्राओं के पोषणिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. माणिक डांगे * रजनी उपाध्याय **

शोध सारांश - देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग विद्यालय जाने वाले बच्चों से बनता है। भारत में 07-14 वर्ष की उम्र के 96.7 प्रतिशत बच्चों स्कूलों में नामांकित हैं। प्राथमिक स्कूलों के 97 प्रतिशत बच्चों में से एक तिहाई बच्चों में कुपोषण के संकेत दिखाई देते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में 07-14 वर्ष की आयु के शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों व बालिकाओं के पोषणिक स्तर का अध्ययन मंदसौर जिले के 450 प्रतिदर्श लिए गए, जिसमें साक्षात्कार अनुसूची, मानवमितीय परीक्षण, लक्षण परीक्षण का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण प्रतिशत, f - value, t - value का उपयोग किया गया, शासकीय-अशासकीय विद्यालय एवं बालक बालिकाओं के पोषणिक स्तर में सार्थक अंतर देखा गया।

प्रस्तावना - संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के दो अरब लोग कुपोषण के अभिशाप से ग्रसित हैं, 14 करोड़ 60 लाख बच्चों कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें 05 करोड़ 70 लाख बच्चे भारतीय हैं। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय हैं। भारत में कुपोषण की दर 55 प्रतिशत है, जबकि अफ्रीका में यह 27 प्रतिशत के आसपास है, 'सेव द चिल्ड्रन' की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना 5000 से अधिक बच्चे कुपोषण के चलते दम तोड़ते हैं, भोजन की कमी के कारण बच्चों की आधी आबादी का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है।

डी.एल. कुसुमाव जी सीरिशा (2014) के अध्ययन में 07-14 वर्ष के 2998 बच्चों के अध्ययन में पाया कि बच्चों में वजन व लंबाई की कमी तथा एनिमिया देखा गया, सामान्य बच्चों का प्रतिशत लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक था। मोनिका मल्होत्रा (2011) ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पोषक स्वास्थ्य के आकलन में पाया कि शहरी बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण अधिक पाए गए।

उद्देश्य -

1. 7-14 वर्ष की आयु के शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों - बालिकाओं के पोषणिक स्तर का अध्ययन।
2. 7-14 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषणिक स्तर पर आयु, लिंग, जाति, पारिवारिक आय के प्रभाव का अध्ययन किया।
3. 7-14 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषणिक स्तर एवं भोजन के संबंध का अध्ययन करना।
4. पोषणिक स्तर व कक्षा निष्पादन के संबंध में अध्ययन करना।

प्रतिदर्श - मंदसौर जिले के 7-14 वर्ष के 450 छात्र - छात्राओं को विकासखण्डों से 30 प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर 15 शासकीय विद्यालयों से 225-225 विद्यार्थियों का चयन कर 117 लड़के एवं 108 लड़कियां शासकीय विद्यालयों से तथा अशासकीय विद्यालयों के 113 लड़के 112 लड़कियों का चयन द्वैव निर्देशन पद्धति द्वारा किया गया। प्रस्तुत शोध हेतु साक्षात्कार अनुसूची, परिचयात्मक, मुख्य अनुसूची - आहार संबंधी

प्रश्नावली, मानवमितीय परीक्षण, लक्षण परीक्षण अनुसूची का प्रयोग किया गया।

प्रक्रिया - 450 विद्यार्थियों का चयन द्वैव निर्देशन पद्धति द्वारा किया गया एवं प्राप्त संमकों के सही सारणीयन व विश्लेषण हेतु एफ परीक्षण एवं टी परीक्षण व सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण -

1. बच्चों में पोषण स्तर - शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक के अनुसार 7-14 वर्षीय शासकीय व अशासकीय बालक बालिकाओं में पोषण स्तर संबंधी विवरण को तालिका बद्ध कर सांख्यिकीय परीक्षण मध्यमान, प्रमाप विचलन व टी मूल्य के अनुसार प्राप्त परिणामों को विश्लेषित किया गया है।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों में बी.एम.आई के आधार पर पोषण स्तर **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका में दोनों प्रतिदर्शों में 10 वर्ष अनुसार मध्यमान 14.43, 16.53 व परिकलित टी मूल्य 3.52 हैं। 0.05 की सार्थकता पर शासकीय व अशासकीय बालकों में सार्थक अंतर के साथ पोषण स्तर में भिन्नता है। यहाँ परिकल्पना

1. 07-14 वर्ष के शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों के पोषण स्तर में सार्थक अंतर नहीं है, गलत प्राप्त हुई। वर्तमान अध्ययन के अनुसार ही भारती व सुनंदा 2005 व कुसुम कुमारी 2007 ने अपने अध्ययन में पाया कि बालकों के पोषण स्तर में अंतर नहीं है।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों में बी.एम.आई के आधार पर पोषण स्तर **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका में दोनों प्रतिदर्शों में 09 वर्ष अनुसार मध्यमान 14.02, 15.12 व परिकलित टी मूल्य 2.18 है। 0.05 की सार्थकता पर शासकीय व अशासकीय बालिकाओं में सार्थक अंतर के साथ पोषण स्तर में भिन्नता है। यहाँ परिकल्पना, 7-14 वर्ष के शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालिकाओं के पोषण स्तर में सार्थक अंतर नहीं है, गलत प्राप्त हुई। वर्तमान अध्ययन के अनुसार ही कुसुम कुमारी 2007 के अनुसार बालिकाओं के पोषण स्तर में अंतर है बच्चों में अवरुद्ध विकास, पतलापन व पोषण स्तर -

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(7 - 14) वर्षीय शासकीय अशासकीय विद्यालयीन बालक बालिकाओं में Z स्कोर के द्वारा पोषण, कुपोषण की जाँच हेतु अवरुद्ध विकास (ऊँचाई/ आयु) व पतलापन (बी.एम.आई./आयु) संबंधी आकड़ों को तालिकाबद्ध कर सांख्यिकीय टी मूल्य परीक्षण के अनुसार प्राप्त परिणामों को विश्लेषित किया गया है।

शासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में पोषण स्तर

पोषण स्तर	कुल संख्या	बालक	बालिका
अवरुद्ध विकास			
सामान्य	105 (46.6)	62 (52.9)	43 (39.8)
लम्बा कद	5 (2.22)	2 (1.70)	3 (2.7)
अवरुद्ध विकास	115 (51.1)	53 (45.2)	62 (57.4)
कुल योग	225 (100)	117 (100)	108 (100)
टी मूल्य 0.11 स्वातंत्र्य संख्या 4			
पतलापन			
सामान्य	122 (54.2)	70 (59.8)	52 (48.1)
अधिक वजन	1 (0.4)	1 (0.8)
पतलापन	102 (45.3)	46 (39.3)	56 (51.8)
कुल योग	225 (100)	117 (100)	108 (100)

अवरुद्ध विकास व पतलापन टी मूल्य 0.25 स्वातंत्र्य संख्या 9 एवं 0.05 पर सार्थक अंतर नहीं हैं।

उपरोक्त तालिका में दोनों प्रतिदर्शों के पोषण स्तर में अवरुद्ध विकास 51.1 प्रतिशत व पतलापन 45.3 प्रतिशत हैं। स्वातंत्र्य संख्या 9 पर मध्यमान 39.00, 43.20 व टी मूल्य 0.253 है। जो 0.05 की सार्थकता पर सारणी मूल्य से कम है, यहाँ बालक-बालिकाओं में अवरुद्ध विकास व पतलापन के अनुसार पोषण स्तर में सार्थक अंतर नहीं है। अतः बालिकाओं में अपर्याप्त आहार के कारण कुपोषण है। वर्तमान अध्ययन के अनुसार वेल्ना ओल्डवेज थैरान 2011 ने अपने अध्ययन में पाया कि बालक-बालिकाओं के बीच अवरुद्ध विकास व पतलेपन की व्यापकता है।

अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में पोषण स्तर

पोषण स्तर	कुल संख्या	बालक	बालिका
अवरुद्ध विकास			
सामान्य	85 (37.7)	31 (27.4)	54 (48.2)
लम्बा कद	5 (2.22)	2 (1.7)	3 (2.6)
अवरुद्ध विकास	135 (60)	80 (70.7)	55 (49.1)
कुल योग	225 (100)	113 (100)	112 (100)
टी मूल्य 0.011 स्वातंत्र्य संख्या 4			
पतलापन			
सामान्य	130 (52.7)	64 (56.6)	66 (58.9)
अधिक वजन	8 (3.55)	3 (2.65)	5 (4.46)
पतलापन	87 (38.6)	46 (40.7)	41 (36.6)
कुल योग	225 (100)	113 (100)	112 (100)

अवरुद्ध विकास व पतलापन टी मूल्य 0.25 स्वातंत्र्य संख्या 9 एवं 0.05 पर सार्थक अंतर नहीं हैं।

उपरोक्त तालिका में दोनों प्रतिदर्शों के पोषण स्तर में अवरुद्ध विकास 51.1 प्रतिशत व पतलापन 45.3 प्रतिशत हैं। स्वातंत्र्य संख्या 9 पर मध्यमान 39.00, 43.20 व टी मूल्य 0.253 है। जो 0.05 की सार्थकता पर सारणी मूल्य से कम है यहाँ बालक-बालिकाओं में अवरुद्ध विकास व

पतलापन के अनुसार पोषण स्तर में सार्थक अंतर नहीं है। अतः बालिकाओं में अपर्याप्त आहार के कारण कुपोषण है। वर्तमान अध्ययन के अनुसार वेल्ना ओल्डवेज थैरान 2011 ने अपने अध्ययन में पाया कि बालक-बालिकाओं के बीच अवरुद्ध विकास व पतलेपन की व्यापकता है।

बच्चों में जनसांख्यिकीय सामान्य विवरण - 7-14 वर्षीय शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालक बालिकाओं में जनसांख्यिकीय विशेषताओं के अनुसार सामान्य जानकारी को बच्चों की संख्या व प्रतिशत के रूप में तालिकाबद्ध कर विश्लेषित किया गया है।

शासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में जनसांख्यिकीय संबंधित विवरण

विवरण	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत	
आयु वर्ष में	7	15	6.6	
	8	25	11.1	
	9	35	15.5	
	10	45	20	
	11	35	15.5	
	12	30	13.3	
	13	25	11.1	
	14	15	6.6	
	लिंग	बालक	117	52
		बालिका	108	48
	जाति	अनुसूचित जाति व जनजाति	101	44.8
		पिछड़ा वर्ग	73	32.4
		अन्य	51	22.6
	आर्थिक स्थिति	निम्न से 5000	164	72.8
5100 - 10000		61	27.1	
10000 से अधिक		-	-	

इस अध्ययन में शासकीय विद्यालय से कुल 225 प्रतिदर्शों का चुनाव किया गया। जिनका जनसांख्यिकीय विशेषताओं आयु, लिंग, जाति व पारिवारिक आर्थिक स्तर के अनुसार विवरण किया गया। 7-14 वर्ष की आयु अनुसार 10 वर्षीय बच्चों की संख्या (20 प्रतिशत) अधिक है। लिंग के अनुसार बालकों की संख्या 52 प्रतिशत अधिक है। जाति अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की संख्या (44.8) प्रतिशत अधिक है तथा आर्थिक स्तर अनुसार निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों की संख्या (72.8) अधिक है।

अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में जनसांख्यिकीय संबंधित विवरण

विवरण	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
आयु वर्ष में	7	15	6.6
	8	25	11.1
	9	35	15.5
	10	45	20
	11	35	15.5
	12	30	13.3
	13	25	11.1
	14	15	6.6

विवरण	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
लिंग	बालक	113	50.2
	बालिका	112	49.7
जाति	अनुसूचित जाति व जनजाति	107	47.5
	पिछड़ा वर्ग	76	33.7
	अन्य	42	18.6
आर्थिक स्थिति	निम्न से 5000	63	28
	5100 - 10000	123	54.6
	10000 से अधिक	39	17.3

इस अध्ययन में शासकीय विद्यालय से कुल 225 प्रतिदर्शों का चुनाव किया गया। जिनका जनसांख्यिकीय विशेषताओं आयु, लिंग, जाति व पारिवारिक आर्थिक स्तर के अनुसार विवरण किया गया। 7-14 वर्ष की आयु अनुसार 10 वर्षीय बच्चों की संख्या (20 प्रतिशत) अधिक है। लिंग के अनुसार बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से केवल (0.4 प्रतिशत) पर अधिक है तथा आर्थिक स्तर अनुसार मध्यम आर्थिक स्तर के बच्चों की संख्या (54.6 प्रतिशत) अधिक है।

बच्चों में पोषण स्तर व भोजन संबंधी आदते - (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका में शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में पोषण स्तर व भोजन संबंधित आदतों के बीच सहसंबंध को दर्शाया है। शासकीय विद्यालयीन बालक-बालिका व अशासकीय विद्यालयीन बालकों में पोषण स्तर व भोजन संबंधी आदतों में मध्यम धनात्मक सहसंबंध है। शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालक बालिकाओं में सहसंबंध पर टी मूल्य परीक्षण अनुसार पोषण स्तर व भोजन संबंधी आदत व अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं के पोषणिक स्तर व भोजन संबंधी आदतों के मध्य संबंध नहीं है गलत प्राप्त हुई।

बच्चों में पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन - (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

उपरोक्त तालिका में शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं में पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन में उच्च धनात्मक सहसंबंध है जबकि शासकीय विद्यालयीन बालिकाओं के पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन

में भिन्नता है। जबकि अशासकीय विद्यालयीन बालकों के पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन में समानता है। यहाँ परिकल्पना 09 07-14 वर्ष की आयु के शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालक-बालिकाओं के पोषणिक स्तर व कक्षा निष्पादन के मध्य संबंध नहीं है, गलत प्राप्त हुई।

परिणाम -

1. प्रत्येक शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन 07-14 वर्षीय बालक-बालिकाओं की ऊँचाई में सार्थक अंतर देखा गया। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की ऊँचाई में सार्थक अंतर अधिक देखा गया है।
2. प्रत्येक शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन 7-14 वर्षीय बालक-बालिकाओं में शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक के अनुसार आयु, लिंग, जाति व आर्थिक स्तर के अनुसार पोषण स्तर के प्रभाव में सार्थक अंतर देखा गया है।
3. प्रत्येक शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन 7-14 वर्षीय बालिकाओं के पोषण स्तर व भोजन संबंधी आदतों के मध्य समानता है।
4. प्रत्येक शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन 7-14 वर्षीय बालिकाओं के पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन के मध्य धनात्मक संबंध है, तथा पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन के मध्य भिन्नता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kusum D.L. Gsirisha (2014) : Prevalence of Under nutrition and anemia among the children (www.researchgate.net.in)
2. Kumari K (2005) : Health and nutrition status of school going children in Patna (www.medind.nic.in)
3. Malhotra Monika (2011) : Nutritional Health Status of Primary School Children Astudy in Bareilly district.
4. Theram velna old ways (2011) Dietary fat intake and nutritional status indicators of primary school children in a low income Information settlement in the Vaal region
5. Wikipedia.org/wiki
6. realltimewsi.com/India

शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों में बी.एम.आई के आधार पर पोषण स्तर

आयु	शा. वि. बालक 117			अशा. वि. बालक 113			टी मूल्य
	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	
7	8	14.39	1.47	7	14.14	1.04	0.37
8	14	14.34	1.3	13	15.19	1.29	1.7
9	14	15.48	1.98	13	14.45	1.19	1.62
10	27	14.43	1.25	21	16.53	2.76	3.52
11	18	14.52	1.5	18	14.57	1.35	0.1
12	17	14.89	2.35	21	15.03	1.97	0.19
13	12	15.69	1.79	15	15.03	1.52	0.95
14	2	15.11	0.92	5	15.92	3.2	0.64

0.05 पर सार्थक अंतर है।

शासकीय व अशासकीय विद्यालयीन बालकों में बी.एम.आई के आधार पर पोषण स्तर

आयु	शा. वि. बालिकाएँ (108)			अशा. वि. बालक (112)			टी मूल्य
	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	
7	8	14.39	1.47	7	14.14	1.04	0.37
7	7	13.69	1.55	8	15.1	1.89	1.56
8	11	14.75	1.68	12	14.77	2.3	0.02
9	21	14.02	1.59	22	15.12	1.7	2.18
10	18	13.98	1.43	24	14.91	1.97	1.69
11	17	14.56	1.56	17	14.67	1.09	0.23
12	13	14.79	1.82	9	15.82	2.46	1.13
13	13	14.36	1.95	10	15.43	3	1.03
14	8	14.56	1.68	10	14.9	1.72	0.42

0-05 पर सार्थक अंतर है।

बच्चों में पोषण स्तर व भोजन संबंधी आदते

वर्ग समूह	लिंग	पोषण स्तर			भोजन संबंधी आदत			सहसंबंध	टी मूल्य
		सामान्य	कम वजन	अधिक वजन	सामान्य	कम	अधिक		
शा. विद्यालय	बालक	8.75	5.75	0.5	12.8	87.2	0	0.288	0.52
	बालिकाएँ	6.5	7	0	12	88	0	0.654	1.49
अशा. विद्यालय	बालक	8	5.75	1.5	10.6	89.4	0	0.28	0.5
	बालिकाएँ	8.25	5.13	1.25	11.6	88.4	0	0.182	0.32

0.05 पर सार्थक अंतर नहीं है।

बच्चों में पोषण स्तर व कक्षा निष्पादन

वर्ग समूह	लिंग	पोषण स्तर			कक्षा निष्पादन			सहसंबंध	टी मूल्य
		सामान्य	कम वजन	अधिक वजन	सामान्य	कम	अधिक		
शा. विद्यालय	बालक	59.8	39.3	0.8	81.1	18.8	0	0.88	3.35
	बालिकाएँ	48.1	51.8	0	81.4	18.5	0	0.62	0.4
अशा. विद्यालय	बालक	56.6	40.7	26.5	86.7	13.2	0	0.93	2.45
	बालिकाएँ	58.9	36.6	4.4	82.1	17.8	0	0.91	3.88

0.05 पर सार्थक अंतर नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले की महू तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. नंदिनी रेखड़े * मंजू सोनगरा**

शोध सारांश - ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी होने के कारण उनके भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा अपर्याप्त होती है। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। जिसका प्रभाव गर्भ में पलने वाले शिशु एवं माँ के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रस्तुत शोध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की सौ ग्रामीण गर्भवती महिलाओं का चयन किया गया। पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया। महिलाओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा अनुसूचित जाति वर्ग की गर्भवती महिलाएँ जागरूक देखी गईं। 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों के प्रति जागरूकता देखी गई। प्रस्तुत शोध द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि इन महिलाओं में पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष परामर्श की आवश्यकता है।

प्रस्तावना - भारत एक ऐसा राष्ट्र है। जहां पर सभी धर्म और समुदाय के लोग निवास करते हैं। अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा-बोली, और प्रजाति के होने के कारण भारतीय समाज में विविधता दिखाई देती है।

भारत एक विकासशील देश है। किन्तु आधुनिक समय में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में अपने स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के प्रति जागरूकता में कमी है। गर्भवती महिला का भोजन एक सामान्य महिला के भोजन के समान देखा गया। किन्तु गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस अवस्था के दौरान भोजन में परिवर्तन करना अतिआवश्यक होता है। अतः ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व (कार्बोज तथा वसा) प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व सामान्य से ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को नहीं लेने के कारण कुपोषण की शिकार तथा शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देती है जिसके कारण शिशु जन्म के पश्चात कम वजन का होता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-2,3)(2013) - के अनुसार विभिन्न सर्वेक्षण व अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि 1991 - 2001 की अवधि में जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 24.3 प्रतिशत रही, जोकि 1981-91 की दशकीय वृद्धि दर 25.7 प्रतिशत से कम, परन्तु सम्पूर्ण देश की वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत से अधिक है। जनजातियों की साक्षरता 47.3 प्रतिशत है जबकि आमजन की साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत है। जनजातियों में औपचारिक शिक्षा से ड्रापआउट रेट 79 प्रतिशत है। जबकि सामान्य आबादी के संदर्भ में यही दर 62 प्रतिशत है। जनजातियों का निर्भरता अनुपात 83.9 प्रतिशत है। जबकि गैर जनजातियों का निर्भरता अनुपात 69 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में 47.3 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 33.3 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार हर लिहाज से जनजाति जीवन की दनीयता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनजातियों में व्यास गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुपोषण, अशुद्ध, पेयजल, अपर्याप्त मात्रा व

शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ तथा अप्रभावकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य व पोषण सेवाएँ उनकी स्वास्थ्य संबंधी दयनीय स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। चूंकि भारतीय जनजातीय समुदायों की अपनी अलग खासियत होती है लिहाजा उनकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान केवल बहुआयामी विधि से ही नहीं होना चाहिए बल्कि जहाँ तक संभव हो विभिन्न समुदाय विशेष के लिए विशिष्ट भी होना चाहिए। स्वास्थ्य समस्या के समाधान के तमाम उपायों के साथ-साथ राज्य का अपेक्षित सहयोग एवं स्वस्थ मंशा का होना भी आवश्यक है।

अनुसूचित जाति - अनुसूचित जाति 'शब्द' का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में साइमन कमिशन द्वारा किया गया। इसका प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया। सन्-1931 की जनगणना में 'बाहरी जाति' के रूप में संबोधित किया। महात्मा गाँधी ने उन्हें 'हरिजन' के नाम से पुकारा। सन्-1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया - उनमें से कुछ इस प्रकार अनुसूचित जाति हैं - चुहड़ा, भंगी, चमार, डोम, रेगर, राजबन्सी, दोहड़, शानर, छिमान, पेरेमा, बलाई तथा कोरी।

अनुसूचित जनजाति - जनजाति मानवीय समाज का वह वर्ग है। जो आज के सभ्य समाज में भी मानव के आदिकाल को चिन्हित करता है। जनजाति समुदाय का मानव इस आधुनिक समाज में अपने पिछड़ेपन के कारण 'आदिमानव' के रूप में जाना जाता है। जनजाति एक निश्चित भू-भाग में निवास करते हैं। इनमें विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं आदि कालीन धर्म प्रथा और परम्परा को मानते हैं तथा आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत निवास करते हैं।

जाति के प्रकार - गोंड, भील, बेंगा, सहरिया, भारिया, कोरकू, बंजारा, अगरिया, कोली, पारधी और पनिका आदि।

गर्भावस्था - गर्भावस्था स्त्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। गर्भावस्था उत्तकों से तीव्र निर्माण की वह अवस्था होती है जहाँ लिये गये

* प्राध्यापक (बाल विकास) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृह विज्ञान) (आहार एवं पोषण) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

की अवधि में पूर्ण परिपक्व शिशु तैयार होता है।

गर्भावस्था - 'गर्भधारण से लेकर शिशु जन्म तक की अवस्था होती है।'

पोषण - भोजन के द्वारा पोषण मिलता है, पोषण विज्ञान उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है, जिनसे भोजन की पर्याप्तता को नापा जा सके।

टर्नर डी. एफ. के अनुसार - 'पोषण उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए, वृद्धि के लिए तथा इसके घटकों के पुर्ननिर्माण के लिए करता है।'

स्वास्थ्य - हमारे शरीर के सभी अवयव दिन और रात क्रियाशील अवस्था में रहते हैं। यदि वातवरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारे समस्त अवयव सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। यदि शरीर की प्राकृतिक तथा सामान्य क्रियाओं में कोई रुकावट या गड़बड़ी देखी जाती है तो शरीर अस्वस्थ या बीमार माना जाता है।

WHO के अनुसार - 'स्वास्थ्य सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक निरोगता की अवस्था है तथा मात्र बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वस्थ नहीं माना जा सकता।'

उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में पोषण स्तर का अध्ययन।

परिकल्पना - गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में पोषण स्तर सामान्य होगा।

अध्ययन पद्धति - इस अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के इन्दौर जिले की महू तहसील के अन्तर्गत आने वाले गाँवों में रहने वाली 50 अनुसूचित जाति तथा 50 अनुसूचित जनजाति की (100) गर्भवती महिलाओं को इस अध्ययन हेतु चयन किया गया।

विधि - पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण - प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से निम्न परिणाम प्राप्त हुए।

तालिका क्रमांक-1

गर्भावस्था में पोषण संबंधी जानकारी के प्रति जागरूकता

गर्भवती महिलाएँ	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
जागरूक	7	14	5	10
अजागरूक	43	86	45	90
योग	50	100	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की 86 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों की जानकारी नहीं थी। जबकि 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों की जानकारी थी। 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्वों की जानकारी नहीं थी। जबकि 10 प्रतिशत जनजाति की गर्भवती महिलाओं को जानकारी थी। इसका मुख्य कारण अशिक्षित होना तथा उनकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना।

तालिका क्रमांक-2

गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के प्रति जागरूकता

स्वास्थ्य परीक्षण	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
जागरूक	35	70	32	64
अजागरूक	15	30	18	36
योग	50	100	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी थी। जबकि 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी नहीं थी। 64 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी थी। जबकि 36 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी नहीं थी। स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए इन महिलाओं को परामर्श की आवश्यकता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को पोषण स्तर तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष परामर्श की आवश्यकता है। जैसा कि WHO (2002) के अध्ययन में पाया कि विश्व में 5 लाख 10 हजार मातृ-मृत्यु दर पाई गई है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1,30,000 महिला प्रत्येक प्रसव के दौरान मौत की शिकार होती है। मध्यप्रदेश में प्रत्येक एक लाख महिलाओं में (कुल जीवित जन्म देने वाले में से) 498 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण हो जाती है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेतन 407 है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश का स्थान तीसरा है।

निष्कर्ष - उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय दशा निम्न स्तर पर होने के कारण साफ-सफाई आदि की प्रयास व्यवस्था नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों में भोजन संबंधी अंधविश्वास देखा गया है जैसे - दूध, दही, छाछ, घी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, पपीता नहीं खाना आदि। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला अपने चारों ओर के सामाजिक वातावरण के प्रति जागरूक नहीं है तथा शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ से भी वंचित है। गर्भवती महिला का नाम आंगनवाड़ी में दर्ज करवाने के बाद उन्हें नियमित रूप से आंगनवाड़ी में जाने हेतु परिवार द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

सुझाव - अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों वर्ग का खान-पान, रहन-सहन, सोच-विचार लगभग समान देखा गया। परन्तु अनुसूचित जनजाति वर्ग ज्यादा पिछड़ा हुआ है, परामर्श दोनों वर्ग की गर्भवती महिलाओं को करने की जरूरत है।

गर्भवती स्त्रियों को पोषण स्तर में सुधार करके गर्भकाल में होने वाली कई परेशानियों से निजात पाने के लिए सही समय पर भोजन चिकित्सकीय जांच समय पर कराकर चिकित्सक की सलाह के अनुसार खान-पान के स्तर में सुधार करना, समय-समय पर टीकाकरण करवाना, वजन के बढ़ोत्तरी की हो रही है, या नहीं इसकी जानकारी लेना।

जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी सर्वेक्षण (2012) ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं ने डेढ़ लाख महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण में देखा है कि महिलाओं को गर्भावस्था में विटामिन-डी युक्त आहार दिया जाए तो होने वाली संतान में मल्टीपल एक्लेरोसिस होने से रोका जा सकता है।

गर्भवती स्त्री को अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ सलाद, फल, दुध, अण्डे और चना-गुड़ लेना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करने से कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-डी तथा खून की कमी नहीं होती है। अच्छे खान-पान के साथ स्वच्छ वातावरण का होना भी जरूरी होता है ताकि अच्छे वातावरण में नवजात शिशु का जन्म हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ (1969, 2911), सामाजिक शोध व

सांख्यिकीय, विवेक प्रकाशन, 7, यू.ए., जवाहर नगर, दिल्ली।

2. यूनीसेफ (2012), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण शेड्यूल, म.प्र. सरकार एवं यूनीसेफ भोपाल महिला एवं बाल विकास विभाग, पृ.क्र.9
3. पल्टा, अरुणा (2009), आहार एवं पोषण, शिवा प्रकाशन, खजूरी

बाजार, इन्दौर, पृ.क्र. 84-92

4. गुप्ता, एम.एल., शर्मा, डी.डी. (2008), समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.क्र. 218-220
5. गुप्ता, सीतल कुमार, मीना, पी.एस., जायसवाल, पूनम, ए.के. (2012), पुणेकर एम.पी.एस.सी., पुणेकर पब्लिकेशन, खजूरी बाजार, इन्दौर (म.प्र.)

महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों के परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. मंजु शर्मा * प्रतिष्ठा दासों धी **

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध-पत्र महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन पर है, बुनकरों की आर्थिक स्थिति उनकी हथकरघा बुनाई पर निर्भर करती है उनके हथकरघा कार्य से ही जीवन निर्वाह होता है। परिवार का पालन पोषण भी बुनकरों के ऊपर रहता है। मासिक आय की जानकारी साथ ही आय से किये गये व्यय की जानकारी व बचत संबंधी विवरणों का अध्ययन है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को जानेंगे।

महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्योग का परिचय - महेश्वर, महेश्वरी साड़ियों के उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है महेश्वर हथकरघो की नींव होल्कर राज्य की रानी देवी अहिल्या बाई होल्कर ने सन् 1967 ई. में रखी गई थी। बुनकरों के द्वारा वस्त्रों पर कई प्रकार से कारीगरी की जाती है जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है जिसके भिन्न-भिन्न घाट बने हैं तथा उन तटीय घाटों पर बनी गई कारीगरी को बुनकरों ने महेश्वरी साड़ियों के पल्लू व बार्डर पर उतारा साथ ही अन्य वस्त्रों पर भी डिजाइन डाली गई। जिससे वस्त्रों की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर लगभग 1900 हथकरघे कार्यशील अवस्था में हैं। जिन पर 4-5 हजार बुनकर कार्यरत हैं। जो भी वस्त्र बुनकर बुनते हैं वह महेश्वर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है व निर्यात किये जाते हैं। उनकी लोकप्रियता अधिक है।

बुनकर उद्यमियों के परिवार की आर्थिक स्थिति - बुनकर उद्यमियों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है उनकी मासिक आय कितनी होती है तथा परिवार पर उनको किन-किन आवश्यकताओं पर व्यय करना होता है। साथ ही उनको कितनी बचत होती है। ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमें उनके आर्थिक पक्ष को जानना अत्यंत आवश्यक है। उनके जीवन में इन पक्षों का प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है कभी-कभी बुनकरों को अपनी इच्छाओं व भावनाओं को त्याग करना होता है। क्योंकि उनके सामने सीमित आय सीमित व्यय होता है। साथ ही भविष्य में जरूरत पड़ने पर बचत का ही उपयोग करना पड़ता है। हमारे द्वारा शोध में इन परिस्थितियों से सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं।

उद्देश्य - महेश्वर हथकरघा बुनकर उद्यमियों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति में आय, व्यय एवं बचत की स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्य का पुनरावलोकन - ESCA एवं IRJSS 2015 - 'वाराणसी हथकरघा बुनकरों के परम्परागत व वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करना। इस अध्ययन में उन्होंने 1979 से वर्तमान में 8 मिलियन बढ़ोतरी को देखा गया।

रोनेन वर्ग एट अल 2000 - हथकरघा उद्योग में कार्यरत उद्यमियों में फोलिक एसिड की प्रभाव की कमी का अध्ययन किया गया जिसमें फोलिक

एसिड की 43 प्रतिशत कमी व B6 की व आयरन की हीनता भी 44 प्रतिशत के बीच पाई गई।

शोध पद्धति - शोध अध्ययन में हमारे द्वारा खरगोन जिले के महेश्वर स्थान का चयन किया गया है। जो उद्देश्यानुसार है यहाँ हमने बुनकर उद्यमियों को लिया गया है उनमें पारिवारिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन किया गया है जिनमें आय व्यय एवं बचत को लिया गया है। महेश्वर हथकरघा बुनकरों का चयन द्वैव-निर्देशन विधि से किया गया, जिसमें 50 बुनकरों को चयनित किया गया, जो परिवार का भरण पोषण हथकरघा कार्य के द्वारा ही करते हैं। इसमें हमने साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है यही हमारा समग्र भी है।

तथ्यों का सारणीयन एवं वर्गीकरण - शोध-पत्र में एकत्रित तथ्यों को मुख्य सारणीयों में प्रस्तुत किया गया है, उसी के अनुसार उनके प्रतिशतों को ग्राफ आलेखों के द्वारा प्रदर्शित भी किया गया है। इसमें बुनकरों के पारिवारिक आर्थिक स्थिति से संबंधित विवरण है -

तालिका - 1

आय से संबंधित बुनकरों का विवरण

क्रं.	आय का विवरण	बुनकर	प्रतिशत (%)
1	उच्च आय वर्ग (8000-10000)	8	16%
2	मध्यम आय वर्ग (5000-7000)	32	64%
3	निम्न आय वर्ग (1000-4000)	10	20%
	योग	50	100%

(आलेख देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका - 2

व्यय से संबंधित बुनकरों का विवरण

क्रं.	व्यय का विवरण	बुनकर	प्रतिशत (%)
1	भोजन	18	36%
2	शिक्षा	10	20%
3	भौतिक साधन	10	20%
4	स्वास्थ्य	4	8%
5	अन्य	8	16%
	योग	50	100%

(आलेख देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (गृहविज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

तालिका - 3
मासिक बचत से संबंधित बुनकरों का विवरण

क्रं.	बचत का विवरण	बुनकर	प्रतिशत (%)
1	उच्च बचत (1500-2000)	8	16%
2	मध्यम बचत (800-1000)	15	30%
3	निम्न बचत (500-इससे कम)	27	54%
	योग	50	100%

(आलेख देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

निष्कर्ष एवं सुझाव - प्रस्तुत तालिकाओं व ग्राफ चार्ट के आंकड़ों के विवरण से यह विश्लेषण निष्कर्ष के रूप में निकलता है कि बुनकरों के पारिवारिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन में आय, व्यय एवं बचत के प्रतिशत को देखा तो उन्हें अधिक जागरूकता व आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आय के स्तरों में उच्च आय में 16 प्रतिशत बुनकर है व मध्यम आय में 64 प्रतिशत बुनकर है तथा निम्न आय में 20 प्रतिशत बुनकर है जो उनकी आय को दर्शाता है।


व्यय संबंधित बुनकरों का विवरण देखें तो भोजन पर 36 प्रतिशत खर्च है व शिक्षा पर 20 खर्च है प्रतिशत व भौतिक सुविधाओं पर 20 प्रतिशत खर्च है एवं स्वास्थ्य पर 8 प्रतिशत खर्च है व अन्य खर्च 16 प्रतिशत पाये गये



जो व्यय की स्थिति को दर्शाता है। बुनकरों का बचत विवरण इस प्रकार है- (1500-2000) तक की बचत में 16 प्रतिशत बुनकर है एवं (800-1000) तक की बचत में 30 प्रतिशत बुनकर है एवं निम्न बचत में (500 या इससे कम) बचत वाले 54 प्रतिशत बुनकर शामिल हैं। जो उनके जीवन की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जिससे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को जाना जा सकता है।

सुझाव - हमारे द्वारा शोध अध्ययन के बाद उपरोक्त पारिवारिक आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। उन्हें आय में और अधिक बढ़ोतरी की जरूरत है। जिससे उनके व्यय व बचत की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके तथा उनको सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुफ्त सुविधाओं की भी जानकारी दी जा सके। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र - टी.एम. अंसारी।
2. व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत - आर.सी. अग्रवाल।
3. सांख्यिकी के मूलतत्व - डॉ. एच.के. कपील।
4. शैक्षिक शोध - डॉ. हंसराज पाल।
5. संसाधन प्रबंध का परिचय - डॉ. मंजु शर्मा।
6. अनुसंधान सांख्यिकी - डॉ. मंजु पाटनी।
7. इंटरनेट सुविधा के द्वारा - बेवसाइट के द्वारा।





फास्ट फूड का बढ़ता चलन स्वास्थ्य का दुश्मन

डॉ. गीताली सेनगुमा *

प्रस्तावना - फास्ट फूड अथवा जंक फूड का चलन पूरे विश्व में अपने पैर तेजी से प्रसार रहा है। बालक का स्वास्थ्य एवं विकास उचित तथा योग्य पोषण पर निर्भर करता है। उचित तथा योग्य पोषण का अर्थ है समस्त भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा से है। वर्तमान समय में न केवल बालक-बालिकाएँ वरन् किशोर, युवा एवं दादा-दादी भी फास्ट फूड के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। किन्तु फास्ट फूड हमारे लिए मजा है या सजा ? इसका दुष्परिणाम जब हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और धीरे-धीरे विभिन्न बीमारियाँ शरीर को जकड़ लेता है तब इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फास्ट फूड अथवा जंक फूड अब स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। संजय गाँधी स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान के एंड्रोकाइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुशील गुप्ता जंक फूड आने से पिछले दस सालों में मोटापे से ग्रस्त रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है, इसमें न केवल बच्चे वरन् युवा वर्ग भी शामिल है।

बीएल सी सी की आहार विशेषज्ञ पल्लवी केअन के मतानुसार - बर्गर में 150-200, पिज्जा में 300, शीतल पेय में 200, पेस्ट्री केक में करीब 120 कैलोरी होती है जो आज कल लोगों पर मोटापे के रूप में हावी हो रहा है। यह भी देखा गया है कि गर्भावस्था में गलत खानपान से आने वाली संतान का आजीवन मोटापे, हाइकोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर का खतरा हो सकता है।

आक्सफोड खाद्य एवं स्वास्थ्य शब्दकोश के अनुसार - 'फास्ट फूड वह सुविधाजनक खाद्य है जो बहुत जल्दी तैयार व परोसे जा सकते हैं।'

बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था जीवन की सुनहरी अवस्था है इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है क्योंकि उनमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। अतः इस समय पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है ताकि वे ऊर्जावान एवं स्वस्थ बने रहे कहा भी गया है कि 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है।' संतुलित एवं पौष्टिक आहार जीवन की आधारशिला है। आधुनिक भौतिकवादी युग में रहन सहन का तरीका, अनियमित जीवन शैली, खान-पान संबंधी अस्वास्थ्यकर आदते कई प्रकार के रोगों और बीमारियों को आमंत्रण देती हैं।

उद्देश्य - इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य -

- किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन करना है।
- फास्ट फूड एवं स्वास्थ्य का कोई परस्पर संबंध है क्या ? यह ज्ञात करना।
- फास्ट फूड खाने की मानसिकता में परिवर्तन लाना।

- किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- शोध प्रारूप** - (शोध विषय का चुनाव) प्रस्तुत शोध पत्र का विषय 'फास्ट फूड का बढ़ता चलन स्वास्थ्य का दुश्मन' के संदर्भ में अध्ययन करना है।
- प्राकल्पना** - विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड/ जंकफूड का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता होगा।

निदर्शन - प्रस्तुत अध्ययन में 12 से 18 वर्ष आयु समूह के 200 किशोर-किशोरियों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया गया जो खण्डवा शहर के विभिन्न स्कूलों से चयनित किए गए। इसमें 100 किशोर एवं 100 किशोरियों को अध्ययन हेतु लिया गया।

अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन को साकार रूप प्रदान करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली, अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि के प्रयोग के साथ इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं आंकड़ों का उपयोग किया गया। नवीन शोध के अनुसार फास्ट फूड की लत शराब, तम्बाकू या अन्य नशे की लत की ही तरह होती है। यह समस्या केवल सिर्फ बच्चों में ही नहीं वरन् युवाओं में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। बहुत से बच्चे और युवा फास्ट फूड पर आधारित आहार को ही जीवन का हिस्सा मान बैठे हैं। बदलते सामाजिक परिवेश और भागदौड़ भरी जिंदगी ने युवाओं में फास्ट फूड के कारण ही 60 या इससे ज्यादा उम्र में होने वाली बीमारियाँ अब युवाओं को अपनी चपेट में ले रही हैं। आयुर्वेद में फास्ट फूड को स्वास्थ्य के लिए जहर माना गया है - फास्ट फूड के सेवन से होने वाली बीमारियाँ -

मोटापा
दिल संबंधी रोग
कैंसर
डायबिटीज
तनाव
थकान
मस्तिष्क पर प्रभाव
उच्च रक्त चाप
अनिद्रा
एकाग्रता के स्तर में कमी
हार्मोन का असंतुलन
कब्ज, गैस

भारत में फास्ट फूड का कारोबार फिलहाल 8,500 करोड़ का है, जिसमें प्रतिवर्ष पच्चीस फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है। एसोचैम के मुताबिक 2020 तक यह कारोबार 2500 करोड़ तक पहुँच जायेगा।

विश्लेषण - किशोर-किशोरियों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के आधार

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) माखन लाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया - फास्ट फूड के उपयोग के संबंध में 67 प्रतिशत किशोर ने हाँ एवं 33 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया। इसी प्रकार किशोरियों में 42 प्रतिशत ने हाँ एवं 58 ने नहीं कहा। क्या आप प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं के प्रत्युत्तर में किशोरों ने 30 प्रतिशत प्रतिदिन, 58 प्रतिशत ने कहीं कभी-कभी और 12 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया। किशोरियों में 12 प्रतिशत प्रतिदिन, 68 प्रतिशत ने कहा वे कभी-कभी सेवन करती हैं, 20 प्रतिशत निरुत्तर रही।

भारतीय भोजन ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक है या फास्ट फूड और जंक फूड के संदर्भ में 48 प्रतिशत किशोरों ने कहा फास्ट फूड हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, 32 प्रतिशत ने कहा हमें स्वाद में दोनों अच्छे लगते हैं। 20 प्रतिशत ने माना कि फास्ट फूड स्वादिष्ट है किन्तु पौष्टिकता में कम है। 33 प्रतिशत किशोरियों ने कहा कि फास्ट फूड स्वादिष्ट है, 59 प्रतिशत ने माना कि हमें दोनों पसंद है, 8 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया।

फास्ट फूड में आप क्या खाना पसंद करते हैं के प्रत्युत्तर में 52 प्रतिशत किशोरों ने पीजा, बर्गर, नूडल्स, पाप्ता 48 प्रतिशत ने चाइनीज, चिप्स, कुकीज, कोल्डड्रिंक्स व आईसक्रीम खाने में सहमति दर्शायी। जबकि किशोरियों में 38 प्रतिशत ने पीजा, बर्गर, 43 प्रतिशत ने नूडल्स चाइनीस, कोल्डड्रिंक्स, 19 प्रतिशत को नकारात्मक रख रहा।

इस प्रकार के विज्ञापन का आपकी मानसिकता पर प्रभाव क्या पड़ता है के संबंध में 65 प्रतिशत किशोरों ने कहा बहुत अधिक प्रभाव पड़ता विज्ञापन से हमें नये-नये फास्ट फूड की जानकारी मिलती है। 24 प्रतिशत ने कहा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार किशोरियों में 53 प्रतिशत ने कहा बहुत अधिक प्रभाव, 34 प्रतिशत ने सामान्य एवं 13 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ता है।

साक्षात्कार के दौरान किशोर-किशोरियों से जब यह प्रश्न पूछा गया कि वे फास्ट फूड खाना क्यों पसंद करते हैं तो अधिकांश का यह जवाब था कि कैरियर निर्माण, पढ़ाई का बोझ, स्कूल एवं ट्यूशन के कारण, समय का अभाव तथा कई बार घर पर समय पर खाना तैयार न होने के कारण हम फास्ट फूड खा लेते हैं जिससे हमारे समय की बचत होती है एवं हमारी पॉकेट मनी के अनुसार हमें ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं।

किशोर-किशोरियों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के आधार पर पूछा गया कि क्या आप फास्ट फूड इस्तेमाल के घातक नतीजे से वाकिफ हैं ? इसके प्रत्युत्तर में 44 प्रतिशत ने कहा हाँ, 49 प्रतिशत ने कहा नहीं, 7 प्रतिशत ने पता नहीं जवाब दिया। इसी प्रकार किशोरियों में 47 प्रतिशत ने हाँ, 43 प्रतिशत ने नहीं और 10 प्रतिशत निरुत्तर रही।

साक्षात्कार के दौरान पुनः किशोर-किशोरियों से पूछा गया कि फास्ट फूड पाश्चात्य संस्कृति की देन है और क्या यह स्टेटस सिंबल का प्रतीक है ? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में 80 प्रतिशत किशोर-किशोरियाँ सहमत हैं एवं 20 प्रतिशत ने असहमति प्रकट की। अधिकांश किशोर-किशोरियों का यह तर्क कि समय की मांग के अनुरूप हमें भी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए नहीं तो समाज में हमें पिछड़ा हुआ माना जाता तथा हमें हीन व देय दृष्टि से देखा जाता है।

सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट (सी एसई) ने 'नो योर डायट' नाम के सर्वे में 13,000 स्कूली बच्चों के बीच सर्वेक्षण करके यह पाया कि बर्गर की अपेक्षा समोसा ज्यादा बेहतर विकल्प है। नूडल्स के मुकाबले पोहा ज्यादा पौष्टिक तत्वों युक्त है।

निष्कर्ष - फास्ट फूड एवं जंक फूड के संदर्भ में किए गए शोध अध्ययन से

विभिन्न तथ्य निष्कर्ष स्वरूप परिलक्षित होते हैं -

- आधुनिक समय में फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों से लेकर युवा वृद्ध व्यक्ति भी इसकी चपेट में हैं।
 - फास्ट फूड का चलन संक्रामक बीमारी की तरह फैल रहा है बच्चों किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य पर इसका घातक प्रभाव पड़ रहा है। जिससे वे अनभिज्ञ रहते हैं।
 - शोध अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है फास्ट फूड और स्वास्थ्य का घनिष्ट संबंध है, स्वास्थ्य पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव फास्ट फूड का पड़ता है।
 - किशोर-किशोरियों में फास्ट फूड के बढ़ते लगाव के कारण 60 या इससे अधिक उम्र में होने वाली बीमारियाँ इसको अपनी चपेट में ले रही हैं जैसे - तनाव, मधुमेह, थकान, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क पर प्रभाव, एक्रागता में कमी, मोटापा इत्यादि।
 - शोध अध्ययन यह साबित करते हैं कि फास्ट फूड न केवल किशोर-किशोरियों के शारीरिक स्वास्थ्य को वरन् मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इसके अधिक सेवन से आई व्यू लेवल में कमी देखी गई है।
 - यदा कदा फास्ट फूड खाने में कोई बुराई नहीं है किन्तु इसका आदि अथवा अधिक सेवन करना होना या लत पड़ना दुष्प्रभाव डालता है।
 - शोध अध्ययन के माध्यम से उपकल्पना भी प्रमाणित होती है कि फास्ट फूड का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन कमजोर बनाता है।
 - कैरियर निर्माण, पढ़ाई का बोझ, समय का अभाव, माता-पिता की उच्च आकांक्षा के परिणाम स्वरूप भी फास्ट फूड की ओर झुकाव देखा जाता है।
 - आधुनिक जीवन शैली पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं स्टेटस सिंबल के कारण भी फास्ट फूड के प्रति अधिक आकर्षण दिखायी दे रहा है।
- सुझाव** - फास्ट फूड का निरंतर बढ़ता चलन बच्चों, किशोर-किशोरियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है -
- प्रशासनिक लापरवाही, कंपनियों की बड़े स्तर पर मिलीभगत और खाद्य विभाग की निगरानी का अभाव इसके लिए जिम्मेदार है।
 - फास्ट फूड आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशासन व सरकार को ठोस नीति बनाना आवश्यक है।
 - स्कूल परिसरों के भीतर या उसके आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
 - फास्ट फूड की लत को दूर करने में माता-पिता एवं अभिभावकों को किशोर-किशोरियों में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए।
 - स्कूल, कॉलेज में समय-समय पर इससे संबंधित डाक्यूमेंट्री फिल्म, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए ताकि किशोर-किशोरियाँ इनके घातक परिणामों से परिचित हो सकें।
 - स्वास्थ्य न केवल शारीरिक वरन् मानसिक, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में उन्हें जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है।
 - फास्ट फूड के बदले खाने में पौष्टिक व स्वास्थ्य विकल्प को अपनाने में अभिभावक व शिक्षकों का योगदान अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
 - फास्ट फूड का निरंतर सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है जो भविष्य में गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करती है।

अतः अभिभावक किशोर-किशोरियों की खान-पान सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन का प्रयास करें।

- घर पर ही स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन बना कर परोसे ताकि धीरे-धीरे इस लत से छुटकारा मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आलम हुमरा - फटाफट भोजन के खतरें, जनसत्ता, 4 नवम्बर, 2017।
2. हिन्दी की दुनिया अंक फूड पर निबंध - ([http : // www.hindi.kiduniya.com](http://www.hindi.kiduniya.com))
3. Indian Health - फास्ट फूड छोड़ देगे जानेगे अगर ये बात 3 फरवरी, 2016।
4. जगरण फास्ट फूड का बढ़ना चलन सेहत का दुष्मन - (www.jagran.com) 4 नवम्बर, 2017
5. शर्मा वीरिन्द्र प्रकाश (2010) रिसर्च मैथडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, छठा संस्करण।
6. Sathya Narayann (HTTPS/Hindi) Speaking Tree IN/ ROHIT SHARMA - 13, May - 2016.
7. विकिपीडिया - जंक फूड।
8. ज्ञानदृष्टा - बच्चों में फास्ट फूड का बढ़ता चलन - मजा या सजा Online E-Learning School For kid.
9. पत्रिका न्यूज नेटवर्क- स्नैक्स खाना हो तो बर्गर नहीं समोसा खाइये। 29 नवम्बर 2017

कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का उनकी किशोरियों के आत्म-विश्वास पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. आभा तिवारी *

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध कार्य में कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का उनकी किशोरियों के आत्म-विश्वास पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य किशोरियों के आत्म-विश्वास पर कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द उच्च एवं निम्न के प्रभाव का अध्ययन है। न्यादर्श में उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द की 60 किशोर बालिकाओं एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द की 60 किशोर बालिकाओं को लिया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं की किशोर बालिकाओं के आत्म-विश्वास में अन्तर नहीं होता है।

वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिकता के कारण आज महिलाओं की स्थिति परिवर्तित हो गई है। इसी कारण आज महिलाएँ घर से बाहर विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, उनकी भूमिकाएँ भी बढ़ रही हैं। जैसे - पत्नी, माँ और कामकाजी महिलाओं के रूप में भूमिकाएँ। वैज्ञानिक प्रगति एवं प्रभाव के कारण स्त्रियों की स्थिति समाज में ऊपर उठने लगी। आज महिलाएँ विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं, इस कारण उन्हें घर व कार्यालय में दोहरा दायित्व निभाना पड़ता है, उन्हें दोनों परिस्थितियों में समायोजन करना पड़ता है। इस दोहरी प्रतिबद्धता से उनमें आन्तरिक संघर्ष तो उत्पन्न होता है, व्यवहारिक स्तर पर घर-बाहर तथा नौकरी से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं में तालमेल बैठाने के कारण अपने नैतिक दायित्व जोकि उनके अपने बच्चों के प्रति एवं परिवार के प्रति होते हैं, इस निर्वाह में एक अपराध बनाम भूमिका अन्तर्द्वन्द पैदा होता है।

आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में किशोरियों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इन्हीं सफलताओं पर किशोरियों के आत्म-विश्वास की नींव आधारित होती है क्योंकि आत्म-विश्वास एवं सफलता के मध्य सकारात्मक संबंध होता है। या यू कह सकते हैं कि सफल व्यक्ति ही आत्म-विश्वास को दृढ़ बनाता है। **लियोनार्ड ब्रेन** (2002) ने कामकाजी महिलाओं में मानसिक तनाव, प्रतिबल व भूमिका अन्तर्द्वन्द का अध्ययन किया। इस अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिबल, मानसिक तनाव घर व कार्यस्थल का भूमिका अन्तर्द्वन्द इन सभी के बीच अन्तःसंबंध होता है, इस प्रकार पूर्व शोध अध्ययनों के द्वारा शोधकर्ता को यह जानने की आवश्यकता अनुभूत हुई कि क्या कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द का उनकी किशोरियों के आत्म-विश्वास पर प्रभाव पड़ता है ?

चर -

स्वतंत्र चर	-	भूमिका अन्तर्द्वन्द
आश्रित चर	-	आत्मविश्वास
नियंत्रित चर	-	किशोरवय की छात्राएँ

उद्देश्य - किशोरियों के आत्म-विश्वास पर कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द उच्च एवं निम्न के प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना - किशोरियों के आत्म-विश्वास पर कामकाजी माताओं के भूमिका अन्तर्द्वन्द उच्च एवं निम्न का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध समस्या हेतु निम्नानुसार न्यादर्श लिया गया है -

क्र.	कामकाजी मातायें	किशोरियाँ
1	उच्च भूमिका अन्तर्द्वन्द	60
2	निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द	60
	योग	120

परीक्षण -

1. भूमिका अन्तर्द्वन्द मापनी - डॉ. अशोक कुमार पाण्डेय
2. आत्म-विश्वास मापनी - डॉ. श्रीमती ए. पाण्डेय

शोध विधि - सर्वप्रथम दमोह शहर की 120 किशोरियों एवं उनकी कामकाजी माताओं जो सरकारी कामकाज में संलग्न हैं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया। कामकाजी माताओं पर भूमिका अन्तर्द्वन्द मापनी का प्रशासन कर उनमें भूमिका अन्तर्द्वन्द को ज्ञात कर उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द के आधार पर उन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया। उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली माताओं की किशोरियों के आत्म-विश्वास का तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकीय विश्लेषण विधियों के माध्यम से किया गया एवं परिकल्पना का सत्यापन कर निष्कर्ष प्राप्त किया।

परिणामों का विश्लेषण - उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कामकाजी माताओं की किशोरियों के आत्मविश्वास संबंधी तुलनात्मक परिणाम -

भूमिका अन्तर्द्वन्द	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पीमान
उच्च	60	43.89	0.53	1.45	0.05
निम्न	60	29.30	0.42		

स्वतंत्रता के अंश - 118

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.98

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.62

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कामकाजी माताओं की किशोरियों के आत्म-विश्वास में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं है। उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द वाली कामकाजी माताओं की किशोरियों के समूह के क्रांतिक अनुपात का मान 1.45 है, जो 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (मानव विकास) शासकीय मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.) भारत

1.98 की अपेक्षा कम है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द्व वाली कामकाजी माताओं की किशोरियों के आत्म-विश्वास में अन्तर नहीं होता है।

निष्कर्ष - किशोरियों के आत्म-विश्वास पर उनकी कामकाजी माताओं के उच्च एवं निम्न भूमिका अन्तर्द्वन्द्व का प्रभाव नहीं पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, डॉ. आर.एन. (2001) 'आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान', प्रकाशक मनोविज्ञान विभाग, टी.डी. कॉलेज, जौनपुर।
2. वर्मा, डॉ. प्रीति एवं श्रीवास्तव डॉ. डी.एन., (1996), 'आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान', प्रकाशक मनोविज्ञान विभाग, आगरा।
3. भार्गव, महेश (1985) 'आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन' चतुर्थ संस्करण, प्रकाशक हरप्रसाद भार्गव, कचहरी घाट, आगरा।
4. कोठरी एण्ड कोठरी (1990) 'सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं व्यवहार' प्रकाशक मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण।
5. केदारनाथ, रामनाथ (1975) 'प्रयोगात्मक मनोविज्ञान' की रूपरेखा, द्वितीय संस्करण, प्रकाशक केदारनाथ, रामनाथ।
6. कपिल, डॉ. एच.के., (1980) 'सांख्यिकी के मूल तत्व' द्वितीय संस्करण, प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर, कचहरी घाट, आगरा।
7. जायसवाल, डॉ. सीताराम (1975) 'शिक्षा मनोविज्ञान प्रकाशक शिक्षा विभाग लखनऊ।

Determining The Impact Of Using Forensic Accounting Practices In Terms Of Reduction Of Frauds And Errors -Comparative Analysis Of Public And Private Sector Organizations

Nishant Dublish* Dr. Subodh Kumar Nalwaya**

Abstract - With the increase in white collar crimes, the financial frauds involving sensitive accounting data, there is a need of advance and specialized methods which can help identify the concealed irregularities in the accounting data and identify the fraud or error. The specialized field of forensic accounting is dedicated towards performing enquiries of such nature, helping reduce the risk of frauds, by employing sophisticated tools and techniques. Thus, the present study was aimed at investigating the possible impacts of forensic accounting practices on fraudulent activities in Indian organizations, with a comparative view of Public (N=5) and Private sector (N=5) organizations. The study revealed the better state of private organizations in awareness to the forensic accounting policies, and the consequent reduction in the rate of error. The public sector organizations were however found to be better able to reduce fraud rates. However, the present finding indicated towards relative wobbly state of forensic accounting practices in leaving a stringent imprint upon the stakeholders, and curbing the undignified practices. Hence, there is a need to improve the state of affairs, and bring in better checks to keep the frauds under control.

Key Words - Forensic accounting, Public and Private Sector Organizations, Error reduction, Fraud Reductions.

Introduction - Forensic accounting is a relatively new concept in the Indian accounting scenario, and the term tends to cover all the aspects associated with the investigation of financial embezzlements, such as fraud auditing, financial auditing, and forensic auditing (Singleton et al. 2006). The inception of forensic accounting practices followed the elevating instances of white collar crimes. This specialized field of accounting is aimed at investigating and analyzing the controversial financial data, having allied legal repercussions. The expansion of corporations around the globe, has invoked complex patterns of trading, wherein the traditional accounting practices of maintaining the numeric data pertaining to financial transactions, is no more adequate. The unorthodox practices discovered in cases of financial frauds such as Enron, Daewoo Motors Korea, Mundra Case, Satyam Scam, and many others have called for advance and meticulous accounting practices of managing such dynamic and large scale accounting scenarios (Basu 2014; Soni 2017). There is a growing demand for the forensic accountants, as an expert eye can dig out the weak linkages unraveling a fraud, which arose out of the fraud triangle, the three factors of pressure, opportunity and justification, which ultimately result in a fraud. The aforementioned frauds were those committed by the private sector companies, but the public sector officers or Government office holders such as Prime ministers and Presidents also participate in malpractices, ultimately damaging the public funds and image of

nation (Saha 2014). A report issued by Ernst & Young, "India Fraud Indicator Report", 2012, showed that Indian economy suffered losses of worth INR 66 billion, due to frauds and scams suffered by the Indian organizations, and an increment of 88% in the losses incurred from previous year of 2010-2011 was reported (Saha 2014).

The aforementioned need of specialized professional is fulfilled by the forensic accountants. Forensic accountants are the professionals who are trained and educated to carry out the task of forensic accounting to unravel the hidden inconsistencies in the business. The forensic accountants under the Indian constitution provide aid in investigation and inspection to Police, ACB, or other concerned investigating agencies, provide expert opinion in the court of law (*Indian Evidence Act*), and perform forensic accounting under Caro (*The Company Auditor's Report Order, 2003*) (Shaheen et al. 2014). The involvement of experts and practical application of the knowledge has aided in detection of fraud, which in itself is not a casual task, it also helps in maintaining the internal control in the company, and the established guidelines also aid in the detection of suspicious activities in the business (Albrecht 2015; Ramaswamy 2005). The detection of loopholes and the possible fraudulent behaviors has also helped the companies in coming up with better measures of combat (Ernst & Young 2003).

Aim and Objectives -

Aim - The aim of the present research was to determine

* Research Scholar (Management) Mewar University, Chittorgarh (Raj.) INDIA
** Associate Professor & HOD (Commerce) Mewar University, Chittorgarh (Raj.) INDIA

the impact of using forensic accounting practices to bring about the reduction of frauds and errors, and to perform a comparative analysis of public and private sector organizations in incorporating and executing the same, with respect to India.

Objectives - The research was designed so as to satisfy the following objectives:

- i. To determine the perceived effectiveness of forensic accounting in detection and prevention of frauds.
- ii. To determine the intention of private and public sector undertakings towards adoption of forensic accounting.

Literature Review -

1. Detection of frauds using forensic accounting - The collapses in the integrity of business infrastructure led to the institution of forensic accounting, with the aim of reducing the risk of fraud, through the amalgamation of skills of accounting and auditing with investigative capabilities. The detection involves using the conventional knowledge to gather and analyze the information regarding the case at hands, to produce a result which could be subjected to legal proceedings and scrutiny, in the Court of Law (Raghavan 2014). When an instance of fraud is encountered in the organization, the same is dealt as per the four stages depicted by the model to deal with fraud. These four stages are namely fraud incident wherein the consciousness regarding the fraudulent practice is forms, the second stage is that of the investigation in which could be the longest stage and involves analysis of the information as per the internal protocols and procedures. The third stage that follows investigation is the resolution stage where the investigation has been completed and the requisite action against the defaulter is decided, which translates into the last stage of action (Ozkul & Pamukcu 2012). The investigation stage is the stage which involves the forensic accountants, wherein they employ the different techniques of forensic accounting to examine frauds.




Figure 1 - Model for detecting frauds

The techniques of data mining involve performing the discovery analysis, deviation and link analysis, and predictive modeling, to explore the existing patterns in the data and to investigate the deviations from existing norm of the data (Grubor et al. 2013; Shaheen et al. 2014). Another useful method is ratio analysis, which involves discovering relationship between the two numbers through their presentation as ratios. It is employed in forensic accounting top investigate the matters related to liquidity,

profitability and solvency (Wong & Venkatraman 2015).

2. Reduction of frauds and errors using forensic accounting - The application of forensic accounting techniques has indeed aided in better investigation of the frauds, providing a means for early detection and better collection of evidences in white collar crimes. The surveys conducted by various researchers have shown the need to increase awareness and relevance of forensic accounting practices. One such survey including different stakeholders of the related field showed that majority of the respondents held the belief that forensic accounting practices were yet to gain required degree of acceptance by different organizations in Bangladesh. The lower degree of acceptance could be accounted to relatively lower exposure of the country to such an area of expertise. The infrastructural aspects such as associated costs and absence of mandate for the application of forensic practices, were some of the reasons responsible for relatively slower progress of the forensic accounting practices in Malaysia, however the respondents of the survey readily agreed to the efficacy and usefulness of forensic accounting. Another instance of lack of awareness and forensic accounting tools and techniques leading to increased fraudulent activities was also reported in the M/A/R/C Research conducted by SAGE in USA.

The research also revealed that accounting soft wares were the most favored tool of forensic accounting by those who adhered to such practices (Ozkul & Pamukcu 2012). The efficacy and requirement of forensic accountants in keeping a check over fraudulent practices and restraining control over error rates have been identified by various studies, despite the relative lower degree of application of such techniques in profession. One such study conducted by Mukoro et al. (2013) among the members of Federal Inland Revenue Service, revealed that forensic accountants were perceived to be relevant in the investigation of crimes and corruption cases encountered in public sectors. They were seen as significant control points, as they possessed the ability to hold the people accountable, and avoid easy abuse of resources of trust.

Research Hypotheses - The following hypotheses were designed considering the objectives defined, and the respective critical review of present literature -

- H₀1 - Forensic accounting as tool for fraud detection and prevention has no significant effectiveness
- H₁1 - Forensic accounting is an effective tool for fraud detection and prevention.
- H₀2 - Forensic accounting as tool is not significantly appropriate for fraud detection and prevention.
- H₁2 - Forensic accounting is significant in detection and prevention of fraud.
- H₀3 - The Forensic Accounting practices and perceptions do not differ within the public and private sector organizations.
- H₁3 -The Forensic Accounting practices and perceptions differ within the public and private sector organizations.

Methodology - The research was carried out as per the define research design, which acted as a framework for the researcher to execute the different processes of data collection and analysis in a planned and organized manner.

1. Data Collection Procedures - The data was collected from 500 respondents, following the convenience (non-probability) sampling technique, by administering the questionnaire through emails, after obtaining email IDs of the participants with due permissions, from the HR department. The data was collected from 5 organizations belonging to public and private sector each (belonging to financial sector, insurance sector and banking sector). The private sector organizations included Reliance Capital Ltd., Birla Sunlife Insurance Company Ltd., M&M Financial Services Ltd., Bajaj Holdings and Investment Ltd. and KotakMahindra Bank Ltd. The public sector organizations involve SBI Capital Markets Ltd, Life Insurance Corporation of India (LIC), IDBI Bank, Bank of India, and Bank of Baroda. The completed questionnaires were received via emails and processed for the purpose of data analysis.

2. Data Analysis Procedures - The hypothesis testing was done through analysis of the collected data, which presented the perceptions of respondents, using appropriate statistical tools. The data was coded and fed in Statistical Package for Social Sciences (v21.0) software, and subjected to descriptive and inferential analysis. The correlation and regression measures of inferential analysis helped in ascertaining the nature and strength of relationships between the different variables.

3. Validity and Reliability - The criteria of reliability and validity were tested for, as these measures define the degree of significance of the data collected and consequently the study itself. The reliability testing was done through the Cronbach's Alpha testing, which helped in assessing the appropriateness of the chosen variables for analyzing the practice of forensic accounting. The validity testing for the questionnaire, involved testing for content and predictive validities. The validities were assessed by administering the questionnaire to senior managers from two public and private sector organizations, where content validity ensure that questionnaire statements held quality in terms of language and flow, and predictive validity testing involved statistically analyzing the obtained results to observe the predictive ability of the questionnaire.

Data Analysis and Interpretations - The collection and analysis of the data, following the methods and tools as mentioned in the previous sections, produced a discernable view of the existing scenario of forensic accounting in public and private sector organizations.

1. Demographic Profile and General Background - Although, the researcher managed to record the views of employees from different sectors of private and public sector organizations, the accountants composed high proportion (34%) of the population, this allowed a better insight into the issue of forensic accounting in organizations. With respect to experience in the present company, those having

experience of 1-3 years, and 3-5 years, had equal representation of 38% and 42% respectively, which allowed a fair insight into the latest changes in company policies for managing frauds, better understanding of company's forensic accounting policies, and possible adopted methods of prevention. With respect to distribution in public and private sector organizations, participants having experience of more than 7 years belonged to private sector only (14 participants), whereas those having experience of more than 3-5 years showed higher participation from Private organizations (54.71%). Also, similar trend of respondent distribution with respect to the experience in accounting field was seen, as 50.8% had experience of 3-5 years, out of which 55.91% belonged to the private sector organizations. However, with respect to overall experience, public sector demonstrated higher number of experienced individuals, with 46 respondents, having experience of more than 7 of accounting experience, and public sector had 39 respondents.

The respondents were also subjected to questions to gain understanding of general view with respect to the forensic accounting practices in fraud management. The majority of respondents admitted that fraudulent accounting has emerged as a threat to the company over the period of last 5 years (41.4%), with a high proportion of agreement in private sector organizations (81.15%), whereas 42.4 % of public sector employees agreed the threat to be existent since last 7 years. The instances of Bribery & corruption (15%) and internal theft (13%) were found to be the most persistent in the organizations out of all the possible frauds. With respect to awareness towards the policies of forensic accounting, it was observed that employees having low awareness (31.20%), constituted maximal proportions of the respondent population, as seen in Figure 2. The respondents having high awareness followed (27.80%) those having low awareness, with those having very low awareness forming the minimal proportion (9.6%).

Figure 2 - Level of awareness towards policies of forensic accounting (See in the last page)

With respect to different organizations, private sector organizations, had lower proportion of employees with very low level of awareness (33.33%), as seen in Figure 3, whereas public sector organizations had a higher proportion of employees with moderate level of knowledge (56.47%). With respect to overall distribution the private sector organizations were found to have employees with better awareness towards accounting policies.

Figure 3 - Level of forensic accounting in public and private sector organizations (See in the last page)

2. Impact and Outcome of Forensic Accounting Practices - The researcher utilized the inferential analysis technique to assess the impact of forensic accounting in reducing the instances of frauds and errors, in the organizations. The correlation and regression analysis brought forth the factors, as shown in Table 1, upon which the practice of forensic accounting in the company produced

effective impact. It was seen that the forensic accounting practices succeeded in positive and significant reduction in external factors of auditing, enhancing the performance of company, increasing the role of audit committee, helped in fraud auditing, ensures regular operational audits, and provided the company protection from viruses.

Table 1 - Correlation and regression results for the significant factors of impact (See in the last page)

Following the assessment of impact of forensic accounting on different aspects of company's functions, the outcomes of the adoption of forensic accounting were evaluated, with respect to the company performance, and reduction in frauds and errors. As seen in Figure 4, both the private and public sector organizations showed more than 50% reduction in the error rates post the adoption of forensic accounting measures, as admitted by the employees., with private sector organizations showing significant degree of improvement over the public sector organizations, as seen in Figure 5.




Figure 4 - Post-Forensic Accounting Error Reduction
Figure 5 - Post-Forensic Accounting Error Reduction in Private vs. Public sector organizations. (See in the last page)

With regard to reduction in rate of frauds, the forensic accounting practices could lead to reduction of only 20%, as seen in Figure 6, followed by that of less than 20%. This showed that forensic accounting policies have to be made stringent, and better execution is required, so as to ensure higher reduction rates in fraudulent activities. Also, higher proportion of respondents from public sector organizations admitted to 20% improvement in the condition, showing that private sector organizations require better measures of check.




Figure 6 - Post-Forensic Accounting Fraud Reduction

Figure 7 - Post - Forensic Accounting Fraud Reduction in Private vs. Public organizations (See in the last page)

Figure 8 shows the information assessed for different changes following the adoption forensic accounting practices in public and private sector organizations. It was observed that private sector organizations showed higher improvement with respect to financial performance of company (54.16%), increased financial strength (53.27%), enhanced returns (52.63%), and ultimately higher degree of prevention of accounting frauds (56.60%). The public organizations exceeded the private organizations only with respect of positive influence on various stakeholders (58.89%).

Figure 8 - Changes after adoption of forensic accounting (See in the last page)

The descriptive and inferential analysis aided in the process of drawing meaningful conclusions, and the possible impacts of employing forensic accounting policies, henceforth resulting acceptance of following hypothesis:

- H₁ - Forensic accounting as tool for fraud detection and prevention has significant effectiveness.
- H₂ - Forensic accounting as tool is significantly appropriate for fraud detection and prevention.
- H₃ - The Forensic Accounting practices and perceptions differ within the public and private sector organizations.

Conclusions and Future Recommendations - The present study allowed for assessment of possible impacts of forensic accounting on the curbing of fraudulent and erroneous accounting activities being undertaken in organizations. The study design also allowed the researcher to bring out the contrast between private and public sector scenarios. The forensic approach was found to have significant impacts on the many aspects of organizational functioning; however it was revealed that the policies and framework failed to churn out significant reduction in frauds. Although the error reduction rate was significant, still the effectiveness of forensic accounting in error and fraud detection needs improvement. The researcher calls for future research in the related fields, to investigate the application of forensic perspective in accounting practices, through a deeper method of qualitative analysis. Besides the investigation in large scale organizations, the future researchers should also focus on the application of forensic accounting in small scale business, or self-administered forensic examination of accounts as practiced by owners. This could produce data at the grass root level, and help in identification of all possible areas of improvement and application.

References:-

1. Ata, H.A. & Seyrek, I.H., 2009. The use of data mining techniques in detecting fraudulent financial statements: an application on manufacturing firms. *The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences*, 14, pp.157–170.
2. Basu, S., 2014. Forensic accounting in the cyber world: A new challenge for accountants. *The Management*

Accountant, 49(9), pp.18–21.

3. Boritz, J.E., Kotchetova, N. & Robinson, L.A., 2008. Planning fraud detection procedures: forensic accountants vs. auditors. In *IFA Conference*. Ontario.
4. Durtschi, C., Hillison, W. & Pacini, C., 2004. The effective use of Benford’s Law to assist in detecting fraud in accounting data. *Journal of Forensic Accounting*, 5(1), pp.17–34.
5. Ernst & Young, 2003. *Fraud: The unmanaged risk*, South Africa.
6. Modugu, K.P. & Anyaduba, J.O., 2013. Forensic accounting and financial fraud in Nigeria: An empirical approach. *International Journal of Business and Social Science*, 4(7), pp.281–289.
7. Mukoro, D., Yamusa, O. & Faboyede, S., 2013. The role of forensic accountants in fraud detection and national security in Nigeria. *Change and Leadership*, 17, pp.90–106.
8. Raghavan, R.S., 2014. Viewing through the forensic lens. *The Management Accountant*, 49(9), pp.56–59.
9. Ramaswamy, V., 2005. Corporate governance and the forensic accountant. *The CPA Journal*, 75(3), p.68.
10. Saha, A., 2014. A multidimensional approach to investigating frauds and scams; A study in the global and Indian context. *The Management Accountant*, 49(9), pp.29–39.
11. Shaheen, I. et al., 2014. Forensic accounting and fraud examination in India. *International Journal of Innovative Research and Development*, 3(12), pp.171–177.
12. Sharma, A., 2014. Frauds in India and forensic accounting. *International Journal of Research & Development in Technology and Management Science*, 21(5), pp.200–208.
13. Singh, P., Grewal, J. & Jaspal, V., 2015. Forensic accounting as a tool for detecting fraud and corruption/ : An empirical study. *ASA University Review*, 5(2), pp.1–9.
14. Singleton, T.W. et al., 2006. *Fraud auditing and forensic accounting*, John Wiley & Sons.
15. Soni, B.L., 2017. *Forensic audit, fraud detection, and investigation techniques*,
16. Srivastava, R.P., Mock, T.J. & Turner, J.L., 2003. *The effects of Integrity, opportunity, incentives, mitigating factors and forensic audit procedures on fraud risk.*, Kansas.

Figure 2 - Level of awareness towards policies of forensic accounting




Figure 3 - Level of forensic accounting in public and private sector organizations




Table 1 - Correlation and regression results for the significant factors of impact

Factors	Correlations	Regression Values		
		B	Std. Error	Sig.
Forensic accounting can identify misappropriated assets and identify reversible insider transactions.	.484**	0.161	0.052	0.002
Effects of the external factors of auditing is reduced through fraud detection	.479**	0.084	0.039	0.031
Forensic accounting enhances the performance of the company	.602**	0.139	0.056	0.013
Forensic accounting helps in ensuring increases role of audit committee	.545**	0.097	0.046	0.035
Forensic accounting helps in fraud auditing	.594**	0.114	0.056	0.044
Forensic accounting ensures regular operational audits	.619**	0.229	0.047	0.000
Forensic accounting ensures that company is protected from virus protection	.532**	0.237	0.033	0.000

Figure 5 - Post-Forensic Accounting Error Reduction in Private vs. Public sector organizations.




Figure 7 - Post - Forensic Accounting Fraud Reduction in Private vs. Public organizations





Figure 8 - Changes after adoption of forensic accounting.



A Study On Non Performing Assets Of Indian Public Sector Banks

Dr. Sudhir Mahajan*

Introduction - The business of banking essentially involves intermediation-acceptance of deposits and channeling these deposits in to lending activities for the formation of capital and enhancing resources in the direction of national objectives and priorities. Since the deposits received from the depositors have to be repaid to them by the bank, they are known as bank's "Liabilities" and as the loan given to the borrowers are to be received back from them, they are termed as banks "Assets" so assets are bank's loans and advances.

In the traditional banking business of lending financed by deposits from customers, commercial banks faced with the risk of default by the borrower in the payment of either principal or interest. This risk in banking parlance is termed as Credit Risk and account where payment of interest and/or repayment of principal is not forthcoming are treated as non performing assets. As per The RBI assets which generate periodical income are called as performing assets. Assets which do not generate periodical income are called as non performing assets. NPAs are further classified in to sub standard, Doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. Initially in 1993 RBI issued guidelines based on the recommendation of the Narasimhan committee that mandated identification and reduction of NPA to be treated as "National Priority".

This paper analyzes the NPA position, classification of loan assets and Composition of NPA in different sectors of PSBs.

Objectives of the study - The major objectives of the study are -

1. To study the trends in the NPAs of PSB
2. To examine the performance of loan portfolios of PSB

Hypotheses - These two hypotheses have been formulated for the study -

1. There is no significance difference between the assets wise classification of NPAs of PSB.
2. Whether, is there any significance difference in the recovery of mounting NPAs among the different sectors of the PSBs for the study period ?

Methodology - The study is based on Secondary data and the relevant data have been collected from the published report of RBI such as Report on trend and progress of banking in India, IBA Bulletin, Reports of economic survey

of India. The information browsed from internet from the related web sites and other related banking agencies.

The collected data is classified, tabulated and analyzed in systematic manner. For the data analysis various statistical tools are employed such as : trend analysis, percentages, correlation and ANOVA Test.

10 years aggregate data from 2008 to 2017 is used for the study.

Advances and NPAs in PSBs - Today the quality of loan assets (Advances) is the most important factor for the basic viability of banking system. For clear understanding the status of advances and NPAs of PSB is presented in the **Table 1 - NPAs as percentage to advances (See in the last page)**

The amount of Gross NPAs and Net NPAs were recorded a increasing trend from Rs. 404.52 Billion and Rs. 178.36 Billion respectively to Rs. 6847.32 and 3830.89 Billion during the study period.

As the ratio of gross NPA to gross advances drastically increased from 2.2 percent to 11.7 percent. The ratio of Net NPA to Net Advances also increased from 1 percent to 6.9 percent. This indicate that the PSBs are less effective in improving the quality of loan assets and they have been entered in challenging zone.

Asset- wise classification - NPAs are further classified in to three categories such as sub-standard, doubtful and loss assets stated in table 2.

Table 2 : Classification of loan assets (Advances) of PSBs (As on 31 March) (See in the last page)

Coefficient of Correlation (r) between Performing (Standard advances) and Non Performing advances (Sub Standard +Doubtful and Loss advances) is 0.77 and Co-efficient of Determination (r^2) is 0.59

The stated data in table 2 shows that amount of all three categories have been increased. Sub-standard advances in absolute terms increased from Rs. 173 Billion to Rs.1731 Billion at the end of 31 March 2017. Where as doubtful advances have also been increased 8.4 percent from 1.1 percent in 2008. Loss advances have increased just double from 0.2 to 0.4 percent in 2017.

The increase in the share of standard advances to total advances from 97.8 percent with the amount of Rs. 17786 Billion in 2008 to amount Rs. 51816 Billion at the end of 31

March 2017. But the percentage to total advances in 2017 has been significantly reduced. And it shows the deficiency of PSBs to recover the mounting NPA.

Coefficient of correlation and co-efficient of determination also calculated between the Standard Advances (Performing) and Non standard Advances (Non performing). It is recorded a high degree of positive correlation i.e. 0.77 and r^2 0.59. which shows that the assets are not in a right direction.

Sector wise NPAs of PSBs - The NPA of PSBs are classified into three categories Viz Priority sector, Non priority sector and public sector shown in the table 3 for the period from 2008 to 2017.

Table 3 : Composition of NPA of public sector banks (As on 31 March) (See in the last page)

The table 3 exhibits that amount of NPA in all sectors have been increased significantly.

The proportion of NPA in priority sector to the total NPAs of the PSB has been significantly decreased from 61.48 percent to 23.5 percent but in absolute terms it increased from Rs.248.74 Billion to Rs.1609.42 Billion. Where as the proportion of NPA in Non priority sector to the total NPAs have been significantly increased from 37.1 percent to 74.5 percent for the same period. In absolute term It increased from Rs.150.07 Billion to Rs.5100.95 Billion. The amount of NPA in public sector increased from Rs. 5.74 Billion to Rs. 136.95 Billion and proportionally increased from 1.42 percent to 2 percent during the study period.

Overall the total sector wise NPAs of PSB recorded increasing trend. Specially Non priority sector has increased drastically in the study period. It means the faster recovery of mounting NPA is needed.

The calculated value of co-efficient of correlation of the different sectors to the total amounts of sector wise NPAs is observed a high degree of positive correlation but the proportionate NPAs recovery in the priority sector is recorded a high degree of negative correlation $r = - 0.92$. This shows there is menace of NPAs in the priority sector. To examine the same the null hypothesis has been set up that there is no significance difference in recovery of NPAs by the sectors, for which the F-test is employed and the result presented in the one way classification of ANOVA in following table 3 (A).

Table 3 (A) : ANOVA Table (See in the last page)

Since the calculated value is greater than the table value at 5% level of significance hence the hypothesis is rejected. We conclude that there is a significant difference among the sectors in the recovery of mounting NPAs.

Conclusion - The above study reveals that the asset (Advances) wise classification recorded a high degree positive correlation between performing and Non performing assets. It shows the assets of PSBs are not on a good path. The study also clears that the recovery of NPA are not being done properly by the PSBs. The increasing NPA hampers the possible financial performance of the banks. The efficiency of a bank is not always reflected only by the size of its balance sheet but by the level of return on its assets. NPA do not generate income for the banks, but at the same time banks are required to make provision which reduces the overall profits and shareholders value.

We hope the reforms in the legal system in the recent years such as SARFAESI Act 2002, OTS, DRTs and IBC 2016 will help in faster recovery of mounting NPAs.

Notes - PSB (Public Sector Banks) - The total PSBs are 27 of which 21 Nationalized Banks and 6 SBI and its associates as at the end March 2017

SCB - Scheduled Commercial Banks There are 91 Banks are working in India as at March 2017

NPA (Non Performing Assets) Here Assets treated in term of Advances.

SARFAESI Act - Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.

IBC - Insolvency and Bankruptcy Code - Passed by Rajya sabha on 11th May 2016

OTS - One Time Settlement

DRT - Debts Recovery Tribunal

References :-

1. IBA Bulletin
 2. Reports on Trend and Progress of Banking in India
 3. The Indian Journal of Commerce Vol.62 Jan-March 2009
 4. Paul Newbold- "Statistics for business and economics" Prentice Hall, Englewood cliffs New Jersey (II Edition)
 5. Uppal R.K. and Kaur Rimpi - "Banking sector Reforms in India" Jain Book Depot 2006
 6. Lok Sabha Secretariat Reference Note No. 11/RN/Ref. Nov./2014 (Web surfing)
 7. Akhoury Rashmi, The NPA overhang-magnitudes, solutions and legal reforms in banking and financial sectors reforms in India, Edited by asha singh and others p.266, New Delhi, Serials Publications, 2010
 8. Atul Mohan and Kapur Punit, A Practical guide to Non Performing Bank Advances, p.1, Lucknow Vinod Law Publications and Agrwal Law Publications, 1996
- www. rbi.org.in.
 - www. iba.org.in

Table 1.
Table 1 - NPAs as percentage to advances
(Amount in Billion)

Year (End March)	Advances		Non Performing Assets (NPAs)			
	Gross Amount	Net Amount	Gross		Net	
			Amount	As Percentage of Gross Advances	Amount	As Percentage of Net Advances
2007-08	18190.74	17974.01	404.52	2.2	178.36	1
2008-09	22834.73	22592.12	449.57	2	211.55	0.9
2009-10	27334.58	27013.00	599.26	2.2	293.75	1.1
2010-11	30798.04	33056.32	746.00	2.4	360.00	1.2
2011-12	35503.89	38773.08	1172.62	3.3	592.05	1.5
2012-13	45601.69	44728.45	1644.61	3.6	899.52	2
2013-14	52159.20	51011.37	2272.64	4.4	1303.62	2.6
2014-15	56167.18	54762.5	2784.68	5	1599.51	2.9
2015-16	58275.00	56210.53	5399.56	9.3	3204.63	5.7
2016-17	58664.00	55521.74	6847.32	11.7	3830.89	6.9

Source : rbidocs.rbi..org.in.

Table 2 - Classification of loan assets (Advances) of PSBs (As on 31 March)
(Amount in Billion)

Year	Standard Advances		Sub-standard Advances		Doubtful Advances		Loss Advances		Gross NPAs		Total Advances
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	
2008	17786	97.8	173	1	192	1.1	40	0.2	405	2.2	18191
2009	22378	98	203	0.9	206	0.9	41	0.2	450	2	22828
2010	26735	97.8	288	1.1	254	0.9	58	0.2	599	2.2	27335
2011	32718	97.8	350	1.1	332	1	65	0.2	747	2.2	33465
2012	38255	97	623	1.6	490	1.2	60	0.2	1173	3	39428
2013	43957	96.4	815	1.8	761	1.7	68	0.2	1645	3.6	45601
2014	49887	95.6	958	1.8	1216	2.3	99	0.2	2273	4.4	52159
2015	53382	95	1054	1.9	1630	2.9	100	0.2	2785	5	56167
2016	52875	90.7	2005	3.4	3232	5.5	163	0.3	5400	9.3	58275
2017	51816	88.3	1731	3	4904	8.4	213	0.4	6847	11.7	58664

Source : Department of Banking Supervision, RBI dbie.rbi.org.in

Table 3 - Composition of NPA of public sector banks (As on 31 March)
 (Amount in Billion)

Years	Priority Sector		Non priority Sector		Public Sector		Total
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount
2008	248.74	61.48	150.07	37.1	5.74	1.42	404.56
2009	242.01	53.75	205.28	45.59	2.97	0.66	450.26
2010	304.96	50.89	291.14	48.58	3.14	0.52	599.24
2011	401.86	53.82	342.35	45.85	2.43	0.32	746.64
2012	557.8	47.57	588.26	50.17	26.56	2.27	1172.62
2013	672.76	40.91	960.31	58.39	11.55	0.7	1644.61
2014	798.99	35.16	1472.35	64.79	1.3	0.06	2272.64
2015	966.11	34.69	1815.98	65.21	2.59	0.09	2784.68
2016	1258.09	23.3	4106.66	76.06	34.82	0.64	5399.57
2017	1609.42	23.5	5100.95	74.5	136.95	2	6847.32
r =	0.98	-0.92	0.998	0.906	0.819	0.22	
Mean		42.51		56.62		0.87	

Source - Department of Banking Supervision, RBI dbie.rbi.org.in

Table 3 (A) - ANOVA Table

Source of Variation	Sum of squares	Degrees of freedom	Mean squares	F	F0.05
Between samples (sector wise NPAs)	16803.48	2	8401.74	72.49	3.35
within samples	3129.61	27	115.91		
Total	19933.09	29			

Global Warming And Climate Change

Dr. Raju Raidas* Dr. Harsha Chachane**

Introduction - Global warming and climate change are terms for the observed century-scale rise in the average temperature of the Earth's climate system and its related effects. Multiple lines of scientific evidence show that the climate system is warming. Many of the observed changes since the 1950s are unprecedented over tens to thousands of years.

In 2014, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report concluded that "It is *extremely likely* that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century." The largest human influence has been emission of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide; human activities have led to carbon dioxide concentrations above levels not seen in hundreds of thousands of years. Climate model projections summarized in the report indicated that during the 21st century the global surface temperature is likely to rise a further 0.3 to 1.7 °C (0.5 to 3.1 °F) for their lowest emissions scenario and 2.6 to 4.8 °C (4.7 to 8.6 °F) for the highest emissions scenario. These findings have been recognized by the national science academies of the major industrialized nations and are not disputed by any scientific body of national or international standing.

Future climate change and associated impacts will differ from region to region around the globe. Anticipated effects include warming global temperature, rising sea levels, changing precipitation, and expansion of deserts in the subtropics. Warming is expected to be greater over land than over the oceans and greatest in the Arctic, with the continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely changes include more frequent extreme weather events including heat waves, droughts, heavy rainfall with floods and heavy snowfall; ocean acidification; and species extinctions due to shifting temperature regimes. Effects significant to humans include the threat to food security from decreasing crop yields and the abandonment of populated areas due to rising sea levels. Because the climate system has a large "inertia" and greenhouse gases will stay in the atmosphere for a long time, many of these effects will not only exist for decades or centuries, but will persist for tens of thousands of years.

Possible societal responses to global warming include mitigation by emissions reduction, adaptation to its effects, building systems resilient to its effects, and possible future climate engineering. Most countries are parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), whose ultimate objective is to prevent dangerous anthropogenic climate change. Parties to the UNFCCC have agreed that deep cuts in emissions are required and that global warming should be limited to well below 2.0 °C (3.6 °F) relative to pre-industrial levels, with efforts made to limit warming to 1.5 °C (2.7 °F).

Public reactions to global warming and concern about its effects are also increasing. A global 2015 Pew Research Center report showed a median of 54% consider it "a very serious problem". There are significant regional differences, with Americans and Chinese (whose economies are responsible for the greatest annual CO₂ emissions) among the least concerned.

Global warming is the 'talk of the town' in this century, with its detrimental effects already being brought to limelight by the recurring events of massive floods, annihilating droughts and ravaging cyclones throughout the globe. The average global temperatures are higher than they have ever been during the past millennium, and the levels of CO₂ in the atmosphere have crossed all previous records. A scrutiny of the past records of 100 years indicates that India figures in the first 10 in the world in terms of fatalities and economic losses in a variety of climatic disasters. Before embarking on a detailed analysis of Global warming and its impacts on Indian climate, we should first know what climate, green house effect and global warming actually mean.

Climate - The climate is defined as 'the general or average weather conditions of a certain region, including temperature, rainfall, and wind'. The earth's climate is most affected by latitude, the tilt of the Earth's axis, the movements of the Earth's wind belts, and the difference in temperatures of land and sea, and topography. Human activity, especially relating to actions relating to the depletion of the ozone layer, is also an important factor. The climate system is a complex, interactive system consisting of the atmosphere, land surface, snow and ice, oceans and other

*Guest Lecturer (Commerce) R.V.P.S.Govt. College, Umaria, Distt. - Umaria (M.P.) INDIA

*Asst. Professor (Political Science) R.V.P.S.Govt. College, Umaria, Distt. - Umaria (M.P.) INDIA

bodies of water, and living things.

Green House Effect - Green House effect is the phenomenon whereby the earth's atmosphere traps solar radiation, and is mediated by the presence in the atmosphere of gases such as carbon dioxide, water vapor, and methane that allow incoming sunlight to pass through, but absorb the heat radiated back from the earth's surface. Thus the Green house gases (GHGs) provide a blanketing effect in the lower strata of the earth's atmosphere, and this blanketing effect is being enhanced because of the human activities like burning of fossil fuels etc.

Global Warming - Global warming is defined as an increase in the average temperature of the Earth's atmosphere, especially a sustained increase great enough to cause changes in the global climate'. The term global warming is synonymous with Enhanced green house effect, implying an increase in the amount of green house gases in the earth's atmosphere, leading to entrapment of more and more solar radiations, and thus increasing the overall temperature of the earth.

Effect Of Global Warming On The Earth's Climate - Detailed researches of climatic events of the past 150 years have revealed that the temperatures have risen all over the globe, with the warming occurring in two phases. The first phase was from 1919 to 1940, with an average temperature gain of 0.35°C, and the second phase was from 1970 to the present, exhibiting temperature gains of 0.55°C. Records show that the past 25 years have been the warmest time of the past 5 centuries. The global warming has resulted in the warming of the oceans, rising of the sea levels, melting of glaciers, and diminished snow cover in the Northern Hemisphere.

The above map illustrates an analysis conducted by the Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York City, based on temperatures recorded at meteorological stations around the world and satellite data over the oceans. The map illustrates how much warmer temperatures were in the decade (2000-2009) compared to average temperatures recorded between 1951 and 1980. The Arctic regions exhibited the most severe warming as depicted in red color. The blue colored areas show the lower than normal temperatures, and thus are very few. The recent catastrophic climatic events like the massive floods in Pakistan and India, the Hurricane Katrina in the United States, the prolonged droughts in Australia, China, Pakistan, India and Texas, are all the results of increased temperatures due to global warming. During the 21st century, climatic disasters occurred five times as frequently and killed or affected seventy times as many people. Between 2000 and 2004, an average of 26 climatic disasters was reported each year. Thus, the immense geological changes will continue their destruction unabated if steps to mitigate global warming are not taken.

Impacts Of Global Warming On The Climate Of India - An Introduction To The Profile Of India - India, the second most populous country of the world with a population

over 1.2 billion, is a large country in South Asia. India lies to the north of the equator between 6° 44' and 35° 30' north latitude and 68° 7' and 97° 25' east longitude. It shares a coast line of 7517 km with the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. It has land boundaries with Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Burma and Bangladesh. The Indian economy is considered as one of the fastest growing major economies. However, the country is plagued by the climatic disasters that continue to wreak havoc on its economy. As a result, in spite of the leaping economical progress, the majority of the people of India continue to live in poverty, with malnutrition and diseases corroding the society.

Climate Of India - Being such a huge country, India exhibits a wide diversity of temperatures; from the freezing cold winters in the Himalayas to the scorching heat of the Thar Desert. The above two regions play a very significant role in controlling the weather of India, making it warmer than to be expected with its latitude. The Himalayas participate in this warming by preventing the cold winds from blowing in, and the Thar desert attracts the summer monsoon winds, which are responsible for making the majority of the monsoon season of India. However, the majority of the regions can be considered climatically tropical.

Monsoon Season In India - The climate of India is dominated by the monsoon season, which is the most important season of India, providing 80% of the annual rainfall. The season extends from June to September with an average annual rainfall between 750–1,500 mm across the region. The monsoon of India is regarded as the most productive wet season on the earth.

Other Climatic Diasters In India Droughts - As explained above, the process of global warming has such an impact on the climate that it increases the severity of precipitation at one time, and minimizes it in the other. Therefore, this process has resulted in severe drought like conditions in India, with tens of millions of deaths resulting from it in the past few centuries. India depends heavily on prolonged and optimum monsoons for its agricultural productivity, failure of which results in the decreased crop productivity, leading to droughts. Of the total agricultural land in India, about 68% is prone to drought of which 33% is chronically drought prone, receiving rainfall of less than 750mm per year. This is particularly the states of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Orissa. The World Record Of Drought Was In 2000 in Rajasthan, India.

Indian Steps To Mitigate The Climatic Changes - Thus the process of global warming has affected India intensely, destroying its economy and depriving its people of their basic needs like food and shelter. The current patterns of destructive floods, increasing intensity of cyclones, recurring droughts and the increasing temperatures are all the results of global warming. The Indian government also realizes the predicament it faces, and multiple steps to mitigate these disasters have been taken.

Steps Taken By Indian Government To Mitigate Floods

And Other Climatic Disasters - In India, National Disaster Management Authority (NDMA) is the apex body for addressing the disaster related policy issues and for laying guidelines. The Ministry of Environment and Forests, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of External Affairs as well as the Prime Minister’s Office are the offices related to climatic changes. India has always been plagued by the recurrent and devastating floods. The history of mitigating steps taken by the Indian government can be traced back to 1953, when the unprecedented floods of 1953 struck India, at which time the first national policy in this

Steps Required By The Indian Government To Mitigate Global Warming And Resulting Climatic Diasters - In spite of the steps taken by the Indian government, global warming continues to increase, and the resulting climatic disasters ravage the country in an unabated manner. This can be attributed to the lack of resources, and access to technology. To cope up with the climate change-disasters-security nexus, the country needs to have a better technical understanding, capacity building, networking and expansive

consultation processes spanning every section of the society. The committees and organizations working to counteract against the climatic disasters work independently from each other. The ongoing climatic changes, with an increase in a possibility of more disasters impose imperatives for a unity among all these bodies, resulting in an integrated risk management framework, creating a common platform for the committees to work on. India has a distinctive vulnerability profile as the poor are the most affected. Tremendous weather events take place more frequently and are becoming more ruthless. Therefore the previous attempts of just rescuing the affected will not be enough now, instead, meticulous steps to prevent these disasters are required. This can only be met if the strategies and policies can cope with climate change, requiring the active participation of the government and the people.

References :-

1. Wikipedia- the free encyclopedia.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change.
3. Climate Change, Disasters and Security.....Issues, Concerns and Implications for India By Sunil Chauhan.

GST And Its Social Economical Impact On Indian Market

Pankaj Kushwah *

Abstract - This research paper is an analysis of GST and its social economical impact on India market GST is actually an indirect tax which applied when a customer buys a goods or a service. This tax is an individual tax for the whole country. This tax aims to make India a united market the main theme of this tax is apply a single tax on the supply of goods and service tax will remove different layers of taxation which are purchase tax, VAT, entertainment tax etc. In this article, I have started with the introduction of GST and tried to highlight the social and economic impact of GST in India.

Introduction - GST is a value added tax build at all points in the supply chain, with credit allowed for any tax paid an input acquired for use in making the supply. It would apply to both goods and services in a comprehensive manner, with exemption restricted to a minimum in keeping with the federal structure of India it is proposed that the GST will be build currently by the control government (CGST) and the state government (SGST). It is expected that the base and other essential design features would be common between CGST and SGST's for individual states the inter-state suppliers within India would attract and integrated GST (IGST) which is the aggregate of CGST of the destination state.

Objectives -

- To recognize the concept of GST
- To understand the impact of GST in Indian economy.
- To knowing different taxation scheme and goods & service tax network
- To furnish information for further research work on GST

Literature Review -

- C.S (Basavraj) 2014 Demands of globalization and reforms in direct and indirect taxes.
- Holani umesh and Holani ravi (1989), Ancient taxation policy manu smurti.
- Bloambury handbook of GST in India concepts and procedure 2017 edition.
- Dr. R. vasanthagopal 2011 studied GST in India.

Research Methodology - The study in values secondary data collection through existing legislations, proposed legislation on GST floated in public domain published/unpublished reports on the GST impact in India and globally various websites on GST and financial services.

Effect and Impacts on Indian Economy - It is important to understand that GST is not a tax concession scheme where the government has reduced the tax rate and hence

all the goods and services would become cheaper once GST is implemented. Government is trying to see that the new GST tax rates of excise, service tax and VAT in the present time. Hence the prices of mast commodities would remain the same however, the immediate impact of GST would be as all the services would become more expensive immediatly since the present service tax rate is only 15% which is now raised to 18% in GST.

Same goods would become cheaper due to lower rates build an such items.

Mast goods would become more expensive since the GST rate of 18% or 24% is much more than present VAT rates which is around 12.15%. The dealers and retailers are not likely to pass an this extra rate immediatly to the consumer and they would profit from the increase input credit (ICI), however soon the consumer would reap the benefit and the prices would come down.

Taxation Scheme - GST is build an all transaction such as sale, transfer purchase, barter, lease or import of goods and /or services India adapted a dual GST model meaning that taxation is administrated by both the union and state government transaction made within a single state will be build with control GST (CGST) by the control government and state GST (SGST) by the government of the state for inter state transaction and imported goods or services, an integrated GST (TGST) is build by the control government GST complicates tax collection for state governments by disabling them to collect the tax awed to them directly from the control government under the previews system a state would have to only deal with a single government in order to collect tax revenue.

Goods and Service Tax Network - Goods and service tax network (GSTN) is a sections under new companies act. Not for profit companies are governed under section (8) non-government, private limited company. It was

incorporated on march 28, 2013. The government of India holds 24.5% equity in GSTN and all states of the Indian union, including NCT of Delhi and Pondicherry and the empowered committee at state finance ministers (EC) together hold another 24.5% balance 51% equity is with non-government financial institutions the company has been setup primarily to provide IT infrastructure and services to the control and state government tax payers and other Stake holders for implementation of the GST the authorized capital of the company is rupees ten Crore only.

Conclusion - GST is a single national uniform tax build across India an all goods and services In GST all indirect taxes such as excise duty, octroi control sales tax (CST) and values added tax (VAT) etc. will be subsumed under a single regime. Introduction of the goods and service tax (GST) will be a significant step towards a comprehensive indirect tax reform in the country it is expected to bring about efficiency and transparency in the indirect tax mechanism in India. Further it will also encourage an unbiased tax structure that is neutral to business processes and geographical locations. Given the enormity of the

implications of GST, it requires a consensus among all political parties and states however the implementation of GST has been delayed several times an account of lack of consensus among the state and centre on aspects relating to limiting fiscal autonomy of the state's history has proved that many countries have benefited from moving to a GST regime. In India implementations of GST would also greatly help in remaining economic distortions caused by present complex tax structure and will help in development of a common national market.

References :-

1. www.GSTindia.com
2. Goods and services tax (GST) A step forward (2013) available at <http://article.economic.times.indiatimes.com/2013.08>
3. WIKIPEDIA
4. www.9stindia.com/basics-of-gst-implementation-in.india
5. www.taxguru.in/goods-and-services-tax/goods-service-tax-gst.2html
6. www.top10wala.in/facts-about-gst-india-advantages

Role Of Youth In Product Promotion Through Social Networking Sites

Dr. Vikas Jain* Nafees Uddin Siddiqui**

Abstract - The study of this research aims to create an immense level of awareness among the youth exposed to such social networking sites and findings will not only bear results as to how adversely and positively is the youth affected by the usage of these sites but also will help the youth to understand the usage of these networking sites efficiently Facebook, My Space, Twitter, LinkedIn, Skype are a few such sites that attract maximum of the youth to tune in to them and thereby embodies their own merits and demerits that desperately need to create an actual picture among the youth. It has now become an evident and usual sight to face individuals being insensitive to chat in worshipping places, homes when relatives and guests are around, highways, schools, colleges and social gatherings wherein they are so preoccupied and engrossed into their phones that they do not even bother to look up as to where they are which results in their inability to prioritize as to what is important and what isn't. Attention has thus been shifted from real to virtual world and visible to invisible friends.

Key Words - Social networking sites; Facebook; Twitter; Internet.

Introduction - Dr. A.P.J. Kalam has once said that, "The power of any nation is its youths." Youths are the source of energy for any generation. Thus the real task for MNC's or any business is to attract youths. Since the 1980s the marketing industry has seen an increase in research as well as an increase in spending. The marketing industry's budget in 1992 was \$6 billion and by 2003 this figure had risen to an estimated \$15 billion in marketing efforts. This increase in spending is closely related with the increase in youth spending.

The internet has ushered in a new digital media culture that allows different forms of media to converge. What once used to be multiple separate devices such as a telephone, television, or computer are now able to converge as one form of technology. Smart phones are the perfect example of this hybrid technology that the new digital media culture has ushered in. As early adopters of new technologies, the youth in many ways are the defining users of the digital media that are embracing this new culture."The burgeoning digital marketplace has spawned a new generation of market research companies which are introducing an entire lexicon of marketing concepts (e.g., "viral marketing," "discovery marketing") to describe some of the unorthodox methods for influencing brand loyalty and purchasing decisions." Once customers had a good experience with a product, they would tell their friends, who would often buy and use that product and then tell other friends dispersing information and recommendations about the product via a social network. Merry Kay cosmetics and Amway, brands that relied on social networks to inform potential customers

about their products, used this technique with great success to build highly recognizable brands. Technology makes the spread of product knowledge from one person to another faster and more efficient. Today, digital media like the internet are the new word-of-mouth networks, which acts as easy, additional resources' for people to spread the word. "The net amplifies the power and accelerates the speed of feedback from users to potential adopters". "People have always relied on word-of-mouth to spread the news about products and services. The internet just speeds things along", says Charlene Li, an analyst with Forrester Research.

But keeping everything in mind, India will become the biggest consumers in the world that means right from education to FMCG the demand will cross countries like USA (already a saturated and deteriorating market). Before the FDI policy opens in India, the foreign investors should look at these opportunities and establish their brand, long ahead the demand reaches to the peak. Unlike China, India has its own consumption pattern which is influenced with the strong ethnic root as well as colonial rules. The brands/ retailers / companies should consider a serious consumer research before venturing into this subcontinent otherwise they will face constraints and lagged growth.

Social media, its relevance, the "flattening of social space" and assumption of "otherness" - India, being numerous countries inside one country and further divisions of regional, religious, cast and sub sect makes a indefinite complex social pyramid structured social positioning which is tough to avoid for brands that seeks consumer attention,

*Principal, Comp feeders AISECT College of Professional Studies, Indore (M.P.) INDIA

**Assistant Professor, Madhuban Institute of Professional Studies, Indore (M.P.) INDIA

visual impact and indigenous usability. The visual representation of one's social position is very important in this subcontinent which gets reflected right from the clothing, architecture, political posters to the grass root day-to-day customs. The so called "big fat Indian marriage" is nothing but one's exhibition of social class and positioning. The belonging to certain spiritual, religious and political parties are also a display of one's class and "otherness" from the mass.

Certain brands or products fail to understand this situation and enacts in a way that India is a "utopian" super-flat democratic society where everybody is visually equal and has the urge to speak/ exhibit of what they are / wants to be or with whom they wants to belong to. The problem broadly exists with those brands who unfortunately don't understand that their products are actually an asset instead of consumption. The western brands once imported in India with high import duty and currency conversion, certainly lifts to the higher market segment but fails to understand its high impact on how the brand should be portrayed in India.

Review of literature -

Montgomery K. (April 24, 2000), explained that, "There is a complex relationship between adolescents and the mass media, the entire nature of the media system is undergoing dramatic change. The explosive growth of the Internet is ushering in a new digital media culture. Youth are embracing the new technologies much more rapidly than adults. In addition, because of their increased spending power, youth have become a valuable target market for advertisers.

Leskovec J., Adamic A. And Huberman A. (April 20, 2007), presented an analysis of a person-to-person recommendation network, consisting of 4 million people who made 16 million recommendations on half a million products. We observe the propagation of recommendations and the cascade sizes, which we explain by a simple stochastic model. We analyze how user behavior varies within user communities defined by a recommendation network. They presented a model that successfully identifies communities, product and pricing categories for which viral marketing seems to be very effective.

Abedniyaand Mahmoudi (2010) explained that "As the Internet is becoming more and more popular; it is starting to make a big impact on people's day-to-day life. As a result of this revolutionary transformation towards the modern technology, social networking on the World Wide Web has become an integral part of a large number of people's lives. Social networks are websites which allow users to Communicate, share knowledge about similar interests, discuss Favorite topics, review and rate products/services, etc. These Websites have become a powerful source in shaping public opinion on virtually every aspect of commerce."

Rationale of the study-Today youngsters and professionals are spending much more time at social media

networks like Twitter, Facebook, Orkut, Blogs etc.

Social Media Networks and Viral Marketing is a new trend in marketing of consumer relations and public outreach.

This study will help us to understand the role of youths in Social Networking Sites (SNS) that can be useful to know the importance of youths in branding, recalling & promotions of various products at pre-existing social networks. Apart from this, the study can be useful to know the taste & preferences of youths on social networking sites.

Objectives Of The Study -

1. To study the role of youth in promoting any product through social media networking sites.
2. The study also explores the preference of the people regarding various social media websites.

Research Methodology -

- The study is an exploratory research.
- Youth of Indore city.
- Sample size is 100 Respondents of various age groups.

Tools for data collection -

Primary data - Self administered Questionnaire was designed to collect primary data.

Secondary data - Secondary data was collected through Social Networking Sites, Books, Journals and Magazines etc.

Tools for data analysis - Analyzing the role of Youth in Social Media Sites with the help of Bar graphs & Pie charts.

Hypothesis -

- Social Networking sites are given maximum demerits comparing to merit if both the parameters are evaluated.
- The youth is more inclined towards fields of entertainment other than relevant information derived sources.
- The participation of youth is invisible in social gatherings due to over utilization of social networking sites.

Data Analysis And Interpretation -

On basis of age distribution -

- 18% are below the age of 16 yrs who surf social networking sites'.
- 54% are in the age group of 16-24 yrs who surf social networking sites'.
- 22% are in the age group of 24-30 yrs who surf social networking sites'.
- 6% are above the age of 30 yrs who surf social networking sites'.
- A majority sample of 16-24 age group who surf social networking sites'.

On basis of occupation - majorities of 64% of people surveyed were from the students.

On basis of awareness about social networking sites - majorities of people i.e. 84% of age group 16 to 24 yrs are aware of social networking sites'.

On basis of know social networking sites as product promotion tool - a majority of 47% strongly believe that

social networking sites' are the effective medium for product promotions.

On basis of visits on social networking sites' - majority people frequently or very often visit social networking sites'.

On basis of visiting advertising links - majority of 40% people sometimes visit the links of advertising on social networking sites'.

On basis of advertising impact - a majority of youth finds the advertisements on social networking sites interesting.

On basis of product purchase - a majority of 48% youth sometimes purchase the products through social networking sites' links.

On basis of youth products promotion - a majority of 48% youth sometimes purchase the products through social networking sites' links.

Findings -

The role of youth in product promotion through social media networks.

- Most of the youth in Indore (India) are aware of Social Networking Sites.
- Youth spent much more time on Social Networking Sites.
- Youth are the best mediators in product promotions at Social Networking Sites.
- Products Promotions can be effectively done by Social Networking Sites.
- Information flow is much swifter than any other medium, thus this Social Networking Sites are the better tool of communication.

It is possible the findings of this study may have been influenced by the convenience sampling strategy used so these findings may not generalizable to other regions where youth have less access to social media or where adolescent smoking behaviors differ based on cultural and socio-demographic factors. In addition, research is needed on the ways in which the method of delivery (e.g., shared on Facebook, YouTube, via email) impacts the understanding of health-related information online and the influence of

peer-to-peer sharing on youths' exposure to health-related information online.

Conclusion - Social networking sites for promotion of products and youth are much aware of them in certain field only.

- Improve operational efficiency and reduce down time using class leading product and solution for managing an enterprise network.
- Information flow is much swifter than any other medium, thus this Social Networking Sites are the better tool of communication.
- Easy network transitions through single integrated solution.
- Early collect of data and solve the problems and communication of a groups and Product Promotions can be effectively done by Social Networking Sites.

Suggestions -

- Help maximize efficiencies in operations management and fulfillment of carrier class services supporting advanced network.
- Increase efficiency with IT automation products that save time provide clear visibility and control over operation.
- Helps to ensure a high quality of services, minimal system outage and timely issue resolution.
- Help to operational management and solve the problems are easily.

References :-

1. 1994 Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture Advertising Research is Changing
2. Kaplan Andreas M., Heinlein Michael (2011) Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance, Business Horizons, 54(3), 253-263.
3. Webliography
4. [Www.smeal.psu.edu/cdt/](http://www.smeal.psu.edu/cdt/)
5. [Http://www.allbusiness.com/marketing-advertising/4286202-1.html](http://www.allbusiness.com/marketing-advertising/4286202-1.html)

निमाड क्षेत्र में पर्यटन उद्योग विकास एवं संभावनायें

शिल्पी गुप्ता *

शोध सारांश - पर्यटन भारत का सबसे विशाल उद्योग है जिसके माध्यम से आर्थिक विकास रोजगार सृजन होता है। पर्यटन उद्योग घरेलू आय के साथ विदेशी आय भी विकसित करने में सक्षम है। पर्यटन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अकुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों को भी बेहतर रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग में महिलाओं को भी शीघ्रता एवं सरलता से रोजगार प्राप्त हो जाता है। पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये निजी निवेशकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में भी पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटन नई संस्कृति का पता लगाने एवं विभिन्न स्थानों को जानने का एक अवसर प्रदान करता है, जिससे सौहार्द की भावना भी विकसित होती है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को संरक्षित रखने को भी प्रेरित करता है।

शब्द कुंजी - पर्यटन, पर्यटक, पर्यटन उद्योग, विदेशी मुद्रा, सैलानी।

प्रस्तावना - भारत में मध्यप्रदेश का निमाड क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जहां सतपुडा की उंची-उंची पर्वतमालाये नर्मदा नदी का निर्मल साफ पानी चांदी की पट्टी जैसे प्रतीत होती है, वहीं दूसरी ओर हरे-हरे खेत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। निमाड क्षेत्र में पूर्वी निमाड एवं पश्चिमी निमाड में प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। पूर्वी निमाड में खण्डवा व बुरहानपुर जिला में बहुत ऐतिहासिक स्थल जैसे असीरगढ किला, कुण्डी भण्डारा, शाही किला, काला ताजमहल, राजा जयसिंह की छत्रियां हैं। वहीं तीर्थनगरी के रूप में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भी स्थित है, जहां तीर्थयात्री तीर्थ की दृष्टि से भी आते हैं। नर्मदा बैकवाटर हनुमन्तिया टापू, सैलानी टापू जैसे कई पर्यटक स्थल भी पर्यटकों को लुभाते हैं। वहीं सहायक नदिया एवं बुरहानपुर जिले में मां ताम्बी नदी भी इस प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाती है।

वहीं पश्चिमी निमाड में मण्डलेश्वर, महेश्वर के किले नर्मदा नदी के सुरम्य घाट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दूसरी ओर बडवानी जिला जिसे निमाड के पेरिस नाम से जाना जाता है, के आसपास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है। वहीं निमाड का शिमला कहे जाने वाला निवाली क्षेत्र भी बडवानी जिले में स्थित है, जिनके आस-पास उंची-उंची पहाडियां, घने जंगल वन हैं। यहां पर्यावरण संबंधी मनमोहक सम्पदा बदलती हुई ऋतुये, जलवायु की विविधता, नर्मदा, ताम्बी जैसी महत्वपूर्ण नदियां एवं धार्मिक स्थलों से भरपूर निमाड क्षेत्र सदा ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

प्रस्तुत शोधपत्र में निमाड क्षेत्र के पर्यटन में गुणवत्ता लाने व नवीनतम पर जोर दिया गया है। निमाड क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जो इन स्थलों की प्रसिद्धी एवं संरक्षित करने हेतु बहुत से कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यपालाये, मेले, उत्सव, महोत्सव आयोजन करवाये जा रहे हैं, जिससे मध्यप्रदेश में निमाड क्षेत्र के पर्यटक को बढ़ावा मिल सकें।

पर्यटन उद्योग - पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को मुख्य रोजगार भी प्राप्त होता है एवं इससे सहायक आर्थिक

क्रियाये भी होती है जैसे होटल उद्योग, यातायात उद्योग, खान-पान उद्योग प्रमुख हैं तथा सहायक आर्थिक क्रियाओं में फुटकर दुकाने, बैंक एवं वित्तीय संस्थाये की सेवाये, केटरर्स, लान्डीज, सैलून, होटल मालिक केटरर्स आदि सम्मिलित है। इस प्रकार पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों की आय का प्रमुख साधन भी है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

अध्ययन का उद्देश्य -

1. निमाड क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र का अध्ययन करना।
2. निमाड क्षेत्र में छुपे हुये पर्यटक स्थलों को पर्यटन स्थल के मानचित्र पर लाना।
3. निष्कर्ष पर आधारित सुझाव प्रस्तुत करना।

पर्यटन उद्योग का महत्व एवं भावी संभावनाये - पर्यटन उद्योग द्वारा कई लोगों को रोजगार प्राप्त है, जो उनकी जीविका का प्रमुख साधन है। रोजगार प्राप्त होने से लोगों के जीवनस्तर में सुधार होता है एवं शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है। अनैतिक तत्व अपराध जैसे चोरी, डकैती की प्रवृत्ति में भी कमी होती है, जिसके कारण चहुमुखी विकास संभव होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

निमाड क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं के कारण -

1. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विभिन्न कला, संस्कृति, उत्सव एवं मेले।
2. भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य।
3. विरासत पर्यटन का विकास।
4. मजबूत अर्थव्यवस्था।
5. निमाड क्षेत्र अन्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार।
6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।
7. पर्यावरण, रोमांचक, जलक्रीडा, पर्यटन स्थलों का विकास।
8. परिवहन सुविधा में विस्तार एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
9. निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटकों का आकर्षण।

10. मूलभूत सभी सुविधाये जैसे आवास, खान-पान की सरलता से प्राप्ति।
समस्याये - देश के आर्थिक विकास में पर्यटन विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भी अर्जन किया जाता है। किन्तु पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के अभाव में भी पर्यटक स्थल अभावग्रस्त हो जाते हैं। अधिकांश पर्यटक व ऐतिहासिक स्थल आंतरिक भाग में होने के कारण रोड, रेल या परिवहन संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके कारण पर्यटक स्थल तक पहुंचने में पर्यटकों को समस्याये आती हैं। कच्चे रास्ते व होर्डिंग्स, बोर्ड (मार्गदर्शक) के अभाव में भी पर्यटक मार्ग भटक जाते हैं। कई स्थलों पर अपराधी तत्व से पर्यटन विशेषकर महिला बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं।

पर्यटन उद्योग के हित में नये कदम - मध्यप्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास करने की दृष्टि से वर्ष 1978 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। निगम कार्य पर्यटन स्थलों पर आवासीय इकाईयों का संचालन, पर्यटकों को पर्यटन स्थल की जानकारी सुलभ करना, पर्यटन स्थलों पर साहित्य का प्रकाशन तथा पर्यटकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

1. पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेबसाइट जारी की गई जिसमें पर्यटक स्थल की समस्त जानकारी दी गई है।
2. पर्यटन रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिये गये हैं।
3. कई विभाग जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पर्यटन विभाग बनाये गये हैं, इन कार्यालयों में पुरातत्व ऐतिहासिक से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है।

निमाड क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की प्रवृत्ति एवं विकास - पर्यटन उद्योग द्वारा निमाड क्षेत्र का विकास में वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक धरोहर के साथ विभिन्न पर्यावरण पर्यटन के क्षेत्र जैसे नर्मदा बैकवाटर, हनुमंतिया टापू, सैलानी टापू में विभिन्न जलक्रीडाये, प्रकृति निहार, पक्षी विहार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई, जहां देशी के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी रुचि दिखाई है। पर्यटन उद्योग के विकास से रोजगार प्राप्ति के साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति एवं समन्वय के विकास में भी सहायक है।

पर्यटकों की संख्या एवं मुद्रा अर्जन राशि (तालिका देखे आगे पृष्ठ पर) - तालिका में देखा जा सकता है कि वर्षवार पर्यटकों के आगमन की क्या स्थिति है। वास्तव में पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2012 में लगभग 476573 थी जो वर्ष 2017 में बढ़कर लगभग 604739 हो गये, जो लगभग 1.27 गुना है। इन पर्यटनों की संख्या में देशी एवं विदेशी सैलानियों की संख्या भी सम्मिलित है।

वहां तालिका में मध्यप्रदेश के निमाड क्षेत्र में पर्यटकों से प्राप्त आय भी दर्शायी गयी है तथा आय में हुई वर्षवार वृद्धि भी प्रदर्शित की गई है। स्पष्ट है कि आय वर्ष 2013 से लगभग 533761760 रुपये की तुलना में वर्ष 2017 में लगभग 725686800 रुपये हो गई जो अध्ययनकाल से लगभग 1.360 गुना बढ़ी है।

संबंधित साहित्य पुनरावलोकन -

1. **डॉ. जगमोहन नेगी के अनुसार** - पर्यटन विपणन के लिये समस्त प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष क्रियाये समाहित है। ये क्रियाये पर्यटन स्थलों पर विक्रय की जाती है।
2. **जिलाधीश दीपक सिंह के अनुसार प्रकाशित पुस्तक** - तासी, तप और ताकत में बुरहानपुर जिले में ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन पर जोर दिया गया है।

3. **डॉ. सी.एस. त्रिपाठी के शोधकार्य के अनुसार** निमाड क्षेत्र के पर्यटक स्थल में पर्यटन की अपार संभावनाये हैं। पर्यटन उद्योग भारत में सबसे बड़ा सेवा उद्योग है, इसे विकास एवं रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है।

अध्ययन के पश्चात सुझाव -

1. निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश कर पर्यटन स्थलों पर आकर्षक प्रस्ताव जैसे जलमहोत्सव, मेले, रंगमंच आदि लगाये जाये जिससे उन पर्यटक स्थलों का प्रचार-प्रसार हो सके।
2. पर्यटन रोजगार संबंधी प्रशिक्षण दिये जाये जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके।
3. पर्यटन क्षेत्र में सरकारी नीति जैसे कर, जी.एस.टी. आदि की दरे न्यूनतम हो, जिससे पर्यटक स्थल पर आने-जाने वाले पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर ज्यादा व्यय का भार न हो।
4. पर्यटक प्रबंध से संबंधित कक्षाये एवं कोर्सेस लागू किये जाये।
5. पर्यटक स्थल पर पहुंचने के लिये पर्यटक मार्ग व्यवस्थित किये जाये।
6. पर्यटक स्थल पर कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाये जैसे पुलिस, प्रशासन हो जिससे कोई कठिनाई के दौरान पर्यटक सुरक्षित रह सके।
7. पर्यटक स्थल पर जानकारी देने के लिये गाईड या बोर्ड पर पर्यटक स्थल की जानकारी लगी होना चाहिये, जिससे पर्यटकों को पर्यटक स्थल की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
8. केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता, योजनाये लागू की जाना चाहिये, जिससे पर्यटक को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष - अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का विशेष महत्व है। पर्यटन उद्योग का आर्थिक व्यवस्था पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पर्यटन उद्योग एक सेवा उद्योग है, जो मुख्य एवं सहायक रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने एवं पर्यटन उद्योग को आगे लाने के उद्देश्य से 27 सितम्बर को पूरे विश्व में विश्व पर्यटन दिवस आयोजित किया जाता है। पर्यटन के विकास से रोजगार के विकास में भी वृद्धि होती है। मानवीय भावनाओं का सीधा संबंध पर्यटन से होता है। पर्यटन उद्योग द्वारा होटल उद्योग, ट्रेवल एजेंट, यातायात उद्योग विभिन्न विपणन सुविधाओं से आय प्राप्त होती है किन्तु पर्यटन उद्योग (मौसमी रोजगार) वातावरण पर निर्भर रहने वाला उद्योग है। पर्यटन उद्योग पर्यटकों, सैलानियों के आने की संख्या पर निर्भर है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटक स्थलों को स्वच्छ रखा जाये, संरक्षित किया जाये जिससे अतिथि देवो भवः की युक्ति सार्थक हो सके।

इस प्रकार मध्यप्रदेश को लगातार तीसरी बार बेस्ट टूरिज्म स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को लगातार तीन वर्षों तक पाने वाला राज्य मध्यप्रदेश भारत देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले में आयोजित जलमहोत्सव हनुमंतिया टापू को मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट और मध्यप्रदेश पर्यटन को बेस्ट स्टेट का एडवेंचर टूरिज्म का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार निमाड क्षेत्र के पश्चिमी निमाड के खरगोन जिले को सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि निमाड क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास के लिये बहुत सी संभावनाये हैं।

वहीं दूसरी ओर मप्र राज्य में स्वादिष्ट भोजन एवं शुद्ध भोजन सामग्री

हेतु मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा खण्डवा जिले में ही मोरटक्का स्थित प्राकृतिक सौंदर्य लिये हुये गोपाल मिडवे होटल को भी बेस्ट होटल अवार्ड 2016 से नवाजा गया है। इस प्रकार निमाड क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को जीवन्त बनाये रखने हेतु प्रतिवर्ष खरगोन जिले के महेष्वर में बडे ही उल्लास के साथ निमाड उत्सव मनाया जाता है, जिससे देशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इस उत्सव का आनन्द लेते हैं। वहीं पूर्वी निमाड में स्थित बुरहानपुर जिले में 400 वर्ष पूर्ण की जल संरचना, जो जनता के पेयजल के पूर्ति के उद्देश्य से मध्यकालीन भारत के शासकों द्वारा बनाई गई थी। वर्षा के जल का संग्रहण कर सतपुडा की पहाडियों के पत्थरों से निकलकर जल को नगर तक लाया गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यदि यह धरोहर विश्व की धरोहर में सम्मिलित होती है तो यह ताजमहल के बाद ऐसी दूसरी धरोहर होगी जो विश्व धरोहर में स्थान पाएगी। इस प्रकार निमाड क्षेत्र में ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल है जहां देशी सैलानियों के साथ विदेशी सैलानी भी पहुंचते है।

अतः कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में निमाड पर्यटक स्थल के रूप में एक बेहतरीन क्षेत्र है और इन स्थलों पर और अधिक ध्यान दिया जाये, संरक्षण किया जाये, सुरक्षा पर ध्यान रखा जाये, तो निमाड क्षेत्र भारत के पर्यटक स्थल के मानचित्र पर प्रमुखता से देखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अखतर जावेद 'टूरिज्म मैनेजमेंट इन इण्डिया' आशीष पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
2. नेगी डॉ. जगमोहन 'पर्यटन मार्केटिंग एवं विकास' तक्षशील प्रकाशन नई दिल्ली।
3. समाचार पत्र-पत्रिकाये दैनिक भास्कर, नईदुनिया, पत्रिकाये।
4. पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व विभाग कार्यशील सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
5. डॉ. सी.एस. त्रिपाठी के शोध कार्य मध्यप्रदेश के निमाड क्षेत्र में पर्यटक उद्योग की विकास की संभावनाये।
6. बुरहानपुर जिलाधीश की प्रकाशित तामी तप और ताकत।

पर्यटकों की संख्या एवं मुद्रा अर्जन राशि

वर्ष	पर्यटक संख्या	वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में	राशि	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में
2013	4,76,573	2.89	53,376,1760	3.2
2014	4,91,824	3.2	55,822,0240	4.5
2015	5,23,793	6.5	59,974,2985	6.9
2016	5,64,123	7.7	66,002,3910	9.1
2017	6,04,739	7.2	72,568,6800	9.04
कुल	26,61,052		30,774,35695	
औसत	5,32,210		61,548,7139	

पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग से प्राप्त सर्वेक्षण जानकारी के अनुसार।

भू-राजस्व प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन - इंदौर जिले के संदर्भ में

डॉ. आशीष पाठक * शीतल सोलंकी **

प्रस्तावना - प्राचीन काल से ही भूमि तथा राजस्व का घनिष्ठ संबंध रहा है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के पूर्व अर्थव्यवस्था तथा व्यापार की स्थिति आज की भांति इतनी जटिल नहीं थी। मौर्यकाल, गुप्तकाल, सल्तनतकाल तथा मुगलकाल के ऐतिहासिक दस्तावेज इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। भूमि तथा मानव का रिश्ता अत्यंत संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण रहा है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है 'खाद्य' की आवश्यकता जिसकी पूर्ति वह भूमि में होने वाली कृषि के द्वारा करता है। प्राचीन हिंदू राजाओं, मुसलमान बादशाहों और अंग्रेज शासन में भूमि कर लगातार राजकीय आय में प्रमुख योगदान करता था। सन 1948 के बाद भू-राजस्व से लगभग 50% आय होती थी और जमींदारी उन्मूलन से लगान को भू-राजस्व में बदल दिया गया।

भू-राजस्व राज्य सरकार की आय का पुराना स्रोत है। जो भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राज्य सरकारों को अपनी आय का लगभग 80% इसी साधन से प्राप्त होता था। भू-राजस्व निर्धारण की वर्तमान में विभिन्न प्रणालियां हैं, जिनमें तीन प्रमुख हैं।

1. शुद्ध संपत्ति के आधार पर निर्धारण
2. शुद्ध उत्पादन के आधार पर निर्धारण
3. व्यावहारिक आधार पर निर्धारण

भू-राजस्व की आवश्यकता - भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि अर्थव्यवस्था का निष्पादन स्तर तकनीकी व संस्थागत घटकों से प्रभावित होता है। तकनीकी घटकों का संबंध मुख्यतः प्रयोज्य आगतों की सघनता और विविधता से है। जिसमें बीज, सिंचाई, उर्वरक, कृषियंत्र और पौध संरक्षण मुख्य हैं। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र के संस्थागत घटकों में भू-धारण प्रणाली, भूस्वामित्व का वितरण और कृषिगत रोजगार की संरचना सम्मिलित है। इनकी अनुकूलतायें कृषक को उपज बढ़ाने और कृषि में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। संस्थागत परिवर्तन की कोटि में एक प्रमुख आयाम भूमि सुधार ही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेलर का विचार है कि आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए कृषि कराधान की अत्यंत प्रमुख भूमिका है, क्योंकि कृषि क्षेत्र पर केवल अनिवार्य उगाही द्वारा ही आर्थिक विकास हेतु बचतों को बढ़ाया जा सकता है।

शोध का उद्देश्य - भू-राजस्व राज्य सरकार की आय का प्रमुख साधन है। देश की सुरक्षा, प्रशासन की कार्यकुशलता एवं जनकल्याणकारी कार्यों को करने के लिए राजस्व को विभिन्न योजनाओं पर सतर्कता से व्यय करना

होता है। आर्थिक विकास की सफलता वित्त की उचित और प्रभावी व्यवस्था पर ही निर्भर करती है।

प्रस्तुत शोध पत्र इंदौर जिले में भू-राजस्व की उचित प्रबंधकीय व्यवस्था और विभिन्न वित्तीय क्रियाओं की ओर जिला, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। विभिन्न आगामी योजनाएं बनाने, राजस्व प्राप्ति से संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर शोध प्रबंध के क्षेत्र में विचार के औचित्य को सार्थक करेगा।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन में इंदौर जिले के भू-राजस्व संबंधित समंको एवं जानकारियों के अंतर्गत द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है। तथा प्रस्तुत अध्ययन का आधार भू-राजस्व एवं क्षेत्र इंदौर जिले तक ही सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए पिछले 5 वर्षों के समंको ही एकत्रित किए गए हैं।

शोध परिकल्पना - आज के समय परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व बिल्कुल नगण्य सा रह गया है। तथा राजस्व पूरी मात्रा में एकत्र भी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत विषय के गहन अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का आधार लिया गया है।

1. इंदौर जिले की कृषि भूमि से प्राप्त आय प्राप्त नहीं हो रही है।
2. भू-राजस्व प्रबंधकों के कार्यों में शिथिलता रही है।

शोध व्याख्या - इंदौर जिले में लघु और सीमांत कृषकों द्वारा खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जिसकी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रमांक 1.1 से स्पष्ट है। जो इस प्रकार है

इंदौर जिले में कृषि फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन तालिका क्रमांक 1.1 वर्षों के आधार पर (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पृष्ठ पर)

इंदौर जिले में लघु और सीमांत कृषकों की फसलों का उत्पादन वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 तक और निम्नानुसार तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शाया गया है। जिसमें सभी खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन का वर्षवार अंकन किया गया है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि एवं कमी विभिन्न वर्षों में हुई है। फसलों में हो रहे लगातार वृद्धि कृषि साख-सुविधाएं बढ़ाने केन्द्र व राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का कृषकों को लाभ मिलने तथा इंदौर जिले के कृषि विभाग द्वारा कृषकों को सकारात्मक सहयोग करने एवं कृषकों द्वारा तकनीकी विधियों को अपनाने के कारण हुआ है।

फसलों के उत्पादन में विभिन्न वर्षों में हुई कमी कई कारकों पर निर्भर करती है जिन्हें मोटे तौर पर प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक व आर्थिक में

*प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

**शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार अपनी कृषि नीति के जरिए भी फसलों के ढांचे में परिवर्तन ला सकती है। एवं अन्य कारण के अंतर्गत कृषकों का परंपरावादी दृष्टिकोण कृषि पर जनसंख्या वृद्धि का बढ़ता भार, सामाजिक संगठन एवं कृषि अनुसंधान की जानकारी का अभाव है।

सुझाव - कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -

1. कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधारभूत आवश्यकता कृषि की नवीन तकनीकी के प्रयोग में वृद्धि करना है। इसका अर्थ यह है कि किसान को आधुनिक उपकरणों को व्यापक रूप से काम में लाना चाहिए।
2. कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए किसान को पर्याप्त साख-सुविधाएं उचित शर्तों पर उपलब्ध की जानी चाहिए।
3. एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि भूमि सुधार कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जिससे वास्तविक कृषक भूमि का मालिक बन सके तथा भूमि की जोत का आकार भी बहुत छोटा ना हो सके।
4. कृषि में पर्याप्त विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कृषि मूल्यों के में स्थायित्व बना रहे।
5. कृषि अनुसंधान पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए जिससे कि नए नए अनुसंधान परिणाम सामने आ सके।
6. कृषि विकास के लिए जो कार्यक्रम सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा अपनाए जाते हैं उन्हें उचित समन्वय एवं सहयोग होना चाहिए।
7. कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम किया जाना चाहिए इसके लिए देश में उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए तथा गांवों में विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. अन्य सुझाव के अंतर्गत निम्नलिखित पर ध्यान देना होगा -

- I. गहन कृषि एवं बहुफसली कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- II. भू-क्षरण एवं पौधों की रक्षा की जानी चाहिए।
- III. फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
- IV. सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष - किसी भी देश की सरकार को सफल, सुचारु एवं सुव्यवस्थित शासन शासन करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन उचित तरीके से करें। प्रशासन ही राज्य की इच्छा को साकार प्रदान करता है। परंपरागत रूप से भू-राजस्व राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत रहा है और आज भी यह कृषि भूमि पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर है। यह शुद्ध उत्पादन और सामान्य दर से सभी जोतो पर लगाया जाता है। आज के इस परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व कुल आय का नगण्य रह गया है। अतः राजस्व प्रशासन को उचित एवं व्यवहारिक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भू-राजस्व में उचित वृद्धि होने लगे और सरकार की भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं से तेजी से विकास कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय लोक प्रशासन डॉ. सुरेंद्र कटारिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 629-632, छठा संस्करण 2009
2. लोक वित्त डॉ. पवन मिश्रा एवं प्रभा मिश्रा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल प्रथम संस्करण 2013
3. मध्यप्रदेश शासन प्रो. आनंद अवरथी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2007, पृष्ठ संख्या (123 से 129)
4. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, शैलेंद्र कुमार अवरथी कटारिया लो हाउस, जबलपुर 2009
5. व्यावहारिक अर्थशास्त्र, डॉ. एस. के. सिंह एवं बालचंद्र श्रीवास्तव, साहित्य भवन पब्लिकेशंस (2012)
6. वार्षिक शासकीय प्रतिवेदन, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल केंद्रीय मंत्रालय 2014

इंदौर जिले में कृषि फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन तालिका क्रमांक 1.1 वर्षों के आधार पर (क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

फसलों के नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गेहूं	1094711	17600	115761	118062	118913
चना	40913	48560	62852	60846	65896
मसूर	61	96	158	157	223
मटर	809	794	820	755	813
आलू	21930	20425	20122	19534	22062
प्याज	2710	2747	2609	2861	3123
मिर्च	58	69	56	142	124
लहसुन	4607	4313	4086	3823	4052
धनिया	365	259	216	129	164
अन्य फल व सब्जी	2036	2387	2211	24787	27586
मूंगफली	295	257	116	251	252
सोयाबीन	223079	228176	231222	231687	228570
ज्वार	154	196	181	115	120
मक्का	4320	5317	4240	4029	5201
मूंग व मोठ	85	79	95	107	124
तुवर	590	553	488	485	680
उड़द	72	75	85	123	122
टमाटर	256	259	308	214	311
भिंडी	212	271	253	201	277
बैंगन	140	152	181	154	208
फूलगोभी	758	1284	883	969	1134
अरबी	20	25	33	72	73
कुल योग	412941	433894	446976	469503	480028

स्रोत - वार्षिक ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन भू-अभिलेख, जिला इंदौर

बैंकों की गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों (एनपीए) का प्रबन्ध (दिवाला एवं शोधन असक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) 2016 के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. मनोज महाजन *

प्रस्तावना - 1991 के आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण व विश्वव्यापीकरण की अवधारणा को भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किया गया। आर्थिक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास को तीव्र गति देने का प्रयास औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्रों में किया गया। जहाँ बैंकिंग तंत्र रिजर्व बैंक व शासकीय नीतियों के तहत प्राथमिक क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध करा रहा था, वहीं वृहद् आकार के उद्योगों को भी उदार शर्तों पर ऋण प्रदाय किए जाने लगे। कालान्तर में इन ऋणों की वसूली अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाई, फलतः ये ऋण गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों (Non Performing Assets- NPA) में परिवर्तित होने लगे। इन्हें तनावग्रस्त आस्तियों/अनर्जक सम्पत्तियों/अनुत्पादक सम्पत्तियों के नाम से भी जाना जाता रहा है।

30 जून 2017 की तिमाही की समाप्ति पर भारत के 38 बैंकों द्वारा 8,29,355 करोड़ रुपये के एनपीए घोषित किए गए हैं। 47.4 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र की टॉप 5 बैंकों का रहा है जिसमें 22.75 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का है। अन्य बैंकों को मिलाकर लगभग 70 प्रतिशत एनपीए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का रहा है। एनपीए में फंसी यह रकम देश की जीडीपी के 8.4 प्रतिशत के बराबर है। रिजर्व बैंक की आन्तरिक सलाहकार समिति ने एनपीए वाले 500 खातों की पहचान की है। जिनमें से रिजर्व बैंक ने 12 खातों को आयबीसी के तहत तत्काल कार्यवाही के योग्य पाया है। इनमें से प्रत्येक खातों में 5000 करोड़ से अधिक के ऋण बकाया है। यह स्थिति निश्चित ही बैंकिंग विकास के लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती।

रिजर्व बैंक, सरकार एवं बैंकों द्वारा इन गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों की वसूली हेतु औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरगठन बोर्ड, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993, कम्पनी ऋण पुनर्गठन यांत्रिकी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 एवं लोक अदालतों एवं पूंजीगत सहायता आदि के माध्यमों से प्रयास किये जाते रहे हैं।

किन्तु उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अभी तक किये गये प्रयास उट के मूह में जीरा ही साबित हुए हैं। दिवाला एवं शोधन असक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) 2016 के लागू होने से उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय बैंक अपने न वसूल हुए ऋणों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों से आशय - एक आस्ति (सम्पत्ति) पट्टा आस्ति सहित, जो अग्रिम के रूप में होती है, जब बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है, तो वह गैर निष्पादनकारी (Non Performing) हो जाती है।

- गैर निष्पादनकारी सम्पत्ति एक ऋण या अग्रिम है, जहाँ पर -
1. सावधि ऋण के सन्दर्भ में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अतिदेय (over due) हो चुकी है।
 2. अधिविकर्ष एवं नकद साख के सन्दर्भ में खाता अनियमित (out of order) है।
 3. क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिलों के सन्दर्भ में 90 दिन से अधिक अतिदेय होने पर बिल अतिदेय है।
 4. अल्पावधि फसलों के सन्दर्भ में मूलधन की किश्त या ब्याज दो फसलों के समय से अधिक अतिदेय होने पर
 5. दीर्घावधि फसलों के सन्दर्भ में मूलधन की किश्त या ब्याज एक फसल अर्थात् तक अतिदेय होने पर।

यदि किसी खाते में देय तिथि से 90 दिन के अन्दर मूलधन एवं ब्याज की राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं हो पाती तो बैंक को ऐसे खाते की पहचान गैर निष्पादनकारी सम्पत्ति के रूप में करना होगी।

बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 31 मार्च 2005 के निर्देशानुसार अग्रिम सम्पत्तियों को मानक सम्पत्तियों एवं गैर निष्पादनकारी सम्पत्तियों को अवमानक, संदिग्ध सम्पत्तियाँ एवं हानिप्रद सम्पत्तियों रूप में वर्गीकृत किया जाना एवं इन पर प्रावधान किया जाना अनिवार्य किया गया है।

दिवाला एवं शोधन असक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) 2016 -

परिचय - कर्ज वसूली अब केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों का सकल एनपीए उनके नेटवर्थ (पूँजी) से ज्यादा हो गया है। ऐसे में यदि बैंकों के पास पूंजी नहीं रहेगी तो निजी क्षेत्र को ऋण कैसे मिलेगा ? बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी के विकास की दर में तेजी कैसे होगी ? इसलिए सरकार द्वारा बैंकों को केवल पूंजीगत मदद देना ही पर्याप्त नहीं वरन् एनपीए वसूली पर भी शीघ्रता से कार्यवाही करना होगी।

इस दिशा में सरकार ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन कर बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2017 को 4 मई को लागू किया है। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति दी गई है कि वह कर्ज नहीं चुका पाने वाले कारोबारियों पर 'आयबीसी 2016' के तहत कार्यवाही के लिए बैंकों को निर्देश दे। नए संशोधनों के बाद बैंक को अपनी सकल पूंजी व जोखिम राशि में 8 प्रतिशत का अनुपात रखना आवश्यक होगा।

एनपीए के बढ़ते आकार एवं अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और गतिमान बनाने की दिशा में दिवाला एवं शोधन असक्षमता संहिता (Insolvency

and Bankruptcy Code) 2016 का लागू किया जाना एक बड़ा कदम है। यह कोड लोक सभा में 5 मई 2016 तथा राज्य सभा में 11 मई 2016 को पारित हुआ।

दिवाला (Insolvency) – जब किसी कारोबारी संस्था के दायित्व उसकी सम्पत्तियों से अधिक हो जाते हैं और कम्पनी/फर्म उनका भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तो दिवाला होने की स्थिति निर्मित होती है।

शोधन असक्षमता (Bankruptcy) – जब कोई कारोबारी संस्था के लिए कानूनी रूप से न्यायालय यह निर्णय दे दे कि वह देयताओं का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसे शोधन असक्षमता की श्रेणी में रखा जाएगा। संहिता (Code) अर्थात् अधिनियमों /नियमों का संग्रह जो विधान द्वारा पारित किए जा चुके हैं।

आवश्यकता एवं उद्देश्य – पूर्व में उपलब्ध विभिन्न कानूनों के माध्यम से ऋणों की वसूली पेचिदगी भरी व अत्यधिक समय लेने वाली होती थी। साथ ही अलग अलग ऋणियों से ऋण वसूली हेतु बैंकों को अलग अलग कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करना होती थी तथा समन्वय के अभाव में ऐसे बकायादार ऋणी सदैव ऋणों की समय पर अदायगी को टालते रहे हैं। मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों के दृष्टिगत आयबीसी कोड को लागू किया गया – सम्पत्तियों का निपटारा/समापन करने के पूर्व कारोबार को बचाने का प्रयास करना।

बैंकों पर एनपीए के दबाव को कम करना।

ऋण वसूली के विभिन्न कानूनों के स्थान पर एक ही संहिता के माध्यम से निपटारा करना।

घाटे में चल रही कम्पनियों/फर्मों को इस स्थिति से सरलता से उबारना।

समय सीमा निर्धारित होने से ऋणों की एीघ्रता से वसूली।

आयबीसी के लागू होने से पूर्व में प्रचलित लगभग 11 विधानों/अधिनियमों में संशोधन करना।

प्रमुख प्रावधान एवं प्रक्रिया – आयबीसी 2016 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिए निम्नलिखित चार आधार स्तंभ बनाए गए हैं –

1. इन्ट्रीम इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स [Interim Insolvency Professionals] – ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति जो कि सीए हैं तथा 10 साल का कार्य अनुभव रखता है, वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हो जाने के उपरान्त इन्ट्रीम इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये व्यक्ति देनदार व लेनदार के मध्य एजेन्सी का कार्य करेंगे अर्थात् बैंकों को अब ऋण वसूली के लिए दौड़ नहीं लगाना होगी। ये व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे कि ऐसे बकाया ऋण वाले कारोबार की सम्पत्ति का विक्रय कर ऋण वसूली की जाए अथवा उसके पुनरुत्थान की दिशा में कार्य किया जाए।

2. सूचना उपयोगिताएं [Information Utilities] – देनदार व लेनदारों के बीच के डाटा (तथ्यों/शर्तों/ऋण प्रदान करने वाली बैंक/ऋण अदायगी की प्रवृत्तियों/ठहराव आदि) को इस इलेक्ट्रॉनिक फार्म में संग्रहित किया जाएगा ताकि बकायेदार व ऋण प्रदान करने वाली बैंकों की समूचित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। इससे इन्ट्रीम इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स वसूली सम्बंधी मामलों को यथाशीघ्र निपटा सकेंगे।

3. राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण [National Company Law Tribunal - NCLT] – यदि ऋण अदायगी का चूककर्ता कोई फर्म/कॉर्पोरेट्स/कम्पनी है तो बैंक इस न्यायाधिकरण के माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकेंगे।

4. ऋण वसूली अधिकरण [Debts Recovery Tribunal] – यदि ऋण अदायगी का चूककर्ता व्यक्ति है, तो इस अधिकरण के माध्यम से बैंक मामले का निपटारा करवा सकेंगे।

5. भारतीय दिवाला एवं शोधन असक्षमता बोर्ड [Insolvency & Bankruptcy Board of India] – 01 अक्टूबर 2016 को स्थापित यह बोर्ड रेगुलेटरी संस्था के रूप में कार्य करेगा व आयबीसी के तहत की जाने वाली कार्यवाही को मॉनिटर करेगा।

दिवाला समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित व्यक्ति प्रवृत्त कर सकते हैं–

वित्तीय लेनदार - [Financial Creditors] – अर्थात् ऐसे बैंक अथवा वित्तीय संस्थाए जो टर्म लोन/वर्किंग कैपिटल लोन बैंक गारन्टी / ओवरड्राफ्ट्स/फण्ड बेस लिमिट आदि उत्पाद प्रदाय करते हैं।

प्रचालन लेनदार - [Operational Creditors] – वस्तुओं और सेवाओं को प्रदाय करने पर बकाया राशि प्राप्त न करने वाले प्रदायकर्ता। इसी प्रकार शासन की देयताएं, व्यापारिक लेनदार, कर्मचारियों का बकाया वेतन आदि को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

कॉर्पोरेट्स देनदार - [Corporate Debtors] – फर्म का स्वामी/स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति जिन्हें यह महसूस हो कि उन्होंने गलत व्यवसाय में पैसा लगाया है तथा वे न्यूनतम एक लाख रुपये की राशि तक के डिफाल्टर हैं तो वे स्वयं भी इस कोड को लागू करवा सकते हैं ताकि वे इस प्रक्रिया से आसानी से स्वेच्छक परिसमापन करवा कर नया व्यवसाय स्थापित कर सकें। कारपोरेट्स देनदारों के लिए यह प्रक्रिया दिवाला समाधान एवं परिसमापन के रूप में निम्नानुसार सम्पन्न होगी –

प्रथम चरण - दिवाला समाधान प्रक्रिया [Insolvency Resolution Process]

1. आय.आर.पी की तैयारी – अर्थात् ऋणदाता बैंक एनसीएलटी में आवेदन देंगे। एनसीएलटी के पास 14 दिनों का समय होगा कि वो आवेदन को स्वीकार करे या न करे।

2. इन्ट्रीम इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति – इसकी नियुक्ति एनसीएलटी के द्वारा की जावेगी। व्यवहार में इन्हें आयपी के नाम से जाना जाता है। नियुक्ति उपरान्त यह कारोबारी संस्था के प्रबन्ध को टेकओवर कर लेगा। यह अपने हिसाब से कारोबारी संस्था को चलाने में सक्षम होगा। यह संभावनाएं तलाश करेगा कि संस्था को कैसे और क्या लाभ पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

3. शून्य/शांति का समय – आयपी को यदि नियुक्त कर दिया है तो कोई भी ऋण वसूली की प्रोसेस/कोर्ट/ज्यूरी या सम्पत्तियों के क्रय हस्तांतरण सम्बंधी कोई भी कार्यवाही नहीं की जावेगी अर्थात् आयपी को पूरी छुट दी जाएगी कि वह बिना किसी बाधा के अपना कार्य कर सके।

4. क्रेडिटर्स कमेटी एवं रिवाईवल प्लान – ऋण देने वाले बैंक एक से अधिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस बैंक का लोन योगदान अधिक होगा वह ऋण देने वाले बैंकों की एक कमेटी बनाएगा। इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स द्वारा जो रिवाईवल प्लान बनाया जावेगा उसे कमेटी अनुमोदित करेगी। इस अनुमोदन के लिए 75 प्रतिशत वोटिंग की आवश्यकता होगी। लिक्विडेशन या रिवाईवल प्लान 180 दिनों में हो जाना चाहिए। इस हेतु 90 दिन का विस्तार दिया जा सकता है अर्थात् 270 दिनों में तो रिवाईवल होना ही चाहिए।

यदि कम्पनी छोटे आकार की है तो यह प्रक्रिया 90 दिन में व 45 दिनों

के विस्तार के साथ कुल 135 दिनों में रिवाइवल होना ही चाहिए। इस प्रकार उक्त दिनों में वांछित कार्यवाही होने पर बैंक को अपनी बकाया राशि समय पर प्राप्त हो सकेगी।

द्वितीय चरण - परिसमापन [Liquidation] - कमेटी की वोटिंग के बाद आवश्यकता होने पर ऋणी की सम्पत्तियों का विक्रय कर राशि वसूल कर ली जावेगी एवं प्राथमिकता के क्रम में देयताओं में बाँट दी जावेगी। यदि उल्लेखित समय सीमा में निपटारा नहीं हुआ तो स्वतः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। चूककर्ता ऋणी यदि समाधान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे तो बैंक या क्रेडिटर्स चाहे वे सिक्वोर्ड हो या अनसिक्वोर्ड अगर प्रभावित होते हैं तो वे एनसीएलटी में शिकायत कर सकेंगे और ऐसी स्थिति में भी लिक्विडेशन की कार्यवाही की जा सकेगी। कम्पनी अधिनियम 1956 में संशोधन कर देयताओं का प्राथमिकता का क्रम इस कोड में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है - 1. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया एवं परिसमापन की लागत 2. 24 माह तक का कामगारों का बकाया 3. कर्मचारियों के 12 माह तक के वेतन एवं अन्य बकाया 4. अनसिक्वोर्ड फॉयनांशियल क्रेडिटर्स 5. सिक्वोर्ड क्रेडिटर्स 6. सरकारी बकाया 2 वर्ष तक का 7. शेयर धारक।

एनपीए वसूली हेतु पूर्व में प्रचलित कानूनों एवं प्रविधियों के दोषों को दूर करने एवं तीव्र वसूली के उद्देश्य से आयबीसी की प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया गया है एवं समयावधि में प्रकरणों के निपटान हेतु उल्लेखित प्रावधान किये गये हैं।

उपसंहार - राष्ट्र की वित्तीय बचतों की 60 प्रतिशत से अधिक राशि बैंकों के पास निवेशित होती है। बैंक इस निवेशित राशि को ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के रूप में वितरित करते हैं। इस आशय में भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अहम भूमिका रही है। किन्तु इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज भी सार्वजनिक क्षेत्र की समग्र बैंक एनपीए की समस्या

से जूझ रही है एवं इसके स्थायी समाधान की प्रतीक्षा में है। 'इन्सालर्वेसी एण्ड बैंकरप्सी कोड 2016' के क्रियान्वयन से उचित साख मूल्यांकन एवं एकीकृत जोखिम प्रबन्धन की वैज्ञानिक प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से ही इसे न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। श्री पी.पी चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एण्ड जस्टिस/कार्पोरेट अफेयर्स द्वारा दिसम्बर 19 2017 को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब अनुसार आयबीसी 2016 के लागू होने के पश्चात् 01 दिसम्बर 2016 तक 2434 नवीन प्रकरण एनसीएलटी में दाखिल हो चुके हैं तथा विभिन्न हाईकोर्ट से कम्पनी समापन के 2304 प्रकरण एनसीएलटी में हस्तांतरित हो चुके हैं। इन सभी में से 2750 प्रकरणों का निपटारा हो चुका है। 30 नवम्बर 2017 तक 1988 प्रकरण विचाराधीन रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा इस तिथि तक 36.93 करोड़ रुपये एनसीएलटी के माध्यम से वसूल किए जा चुके हैं व इस राशि से 2.89 करोड़ रुपये आय के रूप में सृजित किए जा चुके हैं। आयबीसी कोड 2016 लागू होने के ये शुभ संकेत हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का राजपत्र 28 मई 2016
2. डॉ. जैसल आर. बी : बैंकिंग विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन 2010
3. दिवाला एवं शोधन असक्षता कोड 2016 - दिवाला समाधान आईसीएसआई आईपीए का प्रकाशन
3. The quarterly journal of Indian institute of finance.
4. Journal of Indian institute of Bankers.
5. Economic Times, E-Naiduniya
6. IBA Bulletin [Indian Banking Association]
7. Report on Trend & Progress of Banking in India [RBI]
8. www.india.com
9. www.rbi.org.in>publication.

ग्रामीण बैंकों के माध्यम से रोजगार एवं साख की पूर्ति - एक अध्ययन (बड़वानी जिले के संदर्भ में)

ज्योति भरडे * डॉ. सपना सोनी **

प्रस्तावना - भारत समाज का मूल चरित्र ग्रामीण परिवेश है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मूलतः ग्रामीण विकास पर आश्रित है। भारत की जनसंख्या का 75 भाग आज भी गाँवों में निवास करते हैं। गाँवों की प्रगति एवं आर्थिक विकास पर बहुत हद तक भारत का भविष्य निर्भर है, लेकिन यह कटु सत्य है कि भारत के गाँवों की दशा बहुत दयनीय है, भारतीय गाँव आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यह भी सत्य है कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, किंतु इससे भी ज्यादा जरूरी है गाँवों का विकास, ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों के विकास से ही संभव हो सकता है।

ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से अनेकों समाज कल्याण एवं ग्रामोत्थान की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, लेकिन आज भी गाँवों की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति में आशा अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकांशतः ग्रामीण जनता की जिंदगी सोचनीय बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी ऐसी स्थिति में है, जिसे दोनो समय पेटभर भोजन भी नसीब नहीं होता है। भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी-रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि कृषि यहाँ रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य साधन है, लेकिन निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भी देश की रोजगार संबंधी आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थ है, जिसके कारण देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी की एक गंभीर समस्या बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने एवं रोजगार हेतु कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित किए जाने हेतु प्रेरित करना अव्यंत ही आवश्यक हो गया है। इस हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वरोजगार/रोजगार योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में बड़वानी जिले में बेरोजगारी की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य - ग्रामीण बैंकों के माध्यम से बेरोजगार की स्थिति का पता लगाना तथा साख की पूर्ति की स्थिति का पता लगाकर समस्याएँ एवं सुझाव देना।

शोध विधि - शोध पत्र में प्राथमिक तथा द्वितीयक संमकों का उपयोग किया गया है, जो स्वयं संकलित तथा विभिन्न प्रकाशित स्रोतों के माध्यम से लिये गये हैं।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ -

1. हितग्राहियों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव हुए हैं।

2. हितग्राहियों के जीवन स्तर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

भारतीय आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साख की माँग की पूर्ति एवं संचय में अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार की आर्थिक अंतर संरचना प्रदान की गई है, ताकि वे केवल लाभ कमाने वाली संस्थायें न होकर आर्थिक विकास में सहयोग करने वाली संस्थायें हों। इस दृष्टि से बैंकों को वर्तमान कार्य-प्रणाली तक विकसित किया गया है। परम्परागत संस्थागत साख व्यवस्था वर्तमान ग्रामीण परिक्षेत्र के पूर्णतः अनुकूल नहीं थी फलतः वहाँ की साख पूर्ति के लिए गये प्रयास साख विस्तार की गहनता को प्रभावित नहीं कर पाये। वर्तमान समय एवं उपयुक्त बनाने के लिए नयी-नयी पद्धतियों का विकास किया गया है, जिनके माध्यम से सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास की संकल्पना को प्रतिमूर्ति स्वरूप प्रदान किये जाने की संभावना है। ग्रामीण समाज को साहूकारी शिंका से मुक्ति दिलाने, वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की लागत को कम करने, स्थानीय कार्यदशाओं के अनुरूप स्थानीय वर्ग से कार्य लेना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का उपयुक्त एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने एवं भारतीय अर्थतंत्र की शोषण रहित सामाजिकरण की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पूर्व तक ग्रामीण बैंको की भूमिका एक मित्र, मार्गदर्शक तथा हितेषि के रूप महसूस की गई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों में साख एवं तत्त्व संबंधी सुविधायें प्रदान करने के जो प्रयास किये गये उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साख परिचालन व्यवस्था अत्यंत गंभीर है। इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए लघु-कृषकों कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण शिल्पियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित कर साख सम्बन्धी सुविधाओं को स्फीकृत किया गया।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति संगठित एवं असंगठित दोनों वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हो रही है। संगठित क्षेत्र में विभिन्न बैंक तथा असंगठित क्षेत्र में देशी साहूकार तथा महाजन सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महाजनों तथा साहूकारों के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग का आर्थिक, सामाजिक व नैतिक शोषण से मुक्ति दिलाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण समझी गयी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को स्वयं का उद्योग, व्यवसाय चलाने हेतु ऋण व्यवस्था कराने एवं असंतुलित क्षेत्रीय वितरण को समाप्त करने हेतु भी इस बैंक को स्थापित किया जाना आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की लाभदायकता कम होने का प्रमुख

कारण साख-अंतराल रहा है। जब उद्योगों के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वे पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत अधिक आती है, अतः इस साख अंतराल को पूरा करने का दायित्व भी इस बैंक को दिया गया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक उन्नत तकनीक के प्रयोग तथा उत्पादन अभिवृद्धि हेतु धन की व्यवस्था ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सुगम बनाने के प्रयास किये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचतों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से प्राप्त बचतों को संगठित कर उन्हें लाभपूर्ण कार्यों में पुनर्विनियोजित करने की महत्वपूर्ण पहल की गयी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का विद्वहन हुआ था। इनकी स्थापना से ग्रामीण अंचलों में सामान्य बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज का सर्वांगीण विकास कर उसे आर्थिक उपार्जन कार्यों में संलग्न करना है, ताकि सामाजिक उन्नयन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, एवं साख प्रदाय के संस्थागत ढाँचे में ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि स्थानीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थानीय लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। विशेष रूप से कमजोर वर्ग के मजदूर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान करेंगे जिससे स्थानीय जनसंख्या की आय में वृद्धि होकर क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके।

भारत सरकार ने प्रारंभ में 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया, जिसमें से सर्वप्रथम पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुभारंभ अक्टूबर 1975 को किया गया जो निम्न है -

प्रथम पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

1. मुरादाबाद क्षेत्रीय बैंक
2. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी
4. जयपुर-ऑचलिक ग्रामीण बैंक जयपुर
5. गार ग्रामीण बैंक मालदा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मध्यप्रदेश में जन्म लिए लगभग चार दशक बीत चुके हैं। मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम होशंगाबाद में सन 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी।

बड़वानी जिले में सर्वप्रथम सेंधवा तहसिल के अंतर्गत ग्राम धनोरा में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1983 में की गई। वर्तमान में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की कुल 20 शाखाएँ जिले में कार्यरत हैं।

बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1385881 है जिसमें पुरुषों की संख्या 699340 तथा महिलाओं की संख्या 686541 है। जिले कि यदि बात कि जाए तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगारी लगभग 50 प्रतिशत है।

सकारात्मक प्रभाव - ग्रामीण बैंक के माध्यम से आम जनता के जीवन स्तर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान में सरकार द्वारा रोजगार पूर्ति के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लेने में ग्रामीण बैंक अपना अमूल्य योगदान दे रही है। रोजगार पूर्ति में विभिन्न योजनाओं द्वारा हितग्राही लाभ प्राप्त कर अपना जीवन सूचारु रूप से व्यतित कर पाने में सक्षम हुआ है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना एवं विकास गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि भारत के उन गाम्य प्रधान में ग्रामीण बैंकों को आशातीत

सफलता मिली, यहाँ की जनता अशिक्षा के कारण बैंकिंग प्रणाली अनभिज्ञ थी। बैंक ने ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को योगदान प्रदान किया, बल्कि उन्हें अद्यतल विकास प्रणाली में सहभागी बनाने में भी सहयोग दिया है। ग्रामीण जनता के सार्थक बचत अभिवृद्धि विकसित कर सफलता के नये आयाम स्थापित किये हैं।

वर्तमान समय में बैंक वित्तीय प्रतिनिधि तथा व्यवस्थापक का कार्य करते हैं, कृषि व्यापार तथा उद्योग के लिये यथोचित मात्रा में पूँजी की व्यवस्था करते हैं, समाज की बचतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित कर उन्हें उपयोगी क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं। बैंक आर्थिक शरिर में रक्त वाहिनियों की भाँति कार्य करते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ तथा सबल बनाने में अधिकाधिक भागीदार रहते हैं। अतः इस युग में बैंक हीन समाज अर्थतंत्र की कल्पना ही असहाय एवं अव्यावहारिक है।

समस्याएँ -

1. हितग्राही द्वारा समय पर बैंक औपचारिकलाएँ पूर्ण न करना मुख्य बाधा है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीणजन बैंकिंग व्यवहारों से वंचित रह जाते हैं, अर्थात् बैंक से ऋण एवं अग्रिम नहीं ले पाते हैं।
2. हितग्राहियों को बैंकिंग व्यवहार करते समय जमानत की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। बैंक अनेक अवसरों पर जमानत के अभाव में ऋण प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। जिसके कारण विभिन्न हितग्राहि बैंकिंग व्यवहारों से वंचित रह जाते हैं।
3. हितग्राहियों के समक्ष बैंक द्वारा उपयुक्त समय पर ऋण प्रदान नहीं कर पाना भी एक समस्या है। ऋण एवं अग्रिम की जटिल प्रक्रिया के कारण बैंकों में समय लगता है, जिससे उनके द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो पाता है।
4. ग्रामीण हितग्राहियों का अशिक्षित होना भी ऋण प्राप्ति में मुख्य बाँधा होती है, जिसके कारण वह बैंक की औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है।
5. हितग्राहियों की कार्य योजना का उचित एवं समय पर मूल्यकानन न हो पाना भी एक वृहत समस्या है।
6. हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेते समय बैंकिंग कर्मचारियों के ग्रामीण परिवेश एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप वहाँ प्रशिक्षित नहीं किया जाता, जिससे कार्यक्षेत्र से उनका उचित सामंजस्य नहीं हो पाता है।

सामाधान -

1. जिले में प्रत्येक योजना अंतर्गत जिला अध्यक्ष ने मांनिटरिंग कमेटी को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो कठिनाइयों का निराकरण करने में अधिक समक्ष है।
2. ग्रामीण हितग्राहियों को बैंकिंग व्यवहार एवं कार्यप्रणाली से अवगत करवाना चाहिए, ताकि उन्हें बैंकिंग व्यवहार करते समय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
3. बैंक को ग्रामीण हितग्राहियों की परिस्थितियों एवं ज्ञान के अनुरूप ऋण की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए, ताकि हितग्राहियों को बैंक से व्यवहार करते समय अत्यधिक परेशानी न हो।
4. ऋण स्वीकृति शाखा स्तर पर ही प्रदान की जानी अधिक उपयुक्त एवं संगत है इससे ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में कर सकते हैं।
5. बैंक द्वारा हितग्राहियों की कार्य योजना का उचित एवं समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्यों के प्रति सजग रहे।

6. बैंक को अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्य करने हेतु ग्रामीण परिवेश के अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने की भी आवश्यकता है ताकि बैंकिंग व्यवहार परिवेश के अनुकूल संभव हो सके, जिससे अधिक संख्या में ग्रामीण हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष – जिले में रोजगार की काफी आवश्यकता है क्योंकि यहाँ बेरोजगारों की संख्या अधिक है। जीवन रहने के लिए रोजगार उतना ही आवश्यक है जितना एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी। जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलना अति आवश्यक है। रोजगार के अभाव में न सिर्फ अशिक्षित बेरोजगार बल्कि शिक्षित बेरोजगारी भी पलायन करने लगे हैं। वर्तमान समय में सुधार हेतु स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर इस स्थिति को रोका जा

सकता है। इसमें से प्रत्येक को किसी न किसी स्तर पर अपना जीवनयापन करने के लिए जीविकोपार्जन का साधन चुनना पड़ता है। व्यापार का क्षेत्र स्वरोजगार तथा सवेतन रोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आज स्वरोजगार बेरोजगारी दूर करने का एक अति उत्तम विकल्प है। जिससे देश की उन्नति भी संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकीय कार्यालय बड़वानी।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियाँ – डॉ जी पी यादव।
3. Google
4. समाचार पत्र।

कृषि विकास की चुनौतियाँ

डॉ. कृष्ण कुमार साकेत *

प्रस्तावना – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रही है। अतः यह कहना समाचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही देश का विकास व सम्पन्नता निर्भर है। भारत की खाद्य, पोषण और अजीविका सुरक्षा के लिए कृषि आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। पिछले दो दशक से किसानों को फसलों की उपज में आए ठहराव, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, कृषि मर्दों की बढ़ती कीमते और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा किसान घटती उत्पादकता 'आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी की कमी' फसल विविधिकरण की कमी और खेती से कम मुनाफा आदि का सामना कर रहे हैं। साथ ही अनुकूल बाजार परिस्थितियों की कमी, प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य अभाव उचित खरीदी व्यवस्था का अभाव तथा उत्पादन के लिए सरल ऋण प्रक्रिया का अभाव उचित भंडारण व्यवस्था की कमी एवं कटाई उपरांत उपर्युक्त प्रसंस्कर तकनीकी व उन्नत मशीनों का अभाव आदि कारक भी फसलों के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। समाजिक आर्थिक कारण भी फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खेती में प्रयोग होने वाले महंगे रासायनिक उर्वरक कीटनाशक व उन्नतशील संकर बीज की खरीद उनकी पहुँच से बाहर होती है। ये सभी समस्याएँ कृषि विकास के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जो कृषि विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रांची में भारतीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान भी खोला गया है। इसके अलावा के शिक्षा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय व झारखण्ड के हजारी बाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। गत वर्ष मौसम की मार ने किसानों को बेहाल कर दिया था। मानसून के बिगड़ने का सीधा असर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिससे कृषकों को अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो पाती। मौसम के इस तरह के बदलावों से खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भरता प्रभावित हो सकती है। इसकी वजह से पैदा हुई भयानक भुखमरी, कुपोषण, सूखा, फसलों की बर्बादी, आकाल, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा और मानसिक तनाव दुनिया के लिए अशांति और असुरक्षा की वजह बन जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन व अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए मृदा और जल जैसे संसाधनों का संरक्षण चिंता का विषय है। वर्तमान कृषि व्यवस्था में कृषि

उत्पादन को अधिकतम करने, कृषि से होने वाली आय को बढ़ाने तथा जैविक और अजैविक दबावों के समाधान की आवश्यकता है ताकि किसानों को उत्साह कृषि में बना रहे। कृषि विकास के लिए निम्न प्रकार के उपायों की आवश्यकता है।

1. घटती जैव विविधता – पारम्परिक खेती में कई तरह के मोटे अनाज दलहन तिलहन आदि की खेती के साथ पशुपालन व खेत में वृक्ष आदि से जैव विविधता के सारे लाभ खेती में मिलते थे किन्तु हरित क्रान्ति में सिर्फ कुछ फसलें और उनकी भी कुछ चयनित प्रजातियों के ही लगातार प्रयोग से पशुओं को खेती से अलग कर ट्रेक्टर के अधिकाधिक प्रयोग से न केवल जैव विविधता खतरनाक स्तर तक कम हुई है साथ ही इस कमी के कारण पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में बाधा रोग-कीटों का बढ़ना, मृदा आदि, सभी आदानों के लिए दूसरो पर निर्भर होना आदि समस्याएँ बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में उतार-चढ़ाव से उत्पादन में भारी कमी महसूस होगी तथा वर्षा या तपमान के थोड़े से उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन में भारी कमी होने की संभावना बढ़ेगी। खेती में सभी स्थानीय फसलों को फसल-चक्र में संरक्षित करना होगा पशुपालन को खेती का अभिन्न अंग बनाना होगा। खेत में फलदार या अन्य उपयोगी वृक्षों की संख्या न्यूनतम स्तर पर अवश्य बनाये रखनी होगी। कीटों व भूमि के लाभदायक सूक्ष्म जीवों एवं पक्षियों जैसे – ट्राइकोडामो, राइजोबियम, पीएसबी, केचुआ, आदि का संरक्षण करना होगा।

2. बीज शोधन एवं कीट प्रबंधन – फसलों की वृद्धि एवं विकास के दौरान रोग एवं कीटों के प्रभाव से सार्वधिक क्षति होती है। प्रायः रोग कीट का प्रकोप समय से प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान न होने से अत्याधिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जैव बीज शोधन जैसे – ट्राइकोडामा, राइजोबियम कल्चर, एजोस्पइरिलम, एजेटोवेक्टर आदि के प्रयोग करने से जमाव में वृद्धि के साथ-साथ रोगों से बचाव होता है। फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन भी होता है।

3. संविदा एवं बटाउ खेती से भूमि की घटती उत्पादकता – संविदा खेती में किसी कम्पनी के साथ अनुबंध के तहत एक या दो फसलों का ही लगातार उत्पादन किया जाता है। बटाउ खेती में बड़े किसान या शहर के धनी लोग जिनकी गाँवों में खेती की जमीन है, वे भूमिहीन किसानों को उपज के हिस्सेदारी के आधार पर 2-5 वर्ष के लिए भूमि खेती के लिए दे देते हैं। कृषक को उस भूमि से कोई लगाव नहीं होता है। अतः थोड़े समय में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है। इस के लिए उर्वरक, पानी, कीटनाशक का अधिक प्रयोग करने से ये भूमि लगभग बंजर हो जाती है। इस प्रकार संविदा खेती या बटाउ खेती दोनों में ही भूमि का मशीन की तरह

उपयोग करने से कुछ समय तो लाभ ही लाभ मिलता है किन्तु बाद में बंजर भूमि अंतिम उपाय रह जाता है। संविदा खेती भी अधूरे या भ्रमित ज्ञान के कारण कुछ वर्षा बाद पश्चाताप का कारण बन रही है। इसके लिए सामाजिक चेतना व कानूनी उपाय तो करते ही होंगे साथ ही व्यवसाय के लिए भ्रामक प्रचार करने वाली संस्थाओं से बचने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को कृषकों से लगातार संवाद रखना होगा।

4. स्थायी जल प्रबन्धन - एक तरफ संकर बीज व रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से जल की माँग बढ़ है। दूसरी ओर नदियों, तलाबों व भू-जल स्रोतों में उपलब्ध जल में तेजी से कमी होती जा रही है। कई नहरी क्षेत्र चावल, गन्नों को छोड़ किसानों ने ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोना भी शुरू कर दिया है। भूमि व कृषि की उत्पादकता जल से अधिक उपयोग से कम हुई कम ही हुई है। अतः यही उचित समय है कि फसल चक्र जैविक खादों के प्रयोग व सिंचाई के अच्छे तरीके जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप ; बूढ़-बूढ़ (टपक) सिंचाई विधि से जल की बचत की जाए तथा वर्षा जल संरक्षण के उपाय जैसे एनीकट, कंटूरबंध, नलकूप पुर्नभरण आदि तक तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

5. समय से जुताई - बुवाई - फसलों की बुवाई या रोपाई समय पर करने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। फसलें विलंब से बोए जाने के कारण उत्पादन देने में समर्थ नहीं हो पाती। जैसे धान की रापाई जुलाई के प्रथम पक्ष में एवं गेहूँ की बुवाई नवम्बर के प्रथम पक्ष में पूर्ण कर ली जाए तो प्रजाति अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादकता देती है, जिसके बारे में प्रशिक्षण देकर किसानों को जागरूक करना चाहिए।

6. जोत का छोटा होना व शहरीकरण - बढ़ते परिवार या बढ़ते शहरीकरण के कारण जोत का आकार छोटा हो रहा है या अच्छी कृषि भूमि विकास के नाम पर औद्योगीकरण के लिए अधिग्रहण की जा रही। दोनों ही कारणों से लाभदायक खेती योग्य भूमि तेजी से कम हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, साथ ही कानून या जनजाग्रति से यह तय किया जाए कि सिर्फ कृषि अयोग्य भूमि ही शहरीकरण या व्यवसाय के लिए प्रयोग की अनुमति हो

7. जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव - जलवायु परिवर्तन भी हमारे अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व दुरुपयोग से तेजी के कारण

बढ़ती एक चुनौती है, जो मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकती है। खेती चूक खले आसमान के नीचे होने वाला प्रकृति पर निर्भर व्यावसाय है। अतः जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले तापमान व वर्षा की अनिश्चितता का सबसे अधिक परिवर्तन का असर खेती पर ही होगा। संकर बीज उर्वरक का उपयोग इस प्रभाव को और बढ़ा देगा। स्थानीय प्रजातियों पशुओं का संरक्षण व उनका उपयोग किया जाए ताकि अनिश्चितता का प्रभाव एकल फसल की अपेक्षा कम हो।

8. पोषक तत्व प्रबन्ध - पोषक तत्व प्रबन्ध मिट्टी की जांचोपरांत करना चाहिए मिट्टी के कणों के पोषक तत्वों हेतु कार्बनिक रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना अति आवश्यक है। इस के अलावा खेत में तैयार कम्पोस्ट खाद, फसलों के अवशेष, हरी खाद हरी पत्तियों से निर्मित खाद, राइजोबियम, एजेटोवेक्टर, नील हरित शैवाल द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।

9. अकुशल विकास एजेन्सी व प्रशासनिक ढाँचा - भारत में कृषि विकास हेतु जो विकास एजेन्सियाँ अपनी कुशलता प्रदर्शित नहीं कर सकी हैं तथा विकास के अनुरूप कार्य करने में अक्षम सिद्ध हुई हैं। यहाँ प्रशासनिक ढाँचा बहुत कमजोर तथा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इस सबके परिणामस्वरूप देश में कृषि उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है। इस के लिए सरकार को अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार से कृषि की चुनौतियों को दूर कर के कृषि विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार डॉ. वीरिन्द्र, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, मार्च 2016, प्रकाशक, ए विंग गेट 5, निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली 110011। पृष्ठ-19
2. मोदी अनीता, योजना मासिक पत्रिका, जनवरी 2011, प्रकाशक, योजना भवन संसद मार्ग नई दिल्ली 110011। पृष्ठ-44
3. गोयल डॉ. अनुपम, भारतीय अर्थव्यवस्था, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, प्रकाशक, खजूरी बाजार, इन्दौर। पृष्ठ-96
4. www.kisansuvidha.com

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता, शासकीय योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन

डॉ. एन. एल. गुप्ता * जयराम बघेल **

प्रस्तावना - विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया में शामिल भारत ने स्वाधीन होते ही योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध आर्थिक विकास की राह पर अपने कदम बढ़ाए। विकास की धारा में हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएँ लागू की। सरकार की योजनाओं के विकास कार्यक्रमों के चलते ग्रामीण विकास की तस्वीर बदली है। सरकार ग्रामों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की प्रतिबद्धता के कारण ही आज वर्तमान में ग्रामों के आर्थिक विकास में बदलाव आया है। जिसका प्रमुख कारण विकास परियोजनाएँ हैं। निःसंदेह यह विकास परियोजनाओं का ही चमत्कार है, जिससे ग्रामीण जहाँ बैलगाड़ी से 50 कि.मी. दूर अपनी फसल बेचने जाते थे। वह मानसूनी वर्ष के चक्रवात में फसल अपनी आधी फसल से ही समझौता कर लेते थे। परन्तु आज नये उन्नत साधनों से फसल को बचा लेते हैं। आर्थिक दशा के इस बदलाव में विकास परियोजनाओं का योगदान स्पष्ट परिलक्षित होता है। विभिन्न परियोजनाओं में शासकीय योजना 'विशेष केन्द्रीय सहायता' जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ।

शोध-उद्देश्य -

1. विशेष केन्द्रीय सहायता योजना का परिचय एवं वस्तुस्थिति को जानना।
2. योजना में प्राप्त आय-व्यय का विश्लेषण करना
3. इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना -

1. बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से लाभान्वित जनजाति वर्ग के आर्थिक जीवन में बदलाव आया है।
2. जिले में योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के संमकों का उपयोग किया गया है तथा अवलोकन विधि से निष्कर्ष निकाले गए हैं।

महत्व - 'बिना वित्त जीवन रिक्त' की कहावत से स्पष्ट है कि जीवन जीने हेतु जैसे रक्त की आवश्यकता होती है। वैसे ही बिना वित्त के आर्थिक जीवन ही रिक्त है। प्रस्तुत शोध से योजनाओं के औचित्य का पता चलता है तथा वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में योजनाओं के ढाँचों में बदलाव हेतु सहायता प्राप्त होगी।

सीमाएँ - प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र जिला बड़वानी रहा है। योजना में लाभान्वित हित ग्राहियों का अध्ययन है।

विशेष केन्द्रीय सहायता उप योजना का परिचय - आर्थिक एवं सामाजिक

कल्याण से सम्बंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सर्वोत्तम क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के समक्ष संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में जनजातीय उपयोजनाओं के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है। वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ की गयी इस सहायता को विशेष केन्द्रीय सहायता का नाम दिया गया। भारत सरकार के जनजाती संबंधी मंत्रालय के द्वारा जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub Plan) के माध्यम से देश, राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को जनजाति विकास हेतु किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुदान राशि प्रदाय की जाती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता देश के अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली अतिरिक्त सहायता है जो इस वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को सुधारने में सहायक हो सके।

प्राथमिकताएँ - विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति वर्ग के लिये प्राथमिकताएँ हैं-

1. कृषि उद्यानिकी को प्राथमिकता -
 - (क) भूमि विस्तार के लिए सेवाएँ प्रदान करना।
 - (ख) कृषकों के लिये प्रशिक्षण सह-प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन।
 - (ग) रासायनिक उर्वरकों, बीजो एवं कीटनाशकों तथा दवाईयों का वितरण।
 - (घ) फल एवं सब्जियों का पौधारोपण।
 - (ङ) फल विपणन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - (ज) लघु रोपणी एवं बीज फार्म को प्राथमिकता।
2. जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण को प्राथमिकता-
 - (क) चैक डेम, नलकूप डायवर्सन चैनल, वाटर हार्वेस्टिंग ढाँचा तैयार कराना।
 - (ख) कुँए नलकूप सिंचाई पंप तथा कृषि तालाबों हेतु सहायता देना।
3. पुशपालन-
 - (क) दुधारू पशु, कुकुकट, भेड़ बकरी, बतख आदि प्रदाय करना।
 - (ख) दुग्ध तथा मुर्गीपालन सहकारी समितियों को सहायता करना।
4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सामुदायिकता पर आधारित परिवार मूलक आर्थिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करना शामिल है।
5. वन एवं वन ग्राम-

* प्राचार्य, श.भी.ना.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, श.भी.ना.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

- (क) लघु वनोपज का पौधारोपण एवं जड़ी बूटियों का संग्रहीकरण करना।
 (ख) लघु वनोपज समितियों को लघु वनोपज के संग्रहण, एकत्रीकरण एवं प्रोसेसिंग हेतु अनुदान प्रदान करना।
6. उद्यमिता विकास-
 (क) लघु एवं कुटीर उद्योगो धंधो को पूर्ण करने के लिए अनुदान देना।
 (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से आदिवासियों की सहायता करना।
7. महिलाओं के लिए प्राथमिकताएँ-
 (क) स्वयं सहायता समूहों का सुदृढीकरण और गठन करना।
 (ख) आय में वृद्धि करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए

महिलाओं को समूचित प्रशिक्षण देना।
 बड़वानी जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता में आबंटन-व्यय एवं लाभान्वित हितग्राही व कार्य की स्थिति (राशि लाख में) **(तालिका देखें)**
निष्कर्ष - अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि योजना का लाभ हजारों जनजाति परिवारों को लाभ मिला है एवं प्रशासन द्वारा भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर योजना को लागू किया गया है। लाभान्वित परिवारों के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. कार्यालय परियोजना प्रशासक बड़वानी जिला-बड़वानी।
2. मार्गदर्शिका आदिवासी विकास विभाग भोपाल म. प्र.।
3. प्रतिवेदन राज्य योजना आयोग।

क्र.	वर्ष	कुल आबंटन	कुल व्यय	कुल राशि का	हितग्राही की संख्या
1	2005-06	452.54	452.54	100.00	10445
2	2006-07	566.30	566.12	99.97	3473
3	2007-08	542.80	542.49	99.96	2424
4	2008-09	618.61	618.61	100	3180
5	2009-10	402.27	402.27	100	2044
6	2010-11	592.84	592.84	100	3718

उल्लेखित अवधि में कुल 25204 हितग्राहियों को लाभ हुआ है।

जैव विविधता और आर्थिक विकास

डॉ. दयाराम साहू*

प्रस्तावना - जैव विविधता का नष्ट होना एक वैश्विक नीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ है और इस तरह वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। विश्व के 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जैव विविधता का नष्ट होना उनके लिए वर्तमान और भविष्य के लिए परेशानी का कारण बन गया है। ग्रामीण लोग प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चिकित्सा और परिवहन के रूप में जैविक संसाधनों पर निर्भर हैं। 3 अरब से ज्यादा लोगों को समुद्री और तटीय जैव विविधता पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि अधिक से अधिक 16 अरब जंगलों और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादक पर उनकी आजीविका के लिए निर्भर है इसके अतिरिक्त बाँस और जैव विविधता के नुकसान की गिरावट 1 अरब से अधिक शुष्क भूमि में रहने वाले लोगों के लिए समस्या है।

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) के अनुसार- आनुवंशिक संसाधनों से ली गई दवाईयों के वैश्विक बाजार मूल्य 75 अरब अमेरिकी डॉलर से 150 अरब डॉलर सालाना आय का अनुमान है इसके अतिरिक्त विश्व की आबादी का 75 प्रतिशत स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पारम्परिक औषधियों, जो सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जिन पर निर्भर रहना पड़ता है। सम्पन्न विविधता मानव गतिविधियों के एक बहुत त्वरित दर से खो दिया जा रहा है। वर्ष 2002 में सतत् विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने 2010 तक गरीबी उन्मूलन के लिए योगदान के रूप में जैव विविधता के नुकसान की दर को कम करने का वादा किया था लेकिन जैव विविधता अनिश्चित दर से नष्ट होती रही। नष्ट होने की वर्तमान दर 1,000 बार की तुलना में स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है।' जैव विविधता का नष्ट होना एक पर्यावरण एवं आर्थिक विषय एक चर्चा का विषय भी है जो कि जैव विविधता के नष्ट होने से मानव के स्वास्थ्य और वातावरण को प्रभावित करता है।

जैव विविधता की आर्थिक भूमिका - 'जैविक स्रोतों का पारिस्थितिकीय और आर्थिक, दोनों प्रकार का महत्व होता है। जैविक रूप से विविधता पूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण लोगों को जीवित रहने की आवश्यकता की पूर्ति करता है और अर्थव्यवस्था के लिए आधार तैयार करता है। प्रत्येक वस्तु जो हम खरीदते या बेचते हैं, प्राकृतिक जगत में ही पैदा होती है। जैव विविधता एक अमूल्य स्रोत है जो भोजन निर्माण, औषधियों और यहां तक सौंदर्य प्रसाधनों के भी काम आती है। हमारे जीवन रहने के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रकृति से ही प्राप्त होता है और यही वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है। कुछ पदार्थ जो जैव विविधता से जुड़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था से सीधे सम्बंधित हैं वे हैं- शोध के साधन, भोजन के लिए कच्चा माल, औषधीय, उद्योग के लिए कच्चा माल, मनोरंजन और ईको-टूरिज्म या पारिस्थितिकीय मित्र पर्यटन।

● **औषधियाँ** - आज हमारे काम आने वाली कई औषधियों के लिए हमें जैव विविधता को धन्यवाद देना चाहिए। इनमें सरदर के इलाज के

काम आने वाली एस्पिरिन से लेकर कैंसर के इलाज की टैक्सोल औषधीय तक शामिल है। प्रकृति से हमने हृदय उत्तेजक दवाएँ, एन्टीबायोटिक्स, मलेरिया विरोधी यौगिक और ढेरों अन्य औषधियाँ प्राप्त की हैं।

● **तुलसी** - यह एक औषधीय पौधा नुस्खों में लिखी जाने वाली दवाओं में से एक चौथाई या तो सीधे वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है या वानस्पतिक तत्वों के ही रासायनिक रूप से संशोधित संस्करण है। इनमें से आधे से अधिक प्राकृतिक योगिकों पर आधारित है। लगभग 121 दवाइयाँ उच्च वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। फिर भी वर्णों की वनस्पतियों में से एक प्रतिशत से भी कम को औषधीय गुणों के लिए परखा गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व की 25,000 पहचानी गई वनस्पतिक प्रजातियों में से मात्र 5,000 को ही उनके औषधीय गुणों के लिए परखा गया है।

● **कृषि** - कृषि फसल विविधता पर निर्भर है विश्व में आज भोजन की आपूर्ति लगभग 30 फसलों द्वारा किया जा रहा है जो लोगों को खाने की 90 प्रतिशत कैलोरी में हिस्सेदारी रखते हैं। कम से कम 1650 उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की पहचान की गई। जिन्हें सब्जी फसलों की तरह उगाया जा रहा है और इससे आज उगाई जा रही कुछ ही फसलों पर हमारी निर्भरता घटाई जा सकती है।

● **पशुधन** - हमारे द्वारा पालतु पशुधन में से 90 प्रतिशत पशु के कुल 14 पशु प्रजातियों के हैं जिन पर हम बहुत कम वनस्पति एवं प्राणी प्रजातियों पर अपने भोजन की आपूर्ति के लिए निर्भर रहते हैं। इसलिए जलवायु में होने वाले परिवर्तनों और फसलों में रोगों की स्थिति में समस्या आ सकती है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जैव विविधता के कारण से ही लोगो की जीवन पद्धति से सम्बंधित जागृति पैदा हुई है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तु की जड़े प्रकृति की गोद में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के महत्वों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

व्यापार और जैव विविधता - जैव विविधता हमारे ग्रह के लिए जीवन के समर्थन की प्रणाली है हमारे देश की जनसंख्या सन् 2050 तक लगभग आठ अरब हो सकती है उनकी आजीविका, पारितंत्रों, प्रजातियों और आनुवांशिक समृद्धि के रूप में हमारे ग्रह भी जैव विविधता पर निर्भर है। जैव विविधता के नष्ट होने की दर अलग-अलग हो सकती है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पारितंत्रों प्रजातियों और जीवों को खो दिया जा रहा है या क्षतिग्रस्त किया जा रहा है जैव विविधता के नष्ट होने से हमारे ग्रह के प्राकृतिक समृद्धि को नजर अंदाज करने से हमारे भविष्य की स्थिरता का खतरा है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि व्यापार और समाज की वर्तमान बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदारी के रूप में अच्छी तरह से सुधार करने के लिए समझौता किया जाना चाहिए। व्यापार जैव विविधता

संरक्षण में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। प्रबंधन प्रणालियों में जैव विविधता के विचारों को एकीकृत करने के लिए एक मजबूत व्यापार संचालित किया जा सकता है। आज के वर्तमान युग में जैव विविधता के विकास करने लिए पर्याप्त कम्पनियाँ हैं व्यापार के अस्तित्व एवं जीवित रहने के लिए व्यवसायों के लिए लाभ उत्पन्न करने की आवश्यकता है लेकिन आज कई व्यवसायों की मान्यता है कि लम्बे समय तक विकास करने के लिए अच्छा पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन की आवश्यकता है।

- **बाजार संरक्षण कार्यक्रम** - जो कम्पनियाँ जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए कार्य कर रही है बाजार संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक सहायता करना इस कार्यक्रम की अनूठी विशेषता यह है कि यह विभिन्न क्षेत्रों में कम्पनियों की आवश्यकतओं को अनुकूलित किया जाता है। यह कि ए.ई.आर.एफ. के पास मजबूत अनुसंधान आधार का उपयोग करके किया जाता है। जमीन पर संरक्षण करने के लिए इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों के लोगों का होना आवश्यक हो। बाजार संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कम्पनियों के निम्नलिखित लोकप्रिय पहल का एक संयोजन के माध्यम से प्राप्त कर करते हैं।
- **जैव विविधता का विकास** - 'जैव विविधता का विकास पौधों, जानवरों, और सूक्ष्म जीवों के रूप में पर्यावरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। जैव विविधता हमारे जीवन और आजीविका का हिस्सा है और संसाधनों जिस पर परिवारों, समुदायों, जातियों और भविष्य की पीढ़ियाँ निर्भर है। आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से खाद्य, औषधीय और वाणिज्यिक कच्चे माल के हिसाब से ठोस आर्थिक लाभ के साथ जैव विविधता भोजन, स्वास्थ्य और लोगों की आजीविका की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक नींव, भूमिका और जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व प्रदान करते हैं। जैव विविधता विकास समिति के इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है यह स्वीकार करता है कि जैविक विविधता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाए रखने का सबसे प्रभावी एवं व्यावहारिक तरीके से संरक्षित क्षेत्र में नेटवर्क पैन की स्थापना करना।'

समस्याएँ -

- हमारे देश में बीते साठ सालों में जिस तेजी से कृत्रिम, भौतिक और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का या तो क्षरण हुआ है या उनकी उपलब्धता घटी है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है 'पानी'। जल ही जीवन है की वास्तविकता से अवगत होने के बावजूद पानी की उपलब्धता भूमि के नीचे और ऊपर निरंतर कम होती जा रही है। आजादी के दौरान प्रति व्यक्ति सालाना दर के हिसाब से पानी की उपलब्धता छः हजार घनमीटर थी, जो अब घटकर करीब डेढ़ हजार घन मीटर रह गई है जिस तेजी से पानी के उपयोग के लिए दबाव बढ़ रहा है और जिस तेजी से भूमि के नीचे के जल का दोहन नलकूपों से किया जा रहा है उससे यह निश्चित हो जाता है कि अगले कुछ वर्ष बाद जल की उपलब्धता घटकर एक हजार घनमीटर रह जाएगी। नलकूपों के उत्खनन सम्बंधी जिन आँकड़ों को क्रांति की संज्ञा दी गई यह संज्ञा तबाही के पूर्व की सूचना थी जिसे हम नजर अंदाज करते चले आ रहे हैं बात अब सच्चाई में बदल गई है
- मानव की बढ़ती आबादी एवं योगवादी पश्चात् संस्कृति आधारित विकास की आवश्यकता ने भारत की मूल प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट

कर दिया है परिणाम यह हुआ कि जलवायु का परिवर्तन होना, तापमान का बढ़ना, हिम खण्डों का तेजी से पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना और वायु मण्डल की ओजोन परत में छेद होना जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं इसका सीधा प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है वनस्पति व वन्य-जीव जन्तुओं की नई प्रजातियाँ संसाधनों का अतिदोहन, घटने वन क्षेत्र, वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन को माना जा सकता है।

सुझाव - हमें प्रकृति प्रेमी बनना होगा। उपभोक्तावादी संस्कृति का परित्याग कर त्यागवादी संस्कृति को अपनाना होगा। हम सब प्राकृतिक रूप से अभिभाज्य एक ही पर्यावरण के अंश हैं। अतः यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि इसका संरक्षण करें। प्रगति और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न होकर पूरक हों। विकास के नाम पर प्रकृति की अन्वेलना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा विकास किस काम का जो कि मानव के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। विकास वही हो जिसमें हम प्रकृति की मूल सम्पदा को बचाये रखते हुए ब्याज से ही काम चलाते रहे। और भावी पीढ़ियों के लिए उसे संजोकर रखें। आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता न करना, उसके प्रति अत्याचार है, अन्याय है।

निष्कर्ष - यह सच है कि आज के युग में अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक तरक्की अपरिहार्य है, पर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का खयाल भी रखना होगा। हम उनके लिए अपार धन-संपदा रूपी विरासत भले ही छोड़ जाए पर यदि स्वच्छ पर्यावरण न दे सके, तो कुछ नहीं दिया। आज जरूरत है हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की, एक दूरदृष्टिपरक नजरिया अपनाने की। यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण चयन करें तो तीव्र आर्थिक विकास जैव विविधता का दुश्मन कदापि नहीं हो सकता। विकासरूपी इंजन के लिए अगर ऊर्जा अपरिहार्य ही है तो हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोतों की तलाश करनी होगी जो न केवल पर्यावरण हितैषी हों बल्कि ऊर्जा के अक्षय स्रोत भी।

वर्तमान समय का सबसे बड़ा बीज मंत्र है जैव विविधता संरक्षण का, जो हमें प्राप्त करना है उसे बोना आरम्भ कर देना चाहिए। आज हम जिन पेड़ों के फल खा रहे हैं क्या हमने उन्हें लगाया था? ये पेड़ हमारे पुरखों के द्वारा बीजारोपित किए गए, उनके द्वारा ही अभिसिंचित किए गए और संभाले गए। हम तो उनके प्रयास को ही प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, एम. के. - पर्यावरण प्रबंधन, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर (2006)
2. बोहरा, वंदना - पर्यावरण अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन जे.एम.डी. अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली (2008)
3. भद्र, शील - वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बाणगंगा भोपाल (2005)
4. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद - जनजातीय पर्यावरण, आशा पब्लिसिंग कम्पनी, आगरा, (2003)
5. सिंह, सुमन्त एवं बी.पी. सिंह - मध्यप्रदेश में पर्यटन, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, म.प्र. (2000)

पत्रिकाएँ -

1. आफरी दर्पण - शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, न्यू पाली रोड, जोधपुर
2. वन-धन - राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोली पाथर, जबलपुर।
3. भारत के महत्वपूर्ण वृक्ष - पंचशील प्रकाशन दिल्ली।
4. जीवन-जन्तुओं का अदभुत संसार - पंचशील प्रकाशन दिल्ली।

भारत में बैंकिंग विकास की अवस्थाएँ

दीपिका यादव *

प्रस्तावना – वित्तीय सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है – बैंकिंग सेवाएँ। भारत में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास दो सौ वर्ष पुराना है। भारत की आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, बैंक ऑफ बाम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंकों का विलय एक नये बैंक इंपिरियल बैंक में कर दिया गया। जिसे सन् 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन् 1935 में स्थापित किया गया और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। स्वतंत्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इंपिरियल बैंक ऑफ इण्डिया था।

स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया, उसे बैंकों का बैंक भी धोषित किया गया।

भारत में बैंकिंग विकास के चरण अथवा अवस्था – भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास के इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।

● **प्रथम अवस्था (सन् 1806 तक)** – ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व देश में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था मुस्लिम शासनकाल में बैंकिंग का कार्य प्रायः महाजनों एवं साहूकारों द्वारा संपन्न किया जाता था। 17 वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहूकारी वित्त व्यवस्था को गंभीर आधारित लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकों की भांति कार्य किया करते हैं। इन एजेन्सी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेन्सी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रूपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप स्वीकार करना था। युरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित रत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलेक्जेंडर एण्ड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया इस प्रकार 1860 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेन्सी गृहों द्वारा ही संपन्न किया जाता था।

● **द्वितीय अवस्था (सन् 1806 से 1860 तक)** – सन् 1831 में ईस्ट इण्डिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप एजेन्सी गृहों का भी पतन होना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद देश में

निजी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना की गई। सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, यद्यपि यह तीनों बैंक निजी शेयरहोल्डरों के बैंक थे तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियंत्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे किंतु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। आगे चलकर सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपिरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई, 1995 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

● **तृतीय अवस्था (सन् 1860 से 1913 तक)** – भारत सरकार द्वारा सन् 1860 में एक संयुक्त पूँजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों का सीमित देयता के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे – इलाहाबाद बैंक (1865), अवध कमर्शियल बैंक (1881), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901), सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से देश का पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ अर्थात् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इस अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े बैंकों – बैंक ऑफ इण्डिया (1906), बैंक ऑफ बड़ौदा (1908), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

● **चतुर्थ अवधि (सन् 1913 से 1939 तक)** – 1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट का काल माना जाता है प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरुद्ध हो गया सन् 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गए। भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकाले जाना प्रारंभ कर दिए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। तीसा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा।

सन् 1930 मे ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबंध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सकें। सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना आरंभ कर दिया, किंतु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

● **पंचम अवस्था (सन् 1939 से 1946 तक)** - यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है, द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई फलतः सभी बैंकों के निक्षेप बढ़ गए।

● **षष्ठम अवस्था (सन् 1947 से अब तक)** - भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित बैंको का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 7 बैंको को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया था, जिन्हे 'स्टेट बैंक समूह के बैंक कहा जाता है, ये बैंक निम्नलिखित है -

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
(पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग-अलग थे दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकरूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में बदल दिया गया।)
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का 2010 में तथा 1 अप्रैल 2017 से 'स्टेट बैंक समूह' के शेष पाँचों सहायक बैंको तथा भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है। बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे

14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, ये बैंक निम्नलिखित थे -

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | 8. बैंक ऑफ इण्डिया |
| 2. पंजाब नेशनल बैंक | 9. केनरा बैंक |
| 3. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक | 10. सिंडीकेट बैंक |
| 4. बैंक ऑफ बड़ौदा | 11. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया |
| 5. देना बैंक | 12. इलाहाबाद बैंक |
| 6. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया | 13. इण्डियन बैंक |
| 7. इण्डियन ओवरसीज बैंक | 14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र |

15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रुपये से अधिक थी ये बैंक निम्नलिखित थे -

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. आंध्रा बैंक | 2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक |
| 3. न्यू बैंक ऑफ इण्डिया | 4. विजया बैंक |
| 5. कॉर्पोरेशन बैंक | 6. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स |

4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंको की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ ब्रिटिश शासन काल में हुआ। जिन्होंने महाजन प्रणाली के स्थान पर आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का उदय किया जिसे 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। सन् 1806 से 1913 तक की अवधि में विभिन्न बैंकों की स्थापना निर्बाध गति से हुई किंतु 1913 से 1917 तक का काल भारतीय बैंकिंग का संकट काल रहा। प्रथम महायुद्ध तथा तीसा की विश्व व्यापी मंदी ने बैंकिंग विकास को अवरुद्ध किया। किंतु 1939 से 1946 तक की अवधि में पुनः बैंकिंग प्रणाली का विकास चरम सीमा पर रहा। सन् 1955 में 1969 तथा 1993 को बैंको के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक विद्यमान है। जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कुशलतापूर्वक संचालित एवं विकसित करने में अपना योगदान दे रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण (भारतीय अर्थ व्यवस्था)।
2. समाचार पत्र - दैनिक भास्कर।
3. रोजगार और निर्माण।
4. <https://hi.m.wikipedia.org/wiki>

भारत के विकास में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की भूमिका

डॉ. दीपचंद भावरकर *

शोध सारांश - एम.सी.एल. व एस.ई.सी.एल देता है। कुल उत्पादन का 50 फीसदी कोयला केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। कोल इण्डिया के पुनर्गठन की योजना बना रही है। जिसमें एम.सी.एल. तथा एस.ई.सी.एल को स्वतंत्र कंपनी बनाया जाएगा। कोयला सचिव एस.के. श्रीवास्वत ने कहा कि कोल इण्डिया के पुनर्गठन पर विचार करते हुए उनका गेवरा प्रवास भी मुख्यतः इसी सिलसिले में है। 10 अक्टूबर 2012 से पूर्व उन्होंने एम.ई.सी.एल. संवलपुर का भी इसी कारण दौरा किया गया था। कोल इण्डिया का इस वर्ष का कोयला उत्पादन लक्ष्य 470 मिलियन टन था। इस लक्ष्य को पूरा करने में एम.सी.एल का एस.ई.सी.एस की अहम भूमिका थी। उड़ीसा की सरकार ने सबसे पहले राज्य पावर क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड पुनर्गठन किया ताकि इस क्षेत्र को कुशल और सक्षम बनाया जा सके। उड़ीसा बिजली सुधार कानून 1995 के अनुसार उड़ीसा के बिजली बोर्ड को तीन अलग नियमों से विस्थापित कर दिया - उड़ीसा ग्रिड निगम, उड़ीसा जल विद्युत शक्ति निगम और उड़ीसा पावर घनन निगम। उड़ीसा में यह प्रयास किया गया है कि बिजली के वितरण को निजी कम्पनियों को सौंप दिया जाए और निष्पीकरण प्रति स्पर्धा बोली के आधार पर किया जाए।

प्रस्तावना - आदिकाल से ही मानव के जीवन से जुड़ी है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला जिस पर बिजली उद्योग और ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ी तथा अन्य उपयोग के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसी महत्व को स्वीकार करते हुए कोयले को काले हीरे की संज्ञा दी जाती है। कोयला का अधिक से अधिक उत्पादन करके ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धनता एवं धीमी गति के विकास से छुटकारा मिल सकता है। वर्तमान समय में हम बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इस कमी को हम कोयला का अधिक उत्खनन करने के साथ साथ मानव संसाधन के विकास से दूर कर सकते हैं। आधुनिक युग में श्रमिकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो पृथ्वी के धरातल से हजारों फिट अन्दर (धरती) के गर्भ से काला सोना को निकालते हैं और भारत की प्रगति के लिए प्रेरित करते हैं। कोयला श्रमिक जो कि अपनी जान हमेशा जोखिम में डाले काम करते रहता है। उसके प्रति हमारा और हमारी सरकार का भी सहानुभूति पूर्ण रवैया होना चाहिए जो श्रमिक खदान के अंदर आठ घंटे काम करता है। अपने खून को पसीना बनाकर बहाता है और देश के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में कोयला प्रदान करता है। हमारा कर्तव्य होता है कि इन महान श्रमिकों का आर्थिक उत्थान कर समाज में उनके योगदान को स्वीकार करें। समाज में उन्हें महत्व दें और जिस प्रकार श्रमिक हमारी और हमारे देश की प्रगति में जुटे हुए हैं। भारत सरकार का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करें। ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधनों में कोयले की सर्वश्रेष्ठ भूमिका है। देश में व्यवसायिक ऊर्जा की कुल मांग का लगभग 652 प्रति शत पूर्ति इसी से होती है। भारत की ईंधन नीति समिति ने सन् 1974 में ऊर्जा के साधनों में कोयले को प्रमुख साधन स्वीकार किया है। इसलिए इस महत्वपूर्ण खनिज के उत्खनन हेतु लगे श्रमिकों का आज भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज प्रत्येक देश तीव्र गति से ओद्योगीकरण के लिए प्रयत्नशील है। अतः सभी उत्पादन के घटकों में श्रम महत्वपूर्ण घटक है। श्रम जीवियों के सहयोग के बिना पूंजी यंत्र व उपकरण व्यर्थ है।

महानदी कोल फील्ड लिमिटेड का गठन - उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों को 8 वीं और 9 वीं योजना अवधि में वृद्धि का केन्द्र मानकर उड़ीसा कोल फील्डों की संभावनाओं पर विचार करते हुए साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल) का विभाजन करके एक नई कंपनी बनाई गई। नई कंपनी का नाम महानदी कोल फील्ड लिमिटेड दिनांक 3 अप्रैल 1992 को निर्मित की गई जिसका मुख्यालय संबलपुर (उड़ीसा) में है जो उड़ीसा में तलचर एवं ईब वैली कोल फील्ड्स के प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से कोल इण्डिया लिमिटेड के स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है तथा प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। इस समय में दो संयुक्त उद्यम जिनका नाम एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड तथा एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड है। जिसमें एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड का गठन 13 अगस्त 2008 को हुआ। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 40.10 करोड़ रुपये थी और एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड का गठन 16/07/2008 को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन नियमित किया गया तथा 31/03/011 को शेयर पूंजी 2510 लाख रुपये थी। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड वर्ष 1992 से सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है तथा उपलब्धियों और उत्पादन के आधार पर वर्ष 2008 में मिनि रत्न का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 2016-17 में उत्पादन 139.21 (मिलियन टन में) तथा लाभ 6283.44 करोड़ और मानव संसाधन 22036 है।

गत पाँच वर्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

वर्ष	कुल जन शक्ति	लाभ/हानि (करोड़ में)	कुल उत्पादन (मिलियन टन में)
2012-13	22065	107.89	6202.48
2013-14	22272	110.439	5429.08
2014-15	22259	121.379	5314.24
2015-16	22397	137.901	6260.43
2016-17	22036	139.21	6283.44

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट महानदी कोल फील्ड लिमिटेड 2016-17 उपरोक्त

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) श्री श्री ल.ना.शा.स.पंचवहली. पी.जी. महाविद्यालय, परासिया, जिला - छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

सारणी के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव संसाधन की वृद्धि या कमी से उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। यह मशीनीकरण का प्रभाव है।

निष्कर्ष – आंध्रप्रदेश सरकार ने भी 1999 में बिजली सुधार कानून पास कर दिया। कुछ और राज्य भी पावर क्षेत्र में सुधार कानून पास कर दिया। कुछ और राज्य भी पावर क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं। परंतु मजदूर संघों द्वारा पुनर्गठन और निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2003 में एक नया बिजली कानून पास कर दिया जिसका मुख्य उद्देश्य पावर क्षेत्र के विभिन्न अंगों जैसे बिजली का उत्पादन व्यापार एवं वितरण में प्रतिस्पर्धा, कायम करना था। इस कानून के अतिरिक्त भारत सरकार ने बिजली विनियमन कानून 1998 पारित किया। जिसके अधीन सरकार ने केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग स्थापित किया है। 19 राज्यों में भी अपने स्तर पर बिजली विनियामक आयोग स्थापित किए हैं। देश में लघु स्तर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने और एक अधिक संतुलित विकास करने के लिए ग्राम बिजलीकरण को प्राथमिकता दी गयी। सन् 1950 और 2003-04 के दौरान बिजलीकृत ग्रामों की संख्या 3000 से बढ़कर 5,19,000 हो गयी। अर्जित पम्प सैटों की संख्या भी 21,000 से बढ़कर

140 लाख हो गई। इसके साथ ही वर्तमान में 112400 गांव बाकी है, 31 मार्च 2004 में लगभग 83 हजार जन जातीय ग्रामों और 3 लाख हरिजन बस्तियों का बिजलीकरण किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था रूढ़दत के.पी.एम. सुन्दरम एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड राम नगर नई दिल्ली।
2. वार्षिक रिपोर्ट कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय कोलकाता (2016-17)
3. दैनिक भास्कर भोपाल 10 अक्टूबर 2012।
4. वार्षिक रिपोर्ट डब्ल्यू.सी.एल. मुख्यालय नागपुर 2005-06।
5. खनन भारती डब्ल्यू.सी.एल. अगस्त 2005 द्विमासिक पत्रिका अंक 110।
6. भारत में उद्योगों का संगठन प्रबंध एवं वित्त (डॉ.आर.एस.कुल श्रेष्ठ) साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2004।
7. उद्योग एवं व्यापार पत्रिका – ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रगति मैदान नई दिल्ली।

अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (लाभदायकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति हेतु सुझाव)

डॉ. धीरज शर्मा *

प्रस्तावना - 1 दिसम्बर 2015 को इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई जो सिटी बस का संचालन करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है तथा PPP मॉडल पर सिटी बस का संचालन करती है इसका प्रमुख नगर निगम का महापौर है। तथा इसका प्रशासन प्रशासनिक हार्थों में है तथा इसका CEO एक प्रशासनिक अधिकारी (सामान्यतः संयुक्त कलेक्टर)

सिटी बस का संचालन करने से इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की लाभदायकता में वृद्धि हुई है और लाभ उत्तरोत्तर कम हुए हैं क्या जन परिवहन का प्रयोग बढ़ा है जिससे प्रदूषण में भी कमी आई है।

लाभदायकता - किसी भी व्यवसायिक संस्थान का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह कहा जाता है कि लाभ व्यवसाय रूपा गाडी का इंजन है जिसके बिना व्यवसाय को संचालित करना संभव नहीं है। यदि कोई संस्था पर्याप्त लाभ अर्जित करती है तो न सिर्फ विनियोजकों को उनके द्वारा लगाए गए धन पर पर्याप्त वेतन और लेनदानों को ऋण वापसी की सुरक्षा मिलेगी।

लाभदायकता दो प्रकार की होती है।

1. विक्रय के संदर्भ में लाभदायकता
2. विनियोग के संदर्भ में लाभदायकता

1. विक्रय के संदर्भ में लाभदायकता - इसे प्राप्त करने हेतु निम्न अनुपातों की गणना की जाती है।

1. सकल लाभ अनुपात (Gross profit ratio)
2. शुद्ध लाभ अनुपात (Net Profit Ratio)
3. संचालन लाभ अनुपात (Co fuatiing net profit ratio)
4. संचालन अनुपात (Operation Ration)
5. व्यय अनुपात (Expenses Ration)

2. विनियोग के संदर्भ में लाभदायकता - इस लाभदायकता को जानने हेतु निम्न अनुपात ज्ञात किया जा सकते हैं।

1. विनियोग पर प्रत्याय -
 - (अ) विनियोजित पूँजी पर प्रत्याय
 - (ब) अंशधारियों के कोष पर प्रत्याय
 - (स) समता अंशपूँजी पर प्रत्याय
 - (द) कुल संपत्ति पर प्रत्याय
2. प्रति अंश आय
3. लाभांश भुगतान अनुपात
4. प्रति अंश लाभांश
5. लाभांश प्राप्ति अनुपात

6. मूल्य अर्जन अनुपात

7. अर्जन प्राप्ति अनुपात

इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जहां 2005-06 में 16,05678.50 की हानि पर था 2008-09 आते-आते 8961451.37 के लाभ पर पहुँच गया इस प्रकार इसकी लाभदायकता दिन प्रतिदिन बढ़ी है फिर भी लाभदायकता को बनाए रखने और सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है संस्था निम्न सुझावों पर भी ध्यान देवे।

1. आर्थिक सुझाव
2. सेवा सुझाव
3. अन्य सुझाव

1. आर्थिक सुझाव -

- सिटी बस में स्मार्ट व्यवस्था लागू होना चाहिए।
- पास की कीमत कम होनी चाहिए।
- लाभ का उपयोग किराये को कम करने और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु होना चाहिए।
- कर्मचारी भ्रष्टाचार न करें ऐसे शपथ पत्रों की पूर्ति करवाने चाहिए और भ्रष्टाचार होने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाए।
- किराये को उचित स्तर तक नियंत्रित करने हेतु पृथक से एक समिति बनाई जानी चाहिए।
- सिटी बस पर अधिक विज्ञापन कर आय बढ़ाना चाहिए।
- प्रीमियम बढ़ाई जानी चाहिए।
- आय के साधन बढ़ाना चाहिए और व्ययों पर नियंत्रण करना चाहिए।

2. सेवा संबंधी सुझाव -

- सिटी बस का संचालन प्रशासनिक हार्थों (संयुक्त कलेक्टर) में ही रहना चाहिए।
- सिटी बस में डीजल के स्थान पर सी.एन.जी का प्रयोग होना चाहिए।
- विकलांगों के लिए पृथक से सीट आरक्षित तो है पर इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए।
- गति नियंत्रण हेतु जी.पी.आर.एस. प्रणाली का सही उपयोग होना चाहिए।
- विभिन्न कार्याशालाएं आयोजित करना चाहिए जिससे चालक / परिचालक के व्यवहार को सुधारा जा सके।
- यात्रियों को खड़े-खड़े यात्रा न करनी पड़े और यदि यात्री खड़े - खड़े यात्रा करें तो उनसे आनुपातिक रूप में कम किराया लेना चाहिए।
- सिटी बस की पूर्ण और सही जानकारी देने हेतु बस सूचना केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए।

- बसों की जानकारी अखबारों के माध्यम से देना चाहिए ताकि बाहरी व्यक्ति भी बसों को सही स्थान से सही समय पर और सही स्थान के लिए प्राप्त कर सकें।
- यात्री पास बनाने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इसे Online किया जाना चाहिए।
- शिकायत पर कार्यवाही होना चाहिए शिकायत नं. सभी बसों पर लिखे होने चाहिए।

3. अन्य सुझाव -

- कर्मचारी किसके अधीन कार्य कर रहे हैं इसकी सूचना सार्वजनिक होना चाहिए वे आपरेटर के कर्मचारी हैं या इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. के या राज्य सरकार के या नगर निगम के अधीन हैं।
- बसों का पर्याप्त रख रखाव होना चाहिए। तथा खराब बसें तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। अर्थात् यात्री सुरक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।
- विज्ञापन से बस का मौलिक स्वरूप खराब न हो यह ध्यान रखना चाहिए।
- सिटी वेन हेतु भी झड़झड़ माडल अपनाना चाहिए।
- राजनैतिक व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण होना चाहिए।

- बसों को आग से बचाने के पर्याप्त उपकरण होना चाहिए।
- यात्रियों हेतु मनोरंजन सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष - उपरोक्त से स्पष्ट है कि सिटी बस जो एक अच्छा प्रशासनिक, निजी और सरकारी प्रयास है। निरंतर लाभदायकता प्राप्त कर रही है किंतु ऐसा निरंतर हो इस हेतु विविध सुझावों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर सुझावों पर ध्यान दिया जाए तो संभव है कि सिटी बस न केवल इंदौर बल्कि मध्यप्रदेश की और न केवल मध्यप्रदेश बल्कि भारत की श्रेष्ठतम परिवहन व्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <http://indore.nic.in/glance.htm>.
2. प्रियदर्शनी ट्रांसपोर्ट सर्विस 42, साउथ हाथीपाला ।
3. दयाजीत नियम लाजिस्टिक प्राइवेट लि. रिंग रोड यार्ड वेलोसिटी टॉकीज के सामने ।
4. प्रबंधकीय लेखांकन - डॉ. राजेन्द्र शर्मा ।
5. प्रबंधकीय लेखांकन - प्रो. निर्मल जैन ।
6. रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया - वी. रामनधा ।

आर्थिक विकास के पर्यावरणीय मुद्दे

क्रितिका सिंह * रूपेश द्विवेदी **

प्रस्तावना - देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं, जिनका लक्ष्य किसी जन-समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।

‘Economic Development is a process, whereby, economy’s real national income increases over long period of time.’

प्रधानमंत्री का वादा और आर्थिक समीक्षा के दस्तावेज बताते हैं, कि देश की आर्थिक विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। एवं पर्यावरण की रक्षा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक विकास तभी टिकाऊ होगा जब आर्थिक विकास इस तरह से किए जाए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो।

परिकल्पना-

1. वर्तमान युवा की सबसे बड़ी समस्या ‘आर्थिक विकास’ की समस्या है।
2. आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया।
3. आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय कारण ही पर्याप्त नहीं होते हैं।
4. औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल पर्यावरण की कमी।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया जाएगा। समंको का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जाएगा। यदि परिणाम वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो पुनः सर्वेक्षण करके शोध कार्या को दोहराया जाएगा।

उद्देश्य -

1. पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना।
2. आर्थिक विकास के पर्यावरणीय मुद्दों का अध्ययन करना।
3. अधिकाधिक रोजगार संभावनाओं का पता लगाना।
4. ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करें।
5. सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।

शोध विश्लेषण-सतत् विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। सतत् विकास का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या उनके बंद होने के भय से हुआ। यह

अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सतत् विकास कायेला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की यथोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करता है। स्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इस उद्देश्य स वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रयास से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो या प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक घाटा न हो।

सतत् विकास की अवधारणा आर्थिक विकास पर नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। उसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत् विकास की सबसे अच्छी परिभाषा **वेंटरलैंड आयोग** ने अपनी रिपोर्ट ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ 1987 में दी ‘इन्होंने सतत् विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।’ इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे साथ ही आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों की भी अनदेखी न करें। आयोग का कहना है कि सतत् विकास न केवल पर्यावरण से सामंजस्य लाना है बल्कि यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें संसाधनों का दोहन निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की स्थिति तथा संस्थात्मक परिवर्तनों को वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं के भी अनुकूल बनाया जा सके। यह आर्थिक विकास की दौड़ के प्रति विश्व को सचेत करता है, ताकि विकास तो हो परन्तु प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाये बिना।

समस्याएँ -

1. जंगलों का ह्रास होता जा रहा है।
2. जनसंख्या वृद्धि।
3. जंगलों का ह्रास होता जा रहा है।
4. सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएँ।
5. सतत् विकास की जटिल संभावना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोध प्रविधि के द्वारा।
2. www.google.com
3. पर्यावरणीय अध्ययन।
4. न्यूजपेपर।

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

Sustainable Environment Development

Dr. Rashmi Gupta*

Introduction - Human beings have progressively made greater demands of environmental resources through an unprecedented increase in technological capacity, energy consumption, international trade, and social complexity. Environmental management can provide a way out to balance the man-environment interface in order to sustain life on the earth. This chapter explores the applicability of system modeling technique to environment management.

Systems Modeling

This goal, however, involves several challenges. Applicability of modeling techniques to environmental management is affected by many factors. First of all, environmental systems are complicated, where some factors and interrelationships are hard to be expressed as mathematical formulas. For example, non-linearity that exists in a system can hardly be effectively reflected. Secondly, information about some system parameters is often unavailable, such that, rough estimations have to be made. Also, a large portion of the available information may not be quantifiable.

This type of information could simply be the implicit knowledge from decision makers. Thus the input into a modeling system and consequently, the modeling output is inadequate to support decision-making. The remaining part of the work should be a solid investigation on ambiguous and un-quantifiable information using innovative information technologies. Thirdly, a significant part of quantifiable information may not exist as deterministic data. This brings about the difficulty in uncertainty in expression, as well as solving the models that contain uncertain parameters and/or relationships.

As associated challenge is to develop the capability of minimizing the uncertainty and risks during advanced information technologies. To overcome the challenges and enhance modern applicability, there is a need for incorporating current information processing techniques. Environmental management systems generally have multi-objective, interactive, dynamic and uncertain features. Complexities have to be tackled in determination of systems parameters, reflection of interactive relationships, formulation of modeling approaches, interpretation of research outputs, and implementation of recommended policies. Often to quantify such systems, simplifications

have to be made, such as linear, continuous, static, single-objective, and/or deterministic assumptions. These simplifications, however, would be responsible for the final errors which do occur. How to effectively reflect these complexities when bearing with these involved risks has been a challenging issue faced by environmental researchers.

Many challenges exist in the applications of modeling techniques to environmental management. Most environmental models can only deal with limited spacio-temporal units in a system due to difficulties in computational requirement and data availability. The collection of environmental statistics is fraught with difficulties, due to wide range of environmental phenomenon, data sources, and agencies involved, as well as complexities of their temporal and spatial characteristics. Consequently, many environmental data are subject to serious discretion with regards to uncertainties, inconsistencies, and errors. In order to obtain reliable and certainty solid works on validation of input data prior to being used for further analysis are desired, where information technology could play crucial role.

Multi-stakeholder collaboration can act as a transformative mechanism for enabling communities and associate stakeholders to constructively address complex and long standing issues concerning environmental and public health hazards, strained or non-existent relations with government agencies and other institutions, and economic decline. Multi-stakeholder collaboration in the environmental justice context can be transformative in two ways. First it can provide disadvantaged communities with an opportunity to openly discuss concerns and potential solutions to issues affecting them in a manner that genuinely suits the affected community's needs. Secondly, it can provide public service organizations, including government agencies and community based organizations, with an effective forum to coordinate, leverage, and strategically use resources to meet complex public health, environmental, and other socio-economic challenges faced by disadvantaged communities. Much of the success of these efforts can be attributed to individuals, either at the community, regional; NGO, or government level, who took it upon themselves, at real risk of failure, to pull diverse groups together. Pulling

*Asst. Professor (Economics) M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA

partnerships environmental problems and social relationships, and/or help a community revitalize, can be a difficult endeavor. This challenge is magnified when organizations are not accustomed to working in a coordinated manner, and when resources for maintain the partnerships are not always readily available. Such an effort requires not only leadership skills, patience and ability for creative thinking, but also strong interpersonal skills that naturally lend themselves to stakeholder bridge building. On many instances, such a combination of skills in one individual may not be available; nevertheless it confirms the need for communities and other institutions desiring to use collaborative partnerships to look for these qualities in person to lead or co-lead these efforts.

Conclusion - This evaluation examined the value of using collaborative partnerships to address environmental justice issues in pre-dominantly low income or down trodden communities. Quantitative environmental models have been

challenged by the difficulties in handling dynamic and uncertain features of real-world environmental systems. Conditions for environmental management will keep changing with time, demanding periodically updated decision support. It is thus desired by users and decision-makers that the research outputs be dynamic. Advancement in information technology has been at extraordinarily rapid pace. There will be continuous attempts to apply new techniques and tools to environmental management.

References:-

1. Economic Survey.
2. Environment and Sustainable development by M.H. Fulekar, Bhawana Pathak, R.K. Kale.
3. Environment concerns and sustainable development: Some perspectives from India.
4. Energy Environment and sustainable development by Khanji Harijan and Mohammad Aslam Uqaili.
5. Our common future by Brundtland Comission.

शासकीय रोजगार योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसर

अजाब खातरकर *

शोध सारांश - किसी भी देश का विकास उसके मानव संसाधन की कुशलता पर निर्भर करता है। एक सुदृढ़ मानव संसाधन ही अन्य सभी संसाधनों का यथोचित प्रबन्धन कर राष्ट्र विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चूंकि महिला और पुरुष मानव संसाधन के दो अभिन्न अंग हैं, अतः यह देखा जाना आवश्यक है कि समाज में सबसे पिछड़े हुए लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार सुधारा जाए। वर्षों से उपेक्षित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, शासकीय रोजगार योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को उद्यमिता के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रस्तावना - बैतूल जिला वास्तव में किसी बड़े उद्योग का केन्द्र नहीं है, तो फिर युवाओं को रोजगार की प्राप्ति कैसे होगी ? ऐसी दशा में शासकीय रोजगार व स्वरोजगार योजनाएँ उद्यमिता के रूप में एक आशा की किरण बनकर आजीविका उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रही हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा कई रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत एक मात्र ऐसा देश है, जिसके पास अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा युवा संसाधन हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो भारत युवा मानव संसाधन के रूप में धनी है। ऐसी परिस्थिति में, इस युवा मानव संसाधन को कुशल बनाकर इसे विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवा हितग्राही आज रोजगार व स्वरोजगार के लिए प्रयासरत हैं तथा सरकारी रोजगार व स्वरोजगार योजनाओं के आधार पर विकास का मार्ग ढूँढने में अग्रसर हो रहे हैं। शासन की उद्यमिता विकास से जुड़ी रोजगारोन्मुखी एवं आर्थिक विकासोन्मुखी योजनाएँ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास में किस प्रकार की भूमिका निभा रही हैं, यही इस शोध पत्र का विषय है।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, 2011 (देखे आगे पृष्ठ पर)

विशाल भारत के मध्य भाग में स्थित मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। विभिन्न संसाधनों से युक्त यह प्रदेश संस्कृति व पर्यावरण की दृष्टि से भी संपन्न है। इसी मध्यप्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित सतपुड़ा की घनी वादियों में बसे बैतूल जिले का कुल क्षेत्रफल 10,043 वर्ग किलोमीटर है। यहां की कुल जनसंख्या 15,75,247 है, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 1,59,296 है जो कुल जनसंख्या का 10.1 प्रतिशत है। जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 6,67,018 है, जो कि कुल जनसंख्या का 42.3 प्रतिशत है। इस प्रकार जिले की कुल जनसंख्या का 53.4 हिस्सा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है। जिले की इस विशाल आबादी के आर्थिक विकास पर विचार किया जाना अत्यंत प्रासंगिक है।

बैतूल एक कृषि प्रधान जिला है, तथा यहां की अर्थव्यवस्था कृषि व

वनोपज पर आधारित होने के कारण अधिकतर बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। यहाँ बेरोजगारी के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे - मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अल्पबेरोजगारी। इस प्रकार बेरोजगारी के बढ़ते स्वरूप के बीच सबसे बड़ी समस्या रोजगार की उपलब्धता की होती है, वहीं शिक्षा के विकास से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

'उद्यमी' को आधुनिक औद्योगिक युग का आधार-स्तम्भ तथा बेहतर समाज का रचनाकार या निर्माता कहा जाता है। वह किसी भी राष्ट्र के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी या चलायमान रखता है तथा निरन्तर चलने वाले व्यवसायिक उपक्रमों का सृजन करता है। **प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल** ने कहा है- 'उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चितता का वाहक ही नहीं होता वरन् वह एक प्रबंधक, भविष्य दृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक तथा देश के आर्थिक ढाँचे का निर्माता भी होता है।' साथ ही **प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ. ड्रकर** ने कहा है उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है।' इस प्रकार उस पर प्रतिक्रिया करता है एवं एक अवसर के रूप में उनका लाभ उठाता है। तात्पर्य यह है कि उद्यमी देश में औद्योगिकीकरण तथा सामाजिक-आर्थिक नवीनता का सूत्रपात करता है, विकास की प्रक्रिया को निरन्तर बढ़ाता है तथा नवीन अवसरों एवं सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप सतत् नयी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करता है तथा समृद्ध समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करता है।

बैतूल जिले में उद्योगों की न्यूनता होने के कारण रोजगार के अवसरों की कमी पाई जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा उद्यमिता विकास से संबंधित अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती अजा/जनजाति स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा

है, जिससे कि युवा समुदाय को स्वयं का रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाए और शिक्षित युवावर्ग भी उद्यमिता विकास के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सके, साथ ही अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सके। इसी प्रयास को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार के उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनु 'जनजाति के युवाओं को सरकार अपने सरकारी खर्च पर अनेक प्रकार के निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है' इसका मुख्य ध्येय यही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्वयं के व्यवसाय से रोजगार प्राप्त कर सके।

उपसंहार - अध्ययन के परिणाम के संबंध में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से चल रहे निरन्तर सरकारी प्रयासों, शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान, संचार के साधनों में वृद्धि तथा, योजनाओं के प्रचार-प्रसार के प्रभाव से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन

स्तर में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम एक सकारात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक उद्यमिता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि इस वर्ग के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इस ओर विशेष ध्यान देने व प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है, जिससे कि समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 ग्रामीण विकास एवं युवा स्वरोजगार योजना विवरणिका, मध्यप्रदेश शासन।
- 2 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना विवरणिका, मध्यप्रदेश शासन।
- 3 बंधोपाध्याय, डी (2007) 'महिला पंचायतों का सशक्तिकरण' कंसेप्ट पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली।
- 4 Kerawalla J.D. (1952) District Census Handbook Betul "Census Publication Madras.
- 5 मध्यप्रदेश अतीत और आज, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, 2011

क्र.	जिले	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति		
		कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या अजा.	पुरुष	महिलाएं	कुल जनसंख्या अजा.	पुरुष	महिलाएं
1	मध्यप्रदेश	772626809	711342320	5908638	5433682	15316784	7719404	7597380
2	बैतूल	11575362	1159296	81621	777675	6667018	3333166	3333852

मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि का विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर प्रभाव

डॉ. रंजना नीलिमा कच्छप *

शोध सारांश - विश्व के अधिकांश देशों के सामने गरीबी, बेराजगारी, असमानता जैसी समस्याओं के साथ-साथ मुद्रा स्फीति तथा महंगाई की समस्याएँ भी विद्यमान हैं। देश की जनता अपनी सरकार से मांग करती है कि उसे कम मूल्य पर दैनिक उपभोग की वस्तुएँ मुहैया करायी जाय। लोग आय में वृद्धि की मांग करते हैं। पर विकासशील देशों में धन की कमी के कारण सफलता नहीं मिलती। घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण सरकार उस घाटे को अधिक नोट छापकर पूरा करती है। जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है एवं मुद्रा प्रसार के कारण महंगाई बढ़ जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाय तो नोटबंदी के बाद मुद्रा की मात्रा में कमी आयी थी किन्तु अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गयी। नोटों की पर्याप्तता के साथ नौकरीपेशा वर्ग की आय में वृद्धि होने के साथ मुद्रा की मात्रा व महंगाई दोनों में वृद्धि देखी जा सकती है। रसोई गैस, पेट्रोल, खाद्य पदार्थों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं जैसे - उच्च आय, मध्यम आय तथा निम्न आय वर्ग। बढ़ती महंगाई गरीब जनता का पेट काटती है, मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं में कटौती करती है तथा धनी वर्ग के लिए आय का स्रोत उत्पन्न करती है। सभी वस्तुओं के मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी का जीवन निर्वाह दूभर होता जा रहा है। मूल्य वृद्धि का कारण उत्पादन में कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, गोदामों में अनाजों का सड़ना तथा कालाबाजारी एवं वस्तुओं की मांग पूर्ति में असंतुलन आदि पाया गया। अध्ययन से पता चलता है कि मुद्रा की मात्रा, उपभोक्ताओं की आय, खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों तथा ईंधन के मूल्य में वृद्धि हुई है तथा उपभोक्ताओं की वास्तविक आय एवं वस्तुओं को उपभोग करने की क्षमता कम हुई।

प्रस्तावना - किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास में वहाँ रहने वाली जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 'मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार आधुनिक आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक सीमा तक मुद्रा स्फीति मानव के लिए लाभदायक है तो एक सीमा के बाद यह खतरनाक अभिशाप है। सामान्य अर्थों में देखा जाय तो मुद्रा स्फीति वह दशा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तथा मुद्रा का मूल्य घटता है।' साधारण शब्दों में कहें तो मुद्रा की कीमत में कमी होना मुद्रा स्फीति है इसे महंगाई भी कह सकते हैं अर्थात् वस्तु की कीमत में वृद्धि होना और मुद्रा की कीमत कम होना। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि छः महीने पहले देखा जाय तो एक गैस सिलेण्डर एवं एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए हमें क्रमशः 600 ₹0 व 62 ₹0 देने होते थे वर्तमान में उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रमशः 800 ₹0 व 72 ₹0 देने पड़ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गयी है।

मुद्रास्फीति के कारण-

1. जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो जाती है जबकि उस वस्तु की उत्पादकता कम होती है तो इससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है जिससे महंगाई बढ़ जाती है।
2. किसी वस्तु की लागत में वृद्धि होने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है तो इससे वह वस्तु सामान्य कीमत से अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को प्राप्त होती है। जिसका सीधा असर मुद्रा स्फीति पर होता है।
3. यदि किसी देश की जनता के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे तो वह अधिक वस्तुओं को खरीदेगा और वस्तुओं में कमी आयेगी तथा कीमतें बढ़ेंगी।

भारत में मुद्रा स्फीति दर -

हालिया रिलीज़ -

सितंबर में भारत मुद्रास्फीति दर अपरिवर्तित - सितंबर 2017 में भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.28 प्रतिशत बढ़कर सालाना आधार पर आया, जो पिछले महीने के पांच महीने के उच्चतम और बाजार की अपेक्षा 3.6 प्रतिशत से कम है। खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई, जबकि आवास, ईंधन और कपड़ों के लिए तेजी से कीमतें बढ़ गईं। 2017-10-12 आंको प्रकाशित।

अगस्त में 5 माह के उच्च स्तर पर भारत की मुद्रास्फीति दर - जुलाई में 2.36 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की बाजार अपेक्षाओं के बाद भारत में उपभोक्ता कीमतों में अगस्त, 2017 के अगस्त माह में 3.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मार्च के बाद से उच्चतम मुद्रास्फीति की दर है, खाद्य कीमतों में पुनः भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष (अप्रैल से सितंबर 2017) की पहली छमाही में 3.5 प्रतिशत - 3.5 प्रतिशत - दूसरी छमाही में 4.5 प्रतिशत (अक्टूबर 2017 से मार्च 2018)।

2017-09-12 पर प्रकाशित।

जुलाई में भारत में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 2.36% हो गई है - जुलाई 2017 में भारत के उपभोक्ता कीमतों में सालाना आधार पर 2.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बाजार की अपेक्षा 1.87 प्रतिशत और पिछले महीने 1.54 प्रतिशत बढ़कर रही। आवास, उर्जा और कपड़ों की कीमतें आगे बढ़ गईं और खाद्य कीमतों में नरम गति से गिरावट आई।

2017-08-14 को प्रकाशित

भारत में मुद्रास्फीति दर 1.54% की ताजा कम - भारत में उपभोक्ता कीमतों में जून में 2017 में 1.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मई में 2.18 प्रतिशत की वृद्धि और 1.7 प्रतिशत बाजार अपेक्षाओं के मुकाबले तेजी से

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला - कोरिया (छ.ग.) भारत

धीमा हो गया। अनुकूल मानसून के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण मुद्रास्फीति की दर तीसरे महीने के लिए एक ताजा रिकॉर्ड कम हुई।

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

खाद्य पदार्थों, ईंधन एवं आवास की कीमतों में वृद्धि से भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 3.58 फीसदी हो गयी जो सितम्बर में 3.28 फीसदी थी। आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में सब्जियों की कीमतें बढ़कर 7.47 फीसदी रहीं, जबकि दुग्ध आधारित उत्पादों की कीमतें बढ़कर 4.30 फीसदी रहीं। इस दौरान अनाजों की कीमत में कमी आई और यह 3.68 फीसदी पर रही। जबकि मांस मछली की कीमतें बढ़ी जो 3.12 फीसदी रही। गैर खाद्य पदार्थ श्रेणी में ईंधन और बिजली क्षेत्र की मुद्रा स्फीति दर अक्टूबर में 6.36 फीसदी रही।¹²

जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। दैनिक आवश्यकता की चीजों में 150 से 250 गुना तक मूल्य वृद्धि हो चुकी है। बाजार में महंगाई तभी बढ़ती है जब मांग अधिक हो किंतु वस्तुओं की कमी हो जाए। इसका कारण जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि भी है। वस्तुओं की मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ी, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या में कमी आयी है। बहुत सी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भरता जैसे पेट्रोल पर बढ़ी धनराशि खर्च होना, कालाबाजारी महंगाई बढ़ने के कारणों में से एक है। बड़े-बड़े व्यापारी पूंजीपति धन बल पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर लेते हैं इससे बाजार में अचानक वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है।

देश में खाद्य पदार्थों व सब्जियों की कीमतें अक्टूबर, नवम्बर माह में निरंतर बढ़ती हुईं दिखाई। प्याज की कीमतें 50 ₹ प्रति किलो से उपर तथा टमाटर भी 50 ₹ प्रति किलो भाव से बिकती दिखाई। रसोई गैस की कीमतें भी 600 ₹ से बढ़कर 800 ₹ प्रति सिलेण्डर हो गयी। एक मजदूर वर्ग के रसोई से प्याज टमाटर गायब हो गयी। माल की पूर्ति आधे से घट गयी। जबकि मांग अधिक है। कीमतें बढ़ने का एक कारण यह भी है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है। नौकरीपेशा वर्ग को सातवां वेतन मान मिला तो रेल्वे व अन्य सेक्टर में बोनस मिलने से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई। तथा दूसरी ओर इन वस्तुओं का निर्यात होने से भी वस्तुओं की पूर्ति घटी जिसके कारण महंगाई में वृद्धि हुई है।

समाज में धनी वर्ग, गरीब वर्ग तथा नौकरी पेशा वर्ग के लोग रहते हैं। सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपभोग करना होता है। जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। महंगाई का सबसे बड़ा दुष्परिणाम गरीबों व निम्न मध्य वर्ग पर पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व – विभिन्न समाचार पत्रों, टी0 वही न्यूज चैनलों द्वारा अपने दैनिक उपयोग में आने वाली उपयोगी वस्तुओं की कीमतों के बारे में यह जानकारी मिलती रहती है कि रसोई गैस, पेट्रोल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य आसमान छू रहे हैं। यह जानने की जिज्ञासा हुई कि विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मूल्य वृद्धि का सबसे गंभीर प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है इसकी जानकारी के लिए अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई।

जिस समाज में मानव निवास करता है वहां विभिन्न वर्ग के लोग रहते

हैं। अर्थव्यवस्था में नित नये बदलाव आते रहते हैं पर लोगों को किसी के बारे सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मूल्य वृद्धि का प्रभाव जानने के लिए एवं उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. बढ़ती महंगाई के कारण उपभोक्ता वर्ग की वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. बढ़ती महंगाई के कारण उपभोक्ता वर्ग के वस्तुओं के उपयोग प्रवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. बढ़ती महंगाई के कारणों का अध्ययन करना।

पूर्व शोध साहित्यों का अध्ययन –

1. टूटेजा, ऊषा (दिसम्बर, 2008) – इन्होंने अपने अध्ययन में गरीबों की दशा का वर्णन किया है, खाद्य पदार्थों में मुद्रा स्फीति अर्थात् महंगाई बढ़ने से उनकी स्थिति खराब हो गयी। इसलिए सरकार को इस स्थिति में नियंत्रण लाने के लिए उपाय निकालना चाहिए। मुद्रा स्फीति से अर्थव्यवस्था के विकास में लाभ होगा। लेकिन गरीब वर्ग अपनी आय का 60-70 ! भोजन पर खर्च करता है। नीति निर्माताओं को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए जिससे खाद्य मुद्रा स्फीति का निराकरण किया जा सके।

2. स्मिथ, मेलानी – इनका अध्ययन मुद्रा स्फीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध : एक अनुभव जन्य विश्लेषण पर आधारित है इन्होंने कहा कि मुद्रा स्फीति में वृद्धि का मतलब है कीमतों में वृद्धि। मुद्रा स्फीति में वृद्धि से पैसे की क्रयशक्ति कम हो जाती है, जिससे उपभोग घटता है तथा जी0डी0पी0 में कमी आती है। इससे भुगतान संतुलन भी प्रभावित होता है क्योंकि निर्यात अधिक महंगा हो जाता है। फिलिप्स वक्र बताता है कि उच्च मुद्रा स्फीति बेरोजगारी की कम दर को बताती है जिसका आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. कीन्स, जे0एम0 – कीन्स ने मुद्रा स्फीति की व्याख्या समाज की कुल व्यय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्ध मात्रा के संबंध में की है। जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है। मौद्रिक आय बढ़ने से आम जनता का व्यय भी बढ़ जाता है। इससे कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। यदि व्यय योग्य मौद्रिक आय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा दोनों एक ही अनुपात में बढ़ता है तो कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होती है। किन्तु वस्तुओं व सेवाओं की तुलना में व्यय योग्य मौद्रिक आय अधिक अनुपात में बढ़ता है तो कीमत स्तर बढ़ने लगता है।

प्र00 कीन्स की बातें कुछ हद तक सही साबित होती दिखाई देती है उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था में देखा जाय तो कई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दिखाई देती है। इससे यह कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ रही है। लोगों की मौद्रिक आय में निश्चित ही वृद्धि हुई है। नौकरी पेशा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि हुई है सातवां वेतनमान लागू होने के बाद। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मनरेगा योजना ने मजदूरों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाया है। साथ ही निरंतर जनसंख्या में वृद्धि देखी जा सकती है जिसके कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि देखी जा सकती है।

उपरोक्त शोध साहित्यों के अध्ययन से पता चलता है कि समय- समय पर मुद्रा स्फीति भारत में देखी गयी जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई जिसका प्रभाव विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर पड़ा है। सबसे अधिक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। इस समय खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि देखी गयी।

तथा मुद्रा की क्रयशक्ति कम हो जाती है।

उपर्युक्त शोध-साहित्यों के पुनर्वलोकनों से स्पष्ट है कि मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि को लेकर कई अध्ययन किये गये हैं। परन्तु प्रस्तुत अध्ययन विषय 'बढ़ती मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि का विभिन्न उपभोक्ता वर्गों पर प्रभाव' पर कोई भी अध्ययन दृष्टिगोचर नहीं होता है साथ ही उपरोक्त अध्ययनों में मूल्य वृद्धि संबंधी अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अध्ययन समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में प्याज, ईंधन एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि संबंधी खबरों को पढ़कर तथा घटती घटना को प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास है।

अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक समंको पर आधारित है। अध्ययन को चार भागों में विभाजित किया गया है।

1. **अध्ययन का क्षेत्र** - इसके लिए विकासखण्ड बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0 का चयन किया गया।

2. **उत्तरदाताओं का चयन** -

1. उच्च आय वर्ग इसमें 20 नौकरीपेशा व्यक्तियों को लिया गया।
2. मध्यम आय वर्ग 20 नौकरीपेशा तृतीय वर्ग कर्मचारी लिये गये।
3. निम्न आय वर्ग 20 मजदूर वर्ग लिये गये।

3. **तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति, प्रविधि एवं उपकरण** प्राथमिक समंकों के लिए प्रश्नावली व साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग एवं सांख्यिकीय विधियां प्रतिशत विधि, द्वितीयक स्रोतों का उपयोग भी किया गया जिसमें पत्रिका, समाचार पत्र, तथा शोध-पत्र, शोध-ग्रंथ का भी उपयोग किया गया।

4. **संकलित तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण** - सांख्यिकीय विधियां प्रतिशत विधि, तालिका, का प्रयोग किया गया है।

समय सीमा - प्रस्तुत अध्ययन दिसम्बर 17 से जनवरी 18 के बीच लगभग 60 दिनों में पूर्ण किया गया।

अध्ययन से प्राप्त परिणाम -

1. **वर्तमान में आय में वृद्धि की स्थिति** - सातवां वेतनमान मिलने के कारण तथा महंगाई भत्ता में वृद्धि के कारण नौकरी पेशा वर्ग की आय में वृद्धि हुई है, तथा मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। जिसकी जानकारी ली गयी-

तालिका क्रमांक 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के विश्लेषण में पाया गया कि वर्तमान में तीनों ही आय वर्ग के उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है। किसी को सातवां वेतनमान मिला तो किसी को महंगाई भत्ता किसी न किसी रूप में वेतन वृद्धि हुई है। अध्ययन में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वेतन में वृद्धि हुई है।

2. **खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों के मूल्य में वृद्धि की स्थिति** - वर्तमान में देखा जाय तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सब्जियों, खाद्य पदार्थों एवं ईंधन तथा कई अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। इस संबंध में जानकारी इस प्रकार प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों के मूल्य में वृद्धि हुई है।

3. **मूल्य वृद्धि से वस्तुओं के उपभोग प्रवृत्ति की स्थिति** - मूल्य वृद्धि एवं वस्तुओं के उपभोग करने में विपरित संबंध होता है। विभिन्न उपभोक्ता वर्ग से इस संबंध में जानकारी इस प्रकार प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि से वस्तुओं को उपभोग करने की प्रवृत्ति में सबसे अधिक निम्न आय वर्ग पर प्रभाव पड़ा। 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी उपभोग प्रवृत्ति कम हुई है। खाने में टमाटर की चटनी का स्वाद भूल गये थे। प्याज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा एल पी जी गैस का उपयोग न करके चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आय अधिक होने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उनका उपयोग वे पहले जैसा ही करते हैं जबकि मध्यम आय वर्ग के 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उपयोग कर दिये हैं जबकि 40 प्रतिशत ने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

4. **मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की वास्तविक आय पर प्रभाव** - मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है। क्योंकि मूल्य वृद्धि निरंतर होती जाती है जबकि आय निरंतर नहीं बढ़ती। विभिन्न उपभोक्ता वर्ग से इस संबंध में जानकारी इस प्रकार प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग के उत्तरदाताओं में 80 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से वास्तविक आय कम हुई है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आय में कोई कमी नहीं आयी है। जबकि निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी वास्तविक आय कम हुई है। मूल्य वृद्धि के कारण उतनी ही आय से वे कम वस्तुओं को खरीद सकते हैं।

5. **मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की बचत पर प्रभाव** - मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है तथा बचत कम हो जाती है। विभिन्न उपभोक्ता वर्ग से इस संबंध में जानकारी इस प्रकार प्राप्त हुई।

तालिका क्रमांक 5 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के बचत पर प्रभाव पड़ता है। निम्न आय वर्ग के 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बचत नहीं होती है।

मूल्य वृद्धि के कारण -

1. **मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना** - विमुद्रीकरण के कारण थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी देखी गयी पर अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था फिर से पटरी में आ गयी। साथ ही नौकरीपेशा वर्ग को सातवां वेतनमान मिलने तथा महंगाई भत्ता मिलने एवं अनुत्पादक कार्यों के क्षेत्र में सरकार द्वारा अधिक व्यय किये जाने से जनता के हाथों में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ी तथा मूल्य में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 6 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

2. **मुद्रा का मूल्य कम होना** - मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मुद्रा के मूल्य में निरंतर कमी देखी जा सकती है। वर्तमान में अधिक पैसों से कम वस्तुओं की खरीदी हो पाती है।

तालिका क्रमांक 7 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा मुद्रा का मूल्य कम हुआ है।

3. **उत्पादन में कमी** - खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आना भी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का एक कारण है।

4. **पानी का अधिक गिरना** - सितम्बर से दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक देखा जाय तो सब्जियों के मूल्य में भारी वृद्धि देखी जा सकती है। खास कर टमाटर के मूल्य में जिसका कारण भारी बारिश से फसल का नुकसान होना है।

5. **मंडियों में अनाज का सड़ना** - इसी तरह प्याज का स्टोरेज सही ढंग से नहीं होने के कारण, तथा अनाज का रख-रखाव ठीक न होने के कारण मंडियों में अनाज सड़ जाते हैं तथा बाजार में उसकी आपूर्ति कम होने से मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

6. **गोदाम में स्टॉक** - कुछ व्यापारी वस्तुओं का भारी स्टॉक गोदाम में रख लेते हैं जिससे भी वस्तुओं की पूर्ति बाजार में कम हो जाती है।

7. **मांग व पूर्ति में असंतुलन** - जितनी मात्रा में वस्तुओं की मांग बाजार में हो रही है उससे कम मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति होना मूल्य वृद्धि के कारणों में से एक है।

शोध अध्ययन के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष -

1. विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी दिखाई दे रही थी किंतु वर्तमान में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि देखी जा सकती है।
2. आय संबंधी जानकारी लेने पर पाया गया कि तीनों ही आय वर्ग के उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है। किसी को सातवां वेतनमान मिला तो किसी को महंगाई भत्ता किसी न किसी रूप में वेतन वृद्धि हुई है। अध्ययन में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वेतन में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति देखी जा सकती है।
3. वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के संबंध में जानकारी लेने पर पाया गया कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, पेट्रोल, एवं सब्जियों के मूल्य में वृद्धि हुई है।
4. वस्तुओं के उपभोग करने की प्रवृत्ति के संबंध में जानकारी लेने पर सबसे अधिक निम्न आय वर्ग पर प्रभाव पड़ा। 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी उपभोग प्रवृत्ति कम हुई है। खाने में टमाटर की चटनी का स्वाद भूल गये हैं। प्याज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा एल पी जी गैस का उपयोग न करके चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आय अधिक होने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उनका उपयोग वे पहले जैसा ही करते हैं जबकि मध्यम आय वर्ग के 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि उपयोग कर दिये हैं जबकि 40 प्रतिशत ने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
5. मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की वास्तविक आय और बचत पर प्रभाव की जानकारी लेने पर पाया गया कि उच्च आय वर्ग के उत्तरदाताओं में 80 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से वास्तविक आय कम हुई है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आय में कोई कमी नहीं आयी है। जबकि निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी वास्तविक आय कम हुई है। मूल्य वृद्धि के कारण उतनी ही आय से वे कम वस्तुओं को खरीद सकते हैं।
6. मूल्य वृद्धि का कारण मांग व पूर्ति में संतुलन न होना, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना, मुद्रा का मूल्य कम होना, उत्पादन में कमी होना, पानी की कमी या अधिकता, मंडियों में अनाज का सड़ना आदि है।

अतः कहा जा सकता है कि मुद्रा स्फीति एवं मूल्य वृद्धि का प्रभाव सभी वर्ग के लोगों पर पड़ता है लेकिन गरीब वर्ग या निम्न आय वर्ग पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। क्योंकि जिस तेजी से मूल्य में वृद्धि होती है उस तेजी से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती।


सुझाव -

1. खाद्य पदार्थों की उत्पादकता को मांग अनुरूप बढ़ाने से मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है।
2. बढ़ती महंगाई के अनुसार मजदूर वर्ग की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक हो सके।
3. मंडियों में अनाज को सड़ने से बचाने की सुविधायें विकसित किये जायें जिससे वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
4. सीमित भूमि पर उन्नत कृषि कर भी अनाज की कमी को दूर किया जा सकता है।
5. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे किसान वर्ग कृषि कार्य कर सके एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो सके।
6. किसानों के लिए बाजार तक उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाने की सुविधा होनी चाहिए जिससे बड़े मूल्य का लाभ उनको ही मिल सके। जिसे बिचौलिए प्राप्त करते हैं।

संभावनाएं - आने वाले समय में सब्जियों के मूल्यों में कमी आने की संभावना है कारण - मौसमी सब्जियों की फसल खेतों से आने लगेगी। किन्तु रसोई गैस, पेट्रोल, एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों कमी आने की संभावना दिखाई नहीं देती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा, सी० एस० एण्ड भारद्वाज, अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष पेज नं० 55.
2. <https://tradingeconomics.com/india/inflation-cpi>
3. apubskqyolkip.gq/2146-essay-on-mahangai-6848.html.
4. भारद्वाज, जीवनलाल (2017, नवम्बर 21) - 'आखिर देश में महंगाई डायन फिर क्यों चली आयी'? नवभारत, पेज नं० 04।
5. अंबिकावाणी, (2017, नवम्बर 22) - 'प्याज के आंसू', पेज नं० 4।
6. Kumar Rajiv, Pankaj Vashisht and Gunajit Kalita (2010, March 6): "Food Inflation - Contingent and Structural Factors", Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 10, pp. 16-19.
7. Mohanty, Deepak (2010, March 4): "Inflation Dynamics in India: Issues and Concerns", speech delivered at Bombay Chamber of Commerce & Industry, published in Monthly Bulletin, April, 2010, RBI, Bombay, pp. 763-769.
8. Chand, Ramesh (2010, February 27): "Understanding the Nature and Causes of Food Inflation", Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 9, pp. 10-13.
9. Tuteja, Usha (2008, December): "Protect Poor from Food Inflation", Economic Times.
10. Smith, Melanie - sampal paper The Relationship between Inflation and Economic Growth (GDP) an Ampirical Analysis. <http://www.ivoryresearch.com/writers/melanie-smith>.
11. मिश्रा, सी० एस० एण्ड भारद्वाज, अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष पेज नं० 57.
12. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, (2007) रिसर्च मैथडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पेज नं० 59।
13. उप्रेती, हरिश्चन्द्र - (2000) भारतीय जनजातियां - संरचना एवं विकास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पेज नं० 377, 378।



Source - <https://tradingeconomics.com/india/inflation-cpi>

तालिका क्रमांक 1
वर्तमान में आय में वृद्धि की स्थिति-

क्र.	आय में वृद्धि का स्वरूप	हां हुई है	नहीं हुई	कह नहीं सकते	योग
1	उच्च आय वर्ग	20	0	0	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	60	0	0	60
5	प्रतिशत	100	0	0	100

स्रोत - प्राथमिक स्रोत ।

तालिका क्रमांक 2
खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों के मूल्य में वृद्धि की स्थिति-

क्र.	खाद्य पदार्थों एवं सब्जियों के मूल्य में वृद्धि	हां हुई है	नहीं हुई	कह नहीं सकते	योग
1	उच्च आय वर्ग	20	0	0	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	60	0	0	60
5	प्रतिशत	100	0	0	100

स्रोत - प्राथमिक स्रोत ।

तालिका क्रमांक 3
मूल्य वृद्धि से वस्तुओं के उपभोग प्रवृत्ति की स्थिति

क्र.	मूल्य वृद्धि से वस्तुओं के उपभोग प्रवृत्ति का प्रभाव	कम हुई है	अधिक हुई	कोई प्रभाव नहीं पड़ा	योग
1	उच्च आय वर्ग	0	0	20	20
2	मध्यम आय वर्ग	12	0	8	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	32	0	28	60

स्रोत - प्राथमिक स्रोत ।

तालिका क्रमांक 4

मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की वास्तविक आय पर प्रभाव

क्र.	मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव	वास्तविक आय कम हुई	वास्तविक आय अधिक हुई	कोई प्रभाव नहीं पड़ा	योग
1	उच्च आय वर्ग	16	0	04	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	56	0	04	60

स्रोत - प्राथमिक स्रोत।

तालिका क्रमांक 5

मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की बचत पर प्रभाव

क्र.	मूल्य वृद्धि का उपभोक्ता की बचत पर प्रभाव	बचत कम हुई	बचत नहीं हुई	कोई प्रभाव नहीं पड़ा	योग
1	उच्च आय वर्ग	18	0	02	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	00	20	00	20
4	योग	38	20	02	60

स्रोत - प्राथमिक स्रोत।

तालिका क्रमांक 6

मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना

क्र.	मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है	हां	नहीं	कह नहीं सकते	योग
1	उच्च आय वर्ग	20	0	0	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	60	0	0	60
	प्रतिशत	100	0	0	100

स्रोत - प्राथमिक स्रोत।

तालिका क्रमांक 7

मुद्रा का मूल्य कम होना

क्र.	मुद्रा का मूल्य कम हुआ है	हां	नहीं	कह नहीं सकते	योग
1	उच्च आय वर्ग	20	0	0	20
2	मध्यम आय वर्ग	20	0	0	20
3	निम्न आय वर्ग	20	0	0	20
4	योग	60	0	0	60
	प्रतिशत	100	0	0	100

स्रोत - प्राथमिक स्रोत।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्तमान परिदृश्य विकास एवं चुनौतियाँ

डॉ. निशा मिश्रा * मोनिका मिश्रा **

प्रस्तावना - भारत ने वर्तमान दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार के क्षेत्र में अपने श्रम व मेधा के बल पर ऐतिहासिक व गर्व करने लायक उपलब्धियाँ हाँसिल की है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों को विकसित राष्ट्र हैरानी से देख रहे हैं। आज विश्व की प्रमुख साफ्टवेयर महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कृषि प्रधान भारत आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत केन्द्र बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात की ऊँची छलांग के बदैलत अर्थव्यवस्था को नयी ताकत ही नहीं मिली है बल्कि अपने उत्पादों और सेवा की गुणवत्ता क चलते भारत की साख बड़ी है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर व इससे संबंधित सेवा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास करने वाले क्षेत्रों में से एक है। आईटी उद्योग देश के आर्थिक विकास में सबसे गतिशील क्षेत्रों में शामिल हो गया है।

आज सेवा क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास में भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रौद्योगिकी कार्यों में हो रहे अनुसंधान से ज्ञान के उपार्जन, सृजन, हिस्सेदारी व उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जो आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं (आई.टी.आई.टी.ई.एस) के उपयोग से सेवाओं में सुधार आया व कार्य के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से नई तकनीकी की बेहतर कार्यकुशलता तथा अनुसंधानों से विनिर्माण व्यापार स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, राजकीय व्यवस्था सरकारी सेवाओं के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहे हैं। आई.टी. उद्योग कार्य संपादन की लागतों को कम करने में सहायता कर रहे हैं। वही ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आ रही है वही आय के स्रोतों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देश के आर्थिक विकास में सबसे गतिशील क्षेत्रों में शामिल हो गया है।

वर्तमान में आई.टी. सेवा उद्योग में अनेक परिवर्तन हुए हैं निर्यात राजस्व जो 2011-12 में 69 अरब डालर था वह 2016-17 में 117 विलियन डालर हो गया है वही घरेलू राजस्व जो 19 अरब डालर था वह 38 विलियन डालर (2017) में हो गया है वही सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2008 में 5 लाख 20 हजार थी वह 2012-13 में 29.2 लाख हो गई तथा 2017 में 35 से 40 लाख हो गई। आई.टी. उद्योगों से प्राप्त कुल राजस्व में भी लगभग 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत शोध पत्र में आई.टी. उद्योगों के विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि व चुनौतियों के वर्तमान परिदृश्य की विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

सूचना तकनीकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान - आई.टी. - आईटीईएस उद्योग भारत के आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरे विश्व में साँपट पावर के रूप में भारत की साख बड़ी है। फार्च्यून व ग्लोबल में शामिल अधिकांश कम्पनियाँ सूचना प्रौद्योगिकी और उस पर आधारित सेवाओं के लिये भारत पर निर्भर है। भारतीय कम्पनियों ने पूरे विश्व में सेवा प्रदाय केन्द्र खोल रखे हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में 70 देशों के 200 नगरों में 560 से भी ज्यादा केन्द्र कार्यरत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 5.24 प्रतिशत है। इसमें लगभग 25 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदाय करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। जी.पी.डी में वृद्धि के प्रतिशत में 6.6 प्रतिशत योगदान आईटी क्षेत्र का है।

तालिका -01

क्षेत्रवार आई.टी. - आई.टी.ई.एस. कम्पनीज का निर्यात
(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

सेवा क्षेत्र	वित्त वर्ष 1999-2000	वित्त वर्ष 2012-13
आई.टी. सेवाएँ	3.1	39.2
बी.पी.ओ.	0.6	16.5
साँपटवेयर उत्पाद इंजीनियरी	0.3	13.3
योग	4	69

स्रोत - नासकॉम एवं डीआईटी वार्षिक रिपोर्ट

आई.टी. उद्योग से भारत के आर्थिक विकास में योगदान के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में भी काफी परिवर्तन आया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में काफी बदलाव आया है जैसे - बैंकिंग कार्यों में कम्प्यूटर एव ए.टी.एम. सुविधाओं में वृद्धि, इन्टरनेट से एफ.आई.आर, रेल टिकट व आरक्षण का कम्प्यूटीकरण, न्यायालयों के निर्णय भी ऑन लाईन उपलब्ध कराना। भूमि का रिकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाना, ऑन लाईन वे प्रवेश परीक्षाएँ, आयकर रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन उपलब्ध होना आदि।

भारतीय प्रतिभाओं के नित नई खोज से विकसित साफ्टवेयर व कम्प्यूटर सेवा उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धशाली संसाधनों व उनसे आय के स्रोतों में तीव्र वृद्धि हो रही है। सूचना तकनीकी अर्थव्यवस्था वृद्धि दर को त्वरित करने हेतु एक मुख्य सुविधाजनक तत्व है जो अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में योगदान दे रहा है। आज भारत में

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय के.आर.जी.महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** एम.एस.सी.(कृषि विज्ञान) शासकीय के.आर.जी.महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सरकारी क्षेत्रों में आई.टी.सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

तालिका 01 से स्पष्ट है कि भारत के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात राजस्व वर्ष 2012-13 में लगभग 69 बिलियन डॉलर था जो वर्ष 2006-07 के मुकाबले दुगने से भी अधिक है वही 2014 में 86 बिलियन डॉलर तथा 2017 में बढ़कर 117 बिलियन डॉलर हो गया है। इन निर्यातों में बी.पी.ओ. के निर्यात भी शामिल है। केवल आई.टी. सेवाओं का निर्यात वर्ष 2012-13 में 39.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था। आई.टी. - आई.टी.ई.एस उद्योग का घरेलू राजस्व 2012-13 में 19 बिलियन डॉलर था वही 2017 में 38 बिलियन डॉलर हो गया है।

Market size of IT Industry in India (देखें आगे पृष्ठ पर)

निर्यात उद्योग में मुख्यतः आईटी सेवाएँ, व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (वी.पी.ओ) इंजीनियरिंग सेवाएँ कार्य कर रही हैं। आईटी सेवाएँ इस उद्योग की सफलता का मुख्य आधार हैं। वही बीपीओ व इंजीनियरिंग सेवाओं का क्षेत्र भारत के मूल्य आधार पर विकसित हुआ है

आई.टी.व आईटीईएस उद्योग की वर्तमान स्थिति

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में IT Bpm (Business process management) उद्योग का अनुमानित राजस्व लगभग 130 बिलियन डॉलर था जो 2016-17 में बढ़कर 154 बिलियन डॉलर हो गया है।
- भारत की GDP में आई.टी. क्षेत्र के उद्योगों का योगदान 2016 में 7.7 प्रतिशत था जो 2017 में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया।
- भारत की IT and ITES क्षेत्र से वर्ष (2016 के कुल राजस्व का 10.4 प्रतिशत केवल TCS कम्पनी से प्राप्त हुआ है। कुल उद्योग के राजस्व में टॉप 5 आई.टी फर्म का 25 प्रतिशत योगदान है जो यह दर्शाता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है।
- वित्तीय वर्ष 2017 में आई.टी.उद्योग से घरेलू राजस्व 38 बिलियन यू.एस. डॉलर एवं निर्यात राजस्व लगभग 117 बिलियन यू.एस डॉलर प्राप्त हुआ है।

अभी हाल में 20 नवम्बर 2017 को हैदराबाद में पहलीवार आयोजित इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड कांग्रेस समिट में आई.टी.सेक्टर में तीव्र वृद्धि को नैस्काम, आई.ए.एम.ए.आई व इकोनॉमिक सर्वे ने अपने सर्वेक्षण में आई.टी. उद्योग की प्रगति को निम्नानुसार बताया है। नैस्कॉम रिपोर्ट अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है वहीं डिजिटल रेवेन्यू 30 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जबकि आई.टी. एक्सपोर्ट आयुग्मोथ 7-9 फीसदी रहने की उम्मीद है। सॉफ्टवेयर सर्विस से आय 150 अरब डॉलर तथा एक्सपोर्ट से आय 1,300 करोड़ डॉलर हो सकती है। घरेलू आई.टी. उद्योग से आयवृद्धि 10-12 फीसदी रह सकती है। आई.टी. उद्योग के संगठन नैस्कॉम का मानना है कि 2019 में घरेलू आईटी उद्योग में वृद्धि होगी जिसका वर्तमान परिदृश्य आशावादी होगा। आई.ए.एम.ए.आई. का आकन है कि वर्ष 2018 तक भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 9.66 प्रतिशत बढ़कर 50 करोड़ हो जायेगा। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सालाना 11.34 प्रतिशत बढ़कर 48.1 करोड़ दिसम्बर 2017 में हो गई।

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2018 में ई-कॉमर्स मार्केट 33 अरब डॉलर का होगा। 2016-17 की तुलना में 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जायेगी। डिस्काउंट, फेस्टिव ऑफर्स, तेज डिलीवरी, बेहतर टेलिकॉम, बैडविड की

मदद से ईकॉमर्स सेक्टर में प्रभावशाली वृद्धि होगी। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री समान अवधि में 9 फीसदी की ग्रॉथ के साथ 140 अरब डॉलर तक बढ़ी है। ई-कॉमर्स व हार्डवेयर मार्केट साइज में शामिल नहीं है।

रोजगार एवं राजस्व की स्थिति - भारत जैसे देश के लिये यह व्यापक संतोष का विषय है कि आई.टी क्षेत्र में शिक्षित भारतीय युवाओं के लिये रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। आई.टी क्षेत्र ज्ञान आधारित उभरती हुई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसके बाद वित्तीय सेवाओं में बड़े हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदाय करने वाले क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। पिछले 10 वर्षों में जी.डी.पी. में वृद्धि के प्रतिशत में आई.टी क्षेत्र का 8.2 प्रतिशत योगदान रहा है। वही रोजगार की उपलब्धता में लगभग 40 प्रतिशत रहा है।

आई.टी. - आईटीईएस उद्योग में रोजगार की स्थिति का अध्ययन कर ज्ञात हुआ है कि पिछले दशकों में इस क्षेत्र में 22 लाख 80 हजार रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए थे वही 2012-13 में इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 28 लाख लोग रोजगार प्राप्त थे तथा 2016-17 में लगभग 35 से 40 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तालिका 03 से स्पष्ट है कि 10 बड़ी आईटी सेवा कम्पनियों में सर्वाधिक कर्मचारियों की संख्या टीसीए (387223) में है। जिसका कुल राजस्व 64672.93 करोड़ रुपये (वर्ष 2017) है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाली कम्पनियों में इन्फोसिस, विप्रो, एच.सी.एल, ओरिकल फाइनेन्स सर्विस है। आईटी सेवा निर्यात क्षेत्र एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है जो कुल प्रत्यक्ष रोजगार में इसका 49.2 प्रतिशत हिस्सा है। वही बीपीओ निर्यातों का उद्योग में कुल रोजगार के 32 प्रतिशत का सृजन करते हैं। शेष 22 प्रतिशत का सृजन घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी /वीपीओ क्षेत्रों से होता है। आई.टी. व आई.टी.ई.एस. कम्पनी में 2030 तक 300 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है।

तालिका -3 (देखें आगे पृष्ठ पर)

चुनौतियाँ एवं समाधान - आज तकनीकी विकास के कारण श्रमिकों की मांग में कमी आई है। वही अच्छे कौशल प्राप्त श्रमिकों की मांग ज्यादा है आधे से ज्यादा युवाओं को आधुनिकीकरण के कारण वे अपना रोजगार खो रहे हैं। 2021 तक रोजगार में और भी कमी आने की संभावना है।

नेशनल एसोसियेशन ऑफ साफ्टवेयर द्वारा आई.टी. क्षेत्र में मात्र 5 प्रतिशत वृद्धि की पुष्टि हुई है जिससे बढ़ने की संभावना नहीं है। वर्ष 2015-16 में 40 प्रतिशत अस्थाई कर्मचारियों में कमी की गई है। वार्षिक कार्यक्षमता के आधार पर उद्योगों में कर्मचारियों की छंटनी वर्तमान में की गई इसी क्रम में विप्रो ने अगस्त 2017 में 600 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। स्वचलित तकनीक को भारतीय उद्योगों में अपनाये जाने से पारंपरिक सेवाओं में कमी के कारण 30-40 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। वैश्विक स्तर की तुलना में भारतीय कम्पनियों में डिजिटल तकनीक का धीमी गति से विकास आगामी वर्षों में एक बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स के पश्चात निवेश में कमी से मेक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य पूरी तरह से भारतीय आई.टी. सेवा प्रदाताओं के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

भारत में योग्य प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियरों का

अभाव भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। इसके लिये गुणवत्ता युक्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की व्यवस्था के साथ कौशल विकास के माध्यम से रोजगार योग्य युवाओं की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए। आई.टी. उद्योग को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे संचार सुविधाओं का अभाव, पूंजी लागत में उदासीनता, साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों को आई.टी. क्षेत्रों से जोड़ना आदि। आज आवश्यकता है निवेश नियति, रोजगार सृजन व जीडीपी में योगदान हेतु साफ्टवेयर व सेवाक्षेत्र का अधिकतम उपयोग हो ताकि भारत विश्व के आईटी क्षेत्रों में अपना नेतृत्व कर सके। भारतीय साफ्टवेयर और सेवा उद्योग ने विश्व बाजार में भारत को एक ऐसा ब्राण्ड बना दिया है जो सर्वथा अपराजेय है परन्तु फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सामने कई समस्याएँ हैं क्योंकि आई.टी उद्योग का केन्द्रीकरण कुछ बड़े महानगरों में होने के कारण आवास समस्या, पर्यावरण समस्या, कुल लागतों में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। इसे दूर करना आवश्यक है।

सूचना तकनीकी विकास हेतु आवश्यक सुझाव -

- सूचना तकनीकी सेवाओं का विकास
- संचार एवं नेटवर्किंग आधार संरचना, उपलब्ध कराना (टेली-संचार, नेटवर्क, इंटरनेट द्वारा केवल टी.वी. नेटवर्क)
- ब्रैंड भिन्न वैयक्तिक कम्प्यूटरी (Non Branded PCS) का वर्तमान वर्षों में बाजार भाग काफी बढ़ गया है। बाजार के इस अंश को स्वीकार कर इसकी गुणवत्ता (Quality) के बारे में सजग बनाने के लिये प्रोत्साहन कर देना चाहिए।
- मार्ग के अधिकार (Right of Way) के लिये राष्ट्रनीति के निर्माण की सख्त जरूरत है। जिससे केवल टी.वी. या टेलीकॉम नेटवर्क के लिये आधार संरचना न्यूनतम समय सीमा में उपलब्ध करायी जा सके।
- टेली संचार विभाग द्वारा इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाले डेटा सर्किट


उपलब्ध कराने में अधिक समय लगता है जिससे सेवाओं की गुणवत्ता व उनके पहुंचने में बड़ी अनिश्चितता रहती है जिसे दूर करना अनिवार्य है।

- अधिकतम सूचना तकनीकी या इंटरनेट सेवाएँ सूचना पहुंचाने के लिये अंग्रेजी के माध्यम का प्रयोग करती है। सूचना तकनीकी को आम जनता में पहुंचाने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को विकसित करना अनिवार्य है। उदारीकरण वैश्वीकरण व निजीकरण की नीतियों से भारत का आई.टी उद्योग काफी प्रभावित हुआ है। आज निर्माण बीमा, बैंकिंग, संचार, वित्तीय लेन देन, खुदरा कारोवार, उद्योग में आई.टी. उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है भविष्य में देश के सतत विकास में भी सहयोग रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पेज 707-720 गौरव दत्त - अश्विनी महाजन, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा.लि. रामनगर दिल्ली 110055
2. भारतीय अर्थव्यवस्था बी.के.पुरी एवं एस.के.मिश्रा हिमालया पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
3. प्रौद्योगिकी नवाचार ज्ञान अर्थव्यवस्था योजना नवम्बर 2014
4. Government of India, Economic Survey 2015-16 ,(Delhi 2016) Vol. II Page. 70
5. विश्व विकास सूचक में संचालित (2013)
6. रिजर्व बैंक बुलेटिन (2010-11)
7. NASSCOM. Strategic 2003 Review
8. भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) Ministry of Telecom
9. भारतीय अर्थव्यवस्था डॉ. चतुर्भुज मामोटिया एस.सी.जैन
10. योजना नवम्बर 2007 (50वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी)

**Market size of IT Industry in India
(in US \$ Billion)**



Source : NASS Com.

**भारत की 10 बड़ी आई.टी. सेवा कम्पनियों में राजस्व एवं रोजगार की स्थिति
(जून 2017)
तालिका -3**

Companies	Revenues	No.of Employees	Head office
TCS	646.72.93 Crore	387223	Mumbai
Infosys	44341 Crore	200364	Bangalore
Wipro	38757.2 Crore	166790	Bangalore
HCL Technologies	16497.37Crore	117781	Noida
Tech. Mahindra	16295.1 Crore	117225	Pune
Oracle Financial Services	3159.47 Crore	138000	Mumbai
Mind tree	3031.6 Crore	16470	Bangalore
Cognizant	134.87 Billion	256100	Bangalore
M Phasis	1328.87 Core	21994	Bangalore
Rolta India.	1142.89 Crore	2707	Mumbai
Cyient	1224.49 Crore	14000	Hyderabad

Source - Wikipedia.org/wiki/ List of Indian IT Companies.

सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषायी विविधता तथा भारतीय संविधान

डॉ. संजय कुमार साकेत *

प्रस्तावना - भारतीय समाज में सदियों से लेकर आज के आधुनिक युग तक कई सारी विविधतायें विद्यमान हैं। भारतीय समाज में ये विविधतायें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषायी आदि, न जाने कितने प्रकार की विविधतायें इस भारतीय समाज में मौजूद हैं। भारतीय समाज में इतनी सारी विविधताओं के बाद भी यदि यह एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को अब तक बनाये हुए है तो उसका श्रेय मात्र भारतीय संविधान को हैं।

भारत 15 अगस्त सन् 1947 को ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को अपने देश का स्वयं का संविधान लागू किया। दुनिया के सबसे बड़े व लिखित संविधान, भारतीय संविधान में सब बातों के प्रवधान के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषा के बारे में भी मुख्य रूप बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में ही 'सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' की बात कही गई है इसके साथ ही सेकुलरिज्म अर्थात् देश का कोई धर्म नहीं होगा कहा गया है। संविधान के भाग एक में भारत अर्थात् इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है।

किसी भी देश में सामाज, अर्थ, धर्म और भाषा का बड़ा ही महत्व होता है। ये चारो ही चीजें आपस में दो लोगों व देशो को जोड़ने का काम करती है। जब समान भाषा, समान धर्म और समान सामाज आपस में मिलते हैं तो यह जोड़ने का काम करती है, लेकिन जब इन चीजों में असमानता, असमजस्य व बैर की भावना आ जाती है तो एक दूसरे को तोड़ने का काम भी करते हैं, खास तौर से भारत जैसे देश में। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाये तो ये चारो का ही बड़ा ही महत्व है क्यों कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषायी ये चारो ही चीजों की इतनी विविधता शायद ही किस अन्य देश में हो।

भारत में सामाजिक विविधता - सामाजिक विविधता की बात की जाये तो भारतीय सामाज में सबसे बाहुल्य संख्या में रहने वाले हिन्दू मुख्य रूप से चार (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) लेकिन इतनी जातियों में बटा है कि जिन्हे किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी हाथो की उगलियों में गिन पाना बड़ा ही मुश्किल है, यहा तक की यदि उसे देश की समस्त जातियों के बारे में जानना है तो उसे कई किताबों का अध्ययन और उन्हे कलम बद्ध करना पड़ेगा। **आनंद विक्रम बौद्ध** की बघेली की यह पक्ति कि 'पात-पात मा पात लापेटे जस केरा के बिरबा, अउ जात-जात मा जाति बनी है जातिवाद के किरबा।' **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** 'ने भी भारतीय सामाज को उस चार मंजिला इमारत की तरह कहा है जिसमें न तो सीढ़ी है और न ही दरवाजे, जो व्यक्ति जिस मंजिम में जन्म लिया है वह उस मंजिल में मरते दम तक रहेगा।

भारत में आर्थिक विविधता - आर्थिक विविधता की बात करें तो इस देश

में अमीरी व गरीबी की खाई इतनी गहरी है, जो और भी गहरी होती जा रही है। लंबे समय से भारत एक ऐसा देश रहा है, जहाँ एक ओर संपन्नता और समृद्धि की चमक-दमक है तो वही दूसरी तरफ घोर निर्धनता है। हाल ही के कुछ दशकों में यह फासला और भी बढ़ा है। एक छोटा तबका आला दर्जे की जीवनशैली का आनंद उठा रहा है, वही करोड़ों लोग विकास की दौड़ से पीछे छूट गये हैं। हमारे यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फेहरिस्त में शामिल धनकुबेर हैं, वही करोड़ों लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में आर्थिक विविधता उस घर के समान है जहाँ छत (अमीर) और ऊची होती चली जा रही है और फर्श (गरीब) और नीचे धसता चला जा रहा है, वही बीच में एक खाली जगह है, जो लगातार फैलती जा रही है, वह है भारत का मध्यवर्ग। आकड़ों की बात करें तो तेंदुलकर रिपोर्ट व विश्व बैंक की 2016 के अनुसार भारत में 22 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। ऑक्सफैम की सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017 की कुल संपत्ति वृद्धि का 73 प्रतिशत हिस्सा 1 प्रतिशत अमीरों के पास गया है।

देश में राज्यवार गरीबी का प्रतिशत 2011-12 (तेंदुलकर विधि)

क्रं.	राज्य	गरीबी प्रतिशत में		योग प्रतिशत में
		ग्रामीण	शहरी	
1.	आंध्र प्रदेश	10.96	5.81	9.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.93	20.33	34.67
3.	असम	33.89	20.49	31.98
4.	बिहार	34.04	31.23	33.74
5.	छत्तीसगढ़	44.61	24.75	39.93
6.	गोवा	6.81	4.09	5.09
7.	गुजरात	21.54	10.14	16.63
8.	हरियाणा	11.64	10.28	11.16
9.	हिमाचल प्रदेश	8.48	4.33	8.06
10.	जम्मू-कश्मीर	11.54	7.20	10.35
11.	झारखण्ड	40.84	24.83	36.96
12.	कर्नाटक	24.53	15.25	20.91
13.	केरल	9.14	4.97	7.05
14.	मध्य प्रदेश	35.74	21.00	31.65
15.	महाराष्ट्र	24.22	9.12	17.35
16.	मणिपुर	38.80	32.59	36.89
17.	मेघालय	12.53	9.26	11.87
18.	मजोरम	35.43	6.36	20.40

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिरसिंहपुर, पाली जिला - उमारिया (म.प्र.) भारत

क्रं.	राज्य	गरीबी प्रतिशत में		योग प्रतिशत में
		ग्रामीण	शहरी	
19.	नागालैण्ड	19.43	16.48	18.88
20.	ओड़िसा	35.69	17.29	32.59
21.	पंजाब	7.66	9.24	8.26
22.	राजस्थान	16.05	10.69	14.71
23.	सिक्किम	9.85	3.66	8.19
24.	तमिलनाडू	15.83	6.54	11.28
25.	त्रिपुरा	16.53	7.42	14.05
26.	उत्तराखण्ड	11.62	10.48	11.26
27.	उत्तरप्रदेश	30.44	26.06	29.43
28.	पश्चिम बंगाल	22.52	14.66	19.98
	सम्पूर्ण भारत	25.70	13.70	21.92

Press Note on Poverty Estimates, 2011-12, Government of India Planning Commission July 2013

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में गरीबी दूरी करने के भरसक प्रयास किये जाते रहे हैं लेकिन अब भी गरीबी का अंधकार देश से दूर नहीं हुआ। देश में गरीबी और आर्थिक विषमता का एक बड़ा कारण देश में हो रहा भ्रष्टाचार है, जिसने इसे कम करने के वजाय इसे और अधिक बढ़ाया है। सन् 2010 कि बात की जाये तो यह घोटालो का साल रहा है। इस वर्ष सबसे पहले आईपीएल घोटाला इसके बाद तीन अन्य घोटाले उजागर हुये, कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारियों का घोटाला, जिममें जनता के पैसे का भारी दुरुपयोग किया गया और इंडिया साईनिंग की सफाई दी गई। मुम्बई में 31 मंजिला इमारत आदर्श हाउसिंग का घोटाला। इसके बाद सबसे बड़ा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला। हाल ही के दिनों में पूँजीपतियों विजय माल्या व निरव मोदी आदि के द्वारा बैंकों में किये गये घोटाले। इन बातों से निष्कर्ष के तौर पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की यह पक्ति कि **'कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो यदि उसे चलाने वाले लोग सही नहीं है तो वह ठीक साबित नहीं होगा।'** हमारे देश के मंत्री और प्रधानमंत्री यह गर्व से कहते हैं कि देश की जीडीपी 9 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या कभी वह वक्त भी आयेगा जब देश के मंत्री और प्रधानमंत्री फक्र से यह कहेगे की हमारे देश की गरीबी 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से घट रही है।

भारत में धार्मिक विविधता - भारत में यदि हम धार्मिक विविधता की बात करें तो इस देश में दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं। देश में धार्मिक विविधता के कारण होने वाली समस्याओं की बात करें तो इसे देश में सबसे बड़ी समस्या सामप्रदायिक दंगों की है जो कभी बाबरी मस्जिद तो कभी उड़ीसा में क्रिश्चियन के चर्चों में होने वाले दंगे तो कभी मुस्लिम आतंकवाद तो कभी हिन्दू आतंकवाद के रूप में इस देश की शांति व सुकुन को भंग करने की कोशिश की जाती रही है, वर्तमान में घटी कासगंज, उत्तर प्रदेश की घटना भी देश के अंदर धार्मिक विविधता का ही कारण है।

भारत में रहने वाले विविध धर्मों के लोगों की संख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)

क्रं.	धार्मिक समूह	प्रतिशत	संख्या
1.	समस्त धार्मिक समूह	100%	121 करोड़
2.	हिन्दू	79.80%	96.62 करोड़
3.	मुस्लिम	14.23%	17.22 करोड़
4.	क्रिश्चियन	2.30%	2.78 करोड़

5.	सिख्य	1.72%	2.08 करोड़
6.	बौद्धिष्ट	0.70%	84.43 लाख
7.	जैन	0.37%	44.52 लाख
8.	अन्य धार्मिक समूह	0.66%	79.38 लाख
9.	अनिश्चित	0.24%	28.67 लाख

भारत में भाषायी विविधता - अंत में भाषायी विविधता की बात करें तो यही कहावत चरितार्थ होगी की 'कोस-कोस में पानी बदले तीन कोस में वाणी' इस देश में जितनी भाषाये बोली जाती है, शायद किसी अन्य देश में न बोली जाती होगी। भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थापित भारतीय भाषाएँ

1. असमिया
2. बंगाली
3. गुजराती
4. हिन्दी
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. कोंकणी
8. मलयालम
9. मणिपुरी
10. मराठी
11. नेपाली
12. उड़ीया
13. पंजाबी
14. संस्कृत
15. सिन्धी
16. तमिल
17. तेलुगू
18. उर्दू
19. मैथिलि
20. संथाली
21. डोगरी
22. बोडो

इन 22 भाषायों के अतिरिक्त और न जाने कितनी ही भाषाये हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के सतना अंक में दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के 'पहचान का संकट' नामक लेख में प्रतीश नंदी ने बताया है कि हमारे देश में कोरो नामक भाषा का पता चला है जो दुनिया कि सबसे नयी भाषा है। अरुणाचल प्रदेश की इस भाषा को बोलने वाले लोग कि संख्या मुश्किल से 1200 के करीब बतायी गई है। इसके साथ ही हरूसो, मिजी, तागिन, गालो, बोकर, पदमपासी, शेर्दुकपेन, बुगुन, बागरु, इंदु दिगारु, मिजु और पुरोइक सुलुग भाषाये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। असम की देवरी और तिवा, मेघालय की चिरु और मोसांस भाषाये बोली जाती हैं।

इस भाषायी विविधता के कारण हमारे देश में कई बार समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जैसे इस भाषायी विविधता के कारण एक ओर जहा दो विपरीत भाषा वाले व्यक्तियों के बीच विचारों का अदान-प्रदान नहीं हो पता वही दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र जैसे राज्य में देखी जा सकती है जहाँ पर

'अमछी मुम्बई' और महाराष्ट्र में केवल 'मराठी मनुष' का गान गया जाता रहा है।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषायी विविधता से भरा पड़ा है अर्थात हमारा देश विविधताओं वाला देश है। हमारे देश को 'अनेकता में एकता' कहा जाता है। इस अनेकता को एक करने का काम कर रहा है तो भारतीय संविधान है जो प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले में भारतीय हूँ के द्वारा भारत को एक किये हुए है, वरना हम कब के 'अनेकता' में 'अनेक' हो गये होते। पता नहीं हमारा देश कितने खालिस्तान, महाराष्ट्र और न जाने ही कितने अलग-अलग देशों में बट गया होता। आज भारतीय सामाज में जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व भाषायी विविधता के बाद भी थोड़े बदलाव आ रहे हैं वह भारतीय संविधान की देन है। आज बहुत से लोग जातिय बंधनो को तोड़ कर अंतर्जातिय विवाह करने लगे हैं। बहुत से लोग जो दो जून की रोटी जुटा नहीं पाते थे और जिन्हे उपेक्षा कि नजर से देखा जाता था वे आज शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। व्यक्ति आज मानवता को समझने लगा है वरना बावरी मस्जिद के निर्णय के बाद देश में शांति रहना मुश्किल हो जाता। आज व्यक्ति एक भाषा में बधने लगा है। इन सब बातों के बावजूद अभी शेष बहुत कुछ करना बाकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता राजेश - डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक न्याय, मानक पब्लिकेशन्स प्रा० लिमिटेड, जी- 19, विजय चौक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली

- 110092, वर्ष 1994।
2. नंदी प्रतीश - पहचान का संकट, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, सतना अंक, 28 अक्टूबर 2010 पृ०सं० 8।
3. बसु निलोत्पल - घोटालों की सरकार, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, सतना अंक, 13 दिसंबर 2010 पृ०सं० 8।
4. बौद्ध आनंद विक्रम - फारेब के फंदे
5. मंदर हर्ष - भोजन बनाम भूख, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, सतना अंक, 29 अक्टूबर 2010 पृ०सं० 8।
6. दैनिक भास्कर दैनिक समाचार पत्र, 23 जनवरी 2018 पृ०सं० 011
7. Press Note on Poverty Estimates, 2011-12, Government of India Planning Commission July 2013 PP. 5-6
8. www.parliamentofindia.nic.in
9. www.indianconstitution.nic.in
10. www.census2011.co.in/religion
11. Government of india Ministry of home affairs website, www.mha.nic.in>eightschedule_19052017
12. Government of india Ministry, National Institution of Transforming India website www.niti.gov.in/state-statistics
13. Error! Hyperlink reference not valid.
14. www.oxfamindia.org/pressrelease/2093

आर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में कार्यरत श्रमिकों का रोजगार एवं कार्य की दशाओं का अध्ययन - वर्तमान परिपेक्ष्य में

डॉ. सुनीता कुशवाहा *

प्रस्तावना - आर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1942 में हुयी है। इसका उत्पादन धातु क्षेत्र में हुआ है तथा यह आयुध निर्माणी वार्ड के 0एम0 एण्ड से डिवीजन में हुआ है। यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का यूनिट है। यह कटनी जिले में भी स्थापित है। जो स्टेशन से आठ किलोमीटर की दूरी पर है और जबलपुर से 52 किलोमीटर नेशनल हाइवे एन.एच.-7 में बसा हुआ है। फैक्ट्री 18.08 हेक्टेयर की जमीन में बना हुआ है। आर्डिनेंस फैक्ट्री में रहने वाले निवासियों के लिए 138.08 हेक्टेयर की जमीन पर मकान बनाये गये हैं। यह उत्पादन कार्य से ही जुड़े रहते हैं। इनका उत्पादन 1943 में स्थापित किया गया था, जो एक्सुजन प्रेस 1949 में स्थापित किया।

जबलपुर जिले में आर्डिनेंस फैक्ट्री कारखाना है। यहां पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान को तैयार किया जाता है। क्षेत्र में आर्थिक की स्थिति में सुधार आता है। आयुध निर्माणी कारखाने की अपने यहां कार्य करने वाले श्रमिकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई है।

जैसे स्कूल, अस्पताल है। आर्डिनेंस फैक्ट्री कारखाना विभागीय तौर पर चलाया जाने वाला देश का प्राचीनतम तथा सबसे बड़ा उत्पादन संगठन है। ये निर्माणियां रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के अधीन मुख्य रूप से हार्डवेयर के उत्पादन में लगी हुई है।

जबलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति, विस्तार - जबलपुर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यह देश के मानचित्र पर 23°10'N 79°56' E में स्थित है। जबलपुर शहर 367 वर्ग किलोमीटर (142 वर्गमील) में फैला हुआ है। समुद्रतल से ऊंचाई 412मीटर (1352 फिट) है। यहाँ की औसत साक्षरता दर 82.13 प्रतिशत है तथा लिंगानुपात 925 है।

शोध विषय का परिचय - वास्तव में वैज्ञानिक ज्ञान का इतिहास विज्ञान के विकास के साथ जुड़ा हुआ है जबकि प्रायः अनुसंधान में वैज्ञानिक का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। अतः स्पष्टता अनुसंधान का स्वरूप सदैव वैज्ञानिक नहीं है तथा साधारण अनुसंधान से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान का इतिहास एक बहुत ही लम्बा इतिहास है।

आयुध फैक्ट्री विशेष तौर पर चलाया जाने वाला देश का प्राचीनतम तथा सबसे बड़ा उत्पादन संगठन है। आर्डिनेंस फैक्ट्री उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के अधीन मुख्य रूप से रक्षा हार्डवेयर के उत्पादन में लगी हुई है। आर्डिनेंस फैक्ट्री का संगठन एक योजना के तहत हुआ था।

फैक्ट्री का उत्पादन क्षेत्र- आयुध निर्माणी कार्यरत श्रमिकों की उत्पादन किसी वर्ष बढ़ती है। तो किसी वर्ष घटती है। आयुध निर्माणी का उत्पादन घटना और बढ़ता रहता है। जितनी संख्या में माल का उत्पादन होता है। इस फैक्ट्री में कच्चा माल लाकर समान तैयार किया जाता है।

फैक्ट्री का उत्पादन (वर्षवार)

वर्ष	उत्पादन (प्रतिशत में)
2000-2002	25 प्रतिशत
2002-2004	35 प्रतिशत
2004-2006	55 प्रतिशत
2006-2008	35 प्रतिशत
2008-2009	75 प्रतिशत
2009-2010	15.87500
2010-2011	16.12500
2011-2012	16.54000

स्रोत - आयुध निर्माण उत्पादन विभाग जबलपुर।

आयुध निर्माणी श्रमिकों के द्वारा किये गये कार्य का क्षेत्र बढ़ता जाता है। कभी-कभी घटता भी है। 2000 से 2002 में 25 प्रतिशत उत्पादन हुआ। 2004 से 2006 में उत्पादन 55 प्रतिशत बढ़ा और 2006 से 2008 में घटकर 35 प्रतिशत हो गया। जिस कारण उत्पादन 2008 से 2009 में 75 प्रतिशत बढ़ा। इसी प्रकार उत्पादन बढ़ता-घटता रहता है।


शोध प्रविधि- अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित तथा नियमित अध्ययन है, जिसके अंतर्गत संबंधित चरों व घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण उपयुक्त सांख्यिकीय विधि तथा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों से खोज व पुष्टि की जाती है इसका ध्येय वैज्ञानिक की विधि को अधिक विस्तृत तथा विशुद्ध करना होता है और साथ ही साथ उपलब्ध नवीनतम वैज्ञानिक उपकरण तथा कठोरतम वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा इस पूर्व स्थापित तथ्यों नियमों तथा सिद्धांतों की विश्वसनीयता, परिशुद्धता तथा उनमें यथासंभव नये संबंध की स्थापना करना होता है।

अध्ययन का उद्देश्य - जबलपुर क्षेत्र का निवासी होने के कारण साथ ही आयुध निर्माणी उद्योगों से संबंध होने के कारण इस ओर शोध के माध्यम से आर्डिनेंस फैक्ट्री के उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए मैंने अनुसंधान के लिए इस विषय को लिया है क्योंकि अनुसंधान का प्रारंभ सदैव किसी न किसी समस्या के समाधान अथवा किसी न किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए होता है। आर्डिनेंस फैक्ट्री का अनुसंधान भी उनकी समस्याओं का ही अध्ययन है। अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों को खोजना है। मेरा शोध का उद्देश्य भी आर्डिनेंस फैक्ट्री के विकास में हो रही बाधाओं एवं समस्याओं के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति का अन्वेषण करना है, ताकि मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके एवं आर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस शोध का उद्देश्य केवल संकलन हेतु समकों का संकलन नहीं है। आर्डिनेंस फैक्ट्री जिन परिस्थितियों में आज

संघर्ष कर रहा है उसका रहस्योद्घाटन होता है।

प्रबंधन की अवधारणा- प्रबंध को अपनी सुविधा एवं बुद्धिमता से परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी भी परिभाषा, में प्रबंध के सम्पूर्ण तत्वों का समावेश नहीं हो पाया है पिछले कुछ दशकों से संबंधित प्रबंधकीय कला में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य बहुत अधिक स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी कोई एवं मान्य नहीं बन पाई है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में व्यावसायिक संस्थाओं के प्रबंध मुख्यतः इंजीनियर्स हुआ करते थे जो प्रबंध का अर्थ केवल वस्तुओं नक्शे एवं डिजाइन तैयार करने से ही लगाते थे। यहाँ करके सामान्य उद्देश्यों की प्राप्त करने का प्रयास होता है।

फैक्ट्री का संगठनात्मक ढाँचा- फैक्ट्री का संगठनात्मक ढाँचा बेहतर बनाने के लिए 16 मार्च 2007 के आयुध निर्माणी दिवस मना रहे है, आयुध निर्माणी संगठन को सभी अधिकारियों का अध्ययन किया गया। आयुध निर्माणी में कार्यरत श्रमिकों के लोग प्रशिक्षित हैं और कौन अप्रशिक्षित है।



इस तरह एक दूसरे की देखभाल में काम करते हैं।

आर्डिनेंस फैक्ट्री श्रम अधिनियम - श्रमिक संघ एवं व्यावसायिक विवाद आदि से सम्बंधित औद्योगिक श्रमिक के लिये कोई विधान नहीं था। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् श्रमिकों के प्रति सरकार और मालिकों में बहुत परिवर्तन आया और 1920 के बाद भारत में श्रम विधान की तीव्र गति प्रदान की 1937 में दुकान तथा संस्थान अधिनियम बनाये गये इन दोषों को दूर करने के लिये 1948 में श्रम विधान का काफी निरंतर विस्तार हुआ।

मजदूरी संबंधी अधिनियम - श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया जाए इस संबंध में निम्नांकित अधिनियम पारित किये गए।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
2. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936
3. समान परिश्रमिक अधिनियम 1976

प्रशिक्षण - आर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान उनकी योग्यता के आधार पर कुल 45 प्रतिशत और गणित व विज्ञान (भौतिकी व रसायन) में 40-40 अंकों के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक कर्मचारियों को काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और तीन वर्ष का प्रशिक्षण योग्यता कम से कम स्नातक एवं आई.टी.आई. का प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मैनेजर पोस्ट के लिए बी.ई. एवं एम.बी.ए. उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है।

श्रमिकों की आय व व्यय की स्थिति - आर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्य कर रहे श्रमिकों की आय भी आर्थिक दशा को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान है। श्रमिकों की आय अलग अलग पदों में कार्य करने श्रमिकों की आय भी अलग अलग है आय का एक बड़ा हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए बचत करके बैंकों में जमा कर देते हैं, ताकि सुरक्षित बना रहे, बैंक समय समय ब्याज भी देती रहती है। आयुध निर्माणी कार्यरत श्रमिकों के लिए सभी वर्गों के लिए अपनी आय का एक छोटा सा भाग बचा कर रखने के लिए बैंक की व्यवस्था की जाती है। इनके परिवारिक बचत इस प्रकार -

1. भोजन - श्रमिक की मुख्य भाग भोजन सामग्री को जुटाने में खर्च होता है। ये भोजन की गुणवत्ता उनके आय की मात्रा पर निर्भर करता है। एक सामान्य श्रमिक जिसकी आय 5400 से 6000 के बीच होती है। रोटी, सब्जी, चावल, दाल के रूप में भोजन पर व्यय किया जाता है।

श्रमिकों का विभिन्न मद/पर व्यय - आयुध निर्माणी के कार्यरत श्रमिकों की आय एक छोटा सा भाग बचा कर रहते हैं। किसी दुर्घटना के समय इनके व्यय आये और संघ का विभिन्न मदों पर भी स्वयं निवेश करना चाहते हैं।

कुल आय 6000/- पर श्रमिकों की व्यय का व्यौरा

क्र.	विवरण	रूपये खर्च	प्रतिशत	रिमार्क
1.	भोजन	2500	41.66	-
2.	कपड़ा	600	10	-
3.	आवास	800	13.33	-
4.	स्वास्थ्य	500	8.33	-
5.	शिक्षा	500	8.33	-
6.	मनोरंजन	250	4.16	-
7.	सामाजिक व धार्मिक	250	4.16	-
8.	अन्य	200	3.33	-
9.	नशा मादक पदार्थों पर	100	1.66	-
10.	सामाजिक बुराइयों पर	100	1.66	-
11.	बचत	200	3.33	-
	योग	6000	100.00	

स्रोत - आयुध निर्माणी के विभाग पी.सी खरे जबलपुर

श्रमिकों की समस्या, समाधान, सुझाव एवं निष्कर्ष -

श्रमिक वर्ग की समस्याएँ - आर्डिनेंस फैक्ट्री खम्हरिया जबलपुर में कार्यरत श्रमिकों का रोजगार एवं कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त भत्ते भी दिये जाते हैं। उन्हे इसके अलावा कई सुविधाएँ भी दी जाती है जैसे आवासीय सुविधा, चिकित्सीय सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बिजली की सुविधा, एल.पी.जी. गैस की सुविधा, समय - समय पर प्रशिक्षण की सुविधा, सुरक्षा हेतु समय - समय पर उपकरण व सामग्री का वितरण किया जाता है, इसी तरह संवैतनिक अवकाश की भी सुविधाएँ दी जाती है। कारखाना अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कारखाने पर एक सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्त की गयी है। जिसका उद्देश्य बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय है किन्तु इसके आधार पर सभी कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है। श्रमिकों/कर्मचारियों का स्वभाव व परिस्थितियाँ अलग-अलग होने के कारण कुछ न कुछ श्रमिकों को किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या अवश्य ही हो जाती है।

सामाजिक समस्याएँ - श्रमिक/कर्मचारी वर्ग की सामाजिक समस्याओं में आर्डिनेंस फैक्ट्री में महिलाओं के लिए कार्य संबंधी वातावरण अनुकूल नहीं होता है, उन्हे कारखानों के भीतर का कार्य नहीं दिया जा सकता है। केवल कार्यालयीन कार्यों में ही महिलाओं की भर्ती व चयन किया जा सकता है। महिलाओं का स्थानान्तरण उसी स्थान पर किया जाना संभव नहीं है जिस

स्थान पर महिला कर्मचारी का पति हो, इसी तरह की समस्या महिलाओं के पदोन्नति आदि में रहती है।

निष्कर्ष /उपसंहार – मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित जबलपुर जिले के अन्तर्गत आर्डिनेंस फैक्ट्री खम्हरिया जबलपुर प्रक्षेत्र स्थित है। जिसके अंतर्गत इसका उत्पादन धातु क्षेत्रों से हुआ है। तथा यह आयुध निर्माणी वार्ड के एम,एड से डिवीजन में हुआ है। यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का यूनिट है।

भारतीय श्रम संघों की स्थापना व श्रम आन्दोलन राजनीतिक दलों से उदय हुआ है। जो लगभग 150 वर्ष पुराना है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शर्त संख्या 87 के अनुसार श्रमिकों को इच्छानुसार अपनी पसंद के संगठन बनाने या शामिल होने की स्वतंत्रता है। इन संगठनों को अपना स्वयं का संविधान, कानून या नियम बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(सी) श्रम संघों को कानूनी रूप प्रदान करता हुए उसके रजिस्ट्रेशन एवं नियमन को अनिवार्य करते हुए उसके रजिस्ट्रेशन एवं नियमन को अनिवार्य प्रावधान प्रदान किया है। जबलपुर जिले के खम्हरिया क्षेत्र के आर्डिनेंस फैक्ट्री कारखानों में 6 पंजीकृत श्रम-संघ है राष्ट्रीय आयुध निर्माणी मजदूरी संघ में भारतीय आयुध निर्माणी कारखाना मजदूर संघ तथा राष्ट्रीय यूनियन संघ है। इस जिले की आयुध निर्माणी कारखाना में 9 शिक्षित श्रमिकों अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के भी संघ बने हैं। जो पंजीकृत है जो गन गैरिज आफिसर्स एसोसिएशन, इन्जीनियर्स एसोसिएशन

राजनीतिक नेता अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कारखानों में अनावश्यक श्रम आंदोलन करवाते हैं। जिसके कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। यही इन निष्कर्षों के माध्यम से बतलाया गया है। ऐसी आशा है कि वर्तमान व भविष्य में इस शोध कार्य की सार्थकता साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन, पुखराज, पी.एम. मुहनोती - भारत की सांस्कृतिक विरासत, वर्ष 1988 आगरा।
2. डॉ. वी. सी. सिन्हा - कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
3. अरोरा, आर. सी. - डेवलपमेंट आफ एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर्स
4. डॉ. ओ.एस. श्रीवास्तव - मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ एकादमी
5. डॉ. सिन्हा वी.सी. - आर्थिक समृद्धि एवं विकास एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा 2009
6. डॉ. श्रीवास्तव, ओ.एस. - मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
7. डॉ. सिन्हा, वी.सी. - सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी नेशनल पब्लिशिंग हाउस 2007
8. डॉ. शुक्ला एवं सक्सेना - व्यवहार प्रबंध, साहित्य भवन, 2002
9. डॉ. कोली परिवहन अर्थशास्त्र, प्वाइन्टर पब्लिशर्स 2004

टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रभाव का आर्थिक विश्लेषण - सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सन्दर्भ में

डॉ. आर. डी. सिंह * श्रद्धा मोरसिया **

शोध सारांश - भारत वर्ष में बढ़ते हुए पर्यटन को ध्यान में रखकर टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की नीति अपनायी गई है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास कर आर्थिक लाभ के अतिरिक्त वनों के संरक्षण में होने वाले व्यय के लिये धन उपलब्धता प्राप्त करना है, इससे होने वाले लाभ से वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के साथ पारिस्थितिकी एवं शाश्वत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

इस शोधपत्र के तहत पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय एवं वनसंरक्षण पर होने वाले व्यय का मूल्यांकन किया गया है, ताकि वन विभाग को पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए शाश्वत विकास के लक्ष्यों में आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित हो सके। इसलिये इस शोध में आय एवं व्यय का विश्लेषण, नियोजित आवंटन एवं व्यय का विश्लेषण आदि का अध्ययन किया गया है।

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से वन विभाग को होने वाले आय का विश्लेषण शामिल है साथ ही टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में व्यय के विश्लेषण के माध्यम से होने वाले नियोजित कार्यों का विश्लेषण शामिल है ताकि शाश्वत विकास की समीक्षा की जा सके।

प्रस्तावना - भारत सरकार की वन्यप्राणी संरक्षण नीति 1972 एवं वन संरक्षण नीति 1980 के बाद से वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ किए गये, ताकि वनक्षेत्रों में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संरक्षण हो सके। लेकिन इस कार्य में बढ़ते हुए व्यय को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा वनक्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन प्रारम्भ किया, ताकि पर्यटन से होने वाले लाभ से व्यय में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति हो सके।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाले आय एवं उसमें होने वाली वृद्धि का विश्लेषण करना जिससे उसकी आर्थिक विकास की शाश्वता का विश्लेषण हो सके।
- पारिस्थितिकी पर्यटन में होने वाले नियोजित आवंटन एवं व्यय के विश्लेषण के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन्यप्राणी संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित विधियां अपनायी गयी हैं-

- पारिस्थितिकी पर्यटन के कार्यों में समयानुसार होने वाले परिवर्तनों एवं वृद्धि का विश्लेषण करना।
- विभिन्न वर्षों में नियोजित आवंटन एवं व्यय के विश्लेषण के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन्यप्राणी संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

2. पारिस्थितिकी पर्यटन में आय एवं व्यय में परिवर्तनों एवं विकास की समीक्षा - सतपुड़ा टाइगर में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास में होने वाले व्यय के कारण आय में अधिक वृद्धि हुई है। पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय के स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रवेश शुल्क, वन विश्राम गृह शुल्क, टाइगर शो शुल्क, हाथी भ्रमण शुल्क, अन्य शुल्क में म्यूजियम/अर्थदंड/नेचर आदि आते हैं। वर्ष 2001-02 में आय मात्र 20.77 लाख

रुपये थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर लगभग 188.73 लाख रुपये हो गई। ऐसा पाया गया है, कि प्रारंभिक स्थिति में आय में व्यय के बावजूद भी वृद्धि कम पाई गई और बाद के वर्षों में व्यय और आय में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ती है। तालिका क्रमांक-1 में 11 वर्षों 2001-02 से 2011-12 तक पारिस्थितिकी पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय का विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक-1

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय (लाख में)

वर्ष	आय	वृद्धि (प्रतिशत में)
2001-2002	20.77	
2002-2003	27.41	31.97
2003-2004	31.26	14.05
2004-2005	43.24	38.32
2005-2006	52.74	21.97
2006-2007	53.83	2.07
2007-2008	61.78	14.77
2008-2009	89.96	45.61
2009-2010	109.86	22.12
2010-2011	124.95	13.74
2011-2012	188.73	51.04

स्रोत- वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक वार्षिक कार्य आयोजना पार्क विकास निधि, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद एवं वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी भोपाल से संकलित

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2002-03 में प्राप्त

* आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, क्षेत्रिय नियोजन एवं आर्थिक विकास बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, क्षेत्रिय नियोजन एवं आर्थिक विकास बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

आय लगभग 27.41 लाख रुपये थी जो कि वर्ष 2001-02 में आय लगभग 20.77 लाख रुपये की तुलना में 31.97 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2008-09 में प्राप्त आय लगभग 89.96 लाख रुपये हो गई जिसमें वर्ष 2007-08 की तुलना में 45.61 प्रतिशत की वृद्धि पायी गई।

वर्ष 2011-12 में आय में बढ़कर लगभग 188.73 लाख रुपये के आसपास पहुंच गई जिसमें वर्ष 2010-11 में प्राप्त आय लगभग 124.95 लाख रुपये की तुलना में 51.04 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 11 वर्षों में आय प्राप्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 के बाद आय में काफी तेजी से वृद्धि होने लगी। **सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय (लाख में) (ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)**

वहीं पारिस्थितिकी पर्यटन विकास कार्यों में वर्ष 2001-02 में लगभग 46 लाख रुपये व्यय किये गए जो 2011-12 में बढ़कर लगभग 250 लाख रुपये हो गए। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास कार्यों में होने वाले व्यय में यद्यपि वृद्धि हुई है, लेकिन शोध के समयान्तराल में काफी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं। वर्ष 2009-10 के बाद पारिस्थितिकी पर्यटन विकास में व्यय अप्रत्याशित रूप में तेजी से बढ़ा है।

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पर्यटन के अंतर्गत मुख्य रूप से वन विश्राम गृहों का रखरखाव एवं साज-सज्जा, पर्यटक स्थलों का प्रबंधन, पर्यटक स्थलों की साफ-सफाई, मोटरबोट एवं नाव, हाथियों का भोजन एवं रखरखाव आदि कार्य किये जाते हैं। इसके साथ ही पंचमढी महोत्सव, वन्यप्राणी सप्ताह, पेट्रोलिंग केम्प पर पदस्थ कर्मचारियों/श्रमिकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, पर्यटकों एवं कर्मचारियों हेतु जलापूर्ति आदि कार्यों पर भी व्यय किया जाता है। तालिका क्रमांक-2 में व्यय की गई राशि का विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक-2

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पारिस्थितिकी पर्यटन में होने वाला व्यय (लाख में)

वर्ष	व्यय	वृद्धि (प्रतिशत में)
2001-2002	45.65	
2002-2003	26.17	-42.67
2003-2004	13.44	-48.64
2004-2005	50.13	272
2005-2006	34.28	-31.62
2006-2007	8.62	-74.85
2007-2008	46.28	436.9
2008-2009	25.66	-44.55
2009-2010	39.55	54.13
2010-2011	161.48	308.3
2011-2012	249.68	54.62

स्रोत - वार्षिक कार्य आयोजना पार्क विकास निधि, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व होशंगाबाद से संकलित।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2003-04 में व्यय लगभग 13.44 लाख रुपये था जो वर्ष 2002-03 से 48.64 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि थी किन्तु वर्ष 2004-05 में व्यय बढ़कर 50.13 लाख रुपये हो गया जिसमें वर्ष 2003-04 में किये गये व्यय 13.44 लाख रुपये से 272 प्रतिशत की वृद्धि पायी गई। बीच के कुछ वर्षों में उतार-

चढ़ाव देखे गये परन्तु वर्ष 2011-12 में व्यय बढ़कर लगभग 249.68 लाख रुपये हो गया जिसमें वर्ष 2010-11 में किये गये व्यय 161.48 लाख रुपये की तुलना में 54.62 प्रतिशत की वृद्धि पायी गई।

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत होने वाला व्यय (लाख में) (ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)

3. नियोजित आवंटन एवं व्यय के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन्यप्राणी संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करना - सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में नियोजित आवंटन एवं व्यय मुख्यतः वनक्षेत्र विकास कार्यक्रम सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व के विकास कार्यों से सम्बंधित है जो मुख्यतः वन, वन्यजीव संरक्षण एवं विकास कार्यों से सम्बंधित है। जिसके अंतर्गत आयोजनेत्तर एवं आयोजना मद के अंतर्गत किये गये कार्यों हेतु आवंटन एवं व्यय का विश्लेषण किया गया है। आयोजनेत्तर मद में राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढी/बोरी अभयारण्य, संभागीय वनमंडल, स्कूल स्थापना, आवासन, वन्यप्राणियों द्वारा क्षतिपूर्ति, लम्बर वनमंडल सम्बन्धी कार्य तथा आयोजना मद के अंतर्गत सड़क व पुलो की मरम्मत, विश्व खाद्य योजना, ग्रामीणों की तकाबी अभियम, प्रोजेक्ट टाइगर, आदिवासी उपयोजना, भूमि एवं जलसंरक्षण, बिगड़े वनों का सुधार, सयुक्त वन प्रबंधन, ईको डेवलपमेंट, सड़क तथा भवन निर्माण, कार्य आयोजना, वनों की आधुनिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य शामिल होते हैं। आयोजनेत्तर एवं आयोजना मद में 12 वर्षों में किये गये आवंटन एवं व्यय के आकड़े लिये गये हैं। तालिका क्रमांक-3 में आयोजनेत्तर मद तथा तालिका क्रमांक-4 में आयोजना मद में किये गये आवंटन एवं व्यय का विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक-3 सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में आयोजनेत्तर मद में आवंटन एवं व्यय (करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2000-01	9.28	2.4	25.86
2001-02	2.92	2.69	92.12
2002-03	2.52	2.72	107.94
2003-04	2.15	2.21	102.97
2004-05	2.24	2.72	121.43
2005-06	2.49	2.51	100.8
2006-07	3.05	3.08	100.98
2007-08	2.49	3.36	134.94
2008-09	3.42	3.82	111.70
2009-10	4.62	5.03	108.87
2010-11	6.23	6.02	96.63
2011-12	6.78	6.5	95.87

स्रोत- यूनिट रजिस्टर, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व होशंगाबाद।

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में आयोजनेत्तर मद में आवंटन एवं व्यय (करोड़ में)

तालिका क्रमांक-4

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय (करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2000-01	0.86	0.42	48.84
2001-02	0.84	0.74	88.1
2002-03	1.03	0.93	90.3

वर्ष	आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2003-04	3.24	3.04	93.83
2004-05	2.10	2	95.24
2005-06	0.13	0.12	92.31
2006-07	2.79	2.31	82.8
2007-08	3.33	4.10	123.12
2008-09	4.72	5.04	106.78
2009-10	5.63	6.02	106.93
2010-11	5.64	5.31	94.15
2011-12	8	7.15	89.4

स्रोत- यूनिट रजिस्टर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय (करोड़ में) (ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आयोजनत्तर मद में आवंटन प्रारंभिक वर्ष में लगभग 9.28 करोड़ था जो घटकर वर्ष 2001-02 के बाद लगभग 2 करोड़ के आसपास हो गया। बाद के वर्षों में इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई उसी अध्ययन काल में प्रारंभिक वर्षों में 2000-01 में व्यय कम लगभग 2 करोड़ होने के कारण आयोजनत्तर मद में बदलाव किया गया जिसमें आवंटन और व्यय में संतुलन स्थापित किया गया। वर्ष 2011-12 में आवंटन लगभग 6.78 करोड़ और व्यय 6.5 करोड़ हुआ।

उसी प्रकार आयोजना मद में प्रारंभिक वर्षों में आवंटन और व्यय कम थे। वर्ष 2000-01 में आवंटन लगभग 0.86 करोड़ और व्यय 0.42 करोड़ रुपये था जो बढ़कर वर्ष 2011-12 में आवंटन लगभग 8 करोड़ और व्यय 7.15 करोड़ के आसपास पहुँच गया। आयोजना एवं आयोजनत्तर मद के विश्लेषण से पता चलता है कि आयोजना मद में आवंटन और व्यय क्रमशः बढ़े हैं। जबकि आयोजनत्तर मद में प्रारंभिक वर्षों में और बाद के वर्षों में आवंटन और व्यय उतनी तेजी से नहीं बढ़े।

निष्कर्ष - सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रभाव के आर्थिक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2001-02 से 2011-12 तक पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय में क्रमशः वृद्धि होती रही है जिससे पारिस्थितिकी पर्यटन से आर्थिक लाभ बढ़ रहे हैं उसी प्रकार इस समय अंतराल में पारिस्थितिकी पर्यटन में व्यय भी बढ़ रहा है और ऐसा पाया गया है कि पारिस्थितिकी पर्यटन में किये जाने वाले व्यय से


लाभ हो रहा है। हालांकि पारिस्थितिकी पर्यटन में होने वाले व्यय से होने वाली आय कम है।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन संरक्षण के कार्यों में आयोजनत्तर मद में आवंटन एवं व्यय वर्ष 2006-07 के बाद धीरे-धीरे बढ़े हैं और व्यय में भी दक्षता पायी गयी। उसी प्रकार आयोजना मद में भी वर्ष 2006-07 के बाद आवंटन एवं व्यय में क्रमशः वृद्धि हुई एवं व्यय में भी दक्षता पायी गई। आयोजना मद में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर एवं आयोजनत्तर मद में राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से आवंटन एवं व्यय के हिस्से रहे हैं ताकि वन्यजीवों एवं वनों का संरक्षित विकास कर संतुलन एवं शाश्वत विकास किया जा सके। संभवतः इन्ही कारणों से पारिस्थितिकी पर्यटन क्रमशः विकसित हो रहा है।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. टिसडेल क्लेम (2003) 'इकानामिक एसपेक्ट्स ऑफ ईकोटूरिज्म वाइल्डलाइफ बेस्ड टूरिज्म एण्ड इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेचर' श्रीलंकन जर्नल ऑफ इकानामिक्स, वॉल्यूम 5, नम्बर 1, पी.पी. 83-95
2. उन्डर स्वेन (2000) 'ईकोटूरिज्म एण्ड इकानामिक इन्सेटिव्स एन इम्पीरियल अप्रोच' इकालाजिकल इकानामिक्स 32 (2000) 465-479
3. हुसैन इफितखार एंड डॉ. डेजी दास (2013) 'स्टडी ऑफ इको टूरिज्म - स्पेशल रिफरेन्स टू असम' इंडियन जनरल ऑफ अप्लाइड रिसर्च वॉल्यूम - 3, पी.पी. 567-570
4. मानी पी. बुकबाइंडर, एरिक डाइनरस्टाइन, अरुण रिजाल, हाक कौली, अरुण राजोरिया, (1998) 'ईकोटूरिज्म सपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंज़रवेशन' कंज़रवेशन बायोलॉजी, वॉल्यूम 12, पी.पी. 1399-1404
5. वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, संक्षिप्त निर्देशिका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाईटी ऑफ इन्डिया, पृ. 2
6. श्रीवास्तव, जे.पी., मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़, वन विधि संहिता, खेत्रपाल लॉ हाउस इन्डौर, पृ. 130
7. कार्लटन आर. एंड ए. डेजी कारोलाइन मैरी (2016) 'सस्टेनेबल इको-टूरिज्म एट मुदुमलाई टाइगर रिजर्व' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस वॉल्यूम - 5(6) पी.पी. 52-55

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आय (लाख में)



सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत होने वाला व्यय (लाख में)



सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में आयोजना मद में आवंटन एवं व्यय (करोड़ में)



भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण 'प्रभाव एवं भविष्य'

डॉ. प्रमोद भारतीय *

प्रस्तावना - विमुद्रीकरण (Demonetization) क्या है - आखिर नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण है क्या ? प्राचीन काल के आचार्य चाणक्य से लेकर आधुनिक काल के भीमराव अम्बेडकर तक ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था का एक मुख्य चरण बताया है जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नवजीवन की उत्पत्ति होती है।

'जब किसी भी देश में कालेधन की एक सामानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा हद से अधिक बढ़ जाती है तब नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण की जाती है जिसके अंतर्गत मुद्रा को तुरंत प्रभाव से बंद कर नई मुद्रा जारी की जाती है

विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकारी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिनके पास काला धन होता है वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं किया जाता है जिनके पास काला धन होता है वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण (Demonetization) कहते हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 1000 और 500 रूपए के नोट बंद करने की घोषणा की अर्थात् विमुद्रीकरण की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने भी सरकार की इस घोषणा का समर्थन किया इसके बाद सरकार 500 और 2000 रूपए के नए नोट बाजार में लेकर आई। नोटबंदी से पहले 500 और 1000 के कितने नोट थे बाजार में ?

भारत की अर्थव्यवस्था में 86 प्रतिशत नगद 1000-500 रूपये के नोट के रूप में थे आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रूपये मूल्य के नोट बाजार में थे जिसमें से करीब 14.18 लाख रूपये 500 और 1000 के नोटों के रूप में थे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक मौजूद कुल 9026 करोड़ नोटों में करीब 24 प्रतिशत नोट (करीब 2203 करोड़ रूपये) ही प्रचलन में थे।

भारत में कब-कब हुई नोटबंदी वर्ष मुद्रा क्रम सत्ताधारी पार्टी कार्यकाल (सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)

टीप - भारत में 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जाँच से जुटी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई।

विमुद्रीकरण का उद्देश्य -

1. कालाधन पर रोक

2. भ्रष्टाचार पर रोक
3. नकली नोट छपाई पर रोक
4. आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये
5. नगद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिये
6. अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिये
7. लैस केश/कैश लैस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये
8. कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिये।

केन्द्र की मोदी सरकार को भी उम्मीद है कि नोटबंदी से कालेधन एवं नकली नोट और आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। हालांकि नोटबंदी के चलते आम आदमी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, केन्द्र सरकार अपने इस फैसले से नकद लेन-देन को भी हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। कई देशों में विमुद्रीकरण बेहद आम प्रक्रिया मानी जाती है।

इसके उलट वेनेजुएला में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का कभी कोई काम नहीं किया गया इसीलिए वहाँ अब एक लीटर दूध लगभग 13 हजार रूपये में और एक अण्डा 900 रूपये में बिक रहा है सबसे आश्चर्य वाली बात तो यह कि वेनेजुएला में सामान के बदले नोट गिनकर नहीं तौलकर लिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि मक्खन की एक स्लाइस के बदले उतनी वजन के नोट लिए जा रहे हैं।

नकली नोट तथा काला धन बनाम विमुद्रीकरण - देश में नकली नोट का संबंध 1991 से प्रारंभ आर्थिक सुधार से माना जा रहा है। उदारवाद के बाद चार कम्युनिस्ट पार्टी एवं कॉंग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चे की सरकार को सन् 1996-97 में 3,35,900 करोड़ रूपये की नयी मुद्रा छपवाने की आवश्यकता पड़ी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने काले धन की समाप्ति के लिए स्वैच्छिक आय उजागर योजना (वीडीडाईएस) शुरू की। वीडीडाईएस में लगभग 33,000 करोड़ रूपये का काला धन सामने आया। आरबीआई के टकसाल की क्षमता 2,16,575 करोड़ रूपये की थी, जिससे विदेशों से 1,20,000 करोड़ रूपये के नोट छपवाने की माँग हुई। भारतीय मुद्रा छापने वाली विदेशी कम्पनियों की स्पष्ट निर्देश था कि वे भारतीय नोट की प्लेट, स्याही, वाटरमार्क कागज भारत सरकार को सौंपेंगी। वैसे, इंग्लैण्ड की कम्पनी डेलारू देश-विदेशों की सरकारों के नोट छापती है।

500 और 1000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण - 8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की यानी 9 नवंबर ये कुछ तय जगहों-पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेल्वे स्टेशन इत्यादि को छोड़कर देश में कहीं भी 500 और 1000 के नोटों से लेन-देन पर रोक लग गई। इन जगहों पर भी इन नोटों के प्रयोग को तय समय सीमा (24

नवंबर) तक ही इजाजत दी गई थी जिन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट पड़े थे वो उन्हें 30 दिसंबर तक देश के किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। सरकार ने पुराने नोटों की जगह 500 और 2000 के नए नोट जारी किए हैं जो लोगों को बैंकों और एटीएम के माध्यम से मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि लेन-देन की पूरी तरह सामान्य होने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आरबीआई के वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल का समर्थन हासिल है। उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को 'बहुत साहसिक कदम' बताया है। हालांकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन विमुद्रीकरण को कालाधन बाहर लाने के लिए ज्यादा कारगर नहीं मानते हैं। कई अन्य विशेषज्ञों ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के प्रोफेसर अभिरूप सरकार के अनुसार काला धन रखने वाले ज्यादातर लोग अपने पैसे विदेशी बैंकों में रखते हैं इसलिए देश में विमुद्रीकरण करने से ज्यादा बड़े मछलियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

विमुद्रीकरण के लाभ -

भ्रष्टाचार पर लगाम - मुद्रा देश में भ्रष्टाचार की पोषक भी थी, नोटबंदी के फैसले के बाद से ही भ्रष्टाचार के लिए इस मुद्रा का इस्तेमाल रुक गया है वही जारी हुई नई मुद्रा को सरकार धीरे-धीरे संचालित कर रही है जिससे कालेधन के रूप में इसे एकत्र न किया जा सके।

कैशलेस इकोनामी - कैश इकोनामी बनाने के लिए जरूरी है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लेन-देन डिजिटल माध्यमों से किया जाए, इससे नगद मुद्रा पर देश की निर्भरता कम होगी और रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को मुद्रा संचालन में कम खर्च करना पड़ेगा, कैशलेस इकोनामी का फायदा सरकार के राजस्व में इजाफे के साथ-साथ आम आदमी को भी होगा क्योंकि उसका पैसा डिजिटल आदान-प्रदान में ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

नकली मुद्रा पर लगाम - देश में सीमापार से नकली मुद्रा के प्रवाह की गंभीर समस्या थी, नकली मुद्रा जिसके हाथ पहुंचती थी उसे उतने मूल्य का तुरंत नुकसान उठाना पड़ता था, वही सरकार को भी इसके रोकथाम के लिए बड़े नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता था, करेसी का कम इस्तेमाल (डिजिटल पेमेंट) और बड़े-बड़े नोटों का विमुद्रीकरण करने से देश में नकली मुद्रा लगभग साफ हो चुकी है। वही नई मुद्रा के सुरक्षा मानक ज्यादा पुख्ता होने के कारण अगले कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था नकली नोटों से सुरक्षित रहेगी

रियल एस्टेट सेक्टर होगी पारदर्शी - नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर में होगा, बीते कई दशकों से रियल एस्टेट सेक्टर कालेधन के निवेश का सबसे बड़ा जरिया था, इसके चलते कागजों पर प्रॉपर्टी की खरीद और वास्तविक खरीद में बड़ा अंतर होना आम बात थी, इससे जहाँ सरकार को स्टैंप ड्यूटी में बड़ा नुकसान होता था। वही आम आदमी को ब्लैकमनी न होने के चलते मकान खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

कालाधन खत्म होगा - नोटबंदी के बाद देश में कालेधन के खिलाफ सामाजिक बदलाव लाने के काम को आसानी से किया जा सकता है यहा हकीकत है कि किसी भी अर्थव्यवस्था से कालाधन तब तक नहीं खत्म किया जा सकता जब तक सामाजिक स्तर पर इसका बहिष्कार न होने लगे, अभी तक कालेधन का निवेश प्रॉपर्टी और सोना-चौडी में किया जाता था जिससे इनकी कीमत वास्तविक कीमत से हमेशा अधिक बनी रहती थी, अब नोटबंदी के बाद इन क्षेत्रों में कालेधन के इस्तेमाल पर अंकुश लगेगा।

समानांतर अर्थव्यवस्था बंद होगी - कालेधन और भ्रष्टाचार का सहारा लेकर देश में हमेशा से एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती थी, देश में कोयला की खादान से लेकर सड़क किनारे चाय और सब्जी बेचने वाले इस समानांतर अर्थव्यवस्था में शामिल रहते थे, यहाँ ज्यादातर लोग देश की सकल घरेलू आय को नुकसान पहुंचाते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाते थे। अब डिजिटल पेमेंट की ओर रुझान और नोटबंदी से खत्म हुए कालेधन कालेधन के साथ-साथ इस समानांतर अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में जोड़ने में आसानी होगी।

बढ़ेगा टैक्स बेस - देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लेन-देन बैंकों के पास दर्ज होंगे इन लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग की भी लगातार नजर रहेगी जब देश में ब्लैक अर्थव्यवस्था का आधार नहीं रहेगा तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स का भुगतान करने के बाद ही अपनी खरीद-फरोखत को पूरा कर पाएंगे इससे केन्द्र सरकार के राजस्व में तेजी से उछाल देखने को मिलेगा जिससे वित्तीय घाटा कम होगा और देश के संरचनात्मक सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन रहेंगे।

वित्तीय बचत में बढ़ोत्तरी - नोटबंदी के पहले तक देश में लोग अपनी बचत को प्रॉपर्टी सोना और ज्वैलरी में निवेश करते थे जरूरत पड़ने पर लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर एक बार फिर करेसी में बदल लेते थे मौजूदा समय में देश के 50 फीसदी से अधिक परिवार अपनी बचत को इन्ही तरीकों से रखते हैं यहाँ निवेश हुआ अधिकांश पैसा ब्लैकमनी है अब नोट बंदी के बाद रियल एस्टेट और सोना अपेक्षा के मुताबिक रिटर्न नहीं दें पाएंगे जिससे लोगों को अपनी बचत को रखने के लिए एक बार फिर बैंकों का रुख कर बचत बैंक डिमांड ड्राफ्ट और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों का सहारा लेना होगा जहाँ उन्हें निवेश पर सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित रिटर्न मिलेगा।

बैंकों को आय में वृद्धि - नोटबंदी से कालेधन पर लगाम के साथ-साथ तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट से अब बैंकों की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा इस इजाफे का इस्तेमाल बैंक अपना विस्तार करने के साथ-साथ ग्राहकों को लुभाने के लिए करेगी वही नोटबंदी से बैंकों के पास एकत्रित हुई आय से उन्हें अपना पुराना घाटा पाटने में भी मदद मिलेगा।

सस्ता होगा कर्ज - नोटबंदी के बाद से बैंकों को रहे फायदे का सीधा असर देश में ब्याज दरों पर पड़ना तय है वित्तीय जगत में पारदर्शिता के साथ-साथ बैंक अपना कारोबार फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्ज की कोशिश करेंगे वही ग्राहकों को लुभाने के लिए वह कर्ज पर लगने वाले ब्याज दरों में बड़ी कटौती का ऐलान कर सकते हैं। इससे देश में घर खरीदने कार या स्कूटर खरीदने अथवा कारोबार के लिए कर्ज सस्ते दरों में मिलना शुरू हो जाएंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव - देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है 500-1000 के नोटों पर पाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की कमियों (कालाधन, नकली नोट और छद्म बैंकिंग आदि) को दूर करेंगे। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी और उसे और मजबूती मिलेगी। 2015 में वर्ल्ड बैंक के आकड़ों के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा (7.57 फीसदी) रही।

राजनीति और चुनाव प्रक्रिया बनेगी पारदर्शी - ये अधोषित सच्चाई है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी खर्च की जाती है चाहे टिकट खरीदने की बात हो, मतदाताओं को बाटने की बात हो या फिर प्रचार व अन्य लेनदेन।

आतंकवाद से मिलेगा छुटकारा - 500-1000 के नोटों पर पाबंदी से

आतंकवाद के वित्तीय स्रोत पर चोट लगेगी। नकली नोट रद्दी हो गये अवैध रूप से जमा कैश बेकार हो गया। आतंकी संगठनों में अवैध रूप से प्रयुक्त हो रही भारतीय मुद्रा पर लगाम लगेगी। पाक से नेपाल और बंगलादेश के रास्ते भारत आ रहे नकली नोटों का प्रयोग ही देश विरोधी गतिविधियों में किया जाता है इसलिये नये नोट आतंकवाद पर भी लगाम लगायेंगे।

हवाला कारोबार – जबसे नोट बंदी हुई है तब से हवाला कारोबार ठप्प पड़ गया है क्योंकि यह पूरा कारोबार ही नगद में होता है। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से ये नगद राशि हवाला के जरिये ही पहुंचाई जाती है। इसमें टैक्स चोरी भी होती है और पहले से ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है। नोटबंदी से इस अवैध कारोबार पर भी पाबंदी लगेगी।

शेडो बैंकिंग – 500-1000 के नोटों पर पाबंदी लगने से शेडो बैंकिंग बंद होगी। इससे अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता को खतरा कम होगा। शेडो बैंकिंग का मतलब है बैंक जैसी गतिविधियां करना। इन पर बैंकिंग जैसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती और ना ही कोई मजबूत कानून शिंकजा होता है। बैंकिंग सिस्टम के बाहर जो लोग या संस्थान वित्तीय लेनदेन करते हैं उन्हें शेडो बैंकिंग की श्रेणी में रखा जाता है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत – भारत की अर्थव्यवस्था में 86 फीसदी कैश हजार और पांच सौ के रूप में थे। नोटबंदी के फैसले का एक एक असर यह हुआ कि पेटीएम आदि जैसे माध्यमों से भुगतान का चलन बढ़ा है। मोबाइल से भुगतान करने के मामले में पेटीएम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। पेटीएम का कहना है कि उसके व्यवसायिक लेन-देन में सात सौ फीसदी का इजाफा हुआ है और हर दिन होने वाला लेन-देन पचास लाख तक पहुंच चुका है।

पेटीएम का यह भी दावा है क एप डाउनलोड करने वालों की संख्या में तीन सौ फीसदी का इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले तक पेटीएम के जरिए 85,000 व्यापारी जुड़े हुए थे। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2017 तक पचास लाख व्यापारी जोड़ने का है पेटीएम का चीन की बड़ी ई-कामर्स कंपनी अलीबाबा के साथ एलायंस है नोटबंदी की घोषणा के बाद से उसके व्यवसाय में बढ़ोत्तरी हुई है। अब यह कंपनी छोटे शहरों ओर करबों में अपने दफतर खोल रही है ताकि अपना व्यवसाय और बढ़ा पाए। मोबाइल और फ्रीचार्ज जैसी मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ मोबाइल एप कंपनियाँ ही नहीं हैं जो ग्राहकों को लुभाने में लगे हुई हैं। बल्कि बड़े पैमाने पर भारतीय बैंक भी लोगों को कैश-लेस लेन-देन के लिए ऑनलाईन बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं की मदद लेने को कह रहे हैं। स्मार्टफोन के लिहाज से चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। फिलहाल देश में 40 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक यह संख्या 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसके बावजूद अभी भी देश में ऑनलाईन और मोबाइल सेवा से खरीददारी करने वालों की संख्या देश की सवा अरब आबादी की तुलना में बहुत कम है। हकीकत यही है कि भारत को अभी कैश-लेस अर्थव्यवस्था बनने के लिए लंबा सफर तय करना है। ज्यादातर लोग यहाँ नकद में ही लेन-देन करना पसंद करते हैं। भारत की आधी से ज्यादा आबादी देहाती इलाकों में रहती है। इन इलाकों में मोबाइल कवरेज मिलना अभी भी एक मसला है और यह कैश-लेस इंडिया की चुनौती को ओर बढ़ाने वाला है। भारत में पिछले दो सालों के अंदर बैंक अकाउंट खोले गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई खाता नहीं है। देश में अभी भी 65 करोड़ के पास डेबिट कार्ड है और ढाई करोड़ के

पास क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के लिए ही करते हैं यानी वे इसका इस्तेमाल लेन-देन में भुगतान करने के लिए नहीं करते।

करबों और गाँवों में अभी भी कैश-लेस भुगतान को लेकर कोई खास उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है अभी भी बहुत से भारतीयों के दिमाग में यह सोच बैठी हुई है कि इंटरनेट और मोबाइल से लेन-देन करना सुरक्षित नहीं है। एक ऐसे में कैश-लेस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं है। नोटबंदी से संबंधित तमाम अफरातफरी अटकलों और अफवाहों के बीच जो एक नयी चीज सुनने को मिल रही है, वह है कैश-लेस अर्थव्यवस्था। मतलब सारा लेन देन इंटरनेट के जरिए हो ताकि नगदी का इस्तेमाल कम हो जाए। नोटबंदी की इस घटना ने हम सबको अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं के बारे में जानने का अवसर भी दिया है। मौजूदा परिस्थिति में कैशलेस अर्थव्यवस्था को विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है।

वही रक्षामंत्री ने शुक्रवार को दावा किया था कि गोवा देश की सबसे पहली कैशलेस सोसायटी बनने की तरफ अग्रसर है। अब पूरा भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए कितना तैयार है, यह आनेवाले वक्त में पता चल सकेगा। अमेरिका के इंटरनेट के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2008 से 2010 के बीच हर साल औसतन 458 अरब डॉलर की टैक्स चोरी हुई। यह आंकड़ा इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में नोटबंदी के बाद से ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, और अर्थव्यवस्था के तमाम रोगों का इलाज कैशलेस अर्थव्यवस्था ही हो।

- 1. भारत के डिजिटल में तेजी** – पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ने का अभियान डिजिटल इंडिया चल रहा है। इसका लक्ष्य है कि 2016 तक ढाई करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर कर दिया जाए चूँकि कैशलेस अर्थव्यवस्था का पूरा ढाँचा इंटरनेट पर निर्भर है, इसलिए इस अर्थव्यवस्था से भारत के डिजिटलीकरण में तेजी आएगी।
- 2. बैंकों के पास विकास के लिए अधिक पूंजी** – कैशलेस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि अब बैंकों के पास अधिक पूंजी होगी, जिसे प्राइवेट सेक्टर में निवेश किया जा सकेगा। इस विकासमूलक कार्यों, परियोजनाओं में लगाया जा सकता है।
- 3. आधुनिक बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था** – कैशलेस अर्थव्यवस्था में बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था का आधुनिकरण हो जाता है। इस वजह से बैंकों की कार्य प्रक्रिया में सुधार होता है साथ टैक्स प्रक्रिया भी बेहतर होती है। वित्तीय लेनदेन पर नजर रखना आसान होगा।
- 4. लूटमार, चोरी और बैंक डकैती जैसे अपराधों से निजात** – कैशलेस यानी जब नोट का चलन समाप्त हो जाएगा या न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो लूटमार चोरी और बैंक डकैती जैसे अपराधों में कमी आएगी। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद नवंबर माह में डकैती, चोरी, जबरन वसूली और वाहन चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में कमी आई है।
- 5. पर्यावरण संरक्षण को ताकत** – जैसा की आप जानते हैं कि नोटों के मुद्रण के लिए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
- 6. बिचौलियों का खात्मा** – भ्रष्टाचार के ढाँचे में जिसे सबसे बड़े हथियार की तरह देखा जाता है, वह होते हैं बिचौलियाँ या दलाल चूँकि कैशलेस अर्थव्यवस्था लेनदेन की डिजिटल और सीधी प्रक्रिया है इसलिए

बिचौलियों पर अंकुश लगेगा।

7. **घर बैठे वित्तीय प्रबंधन** - कैशलेस अर्थव्यवस्था का यह भी फायदा है कि आप अपने सारे वित्तीय प्रबंधन जैसे खरीदारी बिल के भुगतान, टिकट बुकिंग आदि घर बैठे या ऑफिस से कर पाने में सक्षम होंगे।
8. **ई कामर्स को बढ़ावा** - कैशलेस अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक फायदा ई-कामर्स को पहुँचेगा। अर्थव्यवस्था का यह ढाँचा इंटरनेट पर निर्भर है, यही वजह है कि ई सेक्टर में भारी बढ़ोत्तरी होगी।
9. **डिजिटल भुगतान परोक्ष रूप से नोट और उसके परिवहन में आ**

रहे व्यय को कम करने में भी सहायक होगा।

10. **लेन की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी। कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार को टैक्स वसूलने में सहूलियत होगी।**
11. **नकली या जाली नोटों का होगा खात्मा** - अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा नुकसान जाली नोट की छपाई से होता है लेकिन कैशलेस अर्थव्यवस्था में नोटों न्यूनतम स्तर पर पहुँचने के कारण इससे निजात पाया जा सकता है। जिस वजह से आतंकवाद और अन्य अपराध ही फीडिंग में कमी आती है।

भारत में कब-कब हुई नोटबंदी

वर्ष	मुद्रा	क्रम	सत्ताधारी पार्टी कार्यकाल
जनवरी 1946	500, 1000 और 10 हजार के नोट	प्रथम बार	ब्रिटिश सरकार
जनवरी 1978	1000, 5000 और 10 हजार के नोट	द्वितीय बार	श्री मोरारजी देसाई जनता सरकार
2005	500 के 2005 से पहले के नोटों	तृतीय बार	श्री मनमोहनसिंह कांग्रेस सरकार
8 नवंबर 2016	500, 1000 के नोटों	चतुर्थ बार	श्री नरेन्द्र मोदी जनता सरकार

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हितग्राहियों का आर्थिक मूल्यांकन (मध्यांचल ग्रामीण बैंक के विशेष संदर्भ में)

शिल्पी श्रीवास्तव * डॉ. एस.एस. विजयवर्गीय **

शोध सारांश - प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं द्वारा ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण वित्त की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहे हैं। और इनके द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता से ग्रामीणवासी लाभान्वित हो रहे हैं। मध्यांचल ग्रामीण बैंक से प्राप्त ऋण राशि के उपयोग से हितग्राहियों की ना केवल आय में वृद्धि हुई है बल्कि उनका जीवन स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं रोजगार स्तर में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। शोधार्थी द्वारा प्राथमिक समकों का संकलन करके उसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करके ग्राहक संतुष्टि का मूल्यांकन किया गया। प्राथमिक समकों के संकलन के दौरान शोधार्थी ने ये पाया कि अब सागर जिले के मध्यांचल ग्रामीण बैंक के हितग्राही ऋण प्राप्ति एवं अन्य बैंकिंग सेवाओं हेतु अपने क्षेत्र में उपलब्ध अन्य वित्तीय स्रोतों की तुलना में मध्यांचल ग्रामीण बैंक को प्रथम विकल्प के रूप में स्वीकार रहे हैं।

प्रस्तावना - आज हर क्षेत्र की सफलता के पीछे वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी पूर्ति विभिन्न तरह की संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों द्वारा की जाती है। संस्थागत वित्तीय स्रोतों में विभिन्न तरह की बैंकिंग सेवाओं को शामिल किया जाता है। चूंकि हमारा भारत देश एक ग्राम प्रधान देश है इसलिए बैंकिंग विस्तार की परिपूर्णता उसकी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच के बाद ही नापी जा सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र की सफलता को मापने का सबसे अच्छा पैमाना 'ग्राहक संतुष्टि' है। यदि किसी बैंक के ग्राहक व हितग्राही उस बैंक की सेवाओं से संतुष्ट हैं तो यकीनन वो बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्य को साकार कर रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में भी यही जानने का प्रयास किया गया है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवाओं से हितग्राही संतुष्ट हैं या नहीं।

वर्तमान समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने का कार्य बाखूबी कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नींव 2 अक्टूबर 1975 को रखी गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के छोटे व सीमांत कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। अपने 47 वर्षों के कार्यकाल में इन बैंकों को कई तरह के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा परन्तु उसके बावजूद आज भी ये बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्य को लेकर लगातार प्रयासरत हैं।

मध्यांचल ग्रामीण बैंक का परिचय - मध्यांचल ग्रामीण बैंक का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21वां) के अंतर्गत दिनांक 30 जून 2006 को हुआ। ये बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पूर्व में प्रायोजित तीन बैंक दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन से बना। इन तीनों बैंकों के समामेलन के उपरांत मध्य भारत ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र निम्नांकित 8 जिलों तक फैल गया - दमोह, पन्ना, सागर, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं अशोकनगर।

शोधार्थी का शोध क्षेत्र सागर जिला है। अतः सागर जिले के कुछ आंकड़ों पर प्रकाश डालना भी आवश्यक है -

सागर जिले के कुछ शोध संबंधित आंकड़े

ग्रामीण जनसंख्या	70.19 प्रतिशत
शहरी जनसंख्या	29.81 प्रतिशत
औसत साक्षरता	77.52 प्रतिशत
कार्यशील जनसंख्या	35.31 प्रतिशत
गैर कार्यशील जनसंख्या	64.69 प्रतिशत

स्रोत - जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, सागर

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि सागर जिला भी ग्राम प्रधान जिला है क्योंकि यहाँ भी 70.19 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। जिले में साक्षरता की स्थिति की बात करें तो वो भी 77.52 प्रतिशत है जो कि बहुत अच्छी नहीं कह सकते और जिले में गैरकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भी 64.69 प्रतिशत है जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि सागर जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

उद्देश्य - निम्नांकित उद्देश्य प्राप्ति हेतु शोधार्थी ने ये शोध पत्र लिखा है -

1. मध्यांचल ग्रामीण बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता एवं बैंकिंग क्रियाकलापों द्वारा हितग्राहियों के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना।
2. मध्यांचल ग्रामीण बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग पश्चात् हितग्राहियों की आय, रोजगार, जीवन स्तर में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि - शोधार्थी ने सर्वेक्षण के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है एवं अपने शोधपत्र के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्राथमिक आंकड़ों को आधार बनाया है। चूंकि शोध का अध्ययन क्षेत्र सागर है। अतः मध्यांचल बैंक की नीतियों का सागर जिले के हितग्राहियों के ऊपर हुए प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई, जिसकी सहायता से बैंक के हितग्राहियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के

* शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** निर्देशक, शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

उत्तर प्राप्त किए गए। बैंक में बैठकर बैंक के कर्मचारियों एवं हितग्राहियों के व्यवहार का गहन अवलोकन किया एवं उनसे व्यक्तिगत स्तर पर साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने बैंक के साथ किए गए क्रियाकलापों को एवं अपने अनुभवों को खुलकर व्यक्त किया एवं बैंक की खूबियों एवं खामियों के बारे में भी बताया।

सागर जिले के 10 विकासखण्डों में उपस्थित 35 शाखाओं में से 8 शाखाओं से जुड़े हितग्राहियों का चुनाव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में ऐसे 200 हितग्राहियों का चयन किया गया, जिन्हें बैंक से ऋण लिए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था ताकि वे ऋण के उपयोग व प्रभाव को स्पष्ट रूप से बता सकें।

सर्वेक्षित 200 हितग्राहियों में 155 पुरुष व 45 महिलाएं हैं। शोधार्थी द्वारा कोशिश की गई कि सभी आय वर्ग के हितग्राहियों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए ताकि सबके विचार जान पाएँ। अतः सर्वेक्षित 200 हितग्राहियों में से 105 हितग्राही निम्न आय वर्ग के, 60 हितग्राही मध्यम आय वर्ग के एवं 35 हितग्राही उच्च आय वर्ग के हैं।

अपने शोध के प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वेक्षित हितग्राहियों से जब प्रश्न पूछा गया कि वे बैंक की ऋण प्रदाय प्रक्रिया एवं क्रियाकलापों से संतुष्ट है या नहीं। इसके जवाब में उनके मत कुछ निम्न प्रकार प्राप्त हुए -

सारणी क्रमांक - 1

क्र.	विवरण	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1.	संतुष्ट हैं	172	86
2.	असंतुष्ट हैं	28	14
		200	100

(सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े)

सर्वेक्षित हितग्राहियों की असंतुष्टि के कारणों के संबंध में निम्न क्रम प्राप्त हुआ

क्रम	असंतुष्टि के कारण
1.	अत्याधिक कागजी कार्यवाही, औपचारिकताएँ एवं दस्तावेजीकरण
2.	गारंटी/प्रतिभूति की समस्या
3.	बैंक स्टॉफ का सहयोग प्राप्त ना होना
4.	ब्याज दर अधिक होना
5.	ऋण स्वीकृति में देरी

(सर्वेक्षण के आधार पर)

सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट हो रहा है कि 172 (86 प्रतिशत) हितग्राही मध्यांचल ग्रामीण बैंक की ऋण प्रदाय प्रक्रिया व उनके क्रियाकलापों एवं नीतियों से संतुष्ट है, जबकि 28 (14 प्रतिशत) हितग्राही संतुष्ट नहीं हैं। जो कि बहुत अल्प संख्या में हैं। वार्तालाप के दौरान जब असंतुष्ट हितग्राहियों से उनकी असंतुष्टि का कारण पूछा तो अधिकांश हितग्राहियों ने बैंक की जटिल व लम्बी कागजी कार्यवाही एवं दस्तावेजीकरण की समस्या बताई। इसके अलावा प्रतिभूति की समस्या, स्टॉफ का असहयोगात्मक रवैया, ऋण ब्याज दर का अधिक होना व ऋण स्वीकृति में देरी होना भी कुछ हितग्राहियों की असंतुष्टि का कारण था।

शोध के दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वेक्षित हितग्राहियों से पूछा गया कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक से प्राप्त ऋण के उपयोग उपरांत उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न के जवाब से प्राप्त आंकड़े निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है -

सारणी क्रमांक-2

बैंक से प्राप्त ऋण का आय पर प्रभाव के संबंध में सर्वेक्षित हितग्राहियों का मत

क्र.	ऋण का प्रभाव	हितग्राही स.	प्रतिशत
1	आय में वृद्धि हुई	174	87
2	आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा	26	13
		200	100

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े।

उपरोक्त सारणी क्रमांक-2 से स्पष्ट हो रहा है, कि सर्वेक्षित 200 हितग्राहियों में से 174 (87 प्रतिशत) हितग्राही ये मानते हैं कि ऋण लेने के उपरांत उनकी आय में वृद्धि हुई जबकि 26 (13 प्रतिशत) हितग्राही ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ऋण लेने के बावजूद भी उनकी आय में कोई इजाफा नहीं हुआ। इनमें ज्यादातर ऐसे हितग्राही शामिल हैं, जिन्होंने ऋण का उपयोग उद्देश्यानुसार नहीं किया बल्कि उस ऋण राशि को अपने घरेलू काम में खर्च कर दिया, इसके अलावा कुछ ऐसे हितग्राही हैं, जिनका उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ या कम हुआ उनकी आय में भी ऋण लेने के बावजूद कोई अंतर नहीं आया बल्कि ऋण का बोझ और बढ़ गया। परन्तु यदि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती तो यकीनन उनकी आय में कुछ ना कुछ बढ़ोत्तरी जरूर होती। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक से ऋण लेने वाले 87 प्रतिशत हितग्राही बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता का सफल प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

अपने शोधपत्र को निष्कर्ष तक पहुँचाने के दृष्टिकोण से सर्वेक्षण में हितग्राहियों से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि यदि उन्हें दोबारा ऋण लेना पड़ा तो उनका पहला विकल्प क्या होगा, जिसके जवाब में 80 प्रतिशत हितग्राहियों ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक को ही चुना क्योंकि वे इस बैंक की सेवाओं एवं कार्यप्रणाली आदि से संतुष्ट है, जबकि 20 प्रतिशत हितग्राहियों ने अन्य वित्तीय स्रोतों को चुना।

रोजगार स्तर पर ऋण के उपयोग का प्रभाव - 200 में से 138 सर्वेक्षित हितग्राही मानते हैं कि ऋण मिलने से उन्होंने नया रोजगार शुरू किया। कृषक जो साल में एक ही फसल लेते थे अब दोनों फसल लेने लगे हैं, जिससे उनकी मौसमी बेरोजगारी समाप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बांस से वस्तुएं बनाने, अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस आदि निर्माण कार्यों हेतु ऋण देकर बैंक ने उनको किसी ना किसी तरह रोजगार युक्त किया है। मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्यों के लिए भी ऋण देकर बैंक ग्रामीणवासियों को रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

जीवन स्तर पर ऋण के उपयोग का प्रभाव - सर्वेक्षण के दौरान 200 में से 147 हितग्राहियों ने ये माना कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा जो साख सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई, उसके सदुपयोग से उनकी आय बढ़ी है एवं उसी के फलस्वरूप उनका जीवन स्तर भी बढ़ा। आय बढ़ने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, उनमें जागरूकता आयी और वे भी अब आधुनिक एवं विलासितापूर्ण वस्तुएं जैसे टी.वी., फ्रिज एवं रोजमर्रा की दिनचर्या को आसान बनाने वाली वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। कृषक वर्ग अब आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे - ट्रैक्टर, स्प्रिंकलर, पम्पसेट आदि का प्रयोग करने लगे हैं। इस तरह बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोधपत्र में निष्कर्ष का मुख्य आधार सर्वेक्षण से प्राप्त

आंकड़ों को ही माना गया है। जिसमें पाया गया कि सर्वेक्षित हितग्राहियों मसे 86 प्रतिशत हितग्राही मध्यांचल ग्रामीण बैंक की सेवाओं एवं कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं।

मध्यांचल ग्रामीण बैंक से जुड़े हितग्राहियों की आय, जीवन-स्तर, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जो बैंक की सेवाओं एवं शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। चूंकि ग्राहक संतुष्टि मध्यांचल ग्रामीण बैंक का सर्वोपरी उद्देश्य रहा है जिसे पाने में वह काफी हद तक सफल भी हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'ग्रामीण बैंकिंग, परिवर्तित परिदृश्य' आर.के. भारती, आदित्य

पब्लिशर्स, बीना, म.प्र. 1998

2. 'बैंकिंग प्रणाली, चन्द्रेश भार्गव, यूनिवर्सिटी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2011
3. 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियाँ, डॉ. जी.पी. यादव, आदित्य पब्लिशर्स, बीना 1998
4. 'भारतीय बैंकिंग विकास एवं संभावनाएँ', वाई.एस. भण्डारी, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
5. www.census2011.co.in
6. वार्षिक प्रतिवेदन, मध्यांचल ग्रामीण बैंक।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एवं भारतीय कृषि - चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

डॉ. ए. के. पाण्डेय * डॉ. गरिमा सिंह **

शोध सारांश - भारत को आशा थी कि थडज में दिए गए अपने वायदों के अनुरूप विकसित देश घरेलू समर्थन (सब्सिडी) का स्तर कम करेंगे तथा निर्यातों पर सहायता में कटौती करेंगे जिससे भारत इन देशों को और कृषि वस्तुओं का निर्यात कर पायेगा। परन्तु विकसित देशों ने बहुत चालाकी से अपने हितों की सुरक्षा की है तथा विकासशील देशों से कृषि आयातों में विस्तारों को रोक पाने में सफल रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दूसरे देशों के माल के लिए अपने द्वार खोले हैं तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। इसलिए भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि भारत इस बात पर जोर दे कि सभी प्रकार की कृषि, सहायता को एक साथ शामिल किया जाए और फिर इस कुल घरेलू समर्थन में कटौती की मांग की जाए।

शब्द कुंजी - विश्व व्यापार संगठन, ग्रीन बाक्स, सब्सिडी, ब्लू बाक्स, फूड सिक्यूरिटी, भूमंडलीकरण।

प्रस्तावना - भारत में 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाना भी था क्योंकि उस समय कृषि उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू बाजारों में बहुत अधिक थी। हमारे योजनाकारों द्वारा यह सोचा गया था कि विश्व व्यापार समझौते के अस्तित्व में आने के बाद कृषि उत्पादों के विदेशों में बेचने का भारत को स्वर्णित अवसर मिलेगा जिससे कृषि निर्यात बढ़ेंगे और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। कई विद्वानों द्वारा विश्व व्यापार समझौते का विरोध भी किया जा रहा था लेकिन इन विरोधों को दरकिनार करते हुए भारत भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। भारत में कृषि को सहायता ऋणात्मक रही है, जबकि विकसित देशों में कृषि को भारी आर्थिक सहायता दी जाती रही है। इससे यह उम्मीद बंधी कि कृषि पर समझौते के कार्यान्वयन से विकसित देशों में कृषि को घरेलू समर्थन में काफी गिरावट आएगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। इससे भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात से काफी आय प्राप्त होगी। परन्तु वास्तव में इसका उलटा हुआ है। थडज की स्थापना के बाद के वर्षों में कृषि वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, जिससे भारत की कृषि वस्तुओं से निर्यात आय कम हुई है।¹ विश्व व्यापार समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ है और इस समझौते को लागू हुए 22 वर्ष हो चुके हैं। जो अप्रैल 2005 से पूर्ण रूप से भारत में प्रभावी है। यह समयावधि इतनी कम नहीं है कि विश्व व्यापार समझौते का भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन न किया जा सके।

उद्देश्य

1. भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार समझौते के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. भारतीय कृषि पर ग्रीन बाक्स के तहत विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का अध्ययन करना।
3. विश्व व्यापार समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा सब्सिडी कटौती का पालन किया गया है, या नहीं का अध्ययन करना।

4. विश्व व्यापार समझौते में अपेक्षित सुधार के लिये आवश्यक उपाय सुझाना।

शोध प्रविधि -

1. **शोध क्षेत्र** - प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में विश्व के उन देशों को सम्मिलित किया गया है, जिनसे भारत कृषि वस्तुओं का आयात एवं निर्यात करता है।
2. **अध्ययन अवधि** - इस शोध पत्र में 1990-91 से 2013-14 के मध्य भारत से होने वाले कृषि आयात एवं निर्यात को सम्मिलित किया गया है।
3. **आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण** - प्रस्तुत शोध में द्वितीय समंको का प्रयोग किया गया है। इनके संग्रहण हेतु WTO की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का सहारा लिया गया है। समंको के विश्लेषण में प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है।

विश्व व्यापार समझौते का भारतीय कृषि पर प्रभाव -

1. ग्रीन बाक्स के अधीन दी गई सहायता को व्यापार निरूपित न करने वाली माना गया है और इसे कम करने की जरूरत नहीं है। विकसित देशों ने इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया है। अमेरिका में कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद का एक-तिहाई, जापान में एक-चौथाई, कनाडा व यूरोपीय यूनियन के देशों में 13 प्रतिशत ग्रीन बाक्स सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत भारत में कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.34 प्रतिशत ग्रीन बाक्स सहायता के रूप में प्रदान किया गया।² न केवल ग्रीन बाक्स के अधीन विकसित देश कृषि को घरेलू समर्थन प्रदान करने में सफल रहे हैं अपितु इस समर्थन की स्पष्ट परिभाषा व वर्गीकरण न होने के कारण वे कई प्रकार की सहायता को ग्रीन बाक्स सहायता के तहत शामिल करने में भी सफल हुए हैं।
2. रमेश चंद और लीनू मैथ्यू फिलीप³ के अध्ययन के द्वारा कुल घरेलू

समर्थन का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यूरोपीय आर्थिक संगठन तथा जापान का कुल घरेलू समर्थन कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक रहा है। अमेरिका में यह समर्थन 38 प्रतिशत तथा कनाडा में 25 प्रतिशत है। इसके विपरीत भारत में यह समर्थन मात्र 9 प्रतिशत है। कुछ विकसित देशों ने यह तर्क दिया है कि बजाय उन पर दबाव डालने के कि वे कृषि को घरेलू समर्थन कम करे, विकासशील देश चाहें तो वे भी इस समर्थन को बढ़ा सकते हैं। परन्तु यह तर्क एक ओर मुक्त व्यापार की भावना के विरुद्ध है, वहीं दूसरे ओर यह विकसित तथा विकासशील देशों की सामर्थ्य तथा संरचनात्मक ढांचे की उपेक्षा करता है। विकसित देशों में कृषि, अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा सा अंश है। (2 से 4 प्रतिशत) है, इसलिए ये देश उच्च आर्थिक सहायता दे सकते हैं। वस्तुतः कृषि को 50 प्रतिशत तक सहायता देने के लिए इन देशों को अपने कुल घरेलू उत्पाद का मात्र 1-2 प्रतिशत खर्च करना होगा। इसके विपरीत इतनी ही सहायता देने के लिए विकासशील देशों को अपने कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत खर्च करना होगा। इससे यह स्पष्ट है कि विकसित देशों के बराबर कृषि को आर्थिक सहायता दे पाना विकसित देशों के बूते के बाहर है।

3. आर **मिराजवसी⁴** ने अपने अध्ययन के आधार पर तर्क दिया कि आभारित आधार पर अनिवार्य कटौती का लाभ उठाकर विकसित देशों ने उन कृषि वस्तुओं पर प्रशुल्कों की कम कटौती की है जिनका विकासशील देश निर्यात करने के इच्छुक हैं। (इन वस्तुओं पर प्रशुल्कों में मात्र 15 प्रतिशत कटौती की गई है) जबकि उन कृषि वस्तुओं पर प्रशुल्कों में अधिक कटौती की गई है जिनमें विकासशील देशों को कोई रूचि नहीं है।
4. जहाँ तक भारत से निर्यात का संबंध है, कृषि निर्यातों का कुल निर्यातों में हिस्सा 1990-91 में 19.1 प्रतिशत था, जो घटकर 2013-14 में 13.6 प्रतिशत हो गया।⁵
5. भारत में कृषि उत्पादों की लागत निरंतर मंहगी होती जा रही है। कृषि रसायन, उर्वरक एवं बीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें निरंतर घट रही हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे कृषि उत्पाद विश्व बाजार में पिट रहे हैं।⁶
6. WTO की स्थापना के बाद के वर्षों में कृषि वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट आई है, जिससे भारत की कृषि वस्तुओं से निर्यात आय कम हुई है। WTO के सभी समझौते विकसित देशों के पक्ष में रहे हैं। यह बात कृषि पर समझौते के लिए भी सही है।⁷

विश्व व्यापार समझौते में अपेक्षित सुधार के लिये आवश्यक उपाय -

1. भारत सरकार को अपने कृषि उत्पादों पर सब्सिडी राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए जो सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.34 प्रतिशत है, समझौते के अनुसार इसे 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
2. रमेश चंद और लीनू मैथ्यू फिलिप के अनुसार यह आवश्यक है कि भारत इस बात पर जोर दे कि सभी प्रकार की कृषि सहायता को एक साथ शामिल किया जाए और फिर इस कुल घरेलू समर्थन में कटौती की माँग की जाए।
3. दीपक नैयर तथा अभिजीत सेन⁸ ने आँकड़े द्वारा यह स्पष्ट किया है

कि घरेलू कीमतों की जगह अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव होते हैं। इसलिए व्यापार प्रतिबंधों को कम करने का परिणाम यह होगा कि घरेलू कीमतों तथा किसानों की आय में अस्थिरता व अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अतः भारत को घरेलू समर्थन में अंतरों के बराबर संरक्षणात्मक प्रशुल्क लगाना होगा।

4. भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए ताकि ग्रीन बाक्स की तरह की फूड सिक्यूरिटी बाक्स तथा डेवलपमेन्ट बाक्स बनाया जाये।
5. भारत में काफी बड़ी मात्रा में आनुवंशिक संसाधन है और यदि ये मुफ्त में उपलब्ध होंगे तो विकसित देशों के निगम इन पर कब्जा करके पेटेंट उत्पाद बनाने का प्रयास करेंगे इसलिए कृषि संसाधनों के संरक्षण के लिए कानून आवश्यक है।
6. विश्व व्यापार समझौते में कृषि उत्पादों की दी गई सूची में बदलाव की मांग करनी पड़ेगी ताकि उत्पादों की सूची में रबड़ एवं वन आदि को शामिल किया जा सके।
7. कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु उपयुक्त किस्मों एवं श्रेष्ठ उत्पादन तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हो सके एवं हमारे उत्पाद विश्व बाजार में अन्य कृषि उत्पादों को मात दे सकें।

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी नीति विभेदकारी रही है। उनकी नीति विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाने वाली तथा विकासशील देशों को बहुत कम लाभ पहुंचाने वाली रही है। मुक्त व्यापार शैली भारत के लिए घातक भी है और लाभकारी भी। इस प्रणाली का उपयोग भारत यदि आयात की सुविधा के तौर पर करता है तो इससे हमारी कृषि के विनाश का रास्ता खुलेगा और हम अपने हाथों ही विनाश कर लेंगे। इसके विपरीत इस प्रणाली का निर्यात के तौर पर उपयोग करने से भारत की समृद्धि के द्वार खुलेंगे तथा देश समृद्धशाली बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पुरी वी.के. एवं मिश्र एस.के. 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, संस्करण 2015, पृष्ठ-218
2. Ramesh chand and Linu Mathew Phillip, " Subsidies and support in Agriculture : is WTO providing Level playing field' EPW Aug.11, 2001, P-3015
3. Ramesh chand and Linu Mathew Phillip, op.cit. P-3016
4. R Thamarajakshi "Doha Declaration and Agriculture in Developing countries" EPW, Jan.5, 2002, P-23
5. Ibid, P.-24
6. चौहान अशोक कुमार 'विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खेती' आलेख, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2005, पृ.-83
7. Anita Ramanna "India's policy on IPRs and Agriculture " EPW, Dec. 22, 2001, P-46
8. Deepak nayyar and Abhijit Sen " International trade and Agriculture sector in India " EPW May 14, 1994

ग्रामीण कृषि विकास में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना की भूमिका

डॉ. आर. एस. मण्डलोई *

शोध सारांश - ग्रामीण विकास परियोजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से आधारभूत संरचना का विकास का विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इस परियोजना के हितग्राही कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद, बीज, ऋण, कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि से सम्बंधित सामग्री उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना से जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है, लोगों का जीवन स्तर सुधार रहा है। कृषि की पद्धतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है तथा उत्पादन में वृद्धि होने से कृषकों की क्रयशक्ति बढ़ी है एवं धीरे-धीरे पलायन रुका है।

प्रस्तावना - किसी देश का विकास उस देश के ग्रामीण विकास से प्रारम्भ होता है। विकास में ग्रामीण विकास को सर्वोपरी मानते हुए देश के विकास का सपना साकार किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों के विकास से सम्पूर्ण देश के विकास की कल्पना नाम मात्र है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता है तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई क्षेत्रों में विकास की खुशबू भी नहीं पहुंची है। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन निरन्तर जारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर निम्न है तथा कृषि विकास भी पिछड़ा हुआ है।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश आजीविका परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय स्तर के समुदाय, समाज एवं व्यक्तियों एवं तकनीकी कौशल के आधार प्रयोग कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कई परियोजनाएँ/योजनाएँ संचालित की गईं किन्तु उनका लाभ ग्रामीणों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया परिणामतः हमारे ग्रामीण जन निर्धन, बेरोजगार तथा मूलभूत सुविधाओं से दूर, सिंचाई, परिवहन, साधनों की कमी से जुड़ रहे। किन्तु इस परियोजना के संचालित होने से कृषि विकास, जल संरक्षण, पशुधन, स्व सहायता समूह, लघु एवं कुटीर उद्योग, बेरोजगारों एवं शिल्पकारों को रोजगार मिलने की सम्भावना बढ़ गई है।

समावेशी विकास की ओर बढ़ते म.प्र. का विकास तभी सम्भव है जब ग्रामीण भारत समृद्ध हो। अतः ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराने के लिए म.प्र. में ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की गई। मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है गरीब परिवारों की जीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाना है। साथ ही यह तय किया गया है, कि ग्रामीण गरीब परिवारों को विभिन्न स्तरों से वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना, आदि।

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन राज्यों को अपनी परिस्थिति एवं रणनीति के अनुसार

करना है। इसमें वित्तीय समायोजन केन्द्र एवं राज्यों में 75 एवं 25 प्रतिशत राशि के आधार पर किया गया है।

आजीविका का आधार -

1. गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना।
2. बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना।
3. स्व रोजगार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

शोध प्रविधियाँ -

शोध उद्देश्य -

1. ग्रामीण कृषकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का अध्ययन करना।
2. कृषकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
3. कृषकों के जीवन स्तर में हुए सुधार के कारणों का अध्ययन करना।
4. कृषकों को योजना द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं में आने वाली

समस्याओं का अध्ययन -

परिकल्पनाएँ -

1. आजीविका परियोजना से कृषकों को साहूकारों से मुक्ति मिली है।
2. परियोजना का लाभ वास्तविक कृषकों को मिल रहा है।
3. कृषकों को परियोजना का लाभ लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

निर्दर्शन - प्रस्तुत शोध पत्र में धार जिले के कुक्षी तहसील में परियोजना के ग्रामीण 100 कृषकों को सर्वे में शामिल किया गया है। इसमें प्राथमिक संमक के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची से 100 कृषकों से आकड़े एकत्रित किये तथा द्वितीयक संमक का संकलन पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकें आदि से आकड़े संकलित कर निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये।

परिणाम एवं विवेचन - प्रस्तुत शोध के परिणाम परिकल्पना एवं उद्देश्य पर आधारित संकलित संमकों का तालिकाओं के माध्यम से विवेचन एवं परिणाम निम्नानुसार है -

तालिका क्रमांक 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि अभी भी साहूकारों पर कृषक आश्रित है।

तालिका क्रमांक 02 (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत कृषकों को कृषि यंत्र तथा 30 प्रतिशत

को खाद-बीज उपलब्ध कराने हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदाय किया गया है।
तालिका क्रमांक 03 (देखें)

अतः स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ मिलने से कृषि का उत्पादन बढ़ा है।

तालिका क्रमांक 04 (देखें)

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास परियोजना से रोजगार मिला है किन्तु पलायन रुक नहीं रहा है।

तालिका क्रमांक 05 (देखें)

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आजीविका परियोजना से कृषकों को कृषि सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं तथा कृषि ऋण व अनुदान भी प्राप्त हो रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उन्नत बीज व खाद का प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण कृषकों की आय व क्रयशक्ति में वृद्धि हो रही है। परिणामतः बाजारों

में मांग बढ़ने लगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराने से शहरों की ओर पलायन आंशिक रूप से कम हुआ है। परियोजना में ऋण आसानी से कृषकों को प्राप्त होने के कारण साहूकारों के चुंगल से कृषक धीरे-धीरे छुट रहे हैं। इसके बावजूद भी परियोजना का लाभ सही व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है जो कि एक समस्या बनी हुई है। अतः सही हितग्राहीयों का चयन हो, वित्तीय सहायता समय सीमा में उपलब्ध हो, तथा परियोजना का प्रचार प्रसार होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र एवं पुरी (2010) 'भारतीय अर्थव्यवस्था' नई दिल्ली पृ. क्र. 115-125
2. आजीविका दर्पण (2013) 'म.प्र. ग्रामीण विकास आजीविका परियोजना भोपाल' 10-15
3. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (2009) 'शोध प्रविधियाँ' पृ. क्र. 48-50
4. योजना पत्रिका (मासिक) (2015) प्रकाशन विभाग, दिल्ली।

तालिका क्रमांक 01

साहूकारों की ऋण व्यवस्था पर प्रभाव

क्र.	ऋण लेने के स्रोत	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
01	परियोजना से	70	70 प्रतिशत
02	साहूकारों से	30	30 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

तालिका क्रमांक 02

कृषकों को उपलब्ध कृषि सुविधाएँ

क्र.	उपलब्ध कृषि सुविधाएँ	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
01	कृषि यंत्र	50	50 प्रतिशत
02	खाद-बीज	30	30 प्रतिशत
03	पशुधन	15	15 प्रतिशत
04	अन्य सुविधा	05	05 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

तालिका क्रमांक 03

परियोजना का उत्पादन पर प्रभाव

क्र.	उत्पादन पर प्रभाव	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
01	उत्पादन में वृद्धि	85	85 प्रतिशत
02	उत्पादन में कमी	0	0
03	उत्पादन में कोई अन्तर नहीं	15	15 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

तालिका क्रमांक 04

पलायन व बेरोजगारी पर प्रभाव

क्र.	पलायन एवं बेरोजगारी की स्थिति	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
01	परियोजना से रोजगार	60	60 प्रतिशत
02	अन्य योजनाओं से रोजगार	20	20 प्रतिशत
03	इससे शहरों में रोजगार	20	20 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

तालिका क्रमांक 05

परियोजना से आने वाली समस्याएँ

क्र.	परियोजना से आने वाली समस्याएँ	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
01	अशिक्षा	32	32 प्रतिशत
02	कागजी कार्यवाही	38	38 प्रतिशत
03	सुविधाएँ देरी से मिलना	10	10 प्रतिशत
04	हितग्राहीयों को चयन सही नहीं होना।	20	20 प्रतिशत
	योग	100	100 प्रतिशत

भारतीय कृषि की वर्तमान चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ. रावेन्द्र सिंह पटेल *

शोध सारांश - आज भारतीय कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर कृषि में सार्वजनिक निवेश का अंश लगातार घटता जा रहा है वहीं दूसरी ओर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र में निवेश में या तो कमी हुई है या फिर मामूली सी वृद्धि हो पायी है। इसके अलावा विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को अधिक सब्सिडी देने के कारण उनके कृषि उत्पाद सस्ते हुए हैं और हमारे देश के कृषि उत्पाद महंगे हुए हैं जिससे हमारे कृषि उत्पाद विश्व बाजार में नहीं टिक पा रहे हैं। इन दोनों का समग्र प्रभाव यह पड़ा है कि हमारे किसानों में कृषि के प्रति निराशा के भाव जागृत हुए हैं क्योंकि उनके उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण वह ऋणी हो चुके हैं और इसी कारण से आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस शोध पत्र में कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्दकुंजी - विश्व व्यापार संगठन (WTO), वैश्वीकरण, सकल घरेलू उत्पाद, कृषि सब्सिडी, ग्रीन बाक्स, ब्लू बाक्स, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक निवेश।

प्रस्तावना - किसी भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम होता जाता है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के हिस्से में गिरावट होती है। यह बात भारतीय आकड़ों से भी स्पष्ट होती है। 1950-51 में साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 53.1 प्रतिशत था जो कम होते-होते 2016-17 में 14 प्रतिशत हो गया। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में तेज गिरावट हुई है तथापि अभी भी कार्यकारी जनसंख्या का लगभग आधा कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए कृषि क्षेत्र पर यदि निवेश में कमी होती है तो यह एक चिंता का विषय है। इसका कारण यह है कि किसी भी क्षेत्र का विकास उसके आधारिक संरचना के विकास पर निर्भर करता है। यदि निवेश में कमी होती है, तो आधारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।¹ वास्तव में विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में कृषि पर समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कई विकासशील देशों में बहुत उत्साह दिखाई दिया क्योंकि उन्हें आशा थी कि इससे विकसित देशों के बाजार खुलेंगे जिससे उन्हें कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक भारत का संबंध है, कृषि को सहायता ऋणात्मक रही है जबकि विकसित देशों में कृषि को भारी आर्थिक सहायता दी जाती रही है। इससे यह उम्मीद बंधी कि कृषि पर समझौते के कार्यान्वयन से विकसित देशों में कृषि को घरेलू समर्थन में काफी गिरावट आएगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। इससे भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात से काफी आय प्राप्त होगी। परन्तु वास्तव में इसका उल्टा हुआ है। WTO की स्थापना के बाद के वर्षों में कृषि वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट आई जिससे भारत की कृषि वस्तुओं से निर्यात आय कम हुई है। वास्तव में आज भारतीय कृषि के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिससे भारतीय कृषि लगातार जूझ रही है। इसमें से सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र में घटते निवेश की है, वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा कर्ज के कारण की जा रही आत्महत्या, कृषि लागत का बढ़ना, विश्वकृषि बाजार में कृषि वस्तुओं का न टिक पाना सबसे बड़ी समस्या है।

उद्देश्य - इस शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. भारतीय कृषि में निवेश की प्रवृत्ति का अध्ययन करना
2. विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय समकों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय समकों का संग्रहण योजना आयोग की रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट, इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली के शोध आलेखों से किया गया है। शोध पत्र में वर्ष 1990-91 से 2013-14 को अध्ययन अवधि के लिए चयन किया गया है। समकों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है।

कृषि में निवेश की प्रवृत्ति -

1. कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश 1990-91 में 4395 करोड़ रुपये था, जो घटकर 1999-2000 में 4221 करोड़ रुपये हो गया। प्रतिशत के रूप में इसका अर्थ यह है कि कृषि निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का हिस्सा इस अवधि में लगभग 30 प्रतिशत से गिरकर 25 प्रतिशत से भी कम रह गया। **(सारिण देखे आगे पृष्ठ पर)**
2. कुल पूंजी निर्माण में कृषि में पूंजी निर्माण का हिस्सा जो 1993-94 की कीमतों पर, 1990-91 में 9.9 प्रतिशत था, 1999-2000 में गिरकर मात्र 3.5 प्रतिशत रह गया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि नवीन आर्थिक सुधार की अवधि में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।
3. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि क्षेत्र में निवेश 1999-2000 में 2.8 प्रतिशत था, जो घटकर 2012-13 में 2.7 प्रतिशत रह गया।

कृषि में सार्वजनिक निवेश गिरने की यह प्रवृत्ति चिन्ताजनक है क्योंकि इसका दीर्घकाल में कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गुलाटी एवं बाटला² ने कुछ समय पूर्व यह अनुमान लगाया था कि सार्वजनिक क्षेत्र (सिंचाई एवं ऊर्जा में निवेश शामिल है) में 10 प्रतिशत की कमी से सकल

घरेलू उत्पाद में 2.4 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है।

विश्व व्यापार संगठन का भारतीय कृषि पर प्रभाव -

1. विकसित देशों में कृषि सब्सिडी अब भी अत्यधिक है और इनके परिणाम स्वरूप घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है, व्यापार का विरूपण हो रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिर रही हैं। इसका प्रभाव भारत पर यह पड़ा है कि भारत से कृषि निर्यातों का कुल निर्यातों में हिस्सा 1990-91 में 19.1 प्रतिशत था। 2010-11 में यह कम होकर मात्र 9.7 प्रतिशत रह गया।⁹
2. संयुक्त राष्ट्र की तीन एजेन्सियाँ खाद्य तथा कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा पर्यावरण कार्यक्रम ने दक्षिण एशियाई देशों में कृषि का गंभीरता से अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में बताया कि भारत, बंगलादेश आदि अल्प विकसित देशों में सालाना 10 बिलियन डालर की हानि हो रही है।
3. देश में कृषि उत्पादों की लागत निरंतर मंहगी होती जा रही है। कृषि रसायन, उर्वरक एवं बीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें निरंतर घट रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे कृषि उत्पाद विश्व बाजार में पिट रहे हैं।⁴
4. विकसित देशों द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप परिस्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्यायें और कई राज्यों में बढ़ती हुयी अशान्ति का कारण यह है कि जो किसान कृषि वस्तुओं और उनके निर्यात में जुटे हुये थे उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है।⁵
5. रमेशचंद्र और मैथ्यु फिलीप⁶ ने कुल घरेलू समर्थन का अनुमान लगाया है। जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका में यह समर्थन 38 प्रतिशत तथा कनाडा में लगभग 25 प्रतिशत है। इसके विपरीत भारत में यह समर्थन मात्र 9 प्रतिशत है।

विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक निर्यात सहायता व्यापार विरूपण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आर. थमरा जाक्सी⁷ का यह कथन सही है कि कृषि पर समझौते का स्वरूप ही ऐसा बनाया गया है जिससे विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजारों में और प्रवेश न मिल सके। वास्तव में इन समझौतों का विकासशील देशों के दृष्टिकोण से कोई महत्व

नहीं है क्योंकि विकसित देशों ने बड़ी चालाकी से अपनी चाल चली है। यहाँ इस बात पर भी जोर देना जरूरी है कि हांग कांग मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में जितनी भी अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई थीं, उनमें से किसी का भी पालन नहीं हो सका है। विकसित देश किसी भी कीमत पर अपनी कृषि सहायता को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं।

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में कृषि में कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा एवं सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि में निवेश का हिस्सा लगातार गिरता जा रहा है। नवीन आर्थिक सुधार की अवधि में भी कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। विकसित देशों द्वारा उनके किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी अब भी बहुत ज्यादा है जिससे उनके कृषि उत्पाद विश्व बाजार में सस्ते हो जाते हैं और हमारे कृषि उत्पाद मंहगे होने के कारण विश्व बाजार में नहीं टिक पाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पुरी वी.के. एवं मिश्र एस.के. 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, संस्करण 2015 पृष्ठ-212
2. Ashok Gulati and seema Bathla 'Capital formation in indian agriculture - Trends, Composition and implications for growth, NABARD, Occasional paper 24, Mudri Bai 2002
3. चौहान अशोक कुमार ' विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खेती आलेख, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2005, पृ.-83
4. रुद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस चन्द्र प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2008, पृ. 685
5. Ramesh chand and Linu Mathew Phillip, " Subsidies and support in Agriculture : is WTO providing Level playing field" EPW Aug.11, 2001, P-3015
6. R Thamarajakshi " Doha Declaration and Agriculture in Developing countries" EPW, Jan.5, 2002, P-23
7. Govt of india, Economic Survey 2006-07, P-176
8. Govt of India, Agricultural statistics at a glance, 2014 table 3.6 (a) & 3.6 (b)

कृषि में सकल पूंजी निर्माण

वर्ष	कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश (करोड़ रुपये में)	कृषि में कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)	कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में कृषि में निवेश	सकल घरेलू उत्पाद (बाजार कीमत पर) के प्रतिशत के रूप में कृषि में निवेश
1993-94 की कीमतों पर आधारित शृंखला				
1990-91	4995	29.60	9.9	1.9
1999-2000	4221	24.40	3.5	1.4
2004-05 की कीमतों पर आधारित शृंखला				
2004-05	16187	21.3	7.5	2.3
2012-13	23886	16.4	7.7	2.7

Source - Govt of india, Economic survey 2006-07, & Govt of india, Agriculture statistics at a glance, 2014

Emergence Of Armed Struggle In Kashmir Valley

Dr. Poornima Sharma* Jawaid Ahmad Mir ** Sajad Ahmad Dar***

Abstract - Jammu & Kashmir, a geographically and politically a unique region of the world, emerged as a new conflicted region in the modern world. The region fell under the rule of the Afghans, Sikhs and Dogras. Under the Indian rule Kashmir has gone through a sea change, but the political uncertainty remains. The political dissent among some sections of the Muslim majority regions of the state was on the rise. Following the allegations of mass rigging in the 1987 Assembly Elections, this political dissent was translated into a full fledged arms struggle against the Indian state. With the rise of armed insurgency, the disintegration of the state government, the exodus of the Kashmiri Pandit community, the counter insurgency and the inevitable excesses by the militants, Kashmir Valley turned into a true conflict region.

Key Word - India, Pakistan, Separatists, MUF, Insurgency, Armed Struggle, Kashmir Valley.

Introduction - The state of Jammu & Kashmir has been quite unfortunate with regard to political stability right from 1947. The state remains a bone of contention between India and Pakistan. Three wars have been fought so far over Jammu & Kashmir state. People of the country in general and the people of the Kashmir in particular are uncertain about the future of Kashmir right from the beginning. In 1989, a widespread popular and armed insurgency¹ started in Kashmir after the 1987 state Legislative Assembly Election;² some of the results were disputed. This resulted in the formation of militant outfits after the election and was the beginning of the Mujahedeen insurgency, which continues to this day. India contends that the insurgency was largely started by Afghan Mujahedeen who entered the Kashmir Valley following the end of the Soviet-Afghan war.

India's Claim - India claims these insurgents are Islamic terrorist groups from Pakistan Administered Kashmir and Afghanistan, fighting to make Jammu & Kashmir, a part of Pakistan. They claim Pakistan is supplying ammunition to the terrorists and training them in Pakistan Administered Kashmir. India states that the terrorists have been killing many citizens in Kashmir and committing human rights violations. They deny that their own armed forces are also responsible for human rights abuses. On a visit to Pakistan in 2006 the then Chief Minister of Jammu & Kashmir Omar Abdullah remarked that foreign militants were engaged in reckless killings and mayhem in the name of religion. Indian government has said militancy is now on the decline.³

Pakistan's Claim - The Pakistani government calls these

insurgents "Kashmiri Freedom Fighters", and claims that it gives only moral and diplomatic support to these insurgents, though India believes they are Pakistan-supported terrorists from Pakistan Administered Kashmir. In October 2008, the then President Asif Ali Zardari of Pakistan called the Kashmiri Separatists, terrorists in an interview with "The Wall Street Journal." On the comments of Zardari, Kashmiri Separatist leaders gave the call for strike and also burnt effigy of Zardari. On the other hand government has imposed curfew in the entire Kashmir Valley to maintain law and order.⁴

Kashmiri Separatists View Point - In 2008, pro-separation leader Mirwaiz Umar Farooq told "The Washington Post" that there has been a "pure indigenous, purely Kashmiri" peaceful protest movement alongside the insurgency in Indian Administered Kashmir since 1989.⁵ The movement was created for the same reason as the insurgency; it began with the disputed election of 1987. The Kashmiris have grievances with the Indian government, specifically with the Indian military, which has committed human rights violations, according to the United Nations.

Rise Of Extremism - According to P.S. Verma, "All the periodic elections in the state have thus repeated the same old story of illegal rejection of nominations, proxy voting, booth capturing, beating and abducting rivals, disrupting public meeting etc. The entire democratic process has been strangulated and trampled time and again by the local zealots to serve their narrow political ends. These perversions in the run have not only ridiculed the electoral process but also contributed to the spurt of fundamentalism,

* Asst. Professor (Political Science) St. Norbert's College, Jabalpur (M.P.) INDIA

** Research Scholar (Political Science) Rani Durgavati University, Jabalpur (M.P.) INDIA

*** Research Scholar (Political Science) Rani Durgavati University, Jabalpur (M.P.) INDIA

subversion and militant violence in the state.”⁶

The most opposition groups in 1987 alleged that there was large-scale rigging during the Assembly Elections. The opposition groups, particularly the MUF, made it a central issue to shatter the image of ruling party and dislodge it from power. In September 1986, a group of Dr. Farooq Abdullah's followers emerged on the scene and gave slogans “Jo Hamse Takrayega Choor Choor ho Jayega” (those who confront us will get destroyed). But within a short span of two years, Dr. Farooq Abdullah and his party were left high and dry when most people in the valley refrained from rallying round him and stayed away from the November 1989 Parliamentary Elections. An overview of the entire electoral politics of 1987 would show that election gave rise to a new political syndrome characterized by ascending fundamentalism, fissiparous tendencies, aggressive against the existing set-up and a victory of NC-Congress (I) in 1987 neither strengthened ‘stability and progress’ nor ushered in an era of prosperity. The election results in 1987, wrongly or rightly, made all opposition groups believe that the NC-Congress (I) alliance struck a deal thoroughly rigged the election. Allegations against the ruling party included distribution of duplicate ballot papers, proxy voting, booth capturing, arrest of opposition leaders, assaulting, harassing, buying polling agents, misuse of government machinery, inordinate delay in the declaration of results etc. The MUF alleged that its candidates were fraudulently defeated in several constituencies. In nine seats the close rivals belonged to the MUF and the remaining one to the Peoples Conference of A.G. Lone. As the results in certain seats were declared late, the MUF look it as sure case of electoral malpractice. It is difficult to say whether or not there was rigging, but the MUF along with others took the matter to the streets and paralyzed the entire political life in the valley.

The MUF now onwards concentrated on the Islamisation drive and anti-India propaganda to score over the others. By mid-1989, that group in fact decided to part with the membership of the state legislature. On August 30, 1989, three (out of four) MUF MLA's resigned from the Assembly. The government headed by Dr. Farooq Abdullah, according to MUF, that government was installed after massive rigging.⁷ A widespread armed insurgency started in Kashmir with the disputed 1987 election with some elements from the State's Assembly forming militant wings which acted as a catalyst for the emergence of armed insurgency in the region.⁸

After Sheikh Abdullah's death, his son Dr. Farooq Abdullah took over as Chief Minister of Jammu & Kashmir. Dr. Farooq Abdullah announced an alliance with the ruling Congress party for the elections of 1987. The elections were allegedly rigged in favour of Dr. Farooq Abdullah.⁹ Like all the states of India, Jammu & Kashmir state has a multi-party democratic system of governance with a bicameral legislature. At the time of drafting of Constitution of Jammu & Kashmir, 100 seats were earmarked for direct elections

from territorial constituencies. Of these 25, seats were reserved for the areas of Jammu & Kashmir state that came under Pakistan's occupation, which came down to 24, after the 12th amendment of the Constitution of Jammu & Kashmir.

In November 1989, the MUF boycotted the Parliamentary poll for which the militants had already issued a boycott call and announced a “civil curfew” for the polling day. Most opposition groups had earlier announced their intention to contest the poll. But in view of growing hold of the militants of the valley, they decided to opt out of fray. All except the NC and a few independents yielded to the boycott call. Even late Mufti Mohammed Syeed, a top Janta Dal leader in the state, managed to get a nomination from Uttar Pradesh. In Srinagar Parliamentary seat, even the independents had withdrawn leaving it to go unopposed to a NC candidate. Of the other two seats in the valley in Baramulla there were five independents against the NC candidate and eight in Anantnag. These constituencies, unlike Jammu and Ladakh regions had on election activity at all. In fact the main concern of the voter there was win, but whether that would be safe for him to go to the polling booth.¹⁰

In Sopore town, the home of one of the cabinet minister and the Chairman of Legislative Council, only five votes were cast. Interestingly, TV sets were placed near some of the polling booths with placards reading “anyone who will cast his vote can take as a gift.” Whereas coffins were placed near some other booths with a cryptic note-anyone who will cast his vote will get that.¹¹ As a matter of fact, the polling for two seats i.e. Baramulla and Anantnag was as low as 5.48% and 5.07% respectively. Even presuming that percentage is genuine, it merely shows that there are a few far-flung areas in the two constituencies where the write of the militants for poll boycott did not run on cent percent people. In Baramulla for instance the NC winning candidate got over 22,000 votes out of 35,000 polled from only two stations, Handwara and Uri which are inhabited population.¹² It shows that the NC had lost its relevance among the Kashmiri Muslims. Most of its members remained inactive during the Parliament poll. The call of the Chief Minister, Dr. Farooq Abdullah, hardly made any impact on party activists at the grass-roots. However the remaining two regions i.e., Jammu and Ladakh, elections, in 1989 were held as usual. In Jammu both the Parliamentary seats opposed by the rival political parties such as Janta Dal, BJP, Panthers Party and BSP.¹³

Ethnic Cleansing - The wholesale exodus of Kashmiri Pandits also took place only after the Parliament election of 1989. Once the militant violence engulfed the state of J&K, majority of the Pandit community living in the valley left to other parts of the country. Some 90% of 160,000-170,000 community left in what is described as a case of ethnic cleansing. According to Vijay Dhar, Pakistan policy is the root cause. In 1990 Kashmiri Pandits were forced to abandon the valley, because in the eyes of Pakistani

strategists in the proxy war, they represented India in Kashmir.¹⁴ Maroof Raza also describes the episode as 'a deliberate policy of ethnic cleansing'.¹⁵ The Ex-Governor of the state Girish Chander Saxena also agrees.¹⁶

Conclusion - It is noteworthy that Mr. B. K. Nehru, former Governor of Jammu & Kashmir has acknowledged publically that elections in Kashmir have indeed been rigged in the past. In 1987 elections Dr. Farooq Abdullah announced an alliance with the ruling Congress party; the elections were allegedly rigged in favour of Dr. Farooq Abdullah. This led to the rise of an armed insurgency movement composed, in part, of those who unfairly lost elections. Pakistan is supplying ammunition to the terrorist groups and training them in Pakistan Administered Kashmir. The insurgency in Kashmir has existed in various forms. The ground had been very deliberately and comprehensively prepared and coordinated for the eruption of militancy, which did towards the end of 1989. It was full form by 1990. The post 1989 migration of Kashmiri Pandits is the most calamitous having a tremendous impact on the social fabric of the state apart from the hazardous effect on the displaced community of Kashmiri Pandits. Thousands of lives have been lost since 1989 due to the intensification of both the insurgency and the fight against it.

References :-

1. "Hizbul Mujahedeen almost wiped out in Kashmir", The Times of India, 19 October 2011.
2. "J&K: Top LeT commander killed in an encounter", Greater Kashmir, 3 August 2012.
3. Thottam, Jyoti "Valley of Tears", Times of India, September 2008.
4. Government of India, Indian National Census 2001.
5. Abdication of responsibility: the Commonwealth and Human Rights. Human Rights Watch. 1991, p.14. ISBN 978-1564320476.
6. Verma, P.S., Jammu & Kashmir at Political Crossroads, Light and Life Publications, New Delhi, 1994, p.166.
7. Ibid. pp.163-165.
8. "Kashmir Insurgency", BBC (London: BBC). http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/south_asia/2002/india_pakistan/timeline/1989.stm. Retrieved November 1, 2010.
9. BBC News, "Kashmir Insurgency."
10. Joseph, Poll Boycott: Shadow over Jammu and Kashmir, The Indian Express, October 31, 1989.
11. Verma, P.S., Jammu & Kashmir at Political Crossroads, Vikas Publishing House, New Delhi, 1994, p.166.
12. Puri, Balraj, "Jammu and Kashmir Poll: Fear and Sympathy", The Hindustan Times, December 18, 1989.
13. Singh, Aditya, "This time there will be 100 percent Poll Boycott in Jammu and Kashmir", The Pioneer (Delhi), June 16, 1992.
14. Dhar, Vijay, 'Trepid resolve on Kashmir', The Hindustan Times, February 17, 1997.
15. Raza, Maroof, Wars and no peace over Kashmir, Lancer Publications, New Delhi, 1996, p.74.
16. Oberoi, Surinder Singh, 'Kashmir: then and now', in Sekhar Basu Roy (ed.) New Approach: Kashmir, violence in Paradise, Calcutta, 1993, p.103.

‘इस्लाम आतंक या आदर्श’ एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मुमताज़ बेगम *

शोध सारांश - कुरआन सिर्फ मुसलमानों का धर्मग्रंथ है और जिसकी शिक्षाओं का सम्बंध भी सिर्फ मुसलमानों से है। वह सिर्फ मुसलमानों को ही सफलता का मार्ग दिखाता है, लेकिन सच्चाई इसके भिन्न है। स्वयं मुसलमानों के रवैये और आचार-व्यवहार की वजह से यह भ्रम उत्पन्न हो गया है। वरना अरब बात तो यह है कि इस्लाम पूरी मानव जाति के लिए रहमत है, हजरत मुहम्मद सहाब (ईश्वर की कृपा और शान्ति हो उन पर) सारे इंसानों के पैगम्बर, शुभचिन्तक, उद्धारक और मार्गदर्शक हैं और कुरआन पूरी मानवजाति के लिए अवतरित ईश्वरीय ग्रन्थ और मार्गदर्शक है। चूंकि इस्लाम व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगिक विकास होता है जो समाजिक न्याय की संभावना बनती है। इस्लामी दृष्टिकोण के अनुसार मूल महत्व समाज को नहीं व्यक्ति को प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस्लाम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समाज की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। इस्लाम इन्सान को अन्दर से इतना रोशन और सभ्य बना देना चाहता है कि वह राजी-खुशी अपनी तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने लगे। और अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने लगे। इस्लाम हर व्यक्ति को समाज के नैतिक सिद्धांतों का संरक्षक बनाना चाहता है और तमाम सामाजिक बुराईयों का दूर करना चाहता है। स्पष्ट है कि इस्लाम की यह मंशा उस समाज में पूरा नहीं हो सकती जिसमें व्यक्ति को कोई महत्व न प्राप्त हो। आज कहा जाने लगा है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। धर्म या विश्व राजनीति से संबंधित चर्चाओं में यह प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों पर उछाला जाता है। मीडिया के किसी भी साधनों में मुसलमानों को बखशा नहीं जाता और इस्लाम तथा मुसलमानों के संबंध में बड़े पैमाने पर गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, उन्हें कट्टरवादी के रूप में दर्शाया जाता है। वास्तव में ऐसी गलत जानकारियाँ और झूठे प्रचार अकसर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और पक्षपात का कारण बनते हैं। इसका कारण यह है कि मीडिया के नकेल पश्चिम देशों के हाथों में है जो इस्लाम से भयभीत है।

प्रस्तावना - इस्लाम अरबी के मूल शब्द स, ल, म, से बना शब्द है। इन अक्षरों से बनने वाले शब्द दो अर्थ रखते हैं एक-शान्ति, दो-आत्मसमर्पण। इस्लामी परिभाषा में इस्लाम का अर्थ होता है ईश्वर के हुक्म, ईच्छा, मर्जी और आदेश-निर्देश के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करके सम्पूर्ण व शाश्वत शान्ति प्राप्त करना...अपने व्यक्तित्व व आन्तरात्मा के प्रति शान्ति, दूसरे तमाम इंसानों के प्रति शान्ति, अन्य जीवधारियों के प्रति शान्ति, ईश्वर की विशाल सृष्टि के प्रति शान्ति, ईश्वर के प्रति शान्ति, इस जीवन के बाद परलोक-जीवन में शान्ति।

भूमिका - शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि भारत सहित दुनिया में यदि कहीं विस्फोट हुआ या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की हत्या हुई और उस घटना में संयोगवश कोई मुसलमान शामिल हुआ है तो उसे इस्लामिक आतंकवाद कहा गया। थोड़े ही समय में मीडिया सहित कुछ ताकतों ने अपने-अपने निजी फायदों के लिए इसे सुनियोजित तरीके से इस्लामिक आतंकवाद की परिभाषा में बदल दिया। सुनियोजित साजिश के अंतर्गत किए गए इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि आज कहीं भी विस्फोट हो जाए तो उसे तुरंत इस्लामिक आतंकवादी घटना मानकर ही चला जाता है।

इसी माहौल में पूरी दुनिया में जनता के बीच मीडिया के माध्यम से और पश्चिमी सहित कई अलग-अलग देशों में, अलग-अलग भाषाओं में सैकड़ों किताबें लिख-लिख कर यह प्रचारित किया गया कि दुनिया में आतंकवाद की जड़ इस्लाम है।

इस दुष्प्रचार में यह प्रमाणित किया गया कि कुरान में अल्लाह की आयतें मुसलमानों को आदेश देती हैं कि वे अन्य धर्म को मानने वाले काफिरों से

लड़े, उनकी बेरहमी के साथ हत्या करें या उन्हें आतंकित कर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएँ, उनके पूजास्थलों को नष्ट करें-यह जिहाद है और जिहाद करने वाले को अल्लाह जन्नत देगा। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए उसे निर्दोषों की हत्या करने वाला आतंकवादी धर्म घोषित कर दिया गया और जिहाद का मतलब आतंकवाद बताया गया है।

तथ्य विश्लेषण - ‘कुरआन की शुरुआत ‘बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम’ से होती है, जिसका अर्थ है-‘शुरु करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयालु है।’ ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा अल्लाह जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयालु है वह ऐसा फरमान कैसे जारी कर सकता है जो किसी को कष्ट पहुँचाने वाले हों अथवा हिंसा या आतंक फैलाने वाले हों?

‘कुरआन की आयतों से व पैगम्बा मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी से पता चलता है कि मुसलमानों को उन काफिरों से लड़ने का आदेश दिया गया जो आक्रमणकारी थे, अत्याचारी थे। यह लड़ाई अपने बचाव के लिए थी।’

‘एक साजिश के तहत जब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पनपने लगी। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के विभिन्न देशों में बेशमार ऐसी घटना घट रही रही है जिनमें मुसलमानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहशतगर्द समझा जाने लगा और इन पर हमले भी होने लगे। अब यह कहा जा सकता है कि मुसलमान अब अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। यह हाल अमेरिका में 2001 के आतंकवादी घटना के

पहले नहीं थीं। यह हमला के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर और तमाम मुसलमानों को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। इसके नतीजे में तमाम गैर-मुसलमानों के जिहन में यह ख्याल घर कर गया कि हर मुसलमान आतंकवादी है।¹ आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए आइ.एस जैसे संगठन का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। 'आइ.एस यानी 'इस्लामिक स्टेट' हकीकत में इसे एंटी आइ.एस. या 'एंटी इस्लामिक स्टेट' कहना दुरुस्त होगा क्योंकि जब से इस संगठन का चर्चा हो रहा है और जिस कदर इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी और नुकसान हो रहा है इसे लफजों ब्यान नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के वह दुश्मन जो इस संगठन के बानी मुबानी है जानबुझ कर ऐसे बदनाम जमाना और इंसानियत के इस संगठन को इस्लाम से जोड़ दिया है।² जहाँ तक दीन इस्लाम का तालुक है। वह किसी के ना हक खून करने या कत्ल करने को सारी इंसानियत का खून और कत्ल करार देता है। इन्हें हम कुरान के आयतों से इस प्रकार समझ सकते हैं - ' इस वजह से बनी इसराइल पर हम ने फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान का जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया इसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी।'³ (अलमाइदह, आयत 32) इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि दूसरे मनुष्य को वैसे ही जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है जैसा कि उसे है। जो व्यक्ति नाहक किसी की जान लेता है वह केवल एक ही व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करता बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि उसके दिल में किसी भी मनुष्य की जिंदगी का कोई अहमियत नहीं है इसलिए ऐसे लोग पूरी इंसानियत के दुश्मन है। क्योंकि उसके अंदर जो गुण पायी जाती है वह गुण अगर तमाम इंसानों में पायी जाए तो पूरी इंसानियत ही समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंसानी जिंदगी के हिफाजत करने में मदद करता है वह दर हकीकत इंसानियत का मददगार है, क्योंकि इसमें वह गुण पायी जाती है जिसमें इंसानियत बाकी है। आज इस्लाम का नाम लेकर दुश्मन इस्लाम-इस्लाम करके मुसलमानों को बदमान और दागदार बनाने पर तुले हुए है। जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की तमाम संगठनों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एकसाझा प्लेटफार्म बना कर दुश्मन संगठनों की न सिर्फ जबरदस्त विरोध करे बल्कि जो जो लोग इनके पर्दे के पीछे हैं उनको बेनकाब करें। यह संगठन (आइ.एस.) इसराइल और अमेरिका ही जन्मदाता है, क्योंकि दोनों देशों को इस संगठन से कोई नुकसान नहीं है सिवाय फायदा के। अमन पसंद और संगठनों को आगे आकर इनकी गुमराही या भटकाउ को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आज इस्लाम और मुसलमानों को यह चुनौती कबूल करनी चाहिए और इसका मुकाबला शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से करनी चाहिए।

'इस्लामी आतंकवाद कह कर मीडिया से लेकर जिम्मेदार कहे जाने वाले राजनेता तक इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब इतनी चतुराई और बारीकी से हो रहा है कि शब्दों के अर्थ एक-दूसरे में चुलमिल हो गए हैं, इस हद तक कि इस्लाम और आतंकवाद एक-दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं।'⁴ 'इस्लाम को आजकल आतंकवाद के समतुल्य देखा जाता है। कुरान के उद्धरण, जो ऐतिहासिक संदर्भों से उद्धृत हैं, का प्रयोग इस धारणा को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि इस्लाम प्रकृति से एक हिंसक धर्म है। निकट से दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि दुष्प्रचार करने में माहिर ऐसा दिखाना चाहता है कि इस्लामी विद्वानों को इस्लाम की बहुत थोड़ी जानकारी है। इस्लाम के अध्ययन में उनकी पैठ बिलकुल सतही, दुराग्रहपूर्ण

और समीक्षात्मक समझ से रहित है।'⁵

इस्लाम हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि अन्य धर्म की भाँति यह आत्मरक्षा में विश्वास करता है। खासकर कुरान यह बतलाता है कि 'लड़ने की इजाजत केवल उन्हें दी गई है, जिनके विरुद्ध कोई लड़ता है, क्योंकि उन्हें गलत बना दिया गया है-वस्तुतः ईश्वर केवल उनका समर्थन कर सकता है जो सिर्फ यह कहने पर की 'हमारा मालिक अल्लाह है' अपने घरों से बिना किसी अधिकार के निकाल बाहर कर दिए गए हैं।'⁶ (सूर-अल-हज्ज, 39-40) इससे विदित होता है कि मुसलमान केवल तभी युद्ध करने के लिए बाध्य किए जाते हैं, जब उनका दमन किया जाता है अथवा जब उनके विरुद्ध हिंसा की जाती है। आगे कुरान सीमाओं को भी परिभाषित करता है और युद्ध करने के सम्बन्ध में एक कठोर आचार संहिता निर्धारित करता है, 'खुदा की राह में उनके खिलाफ लड़ो, जो तुमसे लड़े, परन्तु सीमाओं से आगे मत जाओ।' यहाँ सीमा का अभिप्राय युद्ध काल में मुसलमानों के व्यवहार से है, जो इस्लाम के अंतर्गत युद्ध को अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनमें शामिल है: घायलों पर आक्रमण नहीं करना, जो लड़ने के काम में नहीं लगे हैं, यथा-वृद्ध, बच्चे अथवा महिला।

'पूरी दुनिया में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ देने की आलोचना करते हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा ने कहा कि इस्लामी आतंकवाद शब्द के प्रयोग से वह बेइतमीनानी महसूस करते हैं। उन्होंने ने कहा कि सभी धर्मों में फसादी काफिर होते हैं ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं होते हैं। उन्होंने ने कहा कि इस्लाम को आतंकवाद जैसे शब्द से जोड़कर देखना गलत है। जो इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं वह कुरान पर संजीदगी से और इमानदारी से अमल करते हैं।'⁷

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को सोवियत संघ की जगह एक नए शत्रु की जरूरत थी, ताकि उससे लड़ने के नाम पर न सिर्फ जन समुदाय को अपने पीछे गोलबंद रखा जाए, बल्कि अमेरिका के सर्वाधिक ताकतवर सैनिक-औद्योगिक शत्रु के बिना नहीं जी सकता। इसलिए अमेरिका ने अपने नए शत्रु के बतौर 'वैश्विक पहुँचवाले आतंकवाद' को खोज निकाला और हटिगटन ने 'सभ्यताओं के संघर्ष' की सैद्धांतिकी के जरिए उसका सिद्धांतीकरण भी कर दिया।

सैम्युअल हंटिगटन ने : 'सभ्यताओं का संघर्ष' शीर्षक वाले अपने आलेख में यह परिकल्पना प्रस्तुत की है कि शीतयुद्ध के बाद वाले युग में संघर्ष का बुनियादी कारण सैद्धांतिक या आर्थिक नहीं होगा, किंतु सांस्कृतिक होगा। हंटिगटन ने 'वैश्व ऑफ सिविलाइजेंशंस एंड द रिमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्डर' को एक पुस्तक रूप में प्रस्तुत किया। यह पुस्तक प्रभावशाली और बारंबार उद्धृत की जाने वाली सिद्ध हुई। उसका तर्क था कि अब किसी बड़े युद्ध के भड़कने के लिए कोई विचारधारा ही पर्याप्त नहीं होगी, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर हुआ विभाजन 'वैश्विक राजनीति पर छाया रहेगा।'⁸

निष्कर्ष - निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए पश्चिम के देश नये नये पैतरे अपना रहे हैं। चूंकि मीडिया के नकेल पश्चिमी देशों के हाथों में है और उसी मीडिया का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम कराया जा रहा है। हलांकि इस्लाम एक शांति का मजहब है परन्तु आज इस्लाम को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और मुस्लिम को आतंकवादी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खबर एक्सप्रेस, उर्दू दैनिक, रांची, 12 मार्च 2017, पृ. 3

2. सियासी उफक,रांची, 12 मार्च,2017,पृ0,4
3. धर्मग्रंथ कुरान '(सुरह: अलमाइदह,आयत: 32)
4. राजकिशोर (सम्पादक) मुस्लिम आतंकवाद बनाम अमेरिका, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ0,43
5. राम पुनियानी,(सम्पादक),धर्म सत्ता और हिंसा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016,पृ0,89
6. धर्मग्रंथ कुरान (सूरा-अल-हज्ज, आयत: 39-40)
7. अखबारे-मशरिक, 3 अप्रैल ,2017 पृ0,1
8. सैम्युअल पी. हंटिंग्टन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रिमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्डर, न्यू दिल्ली: पेंग्विन,1997, पृ0,174

टाना भगत आन्दोलन - पुनरूत्थान से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर

नीरज कुमार *

प्रस्तावना - टाना भगत आन्दोलन, बिरसा मुण्डा आन्दोलन के बाद जनजातियों में व्याप्त असंतोष और उस निरंतरता का प्रतीक था जो आन्दोलन ब्रिटिश काल के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध झारखण्ड के जनजातियों ने शुरू किया था। इस बार असंतोष की अभिव्यक्ति उराँव जनजाति में हुई थी। वे अपने सामाजिक - आर्थिक प्रस्थिति से खिन्न थे। उनमें अपने देवी-देवताओं के प्रति अविश्वास और ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ रहा था। वे अपने स्वर्णिम अतीत के गौरव की पुनर्स्थापना और शुद्ध धर्म में अपनी समस्याओं का समाधान देख रहे थे। यह आन्दोलन सुधरा हुआ और अगला कदम था। टाना भगत आन्दोलन एक अहिंसात्मक आन्दोलन था जो आगे जाकर सिद्धांतों की कई बातों में समानता के कारण गाँधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए समर्पित हो गया।¹

पुनरूत्थानवादी टाना भगत आन्दोलन - इस आन्दोलन का शुभारंभ जतरा भगत ने अप्रैल 1914 में किया जिनका जन्म गुमला जिले के विशुनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत चिंगरी, नवाटोला में सितम्बर 1888 को हुआ था।² टाना पंथ की स्थापना करने से पहले वे मति (झाड़-फूक) की शिक्षा लेने के लिए बगल के गाँव हेसराग आया - जाया करते थे। आर० ओ० धान ने लिखा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि मति का प्रशिक्षण लेकर जब वे एक रात घर लौट रहे थे तब उराँवों के सर्वोच्च देवता (धर्मेश) उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि अपना मति का काम और खून के प्यासे प्रेतात्माओं तथा पशु बलि मांगने वाले अन्य देवी-देवताओं का त्याग कर दो। भगवान (धर्मेश) ने उनसे कहा कि सभी तरह के पशु बलि रोक दो और मांस खाना और दारू पीना छोड़ो, उन खेतों में हल जोतना छोड़ दो जहां गायों और बैलों से क्रूरता होती हो।³ इसे जतरा भगत ने गीत में ऐसे व्यक्त किया-

टाना बाबा टाना भूतनी के टाना

टाना टून टाना

कासा पीतर मना, दोना पतरी खाना

मांस मदिरा मना, दारू मना

टाना बाबा टाना⁴.....

प्रत्येक वृहस्पतिवार को लोग जतरा भगत के प्रवचन और उपदेशों को सुनने आने लगे, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। हताश, निराश उराँव जनजातियों में इससे उत्साह का संचार हुआ। जतरा भगत ने अपने उपदेशों में जो बातें कहीं उनमें प्रमुख थी- मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, पशु बलि नहीं देना, भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं मानना, यज्ञोपवीत धारण करना, आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करना, गाय की सेवा करना, जीव हत्या न करना, अंग्रेजों और जमींदारों की बेगारी न करना, सभी से

प्रेम करना, कासा पीतर में नहीं खाकर दोना पतरी में खाना, शुद्धता और पवित्रता पर विशेष ध्यान देना आदि। इस प्रकार जतरा भगत ने टाना पंथ की स्थापना की। टाना का अर्थ है टानना या खींचना अर्थात् कुडुख धर्म में आ गई बुराईयों को खींचकर या टानकर बाहर निकालना। इस तरह बुराईयों से मुक्त विशुद्ध और पवित्र कुडुख धर्म को मानने वाले टाना भगत हैं। कुडुख धर्म में आ गई बुराईयों को, गाँवों की बुरी और सताने वाली प्रेतात्माओं और ऐसे देवी देवताओं को जिन्हें संतुष्ट करने के लिए बलि चढ़ायी जाती थी उन्हें टानकर या खींचकर गाँव से बाहर कर दिया गया। जतरा भगत ने इसके लिए मति वाले तरीके के मंत्र और प्रार्थनाओं को अपनाया; जैसे-

टाना बाबा टाना भूतनीके टाना

टाना बाबा टाना टन टून टाना

टाना बाबा टाना कोना-कूची भूतनी के टाना⁵

टाना भगत आन्दोलन के फैलते ही टाना भगतों ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों का काम करना बन्द कर दिया। जतरा भगत ने लोगों से कहा कि ईश्वर नहीं चाहता है कि लोग जमींदारों, अन्य धर्मावलंबियों तथा गैर आदिवासियों के यहां कुलियों एवं मजदूरों का काम करें। उसने घोषणा की कि ईश्वर ने उसे जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है और आपलोगों को यह समझाने को कहा है कि वे धर्मेश की पूजा करें क्योंकि इसी से उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी।

विचारनीय बात यह है कि जतरा भगत ने टाना भगतों के जो नियम स्थापित किए वह जनजातीय जीवन शैली का सामान्य अंग नहीं था क्योंकि उनमें मांसाहार, हड़िया-दारू का सेवन, पशु बलि, आखेट आदि आम बात थी। उराँव लोगों में तो प्रत्येक बारह वर्ष पर होने वाले जनीशिकार जैसी परंपरा प्रचलित थी जिसमें उराँव महिलाएं पुरुष वेष में शिकार करने निकलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टाना पंथ के नियम क्रांतिकारी थे लेकिन इसकी शुरुआत बिरसा मुण्डा ने कर दी थी। जिन बुनियादों पर मुण्डाओं का बिरसा आन्दोलन खड़ा हुआ था उन्हीं बुनियादों पर और उसी के प्रभाव से... उराँवों का टाना आन्दोलन प्रारंभ हुआ।⁶ परंतु जतरा भगत का टाना पंथ उसका अगला कदम और सुधरा हुआ रूप था। उन्होंने बेगारी और विभिन्न तरह के करों और शोषण के विरुद्ध जो आन्दोलन चलाया उसमें तथा जीवन में अहिंसा, प्रेम, शुद्धता, पवित्रता, जीव हिंसा निषेध, मद्यनिषेध, सादगी, शाकाहार और शोषण-उत्पीड़न के प्रतिकार के लिए अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा का तरीका अपनाया यह सब टाना भगतों को महात्मा गांधी के विचारों के निकट ला देता है। और जब राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान टाना भगतों का सम्पर्क महात्मा गांधी के विचारों से हुआ तब टाना भगतों ने अपने नियमों को और परिष्कृत तथा समृद्ध किया।

जतरा भगत के कृत्यों से जिन जमींदारों आदि के स्वार्थों पर आँच आ रही थी उन लोगों ने इस आन्दोलन को दबाने के प्रयास किए। अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उनके सात अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमण्डलीय दण्डाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाया गया और 1916 ई० में डेढ़ वर्ष की सजा दी गई।⁷ उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे अपने नए विचारों का प्रचार नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। जेल के बाहर आने के 2-3 माह बाद ही 28 वर्षीय जतरा भगत का देहान्त 1918 में हो गया। लेकिन जतरा भगत की गिरफ्तारी और छूटने के तुरंत बाद देहावसान हो जाने के बावजूद यह आन्दोलन शिथिल नहीं हुआ बल्कि और तेजी से पलामू और हजारीबाग जिलों में भी फैल गया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नेताओं ने इस आन्दोलन का नेतृत्व संभाल लिया। चिंगरी में हनुमान भगत, मांडर क्षेत्र में शिबू भगत, घाघरा क्षेत्र में बेलगाड़ा निवासी बलराम भगत, विशुनपुर थाना के उरांवा गांव के भीखू भगत, और सिसई थाना के बभूरी गांव की देवमनियां टाना आन्दोलन के प्रचारक और नेतृत्वकर्ता हुए। कहा जाता है कि टाना पंथ के इन प्रचारकों ने उस समय के रांची, पलामू और हजारीबाग जिलों में लगभग 260000 अनुयायी बना लिए थे।⁸

माण्डर क्षेत्र में शिबू और माया ने 1919 में आन्दोलन संचालित किया। 1919 के मार्च के मध्य में शिबू, माया और कुछ अन्य (सूकरा, सिंघा और देबिया) को गिरफ्तार किया गया और दोषसिद्ध हुए। इसके बाद भी पूरा आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ था, जैसा कि छोटानागपुर के आयुक्त 15 अक्टूबर, 1919 को सरकार को लिखा कि 19 दिसंबर को तुरिया भगत और जीतु के नेतृत्व में कुडू थाना से दो मील दक्षिण, टीको के एक सभा में 400 टाना भगत इकट्ठे हुए। वे लोग कड़ प्रस्ताव पास किए जिसमें चौकीदारी कर और जमींदारों को भूमि कर नहीं देना भी शामिल था।⁹

राष्ट्रीय आन्दोलन की ओर - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आने के बाद कांग्रेस संगठन का विस्तार सुदूरवर्ती क्षेत्रों और गांवों-टोलों तक में किया गया। इसी क्रम में 1920 में रांची जिला कांग्रेस समिति गठित की गई। इसके बाद रांची राष्ट्रीय आन्दोलन के परिदृश्य के नजदिक आ गई। कलकत्ता में नवम्बर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। जिसमें असहयोग आन्दोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। नवम्बर 1920 में कलकत्ता से पद्मराज जैन, भोलानाथ वर्मन, मौलवी जकारिया, अब्दूल रज्जाक और सुन्दर तक सिराबी अधिवेशन में सम्मिलित होकर रांची लौटे और आन्दोलन का प्रचार करने लगे। स्थानीय नेताओं गुलाब तिवारी, नागरमल मोदी, मुहम्मद युसूफ और मुहम्मद इशाक आदि नेताओं ने रांची के आसपास जोरदार प्रचार अभियान चलाया। 31 जनवरी 1921 को रांची में उराँवों की सभा को गुलाब तिवारी ने संबोधित किया। 1 फरवरी को मौलवी उस्मान ने उराँव, मुण्डा, भुईयां, घासी और अन्य गैर आदिवासियों के बीच सभा की। इस तरह 1 फरवरी से 13 फरवरी तक सेन्हा (पुलिस स्टेशन लोहरदगा), इमचुआ, मधुकम, इटकी, घाघरा, ओरमाँझी, कोकर, तमाड़, गुमला, बुण्डू, डोरंडा, काडूम, कारो और साउसोपा आदि में रांची के आदिवासियों के बीच गांधीजी के संदेशों को पहुंचाया।¹⁰

इस प्रकार स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोटानागपुर के आदिवासियों और टाना भगतों के बीच कांग्रेस का प्रचार किया और महात्मा गांधी के बारे में बताया और उन्हें असहयोग आन्दोलन से जोड़ने का प्रयास किया। अतः टाना भगतों का जुड़ाव असहयोग आन्दोलन के माध्यम से गांधीजी से हुआ। टाना भगत कुडू थाना के सिन्दू भगत के नेतृत्व में पहली

बार राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हुए। इस प्रकार टाना भगत आन्दोलन जिसकी शुरुआत एक आर्थिक और धार्मिक आन्दोलन के रूप में हुआ था अब राजनीतिक आन्दोलन के रूप में स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ लिया।¹¹

टाना भगतों का कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो जाने से छोटानागपुर में स्वतंत्रता आन्दोलन को बल मिला, कांग्रेस को समर्पित कार्यकर्ता प्राप्त हो गए। खादी पहनना चरखा से सूत काटना, गांधी टोपी धारण करना, आंगन में कांग्रेस का ध्वज फहराना उनकी पहचान हो गई। असहयोग आन्दोलन में टाना भगतों के सम्मिलित होने के प्रभाव के बारे में रांची के उपायुक्त छोटानागपुर के आयुक्त को 9 मार्च 1921 को बताया, 'टाना भगत आन्दोलन लगातार तकलीफ दे रहा है और पर्याप्त सबूत है कि आन्दोलनकारियों ने इसे असहयोग आन्दोलन से जोड़कर आन्दोलन को नया जीवन देने का प्रयास किया है।'¹²

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वाँ अधिवेशन गया में हुआ। टाना भगत इसमें सक्रिय रूप से भाग लिये। वहां वे कांग्रेस के नियमों और विचारों से प्रत्यक्ष रूप से वाकिफ हुए। टाना भगतों को गांधीजी से मिलने की इच्छा थी। लेकिन उस समय गांधीजी जेल में थे। अधिवेशन की बातों को टाना भगतों ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया।

1928 में 12 फरवरी से 4 अगस्त के बीच बारडोली में लगान में सुधार एवं कमी सम्बन्धित मांग को लेकर गांधीजी की प्रेरणा से सरदार पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। इसकी भनक टाना भगतों को लगते ही वे यहां भी आन्दोलन के समर्थन में जमींदारों को कर देना बंद कर दिया। इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जमींदारों ने उनकी जमीनें निलाम कर दी। 1937 में बिहार में कांग्रेस के मंत्रिमंडल के गठित होने पर उन्हें भूमि लौटाने के प्रयास किए गए लेकिन कई प्रयासों के बावजूद आज भी इस समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाया है।

टाना भगतों ने असहयोग आन्दोलन के बाद नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में कांग्रेस और गांधीजी के निर्देशों का पालन करते हुए सक्रिय भाग लिया गिरफ्तार हुए और जेल की सजाएं भूगते।

झारखण्ड में ब्रिटिश काल के घोषण और अत्याचार के विरुद्ध हुए प्रसिद्ध आन्दोलनों में टाना भगत आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बहुत कम जनजातीय आन्दोलन हुए हैं जो मुख्य धारा के राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े हो। जो जनजातियों के राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहायक सिद्ध हुआ। टाना भगत हजारों की संख्या में आज भी उसी रूप में मौजूद है जैसा आजादी से पहले हुआ करते थे। वे सब विशेषताएं आज भी टाना भगतों में देखी जा सकती हैं जो आजादी से पहले उनमें पायी जाती थी। वे गांधीजी के बताए मार्ग पर आज भी चलते हैं। टाना भगत गांधीजी के अनुयायी के रूप में पहचाने जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रेखा ओ० धान, 'द प्रॉबलम्स ऑफ़ दी टाना भगत, बुलेटिन ऑफ़ दी बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राँची, वोल्यूम 2, नं०-1, जुलाई 1960, पृष्ठ-160
2. बालमुकुन्द वीरोत्तम, झारखण्ड - इतिहास और संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2016, पृष्ठ-346
3. रेखा ओ० धान, बुलेटिन, पृष्ठ-160
4. विजयपाणि पाण्डेय, प्रकाशचन्द्र उराँव, 'जतरा भगत एवं टाना

- आन्दोलन, बुलेटिन बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची, वोलुम-37, जनवरी 1998, पृष्ठ-53
5. एस0सी0 राय, उरांवन रिलीजन एण्ड कस्टम्स, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1985 (1928), पृष्ठ-348-49
 6. कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुण्डा एण्ड हिज मूवमेंट : ए स्टडी ऑफ मिलेनेरियन मूवमेंट इन छोटानागपुर, सिगुल, कलकत्ता, 2002 (1983), पेज-186
 7. पी0सी0 राय चौधरी, गजेटियर ऑफ इण्डिया, बिहार, 11 राँची, 1970, पृष्ठ-73
 8. राय चौधरी, गजेटियर, पृष्ठ-73-74
 9. रिपोर्ट ऑफ डी0आई0जी0 पुलिस, छोटानागपुर, दिनांक 20 अप्रैल, 1919
 10. सुशीला मिश्रा, हिस्ट्री ऑफ दी फ्रिडम मूवमेंट इन छोटानागपुर (1885-1947), काशी प्रसाद जयसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पटना, 1990, पृष्ठ-17
 11. रेखा ओ0 धान, बुलेटन, पृष्ठ-160
 12. के0के0 दत्ता, फ्रिडम मूवमेंट इन बिहार, वोलुम 1, (1857-1928) गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जुलाई, 1957, पृष्ठ-338

सरकारी सीमा विवाद

डॉ. संजय जैन * डॉ. संगीता परमार **

प्रस्तावना - 15 अगस्त 1947 को जब भारतवर्ष 250 वर्षों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ तो उसके स्वतंत्र होने के साथ ही साथ भारतवर्ष का विभाजन भी हो गया। इस विभाजन से एक नया राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर परिलक्षित हुआ और वह था पाकिस्तान।¹ 'फूट डालो और राज करो' के ब्रिटिश षडयंत्र ने ब्रिटिश भारत के टुकड़े कर दिये तथा दोनों के बीच नए विवादों को जन्म भी दिया। इस सन्दर्भ में सरकारी सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। सरकारी सीमा विवाद भारत - पाकिस्तान के बीच का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके बहुपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और भू-सामरिक पक्ष भी हैं जो शायद अधिक महत्वपूर्ण हैं।

सन् 1947 में गठित सीमा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यद्यपि दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था, तथापि इस सन्दर्भ में दोनों देशों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण सीमा विवादों की उत्पत्ति हो गई। कदाचित इसका मुख्य कारण उतावलेपन में भारत का विभाजन किया जाना था। पाकिस्तान के निर्माण में द्वि-राष्ट्र के सिद्धांत ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कटुता एवं विद्वेष की भावना का विकास किया। जिस कारण सीमा विवादों में अप्रत्याशित रूप से विस्तार हो गया।

पश्चिम भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं, जो कच्छ के रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। रत्न (रण) शब्द 'इरिना' नामक संस्कृत शब्द में उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है नमक की गंदगी।² लवणीय दलदली भूमि पश्चिम - मध्य भारत और दक्षिण पाकिस्तान में स्थित बड़ा रण लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और पाकिस्तान सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात में लगभग पूरा का पूरा अवस्थित है। कच्छ का छोटा रण कच्छ की खाड़ी के पूर्वोत्तर में है, जो गुजरात के लगभग 5,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कच्छ का रण सदियों से एकत्रित होने वाले अवसाद के कारण बना। जो मूलतः अरब सागर का विस्तार रहा है। सिकन्दर महान के काल में यह नौकायन योग्य झील थी, लेकिन अब यह एक विस्तृत दलदली क्षेत्र है जो मानसून के दौरान जलमग्न रहता है, यहाँ के लोगों का निवास निम्न विलग पहाड़ियों तक सीमित है।³

प्रवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या सम्पन्न भारत के पश्चिम किनारे के क्षेत्र में पाई जाती है, जो जाडेजा राजपूत हैं। ये अधिकांशतः कच्छ के रत्न और सौराष्ट्र के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में रहते थे। यहाँ एक दूसरी प्रजाति कैथील भी थी, जो काठियावाड़ के आस - पास रहते थे। साथ ही व्यापारी समुदाय के लोग भी जैसे भाटिया और लाहोना आदि भी रहते थे और रत्न के माध्यम से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार किया करते थे। इसका दूसरा प्रमुख तथ्य यह है कि यह तीर्थस्थान दिगंलाज जाने का मार्ग भी था।

यह रण करीब 9000 वर्गमील में फैला है, जो बिल्कुल बैरन है। लेकिन इसका पश्चिमी छोर, जो लाखपत के नजदीक है जहाँ पर धान की खेती होती है। इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए सिंध नदी के पानी का अभयदान है। आज से दो - सौ वर्ष पूर्व यहाँ काफी अनाज पैदा होता था। लेकिन 1919 के भूकम्प से कच्छ के क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ, बहुत से पैदावार क्षेत्र का विनाश हो गया। साथ ही सिंध का कुपित शासक गुलाम अली शाह कुलहारों ने नदी के जल पर एक बांध बनाया और कच्छ को नदी के पानी से वंचित कर, उस क्षेत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया। क्योंकि वह 70,000 सिपाहियों के साथ कच्छ पर आक्रमण करके भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। मोरागाँव के समीप सिंधु के एक भाग के सामने पानी रोकने के लिए बांध बने, जिससे कच्छ के उपजाऊ क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग मरुभूमि बन गया।⁴ बर्न्स के अनुसार अभी भी पानी बिल्कुल हटाया नहीं गया। ताल पर जो सिंध में कुलहारों के बाद आधे से अधिक बांध बंधवाये। सन् 1802 के करीब अलीबन्दर पर बांध बंधवाये और सिंध के पानी को आने से रोका जो कभी कच्छ के समुद्र से घेरे था। तभी से सामरा जिला उपजाऊ भूमि से वंचित हो गया। अलीबन्दर एक जगह है, जो ठीक रत्न की सीमा के ऊपर है, जहाँ फेरी से सिंधु की धारा रत्न में प्रवेश करती है। यही वह जगह है जहाँ सिंधु के लालपुर मीर ने सन् 1802 में बांध बनवाया, जिसने सिंधु से रत्न की तरफ बहने वाली धारा को पूरी तरह रोक दिया था। और भी साक्ष्य है जो कच्छ के विनाश की कहानी कहते हैं। वह सिंधु के अमीर के कार्य से जुड़ा हुआ है, जिसने सिंधु से रत्न को पानी की आपूर्ति को खत्म कर दिया था, मकमुरडो जो ईस्ट-इंडिया कम्पनी का 1814 ई. के बाद से भूज में रेजिडेंट था, एक रिपोर्ट से जाहिर होता है कि लाखपत का चावल वाला भाग बिल्कुल उजाड़ था और कच्छ के लिए आधा अनाज सिंधु, काठियावाड़ तथा मालावार कोस्ट से आता था। कच्छ की यह खराब स्थिति भूकम्प के एक साल पहले की है। जो वर्णन किया गया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि रत्न तब तक अपना शेष पानी सिंधुवादी से लेता था, जब तक सिंधु के अमीर उस जल आपूर्ति को बंद नहीं कर देते। यही कच्छ के चावल वाला भाग जो बर्बाद कर दिया गया।⁵

कच्छ की खाड़ी की निचली सतह, जो गुजरात प्रदेश में है, यह सम्पूर्ण रत्न पहले कच्छ के राजा के अधिकार में था और सन् 1947 में जब कच्छ का राज्य भारत के साथ मिला तो यह क्षेत्र भारतीय गणराज्य का अंग बन गया। सिंध प्रदेश और कच्छ के राजा में इस क्षेत्र को लेकर बहुत पहले कई बार झगड़ा हुआ था, लेकिन सन् 1914 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला कर दिया कि यह क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में रहेगा। पाकिस्तान

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

सरकार इस बात को नहीं मानती। उनका कहना है कि 24 अक्षांश के उत्तर में 2500 वर्गमील का क्षेत्र पुराने सिंध प्रदेश के अंदर था। देश विभाजन के बाद यह पाकिस्तान को मिलना चाहिए था और भारत ने जबरदस्ती इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारत सरकार इस मत में सहमत नहीं है उसका कहना है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र राजा के माहमत में था और इसलिए ये पूरा क्षेत्र भारत का है।⁶

सरक्रीक का विवाद प्रथम बार तब सामने आया जब 1910 के आसपास कच्छ के महाराज एवं सिंध के शासक के मध्य उस क्षेत्र की सीमाओं को लेकर आपस में मतभेद हुए और उसने एक विवाद का रूप ले लिया। उस समय सिंध प्रांत बम्बई प्रेसीडेंसी के अधीन ही था। कच्छ रियासत और सिंध के बीच सरक्रीक सीमा विवाद को हल करने के लिए बम्बई की सरकार ने जिस नक्शे को आधार बनाया था, उसमें निवेशिका के किनारे की सीमा अंकित है।⁷ पाकिस्तान चाहता है कि सरक्रीक विवाद को 1914 के भारत सरकार के निर्णय के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार सुलझाया जाये। पाकिस्तान का कहना है कि 1914 के भारत सरकार के स्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में निवेशिका के किनारे की हरी रेखा (सीमा रेखा) को भारत - पाकिस्तान की निर्णायक सीमा रेखा मान लिया जाए। जबकि मानचित्र पर अंकित हरी रेखा सर निवेशिका की निर्णायक रेखा नहीं है। वस्तुतः यह रेखा तो निवेशिका के एक किनारे को मात्र सुचित करती है यदि पाकिस्तान के दावे को माना जाये तो भारत की सीमा रेखा सर निवेशिका के पूर्वी किनारे पर आकर समाप्त हो जाती है। साथ ही 95 किलोमीटर लम्बी निवेशिका पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती है।⁸

सरक्रीक का विवाद कुछ समय पश्चात् फिर शुरू हुआ, जिसकी परिणति कच्छ के रत्न में पाकिस्तान की 1965 में हुई घुसपैठ और फिर उसके बाद भारत - पाकिस्तान युद्ध 1965 के तौर पर सामने आया। युद्ध के पश्चात् कच्छ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल गठित किया गया। जिसने कच्छ के रत्न का करीब दस फीसदी हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने का फैसला लिया, इसके बावजूद भी सरक्रीक को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने नया विवाद खड़ा करते हुए कहना शुरू किया कि सरक्रीक का पूर्वी किनारा, जो भारत की तरफ था उस पर पाकिस्तान का अधिकार बनता है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत दहाराया और कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों के मुताबिक अगर दो देशों के बीच कोई नदी या नाला आता है तो उसकी मध्यरेखा सीमा बनती है न कि उसका किनारा।⁹

केन्द्र सरकार ने हाल ही में सरक्रीक पर पाकिस्तान से समझौता करने पर सहमति बना ली है। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर निर्णय करने की चर्चा की। माना जा रहा है कि यूपीए सरकार इस मामले को जल्द ही पाकिस्तान के सामने रख सकती है। यूपीए सरकार की इस योजना के बारे में पता चलते ही नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र में यह मांग की है कि सरक्रीक का ¹⁰ फीसदी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाये और बाकी भारत में रहने दिया जाये। यदि इससे कम पर समझौता हुआ तो देश की सुरक्षा में सेंध लग सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर पूरा देश भले ही खुद को सुरक्षित महसूस करे, लेकिन कच्छ सुरक्षित कभी नहीं रह पायेगा। नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि सरक्रीक में देश की प्राकृतिक

संपदा का भंडार है उसे ऐसे पाकिस्तान को नहीं दे देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखे तो इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कच्चा तेल तथा गैस होने की संभावना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सकारात्मक शक्ति हो सकता है। सन् 2000 में पाकिस्तान ने सरक्रीक पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था। वहाँ भी कारगिल जैसी युद्ध की तैयारी थी। पाकिस्तान सिंध व कच्छ के बीच हुए समझौते की कुछ तस्वीरों के आधार सरक्रीक को सिंध का भाग घोषित कर दिया और एक रेखा खींची जिसे ग्रीन लाइन बाउंड्री कहा। भारत ने इसे मानने से इंकार कर दिया। भारत ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक 1924 के आधार पर लगाये गये स्तंभों के आधार पर अपना दावा पेश किया। पाकिस्तान ने उसे यह कहकर मानने से इंकार कर दिया कि इस सीमा से नाव पार नहीं की जा सकती है, जबकि इस सीमा को आसानी से पार किया जा सकता है।¹⁰

पाकिस्तान चाहे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहता है कि वह भारत के साथ सभी विवादों पर निर्बाध बातचीत चाहता है, लेकिन उसके इरादों में सदैव अन्तर दिखाई देता है। भारत की उदारता के पश्चात् भी पाकिस्तान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण, सौहादर्यपूर्ण तथा विश्वासपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र की भूमिका निभाने में सदैव विफल रहा है। भारत को भी सरक्रीक विवाद के सभी मुद्दों को अपने राष्ट्रहित में देखते हुए ही सुलझाना चाहिए। यदि सभी परिस्थितियों पर गौर दिया जाये तो पाकिस्तान सदैव प्रत्येक मुद्दे के अंतर्गत 'कश्मीर' को ले आता है। और कोई भी समस्या का समाधान निकालने से पूर्व ही बातचीत पर विराम लग जाता है अतः सरक्रीक विवाद का समाधान दोनों देशों के सहयोग व विश्वास के बिना संभव नहीं है। जिसे समय रहते पाकिस्तान को समझाना होगा, यही समय की मांग भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- वेद प्रकाश सिंह, 'द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् एशिया अफ्रीका', दिल्ली पुस्तक सदन, नई दिल्ली, 1964, पृष्ठ - 17
- डॉ. अनिल कुमार सिंह, 'भारत पाकिस्तान संबंध', इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स, दिल्ली, 2005, पृष्ठ 26.
- राम चन्दानी इन्डू, 'भारत ज्ञानकोश' खण्ड - 1, एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 279.
- क्रमांक - 2, पृष्ठ 84
- वही, पृष्ठ - 85
- विरेन्द्र शोवर एण्ड रंजना अरोरा, 'पार्टीशन ऑफ इंडिया इण्डो - पाक वॉर्स एण्ड द यू.एन.ओ.', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा.लि., न्यू देलही, 1999, पेज 70-73
- डॉ. अनुपम त्यागी, 'भारत - पाकिस्तान संबंध', रिजेन्सी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ 206
- संजय सिंह, 'मैनेजमेंट ऑफ वेस्टर्न लैण्ड बोर्डर्स ऑफ इंडिया', वर्ल्ड फोकस, वोल्यूम 27, नम्बर 8, अगस्त 2006, न्यू देलही, पेज 4
- abpnews.apblive.in/India-news/gaH«\$r\\$.-BoVhmg-oddmX Amja g_mYmZ%EO%A4-192457
- hindi.oneindia.com/news/2012/12/13/feature-what-is-sir-creek-why-it-is-important-for-india-224802.html

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूस) की भूमिका

डॉ. कान्ता अलावा *

प्रस्तावना – हमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह है कि भविष्य में हमारी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई, बढ़ायी जाए? शिक्षा क्या है? भिन्न-भिन्न विद्वानों ने शिक्षा का भिन्न-भिन्न शब्दों में अर्थ किया है। जे.एस. मिल की राय में प्रत्येक वस्तु जो हमें मनुष्य बनाने में सहायक होती है, शिक्षा के अन्तर्गत है। मनुष्य के अंदर ज्ञान और शक्ति बीजरूप में मौजूद है, परन्तु उसका विकास समय, स्थिति और कारण संबंध से ही होता है। इस विकास का क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक हमारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। इसी पूर्णता का अर्थ है-मोक्ष अर्थात् शिक्षा के अंदर लौकिक और परलौकिक सभी विषय आ जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क-शक्ति का एक घेरा होता है, जिसके अंदर उसके विचार चक्कर लगाते रहते हैं। इसी घेरे के अनुसार वह संसार का रूप निर्धारित करता है। जन्म-जन्मान्तरों के अनुभव से इस घेरे की परिधि बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों संसार का रूप उसके लिए स्पष्ट होता जाता है और सांसारिक गोरख धंधों की बातें उसके अधिक से अधिक समझ में आती जाती हैं। इस घेरे की पूर्ण व्यापकता प्राप्त कर लेना, अनन्त हो जाना ही मनुष्य का अंतिम ध्येय है। इस विचार सीमा को व्यापक करना ही शिक्षा का काम है। शिक्षा अर्थात् शक्तियों का विकास तीन प्रकार का है – (1) मानसिक (2) आत्मिक (3) शारीरिक। इन तीनों का विकास ही पूर्ण शिक्षा है। हमारे नवयुवक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं, उनकी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक दशा दयनीय होती है। उनमें अक्षर ज्ञान का पांडित्य, सच्चे ज्ञान और शक्ति का विकास नहीं है। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान भी गुणवत्ता की दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं हैं कि दुनिया के दस विश्वविद्यालयों में स्थान पा सकें।

परिचय – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूस) लागू करने का दस्तावेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर, 2013 से प्रभावशील है। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित/प्रायोजित योजना है। योजनानुसार राज्यों को उच्च शिक्षा हेतु अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करवाना, सभी वर्गों को समान अवसर के आधार पर उच्च शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत जी.ई.आर. प्राप्त करना, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान एवं अधोसंरचना प्रदान करते हुए अकादमिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या को आगामी 10 वर्षों में दोगुनी करना। भारत की 60 प्रतिशत से अधिक जनता 15 से 59 वर्ष की आयु की है, इस मानव शक्ति का प्रयोग देश के समुचित विकास करना। जनसंख्या के 18-23 वर्ष आयु वर्ग का एक छोटा भाग ही उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कम है, ऐसे जेंडर गैप को भी दूर

करने में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

रूस के उद्देश्य –

- केन्द्रीय शोध विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
 - शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं क्षमता विकास।
 - प्रक्रिया में पारदर्शिता।
 - ST, SC, Obc एवं महिलाओं को समान रूप से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
 - अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार।
 - ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाना।
- रूस के इन उद्देश्यों को विभिन्न कम्पोनेंट के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जो निम्न है –

कम्पोनेंट (घटक) –

1. स्वशासी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में उन्नयन करना।
 2. 03 से 05 महाविद्यालयों का संघ बनाकर कलस्टर विश्वविद्यालय का निर्माण करना।
 3. विश्वविद्यालयों को अधोसंरचना विकास के लिए अनुदान।
 4. नए मॉडल महाविद्यालय।
 5. विद्यमान स्नातक महाविद्यालयों का मॉडल स्नातक महाविद्यालय में उन्नयन।
 6. नवीन महाविद्यालय (व्यावसायिक)
 7. महाविद्यालयों का अधोसंरचनात्मक विकास अनुदान।
 8. शोध, नवाचार एवं गुणवत्ता उन्नयन।
 9. समान अवसरों की उपलब्धता का उन्नयन।
 10. संकाय की भर्ती एवं उपलब्धता हेतु सहायता।
 11. संकायों का उन्नयन।
 12. उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण।
 13. शैक्षणिक प्रबन्धन एवं नेतृत्व का विकास।
 14. संस्थागत पुनर्निर्माण एवं सुधार।
 15. क्षमता विकास हेतु तैयारी, डाटा संधारण एवं कार्ययोजना का निर्माण।
 16. प्रबन्धकीय सूचनातंत्र का विकास।
 17. बहुतकनीकी (पॉलीटेक्निक) सुविधाओं हेतु सहायता।
 18. प्रबन्धकीय निगरानी मूल्यांकन एवं शोध।
- उपर्युक्त प्रत्येक कम्पोनेन्ट के उद्देश्य भी अलग-अलग हैं। रूस का प्रमुख उद्देश्य राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजित विकास करके उच्च शिक्षा तक पहुँच (access) समता (Equity) एवं उत्कृष्टता (excellence) की दयनीय स्थिति में सुधार करना है।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

रूसा - वित्त पोषण - अधोसंरचना का निर्माण तथा उनका रख-रखाव एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। बिना वित्तीय संसाधन के उच्च शिक्षा की अधोसंरचना की बात करना अधूरी रहेगी। चूँकि भारत विश्व बैंक के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। विश्व बैंक की सदस्यता से भारत को अनेकों लाभ हुए हैं और विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान/ऋण प्रदान किया है। अतः विश्व बैंक के माध्यम से रूसा ने उच्च शिक्षा के हर स्तर पर परिवर्तन करने का भार उठाया है। रूसा द्वारा वित्त पोषण का मापदण्ड विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को प्राप्त केन्द्रीय अनुदान 65 प्रतिशत व राज्य अनुदान 35 प्रतिशत है। राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग ने रूसा के माध्यम से गुणवत्ता के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्राप्त राशि का व्यय विभाजन बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण किया है। जिसके अन्तर्गत 35 प्रतिशत राशि नये निर्माण, 35 प्रतिशत राशि पुराने निर्माण एवं 30 प्रतिशत राशि उपकरण एवं अन्य सामग्री, सुविधाओं के क्रय हेतु किया गया।

इसी संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन हेतु यू.जी.सी. द्वारा नैक का गठन जिसमें प्रदेश के ग्रामीण-शहरी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता के मापन हेतु नैक के समक्ष अपने आपको प्रस्तुत करना आवश्यक है। रूसा से अनुदान प्राप्त करने हेतु नैक मूल्यांकन अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रदेश के दूरस्थ अंचल के शासकीय महाविद्यालयों को न तो यू.जी.सी. से न रूसा से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। वित्तीय सहायता/अनुदान के अभाव में इन दूरस्थ अंचल के महाविद्यालयों के अधोसंरचना एवं अकादमिक विकास असंभव है। इसी कारण उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता के मामले में मध्यप्रदेश विकसित प्रदेशों से पीछे खड़ा है।

रूसा - क्रियान्वयन एवं प्रगति - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मोबाईल आधारित Bhavan Rusha App बनाया गया है। इसे Android mobile Based Application से रूसा के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग होगी। जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। एम.एच.आर.डी. व उच्च कार्यालय द्वारा कार्य की प्रगति, कार्य में होने वाली कमी की जानकारी की मॉनिटरिंग विभिन्न स्तर (साप्ताहिक-मासिक-दोपहर 3.00 से 5.00 बजे तक) पर होगी, इससे यह लाभ है कि App के द्वारा रूसा के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के कार्य में तेजी आयेगी। उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार कार्य की प्रगति, डेटा रिकार्ड, फोटोग्राफ्स एवं भौतिक कार्यप्रगति की रिपोर्टिंग ऑन लाईन अपलोड की जाती है।

उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ -

1. गवर्नेंस सुधार।
2. शैक्षणिक एवं शोध की गुणवत्ता।
3. अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार।
4. सभी को समानता के साथ उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।
5. पर्याप्त मानव संसाधन।
6. योजना एवं समीक्षा।

निजी महाविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के सामने गुणवत्ता की सुनिश्चितता एवं छात्रों की आवश्यक संख्या बनाये रखने की चुनौती प्रस्तुत की है। रूसा द्वारा उच्च शिक्षा विभाग

के मिशन तथा लक्ष्य - (1) उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। (2) विद्यार्थियों में वैचारिक एवं वैज्ञानिक क्षमताएँ विकसित करना। (3) संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं उन्हें शैक्षणिक नेतृत्व हेतु प्रशिक्षित करना। (4) भविष्य की उच्च शिक्षा हेतु नापे जा सकने वाले इनपुट विकसित करना।

रूसा के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. प्रमुख सचिव तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, पीआईयू, अतिरिक्त सचिव, उच्च शिक्षा आयुक्त, समस्त कुल सचिव, समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की कार्यशाला में योजनान्तर्गत राशि प्राप्त करने वाले महाविद्यालय डीपीआर बनाते समय निम्न सुविधाओं को अवश्य शामिल करेंगे।

1. प्रवेश क्षमता दो गुना होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का समुचित उन्नयन करना।
2. प्रत्येक विभाग (20-25 विभाग) में कम्प्यूटर प्रयोगशाला बनाना, जिसमें 20 कम्प्यूटर एक प्रयोगशाला में होंगे।
3. सभी विभागों में दो-दो स्मार्ट क्लास रूम बनाना - (वर्चुअल)
4. प्रत्येक विभाग में ई-लाइब्रेरी बनाना, जिसमें 10 कम्प्यूटर टर्मिनल हो साथ ही मुख्य लाइब्रेरी को भी ई-लाइब्रेरी बनाना, जिसमें 30 कम्प्यूटर टर्मिनल हो।
5. पूर्णतः वायफाई परिसर बनाना।
6. सभी विभागों में सीसीटीवी की व्यवस्था करना।
7. सभी विभागों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना।
8. बालक व महिला छात्रावास का निर्माण करना।
9. विश्व बैंक परियोजना में उत्कृष्टता हेतु शामिल 2 विभागों के अतिरिक्त अन्य दो विभागों को उत्कृष्ट करना।
10. केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र बनाना, जिसमें 50 कम्प्यूटर टर्मिनल हो।

सभी संस्थाएँ रूसा के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उसे क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित ही उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा। जब तक उच्च शिक्षा की समूची संरचना बदल नहीं जाती, तब तक कोई समुचित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। देशभर के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के मापदण्ड पर ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में बहुत काम हो रहा है। इसके बावजूद अभी देश के किसी भी विश्वविद्यालय को विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में स्थान पाने में समय लगेगा। यह टारगेट अचीव करने के लिए बड़े बदलावों के साथ गुणवत्ता के मापदण्ड का स्तर काफी ऊँचा उठाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीयुत देवकीनंदन 'विभव' साहित्याचार्य- सम्मेलन पत्रिका-शोध त्रैमासिक - पेज 25-26
2. रूसा, उच्च शिक्षा विभाग - वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 16 दिसम्बर, 2014
3. रूसा - कार्यशाला दिनांक 25.05.2015
4. डॉ. प्रमोद पंडित - रूसा नोडल अधिकारी- श.भी.ना. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी से विस्तृत चर्चा।
5. नैक आधारित राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशाला सह प्रशिक्षण - वहीं दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2016

Dr. B.R. Ambedkar, A Great Constitution Maker - A Historical Overview

Dr. Praveen O.K *

Abstract - Bhim Rao Ramji Ambedkar, was one among a few prominent non-congress leaders in the Constitution Assembly. He represented the untouchables of India in the constitution assembly through his political party-scheduled castes federation of India, from Bengal province. The constituent assembly which constituted a Drafting committee to draft the constitution of India elected Dr. Ambedkar, the member of the Drafting committee on August 29th 1947. The drafting committee in its term elected him its chairman in its first meeting held on August 30, 1947. As chairman of the drafting committee, he had ample opportunities to express his view on different aspects of the constitution. His views were seriously discussed, and in fact, were incorporated in different parts of the constitution.

Key Words - Equality, Fraternity, Liberty, the Dignity of Man, Ambedkarism.

Introduction - Dr. B.R. Ambedkar, the champion of the rights of the untouchables in India, is the symbol revolt against all oppressive features of Hindu Society. He has been born to Ramji Malogi Sakpal, the untouchable manner couple, on April 4, 1891 in Ratnagiri district of Maharashtra state in India. He has his early schooling unlike the untouchable who not were accustomed to education in the society. He was the first successful untouchable candidate to pass out in the Elphinstone High school in the Matriculation Examination of 1907. He graduated from the Elphinstone college of Bombay, in 1912 with the help of the scholarship granted to him by Sayaji Rao Gaekward, the ruler of Baroda State. The same ruler helped him to complete his M.A., and Ph.D. degree in Columbia University in America.

Methodology - Methodology adopted in this work is combined of both descriptive and analytical method. It depends upon primary and secondary sources for data. Analytical method is used to study the earlier research works done on the subject and to incorporate necessary details in the present work..

Ambedkar As The Chairman Of The Drafting Committee

- The draft constitution was the result of the collective efforts of a galaxy of great leaders, legal scholars and luminaries in the constituent Assembly such as Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, Ambedkar, Alladi Krishna Swamy Ayyar etc, who successfully enacted the document under the stewardship of Ambedkar as the chairman of the Drafting Committee. The law of the land was finally adopted on 26th January 1950 which marked the beginning of new era in the history of India. Handing over the historic document Dr. Ambedkar said, "*if we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact what we must do....? We must.... Hold fast to Constitutional methods*".

These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner we abandon the better for us.

While assessing the towering personality of Ambedkar, Prime Minister Nehru said that Ambedkar had played a most important part in the framing of India's Constitution. He told two facts;

1. Dr. Ambedkar has played a very constructive role in the making of the constitution even before his election to the drafting committee.
2. No one took greater trouble and care over the constitution making than Dr. Ambedkar

Dr. Ambedkar said "I feel that it is workable it is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. Indeed, I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution what we will have to say is that man was evil.

The preamble, the key to the Constitution and is an essential ingredient of a Constitution as it broadly highlights the purpose and objects that the Constitution seeks to achieve, Constitution of India reads as follows;

Justice - Social, Economic and Political

Liberty - of thought, expression, belief, faith and worship

Equality - of status and opportunity.

Fraternity - Assuming dignity of the individual and the Unity of the nation.

Dr. Ambedkar was the first leader in India who emphasized as early as 1927 the importance of the words, **liberty, equality and fraternity and the dignity of Man.**

Article (1) of the Constitution described India as a Union of States. The Union Constitution Committee, which was presided over by Jawaharlal Nehru and described as a federation.

The substitution of the word federation by the word

Union by the Drafting Committee was criticized both in and outside the Constituent Assembly. Replaying to the critics Dr. Ambedkar said in the Assembly on 4th November 1948. Some critics have taken objections to the description of India in Article (I) of the draft Constitution as a Union of States... The use of the word Union is deliberate. The drafting committee wanted to make it clear that though India was to be a Federation, the federation was not the result of an agreement; no state has the right to secede from Union. Through the country and the people may be divided into different states for convenience of administration the country is one integral whole, its people, a single people living under a single IMPERIUM derived from a single source.

The article was discussed by the Assembly on 15th November 1948. A number of amendments were moved by the members. One member suggested that words, Secular, Federal Socialist should be inserted before the words union of states in change (I) of the Articles. Dr. Ambedkar opposed the amendments on the plea that the Constitution should not tie down the people to live in a particular type of society the other amendments related to changing the name of India to Bharat, Bharath varsha to Hindustan: As majority of the members were of the view that India under the new Constitution should also be known by its ancient name Dr. Ambedkar moved an amendment on 17th November 1948 that change (I) shall be substituted by the change, "India, that is Bharat – shall be a Union of states. This was readily accepted by the Constitutional Assembly. Other important amendment moved in the Assembly sought to change the name of the country from 'India' to Union of India. Expressing his disagreement, Dr. Ambedkar said, "This as an unnecessary because we have all along meant that this country should be known as India, without giving any indication as to what are the relations of component parts of the Indian Union in the very title of the name of the country.

A close look at Article II, section of his memorandum rights as many as 15 articles can be traced to the suggestions put forwarded by Dr. Ambedkar. The memorandum submitted by Dr. Ambedkar to the minorities committee of the Round Table Conference in November 1930 stated that: "All subject of the state in India are equal before the law and possess equal vivid rights. Any existing enactment, regulation order, customs interpretation of the law by which any penalty, discrimination is made against any subject of the state on account of untouchability shall as from the day on which this constitution comes in to operation cease to have any effect in India."

The most significant feature of the fundamental rights is that these rights are made 'Justifiable' Art 32 authorizes the supreme court to not only issue directions, mandamus, certioraris etc or any other appropriate remedy as the case may be for the enforcement of fundamental rights guaranteed by the Constitution. These Constitutional remedies are similar to those suggested by Ambedkar in clause I of Section II without Article 32 the insertion of

fundamental rights in the Constitution would have become meaningless as rights are real fancy if they are accompanied by remedies.

Fundamental Rights and Directive Principles of state policy together constitute the core and the conscience of the constitution and the commitment to the social democracy. Granville Austin described in the following words "Indian Constitution is first and foremost a social document. Because we do not want hereby a parliamentary form of government though the mechanism provided in the Constitution, without any direction as what our social order ought to be we deliberately included the Directive Principles in our Constitution.

Out object in framing this Constitution is really two fold,

1. To lay down the form of Political democracy
2. To lay down that our ideal is economic democracy.

Article 46 provides that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. **Political Representation** - Dr. Ambedkar brought as proposal in the constituent Assembly for the reservation of seats in the Lok Sabha, State legislative Assemblies and in the civil service. The proposal was accepted by the constituent Assembly and provided representation of scheduled caste and scheduled tribes in the house of representation of scheduled tribes in the houses of the people, Article 332 deals with the representation of scheduled castes and scheduled tribes in the state of Legislative Assemblies. Reservation of seats both in the legislature and executive is intended to be protecting in the political rights of depressed classes.

The constitutional provisions for reservation of posts in the services was to result of a memorandum submitted by Dr. Ambedkar to the Indian Statutory Commission on behalf of the depressed that for a period to 30 years; the Rights of the depressed classes for priority in the recruitment to all posts. Gazetted as well as non-gazetted in all service shall be recognized. Article 335 of the constitution deals with the claims of scheduled castes and tribes to public service.

Various provisions of the Constitution aim at establishing a just social order and this become clear as in the preamble Fundamental Rights Directive Principles of State policy and 5th and 6th scheduled. Later Dr. Ambedkar came to be known as 'Modern manual of India.'

Conclusion - Ambedkar was responsible for sponsoring and implementing the special political safeguards of untouchables. The reservation policy which he advocated and nurtured during the British period and adopted in the constitution of Indian under the special protection of the untouchables, has been paving way not only for the socio-economic transformation of the Scheduled Castes but also for the regeneration and rejuvenation of India. In the history of India modern political thought Dr. Ambedkar has a

significant role because through his scholarly writing, speeches, leadership and socially oriented works. He give a new social order to India and also dictated the political, Economic and social problems in general and untouchables in particular.

References :-

1. The problems of the Rupee, P.S.King and sons Ltd, 1923
2. Evolution of provisional finance in British India, P.S.King and sons Ltd, London, 1925.
3. Annihilation of caste(2nd ed.) B.K.Kadrekhar, 1937
4. Federation versus freedom, R.K. Tatnis, Bombay, 1939.
5. Ranade, Gandhi and Jinnab, Thacker and Co.Ltd, Bombay, 1943.
6. Communal Dead Lock and a way to solve it 1945.
7. Pakistan or the partition of India(3rd ed.) Thacker and Co.Ltd, Bombay 1946.
8. What Congress and Gandhi have done to the untouchables (and ed) Thacker and Co.Ltd, Bombay, 1946.
9. Who were the shudras? How they came to be the Fourth varma in the Indo Aryan society? Thacker and Co.Ltd, Bombay, 1946.
10. States and Minorities – What are their Rights and How to secure , Then in the constitution of free India. Thacker and Co.Ltd, Bombay, 1947.
11. History of Indian currency and Banking Vol.I, Thacker and Co.Ltd Bombay, 1947.
12. Untouchables – who are they and why they Became untouchables, Amrit Book Co New Delhi 1948.
13. Thoughts on Linguistic states, by the Author, Delhi, 1955.
14. The Buddha and His Dharma, Siddharth college publications, Bombay, 1957.
15. Manjukumar, "Social Equality, The Constitutional Experiment in India (New Delhi: Chand and Co., 1982)

महिला उत्थान में बाधक कारक - एक अध्ययन

करुणापति त्रिपाठी *

शोध सारांश - वर्तमान युग में भारतीय महिलाओं के बढ़ते हुए वर्चस्व से समूचे जनसमुदाय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ है। इस वर्चस्व को स्थापित करने में महिलाओं को एक लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा है और कमोबेश यह अब भी जारी है। घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर, संघर्षों के बीच, उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परिचय देकर न केवल देश के गौरव को बढ़ाया अपितु पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया है। इस बदलाव के स्थापित होने की भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वैदिक युग में जिस गरिमामयी स्थिति को वह धारण किए हुए थी, पश्चात के वर्षों में उसका अधोपतन होता गया। वे कारक कौन से थे जो इस अधोपतन के लिए जिम्मेदार थे तथा जिन्होंने महिला उत्थान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। प्रस्तुत शोधपत्र में महिला उत्थान में बाधक इन्हीं कारकों का अध्ययन किया गया है जिनके निराकरण के बिना महिला उत्थान कतई संभव नहीं है।

प्रस्तावना - महिला सृष्टि सृजन का मूलधार है जिसके अभाव में सृष्टि संरचना की कल्पना निराधार है। कोई भी समाज पुरुष और नारी के परस्पर सहयोग से ही निर्मित होता है अतः किसी भी सभ्यता का वास्तविक मूल्यांकन उसमें निहित नारीस्थिति के चित्रण से स्पष्ट होता है। भारतीय महिलाओं के ऐतिहासिक चित्रावलोकन से विभिन्न युगों में उनकी स्थिति में पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। वैदिक युग में नारी का सामाजिक स्तर सम्मानजनक था। कन्याओं का उपनयन संस्कार करके उन्हें सुषिक्षित किया जाता था। अपाला, घोषा, कक्षावृत्ति, पौलेमी जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख तत्कालीन समय में प्राप्त होता है। अनेक विदुषी नारियों ने इस युग में वैदिक मंत्रों की रचना कर अपनी बौद्धिक प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत किया। धार्मिक क्रियाएँ उनके बिना अधूरी समझी जाती थी। स्वयंवर द्वारा उन्हें अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। विधवा पुनर्विवाह निषेध नहीं था और नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। सती प्रथा, बालविवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का इस काल में कोई अस्तित्व नहीं था किन्तु पश्चात के वर्षों में उनको चिन्ता का कारण समझा गया तथा उन्हें असत्यभाषी एवं अनृत कहा गया। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित करने, कम उम्र में विवाह करने और परदे में रहने को मजबूर किया गया तथा सती और जौहर जैसी कुप्रथाओं से उसकी गौरवमयी स्थिति का पतन होता गया। महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक अवलोकन उनकी प्रगति में बाधक कारकों को स्पष्ट प्रतिबिंबित करता है जिनमें सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, विधवा प्रथा, देवदासी प्रथा, जौहर प्रथा बालिका शिशु वध, अशिक्षा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़ एवं बलात्कार जैसे कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं।

सती प्रथा- सती शब्द का अर्थ है- एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। सती प्रथा का नाम माता सती के योगावधि में स्वयं को भष्म कर पार्वती के रूप में प्राकट्य की घटना से जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त इसका वर्णन प्राचीन काल के इतिहास में प्रायः प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि इसका प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ई. के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है जिसमें गोपराज की पत्नी द्वारा सती होने का उल्लेख किया

गया है। 'अठारहवीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की सात पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं।' अठारहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में सती की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई। 1817-26 के दशक में सती होने वाली स्त्रियों की संख्या 500 से 850 के बीच थी। विपिन चन्द्र ने 1815 से 1818 के बीच सती होने वाली स्त्रियों की संख्या 800 बतायी है। यद्यपि इस प्रथा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास अकबर, पेशवा और कई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया किंतु वांछित सफलता प्राप्त न हो सकी। इसके पश्चात राजा राममोहनराय और अन्य समाजसुधारकों के द्वारा इस प्रथा की समाप्ति की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल 4 दिसंबर 1829 को प्राप्त हुआ जब लार्ड विलियम बैटिक ने नियम 17 द्वारा इस प्रथा को संपूर्ण बंगाल प्रेसीडेंसी में समाप्त कर दिया और 1830 ई. में बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों में भी इसे लागू कर दिया गया। आजादी के बाद से सती होने के लगभग 40 मामले प्रकाश में आ चुके हैं। 1987 में राजस्थान की रुपकंवर का मामला सती प्रथा रोक अधिनियम का कारण बना।

इसी प्रकार जौहर प्रथा भी नारी की दयनीय स्थिति को व्यक्त करती है। इस प्रथा का प्रचलन राजपूतों में था। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब राजपूत शासकों पर विजय के पश्चात् महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाएँ हुईं तो इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया उस दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16000 राजपूत रमणियों ने गोमुख के उत्तर वाले मैदान में निर्मित एक विशाल चिता में जौहर किया था। गुजरात के शासक बहादुरशाह के चित्तौड़ आक्रमण के दौरान भी 13000 वीरांगनाओं ने विजय स्तंभ के सामने जौहर कर लिया था।

बालविवाह - बालविवाह भी नारी उत्थान में एक प्रमुख बाधा है। मनु स्मृति में 30 वर्ष के पुरुष का विवाह 12 वर्ष की कन्या के साथ और 24 वर्ष के पुरुष का विवाह 8 वर्ष की कन्या के साथ किये जाने का उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर युग में भी सभी स्मृतिकारों ने 8-12 वर्ष की उम्र में स्त्रियों के

विवाह को उचित माना है। मुगलकालीन समाज में बालविवाह का प्रचलन था। 'सामान्यतः बालिकाओं का विवाह 9 अथवा 10 वर्ष की अवस्था में सम्पन्न कर दिया जाता था।'³ अबुल फजल लिखता है कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अकबर ने लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की थी। सन् 1819 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि चार वर्ष से कम आयु के 89051 लड़के थे, जिनका विवाह हो चुका था। इसी आयु की लड़कियों की संख्या इससे कहीं अधिक थी तथा इसी आयु की 10644 विधवाएँ थी।² बाल विवाह से महिलाओं का बौद्धिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कम उम्र में विवाह कर उन पर ऐसी जिम्मेदारियाँ थोप दी जाती हैं जिसके लिए न तो वह शारीरिक और न ही मानसिक रूप से तैयार हो पाती हैं। बालविवाह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है तथा मातृ एवं शिशु मृत्युदर की संभावना भी अत्यधिक हो जाती है। 'इस कुप्रथा के कारण असमय में ही स्त्रियाँ विधवा होने लगी तथा अधिक सन्तानोत्पत्ति के कारण स्वास्थ्य गिरने लगा और उसकी असामयिक मृत्यु होने लगी। यद्यपि 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा लड़कियों के 14 वर्ष तथा लड़कों के 18 वर्ष से कम उम्र के विवाह को वर्जित कर दिया गया। इसी तरह 1891 में सम्मति आयु अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह को वर्जित कर दिया गया। 1930 ई में शारदा अधिनियम द्वारा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निश्चित कर दी गई। आजादी के पश्चात् इसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया किन्तु अभी भी राजस्थान, झारखंड, बिहार आदि क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।

बहुविवाह – बहुविवाह समाज में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी जिसने स्त्रियों की दशा को और चिंतनीय बना दिया। सन्तानोत्पत्ति की इच्छा तथा भोगविलास की प्रवृत्ति के कारण बहुविवाह की कुप्रथा प्रचलित हो गई। स्त्री, पुरुष की व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा विलास की सामग्री समझी जाने लगी। धनी लोगों के अनुकरण से बहुविवाह सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाने लगा। बहुविवाह ने अनमेल विवाहों को प्रोत्साहित किया जिसके कारण स्त्रियों का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया और वे आत्महत्या तक करने के लिए विवश होने लगी। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 1854 ई में एक स्मृति पत्र सरकार को लिखा और कहा कि – 'कुलीन घराने के लोग पैसे के लोभ में आकर विवाह करते हैं और वैवाहिक कर्तव्यपालन की उनमें जरा भी भावना नहीं होती।'⁴

विधवा प्रथा – विधवा प्रथा, स्त्री जीवन के लिए अभिशाप के समान है। विधवाओं को सामाजिक कार्यों में अमंगलसूचक तथा परिवार में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। बालविवाह के कारण विधवाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। बालविधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी तथा उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया जाता था। विधवाओं के रहन-सहन, खान-पान आदि पर विभिन्न प्रकार के निर्बन्धन लगा दिए गए। इस स्थिति में उनके पास दो ही विकल्प रहते थे – या तो वह इस नारकीय जीवन जीने के लिए समझौता कर

ले या फिर सती हो जाया। इस प्रथा ने भी सती प्रथा को बढ़ाने का कार्य किया। इस प्रथा के विरुद्ध ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विशेष कार्य किया और उसी के परिणामस्वरूप 26 जुलाई 1856 ई. को हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लार्ड डलहौजी ने स्वीकृति देकर वैध घोषित किया। विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए डी. के. कर्वे और रमाबाई ने विशेष योगदान दिया।

बालिका शिशुवध – बालिका शिशुवध भी एक जघन्य कुप्रथा के रूप में प्रचलित थी। कन्या शिशु का जन्म होने पर उसे विष देकर अथवा नदी में प्रवाहित करके उसका जीवन समाप्त कर दिया जाता था। काठियावाड़, कच्छ के जाड़ेजा, संयुक्त प्रांत के राजपूत, पंजाब के बेदी, खत्री और जाट में विशेष रूप से प्रचलित थी। बनारस डिवीजन की एक जाँच से ज्ञात हुआ कि 308 में से 62 गाँवों में 6 वर्ष से कम आयु की एक भी कन्या नहीं थी। जालंधर में बेदी लोग इस कुप्रथा का इतना पालन करते थे कि यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को जीवित रखता तो उसे जात से बाहर कर दिया जाता था। यह प्रथा आधुनिक समय में परिवर्तित होकर भ्रूण हत्या के रूप में सामने आई है जिसने लड़कियों के लिंगानुपात में कमी आई है।

पर्दा प्रथा – पर्दा प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में मुसलमानों के प्रभाव से भारत में स्थापित हो गया। मुसलमानों के सबसे बड़े दर्शनशास्त्री अलगाजाली ने लिखा है – जहाँ तक संभव हो औरत को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, न उन्हें छत पर जाने, न दरवाजे के पार खड़े होने देना चाहिए। औरत न तो अजनबियों को देखे, न उन्हें अपने आप को देखने का मौका दे क्योंकि सारी शरारतों की जड़ निगाह में होती है। 'हिन्दू स्त्रियाँ मुस्लिम महिलाओं के समान अपने शरीर को सिर से पैर तक पर्दे से ढँकती थीं। मुस्लिम स्त्रियाँ सिर से पैर तक परदे का उपयोग करती थीं।'⁵

इस प्रकार भारतीय स्त्रियों की उन्नति में कई बाधक कारक थे जिससे उनकी प्रगति अवरुद्ध थी। समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए जिसके वांछित परिणाम उतने प्रभावी नहीं हुए। प्रबुद्ध भारतीयों के प्रयासों से ब्रिटिश कंपनी ने कठोर कदम उठाए और आंशिक सफलता प्राप्त हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ग्रोवर बी.एल., मेहता अलका, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, तीसरा संस्करण 2010, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली पृ0 - 120
2. मित्तल, सतीशचन्द्र, भारत का सामाजिक-आर्थिक इतिहास, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला, 2005, पृ0 26
3. फजल, अबुल, आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद, एच ब्लॉकमैन कलकत्ता, पृ0 277
4. घोष, विनय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1995 पृ0 25
5. लुनिया, बी. एन., मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, दिल्ली 1986, पृ0 959

आदिवासी समाज की जन-जागृति, शिक्षा एवं भीली भाषा में बालेश्वर दयाल जी का योगदान

लीलू डामोर *

प्रस्तावना - भारतीय इतिहास में 19 वीं, 20 वीं सदी का मध्यकाल भारत के लिए तीव्रतम संघर्ष का काल था। इसी बीच भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अग्रणी एवं आदिवासी समाज में मामा जी के नाम से विख्यात बालेश्वर दयाल जी (1905-1998) एक प्रतिभाशाली नक्षत्र था, जिन्होंने आदिवासी समाज की जन-जागृति में एक समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता के विचारों का उदय हुआ। इस आदिवासी समाज की जन-जागृति, शिक्षा और भीली भाषा में भीलांचल के अन्य समाज सेवीयों का भी उल्लेखनीय योगदान है। उनमें मामा बालेश्वर दयाल दीक्षित का विशिष्ट स्थान है। उनका जीवन परिचय हमें उन हजारों समाज सेवकों के जीवन की झलक दिखा देता है। जो संघर्ष पथ पर चले, जो कि देश को स्वतंत्रता करवाने के साथ-साथ आदिवासी समाज की जन-जागृति में अपना योगदान दिया और फिर देश को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया। मामा बालेश्वर दयाल का योगदान इसीलिए भी अधिक स्तुत्य है, क्योंकि उन्होंने ही इस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति का शंखनाद कर यहाँ के आदिवासी समाज को कई सामाजिक कुरतियों से मुक्ति दिलाई। मामाजी ने स्थानीय आदिवासी समाज को जन-जागृति, शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्र मुक्ति आंदोलनों में भाग लेने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया और जीवन पर्यन्त अपनी सेवा-साधना में जुटे रहें।

आदिवासी समाज में जन-जागृति के क्षेत्र में योगदान - भीलांचल क्षेत्र के लगभग 90 लाख से अधिक आदिवासीयों ने श्री बालेश्वर दयाल दीक्षित को अंचल का सर्वाधिक लोकप्रिय सम्मान मामाजी संबोधन दिया है। लाखों अशिक्षित महिलाओं ने मामाजी के नाम से गीत रचे हैं। जब शादी ब्याह, सगाई, जन्म अवसर पर पहला गीत मामाजी के नाम से गाया जाता है। लाखों बच्चों को बीमारी होने पर मामाजी के नाम की मन्नत ली जाती है, धागे बांधे जाते हैं, तब यह प्रभाव देखते ही बनता है। आज भी मामाजी की पूण्यतिथि हो या रामनवमी पर अनेक वर्षगांठ का अवसर पर हजारों आदिवासी स्त्री-पुरुष उनकी समाधि पर अग्रबत्ती घुमाते व फूलमाला, नारियल, पैसे चढ़ाते हुए मिल जाऐंगे। इन अवसरों के एक-दो दिन पहले से ही अलग-अलग क्षेत्रों से आदिवासी टोलियाँ भजन गाते हुए बामनियों आश्रम पर पहुँच जाऐंगे। यदि यहाँ के किसी आदिवासी परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तो उसे मामाजी की गोद (समाधि) पर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। आज भी जब यहाँ नई फसल पकती है, तो ये आदिवासी समाज पहले आश्रम को समर्पित करते हैं। ये सारी परम्पराएं मामाजी के जीवित होने से लेकर उनके मरणोपरांत भी चली आ रही है। भीलांचल क्षेत्र में व्याप्त बाल-विवाह, मास-मदिरा सेवन, बड़ा परिवार, निरक्षरता, दहेज-प्रथा, उच्च-नीच जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन-चेतना जागृत कर आदिवासीयों को

इनमें सुधार के लिए प्रेरित करते रहें। मामाजी ने इस क्षेत्र के लोगों को उचित परिधान पहनने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप लोगों ने परंपरागत पहनावे का परित्याग कर पर्याप्त एवं उचित वस्त्र पहनना शुरू किया। साथ ही मामाजी ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्नान एवं साफ-सफाई से रहने के लिए भी प्रेरित किया। इस तरह अपने आदिवासीयों के जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह इन्हीं का प्रयास था कि इस क्षेत्र के आदिवासी समाज ने कभी भी अलगाव और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं सोचा। न कोई कार्य किया जिससे हिंसा के दर्शन हो। इन लोगों ने इनके सानिध्य में अपने हिंसात्मक स्वभाव का दमन ही किया। अहिंसात्मक रूख आखितयार किया। अन्य क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार एवं उड़ीसा में आदिवासीयों में अलगाव की भावना तीव्र रूप से विद्यमान है। वे आज भी सरकार के लिए सिरदर्द हैं। यह इस क्षेत्र को उनकी सबसे बड़ी देन है। जबकि की उन्होंने इस काम को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े रखा।

मामाजी के आदिवासीयों की शिक्षा के बारे में विचार - महात्मा गांधी ने ठक्कर बप्पा को आदिवासीयों में शिक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने अनेक शिक्षा केन्द्र संचालित किये और आदिवासी शब्द भी ठक्कर बप्पा ने ही दिया।

महात्मा गांधी की उपस्थिति में गुजरात में शिक्षा सम्मेलन हुआ। ठक्कर बप्पा ने आदिवासीयों की शिक्षा के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि कितनों ने हाई स्कूल, इन्टर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और कितनों को सरकारी नौकरीयाँ मिली इसे बड़ी उपलब्धियाँ माना गया व सराहना भी की गई।

सम्मेलन में बालेश्वर दयालजी को बोलने को कहा गया उन्होंने अपने मोलिक विचारों में कहा - 'आदिवासीयों की शिक्षा अंग्रेजी पद्धति पर न केवल अहितकार ही है, वरन भयावह भी सिद्ध होगी'

जहाँ मामाजी एक और कुशल वक्ता, सामाजिक चिंतक तथा वर्गविहीन समाज के पक्षधर थे वहीं उन्होंने समाज, सेवा तथा अनेक समसामयिक विषयों पर अनेक लेखन कार्य भी किया।

मामा बालेश्वर दयालजी ने शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था पर भी अज्ञानता के अंधकार में डुबे इस क्षेत्र में मामाजी ने ग्राम बामनिया में भील सेवा आश्रम की स्थापना कर बच्चों को आवास, भोजन एवं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई ताकि ये आदिवासी समाज आगे चलकर ज्ञान अर्जित कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके।

बालेश्वर दयालजी का भीली भाषा के क्षेत्र में योगदान - मामा बालेश्वर दयालजी स्वतंत्रता सेनानी व भीलांचल के समाज सुधारक होने के साथ-

साथ लेखक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन निर्वाहन किया। और उन्होंने लेखक व पत्रकारिता के माध्यम से भीली भाषा में अवस्मरणीय योगदान दिया है। बालेश्वर दयाल चौखम्बाराज (लखनऊ-इंदौर) के सम्पादक भी रहे हैं, उन्होंने भील सेवा आश्रम बामनिया से भीली भाषा में पंचायती राज, कामी की बात और गोबर नाम से अखबार निकाले, उनका सम्पादन एवं प्रकाशन भी किया, भीली भाषा में प्रकाशित पंचायती राज अखबार अब काम की नाम से अखबार प्रकाशित किया फिर जन आंदोलन में मामाजी जेल गये व डिक्लियरेशन निरस्त कर दिया गया। तीसरी बार काम की बात नाम से अखबार निकाला उनका कहना था अखबार जेल जाने के बाद बंद जरूर हो जायेगा। उन्होंने कई पुस्तको जैसे रामायण एवं महाभारत जो कि भीली भाषा में लिखी गई थी, उन्ही के माध्यम से भीली भाषा का प्रयोग करते हुए पंचायती राज में सुधार कर मामाजी द्वारा प्रेरित किया गया जो कि आज महत्वपूर्ण स्थान है।

उपसंहार - किसी भी जागृत समाज के लिये परम आवश्यक है कि वह अपने बीच रहें समाज सेवकों और तपस्वी जीवन-जीने वालों के चरितों को पहचाने वह सम्मान करें। उसे अपने जीवन प्रेरक तत्व बनाएं मामाजी की जीवन-गाथा हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मामा बालेश्वर दयाल ने जीवन भर आदिवासी समाज जीया। वे भीलांचल के संधिस्थल बामनिया को अपने कार्य क्षेत्र को केन्द्र बनाकर आदिवासी समाज में जन-जागृति के प्रतिक बन गये। वे सच्चे अर्थों में इस क्षेत्र के 'मामा' बने रहे। सीमावृत्ति क्षेत्र के प्राणी मात्र की उमंग और उत्साह के वे कारण रहे। उनकी दृष्टि उनके कर्म रहे। अपने युवाकाल से इस क्षेत्र में आ गये यहाँ की खाक छानी और यहीं के होकर रह गये। मामाजी ने यह सब केवल इसी क्षेत्र के लिए ही नहीं किया। उनका मानना था कि इस क्षेत्र में

परिचित कम, अपरिचित लाखों हैं, उनका खयाल रखा जाना चाहिए शायद इसलिए वे क्षेत्रिय समाज सुधारक रहते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवी बन गए। आदर्शों पर चलकर जीवन चरित्रवान बनाया। उ.प्र. का एक साधारण आदमी उन आदिवासीयों को प्रभावित कर उन्हें संस्कारित कर सका, उनके बीच बड़े-बड़े आंदोलनों का सुत्रपात करके शराब छुड़वा सका, बेगार तथा अन्य कुरीतियों से उन्हें जनेडू धारण करवाकर ब्राह्मण बनाने के लिए प्रेरित करते रहे। मामाजी का रचनाकृत्य भी स्तुत्य रहा है। अपने जीवन की संघर्ष समस्याओं पर पुस्तके लिखी और कई समाचार पत्रों के सम्पादक रहे। अतः इन सभी प्रकार के क्रिया-कलापो के माध्यम से आदिवासी समाज की जन-जागृति, शिक्षा आदि में सुधार किया गया है, इन्हीं संघर्ष में तपकर मामाजी का जीवन कुन्दन बना। जो कि आदिवासी समाज उन्हें 'मामाजी' या 'बापू' के नाम से पुकारे जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीक्षित ब्रह्मदत्त-मध्यभारत के प्रकाश पुँज मामा बालेश्वर दयाल ।
2. मामाजी का समाधि स्थल-बामनिया ।
3. मेहता मंगल-संघर्ष सपूत मामा बालेश्वर दयाल ।
4. दयाल बालेश्वर-जवानी में जीवन के सपने ।
5. मामाजी की रामायण और महाभारत ।
6. सामाजिक वार्ता ।
7. दैनिक भास्कर ।
8. नईदूनियाँ ।
9. संघर्ष (स्मारिका), 2006
10. क्रांति (स्मारिका), 2007
11. इंटरनेट से प्राप्त सामग्री ।

जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति एक अध्ययन (निमाड़ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

सवेसिंह मेड़ा *

प्रस्तावना - भारत की हृदय स्थली है 'मध्यप्रदेश' और मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में स्थित है आदिवासी बहुल निमाड़ क्षेत्र का शोध मेरा प्रिय विषय रहा है क्योंकि जनजाति से जन्मा और बड़ा होने के कारण मध्यप्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक राजनीतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक परिवेश मेरी विशेष रूचि रही है। स्वयं जनजाति का वंशज होने से इससे संबंध विषय पर शोध करना मेरा वैयक्तिक कर्तव्य बनता है इसी उद्देश्य को लेकर मेने विशेष रूप से जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना चाहा।

निमाड़ क्षेत्र जनजाति बहुल वाला क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से भील, भीलाला, बरेला, कोरकू व गोड जनजाति निवास करती हैं, ये जनजाति सुदूर वन पर्वतों के बीच सुन्दर प्राकृतिक जीवन व्यतित करते आये हैं धरती की सुगंध और प्राकृतिक वातावरण में इनकी संस्कृति पल्लवित एवं पुष्पित होकर सभ्य समाज की संस्कृति से अपना एक अलग स्थान रखती है, हर जनजाति की अपनी-अपनी संस्कृति होती है, जिससे उनकी पहचान होती है निमाड़ क्षेत्र में जनजातियों को संस्कृति प्रिय एवं सांस्कृतिक रूप से उन्नत जनजाति के रूप में देखा जाता है निमाड़ क्षेत्र हिन्दुस्तान के नवशे पर विद्याचंचल और सतपुड़ा पर्वत मालाओं के मध्य जो भू-भाग बसा हुआ है यह निमाड़ के नाम से सुविख्यात है। शासन की दृष्टि से बड़वानी खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर निमाड़ क्षेत्र चार जिलों में बंटा हुआ है।

जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति - पूर्व में भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से धिरे निमाड़ क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति रही है। निमाड़ क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय खरीफ मौसम में कृषि तथा अन्य मौसम में मजदूरी करना था। जनजाति महिलाओं द्वारा कृषि के साथ-साथ लकड़ी काटकर बेचना, ताड़ी महुआ से शराब बनाकर बेचने एवं पशु पालन आदि कर कठिन स्थिति में जीविकोपार्जन करती थी। यहाँ इनका आर्थिक अवलंब था ऐसी स्थिति में गरीबी बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण बीमारियों से लड़ते जीवन निर्वहन करना इनकी नियति थी।

आज शिक्षा के प्रसार-प्रसार सरकारी प्रयासों एवं परिवर्तनों के प्रति जागरूकता ने महिलाओं में एक नई चेतना जागृत की है। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि एवं रोजगार अनुलब्धता के कारण कॉफी महिलाएँ अधिकारों के प्रति संजग हैं और आज वे अपने गाँवों से शहर जाकर कार्य करती हैं, नौकरी करती हैं और इस प्रकार परिवारों की जरूरतों का सामान जुटा पाती हैं, लेकिन आज भी यदि देखा जाये तो जनजाति समाज की महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज भी जनजाति समाज में व्याप्त बुराईयाँ कुप्रथाएँ निहित हैं। जब तक इन बुराईयों प्रथाओं, कुप्रथाओं को समाज से समाप्त नहीं किया जाये तब तक इनकी सामाजिक, आर्थिक

उन्नयन संभव नहीं होगा, भले ही शासन ने जनजाति महिलाओं के लिये बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किये हैं।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य में तथ्य सामग्री महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रस्तावित शोध अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों के अन्तर्गत मैने स्वयं शोध क्षेत्र में जाकर सामग्री का संकलन किया है। अध्ययन क्षेत्र में न्यायदर्श परिवारों का साक्षात्कार अनुसूचि के द्वारा अवलोकन एवं क्षेत्र के समुदाय विशेष से मौखिक रूप से जानकारीयों एकत्रित की है। प्रस्तुत अध्ययनों में पुस्तकों प्रकाशित प्रलेखों, स्रोत पत्रों तथा स्रोत संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत अनुसंधान कर्ताओं के प्रकाशन आदि के द्वारा अध्ययन को पूर्णता प्रदान किया गया।

उपकल्पना - वैज्ञानिक अध्ययन के लिये उपकल्पना का निर्माण भी आवश्यक है। मैने भी प्रस्तुत विषय पर कार्य करने हेतु निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

1. जनजाति समाज के आर्थिक क्षेत्र का समग्र अध्ययन करना।
2. जनजाति समाज में वर्तमान में आर्थिक परिवर्तनों का पता लगाना।
3. जनजाति महिलाओं का अन्य समाज की महिलाओं से भिन्नता का पता लगाना।
4. समाज में व्याप्त समस्याओं का पता लगाना।
5. शासन द्वारा चलायी जा रही विकासात्मक योजनाओं का अध्ययन करना।

निदर्शन - सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति का बहुत महत्व है कुछ को देखकर या परिक्षण कर सबके बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को निदर्शन विधि कहते हैं। मैने अपने अध्ययन में देव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया है। इसके द्वारा सामग्री का चयन हेतु निमाड़ क्षेत्र की जनजाति बहुलता वाले गाँवों को निदर्शन के लिये चुना है।

निष्कर्ष - स्वयं जनजाति अंग होने के कारण प्रस्तुत विषय पर कार्य करना एक जातिय ऋण चुकाना ही है साथ ही उन कारणों घटकों एवं तथ्यों का समुचित आकलन भी जो एक जनजातीय महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में बाधक और साधक है।

मेरा यह शोध कार्य एक ओर जहाँ महिलाओं को अपने कर्तव्य अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जाग्रत करेगा वहीं उन्हें शिक्षित आत्मनिर्भर, स्वस्थ, नैतिक एवं अततः आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने में भी उनकी मदद करेगा। महिला सशक्तिकरण के इस युग में निमाड़ क्षेत्र की जनजातीय में महिलाओं का आर्थिक उन्नयन भी उच्च आर्थिक स्तर पर पहुँचाना इन्हीं प्रयासों पर मेरा शोध कार्य केन्द्रित है।

उद्देश्य - मेरे शोध कार्य का उद्देश्य है कि जनजातिय महिलाओं में आर्थिक

पिछड़ेपन के कारणों को जाना जाये, समाज में व्याप्त बुराईयों को समाप्त किया जाये एवं उनके कारणों का पता लगाया जाये कि अत्यंत परिश्रमी जनजाति की स्त्रियों को क्यों सरकारी योजनाओं व प्रयासों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और क्यों इन्हें आज भी इन्हें पलायन कर दर-दर भटकना पड़ रहा है वे अपने अधिकारों के प्रति संजग क्यों नहीं है और वे किन-किन सामाजिक बुराईयों में लिप्त है तथा इनका आर्थिक उन्नयन कैसे संभव है। इन्हीं प्रयासों पर मेरा शोध कार्य केन्द्रित है।

परिणाम एवं विश्लेषण - प्रस्तावित विषय जनजातिय महिलाओं की आर्थिक स्थिति एक अध्ययन निमाड़ क्षेत्र के विशेष संदर्भ में है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करने से जो परिणाम प्राप्त हुए है जो निम्नानुसार है-

1. जनजाति समाज में पहले संयुक्त परिवार पाये जाते थे लेकिन अब एकांकी परिवार देखने को मिलते है व जमीन जायदाद का बंटवारा सभी भाईयों के विवाह बाद हो जाता है। परिवार नियोजन के कारण परिवारों को आकार छोटा रखने लगे है।
2. वधु मूल्य चुकाने की प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरतियाँ अभी भी लगभग सभी जनजाति समाज में है।
3. शिक्षा का प्रचार-प्रसार होने के कारण समाज में जागृति आयी है। और वे अपने अधिकारों के प्रति थोड़े बहुत सजगता बरत रहे है।
4. शासन की जनकल्याण कारी योजनाएँ जैसे पंचायत राज व्यवस्था, मनरेगा, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, crsp,wfp, caas

आदि से आज पलायन को रोकने में थोड़ी बहुत मदद मिली है तथा स्वरोजगार योजनाओं से भी जनजातियों को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार मेरे इस शोध कार्य में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही परिवर्तन दिखने को मिले हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नाईक, टी बी. - द भील्स ए स्टडी दिल्ली, दिल्ली पब्लिशर्स 1956
2. जैन, राजेन्द्र -भीलों की संस्कृति, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009
3. पाटील डी. -भीली संस्कृति ओर समाज, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2004
4. निरगुणे वसन्त - निमाड़ी संस्कृति और साहित्य, म.प्र. आदिवासी लोक परिसद् 2000
5. उप्रेती हरिचंद्र - भारतीय जनजातियों, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1996
6. सिंह रामगोपाल -सामाजिक अनुसंधान पद्धति विज्ञान, म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2011
7. सिंह अरुणाकुमारी - जनजातिय समाज में स्त्रियाँ, राव प्रकाशन जयपुर 1991
8. समाचार पत्र: दैनिक भास्कर, नई दुनिया, निमाड़ एक्सप्रेस ।
9. इंटरनेट ।
10. स्वयं के शोध के आधार पर ।

आओं भगवान मेघरुषि की पूजा करें

प्रीति राठौर * डॉ. मदनलाल पेंवार **

शोध सारांश - आज दलित समाज, विशेषकर मेघ समाज जितना दुखी व परेशानियों से जूझ रहा है, उतना अन्य समाज नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसे आज तक इस समाज के बड़े-बड़े विद्वान व संत-महात्मा भी नहीं समझ पाये हैं और न ही इस ओर किसी का ध्यान ही गया है। मेघवंशी बड़े लंबे समय से अंधकार मय जीवन जी रहे हैं।

प्रस्तावना - मेघवंश समाज में जितने भी विद्वान व संत-महात्मा हुए, उन्होने भी दुःखों के कारण से पर्दा नहीं हटाया है। यह समाज इतनी भूल और अंधकार में है कि कभी अपने व अपनो की ओर ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि पराए लोगो का अनुशरण करता रहा तथा अब भी दूसरों के सहारे जिन्दगी जी रहा है। एक समय वह भी था जब महाराजा जलंधर ने इन्द्र की राजधानी अमरावती पर हमला कर इंद्राणी को महलो में कैद कर लिया था तथा इन्द्र को जान बचाकर भागना पड़ा था। तब देवराज इन्द्र ने विष्णु के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई तो विष्णु स्वयं अपनी विषाल सेना लेकर जलंधर से मुकाबला करने आया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया तो जलंधर की पत्नी वृन्दा, जो भगवान मेघरुषि की उपासक थी, ने भगवान मेघरुषि महाराज को याद किया। भगवान मेघरुषि महाराज ने अपने परम शिष्य की पुकार सुनकर विष्णु को वापस लौटना पड़ा। उसी वृन्दा को आज तुलसी के नाम से जाना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। जिस समय प्रहलाद के बेटे वीरोचन को देवताओं ने धोखे के कैद कर लिया था, उस समय भगवान मेघ के वंशजो ने विद्रोह किया, जिससे मजबूर होकर कार्तिक अमावस्या को उसे आजाद करना पड़ा। उस दिन धी के दीपक जलाकर खुशी मनाई गई, जिसे आज दीपावली का नाम दिया गया है। बाद में वीरोचन के पुत्र महाबलि को इस बात का पल चला तो उसने भी इन्द्र पर चढ़ाई कर दी। इन्द्र अमरावती छोडकर विष्णु की शरण में गए। विष्णु वामन का रूप धरकर महाबलि के दरबार में गया और महादानी महाबलि से दान मांगा। छल से उसका सारा राज्य छीनकर उसे राज्य विहीन कर दिया गया। ऐसे प्रतापी एवं महान राजा महाराजाओं के वंशज आज दर-दर की ठोकरे खाते हुए दरिद्रता की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं।

इसका कारण है कि आज हर समाज अपने ईष्ट देवों की पूजा कर रहा है और धन-धान्य से भरपूर है, क्योंकि अपने, अपने ही होते हैं। अपनों की ओर ही ध्यान देते हैं। जब तक मेघवंश द्वारा मेघरुषि की पूजा की जाती रही, समाज राजपाठ व धन-धान्य से भरपूर रहा और सम्मान होता रहा। किन्तु जब समाज अपने आराध्य मेघ भगवान को भूल गया, इसकी ख्याति नष्ट हो गई और सम्मान मिट गया। अपने मान-सम्मान, स्वाभिमान को

वापिस लाने के लिए फिर से हमें हमारे आराध्य भगवान मेघरुषि की मूर्ति घर में लगाकर पूजा करनी होगी। जब भी समाज में कोई नेक कार्य हो, सबसे पहले भगवान मेघ को याद करना होगा। विवाह-शादी के कार्डों पर भगवान मेघरुषि का फोटो लगाना होगा। अपनी भलाई के लिए अपने आराध्य गुरु शुक्राचार्य के दिन शुक्रवार को भगवान मेघरुषि का व्रत रखना होगा तथा शाम को गुड व चने के प्रसाद से व्रत खोलना होगा। ऐसा नियमित करने से आपके घर में सुख-शांति व अमन-चैन का वास होगा। समाज की स्त्रियां वृन्दा की भांति भगवान मेघरुषि की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु व अपने सुहाग की कामना की खातिर भगवान मेघरुषि की आरती करें। हमें अटल विश्वास, आस्था व श्रद्धा के साथ भगवान मेघरुषि की पूजा करनी है। जिस दिन यह समाज अपने आराध्य भगवान मेघरुषि के चरणों में सच्चे मन से समर्पित हो जाएगा, उस दिन में शरण ले लेगी और राजपाठ वापिस मिल जाएगा। भगवान मेघरुषि के अलावा कोई हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि भगवान मेघरुषि हमारे हैं और हम उनके वंशज हैं। अतः मेघवंश से अपील है कि यदि अपना भला चाहते हो तो इस कारण को समझकर तन-मन-धन से भगवान मेघरुषि की पूजा अर्चना में लग जाओ, ताकि हमारी खोई हुई शक्ति, मान-प्रतिष्ठा व राजपाठ लौट आए। जिस घर में भगवान मेघरुषि की पूजा होगी वह घर कभी दरिद्र नहीं रहेगा। यह अटल सत्य है, जो इस पर अमल करेगा, उसके घर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।

अतः दुःख के कारण का एहसास करें, उपहास नहीं, विश्वास करो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय सर्व मेघवंश स्मारिका।
2. मेघरुषि- स्वामी गोकुलदास जी।
3. जाति भास्कर - मित्र प. ज्वालाप्रसाद।
4. रिपोर्ट मद्रुमशुमारी राज मारवाड़, सन् 1891-राय बहादुर मुंशी हरदयाल सिंह।
5. जाति विध्वंसक, भगवान बुद्ध - डॉ धमाकीर्ति।

मण्डला जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन

दीपिका दोहरे * डॉ. जे.एल. बरमैया **

शोध सारांश - भारत में परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सन् 1952 में अपनाया गया। इसके पीछे यह धारणा कार्य कर रही थी कि देश में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर को उँचा करने में सहयोग होने की जगह अवरोध ही उत्पन्न करेगी। यद्यपि देश में इस नीति का शुभारम्भ पहली पंचवर्षीय योजना से ही हो गया था, परन्तु इसका अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन चौथी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ही हो सका। यह नीति अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ हद तक सफल भी रही।

भारत की जनसंख्या वर्तमान वर्ष में 1.26 मिलियन तक पहुँच गयी है और मौजूदा जनसंख्या वृद्धि की दर पर विचार किया जाये तो वर्ष 2028 तक देश की आबादी चीन से अधिक हो जाएगी। यूएन की एक हालिया रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हाल ही के वर्षों में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो गई है लेकिन फिर भी चीन की तुलना में भारत की जनसंख्या दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय प्रजनन दर अभी भी उच्च है, जो कि भारत की दीर्घ कालिक जनसंख्या की वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाती है। यह शोध पत्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन मण्डला जिले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना - जनसंख्या सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासा मानव को उसके अस्तित्व काल से ही रही है। वह इसके सम्बन्ध में विभिन्न उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, समय स्थान एवं उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तन पाया जाता।

जनांकिकी के विभिन्न पक्षों के महत्व को समझने के लिए प्रजनन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। यदि जनसंख्या को अबाध गति से बढ़ने दिया जाए तो जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसका पालन-पोषण अत्यधिक कठिन हो जाएगा। मालथस का कहना है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि होने पर नैसर्गिक नियन्त्रण का नियम लागू होने लगता है। महामारी, अकाल, भूख जैसे प्रकोपों से मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए विद्वानों ने परिवार नियोजन का विचार प्रस्तुत किया है। इसके अन्तर्गत दम्पति बच्चों के जन्म के बारे में सोच समझकर ऐसे उपाय अपनाते हैं, कि बच्चे अधिक उत्पन्न न हों और हो तो एक या दो तथा उनके जन्म के मध्य कम से कम 3 वर्ष का अन्तराल अवश्य हो।

अध्ययन क्षेत्र - जिला मण्डला सतपुडा मैकाल श्रेणी में आच्छादित गोंडवाना शैल समूह से निर्मित पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों से आच्छादित यह क्षेत्र समुद्र सतह से 1124 मीटर की उँचाई पर स्थित है। यह जिला 22°12' तथा 23°22' उत्तरी अक्षांश 80°18' तथा 81°51' पूर्वी देशांतर के माध्य स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मण्डला जिले की कुल जनसंख्या 10,53,522 है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 5,25,495 तथा महिला जनसंख्या 5,28,027 है।

उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जिले में जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के साथ-साथ दम्पतियों द्वारा अपनाए गए परिवार नियोजन के

साधनों का मूल्यांकन करना। प्रस्तुत अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित उद्देश्यों में वर्गीकृत किया गया है।

1. जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

सारणी क्रमांक -01

मण्डला जिले की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व

क्र.	जनगणना वर्ष	जनसंख्या (लाख में)	जनसंख्या घनत्व
1.	2001	8.94	102
2.	2011	10.5	182

उपरोक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि जनगणना वर्ष 2001 में मण्डला जिले की कुल जनसंख्या 8.94 लाख थी। जो वर्ष 2011 में बढ़कर 10.5 लाख हो गई इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व 2001 में 102 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी. था, जो कि 2011 में 182 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी. हो गया।

सारणी क्रमांक -02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी से ज्ञात होता है कि वर्ष 2009 में कुल 7441 लोगों ने परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया जिसमें 301 पुरुष तथा 7140 महिला नसबन्दी की गई तथा वर्ष 2011 में 9172 लोगों ने नसबन्दी को अपनाया जिसमें पुरुषों की संख्या 1120 तथा महिला संख्या 8052 है। अतः आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2009 से 2011 के बीच परिवार नियोजन के साधनों (नसबन्दी) को जिले की जनसंख्या द्वारा विशेष रूप से अपनाया गया।

सारणी क्रमांक -03 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तहसील अनुसार मानचित्र – (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्ष, सुझाव – ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान जिले में 7140 लोगों की नसबन्दी तथा 2145 महिलाओं को लूप लगवाने की सुविधा प्रदान की गई।

परिवार नियन्त्रण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किया जाये। प्रजननशीलता न केवल जैविक घटना है, वरन् उसमें समाज की सभी प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अतः उन सभी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जो परिवार नियोजन के मार्ग में बाधक है परिवार नियोजन के मार्ग में एक बाधा समाज में लड़की की अपेक्षा लड़को को अधिक महत्व दिया जाना है। लोगों में लड़कों की आकांक्षा वंश को बनाए रखने के लिए तथा बुढ़ापे में सहारे के लिए होती है। यही कारण है कि दो या तीन लड़कियों वाला दम्पति भी लड़का उत्पन्न होने की प्रत्याशा में परिवार नियोजन की विधियों को उपयोग में नहीं लाता। अतः यदि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को वृद्धावस्था में पेन्शन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने लगे तो वे बच्चों के प्रति इतना जागरूक नहीं होंगे। उत्तराधिकार के नियमों में सुधार कर लड़कियों के लिए रोजगार, नारी का समाज में विशिष्ट स्थान शिक्षा आदि से लड़की की भूमिका बढ़ाई जा सकती है ताकि माता-पिता लड़की-लड़का में भेद न करें।

गावों तथा सुदुरवर्ती क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभों का

सघन प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों की शिक्षा के तरीके में सुधार किया जाना चाहिए ताकि वे परिवार नियोजन के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो उपलब्ध साधन अधिक होंगे जिससे वे अपनी सन्तान का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। छोटे परिवार को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन किया जाए। लोगों को प्रेरित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दलों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा डॉ. जे.पी. (2008) 'जनांकिकी' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा (उ.प्र.)।
2. पंडा, डॉ. बी.पी. (2007) 'जनसंख्या भूगोल' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
3. सराफ मंजू (2002) 'गौंड जनजाति में परिवार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम' रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
4. नारायणन, सुधा (1998) 'जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन।
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका प्रकाशन वर्ष 2011 जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय मण्डला (म.प्र.)।
6. दुबे, सरिता (2002) 'ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन सम्बन्धी चेतना' रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

सारणी क्रमांक -02

जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति

वर्ष	परिवार कल्याण केन्द्र	प्रति केन्द्र सेवित जनसंख्या	परिवार नियोजन के साधन			
			पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	योग	लूप निपोश/कपर-टी
2008-09	39	20,000	301	7114	7415	2145
2009-10	39	20,000	1014	7487	8501	2435
2010-11	39	20,000	1120	8052	9172	2787

सारणी क्रमांक -03
जिले में विकास खण्ड अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष 2011

विकास खण्ड	परिवार कल्याण केन्द्र	प्रति केन्द्र सेवित जनसंख्या	परिवार नियोजन के साधन			
			पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	योग	लूप निपोश/ कपर-टी
नैनपुर	0	0	30	1104	1134	530
मण्डला	1	10	22	132	154	83
मोहगांव	3	0	24	576	600	717
घुघरी	4	0	10	821	831	49
बिछिया	8	0	66	1030	1096	54
मवई	3	0	3	710	713	138
निवास	3	0	16	342	358	235
बीजाडांडी	5	0	39	527	566	255
नारायणगंज	2	0	17	589	606	104

स्रोत - मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डला रिपोर्ट 2011

तहसील अनुसार मानचित्र



ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन - होशंगाबाद जिले के मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के विशेष संदर्भ में

डॉ. जितेन्द्र कुमार कमलपुरिया *

शोध सारांश - जिला होशंगाबाद के मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के रूप में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। भारत देश में भयावह जनसंख्या के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहे इसलिए जनसंख्या वृद्धि में कमी के लिए जन जागृति होनी चाहिए। नगर घनी जनसंख्या के केन्द्र न बने इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के समान पाई जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए।

प्रस्तावना - जनसंख्या नितान्त परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक मानव संसाधन है। वस्तुतः युग परिवर्तन के साथ-साथ मानव समुदाय के जीवन, विचारधारा दर्शन, दृष्टिकोण, ज्ञान, विधियाँ, संस्कृति एवं समस्याएँ भी परिवर्तित होती रहती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के स्थानिक संगठन का अभिज्ञान करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या के परिवर्तित स्वरूप के साथ-साथ उसके वितरण के प्रतिरूपों का भी आकलन किया जावे। किसी भी क्षेत्र की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के स्वरूप को सुस्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अध्ययन क्षेत्र - मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन किया गया है। इनके सापेक्षिक महत्व को तार्किक रूप में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

समक संकलन एवं विधितंत्र - प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में साहित्य का पुनरीक्षण, प्रकाशित ग्रन्थ, शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों, तहसील एवं विकासखण्ड कार्यालयों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित द्वितीय समकों का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथानुकूल एवं निर्दिष्ट विधितंत्र का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले में कुल आठ तहसीलों में व्याप्त भौगोलिक तथ्यों के ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के स्थानिक वितरण की व्याख्या वर्ष 2001 एवं 2011 के आधार पर की गई है।

विश्लेषण - मानव संसाधन के स्थानिक संगठन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप को भारत, मध्यप्रदेश एवं जिला होशंगाबाद के तुलनात्मक स्वरूप में समझा जा सकता है। भारत में वर्ष 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 12.20 प्रतिशत रही। मध्यप्रदेश में यह दर 18.5 प्रतिशत रही। होशंगाबाद जिले में यह दशकीय वृद्धि दर 13.53 प्रतिशत रही। इसी तरह नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत में वर्ष 2001 से 2011 के दशक में 31.80 प्रतिशत रही। यह दर मध्यप्रदेश में 25.78 प्रतिशत रही। होशंगाबाद जिले में यह दर 16.62 प्रतिशत रही।

(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)

होशंगाबाद जिले की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का तहसीलवार विश्लेषण भी प्रासंगिक है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में सिवनीमालवा तहसील में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 6.65, इटारसी तहसील में 2.38, बाबई तहसील में 15.54, सोहागपुर तहसील में 15.59, पिपरिया तहसील में 7.45 एवं बनखेड़ी तहसील में 17.96 प्रतिशत रही। होशंगाबाद तहसील के क्षेत्र में अलग होकर डोलरिया तहसील निर्मित हुई जिसके कारण होशंगाबाद तहसील में यह वृद्धि दर 0.47 प्रतिशत ऋणात्मक रही।

वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जिले में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर सिवनीमालवा तहसील में 14.87, होशंगाबाद तहसील में 21.10, बाबई तहसील में 14.43, सोहागपुर तहसील में 12.09, पिपरिया तहसील 31.27, एवं बनखेड़ी तहसील में 11.4 में प्रतिशत रही। इस दशक में नगरीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर इटारसी तहसील में हुई जो 0.58 प्रतिशत थी। डोलरिया तहसील का समक अप्राप्त है।

किसी भी क्षेत्र में उत्तम जलवायु, उत्तम अपवाह तंत्र, मैदानी भाग, उर्वर मृदा सिंचाई के साधन, भूमिगत जल की सहज उपलब्धता, विविध फसल उत्पादन, परिवहन के साधन इत्यादि अनेक कारक होते हैं जो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं²¹ होशंगाबाद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों ने जनसंख्या को आकर्षित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या सेवा एवं सुविधाओं के लिए नगरों की ओर आकर्षित होती है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापार-व्यवसाय, चिकित्सा सुविधाएँ, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन के साधन इत्यादि सुविधाएँ सुलभ होती हैं। जिसके कारण अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए नगरों में आकर बस जाते हैं³।

निष्कर्ष एवं सुझाव - होशंगाबाद जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। होशंगाबाद जिले में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि बनखेड़ी तहसील में हुई एवं सबसे कम वृद्धि होशंगाबाद तहसील में हुई। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक वृद्धि पिपरिया तहसील में हुई एवं सबसे कम वृद्धि इटारसी तहसील में हुई। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई गई है क्योंकि नगरीय क्षेत्र चुम्बक की तरह ग्रामीण जनसंख्या को

आकर्षित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **Trewarth G.T. (1953)** - 'A case of population Geography' *Annals of the association of American Geographers*. Vol. XLIII No.2 P. 76-89.
2. **Mishra, R.P. (1988)** - 'Growth of population and Environmental Deterioration in sagar District, M.P.'
3. **Nityanand, (1966)**- 'Distribution and spatial Arrangement of Rural population in East Rajasthan India' *Annals of the Association of American Geographers*. Vol.56

जिला होशंगाबाद - ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001-2011

विवरण	जनसंख्या		वृद्धि दर	
	2001	2011	व्यक्ति	प्रतिशत
ग्रामीण	749871	851364	101493	13.53
नगरीय	334394	389986	55592	16.62
कुल	1084265	1241350	157085	14.48

स्रोत - भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 प्राथमिक जनगणना सार म.प्र. 2001 एवं 2011

अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में पर्यावरण रक्षक सेवाओं का योगदान - पर्यावरण प्रदूषण के सन्दर्भ में एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. नीलेश कुमार सखवार *

प्रस्तावना - म.प्र. के उत्तरी भाग में स्थित अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (बृहद चम्बल घाटी का निचला भाग) को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है, जो चम्बल के विश्व विख्यात बीहड़ों से ग्रसित होने के साथ-साथ सामाजिक प्रदूषण (डाकू समस्या, इकैती, लूटपाट) और अन्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि समस्याओं से ग्रसित है चयनित अध्ययन क्षेत्र पोरसा, अम्बाह, मुरैना, कैलारस, सबलगढ़, श्योपुर विजयपुर, कराहल एवं भिण्ड अटेर, मेहगांव, लहार, वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की गंभीरतम समस्या से ग्रसित हैं, जिसका पर्यावरण प्रदूषण के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 'अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में पर्यावरण रक्षक सेवाओं का योगदान' शोध लेख को तैयार किया गया है।

उद्देश्य -

1. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण रक्षक सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण।
2. अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध मानव स्वास्थ्य रक्षक सेवाओं का सूक्ष्म अध्ययन।
3. मध्य प्रदेश में लागू की गई पर्यावरण नीति का अध्ययन।
4. अध्ययन क्षेत्र के नगरों को किस प्रकार प्रदूषण मुक्त रखा जाए ?
5. पर्यावरण शिक्षा को किस प्रकार रोजगार मूलक बनाया जाए।
6. पर्यावरण के प्रति किस प्रकार जनजागरूकता लाई जाए।
7. प्रकृति प्रेम की भावना कैसे जागृत की जाए।

अतः इन्हीं प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 'अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में पर्यावरण रक्षक सेवाओं का योगदान' शोध लेख को तैयार किया गया है।

प्रदूषित पर्यावरण चाहे जल के रूप में हो या वायु प्रदूषण के रूप में अथवा ध्वनि प्रदूषण या फिर ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के रूप में। इस बिगड़ते पर्यावरण का परिणाम अन्ततः मानव, जीव एवं पादप वर्ग को ही भुगतना पड़ेगा अर्थात् जैसे-जैसे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बढ़ से बढ़तर होती गयी, वैसे-वैसे पर्यावरण रक्षक सेवाएँ भी सामने आती गयीं। अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में भी पर्यावरण रक्षक सेवाएँ सक्रिय हैं, जो अपने सदप्रयासों से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास कर रही हैं अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरण रक्षक सेवाओं निम्न लिखित वर्गों में विभक्त किया गया है।

- अ. स्थानीय निकाय संगठन
- ब. अशासकीय संगठन (संस्थाएँ), (एन.जी.ओ.)
- स. शैक्षणिक संस्थाएँ

अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में पर्यावरण रक्षक सेवाएँ (चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

अ. स्थानीय निकाय संगठन - अध्ययन क्षेत्र अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म०प्र०) में छोटे-बड़े 19 नगर पाए जाते हैं। प्रत्येक नगर में स्थानीय निकाय सेवाएँ क्रियाशील हैं, जो नगरों को पर्यावरण प्रदूषण एवं गंदगी से मुक्त रखने का प्रयास करती हैं। नगरों की स्वच्छता को भी ये संस्थाएँ प्राथमिकता प्रदान करती हैं ताकि मानव स्वास्थ्य रहे एवं स्वस्थ पर्यावरण में अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अध्ययन क्षेत्र में इन क्रियाशील स्थानीय निकाय सेवाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। जिनमें **अ. नगर पालिका**, **ब. नगर पंचायत** आदि प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र की ये प्रदूषण रक्षक नगर पालिका/नगर पंचायत संस्थाएँ

क्रमांक	नगर पालिका	नगर पंचायत
1.	भिण्ड	गोरमी
2.	मुरैना (नगर निगम)	मौ
3.	श्योपुर	मिहोना
4.	गोहद	अकोड़ा
5.	अम्बाह	फूप
6.	सबलगढ़	बानमौर
7.	जौरा	कैलारस
8.	मेहगांव	झुण्डपुरा
9.	पोरसा	विजयपुर
10.	-	बडौदा
योग	09	10

(चित्र देखे आगे पृष्ठ पर)

जैसा कि हम जानते हैं कि नगर पालिका एवं नगर पंचायतें पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी होती हैं नगरों में अनेकानेक कारणों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पाये जाते हैं, जिनके नियंत्रण हेतु नगर पालिका एवं नगर पंचायतें सतत् प्रयास करती हैं। जब कभी अपरिहार्य कारणों से नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सफाई कर्मी दो-चार दिन हड़ताल पर चले जाते हैं, तो सभी नगर गंभीर रूप से गन्दगी युक्त एवं प्रदूषित दिखाई देने लगते हैं अर्थात् जगह-जगह गंदगी का जमावाड़ा देखने को मिलता है अतः इस तथ्य से स्पष्ट है कि नगरीय पर्यावरण रक्षक सेवाओं के रूप में नगरपालिका/नगर पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ब. अशासकीय संगठन (संस्थाएँ, एन.जी.ओ.) - पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण रक्षक के क्षेत्र में विगत 50-55 वर्षों से अनेक अशासकीय संगठन सामने आ रहे हैं जो पर्यावरण के किसी पक्ष को लेकर

कार्यरत हैं। व्यक्तिगत सर्वेक्षण से पता चला है कि श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों में पर्यावरण रक्षक के क्षेत्र में अशासकीय संगठन (संस्थाएँ, एन.जी.ओ.) कार्य कर रहे हैं, जिनका उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रयास है तथापि अध्ययन क्षेत्र के तीनों जिलों (श्योपुर, मुरैना, भिण्ड) में वर्तमान में लगभग 500 अशासकीय संगठन कार्यरत हैं जिनमें से लगभग 140 अशासकीय संगठन पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत (व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर) हैं और ये संगठन पर्यावरण के विभिन्न पक्षों को लेकर समस्त अध्ययन क्षेत्र में क्रियाशील हैं जैसे - पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण जन जागरूकता, वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यक्रम, पर्यावरण शिविर आयोजन, पर्यावरण स्वच्छता एवं जल संरक्षण, जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई कार्यक्रम, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा, पर्यावरण एवं जन संरक्षण, पर्यावरण एवं वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्धित संगठन हैं। जो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

स. शैक्षणिक संस्थाएँ - अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएँ भी किसी न किसी रूप में पर्यावरण रक्षक सेवाओं के रूप में कार्य कर रही हैं ज्ञातव्य हो कि शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में पर्यावरण शिक्षा को क्रियान्वित करने के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में दी जा रही है। शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन विषय आधार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन विषय स्नातक द्वितीय वर्ष की कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के अन्तर्गत पढ़ाया जाता है जबकि शिक्षा महाविद्यालयों में तो सभी विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय अनिवार्य है।

जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि प्रायमरी से लेकर हायर सेकेण्डरी (10+2) तक की कक्षाओं में से कक्षा-3 से कक्षा-10 तक पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है अर्थात् एक से बारह तक कक्षाओं में से 3-10 तक मात्र 08 कक्षाओं में पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी का अध्ययन कराया जाता है। इन कक्षाओं में बच्चों को पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर जैसे पर्यावरण से आशय, पर्यावरण अवक्रमण, पर्यावरण कारक, पर्यावरण और मानव, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रबन्धन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि का अध्ययन कराया जाता है अर्थात् हायर एजुकेशन में पहुंचते-पहुंचते विद्यार्थी पर्यावरण की शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं और महाविद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा का व्यापक स्तर पर ज्ञान कराया जाता है।

सुझाव

1. स्थानीय प्रशासन, समाजसेवी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता लाने का प्रयास विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा किया जाना चाहिए।
2. महाविद्यालय स्तर पर पर्यावरण विषय के पद स्वीकृत किये जायें, शासन द्वारा स्थायी योग्य अनुभवी प्राध्यापकों को नियुक्त किया जाए, जिससे छात्रा/छात्राओं को पर्यावरण शिक्षा का उचित मार्गदर्शन मिलने के कारण वे पर्यावरण के महत्व को समझ सकें।
3. बुजुर्ग और महिलाओं को वृक्षारोपण कार्य के रूप में रोजगार उपलब्ध

- कराया जाये, और पर्यावरण शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जाये।
4. जो लोग वृक्षारोपण कार्य और वनों के संरक्षण का प्रयास करते हैं उन्हें शासन द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में शासकीय सर्विस में वोनस अंक और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाये।
5. शासन द्वारा पर्यावरण विषय पर विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर संगोष्ठी सेमिनार को अधिक, प्रोत्साहन दिया जाये।
6. पर्यावरण रक्षक सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का समय-समय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं पर्यावरण रक्षक सेवा रूपी संस्थाओं और संचालित कार्य का समय-समय पर सूक्ष्मता से निरीक्षण, मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।
7. स्थानीय प्रशासन द्वारा कठोर नियम बनाये जाएँ। जैसे जुर्माना और सजा का प्रावधान।
8. 'ग्रीन सिटीज हैल्दी एनवायरमेंट' की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जाना चाहिए अर्थात् नगरों में सड़कों के किनारे, नाले/नालियों के सहारे रिक्त भूमि पर उद्यानों/पार्कों में तथा नगर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण करके नगरों में हरित पेटी का विकास किया जा सकता है जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पहल होगी।
9. 'कचरे से कंचन पैदा करने का दूसरा नाम जैविक खाद' है यह तथ्य कदापि अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है पर्यावरण के दुश्मन कचरे (कूड़ा-करकट) को नियोजित ढंग से जैविक खाद के रूप में रूपान्तरित कर कृषि कार्यों एवं अन्य में, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।
10. नगरों में सभी जगह सड़क/गलियों को उचित ऊँचाई देकर पक्का किया जाए। सड़कों के दोनों ओर फुटपाद बनाये जाएँ, नियोजित ढंग से जल विकास नालियाँ बनायी जायें, ताकि उनका जल और गंदगी सड़को/गलियों में एकत्रित न हो सके।

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरण रक्षक सेवाएँ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में संलग्न है यदि ये सभी सेवाएँ पर्यावरण से सम्बन्धित 25 प्रतिशत पर भी कार्य करें तो अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण एवं अवक्रमण की स्थिति को नियन्त्रित किया जा सकता है। स्थानीय निकाय के रूप में नगरपालिकाएँ एवं नगर पंचायतों की पर्यावरण रक्षक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्तु ये भी पूर्ण रूपेण पर्यावरण सुधार का कार्य नहीं कर पा रही हैं तथापि अध्ययन क्षेत्र की सभी एन.जी.ओ. संस्थाएँ मिलकर अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करें, पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-



1. अवरुथी नरेन्द्र मोहन एवं तिवारी-पर्यावरण भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. प्रो. धनंजय वर्मा एवं डॉ. पुरुषोत्तम भट्ट चक्रवती—पर्यावरण भूगोल, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. चर्मण्वती भूगोल शोध पत्रिका-पी.जी. महाविद्यालय, अम्बाह (म.प्र.) सन् 2012
4. सक्सेना एन.एम. 2006 पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन, आगरा।
5. पर्यावरण चेतना म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
6. राष्ट्रीय सेमिनार- शा. महाराजा स्वशासी महाविद्यालय, छत्तरपुर

(म.प्र.), 11 फरवरी 2014

7. सेंगर के 0 एस0 अधर चम्बल घाटी (म0प्र0) की अर्थव्यवस्था पर बीहड़ कृष्यकरण का प्रभाव- एक सूक्ष्म स्तरीय भौगोलिक विश्लेषण, अप्रकाशित पी-एच.डी. थीसिस, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।
8. सखवार एन. के. 'अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म.प्र.) में नगरीय

- प्रदूषण- कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण-मुरैना नगर के विशेष सन्दर्भ में एक भौगोलिक विश्लेषण' अप्रकाशित पी-एच.डी. थीसिस, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।
9. जिला सांख्यिकी पुस्तिका श्योपुर, मुरैना, भिण्ड।
10. कम्प्यूटर एवं इंटरनेट।

अधर चम्बल एवं कुंआरी बेसिन (म0प्र0) में पर्यावरण रक्षक सेवाएँ



मानव संसाधन विकास के सामाजिक अभिलक्षण – साक्षरता का स्तर (जिला होशंगाबाद के विशेष संदर्भ में)

डॉ. जितेन्द्र कुमार कमलपुरिया *

शोध सारांश – 'साक्षरता' मानव संसाधन के विकास का एक सूचकांक है। यह मानव के सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक एवं सर्वांगीण उन्नति का प्रमुख आधार स्तम्भ है। साक्षरता से मानव समाज के पिछड़े स्वरूप जैसे गरीबी, मानसिक एकाकीपन इत्यादि का उन्मूलन किया जा सकता है। यह शांतिपूर्ण एवं प्रगाढ़ मानवीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में महती भूमिका निभाती है। साक्षरता का जनसांख्यिकी लक्षणों जैसे जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास, व्यावसायिक सरचना इत्यादि पर भी गहन प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तावना – मानवीय कुशलता एवं ज्ञान के विकास हेतु साक्षरता एक अनिवार्य तत्व है। किसी राष्ट्र के तीव्र एवं सर्वांगीण विकास हेतु साक्षरता एक आधारभूत कारक है। हमारे संविधान में राष्ट्रीय विकास की परिकल्पना में समाज के शैक्षिक विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह सत्य है कि समाज की चेतना का परिमाण साक्षरता ही है²। प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्तियों को जीवनस्तर के गुणात्मक उन्नयन का आधार माना गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता को परिभाषित किया है कि कार्यात्मक साक्षरता से आशय है अक्षर ज्ञान एवं अंक ज्ञान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं अपनी बढहाली के कारणों को समझना एवं उससे मुक्ति की दिशा में प्रयास करना इसलिए आवश्यक संगठन बनाना तथा विकास की प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। आर्थिक स्थिति एवं रहन सहन को बेहतर बनाने की क्षमताएँ विकसित करना एवं राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की सुरक्षा, महिलाओं की समानता आदि मूल्यों को आत्मसात करना है। इस प्रकार साक्षरता सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक विश्वसनीय सूचक है³।

अध्ययन क्षेत्र – मानव संसाधन विकास के सामाजिक अभिलक्षण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले की साक्षरता के स्तर का भौगोलिक अध्ययन किया गया है।

समंक संकलन एवं विधितंत्र – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानव संसाधन विकास के प्रमुख सामाजिक अभिलक्षण के रूप में साक्षरता के स्तर का परीक्षण करना है। इस अध्ययन में मूलतः द्वितीयक संमकों का उपयोग किया गया है। इसके लिए प्रकाशित ग्रन्थ, शोधपत्रिकाओं, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों, तहसील एवं विकासखण्ड कार्यालयों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित समकों का उपयोग किया गया है। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथानुकूल एवं निर्दिष्ट विधितंत्र का उपयोग किया गया है। होशंगाबाद जिले में कुल आठ तहसीलों में व्याप्त भौगोलिक तथ्यों की साक्षरता संबंधी दशाओं की व्याख्या वर्ष 2001 एवं 2011 के दशकीय आधार पर की गई है।

विश्लेषण – होशंगाबाद जिले के साक्षरता के स्तर को भारत, मध्यप्रदेश एवं जिला होशंगाबाद के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में वर्ष 2001 से 2011 के दशकीय अवधि में समझना प्रासंगिक होगा। इस दशकीय अवधि

में भारत में 9.2, मध्यप्रदेश में 6.9 एवं जिला होशंगाबाद में 6.5 प्रतिशत साक्षरता दर में वृद्धि हुई। इस दशकीय अवधि में पुरुष साक्षरता दर भारत में 6.8, मध्यप्रदेश में 4.4 एवं जिला होशंगाबाद में 4.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई इसी तरह इस अवधि में महिला साक्षरता दर भारत में 11.8, मध्यप्रदेश में 10.3 एवं जिला होशंगाबाद में 9.2 प्रतिशत बढ़ी।

जिला होशंगाबाद – कुल साक्षरता दर, वर्ष 2001-2011 (प्रतिशत में) (तालिका देखें आगे पृष्ठ पर)

जिला होशंगाबाद के साक्षरता स्तर को ग्रामीण, नगरीय एवं कुल साक्षरता स्तर पर भी विश्लेषित करना उपयोगी होगा। जिला होशंगाबाद में वर्ष 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण साक्षरता दर में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दशक में नगरीय साक्षरता दर की तुलना में ग्रामीण साक्षरता दर में मात्र 3.2 प्रतिशत ही वृद्धि हुई।

जिला होशंगाबाद में कुल साक्षरता वृद्धि दर की दृष्टि से तहसील सोहागपुर प्रथम स्थान पर है, जहां उक्त दशकीय अवधि में 0.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय स्थान पर तहसील बनखेड़ी है जहां 0.6 प्रतिशत वृद्धि। तृतीय स्थान पर तहसील बाबई है जहां 0.4 प्रतिशत कुल साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

जिला होशंगाबाद में कुल साक्षरता दर में ऋणात्मक वृद्धि की दृष्टि से तहसील इटारसी प्रथम स्थान पर है। यहां कुल साक्षरता दर में 3.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। द्वितीय स्थान तहसील होशंगाबाद का है, जहां 2.1 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुई है। इसी तरह तृतीय स्थान तहसील सिवनीमालवा 0.8 प्रतिशत का है एवं चतुर्थ स्थान पर तहसील पिपरिया है, जहां 0.1 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष स्वरूप कई तथ्य उभर कर आते हैं। देश, राज्य एवं जिला तीनों स्तरों पर साक्षरता दर विगत दशक में वृद्धि की ओर अग्रसर रही है। इसी तरह पुरुष एवं महिला साक्षरता दरों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिला होशंगाबाद में कुल साक्षरता की वृद्धि दर सोहागपुर, बनखेड़ी एवं बाबई तहसील में अधिक पाई गई है एवं शेष तहसीलों में ऋणात्मक वृद्धि दर पाई गई है।

सुझाव स्वरूप यह कथन उचित होगा कि ऋणात्मक वृद्धि युक्त तहसीलों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं अन्य साक्षरता कार्यक्रमों को अधिक

प्रभावशील बनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **Gosal G.S. (1964)**- 'Literacy in india: An Interpretative study' *Rural sociology* Vol 29:3.
2. **Vatsayan (1982)**- 'Samajik Janankiki Evam Jansankhya

Samasyaye' vivek prakashan, Delhi p. 10-15

3. **Chaudhry, D.M. (1993)** - 'The Dimension of Indian population policy' *Population and Development Review*, Vol. 19, No. 1

जिला होशंगाबाद - कुल साक्षरता दर, वर्ष 2001-2011 (प्रतिशत में)

तहसील	2001			2011		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
सिवनीमालवा	15.8	15.6	15.7	15.0	14.9	14.9
इटारसी	23.6	26.0	24.5	20.2	21.6	20.8
होशंगाबाद	16.7	18.0	17.2	14.6	15.7	15.1
डोलरिया	-	-	-	4.9	5.0	4.9
बाबई	10.0	8.9	9.6	10.3	9.6	10.0
सोहागपुर	10.8	9.4	10.2	11.3	10.4	10.9
पिपरिया	14.3	14.2	14.3	14.4	14.0	14.2
बनखेड़ी	8.1	7.5	8.1	8.9	8.4	8.7
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत - भारत की जनगणना 2001 एवं 2011, प्राथमिक जनगणना सार, मध्यप्रदेश, 2001 एवं 2011

होशंगाबाद मैदान की जनजाति का सांस्कृतिक विवरण

डॉ. अर्चना पटेल *

प्रस्तावना - भौगोलिक वातावरण के विभिन्न प्रकार हमें पृथ्वी पर दिखाई देते हैं तथा सामान्यतः अलग-अलग भौगोलिक वातावरण में अलग-अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसी प्रकार होशंगाबाद मैदान में जनजातियों के अंतर्गत गोंड जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त यहाँ कोरकू आदि जनजातियाँ भी निवास करती हैं। यहाँ निवास करने वाली जनजातियों का सामान्य परिचय इस प्रकार है।

1. गोंड
2. कोरकू

1. **गोंड** - गोंड तेलगू भाषा के पहाड़ शब्द का पर्यायवाची बताया गया है जो पर्वतीय परिधि का परिचायक प्रतीत होता है। जनरल कनिंघम व अन्य विद्वानों ने कोण्डा दोरला से इसे संबद्ध किया है।

‘गोंड-जनजाति को अब यगोंड अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है, जो अधिक प्रचलित व परिचायक है।¹ इनकी अनेक उप जातियाँ भी हैं। जिनमें प्रमुख हैं - अगरिया, माडिया, मुडिया, भटोला, भूता, कोइलभूता, धुरबा, धोबा, धुनिया, दोरला, गटा, गेता, गोंड, गोवरी, खटोला, कोइतर, कोया, नागरची आदि मध्यप्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं।² गोंड जनजाति में कुछ ‘राजगोंड’ भी होते हैं, जो श्रेष्ठ माने जाते हैं। गोंडों की शारीरिक संरचना सुगठित हट्ट-पुष्ट तथा शरीर फुर्तीला होता है। रंग सांवला, कुछ गोरे और अधिकांश काले रंग के होते हैं। गोंड स्त्रियाँ भी इसी प्रकार की होती हैं। ये परिश्रमी तथा ईमानदार होते हैं।

वेशभूषा - पुरुष धोती-कुर्ता तथा कमीज पैंट भी पहनने लगे हैं, स्त्रियाँ कांच की साड़ी पहनती हैं इन्हें आभूषण पहनने में रुचि होती है पुरुष कान में वाली स्त्रियाँ भी चाँदी के भारी गहने जैसे हाथों में चूड़ी, चूड़ा, बाजूबंद, पैरो में छल्ला आदि पहनती हैं। सजने संवरने का इन्हें बहुत शौक होता है। स्थानीय बाजारों से श्रृंगार सामग्री खरीदने में बहुत रुचि दिखाते हैं। गोदने-गुदवाने का प्रचलन गोंडों में बहुत ही प्राचीन है, आज कल भी ये लोग शोक से अपने शरीर को गुदवाते हैं।

खानपान - पेज (मक्के, चॉवल या गेहूँ का पतला दलिया) इनका प्रिय भोजन है। गोंड किसान प्रायः रात्रि का भात पानी में रख देते हैं और सुबह जब कार्य करने के लिए निकलते हैं तब पेज या बासी भोजन करके ही निकलते हैं इसे यकलेऊ कहते हैं। मौसमके अनुरूपये लोग कोदो-कुटकी, सावा, गेहूँ, मक्का, चॉवल, बल्लर की दाल, बरवटी की दाल, चने की दाल तथा बैंगन, टमाटर, पोवार की भाजी, राजगिरे की भाजी इत्यादि बड़े ही शौक से खाते हैं। कुछ गोंड मांसाहारी भी होते हैं जो अपने घरों में मुर्गी - मछलियाँ खरीद लेते हैं तथा सप्ताह में या माह के एक दिन सेवन कर लेते हैं। इनके जीवन में शराब का अधिक प्रचलन है।

सामाजिक स्थिति - गोंड परिवार पितृ प्रधान परिवार होता है, फिर भी महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। ये लोग संयुक्त परिवारों में ही अधिकतर रहना पसंद करते हैं। अपने माता-पिता को ही दैनिक आय या अन्य प्रकार से मिलने वाली आय देते हैं तथा अच्छी तरह से उनकी देखभाल तथा सेवा करते हैं। दहेज प्रथा का विकृत रूप इनमें नहीं है। ये लोग पूजा-पाठ पर विशेष ध्यान देते हैं। धार्मिक जीवन लगभग हिन्दू जैसे ही है, परन्तु जंगल में रहने के कारण वे विश्वास करते हैं। अपने देवी देवता जो पेड़, पत्थर तथा साँपर आदि भी होते हैं।³

2. **कोरकू** - कोरकू राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं, तथा शिव की पूजा करते हैं। इनके दो प्रमुख वर्ग हैं राणकोरकू तथा पठारिया कोरकू अपने को हिन्दू बताते हैं क्योंकि वे लोग चन्द्रमा तथा महादेव की पूजाकरते हैं। औसत कोरकू व्यक्ति का सिर गोल, नाक थोड़ी होती है। किन्तु नीग्रो जाति के समान चपटी नहीं होती गालकी हड्डियाँ उठी हुई तथा सिर घुटा हुआ होता है। इनका कद गोंडों से अधिक होता है ये काले रंग के होते हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये लोग बहुत पिछे होते हैं।⁴

निवास - एक गाँव में लगभग बीस तीस घर होते हैं जिसे टोला कहा जाता है। एक झोपड़ी लगभग 15 वर्गफुट की होती है झोंपड़ियाँ आसपास बनाते हैं। घर के बाहर मक्के (भुट्टा) लटकाने के लिए खम्बे गाड़ते हैं। छत ढलान युक्त होती है जो घास तथा लकड़ी की होती है।

वेशभूषा - वेशभूषा साधारण होती है एवं पुरुष एक लंगोटी तथा सिर पर एक कपड़ा बाँधते हैं। वर्तमान में इनके पहनावे पर आधुनिक जीवन का प्रभाव देखा जा सकता है। आम लोगों की तरह कहीं ये शर्ट, धोती या पैंट भी पहनते हैं स्त्रियाँ धोती तथा साड़ी पहनती हैं। आभूषण पहनने के ये शौकीन होते हैं। मोती की मालाएँ लोहे तथा पीतल के आभूषण भी पहनते हैं।

व्यवसाय - शिकार तथा कृषि इनकी जीविका के साधन हैं। बहुत कम कोरकू भू-स्वामी हैं तथापि छिन्दवाड़ा तथा होशंगाबाद में इनकी बड़ी बड़ी जोते हैं। कुछ स्थानों पर अब भी उनकी प्राचीन स्थानान्तरण कृषि हो रही है। मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। कुछ लोग वनोत्पादन को एकत्रित कर बेचते हैं।

खान-पान - जनजातियों के खान-पान का प्रभाव वहाँ पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक होता है तथा मौसम के अनुरूप मिलने वाली खाद्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। साधारण भोजन रोटी, सब्जी, कनकी (चावल) का उपयोग अपनी परिस्थिति के अनुरूप करते हैं त्योहारों पर मॉस तथा भजिया पुरी खाना पसंद करते हैं।

वर्तमान स्थिति में जनजातियों का जीवन स्तर कुछ हद तक सामान्य वर्ग के लोगो की तरह दिखाई देता है। जैसे खानपान, वेशभूषा, आदि

इसका कारण उनके भौगोलिक परिवेश तथा उनके मूल व्यवसाय में समाज के द्वारा किये गये व्यवधान हैं फिर भी जनजातीय जीवन अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक लक्षणों से सभ्य समाज से अपने आप को भिन्न करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'अरण्य की संस्कृति' - जी.डी शुक्ल पृ. 68
2. पाठक शोभनाथ (1999) - 'गोंड जनजाति' सूचना औरप्रसारण
3. Choudhari Narendra (2000) - "Role of Socia-Cultral" Practices in Accepting the MCH & F.P. Services Among Gond Population of Jabalpur District Dipartment of Sociology Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur (M.P.)
4. Tiwari, P.D. and Sharma An. (1989) "Tribal ecosystemand malnutri-tion in India" Pt52.

A Sociological Study Of Residential Patterns Of A Slum Area Of Bhopal City (M.P)

Farooq Ahmad Ganiee*

Abstract - This paper is on the residential patterns of a slum area of Bhopal city namely Vishwakarma Nagar slum area which is situated opposite Bhopal Habibganj railway station. The data regarding residential patterns including housing structure, household roof structure, fuel used for cooking, kitchen facility, drinking water facility, bathroom facility, toilet facility, drainage system, modes of waste disposal, road status, land tenure status, dwelling type and density size, ration regarding information and main household assets owned by slum people of the particular study area, were collected from three hundred (300) respondents through sample sampling random method and a well framed interview schedule then the collected data was tabled and conclusions deduced. This research paper tries to explore the total residential patterns of people who live in the study slum area. Some respondent's statements were also reported and some snap shots were also taken during survey along with primary source of data and the statements and snapshots are presented in the proper places along with data. In the study slum area where the residential patterns were assessed the slum people were found having low standard of living in every respect of life whether it's housing condition or dwelling density or type or their land tenure status or modes of waste disposal size or sanitation or drinking water facilities and so on.

Keywords - Patterns, slum, roof, fuel, drainage, disposal, statements, snapshots, sanitation.

Introduction - Residential Patterns -

Housing structure and condition - The urban poor of the study research area were found living in a different types of habitats such as jhupri, tin-shed and semi-pucca/pucca. The below table revealed that 68% of the total respondents were living in jupri type habitats the most vulnerable form of habitat, 2.66% are living in tin-shed type of habitats and the remaining 29.33% reside in semi-pucca/pucca type of habitats. From the data table it appears that the majority of urban poor are living in temporary type of habitats especially known as jupri type habitat which is considered as the most vulnerable form of habitat.

Respondents housing structure

Type of households	Total	Percentage (%)
Habitat type jhupri	204	68%
Habitat type tin shed	8	2.66%
Habitat type semi pucca	88	29.33%
Total	300	100%

Type of roof of households - The below table shows that 69.33 % of respondents dwellings roof is made of wood traplin thatch, whereas the roof of 30.66% of respondents dwellings is made of tiles concrete tin cement sheet. So from the data table the majority of dwellings are looking who having low quality of roofs, as the roofs of these dwellings were made up of very low quality of materials and they are subject to vulnerability to inundation during the rainy season.

Roof type of households

Type of roof	Households	Percentage
Wood traplin thatch	208	69.33%
Tiles concrete tin cement sheet	92	30.66%
Total	300	100%

Households with fuel used for cooking - The below following table represents the availability of fuel resources for cooking to the surveyed households. The table indicates that there is 79% of households who use multi fuels for cooking such as kerosene, firewood, cow dung, 18% households use gas with other fuels and 2.33% use electricity and other fuels for cooking. No doubt government is providing some basic facilities to these urban poor people on card (BPL, Labour) basis but these facilities were found insufficient from the perspective of these people. Just as the government is providing 5 liters of kerosene for 5 members of family and these people stated that 5 liters kerosene is not enough for a month for cooking purpose for a family who have five members. This was found that 32.33% living their lives without any type of card and these people are reported to buy fuel items for cooking from private stores at high costs and sometime they collect it from trees and road side bushes when they are unaffordable to buy it from private stores. The people who having BPL or Labour Cards get kerosene from government stores but

in limited quantity and they also buy fuel for cooking from private stores and collect firewood from trees and road side bushes. The people of the slum also reported that they buy firewood from market in rainy season and in cold days. Those who use gases are also reported that when they are not able to pay for gas they use same method like to buy fuel from private stores and collect firewood from trees and road side bushes for cooking. Women and children are the ones who usually collect these fuels by doing so their daily life allows less time for other useful activities such as education.

Respondent's households used fuel for cooking

Fuel	Frequency	Percentage
Kerosene ,Firewood, cow dung	238	79.33%
Gas, kerosene, firewood	551	8.33%
Electricity, kerosene, firewood	7	2.33%

Kitchen facility - The below table represents that kitchen facility of the households of respondents, as the table indicates that 96.33% of the households have no separated kitchen facility and they use their living rooms and also sometime use free and open spaces around their dwellings for cooking, and only 3.66 % of the households have separated kitchen facility for cooking in their dwellings but their kitchens were found very congested in limited spaces. It appears from the data table that due to inadequate of spacing the majority of respondents households have no separate kitchens for the cooking purposes which pose unhealthy and overcrowded conditions due to smoke and congested spacing.

Respondent's kitchen facilities

Facility	Frequency	Percentage
Kitchen separated	11	3.66%
Kitchen not separated / open space	289	96.33%
Total	300	100%

Drinking water facility - The table below indicates that 69.66% of respondents households fetch water from hand pump and 30.33% from municipal water taker but it was found that municipal water tank for 848 households remain available only twice a week. From the data it appears that a high proportion of respondent's households collect drinking water from hand pump which is located far from majority of households. This was also found that they usually wait for a long period of time to get water from hand pump or municipal water tanker when it remains available. So it is looks quite clear that the access of these people to the water supply is inadequate and insufficient.

Drinking water for respondents

Source	Respondents	Percentage
Hand pump	209	69.66%
Municipal tanker	91	30.33%
Total	300	100%

Distance from drinking water - The below table represents the distance of respondents households from water

sources, as the table points out that 83% of respondents households have above distance of 15 meters from the water hand pump and only 17% of respondents households have 15 meters or less of distance from hand pump . So from the data it appears that the majority of the people are far from the hand pump where they collect water.

Respondent's household distance from drinking water sources

Distance	Respondents	Percentage
15 meters	51	17%
Above 15 meters	249	83%
Total	300	100%

Bathroom facility - The table represents 55% of respondents have katcha type bathrooms within premises and 44.66% have outside premises. During the field survey it was observed that these bathrooms were made for women. For the privacy of women these people made these temporary type bathrooms either inside or outside premises. These bathrooms were made of low quality of materials like sarees, torn long cartens, big polythene sheets, wood, ropes and torn gunny bags and tie these type of material with ropes one side of their dwellings wall either inside or outside premises and use big long cartens as doors.

Respondents Bathroom facility

Facility	Frequency	Percentage
Within premises	166	55.33%
Outside premises	134	44.66%
Total	300	100%

Toilet facility - The table regarding toilet facility point out that 20 % of respondents use community flush latrine systems and these people are paying as maintenance charges to government Rs 30 per individual per month and the community flush latrine were found remain open for specific period of time from morning to evening only and for rest it remain closed, 8% use own septic tank flush latrine, 3% use Shared septic tank flush latrines and 68% practice open defecation either on the road foot paths or behind trees on road sides which pollute the surrounding environment and the city environment at large and force women to use the road side bushes and trees before dawn and after dusk without any privacy, so it is looking clear from the data table that a very high proportion of people have no toilet facility.

Toilet facilities

Facility	Frequency	Percentage
Own septic tank flush latrine	26	8.66%
Shared septic tank flush latrine	9	3%
Community flush toilet	61	20.33%
Open defecation	204	68%
Total	300	100%

Drainage system in the slum area - There were also observed that there were a number of small drains with full of waste and all of these drains were found to connect with the filthy drains which is passing from this slum and flowing with the road side between the slum area. The drainage system of the slum area was found uncovered and pollutes

that makes people of the area vulnerable to infections and posing unhealthy atmosphere in the slum.

Mode of waste disposal - An individual's health is largely dependent on proper sanitation. Therefore there is a direct relationship between sanitation and health. Improper disposal of waste, improper environmental sanitation lack of personal care towards disposal waste have been cause of different diseases. Basically in cities waste disposal processing is to be a big challenge for environment. However the increased use of polythene and petroleum based products can be seen spread across the slum area. In city the dependence on Municipal waste disposal systems are obvious because of resource constrain and slums display these issues.

Mode of waste disposal	Frequency	Percentage
Dustbin	76	25.33%
Highway road side	131	43.66%
Slum pass way near hand pump	93	31%
Total	300	100%

The above table reveals that a very high proportion 43% of respondents households are not using community dustbin and through their disposal waste on road sides and that is a factor of worry for sanitation, 31% through their waste disposal on slum pass way near water hand pump that makes not only the pass way polluted but also near adjacent habitat and water also, and only 25.33% through their waste disposal in community dustbin. The overall detail represents that a very low proportion 31% of the respondents has access to use the municipal dustbin and a very high proportion 69 % (25.33+43.66) dispose their waste on road sides to their adjacent habitat and poses a serious challenge to the local environment of the area.

Status of road in front of slum dwellings - The table below represents the status of street roads inside the study slum area, as the table reveals that 51.66% of people have non motor able pucca roads (street type) of 2 ½ ft narrow in front of their dwellings, and 33% have non motor able katcha 2 ½ ft narrow street type roads ,11.66% having motor able pucca of 3 to 4 feet wide road in front of their dwellings which passes through the slum area and divide it in two parts and 3.66% having non motor able pucca roads of 2 ½ feet street type in front of their dwellings. The overall impression of the data is that 88.32 % (3.66+51.66+33) of the respondents have very narrow streets type roads (2 ½) in front of their dwellings and only 11.66% have little bit wide street road in front of their dwellings.

Status of roads inside slum area

Status	Frequency	Percentage
Motor able pucca	35	11.66%
Motor able katcha	11	3.66%
Non Motor able pucca	155	51.66%
Non Motor able katcha	99	33%
Total	300	100%

Land tenure status - The land on which the research study area slum is located is currently under the public BHEL GOI. It is evident that the people of live on this place on a

temporary basis and have fear of eviction as the public BHEL GOI can evict them at any time without any warning. So these poor people are generally vulnerable as they can't protect themselves from being evicted, and once they are evicted from their dwellings they become homeless. The below table indicates that 98% of the respondents encroached public BHEL GOI land and 2% are paying rent of 1000 to those who come first and encroached land in some large size and made two or three rooms, as these people give their one of room on rent to boost their economy and themselves live an adjustable life.

Respondents land tenure status

Land tenure status	Frequency	Percentage (%)
BHEL land encroached	294	98%
Rented	6	2%
Total	300	100%

Dwelling type - The following table indicates that 81% of Respondents live in single rooms. The sizes of the dwellings were found during the survey as some dwellings were observed as 10 feet in length and 12 feet in breadth and some 12 in length 15 feet in breadth and 18% of the have two rooms. The chart also reveals that 1% have three rooms. From the below graph/table it appears that majority of people in the area living in single rooms which is highly congested and unhealthy.

Dwelling type of respondents

Dwelling type	Percentage
Single room	81%
Double room	18%
Three room	1%

Dwellings density size - The following table represents the dwelling density size of the surveyed households as the table indicates that 80.66% of respondents families live in single room dwellings with 4 to 6(180) and 6 to 8(62) members, 17.66% have two dwelling rooms with 4 to 6(21) 6 to 8(27) and 8 to 10(5) members and 1.66% have three room dwellings with 4 to 6 (1), 6 to 8 (2) and 8 to 10 (2) members. The overall impression from the data is that the majority of urban dwellers reside in single rooms with minimum of 4 and maximum of 8 members. The data can be understood clearly through graph which is below mentioned along with below table.

Size of dwellings density

Dwellings	Density size		
	With 4 to 6	With 6 to 8 members	With 8 to 10 members
Single room	180	62	-
Double room	21	27	5
Three room	1	2	2
Total	202	91	7

Ration card status - The below data table represents the ration card status of surveyed households and the table reveals that 64.66% having BPL card, 3% having labour cards but the table also indicates that 32.33% didn't have any card. ABPL and labour card allow the urban poor people to buy some items like rice, wheat etc at cheap rates from

government store. Some issues highlighted by the people from both categories those who have BPL or labour cards and those who haven't BPL or Labour cards.

The comments they provide are as - Some people reported that the government provides subsidized staples such as wheat, sugar and kerosene but that many of the items we need to purchase are not available.

Those who haven't BPL cards stated that: they need to bribe government employees to get BPL card and those who should be enlisted in below the poverty line list are not included, and those who are affluent are enlisted.

When they were asked about the help of their leader regarding these issues, they reported that: their leader is interested in himself and not interested towards the people who choose him.

Respondents ration card status

Card status	Frequency	Percentage (%)
BPL	194	64.66%
No card	97	32.33%
Labor card	9	3%
Total	300	100%

Ration store - The table below indicates that a majority 67.66% of respondents get ratio from government store at very cheap rates. And another 32.33% of respondents take ration from private retailers at high costs. It was observed that the respondents who have BPL or labour cards were found living in a good condition against those who having no BPL or Labour Cards.

Type of ration store

Store	Frequency	Percentage (%)
Govt. store	203	67.66%
Pvt. Store	97	32.33%
Total	300	100

Main household assets owned - The table below reveals that the urban poor people were found having low cost household assets because they generally can't afford costly items in their households due to their low level of income. The urban poor have only the main common assets in their households as shown in the below table. The table indicates that there are only few costly things visible in table. It was found that in some cases that some households have some costly items available in their households like sofa, color TV, chairs, and cooler and so on but when they were interviewed they reported that they get these things from their wives parents as gifts (dowry).

A small proportion of households was also found with some higher earning and has some costly items like refrigerator, washing machine, and cupboard and so on. the data table also indicates there are some earning assets like sewing machine, auto and this was seen that auto were used as an economic assets but sewing machines in most of the cases were not found in use as an economic asset

but using for home purposes as sewing clothes of households members and turn torn clothes in good condition. These machines were found mostly run by women.

Amenities	Frequency
TV	197
Mobile	267
Electrical fan	175
Cooler	148
Bed	171
Sofa	3
Cycle	93
Two wheeler	56
Sewing machine	11
Refrigerator	2
Washing machine	1
Auto	2
Cupboard	12
Radio	6
Chair	102

Respondent's main household amenities - Conclusion

The main purpose of this study was to see the problems that are connected with the residential patterns of slums. As the study has seen that the people who live in study area slum is having many problems such as poor housing and improper roof structure, dwellings density due to lack of space, congested roads, overcrowding, lack of water, bathroom and toilet facilities, problems related to ration and fuels for cooking, filthy drainage system, lack of proper sanitation and land tenure security. The study is indicating that the government and other organizations like NGOs etc. are lacking their attention towards the slum people. Now if we want to take our society forward in any developmental manner, then we should take care and pay full attention to the problems of these poor slum people and change things and situations for better.

References :-

1. Agnihotri, P. (1994), 'Poverty Amidst Prosperity: Survey Of Slums', MD Publications Private Ltd, New Delhi.
2. Alam S.M. (1965), 'A Study In Urban Geography', Allied Publishers, Bombay.
3. Bajpa, S.R : (1947) Methods of social survey and social research: Kanppur, Kitab Mahal.
4. Desai, A.R. and Pillai, S.D. (1972) Profile of an Indian slum, Bombay: University of Bombay. 6. Elhance, D.N; Elhance Veena; Aggarwal, M.B. (1957), 'Fundamentals Of Statistics', Kitab Mahal Publication, Allahabad.
5. Jains, C.B. & Lavaina. (1996), 'Survey Methods An Social Investigation', Research, Sage Publication, New Delhi.
6. Wiebe, P.D.(1975) Social life in an Indian slum, new Delhi: Vikas.

महामति प्राणनाथ व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की सामाजिक मान्यताओं का एक अध्ययन (महामति प्राणनाथ व प्रणामी संप्रदाय के विशेष संदर्भ में)

डॉ. शैलजा दुबे * सुयश दुबे **

प्रस्तावना – महामति प्राणनाथ व महात्मा गाँधी दोनों युग पुरुषों का जन्म गुजरात की पावन भूमि में हुआ। दोनों ही राजघराने से संबंध रखते थे। राजनीति का या चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो दोनों के परिवारों में कई समानताएँ थीं। दोनों वैष्णव परम्परा में पले बड़े। दोनों की ही माताएँ धार्मिक गतिविधियों वाली व श्री कृष्ण की अनन्य उपासिकाएँ थीं।

यदि पारिवारिक पृष्ठ भूमि की बात की जाएँ तो दोनों में बहुत समानताएँ थीं 12 वर्ष की आयु में महामति जी ने सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी से दीक्षा ली। गाँधी जी ने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में निरन्तर विस्तार किया। महामति जी धर्मप्रचार के लिए विदेश गए तो गाँधी जी उच्च कानूनी अध्ययन के लिए। दोनों ने ही समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य किया। समाज व देश में जात - 'पात, ऊँच नीच, धर्म, वर्ण वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधारों पर वैचारिक व व्यवहारिक मतभेद था दोनों ने ही समन्वय व सद्भाव की बात कही। मनुष्यों के बीच में पैदा हो रही दूरियों को हटाने का प्रयास किया। दोनों के रास्ते भले ही अलग हो, पर लक्ष्य एक ही था समाज कल्याण।

महामति प्राणनाथ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय – ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर परमसत्य के साक्षात् स्वरूप में प्रतिष्ठित युग दृष्टा थे। उन्होंने इस संसार के सृजन से ही व्यास बुराईयों व पीड़ित व्यवस्था से दुःखी होकर धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु मनुष्य ने अपने बुद्धि व विवेक से धर्म को उसी रूप में डालने का प्रयास किया जैसा वे चाहते थे किंतु इन सबसे धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को खोता गया। सभी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, व ईसाई धर्मों को सुख व शांति के रूप में बांधना चाहते थे। किंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक ज्ञान के कारण धर्मों के अलग ही मायने निर्धारित किए। सभी अपने-अपने धर्मों को श्रेयस्कर बताने की होड़ में लग गए। इस कारण धर्म का वास्तविक स्वरूप खोता जा रहा था। क्योंकि कोई भी धर्म अपने आप को श्रेष्ठ व दूसरे धर्मों का अपमान करने की बात नहीं करता है। यह तो मनुष्य की पीड़ित मानसिक दशा को प्रदर्शित करता है। सभी धर्मों की प्रायः एक ही परिभाषा है – मानव व समाज सेवा, सुख व शांति।

महामति प्राणनाथ जी का जन्म 6 अक्टूबर 1618 को जामनगर गुजरात में हुआ था उनका असली नाम मेहराज ठाकुर था। इनके पिता श्री केशव ठाकुर जामनगर राज्य के प्रधान आमत्य थे। इनकी माता श्रीमति धनबाई श्री कृष्ण भक्ति भावना की प्रत्यक्ष मूर्ति थीं।

केशव ठाकुर पिता कहयित् माता बाई धन।

श्री इन्द्रावती की वासना सौंपा धन तन मन'।।'

इनके तीन अग्रज क्रमशः हरवंश ठाकुर, शामिलिया ठाकुर, गोवर्धन

ठाकुर व एक कनिष्ठ भ्राता उद्धव ठाकुर थे। 1678 में ये कुंभ मेले में भाग लेने हरिद्वार गए थे वहाँ अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के प्रमुखों से भेंट कर उनमें से हर एक के साथ विस्तृत विमर्श किया। समापन पर इन्हें सर्वसम्मति से 'विजयाभिनन्द बुद्धनिष्कलंक' के खिताब से सम्मानित किया गया।

1739 बसंत पंचमी को छत्रसाल जी के आमंत्रण पर ये अपने सुन्दरसाथ साथियों को लेकर पन्ना गए। पन्ना में महाराजा छत्रसाल जी से ऐतिहासिक भेंट हुई। महाराजा छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के समर्पित शिष्य थे। छत्रसाल बुंदेलखंड में औरंगजेब के अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ना चाहते थे। किंतु उनके पास सेना व शस्त्रागार के निर्माण के लिए धन नहीं था उन्होंने प्राणनाथ जी से सहायता माँगी। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया कि कल सुबह आप अपने घोड़े में सवार होकर जितनी भी धरती का चक्कर लगाओगे वह हीरे से भरी हुई होगी। इसके बाद महामति जी ने विश्व शांति जागनी का धर्मध्वज पन्ना में लहराया। आज भी इसे मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है। यह धाम आज श्री श्रद्धा व आस्था का प्रतीक है।

29 जनवरी 1694 वि. सं. 1751 श्रावणवदी तृतीया शुक्रवार को प्रातः 5 बजे के समय प्राणनाथ जी अन्तर्धान हो गए 75 वर्ष 9 माह व 20 दिन तक संसार का खेल खेला और फिर परमधाम लौट गए।

**'अन्तर्धान समो सही भयो, आई तेहि वेरा
शुक्र वार तेहि भयोः, सेवा में भई देरा।।'**

सामाजिक मान्यताओं की तुलना – महामति प्राणनाथ और महात्मा गाँधी दोनों तत्कालीन सामाजिक दशा और दिशा से भली भाँति परिचित थे। दोनों भारतीय समाज को बेहतर एवं आदर्श व्यवस्था से युक्त देखना चाहते थे। महामति प्राणनाथ सुन्दरसाथ समाज की रचना कर आदर्श समाज की कल्पना को साकार करना चाहते थे वही महात्मा गांधी ने भारत में रामराज्य की परिकल्पना की थी

महामति प्राणनाथ ने तत्कालीन समाज में व्याप्त प्रथाओं और बुराईयों को नजदीकी से देखा था। उनका मन व्यथित होता था जब वे ये देखते थे, कि समाज वर्ण वर्ग, जाति, उपजाति, छुआ-छूत, अमीर - गरीब जैसे अनेक कुचक्रों में फंसा है। महामति ने स्वीकार किया कि संसार का स्वामी एक है तो आपस में झगड़ा करना व्यर्थ है। वे सन्ध में कहते हैं-

'जुदे जुदे नामे गवाही, जुदे जुदे भेष अनेका

जिन कोई झगड़ों आप में, धती सबो का एक।।'

अर्थात्- संसार के लोग अलग-अलग नामों से परब्रह्म की उपासना करते हैं। उन्होंने अलग-अलग भेष सम्प्रदाय बना लिए हैं। स्वामी तो सबका एक ही है इसलिए परस्पर लड़ने झगड़ने जैसी कोई बात की नहीं है। महामति

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र एवं समाज कार्य) उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल(म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (समाजशास्त्र एवं समाज कार्य) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल(म.प्र.) भारत

यखुलासा में कहते हैं-

**'लड़ फिर के जुड़े हुए, हिन्दू- मुसलमान।
और खलक केती कहुँ, सब में लड़े गुमान ॥'**⁴

अर्थात् हिन्दु और मुसलमान दोनों नाम भेष के कारण अलग-अलग परम्परा बनाकर लड़ने लगे हैं और भी ऐसे ही गुटों में लोग बंटे हैं। अहंकार उन्हें परस्पर लड़वा रहा है।

महामति प्राणनाथ ने कहा ब्राम्हण और मुसलमान दोनों ही अहंकार के कारण अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। महामति की वाणी में -

**'ब्राम्हण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक।
दोऊ मुट्टी एक ठोर की, इक राख दूजी खाका ॥'**⁵

अर्थात् ब्राम्हण कहते हैं, हम उत्तम हैं, और मुसलमान कहते हैं, हम पाक हैं। वास्तव में दोनों का अस्तित्व एक ही स्थान की मुट्टी भर मिट्टी से अधिक नहीं है हिन्दू शरीर जलाकर राख हो जायेगा और मुस्लिम मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जायेगा। महामति बार-बार यही समझाते हैं-

**'खसम एक सवन का, नाही दूसरा कोया।
ए विचार तो करें जो, आय साँचे होय ॥'**⁶

अर्थात् सबका मालिक एक है, हमें केवल सच्चे जन ही जानते हैं। महात्मा गांधी भी यह मानते थे, कि 'परमात्मा की व्याख्यायें अलग हैं, क्योंकि उनकी विभूतियाँ भी अनगिनत हैं' वस्तुतः 'परमात्मा एक है वे कहते हैं, कि 'ईश्वर को हम शिव परमात्मा ईश्वर, विष्णु, अल्लाह दादाहरमुज्दा, जहेवा, गोड आदि विभिन्न नामों से जानते हैं जब परमात्मा एक ही है, तो आपस में झगडा क्यों? महामति प्राणनाथ हिन्दु और मुसलमान एकता के समर्थक रहे। वे कहते हैं -

**'खाए पिए सब मिलके, बंदगी एक खसम।
छोड़ गुमान सब मिलसी, ए जो सकल जहाना ॥'**⁷

अर्थात्, सभी अहंकार छोड़कर आपस में मिलकर रहे और एक परमात्मा की बंदगी करे सभी जात पात और तीर तरीके एक जैसे होंगे और अनन्य भाव से ब्रह्म के गीत गाएँगे।

महामति प्राणनाथ और महात्मा गांधी जी दोनों धर्म के विशुद्ध स्वरूप को स्वीकार कर सभी धर्मों में एकरूपता का दर्शन करते हैं। दोनों ही धर्माचरण में व्यावृत्त अंधविश्वास एवं कर्मकाण्डों के घोर विरोधी रहे।

दोनों धार्मिक क्षेत्र की तरह सामाजिक क्षेत्र में व्यावृत्त जात-पात और ऊँच-नीच की असमाजिक भावनाओं के घोर विरोधी थे। विमला मेहता के अनुसार 'महामति ने अंधविश्वास और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। चमत्कारों और करामातों के प्रदर्शनकारी लाभानन्द जैसे व्यक्तियों से सीधी टक्कर ली। जात-पात, ऊँच-नीच का भेदभाव फैलाने वाले तथा कथित ब्राम्हण या उच्च वर्ग के लोगो से शुद्ध चित्त वाले अछूत और चण्डाल को श्रेष्ठ बताया। मनुष्य की परख के लिए आत्मा का विवेक और मन की स्वच्छता को मापदंड दिया।'⁸

महामति ने कुलजनस्वरूप में स्पष्ट किया है-

**'उदर कुटुम्ब करने, उतमाई दिखाने अंग।
व्याकरण वाद विवाद के, अर्थ करे कई रंग।
अब कहो काके हुए, अंग लागे होता।
अधम तम विप्र अगे, चंडल अंग उदयोता ॥'**⁹

अर्थात् कर्मकाण्डी ब्राम्हण अपने पेट और कुटुम्ब के पोषण के लिए उत्तम आचरण का दिखावा करते हैं। व्याकरण और शास्त्र ग्रंथों के नानाप्रकार के अर्थ बताकर ज्ञानी होने का दम भरते हैं। अब आप ही बताइये कि किससे

छूत लगनी चाहिए। अवश्य ही ब्रह्मभेषधारी विप्र का शरीर अधम है और प्रभु प्रेमी चंडाल का शरीर तेजोमय है।

अस्पृश्यता निवारण - गांधी जी विचारों के महासागर हैं उन्होंने श्रेष्ठ विचारों में एक विचार अस्पृश्यता निवारण का है। वे मंगल प्रभात में अस्पृश्यता निवारण को दार्शनिक आधार देते हुए कहते हैं कि अस्पृश्यता यानि छुआछुता यह चीज जहाँ तहाँ धर्म के नाम या बहाने में विधन डालती है और धर्म को कलुषित करती है यदि आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है तो अछूत कोई नहीं है। मैं कभी भी अस्पृश्यता को मानने के लिए अपने मन को कभी तैयार नहीं कर सका। मैंने उसे हमेशा हिंदू धर्म पर कलंक माना।¹⁰

गांधी जी अस्पृश्यता निवारण को विश्व की एकता के लिए एक पवित्र साधन मानते थे वे मानते थे अस्पृश्यता सत्य व मानवीय संबंध के विरुद्ध ही गांधीजी ने स्पष्ट किया है, कि सर्वों को अपने हृदय बदलने चाहिए और सच्चाई के साथ यह महसूस करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को नीचा समझना मानवीय सम्मान के विरुद्ध है।¹¹

इसी संदर्भ में महामति जी कहते हैं -

**'भेष भाषा जाते जुदियां, न तो सोई दय सोई देह
खेच खेच कर हुकमे, खेल बनाया एहा ॥'**¹²

जातियां व सम्प्रदाय अलग-अलग हैं किन्तु सभी में एक ही प्राण है। एक जैसी देह है एक ही परमात्मा है।

वर्तमान समाज को महामति का योगदान - आज से चार सौ साल पूर्व भी समाज में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। समाज अनेक दुराग्रहों से ग्रसित था। वास्तविकता को त्याग बाह्याडंबर को ही लोग साधना-पथ समझने लगे थे। मत-मतांतर में आपसी कलह, ऊँच-नीच का उन्माद, नारी शक्ति का अपमान, समाज में आपस में सौहाद्र का नितांत अभाव आदि अनेक विकारों से समाज ग्रसित था।

यद्यपि कबीर, रैदास, दादू, नानक, तुलसी, सूरदास आदि महापुरुषों ने उक्त समाज में समरसता लाने का भरसक प्रयास किया था। वे महापुरुष अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल भी रहे थे तथापि अपने उद्गम स्थल से अति तीव्रगति के साथ प्रवाहित होने वाली गंगा की पावन धारा का आगे बढ़ने के साथ-साथ गति में मंथरता एवं जल में मलिनता का आना स्वाभाविक है। उसी भाँति उक्त संतों के द्वारा प्रवाहित त्रिवेणी का प्रवाह कालगति से स्वतः मंद हो चला था। उसे पुनः गति प्रदान कर नूतन रूप में लाने के लिए फिर किसी भगीरथ की आवश्यकता थी सो साक्षात् अक्षरतीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही महामति प्राणनाथ के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उनका उद्देश्य त्रितापों से संतप्त विश्व को सुख शीतलता प्रदान करना तथा दिक्-भ्रमित समाज का दिशा-निर्देशन करना था।¹³

महामति जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों पर जोरदार प्रहार किया और वे अपने इस कार्य से बहुत हद तक सफल रहे क्योंकि उन्होंने किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी। समाज सेवा व प्राणी मात्र की रक्षा उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने कार्य किया।

निष्कर्ष - महामति प्राणनाथ व महात्मा गांधी दोनों ही युग पुरुषों ने आदर्श व उत्तम समाज के लिए सदैव प्रयास किया। जहाँ महामति जी ने अस्पृश्यता ऊँच-नीच, गरीब-अमीर के भेद को धार्मिक दृष्टि से दूर करने का प्रयास किया। वहीं महात्मा गांधी ने इनके लिए सामाजिक प्रयास कि इन्हें हरिजन कहां अर्थात् 'ईश्वर के वंदे' इनके अलावा संवैधानिक व कानूनी प्रक्रिया द्वारा अस्पृश्यता निवारण का प्रयास किया। दोनों युग पुरुषों द्वारा समाज उत्थान के लिए व प्राणी जीवन बेहतर बनाने के लिए कार्य किए गए हैं वे

सदियों- सदियों तक याद किए जाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लालदास कृत, बीतक, प्रकरण -7, चौपाई 19
2. बृजभूषण, वृत्तान्त मुक्तावली, प्रकरण 34, चौपाई 37
3. सनंध, प्रकरण 41, चौपाई 72
4. खुलासा, प्रकरण 10, चौपाई 10
5. सनंध, प्रकरण 40, चौपाई 42
6. कलश हिन्दुस्तानी, प्रकरण 14, चौपाई 34
7. सनंध प्रकरण 36, चौपाई 19
8. मेहता विमला तारतम वाणी पृष्ठ 10
9. सनंध प्रकरण 12, चौपाई 22
10. गाँधी मोहनदास यंग इंडिया 06.01.1921
11. गाँधी मोहनदास हरिजन 02.03.1934
12. सनंध प्रकरण 38 , चौपाई 14
13. साहा रणजीत, जागनी श्री प्राणनाथ मिशन 2009

आधुनिक समय में संचार एवं संचार का महत्व

डॉ. आर. के. यादव *

प्रस्तावना – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना उसकी प्रकृति है। अपने भावों व विचारों का अदान-प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। ऐसा माना जा सकता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव हो गया होगा। जोकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गया। संचार किसी भी समाज के लिए अति आवश्यक है। जो स्थान शरीर के लिये भोजन का है, वही समाज व्यवस्था में संचार का है। मानव का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरी तरह से संचार-प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से सम्बद्ध रहता है, एक दूसरे को जनता है, समझता है तथा परिपक्व होता है। संचार को मानव सम्बन्धों की नींव कहा जा सकता है। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी परिवार, समूह, समुदाय तथा समाज में यदि मनुष्यों के बीच परस्पर वार्तालाप बन्द हो जाये तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी एवं मानसिक विकृतियाँ जन्म लेने लगेंगी।

1. **नियोजन एवं संचार** – नियोजन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है लक्ष्य की प्राप्ति कुशल नियोजन के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। संचार योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन दोनों के लिये अनिवार्य है। कुशल नियोजन हेतु अनेक प्रकार की आवश्यक एवं उपयोगी सूचनाओं, तथ्यों एवं आँकड़ों और कुशल क्रियान्वयन हेतु आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
2. **संगठन एवं संचार** – अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण एवं प्रत्यायोजन करना और कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना संगठन के क्षेत्र में आते हैं ये कार्य भी बिना संचार के असम्भव है। बर्नार्ड के शब्दों में 'संचार की एक सुनिश्चित प्रणाली की आवश्यकता संगठनकर्ता का प्रथम कार्य है।'
3. **अभिप्रेरण एवं संचार** – प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है, जिसके लिए संचार की आवश्यकता पड़ती है। ड्रकर के शब्दों में 'सूचनायें प्रबन्ध का एक विशेष अस्त्र हैं प्रबन्धक व्यक्तियों को हॉकने का कार्य नहीं करता वरन वह उनको अभिप्रेरित, निर्देशित और संगठित करता है। ये सभी कार्य करने हेतु मौखिक अथवा लिखित शब्द अथवा अंकों की भाषा ही उसका एकमात्र औजार होती है।'
4. **समन्वय एवं संचार** – समन्वय एक समूह द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने हेतु आवश्यक होता है। न्यूमैन के अनुसार 'अच्छा संचार समन्वय में सहायक होता है।' कुशिंग नाइलस लिखती है कि समन्वय हेतु अच्छा संचार अनिवार्यता है। बर्नार्ड के शब्दों में 'संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को एक समान-उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जा सकता

है।

5. **नियन्त्रण एवं संचार** – नियन्त्रण द्वारा कुशल प्रबंधन यह जानने प्रयास करता है कि कार्य पूर्व निश्चित योजनानुसार हो रहा है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त वह त्रुटियों एवं विचलनों को ज्ञात कर यथाशीघ्र ठीक करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करता है। ये सभी कार्य बिना कुशल संचार प्रणाली के सम्भव नहीं होता है।
6. **निर्णयन एवं संचार** – सही निर्णयन लेने हेतु प्रबंधकों को सही समय पर सही एवं पर्याप्त सूचनाओं, तथ्यों एवं आँकड़ों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह कार्य भी बिना प्रभावी संचार प्रणाली के सम्भव नहीं होता है।
7. **प्रभावशीलता** – प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करने के लिये जरूरी है कि स्टाफ के सदस्यों के बीच विचारों एवं मुक्त आदान-प्रदान बना रहे है। किसी संगठन की प्रभावशीलता इसी बात पर निर्भर होती है कि वहां के कर्मचारी आपस में विचारों को कितना आदान-प्रदान करते हैं और वे एक दूसरे की बात कितनी समझते हैं
8. **न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन** – समस्त विवेकशील प्रबंधकों का लक्ष्य अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन करना होता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि संगठन में मतभेद न हो, परस्पर सद्भाव हो, जिसमें संचार बहुत सहायक सिद्ध हुआ है।

संचार के ढंग –

वर्तमान समय में संचार की अनेक ढंगों का उपयोग किया जा रहा है जो कि निम्नवत् है :-

1. **ज्ञापन** – ज्ञापन विधि का प्रयोग अधिकतर आन्तरिक संचार के लिये किया जाता है जहाँ पर सदस्यों तथा सदस्यों से सम्बन्धित फर्म के मध्य संक्षिप्त रूप में सूचना का अदान-प्रदान होता है।
2. **पत्र** – वाहय संचार के अधिकतर पत्रों के माध्यमों से सूचना अथवा सन्देश का आदान-प्रदान किया जाता है। यथा-आदेश, व्यापार से सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि।
3. **फैक्स** – फैक्स भी संचार की विधि है जिसके द्वारा त्वरित संन्देश प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है।
4. **ई-मेल** – सूचनाओं को हस्तांतरित करके के लिये ई-मेल के द्वारा त्वरित एवं सुविधाजनक रूप में सन्देश को प्रेषित किया जाता है।
5. **सूचना** – सूचना भी संचार की एक प्रविधि है। उदाहरण के लिये किसी संगठन में कर्मचारियों को उनसे सम्बन्धित रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नियम, कानून तथा कल्याणकारी सुविधायें सूचनाओं द्वारा प्रदान की जाती है।

6. **सारांश** –सारांश प्रविधिका प्रयोग संचार के लिये अधिकतर मीटिंग में किया गया जाता है।
7. **प्रतिवेदन** –प्रतिवेदन भी संचार की एक प्रविधि है यथा वित्तीय प्रतिवेदन, समितियों की सिफारिशें, प्रौद्योगिकी प्रतिवेदन इत्यादि।
8. **दूरभाष** –मौखिक संचार के लिये दूरभाष का प्रयोग किया जाता है। दूरभाष प्रविधि का प्रयोग वहाँ पर अधिक किया जाता है जहाँ पर आमने-सामने सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है।
9. **साक्षात्कार** –साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग कर्मचारियों के चयन उनकी प्रोन्नति तथा व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिये किया जाता है।
10. **रेडियो** –एक निश्चित आवृत्ति पर रेडियो के द्वारा संचार को प्रेषित किया जाता है।
11. **टी.वी.** –टी.वी. का भी प्रयोग संचार के लिये किया जाता है जिसे एक उचित नेटवर्क के द्वारा देखा व सुना जाता है।
12. **वीडियो कान्फ्रेंसिंग** –वर्तमान समय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें फोन के तार के द्वारा वीडियो के साथ आवाज को सुना जा सकता है। इसके अतिरिक्त योजना, चित्र, नक्शा, चार्ट, ग्राफ आदि ऐसे ढंग हैं जिससे संचार को प्रेषित किया जाता है।

संचार-प्रक्रिया -

1. **स्रोत/प्रेषक** –संचार प्रक्रिया की शुरुआत एक विशेष स्रोत से होता है जहाँ से सूचनार्थ कुछ बातें कही जाती हैं। स्रोत से सूचना की उत्पत्ति होती है और स्रोत एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। इसी को संप्रेषक कहा जाता है।
2. **सन्देश** – प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सूचना सन्देश है। सन्देश से तात्पर्य उस उद्दीपन से होता है जिसे स्रोत या संप्रेषक दूसरे व्यक्ति अर्थात् सूचना प्राप्तकर्ता को देता है। प्रायः सन्देश लिखित या मौखिक शब्दों के माध्यम से अन्तरित होता है। परन्तु अन्य सन्देश कुछ अशाब्दिक संकेत जैसे हाव-भाव, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक भाषा आदि के माध्यम से भी दिया जाता है।
3. **कूट संकेतन** –कूट संकेतन संचार प्रक्रिया की तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें दी गयी सूचनाओं को समझने योग्य संकेत में बदला जाता है। कूट संकेतन की प्रक्रिया सरल भी हो सकती है तथा जटिल भी। घर में नौकर को चाय बनाने की आज्ञा देना एक सरल कूट संकेतन का उदाहरण है लेकिन मूली खाकर उसके स्वाद के विषय में बतलाना एक कठिन कूट संकेतन का उदाहरण है क्योंकि इस परिस्थिति में संभव है कि व्यक्ति (स्रोत) अपने भाव को उपयुक्त शब्दों में बदलने में असमर्थ पाता है।
4. **माध्यम** – माध्यम संचार प्रक्रिया का चौथा तत्व है। माध्यम से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा सूचनार्थ स्रोत से निकलकर प्राप्तकर्ता तक पहुँचती है। आमने सामने का विनियम संचार प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक माध्यम है। परन्तु इसके अलावा संचार के अन्य माध्यम जिन्हें जन माध्यम भी कहा जाता है, भी हैं। इनमें दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, समाचार पत्र, मैगजीन आदि प्रमुख हैं।
5. **प्राप्तकर्ता** – प्राप्तकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जो सन्देश को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में स्रोत से निकलने वाले सूचना को जो व्यक्ति ग्रहण करता है, उसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है। प्राप्तकर्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सन्देश का सही-सही अर्थ ज्ञात करके उसके अनुरूप कार्य करे।
6. **अर्थ परिवर्तन** –अर्थ परिवर्तन संचार प्रक्रिया का छठा महत्वपूर्ण पहलू

है। अर्थ परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना में व्याप्त संकेतों के अर्थ की व्याख्या प्राप्तकर्ता द्वारा की जाती है। अधिकतर परिस्थिति में संकेतों का साधारण ढंग से व्याख्या करके प्राप्तकर्ता अर्थ परिवर्तन कर लेता है परन्तु कुछ परिस्थिति में जहाँ संकेत का सीधे-सीधे अर्थ लगाना कठिन है। अर्थ परिवर्तन एक जटिल एवं कठिन कार्य होता है।

7. **प्रतिपुष्टि** –संचार का सातवाँ तत्व है। प्रतिपुष्टि एक तरह की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता की ओर से स्रोत या संप्रेषक को प्राप्त स्रोत है। जब स्रोत को प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि परिणाम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह अपने द्वारा संचरित सूचना के महत्व या प्रभावशीलता को समझ पाता है। प्रतिपुष्टि के ही आधार पर स्रोत यह भी निर्णय कर पाता है कि क्या उसके द्वारा दी गयी सूचना में किसी प्रकार का परिमार्जन की जरूरत है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल द्विदिगी संचार में प्रतिपुष्टि तत्व पाया जाता है।
8. **आवाज** – संचार प्रक्रिया में आवाज भी एक तत्व है यहाँ आवाज से तात्पर्य उन बाधाओं से होता है जिसके कारण स्रोत द्वारा दी गयी सूचना को प्राप्तकर्ता ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है या प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदत्ता पुनर्निवेशित सूचना के स्रोत ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है। अक्सर देखा गया है कि स्रोत द्वारा दी गई सूचना को व्यक्ति या प्राप्तकर्ता अनावश्यक शोरगुल या अन्य कारणों से ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है। इससे संचार की प्रभावशाली कम हो जाती है।

संचार एक सांस्कृतिक उत्पादक के रूप में – संचार एक सुनियोजित प्रक्रिया है। इसके निमित्त सूझ-बूझ से परिपूर्ण पूर्व नियोजित कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। संचारक या प्रेषक इस प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु होता है। संचार को प्रारम्भ करने से पूर्व कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं जो संचार को प्रभावी बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक बंधनों और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, विश्वास के दायरे में बंधा रहता है सब उसके जीवन में आदत का रूप धारण कर लेते हैं। संचारक का यह कर्तव्य होता है कि जब कोई सन्देश प्रेषित करे तो व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों का किसी प्रकार से हनन न हो। सन्देशों में सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति अनुरूपता होनी चाहिये। किसी भी सांस्कृतिक मान्यता को स्पष्ट रूप से गलत या बुरा कहना संचार प्रक्रिया में बाधक हो सकता है। इनमें यदि परिवर्तन लाना हो तो परोक्ष तरीकों को अपनाया जाना चाहिये। संस्कृति ही एक ऐसा माध्यम होती है जो हमें नैतिकता का ज्ञान कराती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य मूल्यवान होता है। सांस्कृतिक अवमूल्यन की स्थिति में हस्तांतरण की प्रक्रिया अवरूद्ध हो जाती है। सांस्कृतिक हस्तांतरण के लिये एक उपयुक्त भाषा की आवश्यकता होती है। वाचक अथवा लिखित प्रारूप के द्वारा संस्कृति निरन्तर आगे बढ़ती है। जिसके लिए एक उचित संचार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। संचारक द्वारा प्रेषित किया जाने वाला सन्देश जन सामान्य अथवा समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है अतः ऐसा प्रयास होना चाहिये कि जिससे सांस्कृतिक मान्यतार्ये एवं विश्वास प्रभावित न हों। संचार सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। संचार प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों, ज्ञान, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं का प्रभावकारी आदान-प्रदान है। संचार में निहित संवाद का प्रभावकारी और अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। प्रेषक जिस भावार्थ के साथ सन्देश प्रेषित किया जाता है ग्रहणकर्ता द्वारा उस शब्द को उसी भावार्थ के साथ ग्रहण किये

जाने पर संचार सफल होता है। लोग संचार के माध्यम से दूसरों के विचारों, मान्यताओं और व्यवहार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। पारस्परिक प्रक्रियाएँ लोगों को एक-दूसरे को समीप लाती है तथा एक दूसरे को समझने में सहायता प्रदान करती है। मानवीय संबंधों, मानवीय मूल्यों, मानवीय विश्वासों को सुरक्षा प्रदान करने तथा संस्थापित करने में संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार सामाजिक सम्बन्धों, मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं तथा संस्कृति के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार संचार जीवन के साथ प्रारंभ होता है तथा जीवन की समाप्ति के साथ समाप्त होता जाता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में

तथा उसे यथोचित स्थान दिलाने में जो स्थान संस्कृति का है वहीं स्थान संचार का है। सच माना जाए तो सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव एवं विकास वास्तव में संचार का उद्भव एवं विकास है। हमारी सामाजिक मान्यताएँ, आस्था एवं विश्वास, रीति-रिवाज जैसी धरोहरें संचार के माध्यम से ही निरन्तरता बनाये हुए हैं। तात्पर्य यह है कि संचार में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए मनुष्य को संचार का आधार प्राप्त है और संचार के अभाव में मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

म.प्र. के झाबुआ जिले की जनजातियों में प्रवास की समस्या एवं समाधान एक अध्ययन

नरसु परमार *

प्रस्तावना – प्रागैतिहासिक काल से ही मानव वर्गों का प्रवास होता रहा है। मानव प्रजातियाँ आदिकाल में भी समय-समय पर अपने क्षेत्र से बाहर प्रवास करती रही थी। यह प्रवास जलवायु परिवर्तनों के कारण होते रहे हैं। मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए घूमता-फिरता रहा है, परंतु आज के समय उसके स्थान परिवर्तन के कारण माध्यम तथा दिशा, आकार और उद्देश्य आदि बदल गये हैं और उनके प्रवासित होने के बहुत परिवर्तन हो गये हैं।

झाबुआ के हर गाँव से 40 से 50 प्रतिशत परिवार पूरे के पूरे प्रवासित हो जाते हैं, उन्होंने प्रवास के लिये भी कर्ज लिया है, बुजुर्गों की आँखों में आंसू आ जाते हैं यह कहते हुये कि इस बार तो ये सब दशहरे – दीपावली पर भी घर न आ पायेंगे! पिछले 10-12 सालों से प्रवास करने लगे हैं। पहले ये लोग केवल एक सवा महीने के लिये जाते थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग जून-जुलाई से प्रवासित होकर मार्च-अप्रैल माह तक आते हैं। झाबुआ जिले से हर रोज हजारों जनजातियों का प्रवास होता है। **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

यह पलायन स्वेच्छा से किया गया प्रवास नहीं होता है बल्कि बद्दहाल परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिये किया जा रहा अनैच्छिक प्रवास होता है। झाबुआ बस स्टेशन, मेघनगर रेलवे स्टेशन एवं आस-पास के कस्बों से प्रायवेट बसों से प्रवास होता है, वे किसी भी परिस्थिति में यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें तत्काल काम की जरूरत है ताकि रोजी रोटी, इलाज और कर्ज के ब्याज के भुगतान की व्यवस्था की जा सके। आर्थिक असुरक्षा के कारण 'श्रम करने में सक्षम' लोग गाँव से चले जाते हैं और असक्षमों के नाम पर बुजुर्गों को छोड़ जाते हैं, भीगी आँखों से बच्चों की वापसी के इंतजार का सपना लिये हुये होते हैं। बद्दहाल परिस्थितियों में उन्हें अपने गाँव से रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर प्रवास करने लिये मजबूर कर दिया है। वे जानते हैं यह भी तय नहीं है कि जिस रोजगार की तलाश में वे जा रहे हैं वह भी वास्तव में हासिल होगा भी या नहीं। गाँव में ज्यादातर बूढ़े ही दिखाई देने लगे हैं क्योंकि जवान लोग तो जिन्दगी बचाने की तलाश में शहरों के चक्रव्यूह में जा चुके हैं।

गाँव का व्यक्ति यह कहता नहीं मिलता कि वह अपनी मर्जी से प्रवास करके जा रहा है, हर कोई यह कहता है कि यदि गाँव में रोजगार मिलता तो हम प्रवास नहीं करते, प्रवासित जीवन का मतलब है असुरक्षा और अपमान, प्रवास ने उनकी पहचान भी छिन ली है। प्रवास का निर्णय लेना बहुत आसान होता है! सवाल सीधा सा है, तो जवाब भी सीधा ही है-नहीं! यह जीवन की उतनी ही पीड़नायक प्रक्रिया है, जितनी शारीरिक पीड़ा प्रसव के दौरान के क्षणों में किसी औरत को होती होगी।

दूसरा यह कि जो युवा वर्ग है वह गाँव की परिस्थिति को विपत्ति के रूप में देखने लगा है। इसलिये वह महानगरों में रोजगार के लिये कोशिश

करता है, लेकिन महानगरों में कभी भी सुरक्षित आवास की सुविधा नहीं मिल पाती है। दूसरी ओर वहाँ के बिचौलियों द्वारा इनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है।

(उक्त चित्र में प्रवास के लिये बस को इंतजार करती हुई जनजातियाँ) **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन में किसी भी कार्य या अनुसंधान के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पी.वी.यंग महोदय ने उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 'सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर नियंत्रण प्राप्त करना है' चूँकि मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित जिला झाबुआ जनजाति बाहुल्य जिला है, यहाँ मुख्य रूप से जमीन, पहाड़ी तथा मृदा अपेक्षाकृत कम उत्पादक होता है। प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ के कारण प्राकृतिक संतुलन निरंतर गड़बड़ा रहा है। साल दर साल अनियमित होता जा रहा है, जहाँ पर इनके साथ जीवन का प्रारंभ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जन्म लेने लगी हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। शैक्षणिक स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है। इन जनजातियों के रहन-सहन व जीवन यापन का ढंग बहुत ही निम्न स्तर का है। शासन के द्वारा इसके लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, फिर भी ये योजनाएँ दिशा विहीन हैं तथा इन योजनाओं का लाभ जनजातियों के लोगों को वास्तविक रूप से उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है।

प्रस्तुत शोध में दक्षिणी-पश्चिमी मध्यप्रदेश के झाबुआ जिला के आदिवासियों द्वारा किया जा रहे प्रवास एवं उसके कारण उनके आर्थिक-सामाजिक जीवन में हो रहे परिवर्तनों, उनकी संस्कृति पर पड़ रहे प्रभाव तथा उनके कार्य कौशल एवं शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव एवं उन समस्याओं, घटनाओं का अध्ययन किया है जिस ओर सामान्य लोगों एवं शासन का ध्यान पूर्णतः नहीं जाता है। अतः इस अध्ययन द्वारा, प्रशासनिक योजनाएँ एवं कार्यक्रमों की खामियों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है। अतः उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मेरे शोध अध्ययन का उद्देश्य निम्न प्रकार है -

1. झाबुआ जिले में आदिवासियों के पूर्व की प्रवास स्थिति से वर्तमान प्रवास में हुआ बदलाव एवं उसकी प्रकृति और क्षेत्र का विश्लेषण एवं अध्ययन।
2. झाबुआ जिले की जनजातियों पर उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तन एवं उनकी संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

3. आदिवासी प्रवास की समस्याएँ एवं घटकों का अध्ययन।
4. प्रवास से आदिवासियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आने वाले बदलाव का अध्ययन।
5. आदिवासी प्रवास को रोकने में शासन द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का अध्ययन एवं मूल्यांकन। **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

जनजातियों के प्रवास की समस्या -

1. **भौगोलिक समस्या** - झाबुआ जिला म.प्र. के पश्चिमी भाग में स्थित आदिवासी जिला है। जहाँ पर अधिकतर आदिवासी भील जनजातियाँ निवासरत हैं। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही उबड़ खाबड़ एवं ढलानों वाला है एवं यहाँ की जनजातियाँ पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं। यहाँ की कृषि अधिकतर मौसमीय होती है जो कि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। जिसके कारण यहाँ की जनजातियों को अपने जीवन निर्वाह के लिये अनेक भौगोलिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है।
2. **सामाजिक समस्या** - झाबुआ जिले के आदिवासी जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्व एवं त्यौहार होते हैं। और अनेक प्रकार के रीति रिवाज होते हैं जो कि पुराने समय से चली आ रही परम्परायें हैं उन परम्पराओं एवं रीति रिवाजों से ये जनजातियाँ अपने सामाजिक रूढ़ियों से घिरी होने के कारण इनमें अनेक सामाजिक समस्याएँ पाई जाती हैं। जिसमें बाल विवाह, अंध विश्वास, पुरानी विचार धारा होने के कारण इन जनजातियों का मानसिक, सामाजिक, शारीरिक विकास एवं राजनैतिक विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण ये सामाजिक समस्याएँ से घिरे होने के कारण इनका अपना विकास नहीं हो पाया है और प्रवास को मजबूर हो रहे हैं।
3. **आर्थिक समस्या** - इन जनजातियों की मूल समस्याएँ इनकी आर्थिक गरीबी होना है, मैं भी यहाँ की मूल निवासी होकर इन जनजातियों का अंग होकर मैं भी यहाँ की स्थितियों से पूर्ण परिचित हूँ। यहाँ की जनजातियाँ लगभग 80 से 90 प्रतिशत गरीबी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं उनके पास अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साधन नहीं हैं। भूमियों का आकार भी बंटवारे के कारण छोटा होता जा रहा है। जिसमें इनके जीवन यापन के लिये भी उत्पादन नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में उनके पास प्रवास के सिवा और और रास्ता नजर नहीं आता है।
4. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य की समस्या** - झाबुआ की जनजातियों की मुख्य समस्या उनका अशिक्षित होना, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य की समस्या प्रमुख रूप से है क्योंकि ये जनजातियाँ साक्षर नहीं होने के कारण आधुनिक विचार धारा से बहुत दूर एवं पिछड़ी होने के कारण शिक्षा का महत्व भी नहीं समझती है। जनजातियों के निरक्षर होने के कारण इनको सरकारी योजनाओं एवं अन्य स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। हमेशा इनका शिक्षा के नाम पर शोषण किया गया है। आज भी झाबुआ जिले के गाँव की स्थितियाँ शिक्षा के मामले स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जनजातियों की प्रवास की प्रमुख समस्या है जिसके कारण प्रवासित होने को मजबूर है।
5. **आवास की समस्या** - झाबुआ जिले के आदिवासियों की जनजातियों में परिवारों का आकार बड़ा होने के कारण इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आवास की होती है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी झोपड़ियाँ बनी होती हैं जिसमें चार-पाँच परिवार एक साथ रहने को मजबूर होते

हैं। ऐसी स्थिति में ये जनजातियाँ आवास की समस्या के समाधान के लिये रोजगार की तलाश में अन्य शहरों की प्रवासित हो जाते हैं। जिससे परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाती है।

6. **कृषिगत समस्या** - झाबुआ जिले की जनजातियों के पास खेती के लिये जमीन नहीं के बराबर है, और परिवारों का आकार बड़ा होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में उनके सामने कृषिगत समस्या प्रमुख समस्या है, यदि बरसात समय पर नहीं हुई तो उससे भी आस टूट जाती है, जहाँ से उन्हें कम से कम खाने के अनाज पकने की उम्मीद थी। आज के समय में उनके पास जो जमीनों के टुकड़े हैं, वो भी उबड़ खाबड़, पत्थरली, असिंचित और बहुत छोटे-छोटे भूखण्ड हैं। जहाँ पर उनका जीवन यापन संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनके पास अन्य शहरों में रोजगार के प्रवास के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है।

जनजातियों के प्रवास की समस्याओं का समाधान -

1. रोजगार के साधनों का विकास सरकार को करना चाहिये ताकि जिले से इन जनजातियों को प्रवास होने से रोका जा सके और उनके जीवन को बेहतर बनाये जा सके। ऐसे प्रयास शासन, प्रशासन को करना चाहिये।
2. कृषि के लिये सिंचाई के लिये उचित साधनों का एवं नदी नालों पर छोटे एवं मध्यम आकार के बांधों का निर्माण करना चाहिये ताकि पानी की व्यवस्था हो सके, ज्यादा दिनों तक इन लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।
3. उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिये इस जिले में विशेष प्रयास करना चाहिये, उन्नत कृषि को बढ़ावा देने से कृषि को सिर्फ जीवन यापन ही नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में भी उपयोग कर उचित रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।
4. जिले में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का स्थापना करना चाहिये जिससे जनजाति समाज के जो लोग शिक्षित हो उन्हें ऐसी तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित होकर अपनी स्वयं का रोजगार स्थापित करने में सहयोग प्राप्त हो सके और उनके जीवन बेहतर बना सके।
5. जिले में आवागमन की सुविधाओं का विकास सरकार को करना चाहिये ताकि गाँव और शहर के बीच संपर्क या आने जाने में सुगमता प्राप्त हो सके, जिससे गाँव के लोग आवगमनों के साधनों का उपयोग कर शहर में रोजगार प्राप्त कर सके। ताकि उन्हें अन्य शहरों की ओर प्रवासित नहीं होना पड़े।
6. जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार को एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को विशेष प्रयास करना चाहिये, ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और शिक्षित होने से उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वयं रोजगार स्थापित करने में मानसिक रूप से तैयार कर सके।

निष्कर्ष - मेरा यह शोध कार्य झाबुआ जिले की जनजातियों की प्रवास की समस्या, तथा समाज में व्याप्त सभी बुराईयों को दूर कर, शिक्षा का स्तर सुधार कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर तथा शासन एवं प्रशासन की योजनाओं का लाभ लेकर वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। ताकि उनका प्रवास रुक सके। इस प्रकार मेरा यह शोध कार्य झाबुआ जिले की जनजातियों के लिये यह एक मौलिक प्रयास होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरीश केशरवानी - कुरुक्षेत्र, शहरों की ओर रुके प्रवास तो होगा

- गांव का विकास, प्रकाशन ग्राम विकास का समर्पित वर्ष 57, अंक 3, जनवरी 2010
2. आनन्द प्रकाश मिश्र प्रवास ग्रामीण निर्धनता, प्रकाशन रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली, 1999
 3. दिव्य वर्मा व जैनब अली योजना, प्रकाशन योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, वर्ष 55 अंक 6, जून 2011
 4. धनजी चौरसिय यूं रुकेगा ग्रामीणों का पलायन, प्रकाशन बदलते

गांव उभरता ।

5. सचिन कुमार जैन सम्पादक, मध्य प्रदेश पलायन के संदर्भ में विशेष अंक 2010
6. दैनिक समाचार पत्र पत्रिका, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, राजएक्स प्रेस और अन्य ।
7. इंटरनेट एवं अन्य मिडिया साईट से ।

काम की तलाश में जा रहे दूसरे राज्य

गांव के गांव हो रहे खाली, बच्चों को भी ले जा रहे साथ, स्कूलों में संख्या आधी हुई



पत्रिका न्यूज पंच
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इलाहाबाद: दीपावली पूर्व समाप्त होते ही जिले से बड़ी संख्या में ग्रामीणों का पलायन हो रहा है। जिले में रोजगार की सुविधा न होने से लोग अपने घरों को छोड़कर अपने परिवार के साथ अन्य राज्यों की ओर कूच कर रहे हैं। कई ग्रामीण अपने बच्चों को भी साथ ले जा रहे हैं। इससे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। कई विद्यालयों में तो नाममात्र के बच्चे बचे हैं। ग्राम विधानपुर प्राथमिक विद्यालय के करीब 20 से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता अपने साथ ले गए। ग्राम सेमरतिव बड़ा में भी करीब 25 बच्चे स्कूल छोड़कर अपने माता-पिता के साथ पलायन पर चले गए हैं। इमरवाड़ा, कुंडरवा, मुकेशपुर आदि क्षेत्रों में भी स्कूलों में बच्चों की संख्या नाममात्र रह गई है। शिक्षकों ने बताया कि इनसे बच्चों को गांव में छोड़ने को कहा तो उनका कहना है कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें। रोजगार पर



बस स्टैंड पर लंबी पलायन पर जाने वाले यात्रीों की भीड़।

अन्य राज्य जाने वाले रणपुर क्षेत्र के समेत, सीता, खजूरिया, रोसा ने बताया कि यहां बेकार बैठे हैं। यहां पर रोजगार की सुविधा नहीं है। गांव पर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। परिवार पालने कुछ ही करना पड़ेगा। बाहर जाने पर काम भी मिल जाता है और यहां मिलने वाली मजदूरी से कुछ अधिक मजदूरी मिल जाती है।

त्योहार मनाने के बाद ग्रामीणों का पलायन

इलाहाबाद: पत्रिका, दीपावली का त्योहार मनाने के लिए राब और लोग अब रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। दशोद जिले ने 25 अतिरिक्त बसें छोड़कर अपनी निर्धमित आय में इजाजत किया है। गुजरात पर दशोद जिला मंत्र व

राजस्थान की सरहद से लगता है। मंत्र का एक बड़ा हिस्सा इलाहाबाद, आलीराजपुर, राजमंडू तथा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुछ तहसीलों तथा दशोद जिले के लोग रोजी-रोटी के लिए जिले की हदपार करके जूनागढ़, गोंडल, राजकोट, अहमदाबाद एवं सुरत

जाते हैं। दीपावली मनाने के लिए गांव आने से परसटी दिनों के नियमित आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रकाशोत्सव मनाने के बाद भाईदूज के दिन से लौटना शुरू कर दिया है। एसटी दिने पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से दशोद दिने को नियमित बसें पुनः चले जा रही हैं।

(उक्त चित्र में प्रवास के लिये बस को इंतजार करती हुई जनजातियाँ)



पलायन रोकने में प्रशासन की रुचि नहीं...

गुजरात में मिलती है अधिक मजदूरी

पत्रिका साउंड रिपोर्ट

58 करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्रामीण गुजरात मजदूरी पर जाने की मजबूर

आलीराजपुर
gujarat.com

आलीराजपुर वांगमन में जिला मुख्यालय सहित जिलेभर के विकास खांड मुख्यालयों से प्रतिदिन सैकड़ों की ग्रामीण परिवारों को गुजरात पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी चिंतित हैं, लेकिन वे पलायन रोकने के प्रयास करते वक़्त यहाँ आ रहे हैं। इन दिनों क्षेत्र के अधिकारियों अपने-अपने दायित्वों को निभाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं।

बस का इंतज़ार करते वांगमन।

मजदूरी के लिए गुजरात जाती सड़क संकेत में खड़ी बसें।

जिले से गुजरात की यात्रा में गुजरात सहित अन्य राज्यों में जाने वाले अधिकतर मजदूर जहाँ मिलने-जुलने का प्रयास करते हैं। यहाँ की स्थिति के कारण ही ग्रामीणों को गुजरात जाने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है।

जिले में ग्रामीणों को लेकर अलग-अलग बैठकें हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भी बैठकें हैं। ग्रामीणों को गुजरात जाने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिले में पलायन रोकने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिले में पलायन रोकने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है।

जिले में ग्रामीण योजना से ग्रामीण 58 करोड़ 37 लाख खर्च की राशि खर्च हो चुकी है। 9 हजार कार्य चल रहे हैं। मजदूरी अधिकारियों के कारण ग्राम के ग्रामीणों को ग्रामीण मजदूर गुजरात की ओर पलायन कर रहे हैं। नमस्कार ग्रामीणों को ग्राम पंचायत की ओर

जिम्मेदार खुद मान रहे गुजरात में ज्यादा मजदूरी

जिले पंचायत के अध्यक्षों ने कहा है कि गुजरात में अधिक मजदूरी मिल रही है। इस कारण से ग्रामीण मजदूरों को गुजरात जाना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत में पलायन रोकने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिले में पलायन रोकने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है।

योजना से मोह भंग

गुजरात में ग्रामीणों के प्रतिदिन 500 लाख की तुलना में 500 लाख तक की मजदूरी हो रही है। इसके अलावा मजदूरों को लाने के लिए 12 लाख रुपये खर्च करे जा रहे हैं। इस कारण से ग्रामीण मजदूरों को गुजरात जाने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिले में पलायन रोकने के लिए बसों का इंतज़ार करना पड़ रहा है।

महिला शक्ति सम्पन्नीकरण अवरोधक घरेलू हिंसा

डॉ. गौहर हुजेफा खान *

प्रस्तावना - प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका जैमेन ग्रीर का मानना है 'पुरुष अगर आज बदला हुआ नजर आता है तो इसलिए नहीं कि वह नारीवादी रवैया अखितयार कर रहा है वस्तुतः वह आर्थिक दबावों के कारण उदार नजर आ रहा है।' और यह सच भी है कि महिलाओं को दिए गए शक्ति और अधिकार प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा वाशिंगटन स्थित संस्था इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च ऑन वुमैन (आई.सी. आर. डब्ल्यू) में उद्धाटित हुआ है कि भारत में 10 में से 6 पुरुषों ने कभी न कभी अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। यह प्रवृत्ति उन लोगों में अधिक है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 52 प्रतिशत महिलाओं ने भी स्वीकारा है उन्हें किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है इस तरह 38 प्रतिशत महिलाओं ने घसीटे जाने पिटाई, थप्पड़ मारे जाने और जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नों का सामना करने की बात स्वीकारी है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सतना जिले में महिला शक्ति सम्पन्नीकरण में अवरोधक तत्वों के विश्लेषण हेतु त्रिवर्षीय पुलिस क्राइम रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर तत्वों को समझने का प्रयास किया गया। (तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)

त्रिवर्षीय पुलिस क्राइम रिपोर्ट के आकड़ों में महिला उत्पीड़न कम हुआ है परन्तु महिलाओं पर निरन्तर होने वाला मानसिक शारीरिक उत्पीड़न यह सिद्ध करता है कि पितृ सत्तात्मक समाज महिलाओं के प्रति अमानवीय और असंवेदनशील रहा है। लिंगभेद बचपन से महिलाओं में आवाजहीन, आत्महीन, स्त्री विरोधी मूल्यों - रिवाजों परम्पराओं का अनुसरण करने के लिए अनुशासित करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार लिंग की समानता के बिना मानव विकास असम्भव है जब तक महिलाओं के विकास की प्रक्रिया से दूर रखा जायेगा तब तक विकास में विषमता बनी रहेगी घरेलू हिंसा से बचाव हेतु अधिनियम 2006 लागू होने के बाद भी महिलाएँ अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध मौन धारण कर लेती हैं क्योंकि उसे उन्हीं परिवार में जीवन यापन करता है।

उद्देश्य -

1. महिलाओं के साथ होने वाले अन्यायों के संबंध में परिवार द्वारा निर्वाह की जाने वाली महिलाओं का अध्ययन करना।
2. घरेलू हिंसा ने महिलाओं को जिन समस्याओं को जन्म दिया उसका अध्ययन करना।
3. घरेलू हिंसा के अन्य मूल कारण क्या है।
4. क्या पति - पत्नी घरेलू हिंसा में समान रूप से सलंग्न है।
5. महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्वों को समझना।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन में सतना जिले में निवासरत 30 महिलाओं का चयन देव - निदर्शन विधि द्वारा किया गया तथ्य संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किये गए।

घरेलू हिंसा के कारण

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन	15	50
2.	आदर्शवादी मूल्यों में गिरावट	06	20
3.	जीवन दर्शन में अंतर	03	10

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत महिलायें सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन घरेलू हिंसा का कारण मानती हैं जबकि 20 प्रतिशत आदर्शवादी मूल्यों के गिरावट तथा 10 प्रतिशत जीवन दर्शन में तथा शेष 10 प्रतिशत पृष्ठभूमि में अंतर को घरेलू हिंसा में प्रमुख कारण के रूप में मानती है।

तालिका 1.2

दहेज के कारण घरेलू हिंसा

क्र.	विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	30	100
2.	नहीं	-	-
	योग	30	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी उत्तरदायित्यों का मानना है कि दहेज प्रथा ने घरेलू हिंसा को जन्म दिया।

सतना शहर की उत्तरदायित्यों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्नांकित है -

1. महिलाओं में शिक्षा प्राप्ति के अधिकार में वृद्धि हुई है। महिलाओं की शिक्षा पर मां बाप व्यय करने में हिचकिचाते हैं। हालांकि शहरों में तो यह स्थिति सुधर रही है, परन्तु गांवों में अभी भी स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है।
2. उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि घर के भीतर होने वाले अत्याचारों के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह तरह की ज्यादतियों की शिकार महिलायें अपनी पीड़ा को किसी को बताती नहीं हैं।
3. महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के प्रदर्शित किये गये आंकड़े अपूर्ण क्योंकि नारी घर में प्राप्त होने वाली प्रताड़ना को बाहर उजागर करना उचित नहीं मानती हैं।
4. महिलाओं के द्वारा परिवार में हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक

निंदा आदि कारणों से बस कुछ शांत भाव से सहन कर लेती हैं।

5. अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण निर्धनता एवं बेरोजगारी है।
6. समाज में प्रचलित रीति, रिवाजों, मूल्यों विश्वासों एवं विचार धाराओं का भी महिला उत्पीड़न में योगदान रहा है।
7. भारतीय औसत के उत्पीड़न में सर्वाधिक सशक्त हाथ स्वयं औरत का भी है। सास, ननद, और भावज के रूप में उसकी भूमिका ने नारधम स्थितियां रची है।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है। कामगार औरतों का शोषण अतिरिक्त है।

घरेलू हिंसा को मात्र कानून बना देने से रोक पाना संभव नहीं है। वैसे भी इस क्षेत्र कार्य में पाया गया है कि एक भी पीड़ित महिला पुलिस का कानून की शरण में नहीं गई। इस संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण का अवलोकन कहता है कि मात्र 2 प्रतिशत हिंसा पीड़ित औरतों ने पुलिस से हस्तक्षेप हेतु मदद माँगी।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पीड़ित महिलाओं ने स्वयं घरेलू हिंसा और पति से पीटा जाना कोई बड़ी बात नहीं माना बल्कि यह कहकर टाल कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं तो आपस से टकराते हैं।

सुझाव - उक्त निष्कर्षों पर आधारित महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उन्हें घरेलू हिंसा से निजात दिलाने के लिए कारगर और सम्भावित सुझाव निम्न है।

1. संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाये।
2. आज शासन समाज और युवा वर्ग को एकजुट होकर सामने आना चाहिए। शासन के द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
3. महिलाओं को सशक्त बनाने में शासन की नीति को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
4. महिलाओं को व्यवसायीकरण को सुप्रवाही बनाना चाहिए ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके।
5. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
6. कमजोर वर्ग की महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष उपाय किये जाये।
7. महिलाओं की स्वतंत्र और रचनात्मक छवि को उजागर करने के लिए शैक्षणिक और गैर सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाये।
8. महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार की स्थितियों को सुधारा जाये और उनमें जरूरी परिवर्तन किये जायें।
9. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाये।
10. महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उचित शासकीय व्यवस्थाएँ एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
11. पारिवारिक हिंसा के विरुद्ध परिवार तथा समाज एक साथ प्रयासरत हो।
12. महिला संगठन, मानव अधिकार आयोग व अन्य संस्थाओं में समन्वय।
13. पुरुष मानसिकता को बदलने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन

किया जाये।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस हस्तक्षेप के बदले सामुदायिक हस्तक्षेप बढ़ाया जाये।
15. शराब बंदी के महिला संगठन मिलकर संयुक्त प्रयास करे एवं समूह बनाकर एक जागरूकता कार्य सुनिश्चित करे।
16. भावात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक परामर्श देना।
17. महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सुधार के लिए इसकी शुरुआत सामाजिक स्तर पर ही करना होगी।
18. महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
19. परिवार में महिलाओं के साथ किये जाने वाले दुराचार अत्याचार और अन्याय तथा दुर्व्यवहार आदि के प्रति सुनने और न्याय दिलाने के लिए महिला न्यायालयों की स्थापना।
20. समाज में घरेलू हिंसा को तभी समाप्त किया जा सकता है जब लोगों के विचारों में परिवर्तन हो। संकीर्ण विचारों से उठकर जब व्यक्ति स्वस्थ अच्छे और मानवतावादी चिंतन की ओर बढ़ेगा तभी उसके विचारों में परिवर्तन होगा। वास्तव में घरेलू हिंसा एक घर के अन्दर की धारणा है इसलिये यह केवल वैचारिक परिवर्तन से दूर हो सकेगी। वाह्य उपायों से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है कम भले ही हो सकता है।

घरेलू हिंसा निषेध कानून के तहत महिलाओं का अपने ऊपर होने वाली हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन निरक्षरता के कारण उन्हें इनके प्रति जागरूकता नहीं है। किरण वेदी (2007) का मत है कि साक्षरता स्त्रियों का एक मात्र शक्तिशाली हथियार है। समाज में फैली कुरीतियों महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए महिलाओं को खुद ही साक्षर एवं जागरूक बनना होगा।

सतना शहर की महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है निश्चित तौर पर प्रकरण मानवी परामर्श केन्द्र नहीं पहुँचते हैं मध्यम वर्ग अपने मान - सम्मान में आँच नहीं आने देना चाहता है। पारिवारिक रूढ़ि मान्यताओं को निर्वहन में घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज घर की चहर दीवारियों में कैद होकर रह जाती है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के प्रति अमानुशिक व्यवहार को निजी पारिवारिक मामला कहकर आसानी से दबा दिया जाता है। एक कवियत्री की चंद्र पंक्तियां

बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा
अब रूखा व्यवहार न हो।
अजी, बोल तो लिया करो तुम
चाहे मुझ पर प्यार न हो।
जरा जरा सी बांतो पर
मत रूठो मेरे अभिमानी
लो प्रसन्न हो जाओ, गलती
मैंने अपनी ही मानी।

सुभद्रा चौहान

महिला विरोधी मूल्य इतने ठोस तरीके से समाज में स्थापित हो गये हैं इन्हे जड़ से उखाड़ना इतना आसान नहीं परन्तु इन चुनौतियों के बीच एक संभावना की खोज अवश्य की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कमला प्रसाद - प्रगतिशील वसुधा प्रगतिशील लेखक, संघ का प्रकाशन जुलाई सितम्बर 2010.

2. भारतीय महिलाये नई दिशायें रमणिका गुप्ता, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 2002.
3. शर्मा ऋषभदेव स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम गीता प्रकाशन हैदराबाद 2004.
4. शर्मा मंजू, भारतीय समाज में महिलाओं का विकास राज पब्लिशिंग हाऊस रायपुर 2008.
5. लाइलाज नहीं है - वारदातें डा. राम सूरत त्रिपाठी, मार्च 2003.
6. समाज कल्याण योजना 2012.

वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
हत्या - 10	हत्या - 24	हत्या - 15
हत्या प्रयास - 11	हत्या प्रयास - 07	हत्या प्रयास - 05
छेड़खानी - 273	छेड़खानी - 244	छेड़खानी - 153
अपहरण - 236	अपहरण - 161	अपहरण - 205
रेप - 192	रेप - 140	रेप - 137
दहेज - 31	दहेज हत्या - 34	दहेज हत्या - 29
लूट - 09	दहेज प्रताड़ना - 110	दहेज प्रताड़ना - 110
आगजनी - 00	लूट - 09	लूट - 07
धमकिया - 583	आगजनी - 05	आगजनी - 01
	धमकिया - 546	धमकिया - 543
कुल - 1695	कुल - 1721	कुल - 1398

कोरकू जनजाति की महिलाओं में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ. मीना जैन * निकिता नागोरी **

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक भू-भाग में फैला है। प्रदेश की मूल आत्मा गांवों में बसती है। गांव की प्रगति सही अर्थों में प्रदेश की तरक्की है। महात्मा गांधीजी ने विकास की धारा ग्रामों में ही प्रारंभ करने पर बल दिया था। गांव की तरक्की के बिना प्रदेश की तरक्की की कल्पना करना निरर्थक है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् विकास की समूची प्रक्रिया गांवों को केन्द्र में रखकर निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत को ही महत्वपूर्ण ईकाई माना गया है और इन ग्रामीण स्वतंत्र स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। पंचायतों की व्यवस्था इस देश की प्राचीन परंपरा है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान में भी कानूनी स्वरूप प्रदान कर पंचायती राज की स्थापना को प्राथमिकता दी गई।

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहाँ के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव है। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक की उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहाँ के लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो स्वेच्छा से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्यरत होते हैं। इसी भाव को खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के गांवों **बूटी, लंगोटी, गोर्गपुर, चबुतरा और मानपुरा** की महिलाओं द्वारा जल संवर्धन के सामूहिक प्रयासों के रूप में साकार कर गांव के विकास में भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल के साथ पेश किया है साथ ही वर्तमान में इन्हीं गांवों की महिलाएं पंच, सरपंचों की भूमिकाओं का निर्वहन बखूबी कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण - सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के प्रयासों के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण और समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास का सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों को

पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रही हैं। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजनैतिक जागरूकता और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवश्यंभावी है।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था - मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है, जिसने भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था को 26 जनवरी 1994 से प्रभावशील किया गया। प्रदेश में वर्तमान में 22719 ग्राम पंचायत एवं 51 जिला पंचायतें स्थापित हैं। जिनमें 3.90 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

पेसा (PESA) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 - कोरकू मध्य भारत में पायी जाने वाली जनजाति है, जो मुख्यतः पूर्व निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल और मैलघाट में पाई जाती है। कोरकू जनजाति, कोल, सहारिया और बैगा को मिलाकर मध्यप्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का महज 26% है। मध्यप्रदेश में कोरकूओं की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्व निमाड़ (खण्डवा) जिले के खालवा विकासखण्ड में पाई जाती हैं। खालवा ब्लॉक को पाँचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। जहाँ 75% कोरकू जनजाति निवासरत है। जहाँ पेसा एक्ट लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343ड के खण्ड (4)(ख) में अपेक्षित अनुसार संसद में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया है। इस अधिनियम को प्रभावशील करने का मुख्य उद्देश्य संविधान की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की पंचायतराज संस्थाओं का, सशक्तिकरण करना और उन्हें स्वायत्त बनाना है। पेसा एक सरल लेकिन व्यापक और शक्तिशाली कानून है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देने की शक्ति देता है। यह अधिनियम संविधान के भाग IX का, जो कि पंचायतों से संबद्ध है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है। पेसा के जरिए पंचायत

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

प्रणाली का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। पेसा एक्ट ग्रामीण समुदाय को ग्राम के विकास की योजना बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और परंपरागत रीति रिवाजों और प्रथाओं के तहत विवादों को सुलझाने का अधिकार भी देता है। यह शक्तिकरण पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम में कुल 5 धाराएं हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अधिकार - अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को पेसा एक्ट के तहत सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा से अधिक प्रभावी अधिकार मिले हैं, जो निम्न हैं -

1. ग्राम सभा को यह छूट है कि वह ग्राम पंचायत के किसी भी काम और जिम्मेदारी पर विचार करें तथा उस पर अपने गांव की जरूरत के हिसाब से फैसला ले।
2. ग्राम पंचायत जो भी फैसला लेगी वह पंचायत को मानना और लागू करना जरूरी है।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपने यहां के जनजातीय समुदाय तथा व्यक्तियों की परंपरा, सांस्कृतिक पहचान तथा सामुदायिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके।
4. ग्राम सभा जनजातीय समुदाय में आपसी झगड़ों तथा विवाद निपटाने के परंपरागत सामाजिक तरीकों को भी बचाएगी।
5. ग्राम सभा को अपनी सीमा के भीतर आने वाले जल, जंगल, जमीन का नियंत्रण करने की ताकत है।
6. ग्राम सभा अपनी सीमा के भीतर आने वाले सभी बाजारों और सभी प्रकार के पशु मेलों पर नियंत्रण रखेगी।
7. ग्राम सभा में लागू की जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं जिसमें जनजातीय-उपयोजना भी शामिल है पर ग्राम सभा का नियंत्रण रहेगा।

पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण - ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला पंचों की पंचायत के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन का समय पर वितरण, स्कूल में लड़के, लड़कियों हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था और बच्चों का स्कूल में नियमितीकरण, ग्राम में साफ-सफाई की व्यवस्था, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी, प्रत्येक बच्चे का पूर्ण टीकाकरण जैसे कार्य सुनिश्चित करवाए जा रहे हैं। पंचायती राज लागू होने से ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण से निम्नलिखित परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं -

1. **राजनैतिक जागरूकता एवं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि आयी-** कोरकू जनजाति की महिलाओं को पारिवारिक फैसलों में पहले से ही शामिल किया जाता रहा है किंतु पंचायती राज व्यवस्था के लागू हो जाने से महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है, जिससे वे पंच, सरपंच की भूमिका बखूबी निभा रही है, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है।
2. **गांव के विकास कार्यों से जुड़ना-** कोरकू जनजाति बाहुल्य ग्राम आंवलियां नागोत्तर, बूटी, मानपुरा, भगपुरा, बाराकुण्ड, कोटवारिया माल, उदियापुर, मौजवाडी, जमोदा, पिपलिया भावलिया, पटाल्दा और हसनपुरा में महिलाओं के द्वारा ही गांवों के विकास कार्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं।
3. **वित्तीय प्रबंधन-** स्वयं सहायता समूहों के गठन और राजनैतिक पद मिलने से ग्रामीण महिलाएं वित्तीय रूप से भी सक्षम होकर उसका प्रबंधन भी सीख रही है।
4. **आधुनिकता लाने में अपना योगदान-** गांव में संचार क्रांति, कृषि

हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, आवागमन के आधुनिक साधनों का प्रयोग आदि विकासात्मक परिवर्तन सशक्तिकरण से ही आए है।

5. स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की पहल - जल संवर्धन के लिए महिलाओं के द्वारा सामूहिक प्रयास से स्थानीय समस्याओं जैसे - सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए खालवा विकासखण्ड के गांवों बूटी की महिलाओं के द्वारा कुंओं की गाद निकालकर उन्हें गहरा करना, अर्ध निर्मित कुओं को पूरा करना, तालाब का गहरीकरण, बहते नालों पर बोरी बंधान बनाने, पुराने जलस्रोतों, स्टॉप डैम आदि की मरम्मत के काम किए गए है। इसी तरह **लंगोटी** गांव में भी महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से कुंआ खोदा गया। चट्टानों के बीच में निकल आने से महिलाओं के द्वारा ही, रेलिंग लगाकर और बेशरम की डालियों का बिछाव कर कुएं में ब्लॉस्टिंग कर गहरीकरण किया।

उपरोक्त परिवर्तनों के अलावा भी कई परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं- ग्रामीण महिलाओं का प्रशासन से संपर्क बढ़ा है, लड़के लड़कियों की शिक्षा को समान बल मिला है, महिलाएं शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवा रही है, ग्रामीण महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज व देश के लिए योगदान दे रही है आदि परिवर्तन पंचायती राज लागू होने से दृष्टिगोचर हुए है।

- **समस्याएं** - कोरकू जनजाति की महिलाओं में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में निम्न समस्याएं देखी गई जो निम्नानुसार हैं-
- **राजनैतिक दल व भ्रष्टाचार** - राजनैतिक दलों का संपर्क विगत 10 वर्षों में कोरकूओं के साथ बढ़ा है। कोरकूओं के लिए चुनाव विषयक राजनीति और राजनैतिक दलों की गतिविधियां एक नवीन अनुभव है। राजनैतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता भलीभांति जानते है कि कोरकूओं के कतिपय प्रभावशाली व्यक्तियों को ही पक्ष में कर लेने से स्थानीय कोरकूओं के मतों के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है।
- **सहयोग एवं समन्वय का अभाव** - कोरकू जनजाति में जो महिलाएं चुनाव में जीत भी जाती है, तो संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के कारण उन्हें गृहस्थी में ही अपना समय देना होता है। उनके बदले उनके पति उनका कामकाज देखते हैं, जिस कारण महिला नेतृत्वकर्ता का ग्रामीणजनों और परिवारजनों से समन्वय स्थापित नहीं हो पाता।
- **अशिक्षा** के कारण कोरकू जनजाति की महिलाएं पंचायती राज के संबंध में रूचि नहीं ले पाती हैं एवं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती।
- ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की नगण्य उपस्थिति होने से भी महिलाओं की पंचायती राज में कम भूमिका नजर आती है।
- गांवों में संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण भी पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है।
- गांवों से शिक्षित युवाओं के पलायन से युवा नेतृत्व में कमी आयी है और आधुनिक विचारधाराओं के कारण परंपरागत व्यवस्थाएं कमजोर होने लगी है।

सुझाव -

- पंचायत कर्मियों के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करना चाहिए।
- प्रशिक्षण व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सुचारू रूप से दी जानी चाहिए।
- महिला पंचों, सरपंचों के अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए, उन्हें स्वयं फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

- ग्राम पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।
- संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।
- भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए।
- सहयोग एवं समन्वय का स्तर बढ़ना चाहिए।
- ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए।
- ग्रामीणों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिए जाने हेतु कार्य किए जाने चाहिए।

ग्राम पंचायत, ग्रामीण समुदाय के संपूर्ण विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर स्थापित की गई है। अतः उपर्युक्त सुझावों को समावेशित करने से पंचायत की उपादेयता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जिससे कोरकू महिलाओं में पंचायत के प्रति निष्ठा व विश्वास उत्पन्न होगा और बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप भी रुकेगा। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तीकरण तथा समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था बेहतर रूप से लागू हो। पंचायतें मजबूत प्रजातंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र की इसी बुनियादी कड़ी से हमें देश-प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा तय करनी है। पंचायतें गांव के विकास की दिशा में तभी सफल प्रयास कर सकेंगी जब पंचायत राज प्रतिनिधियों को ग्रामवासियों की जरूरतों की पूरी जानकारी हो, वे लोकतांत्रिक ढंग से काम करें तथा योजना बनाने में समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। पंचायते लोगों

के प्रति जवाबदेह रहते हुए और गरीब एवं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को कारगर ढंग से काम करे तथा योजना बनाने में समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। पंचायते लोगों के प्रति जवाबदेह रहते हुए और गरीब एवं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को कारगर ढंग से निष्पादित करें इसके लिए पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को पंचायतों की शक्तियां तथा कार्यों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की जानकारी होना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक निधि के विवेकपूर्ण प्रबंधन एवं रोजमर्रा के कार्यालय प्रबंधन के साथ ही स्थानीय विकास के लिए योजनाएं बनाने एवं उनको क्रियान्वित करने की प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. धर्मेन्द्र सिंह यादव, 2006, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिकेशन्स ।
2. ग्राम पंचायत सरपंच, उपसरपंच एवं पंच प्रशिक्षण मार्गदर्शिका - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश ।
3. आशीश भट्ट, 2002, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स ।
4. डॉ. राधेश्याम द्विवेदी, 2003, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा.लि. ।

वस्त्र उद्योग में रोजगार की संभावनाएं

डॉ. वन्दना बर्वे * प्रो. रविन्द्र बर्वे **

प्रस्तावना - भारतीय वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह 4.5 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिये प्रत्यक्ष व 6 करोड़ भारतीयों के लिये परोक्ष रोजगार सृजित कर रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पादन में इसका 4 प्रतिशत, मेन्यूफैक्चरिंग उत्पादन, में 10 प्रतिशत, इण्डस्ट्रियल उत्पादन में 14 प्रतिशत व देश के कुल निर्यात में 13 प्रतिशत योगदान है। अनेक सरकारी योजनाओं और नीतियों की मदद से वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे आगे ही नहीं खड़ा रहेगा बल्कि विश्व निर्यात में भी निश्चि रूप से ऊँचाईयाँ छुएगा साथ ही इसमें आम आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता भी है।

अध्ययन का उद्देश्य - वस्त्र उद्योग में रोजगार की संभावनाओं को ज्ञात करना है। इस हेतु द्वैतयिक स्रोत का सहारा लिया गया।

सदियों से भारत सूती व रेशमी वस्त्रों का निर्माता और निर्यातक रहा है। लेकिन औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के वस्त्र उद्योग को बुरे दिन देखने पड़े। आजादी के बाद वस्त्र उद्योग ग्रामीण परिवारों के अतिरिक्त ऐसे लोगों के लिये जीवन धारा बना जो कारखानों में काम करने के लिये गांवों से बड़े शहरों में पहुंचे। 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद सरकार ने वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान दिया और इस क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ।

भारत के विभिन्न वस्त्र उद्योग -

सूती वस्त्र उद्योग - भारत सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा निर्यातक है। 1951 में सूती वस्त्र का कुल उत्पादन 42.5 करोड़ वर्ग मीटर था जो 2012-13 में 16526 मिलीयन वर्गमीटर हो गया। जिसमें मिल का हिस्सा 4.11, पावरलूम का 84.34, हाथकरघा का 16.54 प्रतिशत था। देश में इस समय 24 लाख पावरलूम तथा 38 हाथकरघा सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहे हैं।

रेशम वस्त्र उद्योग - विश्व के कुल रेशम का 16 प्रतिशत हिस्सा भारत में उत्पादित होता है। कर्नाटक राज्य का इसमें मुख्य स्थान है। रेशम उद्योग में 4500 हाथकरघा लगे हैं। 2015-16 में टसर का उत्पादन 1703, इरी का उत्पादन 4575, मूंगा का उत्पादन 158 मिट्रीक टन हुआ है।

ऊनी वस्त्र उद्योग - इस समय देश में 958 इकाईयाँ कार्यशील हैं। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश का मुख्य स्थान है। देश की 40 प्रतिशत ऊनी मिले पंजाब में हैं।

वस्त्र उद्योग द्वारा किया गया रोजगार सृजन - भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी लगभग 66 प्रतिशत आबादी श्रमशील आयु वर्ग में आती है। वर्ष 2030 तक इसमें 16.9 करोड़ लोग और जुड़ जायेंगे। बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये हमें रोजगार सृजित करना होगा। वस्त्र उद्योग मूल्यवान और संभावित क्षेत्र है। इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जबकि इससे संबंधित क्षेत्र

कपास, जूट, कपड़ा, मशीनरी आदि में लगभग 6 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यही देश का एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर पूर्ण उत्पादन तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। 2005 में जब वस्त्र उद्योग कोटा व्यवस्था से मुक्त हुआ तब से यह अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 2009 के संकट के बाद चीन की विकास दर गिरी है। भारत अपने कच्चे माल और श्रमशक्ति का लाभ उठाते हुए इस जगह को अपने नाम कर सकता है।

रोजगार सृजन

विनिर्माण क्षेत्र	निश्चित पूंजी लाख में	कार्यरत व्यक्ति	प्रति करोड़ रु. के निवेश पर रोजगार
पहनने वाले कपड़े	1280564	713833	56
बुने हुए कपड़े	1369141	264261	19

स्रोत - वार्षिक उद्योग सर्वे 2013-14

ऐसा माना जाता है कि कपड़ा और परिधान निर्माण सेटअप में 1 करोड़ के निवेश पर लगभग 30 नौकरियों का सृजन होता है। जबकि परिधान विनिर्माण में इतने ही निवेश से 70 नौकरियाँ सृजित होती हैं।

वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र ही मूल्य श्रृंखला में अनुमानित रोजगार (मिलियन में)

क्षेत्र	2015-16 अनुमानित वस्त्र क्षेत्र	2017 में अनुमानित
कपास/मानव निर्मित फाइबर/यार्न वस्त्र/मिल विविंग इकाइयों को छोड़कर	1.58	1.61
मानव निर्मित फाइबर, फिलामेंट/यार्न उद्योग	0.27	0.28
विकेन्द्रित पावरलूम क्षेत्र	5.71	5.84
हेन्डलूम क्षेत्र	7.88	8.05
बुनाई क्षेत्र	0.51	0.52
प्रोसेसिंग क्षेत्र	0.50	0.51
ऊनी वस्त्र क्षेत्र	3.68	3.60
रेडीमेड गारमेंट	12.9	12.62
रेशम उद्योग	8.67	8.86
हस्तशिल्प क्षेत्र	9.00	9.2

स्रोत - वस्त्र मंत्रालय 12 वी योजना की वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट।

इस प्रकार जब रोजगार सृजन और निवेश की बात आती है तो वस्त्र क्षेत्र को बेजोड़ माना जाता है।

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (अंग्रेजी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

वस्त्र उद्योग की समस्याएँ -

1. विश्व स्तर पर वस्त्र की खपत का 65 प्रतिशत मानव निर्मित फाइबर पर आधारित है, जबकि शेष 35 प्रतिशत कपास पर आधारित है। इस प्रकार भारतीय वस्त्र उद्योग सीमित क्षेत्र में ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
2. हमने हमेशा सूती कपड़ों पर ध्यान दिया। सिंथेटिक कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। अतः आज एक मजबूत और संतुलित शृंखला तैयार करना आवश्यक है ताकि हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
3. निर्यात का निम्न बने रहना भी हमारे लिये चिन्ता का विषय है।
4. मानव निर्मित कपड़ा कृत्रिम वस्त्र का निर्यात 2.75 प्रतिशत पर सिमटा है तो रेडिमेड गारमेन्ट का निर्यात 2.31 प्रतिशत बढ़ा है।
5. महंगी उर्जा, महंगा परिवहन, कच्चे माल की कमी, पुरानी मशीनें, निम्न श्रमिक उत्पादकता, परेशान करने वाले श्रम कानून, आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव हमारे वस्त्र उद्योग के मार्ग की मुख्य समस्याएँ हैं।

समाधान के प्रयास - इस हेतु सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं-

वस्त्र उत्पादन के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु पटसन, रेशम, कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है। भारतीय कपास निगम द्वारा 341 केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से कपास उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाया। भेड़ों के कल्याण के लिये भी कदम उठाये गये। रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भी कदम उठाये गये। रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मैसूर में एक रेशम मेगा क्लस्टर बनाने की अनुमति सरकार ने दी है। लखनऊ, बरेली और भुज में भी मेगा क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की गयी है। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य को 3 करोड़ रुपये दिये गये ताकि वे गुणवत्ता बढ़ाये ताकि महिला लाभार्थी के साथ विशेष रेशम उत्पादन योजनाएँ शुरू की जा सकें। पूर्वोत्तर राज्य में 427 करोड़ रुपये की तकनीकी वस्त्र संवर्धन योजना शुरू की गयी। इसका लाभ रोजगार सृजन के रूप में होगा। वस्त्र निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो सके इस हेतु हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास का प्रारूप तैयार किया गया। मंत्रालय ने स्किल स्केल और स्पीड तथा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की नीति पर बल दिया है।

2014 में एन.सी.टी. ने पहली बार अपनी मिलों में 5600 युवाओं को रोजगारन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। **कौशल विकास योजना** के तहत 2016-17 में 15 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से **वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने** का ब्यौरा तैयार किया गया है। इस हेतु 10 करोड़ की लागत से रघुनाथपुर में पहला शिल्पग्राम विकसित किया गया है। **ई-कामर्स**

पर कपड़ों का कारोबार फैलाने की संभावनाएँ अपार हैं। हाथकरघा से तैयार कपड़ों हेतु वेबसाइट तैयार की गयी है। जनवरी 2016 में स्टार्टअप के जरिये नयी ऊँचाई प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। गारमेन्ट क्षेत्र के लिये 6000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गयी है। इससे तीन वर्षों के दौरान 1 करोड़ नयी नौकरियों का सृजन होगा।

भारत द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा मामले में अन्तरराष्ट्रीय मानक अपनाने से बड़े ब्रान्ड के गारमेन्ट रिटेलर्स प्रमुख रूप से वालमार्ट, एगले, टारगेट, टॉमी, नाईक, सराली पॉल रिमथ, आइलैंड, जारा आदि अब भारतीय गारमेन्ट निर्माताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। इंडिया की खादी उत्पादन सेल भी 33 प्रतिशत बढ़ी है मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से पिछले एक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2000 से 2017 के दौरान इस सेक्टर में करीब 2.55 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इससे इस क्षेत्र में हर वर्ष 5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके हैं।

इन समस्त प्रयासों की वजह से वस्त्र बाजार में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश का वस्त्र उद्योग अगले 3 वर्षों में दुगुना से ज्यादा हो सकता है। वर्तमान में यह 120 अरब डॉलर है। 2020 के अंत तक 230 अरब डॉलर होने की संभावना है। वस्त्र उद्योग में 12.06 प्रतिशत की सालाना दर से प्रतिवर्ष निर्यात बढ़ रहा है। संभावना है कि 2021 तक वस्त्र निर्यात 82 अरब डॉलर होगा।

निष्कर्ष - अगर आगे भी वस्त्र उद्योग इसी तरह कार्य करता है। निर्यात में वृद्धि बरकरार रहती है, तो इसका लाभ भविष्य में भारत को मिलेगा। अनुमान है कि 2020 तक वस्त्र उद्योग में 15 लाख तक रोजगार हो सकते हैं। इनमें से कई रोजगार महिलाओं के पक्ष में होंगे। ग्रामीण लोगों को भी नोकरी के अवसर प्राप्त होंगे। साथ तकनीकी क्षेत्र के छात्र टेक्सटाईल इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के छात्र टेक्सटाईल मैनेजमेंट व अपरेल मैनेजमेंट क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह समाज के समावेशी विकास में योगदान देगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना पत्रिका अक्टूबर 2016
2. Source link : <http://www.thehindu.com>
2. दैनिक भास्कर 27 नवम्बर 2017
3. श्रम समस्याएँ समाज कल्याण एवं सुरक्षा - प्रो. सक्सेना, साधना प्रकाशन मेरठ।

मानव अधिकार - समाज में खुशहाली व सम्पन्नता

डॉ. प्रकाशिनी तिवारी * डॉ. विकास जैन **

प्रस्तावना - मानव अधिकारों की उत्पत्ति मानव जीवन से प्रारंभ हो गई थी, मानव अधिकारों का संबंध मानव से ही होता है। किन्तु समाज के प्रारंभिक काल में सत्ता तथा पितृसत्ता की व्यवस्था होने के कारण मानव समाज में दासों, दलितों और महिलाओं को दुसरे दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा और उनके साथ शोषण और उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद मानव अधिकार की आवाज बुलंद होने लगी और इन पीड़ित वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आई।

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों, उनके समूहों को मानव होने के परिणामस्वरूप प्राप्त हैं। मानव अधिकार जीवन की परिस्थितियाँ हैं जो मानव प्राणी के रूप में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव जैसे जाती, धर्म, स्थान, लिंग को प्राप्त हैं। मानव अधिकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सार्वभौमिकता है ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मानव प्राणियों को उपलब्ध होने चाहिए। ये अधिकार व्यक्ति के रूप विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ हैं इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व और क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता। ये अधिकार स्वयं सिद्ध सत्य हैं और व्यक्ति को लाभ से प्राप्त हैं।

मानव अधिकारों की कहानी लिखित रूप में 'इंग्लैंड के मैग्नाकार्टा' के साथ शुरू हुई थी। यद्यपि प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव अधिकार की चेतना को धार्मिक अवधारणा एवं दण्ड द्वारा व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। धर्म एवं दण्ड द्वारा राज्य अपने नागरिकों का शासन कार्य भी संचालित करता था। भारत में सदैव यह विश्वास रहा है कि मनुष्य सभी प्राणियों में इष्ट्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके कुछ अप्रथकनीय अधिकार हैं हमारे पूर्वजों ने इस विचार को विकसित किया कि सभी मानव जाति एक परिवार की भांति हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में समय - समय पर विषिष्ट वर्गों के हितों रक्षा हेतु अन्य विषिष्ट मानवाधिकारों को भी मान्यता प्रदान की है तथा मानवाधिकारों का विस्तार किया है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध 1969 में महासभा ने सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय अभिसयम स्वीकार किया है। वर्तमान में मानवाधिकारों के दायरे में केवल सामान्य मानवाधिकार ही सम्मिलित नहीं हैं वरन विशिष्ट वर्गों के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान की गई है।

मानवाधिकार के नियम केवल राज्य या राष्ट्र सरकार तक सीमित नहीं हैं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी मानव को मानव का हक दिलवाने में प्रयासरत हैं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य ही नहीं बल्कि देश व विश्व में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य

किए जा रहे हैं। राज्य की जनता के शिक्षा स्तर और परम्परागत कुरीतियों के प्रचलन के साथ - साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह और भी अनिवार्य हो जाता है कि यहाँ पर कार्यरत गैर - सरकारी संगठनों को अपने उद्देश्यों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। न्यायालयों, आयोगों और मानवाधिकार संस्थाओं के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दी जा रही है कि मानवाधिकार के हनन की घटनाएं जारी हैं।

स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि हम कहाँ जा रहे हैं मानव के जीने स्वतंत्रता और गरिमा के प्रश्नों का सक्षम उत्तर देने में समाज और शासन विभाजित क्यों हैं? उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं से मानव समाज को मुक्ति कब मिलेगी? संवैधानिक व्यवस्थाओं और आदर्श मूल्यों के बावजूद व्यवहारिक धरातल पर हम मानव अधिकारों का उलंघन कब तक करते रहेंगे और कब तक सहन करेंगे?

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग और विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों के 50 वर्षों के प्रयासों के बावजूद मानवाधिकारों का हनन जारी है। केवल संविधान कानूनों और मानवाधिकार आयोगों के माध्यम से ही इस हनन को नहीं रोका जा सकता है। मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु सार्थक प्रयास हम सभी के द्वारा जरूरी है जिससे एक सभ्य समाज की रचना आसान हो सकती है।

इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग को चाहे वह पुलिस कर्मी हो या अन्य लोक सेवक, चाहे व्यापारी हो या पत्रकार चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित बालक हो या महिला, मानवाधिकार के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, ऐसा होने पर ही आमजन अन्याय होने की स्थिति में बहतर तरीके से आवाज बुलंद कर सकेंगे। मानव की गरिमा को परम लक्ष्य मानकर इनकी रक्षा के लिए प्रयास करना होगा। मानव मात्र एक व्यक्ति ही नहीं है वह एक सामाजिक जीव है ईश्वर मात्र उन्हें करते हैं जो अन्य मनुष्यों, जानवरों, प्राणियों की सेवा करते हैं। उसकी गरिमा बड़े परिवार का सदस्य होने में है। एक तरफ मनुष्य रक्त संबंधी से बंधा है। अपने माता-पिता, पत्नी बच्चों से, वहीं दूसरी तरफ वह समाज की प्रत्येक ईकाई से भी जुड़ा है। चाहे उससे दूर हो या निकट, यह मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कला विज्ञान और तकनीकी का विकास करके समाज को गरीबी से सम्पन्नता संतुष्ट वर्तमान में खुशहाल भविष्य (कल) बनाएगा। मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है यह एक अच्छा बदलाव है। मानव अधिकारों के प्रति उपलब्ध जागरूकता का स्तर किसी भी समाज की सभ्यता संस्कृति की गुणवत्ता को मापने का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है।

मानवाधिकारों के संरक्षण करने प्राधिकारियों को उनके अनिवार्य कार्यों

* सहायक प्राध्यापक, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, कॉम्प्यूटर्स आईसेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** ऐसोसिएट प्रोफेसर व प्राचार्य कॉम्प्यूटर्स आईसेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

को करने के लिए उत्साहित करने गैर कानूनी काम न करने के रूप में न्यायपालिका अपना कर्तव्य पालन कर रही है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों को सद्भावनापूर्वक कार्य करने चाहिए लेकिन किसी भी संस्था के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध रहना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना महत्वपूर्ण होता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वर्ष 2014 की मानव विकास रिपोर्ट 24 जुलाई 2014 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों में मानव विकास का आंकलन सूचकांक (HDI) के साथ-साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन्डेक्स (MPI) व जेंडर इन्फ्लेक्लिटी इन्डेक्स (GII) के आधार पर किया जाता है। विश्व के कुल 187 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का इससे आंकलन किया गया है जिसमें भारत का 135 वां स्थान था।

मानव अधिकारों के सिद्धांत एवं अवधारणा आधुनिक सभ्य समाज एवं प्रजातांत्रिक समाजों के लिए प्रतिमान है। स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है यह बात व्यक्ति, समूह एवं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। मानव अधिकारों का उपयोग एक व्यवस्थित राज्य में ही संभव है तथा मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावशाली तंत्र का विकास किया जा

सकता है।

आज आवश्यकता मानवाधिकारों संरक्षण के लिए कुशल शासन की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता मानवाधिकार आयोग की सक्षमता सेना और पुलिस की उचित भूमिका तथा लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना ही आवश्यक नहीं है बल्कि साथ ही इन व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए व्यक्ति को अधिकार के प्रति सशक्त और सजग होना पड़ेगा। तभी एक ऐसे समाज का निर्माण सकेगा जिसकी आधारभूत मानवीय संस्कृति और मातृत्व पर आधारित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जाखड़ दिलीप 'मानवाधिकार यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड 2000
2. कपूर एस. के 'मानवाधिकार' सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद, 2001
3. मीणा आलोक एवं मिनाक्षी 'मानवाधिकार दशा एवं दिशा' गौतम बुक कम्पनी, जयपुर, 2014
4. नेमा जी.पी. एवं शर्मा, के.के. 'मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार' कॉलेज बुक डिपो जयपुर, 2010
5. उपाध्याय, जयराम, 'मानवाधिकार', सेंट्रल एजेंसी लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2002

Differential Abilities Of School Going Slow Learner Adolescents

Anuradha Kushwah * Dr. Saroj Kothari **

Abstract - Background - differential abilities are indicative of an individual's capacity. It is highly specific tendency or aptness due to special neural or muscular organization possessed by the individual which sets him apart as being superior to the average in performance in that trait or activity it is acquired of some specific knowledge, skill or set of organized responses.

Aim - The purpose of this research was to study the aptitude of slow learner adolescents in school. Methods: The study comprised of 117 students from IX to XII standard from Army Public School, Bhopal. The David's Battery of differential ability (DBDA) was given to find out their abilities in various areas like Closure, Clerical, Mechanical, Numerical, Psychomotor, Reasoning, Spatial and Verbal. Analysis: The appropriate statistics such as descriptive and inferential was used. Results - The result shows that maximum low performer students have high score in Clerical, Numerical, Spatial, Reasoning and Closure ability respectively. Conclusion: Thus the present study shows in spite of low performer's students had good aptitude in different areas.

Key Words – Aptitude, slow learners, adolescents.

Introduction - Differential ability is an indicative of an individual's capacity. It is highly specific tendency or aptness due to special neural or muscular organization possessed by the individual which sets him apart as being superior to the average in performance in that trait or activity. It is acquired (with training) of some specific knowledge, skill or set of organized responses, such as the ability to speak a language, to become a musician, etc. It is the outcome of both heredity and environment. It is a talent potential but can be improved by training in the environment. Different people have different aptitudes for different things.

“Aptitude is a combination of characteristics indicative of an individual's capacity to acquire (with training) some specific knowledge, skill or set of organized responses such as the ability to speak a language, to become a musician, to do mechanical work”. **Freeman (1962)**

Aptitude is the natural capacity of an individual to acquire competence or skill through training. Specific aptitude refers to potential in a particular area (e.g., artistic or mathematical aptitude) whereas general aptitude refers to potential in several fields. Aptitude (which formerly carried implications of innateness) has now been specialized in technical writing to refer to the fact that the individual can be brought by a specified amount of training to a specified level of ability, either general or special, but usually the latter.

Adolescent - Adolescents are young people between the ages of 10 and 19 years as defined by World Health Organization (WHO).

Adolescence is a challenging and dynamic period due

to hormonal, physical, emotional, social and cognitive changes.

Slow Learner - A child who is doing poorly in school, yet are not eligible for special education is called slow learner. A slow learner is one who does not learn successfully due to general socio cultural problem, language problems, inadequate use of strategies, lack of interest, due to family background, illiterate parents, avoided by parents in early childhood or due to mental weakness **Hughes (1973)**.

“Slow learners are children who are doing poorly in school, yet are not eligible for special education; their intelligence test scores are too high for consideration as a child with mental retardation” **Bell(1970), Passow(1972)**.

The Causes Of Slow Learning -

Environment - Children react to their environment in early stages and he learns from the environment in which they grow. Create a safe environment for them and reduce the stress on your child and remove the things which are physical threats to the children e.g.: abusive behaviour and unsafe toys etc. With whom the child is spending his time, what is their intellectual level. And how they treat the child, when children have a secure Environment, it flourishes their abilities in positive direction **Khan, (2014)**.

Emotional growth - Feelings about one self and the developing of these feeling positive or negative is called emotional growth, Emotional and social development are often link together because they are relevant. In the initial stages child learn the Feelings of trust, fear, and love later on as he grow he develop the feeling of friendship, pride,

*Research Scholar ,Ph.D. (Psychology) Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

**Professor & Head (Psychology) Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

and relationship which also guide toward social-emotional development of the child.. if the child is ignore in this stage and proper care is not provided to them, they build negative emotion and they ovoid trust initially parents and later on other people, they isolated them self from the outer world.

Growth and opportunities of Learning - Opportunities of learning is very necessary for the development of children cognitive abilities, Parents should provide rich learning environment to their children and open new windows of learning opportunities for them. They need simple playable activities and to develop their brains, Show them new things and arrange new activities for them to enhance their thinking skill.

Family - Illiterate Parents, who are mentally backward and also have no education, effect the education of the child. And when parents have no time for their children and they are busy in their job it also leads a child to loneliness and isolated.

Resource Problem - Without proper Resources parent could not afford to provide better opportunities of learning to their children due to which the child lose his self-esteem. Availabilities of good books and other learning material which is necessary for the learning process of the child.

Health Problem - Poor Health is also a hurdle in the growth and development of a child, which lead to the process of slow learning.

Teaching method and teachers - Teaching method is the most important factor in slow learning; a train teacher can understand the problem of the student and remove that problem by a better teaching style, which suite to the student need and mind. A good teacher will always use different methods in class so every student understand and learn. On the other hand those teachers who use one method of teaching create slow learner in the class because every student learn different style and method.

Material & Methods - The David's Battery of Differential Abilities (DBDA) - revised version is being devised in order to have an accurate measure of an individual various mental abilities like Closure (CA), Clerical (CL), Mechanical (MA), Numerical (NA), Psychomotor(PM), Reasoning (RA), Spatial (SA), Verbal (VA). The DBDA (Revised Version) is standardised procedure for objectively measuring what a person is able to do at the time he is being assessed and under the condition of the assessment. Included in this concept is the realization that individual behaviour including mental processes is neither consistent nor stable.

The reliability of DBDA, as split – half reliability is .84. And test – retest reliability is .79. And the concrete validity of a test itself is meant of the practical utility of a group of tests that is how well their test scores correlate with other well established test or relevant criteria. The various tests reported that the DBDA has an average correlation of .62 with these well-known measures of aptitude.

The study comprised of 117 students from IX to XII standard from Army Public School, Bhopal those who failed in more than two subjects considered as a slow learner in

this study. The David's Battery of Aptitude Test (DBDA) was given to find out their abilities in various areas like Closure, Clerical, Mechanical, Numerical, Psychomotor, Reasoning, Spatial and Verbal.

Result -

Table – 1 Overall Performance of Class 9th, 10th, 11th & 12th Students (N = 117) on Aptitude Test -

S.No	Aptitude scale area	Mean	Std. Deviation
1	Closure (CA)	5.5	2.3
2	Clerical (CL)	5.6	2.4
3	Mechanical (MA)	3.3	1.8
4	Numerical (NA)	6.4	2.0
5	Psychomotor(PM)	2.3	2.2
6	Reasoning (RA)	5.6	2.9
7	Spatial (SA)	5.6	2.3
8	Verbal (VA)	4.2	2.0

Figur E - 1 Overall Performance of Class 9th, 10th, 11th & 12th Students (N = 117) on Aptitude Test (See in the last page)

This table no. - 1 indicates the mean score of adolescents on DBDA .The result shows that maximum slow learner adolescent have high mean scores in Numerical, Clerical, Spatial, Reasoning and Closure ability respectively.

TABLE – 2 (See in the last page)

FIGURE – 2 (See in the last page)

This table no. - 2 indicates the mean score of students on DBDA .The result shows that maximum slow learner adolescents of 9th class have high scores in Numerical, Clerical and Spatial abilities. 10th class student have high scores in Reasoning, Numerical and Closure abilities. 11th class student have high scores in Reasoning and Numerical abilities. And similarly 12th class student have high scores in Spatial, Reasoning, Numerical and Psychomotor abilities.

Discussion - Results finding indicates that inspite of slow learner adolescents had good aptitude in different areas. Students with higher aptitude performed better on all assessments, including the clicker questions. Students' average multiple-choice exam scores were highly correlated to their scores on the in-class and exam writing **Sherwood, et al., (2014)**. Children who are slow learners struggle to cope with the academic demands of the regular classroom and have difficulty in writing, reading and mathematics. Studies have shown that their academic functioning could be improved by structured individualized training programs **Krishnakumar,etal.,(2012)**.

Conclusion - The present study shows inspite of slow learner adolescent had good aptitude in different areas. Major finding of this study is maximum low performer students have high score in Numerical, Clerical, Spatial, Reasoning and Closure ability respectively. Limitation of the study is the sample size was small from each class which makes the results difficult to be generalized. For the generalization of the results, similar studies can be done over a large sample of subjects.

References -

1. Bell, P. (1970). *Basic teaching for slow*

learners. London: Muller.

2. Freeman, F. S., (1962). Theory and Practice of Psychological Testing. New York: Holt, Rinehat and Winston (Indian edition).
3. Hughes, J. (1973). *The Slow Learner in Your Class (Nelson's Teacher Texts)*. London: Cengage Learning Australia.
4. <http://geekdictionary.computing.net/define/slow-learner>
5. <http://research-education-edu.blogspot.in/2008/08/education-of-slow-learner.html>
6. Khan, S. M.,(2014).*Education of Slow Learner*.
7. Krishnakumar, P.,Geeta, M.G., &Palat R. (2006).*Effectiveness of individualized education program for slow learners*. Indian J Pediatr;73:11-3.
8. Passow, H. (1972). *Opening Opportunities for Disadvantaged Learners*.New York: Teacher's College Press.
9. Sherwood, N. R., Linton,L. D.,&Powell,N. K.,(2014). *Identifying Key Features of Effective Active Learning: The Effects of Writing and Peer Discussion*.Central Michigan University, Mount Pleasant, MI 48859.
10. Vohra, S. (1994). Handbook for David's Battery of Differential Abilities (DBDA) revised. PSY- COM Services New Delhi.


Figur E - 1 Overall Performance of Class 9th, 10th, 11th & 12th Students (N = 117) on Aptitude Test



**Table – 2
Class wise Performance of adolescents on Aptitude Test**

S.No	Aptitude scale areas	Class – 9 th		Class – 10 th		Class – 11 th		Class – 12 th	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
1	Closure (CA)	5.1	2.6	5.8	2.7	5.3	2.0	5.7	1.9
2	Clerical (CL)	6.9	2.3	5.0	2.2	3.9	1.4	4.4	1.7
3	Mechanical (MA)	4.0	2.0	2.7	1.3	2.8	1.4	3.4	2.1
4	Numerical (NA)	6.8	1.9	6.1	1.9	6.1	2.4	5.9	1.7
5	Psychomotor(PM)	1.9	1.5	1.0	0.2	4.1	2.6	6.1	2.5
6	Reasoning (RA)	4.7	2.9	6.4	2.9	6.0	2.6	6.4	2.2
7	Spatial (SA)	6.1	2.0	5.0	2.1	4.3	2.4	6.6	2.4
8	Verbal (VA)	3.9	2.2	4.4	2.0	4.2	2.0	4.1	1.5

Figure– 2 Class wise Performance of adolescents on Aptitude Test



Age Of Working Women And Social Support

Dr. Mamta Barman*

Abstract - The married women are stepping out of the four walls of their homes to seek gainful employment. She can manage her career and home by having social support. This paper studied social support among female employees in relation to their own age. Sample consisted of 75 married working women were selected. Findings of the study reveal that women whose age are below 40 years and above 50 years need more social support than those in between 40-50 years.

Key Words – Social Support Age of working Women.

Introduction - Social support is the potential of the net work to provide help. Women from various social rank are getting into jobs and continue to be in them for their own happiness, satisfaction, desire for self-expression, dignity, independence, fame, particular life.-pattern, individual status. Stambor Z. (2005) worked on- 'Lack of social-support disturbs women's sleep; and found that 25% of the women slept; poorly, 6% more than the proportion of man who reported problems sleeping. Study showed that general social support mattered more to women's sleep than traditional psychosocial work factors, such as workplace demands and feeling of lacking control in the work place.

Social support, assists in coping with the physical, emotional and financial domains of care giving. Bowers and Gesten (1986) found that social supports can be a type of protection against anxiety.

The educated women are becoming increasingly aware of the equality created by the social change and economically independent. The objective of the study is to investigate the effect of age of married working women (self) on social support. It was hypothesized that, "there will be no impact of age of married working women (self) on social support among BSNL employees.

Method - 75 married women working in BSNL, Jabalpur were selected for the study. Social Support Scale for working women developed by Arora, M. and Kumar, R. (1992) was administered. Responses were to be given on a seven point scale ranging from not at all (score= 0) to too much (score=6). Alpha coefficient of the scale was calculated for actual and expected social support.

Result & Discussion

Table – 1
Comparative results of Social Support among BSNL employees in

Relation to Age of working women			
Age of last dependent child	N	Mean	SD
<40	40	161.98	41.73
40-50	28	136.89	45.57
50-60	7	161.14	54.03

Summary ANOVA Table (See in the next page)

From the results presented in the above table it is clear that obtained value of 'F' ratio 7.75 is more then 4.92 the minimum value for significance at 0.01 level which shows that there is impact of age of working women on social support of BSNL married female employees. The hypothesis is rejected here.

Thus from the above results it may be concluded that there is an impact of age of working women on social support in married women working in BSNL. Women whose age are below 40 years and above 50 years need more social support than those in between 40-50 years.

Stambor, Z.2005 found significant relationship between low social support and disturbed sleep in women, but not in men. Lee, 1997 reported social support is an important variable for marital satisfaction for working wives. Karen, Judith (2007) found work-based social support positively associated with job satisfaction.

Working women can manage here career and home, with the help of social support. An important aspect of support is that a message or communicative experience does not constitute support unless the receiver views it as such.

References:-

1. Berk, S.F. (1980); Women and House hold Labour. Sage Publication California.
2. Devi U.L. (1982); Status and Employment of Women in India. B.R. Publishing House Delhi.

* Associate Professor (Psychology) Govt. MKB College, Jabalpur (M.P.) INDIA

Summary ANOVA Table

Source of Variation	d.f.	Sum of squares	Mean Square	'F' Ratio	'P' value
Between Groups	2	17530.22	8765.11	7.75	<0.01
Among Groups	72	81422.77	1130.87		

Degrees of freedom – 2, 72

Minimum value at 0.05 level – 3.13

Minimum value at 0.01 level – 4.92

Feministic Approach In The Play Of Girish Karnad's Nagamandala

Twishampati De*

Abstract - Being a foremost playwright of the contemporary stage, Girish Karnad has given the Indian Theatre a richness that could probably be equated with his talents as actor cum director. He is an ambassador of Indian art and culture in foreign lands. His plays have spread all over the world and staged abroad India. He has achieved prestigious awards as playwright, director and actor.

Key Words - Male-chauvinism, exploitation, subalternity, empowerment, eroticism, adulterous, submissive, oppressive, exploitation, confinement.

Introduction - Feminism becomes the pivot of the modern day dramatists in India. In each and every play, Girish Karnad has dealt with the Gender issues in almost all his plays. "Naga- Mandala" deals with male – chauvinism that weakens and degrades female and rests on the exploitation and confinement of women. In his play "Naga-Mandala" (1988), Karnad mentions an insight into the private lives of women. Here the name of the protagonist is Rani. Right from the beginning, the fires that appear in the 'prologue of the play represent the metaphorical terms to indicate the different levels of the women of the village. The purpose of the play is to tell about the private lives of couple and rejoice in their findings. The play begins with a man, in a 'morose stance' sitting in their sanctum of a ruined temple. Women's liberation is the prominent cause for writing this play. As a feminist play, "Naga-Mandala" not only attacks and exposes male bigotry, the repression of women, the discrimination done to them by men and the patriarchal culture, but also quietly deflates the concept of chastity. It is a play which highlights the persistent predicaments of women in the Indian rural Society. The play not only presents women's problems but also presents the protesting voice against the iron rules of patriarchal society. It is a play that deals with the liberation and empowerment of the women.

Rani is the heroine of the play who is a very innocent girl. To prove her chastity, she has to go through 'snake ordeal'. She comes out of the ordeal unscathed. Then she is called as 'divine' and accepted as 'goddess' by the people of the town as well as her husband Appanna. In this play, Karnad exposes the male- chauvinism as well as oppression and injustice done to women under the patriarchal structure. Patriarchal structure has invented and accepted 'chastity' as a value. It is expected that, everyone should follow it. Especially for women, it is a kind of compulsion to observe this value faithfully. It has a very

powerful cultural value. The women characters in literatures who observe this value faithfully are glorified by the writers. If any woman violates these values she is looked down upon. Every man and woman or mother and father teaches their daughters to obey the values and norms set by society. Amongst these values, chastity is considered to be of great importance. For women, chastity is more important than life. They can sacrifice their life for chastity because the society respects and honours only chaste women. To prove their chastity, they tolerate any kind of injustice, physical harassment and violence done to them by their husbands. Ironically, Appanna is adulterous and not at all suitable for a simple girl like Rani. Rani reflects the image of a common woman who comes to her husband's house with sweet dreams and desires of domestic life. But all her illusions have been shattered by harsh reality. Besides Rani, Appanna has a mistress whom he visits every night and comes to Rani only at noon. His treatment with Rani is monstrous and animalistic. He keeps her confined inside the house so that she cannot express her grievance to anyone. Her sexual desires are neglected. She is beaten for several times. Her emotions are broken mercilessly. And socially, she is not permitted to communicate with anyone outside the house. Rani's dreams and desires are crushed. She becomes voiceless and choiceless.

She has not achieved emotional, social or sexual satisfaction from the institution of marriage. Appanna's inhuman treatment is testified on the first day of their marriage when instead of being with Rani; Appanna goes to meet his mistress and locks Rani in the house. He utters, "...I will be back tomorrow at noon. Keep my lunch ready. I shall eat and go".(6). He does not even tell her the reason. Neither he tells her where he is going. Because of the patriarchy – conditioned mind, she has no power to question his night visit. His illegitimate child in patriarchal

*Guest Lecturer, Sukumar Sengupta Mahavidyalaya, Keshpur, Paschim Medinipur (West Bengal) INDIA

set up has made her mind timid, shy and submissive. She has lost her courage to question. As a result, she as inanimate being has no power to protest against exploitative and oppressive system. Women do not have liberty to question. However, they are questioned in case they deviate slightly from the prescribed path of patriarchal system. For Appanna, there is no social, ethical or established taboo. He is all free from all limitations and his actions are not subjected to questions. Karnad very ingeniously raises the issue that our conformist society and social laws insist loyalty and dedication from a wife even to a disloyal and heartless husband. Rani is always confined by Appanna in the house. This lock and key is the symbol of patriarchal cage man has prepared for women. To quote the words of Manchi Sarat Babu, "This solitary confinement of Rani by Appanna in the house symbolizes the chastity belt of Middle Ages, the reduction women's talents to housework and the exclusion of women from enlightenment and enjoyment". (Babu, 239). He comes only for lunch and remains there for a while without any conversation. He has not given any permission to Rani to ask any question. He utters, "Look, I don't like idle chatter. Do as you are told, you, Understand?" (7). Man, conventionally gets the privilege to order his wife in a marriage whereas wife is taught to follow what man dictates. Like most of the traditional Indian wives, Rani is the sufferer of severe sense of loss and weariness within wedlock.

When we think about the relationship of Rani and Naga, he is other man for her but she is unaware of it. Naga is more caring than Appanna. Due to the influence of the root, he falls in love with Rani but his attitude is very gentle. He slowly makes his advances towards her. First he tries to make her comfortable in his company because she is afraid of her husband. Naga: I will go and sit there. Away from you will you at least sit then? (Karnad 19) He wins her confidence, asks about her parents and tries to make her speak frankly. Naga... Good, Relax. Tell me about your parents. What did all of you talk about? Did they pamper you tell me everything - (Karnad 21) He makes her realize that he will not come close to her until she allows him. Here, the decision is dependent on Rani only. Naga: No, let's say, the husband decides on the night visits. And the wife decides on the night visits. So I won't come at night if you don't want me too. (Karnad 22). The gentleness and warmth of Naga makes her happy in his company. She does not realize what Naga is doing to her until he completes love-making. He curses her of her frigidity and cares her like parent.

Psychological, physical and verbal violence is seen in the play. From the day, Rani comes with Appanna she is neglected by him. He has assigned duties to her which she completes. She even does not get time to enjoy the company of Appanna as most of his time he spends out of his house. Though married, Rani is not mentally matured and hence, she still needs the parental care and affection from her husband. But Appanna does not realize it. Rani is locked for the whole day and so unable to understand

Appanna's behavior. She goes through psychological stress and alone in the house, she creates a make-believe world in which she escapes. The story of Rani dramatizes man's attitudes towards women in the patriarchal system.

Simon de Beauvoir, the twentieth century feminist critic, agrees with the view that, "in Patriarchy the young girl does not accept the destiny assigned to her by nature but; by society yet she does repudiate it completely. Thus, She is 'divided against herself". The distress of a woman in a patriarchal society in which a man enjoys privileges is contrasted with that of a woman who has to be content, with only a few left for her. The husband is the one who torments and deserts his wife for another woman. Appanna regularly goes to the Concubine's home but he does not the guilty conscience; instead he wants Rani to obey him as a dumb domestic world.

"Naga-Mandala", a drama of male - chauvinism weakens and degrades females and rests on the exploitation and confinement of women. The play is based on two stories which the versatile playwright, poet and academician A.K. Ramanujan in his childhood. It applies the device of a story within a story. Gender issue is an important theme in almost all his plays. Being a feministic play, "Nagamandala" not only attacks and exposes male bigotry, the repression of women, the discrimination done to them by men and the patriarchal culture, but also quietly deflates the concept of chastity. It is the play echoing the persistent predicaments of women in the Indian rural society.

To conclude, it can be said that Karnad is skillful in weaving the psychological, social and cultural understanding afforded by them. "Nagamandala" is the combination of male - chauvinism, oppression of women and the great injustice done to them by patriarchal hegemony. Karnad also delineates the real situation prevalent in a village and Rani's life serves as a metaphor for Indian women who face their husband as stranger during day and as a lover at night. "Naga-Mandala" depicts the theme of women's destiny, her chastity and societal rule and unites it with an unpredicted ending latent on double crossing and reviving of old customs. The play is the narration of Rani's marital journey from marginalized position. Despite Rani's pain and suffering in the beginning, she achieves a respectable position in the end. Finally, Rani is Karnad's mouthpiece by whom he strikes a protest against patriarchal society and male - chauvinism.

References :-

1. Nimsarkar, P.D. Women in Girish Karnad's Plays: A Critical Perspective. New Delhi: Creative Books, 2009.
2. Babu, M. Sarat. "The Concept of Chastity and Girish Karnad's Naga-Mandala." Indian. Karnad, Girish. "Naga-Mandala: A Play with a Cobra", New Delhi: Oxford University Press, 2004.
3. Bristow, Joseph: "Sexuality," India: Routledge (2007)
4. Dhanvel, P.: "Indian Imagination of Girish Karnad," New Delhi, Prestige books, (2000)

5. Dhawan, R.K. "Girish Karnad: The Man and the Writer" The Plays of Girish (Ed.) Dodiya, J Prestige: New Delhi, 2009.
6. Dodyia, J.S. (Ed.) The Plays of Girish Karnad: Critical Perspectives. New Delhi: Prestige Books, 1991.
7. Kiranth B.V., "Translation of Hayavadana into Hindi", Delhi:Radhakrishna Prakashan, 1975.
8. Mukherjee, Tutun. Girish Karnad s Plays: Performance and Critical Perspectives. New Delhi: Pencraft International, 2006
Karnad, Girish. Three Plays: Naga-Mandala, Hayavadana & Tughlaq. New Delhi: University Press. 1994. Print. Karnad, Girish. Naga-Mandala-Play with a Cobra. New Delhi: Oxford University Press.1990.Print. Karnad, Girish. Collected Plays-Tughlaq, Hayavadana, Bali-The Sacrifice & Naga-Manadala. New Delhi: Oxford University Press.2005. Print. Kosta, Abhishek.ed. The Plays of Girish Karnad. New Delhi: Atlantic Publishers.2002.Print.
9. <http://www.galaxyimrj.com/V1/n1/Rukhaya.pdf> http://www.academia.edu/4425082/Feminism_in_Girish_Karnad_s_Nagamandala_ <http://ijellh.com/gender-bias-verses-power-sexuality-study-girish-karnadsnaga-mandala/>
10. Karnad, Girish. "Prologue." Three Plays: Naga Mandala, Hayavadana, Tughlaq. New Delhi: Oxford University Press, 1994, p.22. Dharwadker, Aparna Bhargava. "Introduction." Collected Plays, Volume One. New Delhi: Rangan, V. "Myth and Romance in Naga-Mandala on their Subversion?" Girish Karnad's Plays: Performance and Critical Perspectives. Ed. Tutun Mukherjee. New Delhi: Pencraft International, 2008, p.201.
11. Raykar, S. Shubhangi. "The Development of Karnad as a Dramatist: Hayavadana."

Tagore's Heroines Challenged Patriarchy In His Short Stories - The River Stairs And The Elder Sister

Dr. Vikas Jaoolkar* Pooja Bhatia**

Abstract - In this paper, the researcher studies the views of Rabindranath Tagore about women by studying his short stories. Tagore was one of the most cherished renaissance figures who put India on the world map by bagging the Nobel prize for literature. He was not only a maker of modern Indian literature but also the modern Indian mind and civilization. Being a progressive thinker, his writings often were based on bold subjects that were far ahead of his times. He puts women in the forefront in his works to convey feminism very strongly. He strongly believed in fighting for women's upliftment using his pen as a weapon. Focusing largely on emancipation, his writing campaigned for women's liberation, equality, freedom, justice, power, dignity and rights. The researcher has taken two stories – The River Stairs and The Elder Sister for her study. The story 'The River Stairs' is a story of young widow and her dreams and aspirations. The story 'The Elder Sister' elucidates how greed transforms the long lasting relationship of husband and wife.

Introduction - Rabindranath Tagore has shown a remarkable understanding of female mind and gave ample space to women and their lives and narratives in his novels, short stories and plays. Women from different social class, caste, and character are present in his works. There are multiple perspectives, dynamic characters and diverse narratives in his works. Tagore talks of problems of Hindu patriarchy. Patriarchy is a system that gives men privileges, resulting from a gendered socialization process in all the areas of our lives- social, economic, ideological, cultural, political and spiritual. In the name of religion, Hindu patriarchy society gets all the right to disgrace and dominate women. Tagore through his body of works introduced the idea of feminism in India. His female protagonists talked about individuality, liberty, freedom, justice, power, dignity and rights. Often they would challenge patriarchy and talked about practices which are considered a way ahead of their times.

Kusum, the protagonist of the story "The River Stairs", was married off at an early age and had become widow after one year at the age of eight years. She was a frequent visitor of the ghat in her village before her marriage and after her widowhood, she resumed to go to her favourite haunt. She was always dressed up in "dull colored robe" and had a "pensive face and quiet manner". Sasikala was the protagonist of the story, The Elder Sister. She was "only and much petted daughter of her parents". (Tagore 2007: 92) She belonged to a wealthy family and was married to not so wealthy Joygopal. She was married to him for 16 years and loved her husband. She was separated from her

husband because of her brother, Nilmani, a child of late years for her parents and longed to be with him. But she judged the materialistic behavior of her husband and his apathy for her brother, Nilmani. She was disillusioned and determined to avenge him.

'Kusum in the story "The River Stairs" had become a widow at the early age of eight, only one year after her marriage. Her husband had worked in some far away place and she had met him only once or twice. She came back to her village after her husband's death and blossomed in a beautiful lady. She yearned to love and be loved. When a "tall, young fair-skinned Sanyasi" came to the village, she devoted her time in the duties of the temple and also listened attentively to his talks on religion. Gradually she was attracted to the Sanyasi and even dreamt "that the lord of my (her) heart was sitting in a garden somewhere, clasping my (her) right hand in his left, and whispering to me (her) of love". (Tagore 2007: 133) Having judged her feelings, she stopped going to temple for some days. When she was called by the Sanyasi, she confessed her feelings to him. In the conservative Indian society at that time where a widow was given a solitary confinement and had to live a life of abstinence, Kusum dared to love the Sanyasi, dreamt of a love life with him and even confessed her feelings to him. Sasikala, the lead character in the story "The Elder Sister" loved her husband Joygopal and even anxiously waited for him to come back "in her lonely chamber, lying on the bed of separation" when he had gone elsewhere for work. But she also loved and cared for her little brother Nilmani who "was born untimely to Sasikala's father". (Tagore 2007: 92)

Joygopal who had hoped to heir the property of his in-laws after their death, was not at not pleased at his brother-in-law's arrival After death of Sasikala's parents, the responsibility of bringing up Nilmani fell on Sasikala's shoulder which she took with great zeal. Joygopal was not at all happy at this arrangement as his dreams of pocketing his father-in-law's property were now in vain. He decided to seize his brother-in-law's property by hook or crook. When Sasikala heard the rumors that her husband had put "the minor Nilmani's property up for sale for arrears of rent, and to purchase it in the name of her husband's cousin", she confronted her husband to know the truth. Joygopal made up a story and told her, "Nobody can be trusted in these days. Upen is my aunt's son, and I felt quite safe in leaving him in charge of the property. He could not have allowed the taluk Hasilpur to fall into arrears and purchase it himself in secret, if I had had the least inkling about it." Sasikala was astonished at this reply and further asked her husband whether he would sue his cousin to which he had said, "Sue one's cousin! Besides, it would be useless, a simple waste of money". (Tagore 2007: 99) This casual answer revealed her husband's intention to Sasikala and she decided to fight against her own husband. In those days when women had no say in the family matters and the word of the husband was the word of God, Sasikala defied the societal norms and stood against her husband. She shouted at her husband, "You all want to kill my Nilmani, who has no father, no mother, none other than me, but I will save him" but Joygopal's greedy attitude did not change. Sasikala

planned to take a bigger step to save Nilmani. She heard of the Magistrate coming to their village for a visit and decided to put the matter before him. She went to his tent "closely veiled", "accompanied by Nilmani" and pleaded before him, "Saheb, into your hands I resign my helpless brother. Save him". (Tagore 2007: 104)

Conclusion:- Tagore was aware of the pitiful condition of women in India, who were the victims of Indian patriarchal system ages after ages. He wanted to bring a change in the society by empowering women and bringing men and women at equal status. He was the pioneer in bringing the concept of feminism in the Indian society. Through his short stories, the writer has shown the female characters in both roles – their traditional roles as reflected through the behavior and day-to-day activities and also futuristic roles the empowered women take a stand against the patriarchal system of the society. His stories give a strong message to the readers that there should be an end to the uneven social structure and women should be given their right to live better lives maintaining identities of their own.

References :-

1. A Centenary Volume - Rabindranath Tagore 1861-1961. New Delhi - Sahitya Academy P, 1961. Print.
2. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New Delhi - Affiliated East-West Press, 2009. Print.
3. Roy, Madhumita. Scripting Women in Three Short Stories of Tagore. Diss. Visva-Bharati, 2010. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol 2 (2010): 596-604.Web.

Indian Woman's Image As Seen By Women Writers

Dr. Seema Sharma *

Introduction - Indian women writers have made us proud of being Indian in the field of literature. There are a lot of prominent writers emerging, such as Arundhati Roy, Anita Desai, Jhumpa Lahiri, Kiran Desai, Shashi Deshpande, Shobha De. All of them have presented Indian woman's world in a different way.

When we talk of English Literature, we must also think about Hindi Literature. Among modern Hindi writers Malti Joshi, Krishna Sobti, Shivani, Mahadevi Varma are prominent names.

Today the world has become complex, and same is with the Indian woman. She is struggling to find some place of her own in this machine oriented world. Sometimes she wins, sometimes she gives up. Yet her journey continues. Anita Desai presents the world of a suppressed woman, Maya, who wants to share her feelings with someone, but her husband fails to understand her. She, under pressure, commits suicide, after killing her husband.

The style of Anita Desai reminds us of Virginia Woolf. The stream of consciousness reflects the inner ideas. The character talks to herself, creating an atmosphere. The reader feels as if a picture is presented before him. She tells the truth without being artificial.

"But she would not lift her face from a cushion, for fear the stench of decaying flesh still hung in the bougainvillea coloured evening air. She dared not lift her face to that polluted air"¹

Sharing of thoughts and understanding of feelings is the central point to be discussed in recent novels. Malti Joshi is the Hindi short story writer, who portrays the same suppressed feelings of a woman. A typical housewife feels herself trapped in a cage after marriage. She says the whole story in a monologue, where the untold and the unheard experiences of a woman burst like a volcano.

'तुम जो ऐसा जनशून्य कर रही हो, जैसे लड़का हुआ है।' उन्होंने कसैले स्वर में कहा तो मैं चली आई। मेरे बाहर पाँव देते ही इनसे बोली, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। पर उस समय तो तुम कुछ सुनने की स्थिति में नहीं थे ना। इसकी माँ के भी तीन लड़कियाँ ही हैं। पता नहीं अब हमारे यहाँ भी लड़का होगा या नहीं। नहीं तो पितर प्यासे ही रह जाएंगे।

वे और किसी कारण से मुझे मना करती तो मैं जिद न पकड़ती, पर इनकी इस आखिरी बात ने मेरा खून खोला दिया। हाँ, हम तीन बहने ही थी,

पर हमारे माता-पिता ने हमें कभी यह अहसास नहीं होने दिया कि हम अनचाही संतान हैं। मैं भी अपनी बेटियों को यह अहसास कभी नहीं होने दूँगी।²

This is a fragment of the story by Malti Joshi. "Piya Peer Na Jani." Here the suppressed feelings of a woman are expressed in a simple yet effective style. A woman can reveal a woman's inner world in a better way. Her zeal to fly like a bird continues.

There is a difference in the style of Malti Joshi and Anita Desai. Anita Desai reflects the inner feelings in a pessimistic way, while Malti Joshi's women are revolting in a way. Trying to escape from suppression. Maya talks to herself.

"This is not natural, I told myself, this cannot be natural. There is something weird about me now, wherever I go, whatever I see, whatever I listen to has this unnaturalness to it. "This is insanity But who, what is insane? I myself? Or the world around me.

Insanely, unnaturally, So that our faces appeared bloated, as though they were the faces of corpses floating in a gray sea, and our links receded into the distance, It was So grotesque that I pressed my face close to the mirror, close to that bizarre rejection, and grinned into its teeth, then but out laughing.³

We can feel the intensity of suppression resulting in depression. This is as a result of the distance between her husband and herself regarding understanding. Gautam, Maya's husband never understands her.

And Gautama, who sat smoking elegant wreaths of white into the violet warmth, heard nothing, saw nothing. He was blind, could not and did not care to see, to hear.⁴

Here we can feel the suppression and its affects. A person sometimes becomes rebellious, sometimes hopeless.

The remarkable problem arising in the woman of today is the sense of alienation from environment. Maya is fully detached from her environment. She does not feel free enough to express her feeling. She is ignored by her husband, therefore She talks to herself. Today we see a lot of women in the society trying to hide their inner feelings. If they get a friend or some relative to share their feelings it gets some release and they feel quite light hearted but what about those women who do not get any friend or anyone in the society to share their suppression, they become more

alone and become more alienated from the society. We are talking about Indian woman therefore we compare the expression of Anita Desai with that of Hindi story writers. Krishna Sobati is one of the prominent Hindi story writers. Her story "Aik Ladki is a story about an alienated woman Ammu. Ammu also tries hard to come out of the bondages and to live a free life. Her daughter lives alone, without any responsibilities. There is a difference, Ammu living with her relatives feels alone and her daughter living alone yet does not feel loneliness. Ammu has suffered from suppression, no freedom to take decision in any field this dependence makes her alone, yet in Indian Hindi story writer we feel a difference in philosophy. The loneliness of woman does not lead them to depression. The message is clear not to lose, not to lose the hope. She does not forget the tastes of various dishes. She is full of strong wish to live. She says.

'काया की जड़त - चढ़त तौ साल के लिये बनी हुई। ठीक ही चल रही थी, मैं हड्डी ने टूटती तो मैं भली चंगी थी।'⁵

The story gives a message to live, to struggle in life. She says about her daughter.

'उसकी वक्त तब सुधरेगा जब वह अपनी जीविका अपने आप कमाने लगेगी।'⁶

Ammu has never tasted independence, yet she feels that change will come in the society. This shows the difference between western and Indian style. The two streams are different. Maya kills her husband and commits suicide here Ammu lives full life till old age and yet feels hopeful.

Mahadevi Varma the renowned writer of India expresses her views about woman and her progress and

her rights, says in Shrankhala ki Kadiyan.

'भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेश से जाग सके उस दिन उसकी गति को रोकना किसी के लिये संभव नहीं। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि व भिक्षावृत्ति से न मिले हैं ना मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान-प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है।'⁷

The women of today has made progress in the field of glamour, in outer world but inner world is yet to be freed. According to Mahadevi :

'स्त्री के अपने गुरुतर उत्तरदायित्व के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये विस्तृत स्वाधीनता चाहिये। कारण संकीर्णता में उसके जीवन का रवैया सर्वतान्मुखी विकास संभव ही नहीं जैसा किसी समाज की स्वस्थ व्यवस्था के लिये अनिवार्य है।'⁸

Anita Desai depicts the picture of one side of a woman who is trapped in a situation. Many women might feel the same like Maya, but they should face the situation with courage, Let our suppressed feelings come out. We cannot progress with women like Maya loosing the game of life.

References :-

1. "Cry the Peacock" Anita Desai orient paperlooks P.no.8
2. Malti Joshi 'पिया पीर ना जानी' गद्यकोष।
3. "Cry the Peacock" Anita Desai orient paperlooks P.no.122,123
4. Ibid, P.no. 126
5. Krishna Sobati "Ak Ladki" P.no.91
6. Ibid, P.no.78
7. महादेवी वर्मा के स्त्री विचार, एक मूल्यांकन Research link : An International journal -119 Vol-XII Feb 2014 P.no.62.
8. Ibid

Religion An Aspect Of Human Spirit - Tagore's 'The Religion Of Man'

Dr. Jyoti Taneja *

Abstract - Rabindranath Tagore was born in a rich Bengali family. For some time he worked with his father and was also involved in the Indian Nationalist Movement. Tagore was awarded Nobel Prize in Literature, for his collection of poetry, 'Gitanjali'. He has written novels, short stories, poetry which makes him a versatile writer. His characteristic later style combines natural descriptions with religious and philosophical thoughts. In this paper I shall discuss Tagore's religion of man which is a distinctive form of religion, which is exclusive and this exclusiveness lies in his explanation of human nature. Human nature according to Tagore is the expression of divinity through the realization of universality. The Religion of Man is an incredible work of Tagore, rich and profound. His essays reveal his deeper understandings of the working of human mind. It deepens faith in God emphasizing that Religion is an Aspect of Human Spirit.

Key Words- Religion, universality, humanism, eternal, infinite, divinity.

Introduction - In every nation, every culture of this world there has been questions on religions and challenges for the various belief systems. Religion has always played an important role in man's existence. Tagore trails this theme through numerous variations in his art. Tagore's broad vision could not be restricted to any form, so we see Tagore writing elegant stories, novels, dance-dramas, essays, magical poems and songs, an artist whose canon comprised of paintings, sketches, doodles but never a philosopher. Through his writings Tagore strove to communicate his vision of reality. The principle of Religion as an aspect of Human Spirit according to him is to be accomplished through direct experience of the union of the individual self and the eternal spirit and not through any philosophical logic or reasoning. He talks about two aspects of God, one is personal and the other whom we call the supreme truth, reality, consciousness or the Brahman

'The Religion of Man' is a very thin book; it has fifteen chapters. It's a collection of *The Religion of Man* is a small compilation of essays based on the Hibbert Lectures that Rabindranath Tagore delivered at Manchester College, Oxford, in May, 1930. The book is the pinnacle of many years of Tagore's mature thoughts. The names of the chapters are themselves suggestive of Tagore's deep thinking as to how he viewed religion. The book starts with 'Man's Universe' and ends with 'The Four Stages of Life'. In between there are chapters as 'The Vision', 'The Surplus in Man', 'The Music Maker', 'Spiritual Freedom' and so on. The Religious views of Tagore's family were influenced by Upanishads and Bhagwat Geeta and thus we find his writings full of references from the Upanishads and his idea about man and nature and the relation between them similar

to the Upanishadic thinkers. The other important influences we see were of the religion of the Bauls and Vaishnavism. It was the limitations of different religions that made Tagore meditate upon the true 'religion' of man.

The book gives the very essence of religion and its universal message is found deeply embedded in its chapters. Tagore first explains man's material reality and then stirs up his essential human spirit to triumph over the material challenges of life and attain harmony. Perfection is the essential nature of man and man continuously strives for that. 'Man has a feeling that he is truly represented in something which exceeds himself. He is aware that he is not imperfect, but incomplete.'

In the first two chapters he talks of evolution and how the 'spirit of life' began her chapter by introducing a simple living single cell and then 'numerous cells' came together and many different animals emerged. Humans, according to Tagore, are freer than any other being on Earth, for he 'has reached that multicellular character in a perfect manner, not only in his body but in his personality.' (p33) 'The Spirit of Love' dwells in the boundless realm of surplus and liberates our consciousness from the illusory bond of separateness of self. The chapters 'The Surplus in Man', 'Man's Universe' show the gradual evolution of man, religion is not a philosophy, and it is a thing of experience, experience of oneness with divinity. He says 'whatever name may be given to it, and whatever form it symbolizes, the consciousness of this unity is spiritual, and our effort to be true to it is our religion'. Harmony is essential in man's life and form the basis of human existence and this is what this book aims for. Similarly in the chapter 'The Vision' he reveals how he felt one with everything while he was

watching the sunrise, when he was eighteen years. All the differences disappeared and this revelation of the super personal human world lasted for days. This revelation of oneness changed his perception of the world and this unity Tagore brings forward the Truth of man which lies in the heart of eternity.

He accepts his inability to have understood the mask he was wearing to hide the truth which is alive in all of us in the chapter 'The Man of My Heart.' It is an awesome perception of human mind which as it goes deeper to the core of the self, layers of illusions shed. In Tagore's own words, 'At the outburst of an experience which is unusual, such as happened to me in the beginning of my youth, the puzzled mind seeks its explanation in some settled foundation of that which is usual, trying to adjust an unexpected inner message to an organized belief which goes by the general name of a religion.' He further says, 'After a long struggle with the feeling that I was using a mask to hide the living face of truth, I gave up my connection with the church.' Tagore's father was the leader of a monotheistic church and his father wanted him to be with him. Something similar happens in the life of most of us. We are asked by the elders of our family to perform rituals, adhere to traditions of our religion, our 'samaaj'. As one goes on reading and introspect we realize how many times unwillingly we followed and did what was asked but never actually understood the real worth of religion.

This development of human personality, Tagore says, 'is the fundamental basis of his religion of man' the pleasant fusion of the idea of religion and the expression of human nature makes human free from the weird and bizarre influences like doctrines, prevailing set attitudes, belief systems, and develops the idea of the religion of man of his own. All religions emphasize the virtues of openness, kindness and respect for all existence, human and beyond. A befitting analysis of human nature proves that religion exists in the very root of human existence as it forms the inner nature of man and is so identified with human life that man can never exist without religion. He talks of the eternal person within a human and says, 'Nothing is greater than the Person; he is the supreme, he is the ultimate goal.' And therefore a human must reveal in his personality the Supreme Person through his actions.

Man has been endlessly striving for perfection, expansion in the material world in his chapter 'Man's Nature' Tagore

expands his perception of religion and humans and echoes the inner spirit of human as actually needing to go beyond the human nature and move toward the higher power. It is finding the inner urge of a human to live to his full potential. His chapter 'The Meeting' talks of opposing and diverse images of God we humans have had since ages. Tagore believed in Universal Humanism and has explained how a man becomes Infinite or Universal Man., which according to him man realizes all social values not in limited sense, but through selfless service for mankind. In a society, we all live in relationships, and we cannot be free by distancing our self from our fellow beings. Spiritual Freedom can be attained in this human world only by 'a perfect arrangement of interdependence.'

This realization of self as infinite, as the unity of finite with Infinite in the finite existence of man, is the essential end of religion of man where he becomes divine in this world by performing various activities this world. Thus the realization of God, according to Tagore, is the expression of the divine perfect in human life when God becomes Man and man through the realization of divinity, becomes God. Tagore's Religion of Man is inimitable. The infinite ideal of love in man inspires him to go beyond his finiteness and strive to touch his highest state. A divine unity is thus reached in the form of humanity, which pushes man and guides him to completeness. The Religion of Man is an incredible work of Tagore, rich and profound. His essays reveal his deeper understandings of the working of human mind. It deepens faith in God emphasizing that Religion is an Aspect of Human Spirit.

References :-

1. Pradhan, Gaurav. *Rabindranath Tagore: Literary Concepts*. APH Publishing, 2002.
 - i. Google Books, books.google.com/books?d=moR9cmHNiKUC&dq=religion+of+man+tagore&source=gbs_navlinks_s
 - ii. books.google.com/books?d=moR9cmHNiKUC&dq=religion+of+man+tagore&source=gbs_navlinks_s
2. Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man*. 7th ed. New Delhi: Rupa .2007. Print.
3. Tagore, Rabindranath. *The Essential Tagore*. Edited by Alam Fakrul & Chakravorty Radha
 - a. Harvard University Press, 2011. Google Books, books.google.com/books?id=5lh-TOTwfogC&dq=religion+of+man+tagore&source=gbs_navlinks_s
 - b. books.google.com/books?id=5lh-TOTwfogC&dq=religion+of+man+tagore&source=gbs_navlinks_s

महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों की भाषा शैली और रूप विधान

डॉ. राखी शर्मा *

प्रस्तावना - महादेवी वर्मा की भाषा-शैली सरल, सुगम, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। साहित्य के पाठक के साथ-साथ आम पाठक भी उनके साहित्य को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकता है। उनके रेखाचित्रों में चित्रात्मक भाषा के साथ-साथ पात्रानुकूल भाषा भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो महादेवी वर्मा ने पात्रों के अनुरूप भाषा-शैली का चुनाव किया है। भक्तिन रेखाचित्र के संवाद, बिबिया रेखाचित्र में लखना, अहीर, काछी के संवाद इसका प्रमाण है। पर्वतीय कुली पहाड़ी में बोलता है और चीनी अपभ्रंश हिन्दी में या टूटी-फूटी हिन्दी में।

महादेवी वर्मा ने अपने रेखाचित्रों में जिस भाषा के स्वरूप का चित्रण किया है। उसे हम यहां कुछ उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं -

रामा रेखाचित्र में रामा की बाह्य आकृति का स्वरूप महादेवी ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। 'रामा के संकीर्ण माथे पर की खूब घनी भौंहें और छोटी-छोटी स्नेह तरल आंखे कभी-कभी स्मृति-पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते-होते एकदम खो जाती हैं। किसी थके झुंझुलाए षिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फैले हुए-से, नथुने, मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए-से ओंठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफेद दंत पक्ति के संबंध में भी यही सत्य है।'

बालों के वर्णन में भी हास्य का भी पुट है - 'रामा के बालों को तो आध इंच से अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं था, इसी से उसकी लंबी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैची लिए घूमते रहते थे। पर वह शिखा तो म्याऊं का ठौर थी, क्योंकि न तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐसे सद्नुष्ठान का साहस कर सकते थे।'

रामा कुरूप था। उसकी वेषभूषा इस प्रकार थी - 'केवल एक मिर्जई और घुटनों तक उंची धोती पहन कर अपनी कुडीलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था।'

इसी तरह रामा के आंतरिक चित्र की भाषा का स्वरूप इस प्रकार है - 'वास्तव में, जीवन सौन्दर्य की आत्मा है; पर वह सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता है उतनी विषमता में नहीं। जैसे-जैसे हम बाह्य रूपों विविधता में उलझे रहते हैं, वैसे-वैसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसी से वह केवल जीवन को पहचानता है। जहां से जीवन के स्नेह-सद्भाव की किरणें फूटती जान पड़ती हैं वहाँ वह व्यक्त विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है और जहाँ द्वेष, घृणा आदि के धूम से जीवन ढका रहता है, वहाँ वह बाह्य सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता।'

रामा के क्रियाकलाप में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा ने

किया है-

'रामा सबेरे ही पूजा-घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नीबू से चमका देता, तब वह हमें उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सबेरे तक हमारे सिर-पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलट-फेर हो चुकते थे, किसी की गर्दन को किसी का पांव नापता रहता, किसी के हाथ पर किसी का सर्वांग तुलता होता था।'

काव्यात्मक भाषा - चूंकि महादेवी वर्मा एक कवयित्री भी हैं। अतः कवयित्री होने के नाते उनके सभी रेखाचित्रों में काव्यात्मकता मिलती है। जैसे- 'मीलों दूर से ही वह उज्वल शिखर अक्षरहीन आमंत्रण के समान खुला दिखाई देता है। जैसे-जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं, वह विस्तार में बढ़ता जाता है और उसकी रजत-विद्युत रेखाओं के समान झिलमिलाती हुई रेखाएं स्पष्टतर होती जाती हैं।'

छोटे-छोटे वाक्यों में गुथी भाषा में प्रवाह और चुटीलापन दोनों हैं। अनेक स्थानों पर काव्यमय उपमाओं से अलंकृत वाक्य-योजना उनके कवि हृदय का परिचय भी देती चली है -

(क) 'रामा के कुम्हलाए मुख पर ओस के बिन्दु जैसे आनन्द के आंसू दुलक पड़े।'

(ख) 'मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींच लाकर उन्होंने जो दो फूलों की धरोहर सौंपी थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है।'

(ग) 'सवरे के पुलकपंखी वैतालिक एक लयवती उड़ान में अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे, विरल बादलों के अंतराल से उन पर चलाए हुए सूर्य के सोने के शब्द-भेदी बाण उनकी उन्माद गति में ही उलझकर लक्ष्य-भ्रष्ट हो रहे थे।'

(घ) 'लछमी का पहाड़ के हृदय पर पड़े छाले जैसा छोटा घास-फूस का घर है।'

(ङ) 'जाती हुई चाँदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है, मानो उसी की छाया हो।'

(च) 'उनके गोल मुख पर झूलती हुई उलझी हुई रूखी और मैली लटें मानों दरिद्रता की कथा के अक्षर थी।'

सूक्तियाँ एवं मुहावरे-कहावतें - महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में जगह-जगह मुहावरे एवं कहावतों का सटीक प्रयोग मिलता है जिसके कारण महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से कथन में प्रभविष्णुता एवं संक्षिप्तता आ गई है। जैसे-

- 'रूखी में माँ का रूप ही सत्य है, वात्सल्य ही शिव है और ममता ही सुन्दर,'

- 'रामा की कोठरी में महाभारत के अंकुर जमना'

- 'खेल के संसार में सूखा पड़ने की संभावना'
- 'सुखी आंखों में बाढ़ आना'
कुछ और मुहावरे और कहावतों में जैसे 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस, एक पंथ दो काज, रोज कुंआ खोदना, रोज पानी पीना आदि।'
महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में स्थान-स्थान पर सूक्तियां भी मिलती हैं-
- 'आत्मघात मनुष्य की जीवन से पराजित होने की स्वीकृति है।
- भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है।
- जिनकी मित्रता का मूल 'करू परितोष मोर संग्रामा' में छिपा रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की 'नारि मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी' तथा परिहित घृत जिनके मन माखी आदि का सम्यक् प्रयोग मिलता है।

स्थान-स्थान पर संस्कृत की सूक्तियां - 'निरस्त पादपे देशे एरण्डोडपि द्रुमायतेय मिल जाती है।'

भाषा में ग्राम्य शब्दावली - महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में कहीं-कहीं लोक शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है जैसे घुपरी, गोदरा, बहेरिन, धकियाना, भेंट, अंकवार आदि

इसीप्रकार ठकुरी बाबा की ग्राम्य भाषा का एक सशक्त उदाहरण यहां देखा जा सकता है - 'हम उहां अस सोर मचाउब कि भगवान जी पुन धरती पै ठनकाय देहें। हम फिर धान रोपब, कयारी बनाउब, चिकारा बनाउब और तुम पचे का आल्हा-ऊदल की कथा सुनाउब। सरग हमका ना चही, मुदा हम दूसर नवा सरीर मांगे करे जाब जरूर। ई ससुर तो बनाय के जरजर हुइगा।'

ग्रामीण और नागरिक जीवन पर भी आपकी लेखनी उठी है। ग्राम जीवन का यथातथ्य चित्रण भी इनके रेखाचित्रों में मिलता है। आपका एक कथन यहां दृष्टव्य है-

'परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अविश्वास और संदेह के अनेक पैने तीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक जीवन का अकारण संदेह कर्मनिष्ठा को पंगु और उसका लक्ष्यहीन दुराव जीवन-दर्शन को भ्रंश कर देता है। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही मिलती है।'

रेखाचित्र शैली - महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में रेखाचित्र शैली का प्रयोग किया है। वे रेखाचित्र अंकित करने में अद्वितीय हैं। वे किसी स्त्री-पुरुष या वस्तु विशेष का चित्र इस कौशल से अंकित करती हैं कि शब्द-योजना द्वारा अंकित चित्र की स्पष्ट आकृति पाठक की आंखों के सामने नाचने लगती है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

'किसी थके झुंझलाए, शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस कंप प्रवाह से फैले हुए-से नथुने, मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए होंठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफेद दंत पंक्ति के संबंध में भी यही सत्य है।'

इसी प्रकार महादेवी की बाल सखी बिन्दा का आकार-प्रकार मानो तूलिका की मोटी-पतली रेखाओं में उभर आया हो -

'दो पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर मढ़ी झिंझी के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी-हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ-पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे।'

बदलू का रेखाचित्र भी देखा जा सकता है- 'उसकी मुखाकृति सांवाली और सौम्य थी, पर चिपके गालों से विद्रोह करके नाक के दोनों ओर उभरी

हुई हड्डियां उसे कंकाल सहोदर बनाये बिना रहती। लंबा इकहरा शरीर भी कभी सुडौल रहा होगा, पर निश्चित आकाश वृत्ति के कारण असमय वृद्धावस्था के भार से झुक आया था। उजली छोटी आंखें स्त्री की आंखों के समान सलज्ज थी, पर एक रस उत्साहहीनता से भरी होने कारण चिकनी काली मिट्टी से गढ़ी मूर्ति ने कौड़ियों से बनी आंखों का स्मरण दिलाती रहती थी जैसे बासुरी में से निकलता शंख का स्वर।'

इसी संदर्भ में हमारी जब दृष्टि घीसा पर जाती है- 'जिसकी उभरी हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों से रक्तहीन मटमैली हथेलियाँ, टेढ़े-मेढ़े कटे हुए नाखूनों से युक्त हाथों वाली पतली बांहें ऐसे झूमती थी कि जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं।'

इस तरह चीनी फेरीवाला में महादेवी जी ने चीनी यात्री की वेषभूषा का अंकन कुछ इस तरह किया है - 'धूल से मटमैले सफेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पायजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पायजामा और कुरते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा ढका माथा ढके, दाढ़ी-मूछ विहीन दुबली-नाटी मूर्ति खड़ी थी, वह तो शास्वत चीनी है।'

महादेवी वर्मा ने 'पथ के साथी' में मैथलीशरण गुप्त जी के बाह्य सौन्दर्य का चित्र इस प्रकार खींचा - 'साधारण मझौला कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गहरा गेंहुआ हल्का सांवाला रंग, साधारण पगड़ी अंगरखा, धोती-कुर्ता भारतीयता से सीमित साम्प्रदायिकता का गठबंधन-सा करती हुई तुलसी कंठी।'

व्यंग्यात्मक शैली - महादेवी वर्मा ने रेखाचित्रों में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है जैसे- 'नालायक लड़के से लायक बहू का गठबंधन कर उसने प्रमाणित कर दिया है कि वह बूढ़े विधाता के जोड़ का खिलाड़ी है।'

उपमानों का प्रयोग - महादेवी वर्मा ने अपने रेखाचित्रों को मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उपमाओं का चयन इस प्रकार किया है कि रेखाएं सहृदय के मन को विरोधी भावनाओं से भर देती हैं और उस दशा में हंसना निष्ठुरता और मौन रहना सहानुभूतिहीन जान पड़ता है। देखिए- 'बालिका के सूखे शरीर में नए पत्ते की चंचलता न होकर पाले से खिल न सकने वाले बंधे किसलय- कोरक का अवष हिलना-डुलना था, जो विकास का सूचक न होकर जड़ता का परिचय देता है।'

उपमानों की ताजगी के कुछ उदाहरण ये हैं - 'टेढ़े-मेढ़े कटे हुए नाखूनों से युक्त हाथों वाली पतली बांहें ऐसे झूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं।'

'दूध से सफेद बाल और दूध फैनी-सी सफेद दाढ़ी।'

'काँच की गोलियों जैसी निष्प्रभ आंखें।'

इस तरह चित्रों को मर्मस्पर्शी तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए सार्थक उपमानों का प्रयोग किया गया है,

- 'रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसी ही दयनीय जान पड़ती थी, जैसी जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार।
- धूप से झुलसा हुआ मुख ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने कच्चे सेव को आग की आंच पर पका लिया हो। सूखी-सूखी पलकों में तरल तरल आंखें ऐसी लगती हैं, मानो नीचे आंसुओं के अथाह जल में तैर रही हों और ऊपर हंसी की धूप से सूख गई हों।
- बचिया- सूखे शरीर में नए पत्ते की चंचलता न होकर पाले से खिल न सकने वाले किसलय कोरक का अवष हिलना-डुलना था।

- रामा- साँप के पेट जैसी सफेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी-मेढ़ी गाँठदार टहनी जैसी अंगुलियां।'

अलंकारिता - महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में उपमाएं तो यत्र-तत्र फैली हुई हैं, कहीं-कहीं सुन्दर रूपक भी मिलते हैं -

'गोबर रूपी मेंहदी से नित्य रंजित हाथों की प्रत्येक अंगुली युद्ध के अनेक रहस्यमय संकेत छिपाए रहती हैं।'

आंखों का तो महादेवी जी ने सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया है, 'धूलभरी बरुनियों से धिरी और मलिन पलकों में जड़ी हुई उन तरल आंखों की चकित सभित दृष्टि।'

करुण रस - महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में करुण रस की प्रधानता है। यदि हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में ही नहीं समस्त साहित्य में करुण रस की ही प्रधानता है। 'रश्मि' की भूमिका से यह बात और स्पष्ट हो जाती है- 'संसार साधारणतः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं हैं। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुख की छाया भी नहीं पड़ी। कदाचित् यह उसी की प्रतिक्रिया है कि मुझे वेदना इतनी मधुर

लगती है।'

करुण चित्र खींचने में तो महादेवी जी निष्णांत है, करुणा और सहानुभूति ही उनका प्रतिपाद्य हैं -

'स्मरण नहीं आता वैसी करुणा मैंने कहीं और देखी है। खाट पर बिछी मैली दरी, सहस्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात् किया, उसका ठीक चित्र दे सकना संभव नहीं है। वह अठारह वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती थी- दुर्बल और असहाय जैसी। सूखे ओंठ वाले, सांवले रंग पर रक्तहीनता से पीले मुख में आंखें ऐसे जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती।'

वस्तुतः महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों में भाषा-शैली का सुन्दर समन्वय किया है जो मार्मिक है और सीधे मन का छू लेते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी रेखाचित्र - डॉ० हरवंशलाल शर्मा।
2. महादेवी साहित्य भाग-2 - महादेवी वर्मा।
3. रश्मि (भूमिका) - महादेवी वर्मा।

हिन्दी के प्रमुख दलित साहित्यकारों की आत्मकथाओं में दलितों के जीवन संघर्ष का अनुशीलन

आई. के. बेक *

प्रस्तावना - भारतीय समाज व्यवस्था में आजादी के इतने वर्षों के पश्चात आज भी दलित बहिष्कृत, अपमानित, शोषित और संघर्षशील ही हैं। हिन्दी की प्रमुख दलित आत्मकथाएं न केवल आपबीति हैं, न कोरा जीवन वृत्तांत। वह तो बाढ़ आई हुई वह नदी है जिसमें भावों, अनुभावों का एक तीव्र वेग है। वर्णवादी मानसिकता के खिलाफ आक्रोष और संघर्ष है।

हिन्दी के प्रमुख दलित आत्मकथाकारों ने अपने जीवन की वे सारी घटनाएं प्रस्तुत की हैं, अपनी आत्मकथाओं में जिनका संबंध भारतीय समाज में वैचारिक विकास के साथ जुड़ा है। यह सत्य है कि मनुष्य अपने जीवन से ही सीखता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, राह पर चलना नहीं आता। लेकिन हिन्दी के प्रमुख दलित आत्मकथाकारों को अपनी राह खुद बनाना था और उन पर चलने के लिए संघर्ष भी खुद ही करना था। इन आत्मकथाकारों ने बहुत कष्ट सहे हैं। वैसे भी एक दलित समाज के व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।

'तिरस्कृत' आत्मकथा में दलितों का जीवन संघर्ष - सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा 'तिरस्कृत' दलित समाज के अंतर मन में आभाव, उपेक्षा और अपमान के नारकीय जीवन से सदैव मुक्ति को पुकारती है। यह आत्मकथा जीवन में आभाव व उत्पीड़न से संघर्ष करते हुए भी शैक्षिक प्रगति की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। सूरजपाल चौहान जी ने विषम परिस्थितियों में बी.ए. तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के महत्व के बारे में खुद लेखक लिखते हैं- 'यदि मैं शिक्षित न हो पाता तो मुझे वह नारकीय जीवन जीना पड़ता। पिता जी मुझे दिल्ली लेकर आए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा ही रहा। भूखा-प्यासा व समय-समय पर गौतम लिंक की कोठियों में झाड़ू लगाता, संघर्ष करता। बस किसी तरह पढ़-लिख गया और उस नारकीय जीवन से छुटकारा पा सका।'

आत्मकथा 'तिरस्कृत' में लेखक ने दलित वर्ग के सामने शिक्षा के महत्व को उजागर किया है। नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। यही एक मात्र रास्ता है। यह हमें खुद सूरजपाल चौहान जी के शिक्षा ग्रहण से पता चलता है। शिक्षा ग्रहण का मसला केवल कानूनी प्रावधानों से हल नहीं किया जा सकता। उसे आजमाना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा। संघर्ष से कठिनाइयों को दूर करना होगा। विषमता ग्रस्त समाज में कोई भी स्थिति दलितों के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, उस स्थिति को हमें ही हमारे लिए उचित बनानी पड़ेगी।

'तिरस्कृत' में सूरजपाल जी ऐसा ही एक प्रसंग याद दिलाते हैं। आभाव और कठोर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। भूखा मनुष्य होने का अहसास छीनती रही। 'पंडारा रोड की मार्केट के ढाबों व रेस्टोरेंट के नौकर रात भर की जूठन सुबह कूड़ाघर पर फेंक जाते थे, मैं भोर होने से पहले उसमें से रोटी के छोटे-

छोटे टुकड़े चुनकर खाता। वहीं दूसरी ओर उसी फेंके गए जूठे खाने को गली के कुत्ते भी खाते। कई बार कुत्ते मेरे ऊपर गुर्रा पड़ते, क्योंकि मैं उनके हिस्से का चुन-चुनकर खाता था।'

भूख से उपजी विवशता बच्चे को जाने कहां-कहां ले गयी। यह दलित वर्ग का संघर्षमय जीवन है। जिसमें सूरजपाल जी जैसे कई दलित बच्चे भूख के लिए संघर्ष करते हैं ताकि पेट की आग बुझाई जा सके। इसलिए उन्हें जूठन तक उठानी पड़ती है।

सूरजपाल जी अपनी पत्नी के साथ एक जगह पानी पीने रुके हैं, तब ही जमींदार उन्हें उनकी जात का अहसास दिलाते हैं। सूरजपाल चौहान जी की पत्नी विमला का आक्रोष सामने आया। 'विमला के सुर्ख चेहरे पर आंखें अंगार सी दहक रही थीं। जैसे अभी जलाकर बूढ़े को भस्म कर देगी। उसने दोनों बच्चों को बाजूओं से पकड़कर खींचा। लगभग चीखती हुई बोलो- 'चलो, ये पानी नहीं जहर है, अपने घर जाकर पीयेंगे, नहीं चाहिए आपका इतना मीठा पानी।'

दलितों में धीरे-धीरे आत्म सम्मान जागृत हुआ, जो संघर्ष का ही रूप है। बिना संघर्ष के आत्म संघर्ष जागृत नहीं होता है।

'अपने-अपने पिंजरे' आत्मकथा में दलितों का जीवन संघर्ष - मोहनदास नैमिशराय जी की आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' दलित समाज के अंतर मन में आभाव, उपेक्षा और अपमान के नारकीय जीवन से सदैव मुक्ति को पुकारती है। यह आत्मकथा जीवन में आभाव व उत्पीड़न से संघर्ष करते हुए भी शैक्षिक प्रगति की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। मोहनदास नैमिशराय जी ने 'अपने-अपने पिंजरे' की भूमिका में लिखा है- 'व्यक्ति हो या समाज उसे अपने हक अधिकार स्वयं ही लेने होते हैं। बैसाखियों पर जीवन नहीं चलता चलेगा भी तो कितने दिन, कितने बरस, कितने दशक। जिन्दगी तो बहुत बड़ी होती है।'

जी. पी. सिप्पी कृत फिल्म 'अहसास' मेरठ के निगार टॉकीज में चल रही थी। प्रस्तुत फिल्म के कुछ संवादों से दलित अस्मिता को ठेस पहुंची थी। वह संवाद इस प्रकार था- 'मैं इस मोची के पास नहीं बैठूंगा, इस के शरीर से आने वाली बदबू से मेरा दिमाग फट जाएगा।'

प्रत्येक दलितों ने इस संवाद के खिलाफ हो रहे संघर्ष में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। जिलाधीश के नाम मोहनदास जी ने ज्ञापन भी दिया था, ज्ञापन में चुनौती दी गई थी कि 24 घण्टे में यह फिल्म थियेटर से उतर जानी चाहिए वरना उसके बाद जो कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा।

मोहनदास नैमिशराय जी की आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजरे' में बताते हैं कि जाटव या चमार जाति के लोग मेरठ शहर के आसपास ज्यादा रहते थे।

उनमें शैक्षिक जागृकता बढ़ रही थी। वह संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष और शिक्षण के कारण उनकी आवाज संसद तथा विधानसभाओं तक पहुंचने लगी। यहां से भी लोग राजनीति में प्रवेश करने लगे थे। जिससे लोग संगठित भी होने लगे। कुछ संगठन भी कार्यरत हुए। लेखक भी स्नातक की उपाधि लेने के बाद कुछ नया करना चाहते थे। आगे बढ़ना चाहते थे। दलित समाज में भी नए शैक्षिक स्तर उभर रहे थे। मेरठ में दो-तीन अखबार भी दलितों के निकल रहे थे। मोहनदास नैमिशराय जी ने सोचा कि वह अपना एक नया हिन्दी साप्ताहिक शुरू करें। जिसका नामाविधान किया गया- 'समता शक्ति' संघर्ष व क्रांति की मसाला किए हुए लेखकों से परिचय बढ़ा। विभिन्न किताबों का पठन शुरू रहा। कुछ किताबें वामपंथ और नक्सलाईट मूवमेंट से भी जुड़ी हुई थीं। इन किताबों के हर दूसरे-तीसरे पृष्ठ पर लिखा गया था- 'लाल मसाला परिवर्तन के लिए संघर्ष करो, आगे बढ़ो, क्रान्तिकारी बदलाव के लिए एकता जरूरी है, आदि-आदि नारे होते। जो पाठकों को क्रान्ति के सम्मोहन में बांधते।'

उपरोक्त तथ्यों में दलितों के जीवन संघर्ष का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। जिसे मोहनदास नैमिशराय जी ने अपनी आत्मकथा 'अपने-अपने पिंजर' में व्यक्त किया है।

'मुर्दहिया' आत्मकथा में दलितों का जीवन संघर्ष - कोई भी सफलता सहजता से मिलती नहीं, उसके साथ संघर्ष जुड़ जाता है। दुनिया के प्रत्येक प्रसिद्ध व्यक्ति को संघर्ष की कसौटी पर कसा गया है। दुनिया का आम व्यक्ति और दलित में जमीन आसमान का अंतर है। अभाव, अज्ञान, भूख, अंधश्रद्धा के चलते सफलता हासिल करना साधारण कार्य नहीं। डॉ. तुलसीराम जी का संघर्ष और उनके साथ उनकी जाति तथा अन्य हरिजनों का संघर्ष 'मुर्दहिया' में वर्णित है। एक व्यक्ति, एक जाति और एक समूह का संघर्ष सारे दलितों की संघर्ष गाथा का बखान करता है।

सहज, सरल और सार्थक जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है और दलित के पास पैसा कम और अभाव ज्यादा होते हैं। अर्थाभाव की मार झेलते छोटे बड़े परिवार खाने की चीजों से ओढ़ने तक के लिए तरसते हैं, शिक्षा और किताबें तो दूर की बात है। तुलसीराम जाड़े के दिनों के संघर्ष का वर्णन करते हैं। 'हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात् पुआल बिछाया जाता था। उस पर कोई रेवा या गुड़ड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। इसके बाद मेरे पिता जी पुनः देर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते। वे दिन आज भी याद आते हैं, तो मुझे लगता है कि मुर्दों-सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं, बल्कि रात भर अपनी-अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे हैं।

एक तरफ यह स्थितियां और दूसरी ओर इसी देश में टाटा-बिरला-अंबानी जैसे अमीर लोग। आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं अर्थाभाव की मार और ऊपर से निम्न जाति का होना, जीवन मानो एकाध छिड़ने जैसा हो। पिता जी के साथ मिलकर जमीन में गड़ी-सड़ी लाश को ऊपर निकालना और सुदेस्सर पाण्डे को सोने की मुनरी देने की घटना में लेखकी संघर्षशील जिन्दगी के विडंबना का चित्रण है। दलित मजदूरों से मुफ्त में काम करवाना, दिन भर के काम के बदले में एक-एक केड़ा फसल पाना शोषण और संघर्ष की चरम सीमा है। मरी हुई गाय का चमड़ा निकालते वक्त छोटे तुलसीराम का हाहो-हाहो करते गिद्धों को भगाना और चादर की तरह चौपट कर चमड़े को ढोना हरिजनों के संघर्ष का वर्णन करता है। भाड़ों द्वारा गाए जाने वाले गीत का लेखक ने जिक्र किया है-

'हरिजन जाति सहे दुख भारी हो।
हरिजन जाति सहे दुख भारी।।
जेकर खेतवा दिन भर जोत ली,
उहै देला गारी हो, दुख भारी।।
हरिजन जाति सहे, दुख भारी।।'

दिन भर की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद भी पाया क्या? गाली। गाली, संघर्ष और अवहेलना का घोटक है। लेखक का पढ़ाई के लिए किया गया संघर्ष, दादी मां तथा अध्यापकीय प्रेरणा स्रोतों के बावजूद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया है, कहना लेखक के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, पागल हो जाने की स्थितियों का करार देना ईर्ष्या, द्वेष और षडयंत्र का परिचायक है। इन विपरीत स्थितियों पर विजय पाना किसी युद्ध से कम नहीं है।

तुलसीराम जी ने आत्मकथा 'मुर्दहिया' में स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष और उसमें गांव से थोड़ा दूर स्थित मुर्दहिया की चौकाने की घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया। उस समय शिक्षा में ब्राह्मणों ने एक छत्र-राज स्थापित कर लिया था और यदि कोई दलित या नीच जाति के व्यक्ति को स्कूल में दाखिला मिल भी जाता था तो उसे जातिसूचक शब्द या भद्दी गालियों से पुकारा जाता था।

'शुरू-शुरू में अधिकतर बच्चे 'उपरिथत' शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे 'चमरकित' कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे।'

उपरोक्त तथ्यों में दलितों के जीवन संघर्ष का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। जिसे 'मुर्दहिया' आत्मकथा में डॉ. तुलसीराम ने व्यक्त किया है।

'जूठन' आत्मकथा में दलितों का जीवन संघर्ष - दलितों को शिक्षा सहजता से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए भी संघर्ष करना होता है। अभावमय जीवन में ओमप्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि- अथाह परिश्रम के बावजूद भी धन का आभाव रहता है। भोजन तथा आवास व्यवस्था में ही दिन भर की कमाई खर्च हो जाती है। जिससे वे अपने बच्चों की स्कूल में पढ़ने नहीं भेज पाते। वे यही सोचते हैं कि यह भी कुछ कार्य करें, जिससे घर में मदद हो सके। पढ़ने-लिखने की उम्र में वे बच्चे भी अपने माता-पिता के कार्यों में उनका हाथ बटाने जाते हैं। उनका भी पूरा जीवन अपने माता-पिता की तरह सिर्फ भोजन जुटाने के लिए कार्य करते-करते ही गुजर जाता है। अस्वस्थ होने पर धनाभाव में ही इलाज के न होने के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। जैसे 'जूठन' में वाल्मीकि जी के बड़े भाई सुखबीर ने बिना इलाज के ही अपना दम तोड़ दिया। परिवार का एक कमाऊ सदस्य जिससे पूरा घर चलता था, उसके गुजर जाने से खाने तक के लाले पड़ गए। जिससे वे सदस्य जो कभी बाहर काम करने नहीं गए, उन्हें भी काम के लिए जाना पड़ा, जिसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की पढ़ाई वहीं रुक गई।

एक दिन मां से रो-रो कर कहने लगे कि मैं स्कूल जाऊंगा मां। किन्तु मां के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका दाखिला स्कूल में करवा सकें। मां भी साथ में रोने लगी, तभी भाभी के पास गहनों के नाम पर चांदी की पाजेब थी, जिसे वह हमेषा अपनी शादी के कपड़ों में सहेज कर रखती थीं। भाभी ने अपना टिन का बक्सा खोला और वह पाजेब लाकर मां के हाथ में रख दी। कहा- 'इसे बेचकर लल्ला जी का दाखिला करा दो।'

उस समय भाभी के कारण वाल्मीकि जी का दाखिला स्कूल में पुनः हो गया। किन्तु दलित बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। 10 में से 1 ही 'दलित' बच्चा स्कूल में पढ़ पाता था। जब वाल्मीकि जी स्कूल में थे तब

उनके साथ शायद एक या दो ही चुहड़े परिवार का बच्चा था।

ओमप्रकाश वाल्मीकि का जीवन संघर्षमय रहा, गरीबी इतनी थी कि मरे हुए जानवरों की खाल भी उतारनी पड़ी। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी इस घृणित कार्य को करना नहीं चाहते थे, परन्तु करना पड़ा, जिससे कुछ पैसे प्राप्त हों और घर का खर्च चल सके। इस प्रकार के कार्य बाल्यावस्था में ओमप्रकाश जी को करने पड़े, जो बाल्य जीवन का संघर्ष नहीं तो और क्या है। यह संघर्ष भुखमरी में कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष है। मजबूरीवश ओमप्रकाश वाल्मीकि जी को यह कार्य करना पड़ा।

‘मरे हुए पशु की खाल मुजफरनगर में चमड़ा बाजार में बिक जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रूपए में बिकती थी। आने-जाने और मरे जानवर को उठाने वालों की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रूपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रूपए भी बहुत रकम दिखाई पड़ते थे।’

एक दिन ब्रम्हदेव का बैल खेत से लौटते हुए रास्ते में गिर पड़ा। उठ नहीं पाया, मर गया था। बैल के मरने की खबर पहुंचते ही मां ने ओमप्रकाश को स्कूल से बुलवा भेजा, क्योंकि पिता जी और जनेसर किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। मां ने ओमप्रकाश को बुला लिया, क्योंकि तंगी का मौका था। चमड़ा

बिकने से कुछ रूपए मिल जाते। मां ने चाचा से बात की, लेकिन वे अकेले जाने को तैयार न हुए। इसलिए मां को ओमप्रकाश को स्कूल से बुलवाना पड़ा। चमड़ा उतारते समय उनके मन में एक ही बात अड़ रही थी कि जिस काम को वे नहीं करना चाहते वही काम उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है-

‘छूरी पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छूरी चलाने का ढंग सिखाया, उस रोज मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही दलदल में फंस रहा था। जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे।’

इस प्रकार के कार्य भी दलित लोग अपनी खुशी से नहीं बल्कि गरीबी और बेकारी से विवश होकर अपना तथा अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए विवश हो जाते हैं। यही दलित जीवन का संघर्ष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिरस्कृत-सूरजपाल चौहान ।
2. जूठन-ओमप्रकाश वाल्मीकि ।
3. अपने-अपने पिंजरे-मोहनदास नैमिशराय ।
4. मुर्दहिया-तुलसीराम ।

नारी - कल, आज और कल

डॉ. सारिका त्यागी *

प्रस्तावना - नारी सृष्टि के विकास की आधारशिला है, सृष्टि का विकास क्रम, जीवन का चक्र एवं उसका विस्तार नर और नारी के मधुर सम्बन्धों पर निर्भर है। भारतीय समाज में नारी की अवधारणा प्रेम एवं वात्सल्य दया, माया, ममता की साकार मूर्ति के रूप में होता रहा है। नारी का साहचर्य पुरुष के लिए सुखद अनुभूतियों का स्रोत रहा है और पुरुष की कल्पना नारी में सर्वाधिक आनन्द प्राप्ति करती रही है। चिरकाल से ही नारी सुकुमारता, विनम्रता, त्याग तथा मधुरता की प्रतीक एवं पुरुष शक्ति शौर्य तथा कठोरता का प्रतीक रहा है।

नारी की अवधारणा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है 'नारी केवल माँ माँस पिण्ड की संज्ञा नहीं है। आदिकाल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना एवं हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है।'¹

नारी की महिमा को स्वीकार करते हुए कहा गया है-

'नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूविणी न नारी सदृश्यों योगो, न नारी सदृश यशः न नारी सदृश्य मित्र, न भूतो न भविष्यति'²

नारी की महिमा को चाहे कितना भी वर्णित क्यों न किया जाये लेकिन फिर भी किसी भी देश और समाज में स्त्री प्रायः 'दूसरे दर्जे' का नागरिक ही कही जाती रही है। स्त्रियों को प्राप्त उसके अधिकार सिर्फ कागजो व किताबो तक ही सीमित रह गये है क्योंकि वह स्वयं उनके प्रति अनभिज्ञ बनी हुई है। नारी स्वयं अपनी अवधारणा से अपरिचित बनी हुई है? इन शब्दों के माध्यम से दिया है-

'विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा ना कभी अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली'³

नारी अतीत से वर्तमान भविष्य (एक कल्पना) नारी (कल)

वैदिक युग में भारत वर्ष में नारी को यथोपयुक्त सम्मान दिया जाता था, लेकिन इस्लाम के आविर्भाव के बाद वह सम्मान क्षीण होता चला गया। प्राचीन ग्रन्थों और पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय नारी की सुदृढ़ स्थिति भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष का विश्वसनीय मानदण्ड रहा है। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल में गृह को जाया की उपमा दी गई है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है- 'गृह पत्नी से ही प्रतिष्ठित है एवं स्त्री पुरुष का अर्धांग है।'⁴

वैदिक युग में जहाँ एक ओर स्त्री को पुरुष शक्ति का पर्याय माना गया है वही दूसरी ओर नारी के अवरोध की बातें भी कहीं गयी है। आपस्तम्भ धर्मसूत्र में 'स्त्री का पहला कर्तव्य पुत्र संतान को जन्म देना कहा गया है। निःसंतान पत्नी को शादी के दस वर्ष बाद त्याग किया जा सकता है और कन्या को जन्म देने वाली स्त्री को बारह वर्ष बाद'⁵

उत्तर वैदिक काल में कन्या जन्म को विपत्ति का कारण माना जाने लगा तथा पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का अधिकार समाप्त कर दिया गया। पौराणिक काल को नारी पतन की चरम सीमा का प्रथम चरण कहा जाने लगा। स्त्री के लिए पति की आराधना को ब्रह्म की आराधना कहा गया है। नारी को पति की मृत्यु होने पर सती होना पड़ता था, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया, नारी तिरस्कृत व अपेक्षित जीवनयापन करने के लिए विवश थी, इस बिंदु पर वंश की शुद्धता को बनाये रखने के लिए स्त्री का पतिव्रता होना आवश्यक था और वहीं दूसरी ओर पुरुष विवाहोत्तर यौन संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र रहा।

उत्तर पौराणिक काल को नारी पतन का अंतिम चरण कहा जा सकता है। इस युग में माता को गुरु कहा जाने लगा, लेकिन फिर भी दूसरी ओर नियोग-प्रथा प्रचलित रही। इस युग में नारी ने अपनी वीरता व प्रशासन-कौशल का परिचय देते हुए युद्धों में प्रतिभागिता दी। सिक्को पर नारी का चित्र जैसे (नूरजहाँ के नाम के सिक्के) अंकित होना उसकी सम्मानीय स्थिति का प्रतीक था। इस प्रकार काल प्रवाह में नारी के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा।

नारी (आज) - जब सम्पूर्ण देश में प्रगति की स्वर्णित रश्मियाँ विकीर्ण हो रही है तो नारी समाज इसके संस्पर्श से कैसे अछूता रह सकता है। वर्तमान समय में नारी ने घर की देहरी को लांघते हुए धीरे-धीरे शाला की पगडंडी पर अपने पाँव रखे। समाज सुधार के इस दौर में नियम कानूनों तथा नैतिकता की एकरूपता के नाम पर विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्णों, सामाजिक व्यवस्थाओं की स्त्रियों को सवर्ण जातियों के धर्मों में प्रतिपादित शुद्ध आचरण तथा नैतिकता के दायरे में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं, इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी उपस्थित दर्ज करानी आरम्भ कर दी।

महिला सशक्तीकरण के इस युग में अबला कही जाने वाली नारी आज सबला है। आज वह अपने अधिकारों से परिचित है चाहे वह उन्हें स्वेच्छा से प्रयोग न करें। आज वह अपने स्वरूप को पहचानती है और कहती है - 'कितनी बड़ी शक्ति हमारे हाथ में है, जिसे हमने पहचाना ही नहीं। हम घर बनाते हैं, हम पीढ़ियाँ बनाते हैं'⁶

(We are home makers, we are generation makers)

वर्तमान में विधवा नारी के आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाने के कारण उसकी परिस्थितियों में बदलाव आया है, आज वह रुढ़ियों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करती अपितु स्वेच्छा से दूसरा विवाह कर सकती है।

परन्तु फिर वर्तमान नारी का जीवद्वन एक पल सरल है तो दूसरे पल जटिल। आज भी न जाने कितनी समस्याएँ (यौन-शोषण, भ्रूण-हत्या, बलात्कार, दहेज-प्रथा, घरेलू-हिंसा) उसके जीवन को कैद कर रखा है -

'पलट दी तस्वीर भारत की
नारी के आगे बढ़ने की चाह ने
चुप हूँ, कैसे कहूँ? क्या कहूँ?
रोड़े अब भी है उसकी राह में'

नारी को अपनी निजता, स्वायत्ता और अपनी अर्जित जमीन पर अपने बल-बूते चलने के लिए जरूरी है कि वह अपने लिए खुद जीने के रास्ते तलाशे। अर्थात् '**नारी की स्वतंत्रता उसकी अपनी स्वतंत्रता**'

नारी (कल/भविष्य) - नारी की स्थिति का अतीत से वर्तमान तक अवलोकन करने के पश्चात एक प्रश्न मन में स्वतः ही अंकुरित होता है कि नारी का आने वाला कल क्या होगा? क्या आने वाले समय में नारी की दशा सुधरेगी?

- नारी चिंतन की अनेक पंक्तियाँ हैं, वह कई धाराओं में होकर वैश्विक परिपेक्ष्य में प्रसारित एवं प्रचलित है।
- नारी के लिए देह प्रदर्शन एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, सौंदर्य के प्रति नारी की बढ़ती चाह ने उसके आंतरिक स्वरूप पर प्रश्न चिह्न (?) लगा दिया है?
- देह की स्वतंत्रता का नारा नारी के स्वरूप को कामुकता की तरफ ले

जा रहा है जो कि भविष्य में उसके लिए चिंता का विषय बनेगा 'नारी मुक्ति की सफलता, विफलता में तब बदलती है जब उस उदार समाज की नारी अवैध बच्चे को जन्म देती है और मर्द समाज उस बच्चे का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर नहीं लेता है।'⁷

- जहाँ तक मैं समझती हूँ कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में तो निरंतर सफल होगी और विविध आयामों को पार करती हुई आर्थिक रूप से सबल होगी।

अंततः मैं यही कहूँगी कि सभ्यता स्वयं नारी पर निर्भर है, मैं प्राणियों के विकास में नारी को पुरुषों से श्रेष्ठ समझती हूँ-

'स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ हैं जितना प्रकाश अंधेरे से ⁸

नारी अपने स्वरूप को पहचाने और अपने लिए स्वर्णिम व सुखद भविष्य का निर्माण स्वयं करे।

'नारी तेरे रूप को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम

तेरे हौंसले को पंख और तेरे जज्बे को सलाम'⁹

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीपशिखा की भूमिका - महादेवी वर्मा।
2. स्त्री उपेक्षिता - प्रभा खेतान - पृष्ठ-121
3. स्त्री-विमर्श विविध पहलू - कल्पना वर्मा, पृष्ठ-12
4. शतपथ ब्राह्मण (८/२/१/१०)
5. आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१/१० - ५१-५२)
6. स्त्री विमर्श विविध पहलू - कल्पना वर्मा, पृष्ठ-२१
7. औरत के लिए औरत - नासिरा शर्मा, पृष्ठ-१२५
8. गोदान - प्रेमचन्द, पृष्ठ-१६१
9. बिटिया (स्वलिखित)- डा० सारिका त्यागी

आदमी का जहर उपन्यास में चित्रित राजनैतिक परिदृश्य

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – समाज और राजनीति दोनों अन्योन्याश्रित हैं। दोनों एक दूसरे से तरंगित एवं प्रभावित होते हैं। समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है, व्यक्ति की राजनीति समाज को प्रभावित करती है और समाज को प्रतिबिम्बित भी करती है। राजनीति समाज के यथार्थ की प्रतिछाया है। अतः सामाजिक उपन्यासों में देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का आभास हमें मिल जाता है।

प्रेमचन्द्र ने अपनी रचनाओं में राजनीति का चित्रण किया है— उनका दृष्टिकोण था, साहित्य समाज और संस्कृति में अटूट सम्बंध है। 'ये चीजें माला जैसी ही हैं, जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा, उसका समाज भी अच्छा होगा, समाज के अच्छा होने पर भी मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ-साथ चलने वाली चीजें हैं, इस तीनों का उद्देश्य ही जो एक है—साहित्य इन तीनों की उन्नति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य समाज और राजनीति का संबंध बिल्कुल अटूट है।'¹

प्रेमचन्द्र का दृष्टिकोण समाज के प्रति आदर्शात्मक था। वे साहित्य को सुधार करने का एक उपाय मानते थे। साहित्य को आदर्श स्तर रखते हुए उसे राजनीति का भी पथ प्रदर्शक वे मानते थे। 'साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं, उसके आगे-आगे चलने वाला एडवांस गार्ड है। वह उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरुचि से उत्पन्न होता है।'²

प्रेमचन्द्र की यह मान्यता उस समय की है, जब 1936 के बाद का भारत स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था। छोटे-छोटे जागीरदार और जमींदार भी किसानों के शोषण को अपना धर्म और अधिकार समझते थे।

आम समाज की मानसिकता इससे बिल्कुल भिन्न है। सामाजिक उपन्यासकार यथार्थ की भूमि पर खड़ा होकर सामाजिक एवं उससे सम्बद्ध राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का चित्रण करता है। देश की राजनीति, सामाजिक उपन्यासों के मध्य ही विस्तारित होती है। प्रेमचन्द्र के सामाजिक उपन्यासों में भी राजनीतिक आन्दोलन सहज रूप में घुले मिले हैं। श्री लाल शुक्ल ने प्रस्तुत उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का यथार्थ प्रस्तुत करते हुए उससे प्रभावित राजनीति को भी उभारा है। आज की राजनीति प्रेमचन्द्र युगीन गांधीवादी विचारधारा से भिन्न है। तत्कालीन राजनीति राष्ट्रीय भावना एवं सामाजिक चेतना से प्रभावित थी। आज की राजनीति कुछ भिन्न है। आज प्रजातंत्र का स्वरूप बदल गया है। उपन्यासकार ने शहरी राजनीति की खोल को उधाड़ने में तनिक भी संकोच नहीं किया है।

शहरी राजनीति में समानता का अधिकार नहीं है। यहाँ राजनीति है केवल सम्पन्न वर्ग की। यहाँ जो व्यक्ति सम्पन्न है, वही राजनीति के क्षेत्र में उतर सकता है। आज की राजनीति में नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी का

मूल्य नहीं है। अजीत सिंह एक चरित्रहीन व्यक्ति है। उसे समाज के उच्चवर्गीय व्यक्ति ही राजनीति के योग्य ठहराते हैं। कितनी खोखली है, आज की राजनीति। एक नेता अजीत सिंह के पक्ष में भाषण दे रहे हैं।—

'अजीत सिंह के दिल में एक आग थीक्रान्ति की आग। सर्वहारा वर्ग के लिए वह जान की बाजी लगा सकता था ऐसा आदमी यदि देश की राजनीति में आ जाए तो बहुत हित होगा पर वह मुझसे बराबर कहा करता था कि न ही जनक्रान्ति निकाल कर मैं जैसी देश की सेवा कर रहा हूँ वह बहुत काफ़ी है, सच्चे पत्रकार का किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।³ ऐसे समाज सेवी और राजनेता से देश का किस प्रकार हित होगा जो ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा कर रहा है जो अपने अनैतिक आचरण से ही समाज को पीड़ित कर रहा है।

दूसरे नेता हैं, शान्ति प्रकाश जी जो कारपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी कितनी नैतिकता है, जो शहर के पवित्र महिला आश्रम को व्यभिचार और पापाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। इनका वक्तव्य भी कितना हास्यास्पद है—

'साप्ताहिक जनक्रान्ति' समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और गन्दगी का निर्भीकता से भंडाफोड़ करता था।⁴

आश्चर्य इस बात का है कि जनक्रान्ति का संपादक भ्रष्टाचारी को मात्र पैसे के बल पर बढ़ावा देता था।

उपन्यासकार ने आज के नेताओं पर कटु व्यंग्य किया है। इनके कथनी और करनी तथा बाह्य और आन्तरिक रूप में कितना अन्तर है। जिस समाज में नेता अजीत सिंह जैसे पतित व्यक्ति को प्रोत्साहन दें उस समाज का पतन क्यों न हो? पुलिस को भी पैसा देकर वश में करने वाले भ्रष्टाचारी नेता जो बड़ी-बड़ी हत्याओं तक के मामले को दबा देते हैं, वही पुलिस को निकम्मा कहने में नहीं चूकते। उमाकान्त का यह कथन—

'अजीत सिंह और शान्ति प्रकाश के सम्बन्धों की बात जान कर लगा कि सचमुच राजनीति जहन्नूम में जा रही है।'⁵

आज का प्रजातंत्र केवल शब्दों में है उस पर हावी है, वैभव का तंत्र। कारपोरेशन के चुनाव में जीत होती है, मोटर कार वालों की। ये वेश-भूषा में है, तो एकदम स्वच्छ सफेद परन्तु अन्तर उनका काला है। ये नेता ऐय्याश, शराबखोर, व्यभिचारी हैं, जो केवल समाज को नष्ट कर रहे हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए हैं। सारे काले कारनामे छिप कर होते हैं।

'आजकल चुनाव के दिन हैं। इन दिनों वह अपने इलाके के होटलों में शराब नहीं पी रहा है, वोटों पर इसका बुरा असर पड़ेगा।'⁶

इन चुनावों में पाँच-पाँच सौ रूपए शराब पर खर्च हो रहे हैं। चुनाव प्रचार में उच्च तबके के लोगों से लेकर मारपीट और गुण्डागर्दी करने वाले

लोग शामिल रहते हैं। कारपोरेशन के चुनाव में जसवन्त खड़े हैं। उनका प्रचार कर रहा है, मोहन नाम का गुण्डा जो हाल ही में जेल से छूटा है। इसी बल पर जसवन्त कारपोरेशन का चुनाव कई बार जीत चुके हैं। 'यह सभी जानते थे कि जसवन्त अपने मोहल्ले का बदनाम आदमी है। यह कई बार कारपोरेशन का चुनाव लड़ चुका था, अपनी जनप्रियता के कारण नहीं बल्कि डराने धमकाने की शक्ति और अंधाधुन्ध रूपये के जोर पर उसकी जीत हो रही थी। इस बार भी वह इन्हीं ताकतों के जोर से चुनाव के मैदान में आया था।'

आज के समाज का सम्पन्न वर्ग किस प्रकार तानाशाह बन गया है। इनकी तानाशाही से जनसामान्य का मानसिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है। जनसामान्य त्रस्त है।

भ्रष्टाचारी नेता शासन की सम्पूर्ण बागडोर भी अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं। आज ऐसा ही हो रहा है। शासन की सम्पूर्ण नीतियों में ये नेता हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए शासन की व्यवस्था भी समाप्त हो रही है।

'डेमोक्रेसी में हर अफसर को यही समझना चाहिए' वह राजनैतिक इशारे पर ही काम करें। गांधीवादी नीति आज समाप्त हो गई है।

उपन्यास जन साहित्य है- इसका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। अतः

उपन्यासकार तटस्थ होकर युगीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को यथार्थरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। श्री लाल शुक्ल ने 'आदमी का जहर' उपन्यास में वर्तमान युग के शहरी समाज की समस्याओं का यथार्थ पक्ष पाठकों के समक्ष रखा है।

आधुनिक शहरी समाज बाह्य रूप से कितना आकर्षक और उन्नत दिख रहा है परन्तु उसके सारे नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं। समाजवादी और मानवतावादी सिद्धांत ढीले हो गए हैं। परिणाम स्वरूप शहरी जीवन का सम्पूर्ण ढाँचा जर्जरित हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिवरानी देवी 'प्रेमचन्द घर में'-पृष्ठ 94-95
2. मुंशी प्रेमचन्द कुछ विचार-पृष्ठ 74
3. श्रीलाल शुक्ल-आदमी का जहर पृष्ठ-113
4. श्री लाल शुक्ल-आदमी का जहर पृष्ठ -114
5. श्री लाल शुक्ल-आदमी का जहर पृष्ठ -116
6. श्री लाल शुक्ल-आदमी का जहर पृष्ठ -115
7. श्री लाल शुक्ल-आदमी का जहर-पृष्ठ-95

केदारनाथ अग्रवाल की कविता में लोक सौन्दर्य दृष्टि

डॉ. कुमुद कला मेहता *

प्रस्तावना - ज्ञान, संवेदना, विचार, विवेक, लगन, आस्था से परिपूर्ण केदारनाथ अग्रवाल को महज एक कवि, लेखक, आलोचक, विचारक जैसी पारिभाषिक शब्दावलियों की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। विचारों की जितनी व्यापकता और सघनता केदार जी की कविताओं में देखने को मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं। प्रकृति, लोक जीवन के दुःख-सुख, आशा-निराशा संघर्ष और जिन्दगी से गहरा लगाव - केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्ट इस अर्थ में कि ये अपनी कविताओं में युग की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। बकौल केदार जी के शब्दों में 'मैं आदमी की महत्ता इसमें समझता हूँ कि वह अपनी चेतना को मानव बोधी बनाता चले, लोक में लीन रहे; स्वयं, जग और जीवन से, प्रकृति और परिवेश से, लोक व्यवहार से दृढ और संघर्ष करता रहे और सत्य से सम्बद्ध होते-होते भ्रम और मिथ्या का परित्याग करता रहे। जो ऐसा नहीं करता, वह अविकसित बना रहता है; असंबद्ध होकर, व्यक्ति सबसे कटकर, अकेले में मर जाता है। यह प्रवृत्ति का संवेदन रूप है। इसलिए वह शिल्प या प्रणाली भी है। यह स्थिति सौन्दर्यानुभूति की है। सौन्दर्य मानवीय चेतना की क्षमता है।' इनमें एक तरफ छायावादियों की तरह प्रकृति से गहरा लगाव दिखलाई पड़ता है तो दूसरी ओर प्रगतिशील काव्य आंदोलन के दौर की वैचारिक प्रखरता भी। पर न तो प्रकृति के प्रति लगाव इन्हें छायावादियों की वायवीय कल्पनाशीलता से बाँधता है न ही वैचारिक प्रखरता इनकी कविताओं के गहरे भाव-बोध को उथला बना पाती है - इसके पीछे कारण है लोक जीवन में इनकी गहरी पैठ और भाषा में विडंबना, विसंगतियों के गहरे अर्थपूर्ण प्रयोग। यह गौर करने की बात है कि आजादी के आंदोलन के दिनों में अनेक कवियों ने राष्ट्रीयता बोध और देशभक्ति की कविताएँ, पर जिस तरह विडंबनाओं का प्रयोग केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में किया है, वह दुर्लभ है। एक चित्र प्रस्तुत है -

देश को आजाद कर लें
वीर नर है इस फिकर में
चैन से है भैंस सर में

इन पंक्तियों में बिम्ब के प्रयोग में अद्भुत कौशल है। भाषा सीधी और सपाट है। मगर बिंब चौंकाने वाले हैं। एक बिंब उभरता है, उन देशभक्तों का, जो देश को आजाद करने की चिंता में घुल रहे हैं, अंग्रेजों की बंदूकों के सामने सीना खोले खड़े हैं, दूसरी तरफ भैंस का बिंब है, वह तालाब में लोट रही है। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपने एक भाषण में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह केदार की राजनीति कविताओं का अपना विशिष्ट अंदाज है। इस विशिष्ट अंदाज को हम इसके बिंब की विशिष्टता में देख सकते हैं। पहले देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों का बिंब सामने आता है, पर

तुरंत तालाब में लोट रही भैंस का चित्र सामने आ जाता है। दोनों बिंबों में कोई तुलना नहीं है। यही वह बिन्दु है, जब पाठक झटके में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचता है और तब कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। तालाब में 'लोट रही भैंस' का बिंब देश के उन सामंतों, पूँजीपतियों की ओर संकेत करते हैं, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। डॉ. रामविलास शर्मा इनकी कविताओं में राजनीतिक रंग देखते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर राजनीतिक विचार इनकी कविताओं में सीधे नहीं आते, वे जीवन की गहराई से उभरकर सामने आते हैं। जीवन के प्रति अटूट आस्था ही इनकी कविताओं का मूल स्वर है। राजनीतिक, सामयिक जीवन के संकट इस जीवन से बाहर नहीं हैं, इसलिए केदार की कविताओं में संघर्ष है, मेहनतकारों के पसीने बहाने के चित्र हैं, किसानों, मजदूरों के श्रम के प्रति गहरा आत्म-विश्वास है। निस्संदेह केदार जनवादी थे, पर जनवादी चेतना उनकी कविता के सौंदर्य बोध के ऊपर-ऊपर नहीं तैरती दिखलाई देती, वह बिंबों, विडंबनाओं में रची-बसी है। इसीलिए वे भाषा में एक से बढ़कर एक अनूठे चित्र प्रस्तुत करते हैं।

'कंधो पर लिए नदी
मूँड पर धारे ना'

यह बिंब अद्भुत है, कलात्मक है, मगर स्पष्ट रूप से जीवन के संघर्ष को, मेहनत का किसान और मजदूर की पीड़ा को व्यक्त करता है। भाषा के साथ केदार जिस प्रकार खेलते हैं, वह कौशल सिर्फ अज्ञेय में दिखलाई पड़ता है, मगर वे अज्ञेय की तरह व्यक्ति के अवसाद के चित्रण में विश्वास नहीं करते। उनमें वर्गीय चेतना की समझ स्पष्ट है।

जीवन के प्रति गहरा लगाव, और उनकी वर्गीय चेतना इनकी कविताओं में लोक सौंदर्य दृष्टि का सृजन करती है। यह वही लोक सौंदर्य दृष्टि है, जिसका प्रारंभ निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर से होता है। छायावादियों की तरह इनमें भी प्रकृति के प्रति लगाव है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकताओं से दूर नहीं है। डॉ. बच्चन सिंह कहते हैं कि इनका प्रकृति प्रेम जीवन के व्यापारों से जुड़ा हुआ है। इसमें भावुकता नहीं है, कवि प्रकृति के सुंदर दृश्यों में खो नहीं जाता। बच्चन सिंह के अनुसार इसमें गाँव के किसानों की प्राकृतिक परिवेश से एकतान कर दिया गया मालूम पड़ता है -

'रोक बीते के बराबर
यह हरा ठिगना चना
बांधे मुँठे शीश पर
छोटे गुलाबी फूल का'

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने निजी जीवन में केदारनाथ अग्रवाल अकेलेपन की पीड़ा महसूस करते थे। बाँदा जैसी छोटी जगह में रहकर वे व्यापक जीवन से अलगाव महसूस करते थे, पर यह अलगाव उन्हें

प्रयोगवादी कुंठा या अवसाद का शिकार नहीं बना पाता तो इसका कारण लोक जीवन से उनका गहरा लगाव ही था।

यह ध्यातव्य है कि केदारनाथ अग्रवाल लोक सौंदर्य बोध की दृष्टि से निराला और नागार्जुन के करीब ठहरते हैं। निराला ने अपनी कविताओं में जगह-जगह व्यंग्य, विडंबना के प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए उनकी 'कुकुरमुत्ता' कविता को देखा जा सकता है। इसी प्रकार नागार्जुन की कविताओं में भी व्यंग्य और विडंबना के प्रयोग हैं। आजादी के आंदोलन को लेकर निराला का दृष्टिकोण आम स्वतंत्रता समर्थकों से भिन्न था। उन्होंने लिखा था कि 'भेद वह खुल जाए जो तुम्हारे दिल में है। देश को मिल जाए जो पूँजी तुम्हारे मिल में है' - जाहिर है कि निराला के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, बल्कि देशी पूँजी का विकेन्द्रीकरण हो, यह भी उनका दृष्टिकोण था क्योंकि इसके बिना जनता की समस्याओं का खात्मा संभव नहीं था। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में भी इसी आम आदमी के प्रति चिंता है। इनके लिए भी आजादी का मतलब यही था कि देश के मेहनतकश किसान मजदूरों की जिन्दगी बेहतर हो। यह गौर करने योग्य है कि निराला की तरह ही प्रेमचंद भी महसूस कर रहे थे कि जब तक आजादी का आंदोलन किसानों मजदूरों के शोषण से मुक्ति के आंदोलन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक आजादी का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आयेगा। उनके 'गबन' उपन्यास का एक पात्र देवीदीन गांधी जी के अनुयायियों से पूछता है कि साहब, सच बताओं, तुम जो सुराज लाने जा रहे हो, वह कैसा होगा? तुम भी साहबों की तरह बंगलों में रहोगे, मोटरों

में सैर करोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, तो देश का भला क्या खाक होगा? इसी प्रकार निराला पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित पूँजी के विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं और केदार तालाब में लोट रही भैंस के चित्र के माध्यम से सामंतों-पूँजीपतियों पर सीधा व्यंग्य करते हैं -

आग लगे इस राम-राज में
ढोलक मढ़ती है अमीर की
चमड़ी बजती है गरीब की
खून बहा है राम-राज में

पूँजीपतियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं -

मिल मालिक का बड़ पेट है
बड़े पेट में बड़ी भूख है
बड़ी भूख में बड़ा जोर है
बड़े जोर में जुलूम घोर है

केदारजी के अनुभव लोकजीवन में इसी एकात्मकता से मिलता है। कवि आत्मलोप की क्षमता से काल और देश के इतिहास में व्याप्त हो जाता है। खुद निराकार होकर सबमें व्याप्त हो जाता है। स्रष्टा का यही लक्षण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गूँज (स्मृति अंक) सं० - अर्किचन, वर्ष-8, अंक 9-11
2. हिन्दी का गद्य साहित्य - रामचन्द्र तिवारी।
3. वाद-विवाद-संवाद-नामवर सिंह।
4. कविता का उत्तर जीवन- परमानन्द श्रीवास्तव।

इतिहास बोध और इतिहास-दर्शन अर्थ एवं स्वरूप

डॉ. मधु विजय *

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोधपत्र में इतिहास बोध और इतिहास दर्शन- अर्थ एवं स्वरूप को समझने के लिए इतिहास के अर्थ और स्वरूप को समझना आवश्यक है। इतिहासकार किसी युग का सांस्कृतिक इतिहास लिखता है तो इतिहासकार की सांस्कृतिक दृष्टि वही होगी जो उसने अनुभव और अध्ययन से प्राप्त की है। उसी के आधार पर वह अतीत के किसी कालखण्ड के तथ्यों का चयन और अनुशीलन करते हुए निष्कर्षों पर पहुँचता है। भारतीय आचार्यों ने इतिहास और साहित्य के संबंधों पर विचार करते हुए साहित्येतिहास के कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका इतिहास से संबंध न हो। साहित्य को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रिया - कलापो के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्य का स्वरूप इतिहास दर्शन के स्वरूप को निर्धारित करता है। इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है।

साहित्येतिहास के स्वरूप को समझने के लिए इतिहास के अर्थ और स्वरूप को समझना आवश्यक है। इतिहास शब्द इति+ह+आस से निर्मित है, जिसका अर्थ है- ऐसा हुआ था। इस प्रकार अतीत की घटनाओं के काल-क्रम में संयोजित, इतिवृत्त को इतिहास माना जाता है। किन्तु इतिहास निर्जीव तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है। वस्तुतः इतिहास मानवीय विकास की जीवन्त प्रक्रिया है। इसमें दो तत्व समाहित रहते हैं, एक और वर्तमान के विकास बिन्दु पर स्थित इतिहासकार होता है। दूसरी ओर अतीत के विस्तार में फैले हुए तथ्यों या घटनाओं का समूह होता है। इतिहासकार एक दृष्टि संपन्न अनुभवी व्यक्ति होता है, वह तटस्थ रहते हुए भी अपने अध्ययन और अनुभव से अर्जित दृष्टि से ही अतीत के तथ्यों का चयन, संकलन और विवेचन करता है।

सही ऐतिहासिक अध्ययन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं -

1. इतिहासकार की दृष्टि का स्वच्छ होना।
2. तथ्यों को बिना तोड़े-मरोड़े सही रूप में ग्रहण करना और अज्ञात या अल्पज्ञात तथ्यों की खोज करना।
3. दृष्टि को तथ्यों पर लागू करने में तर्कसंगत कारण-कार्यमूलक विवेचन पद्धति का सहारा लेकर सही निष्कर्षों तक पहुँचना।

डॉ० हरिशचन्द्र वर्मा के अनुसार - 'इतिहासकार एक अनुभवी और दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि अतीत के अनुभवों से और वर्तमान के दबावों से उभरती है। जब इतिहासकार सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्यिक, सौंदर्यात्मक या कोई भी अन्य दृष्टि प्रत्यक्ष रूप में अपनाकर नहीं चलता है, तब भी कोई न कोई दृष्टि उसके अध्ययन में गहराई से रहती है।'

पाश्चात्य विद्वानों और भारतीय आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण

से इतिहास की व्याख्या की है-

1. इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण - इतिहास संबंधी जिन धारणाओं का विवेचन पाश्चात्य इतिहासकारों ने किया, वे यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। कार्लिंगवुड के इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए ई.एच.कार. ने लिखा है कि -

'इतिहास' दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अपने आप में अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारंपरिक संबंध से होता है।'

इतिहासकार के लिए अतीत में घटित घटनाएँ तब तक होती हैं, जब तक वह अपने पीछे कार्यरत विचार को समझ नहीं लेता। अतः प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है और इतिहास इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है, इतिहासकार के मन में अतीत का पुनर्निर्माण उसके अनुभूत प्रमाणों पर आधारित होता है मगर अपने आप में यह एक अनुभवाश्रयी प्रक्रिया नहीं है और केवल तथ्यों के वर्णन तक सीमित नहीं हो सकती। इसके विपरीत पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया तथ्यों के चुनाव और व्याख्या को निर्धारित करती है: और यही उन्हें ऐतिहासिक तथ्य बनाती है। इतिहास क्या है, इसकी व्याख्या ई.एच.कार. ने इस प्रकार की है -

'इतिहास, इतिहास और उसके तथ्यों की क्रिया -प्रतिक्रिया की अनवरत प्रक्रिया है, अतीत और वर्तमान के बीच एक अन्तहीन संवाद है।' एम. ओकषाट ने इतिहास को इतिहासकार का अनुभव माना है। इतिहासकार के अतिरिक्त और कोई इसका निर्माण नहीं करता।

इतिहासकार तथा अतीत के तथ्यों के मध्य के अंतः संबंध की सत्त प्रक्रिया ही इतिहास है। यह वर्तमान और अतीत के मध्य निरन्तर चलने वाला संवाद है।

इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हिरोदोटस ने इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसके चार लक्षण निर्धारित किए हैं -

1. इतिहास विज्ञान है, अंतः इसकी प्रवृत्ति आलोचनात्मक होती है।
2. यह मानव जाति से संबद्ध होने के कारण मानवीय विधा है।
3. इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं।
4. इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर भी प्रकाश डालता है।

'सृष्टि का बाहरी विकास प्रकृति की आन्तरिक विकास- प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, डारविन ने अपने विकासवादी सिद्धान्त की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। डारविन-परवर्ती युग में विभिन्न चिन्तकों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकासवादी सिद्धान्तों की स्थापना करते हुए प्रमाणित किया कि

सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। डारविन के विकासवाद का इतिहास-दर्शन पर भी प्रभाव पड़ा।

2. इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण - इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, इसीलिए उसमें भौतिक जगत् की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरन्तन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है।

डॉ० गणपतिचंद्र गुप्त ने साहित्य का इतिहास से संबंध स्थापित करते हुए लिखा है-

‘वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका इतिहास से संबंध न हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबद्ध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रिया -कलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं।’

आधुनिक भारतीय विद्वानों ने इतिहास को तथ्यों का प्रमाणिक संकलन मानते हुए उसके विवेचन - विश्लेषण को काल- सीमा के विशेष क्रम में रखा है। भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी संप्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें ‘सत्यं, शिवं व सुन्दरम्’ के समन्वय का प्रयास किया।

इस प्रकार इतिहास का अर्थ अनुसंधान में निहित है। अतः इसमें तथ्यों, तत्वों और प्रवृत्तियों का विवेचन विश्लेषण, काल - सीमा को दृष्टि में रखकर करना पड़ता है।

इतिहास - दर्शन का स्वरूप - हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुल्क जी ने इतिहास दर्शन के संबंध में गंभीरता से विचार किया। उन्होंने इतिहास दर्शन की बहुत ही स्पष्ट और सर्वांगीण परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा -

‘जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित

प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है।’

आचार्य शुक्ल ने साहित्य परम्परा के साथ जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा का सामंजस्य दिखाने का उल्लेख करके साहित्येतिहास की कारण-कार्यमूलक विवेचन पद्धति पर प्रकाश डाला है।

साहित्य का स्वरूप इतिहास दर्शन के स्वरूप को निर्धारित करता है। युगीन संदर्भ और साहित्यकार की मानसिकता के संपर्क में साहित्य की सृष्टि होती है। जिस प्रकार युगीन संदर्भ ऐतिहासिक परंपरा के विकास-क्रम के परिणाम होते हैं और इस नाते ऐतिहासिक परंपरा के अविच्छिन्न अंग बनकर प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार साहित्यकार की मानसिकता भी ऐतिहासिक तथा वैचारिक परंपराओं से अनुप्राणित रहती है। प्रत्येक साहित्यिक कृति का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय-समय पर बदलते रहे हैं। -इस तथ्य के आधार पर इतिहास-दर्शन’ विषय की स्थापना हुई। जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं विचारों या धारणाओं को समूह -रूप में इतिहास - दर्शन की संज्ञा दी जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ - हुकुम चंद राजपाल, प्र०-2
2. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ - डॉ० नगेन्द्र प्र० -40
3. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ - हुकुम चंद राजपाल, प्र०-5
4. वही पृष्ठ -5
5. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ - हुकुम चंद राजपाल, प्र०-4

ओमप्रकाश वाल्मीकि कृत आत्मकथा 'जूठन' में दलित जीवन की अभिव्यक्ति

डॉ. अशोक पंकज *

प्रस्तावना - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनकी आपसी अन्तःक्रियाओं के कारण समाज का निर्माण होता है। समाज के निर्माण में व्यक्ति, परिवार, जनसंख्या, विवाह, धर्म, रीति-रिवाज, रूढ़ियाँ, विषमता, वर्ण-व्यवस्था, इत्यादि तत्वों की अनिवार्यता होती है। भारतीय समाज के निर्माण में वर्ण-व्यवस्था अग्रणी भूमिका निभाती है। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर बढ़ते ही भारतीय समाज अस्पृश्यता से अभिशप्त होने लगा। इस अस्पृश्यता ने भारतीय समाज पर यह दुष्प्रभाव डाला कि समाज में काम धंधे और जातिगत विषमता के कारण दो प्रमुख वर्ग-उच्च तथा अति निम्न वर्ग बन गए। फलस्वरूप मनुष्य मनुष्य से नाक भीँ सिकोड़ने लगा। निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के अधीन रहकर जानवरों की भांति बनकर दिन-रात हाड़तोड़ परिश्रम करना पड़ा। इसका भारतीय समाज की निम्न श्रेणी पर इतना कुप्रभाव पड़ा कि एक बहुत बड़े तबके की पीढ़ियों को उच्च जाति के मनुष्य के अत्याचारों के दंश को सहन करना पड़ा।

आज उन पर जो बीती है, उस पर चिंतन करते हैं तो मन में विचारों का गुम्फन पैदा होता है। मन में कई प्रकार के प्रश्न पनपते हैं जैसे कि क्या हम अच्छूत हैं? क्या हम स्वयं को मनुष्य मान सकते हैं?, क्या हमें समाज में जीने का अधिकार नहीं है? इत्यादि। जब ऐसे विचारों के गुम्फन से बड़ा समुदाय चेतन सम्पन्न हुआ और विचारशील व्यक्तियों का ध्यान इसकी ओर गया तो उनकी कलम इनके जीवन पर लिखे बिना रुक न सकी। यही कारण है कि दलित, पीड़ित, शोषित समुदाय ने अपने ऊपर बीती घटनाओं को समाज के समक्ष यथार्थरूपेण करने का श्री गणेश किया। ओमप्रकाश वाल्मीकि उन्हीं में से प्रख्यात साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा 'जूठन' के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठित उच्च वर्ग का निम्न वर्ग (चूहड़ों) के भोगे जीवन का यथार्थ चित्रांकन किया है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि आधुनिक दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से प्रमुख हैं। उनका जन्म 30 जून, सन् 1950 में मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) के बरला ग्राम में हुआ। निम्न, अतिदलित भाव चूहड़ा परिवार में जन्म लेना ही इनके साहित्य सृजन करने का मूल कारण था। वाल्मीकि को इनके पिता जी मुंशी जी कह कर बुलाते थे। इनके परिवार में माता-पिता, पाँच भाई और एक बहन थी। इनके पिताजी तगाओं की सेवा करके अपने परिवार का पेट भरते थे। अपने परिवार में वाल्मीकि ही सबसे बड़े थे जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। मुंशी जी को स्कूल (मदरसे) में दाखिला लेने में काफी दिक्कतें और मानसिक तनाओं से जूझना पड़ा। इन सब के पीछे ओमप्रकाश का चूहड़ा परिवार से तथा निम्न जाति से संबंधित होना था। सुवर्ण जाति के लोग गाँव के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों तक तुच्छ, हीन और कूड़े के समान अछूत समझते थे।

इसलिए सुवर्ण इन्हें यदि उम्र में बड़ा हो तो 'ओ चूहड़े' बराबर या उम्र में छोटा हो तो 'अबे चूहड़े' से संबोधन करते थे।

ओमप्रकाश ने मास्टर सेवकराम मसीह के खुले तथा बिना चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया, जहाँ चारों तरफ अस्पृश्यता का माहौल था, जहाँ जाति व्यवस्था की खतरनाक खायी थी जिसमें जाति और श्रम की मार से व्याकुल चीखें सुनाई देती थी। स्कूल के पहले ही दिन मुंशी की जात को लेकर हैडमास्टर और मुंशी के पिता के बीच इस प्रकार टकरार दिखाई देती है- 'हैडमास्टर ने तेज आवाज़ में कहा था', 'ले जा इसे यहाँ से..... चूहड़ा होके पढ़ने चला है.....जा चला जा....., यो नहीं तो हाड़ गोड तुडवा दूँगा'¹ परंतु उसके पिता अपने जिद पर अड़े रहे 'यो चूहड़े का यही पढ़ेगा-इस मदरसे में। और यो ही नहीं, इसके बाद भी आवेंगे पढ़ने कू'² इस प्रकार यह दलित समाज पर हो रहे अत्याचार का सजीव चित्रण है जहाँ शिक्षा के माध्यम से उच्चवर्ग के वर्चस्व को तोड़ने का यथासंभव प्रयास है।

जब ऐसे मदरसे में हैडमास्टर का ऐसा रूखा व्यवहार है तो छात्रों और अध्यापकों का व्यवहार कैसा होगा? लेकिन ओमप्रकाश इन सब बुरे विचारों और प्रताड़नाओं को उपेक्षित कर आठवीं कक्षा में पहुँचते-पहुँचते शरतचंद्र, मुंशी प्रेमचंद और रवींद्रनाथ टैगोर के साहित्य का गहन अध्ययन कर चुके थे।

वाल्मीकि के पास न केवल तर्क करने की क्षमता थी बल्कि शास्त्रों पर प्रश्न करने का उच्च साहस भी था। स्कूल में मास्टर साहब कक्षा में द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ाते समय द्रोणाचार्य की गरीबी का उदाहरण दे रहे थे जिस पर वाल्मीकि हैडमास्टर से तर्क-वितर्क करने लगे कि 'अश्वथामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल की मांडा फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया। किसी भी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा?'³ मास्टर साहब द्वारा उसकी पीठ पर छड़ियों की बौछार कर महाकाव्य रचा गया जो इस बात की ओर इंगित करता है कि शूद्रजन की आवाज़ को हमेशा ही उच्च जाति के लोगों द्वारा दबाया जाता है।

यद्यपि सुवर्णवादी व्यवस्था में दलितों के साथ बुरा सलूक तो किया ही जाता था साथ ही साथ उनसे भेदभाव कर उन्हें पीने के पानी से भी वंचित रखा था। ऐसे वर्गों के लिए गाँव में अलग से कुँआ, नलका लगा होता था जहाँ सिर्फ वे ही जा सकते थे। स्कूल में भी अलग रूप से ही इनके साथ व्यवहार किया जाता था, जिस कारण दलित विद्यार्थियों के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा के बाद भी प्यास बुझाना मुश्किल था। मुंशी जी के शब्दों में 'परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर औँक से पानी पीना पड़ता था। पिलाने वाला चपरसी

* सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय महाविद्यालय, लमीनी, पठानकोट, भारत

भी बहुत ऊपर से पानी डालता था। कहीं गिलास हाथों से छू न जाए¹⁴ इस प्रकार उस समय अस्पृश्यता चरम सीमा में पहुँची हुई थी।

दलित समाज में भंगी जात ही नहीं बल्कि धोबी भी अति दलितों से भेदभाव करते थे। वे इनके साथ न ही कोई संबंध रखते थे और न ही कोई इनका काम करते थे। यदि कोई काम करने के लिए कह देते तो वे उच्च जाति के भय के कारण अपने कारोबार के बंद होने के प्रश्न को लेकर इनको साफ मना कर अपना नाता तोड़ लेते थे। मुंशी अपने कपड़ों पर इस्तरी करवाने के लिए धोबी के पास जाता है तो धोबी यह कहकर उसकी बेईज्जती करता है 'अबे चूहड़े के किधे घुसा आ रहा है? हम चूहड़े -चमार के कपड़े नहीं धोते, न ही इस्तरी करते हैं। जो तेरे कपड़े पे इस्तरी कर देंगे तो तगा हमसे कपड़े न धुलवाएंगे, म्हारी तो रोजी-रोटी चली जागी'⁵

मानव जीवन को सुचारु रूप से जीने के लिए तीन चीजों की अनिवार्यता बनी रहती है-रोटी, कपड़ा और मकान। दलित समाज आज ही नहीं, बल्कि कई सदियों से इन आधारभूतों वस्तुओं को पाने के लिए संघर्षमय और तगाओं जैसे उच्च वर्गों की ठोकरें खाता आ रहा है जिनकी पीठ पर तगाओं के द्वारा उमची चमड़े की छड़ियों से बने जखम को वाल्मीकि ने दिखलाया। दलितों में भय और भूख का दारुण दृश्य आत्मकथा में देखा जा सकता है। 'चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े-बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चूकने पर झूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इक्की कर लेते थे। पूरी के बच्चे-खुच्चे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पतल पर पाकर बाछें खिल जाती थी। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी'⁶

दूसरी मूलभूत आवश्यकता कपड़े के विषय में वाल्मीकि अपने शब्दों में कहते हैं 'देहरादून की पहली सर्दी मेरे लिए बहुत कष्टदायक थी। मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। गाँव में तो चादर या खेस की बुवल मार कर कक्षा में बैठ जाते थे। यहाँ वह सब संभव नहीं था। स्वेटर की सखत जरूरत थी'⁷

तीसरी आवश्यकता होती है-मकान। दलित वर्ग जहाँ दो वक्त का खाना जुटाने के लिए तगाओं के यहाँ कम पगार पर तथा कभी-कभी मुफ्त में भी काम करने के लिए जुट जाते थे, वहीं उनके पास कोई मकान न होने की वजह से वे गर्मियों में दिन पेड़ के नीचे तो रात खुले आसमान तले बिताते थे। मुसीबत तो उन पर तब आन पडती थी जब जाड़े के दिन या चौमासा लगा होता था। 'जूठन' आत्मकथा में बरसात के दिनों का वर्णन बड़ा ही मार्मिक और वेदनापूर्ण है। बरसात में छत और दीवार से मिट्टी का गारा और दीवार का गिरना आम बात होती थी लेकिन उस वक्त उन अकिंचन दलितों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती थी' उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। मां और पिता एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गये थे। लाखों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थी'⁸

समाज में जहाँ विषम व्यवस्था पाई जाती है वहीं दलित और सुवर्ण में परस्पर कुछ मान्यताओं का विपरीत होना भी सहज ही पाया जाता है। जो कार्य सभ्य समाज में हेय रूप में देखा जाता है, दलित के लिए वही श्रेय भी हो सकता है। भारतीय समाज में सूअर को घृणित और अछूत जानवर के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह जानवर गंदगी खाकर गंदगी में पलता-फूलता है। लेकिन चूहड़ों के लिए यही जानवर गौ माता से कम नहीं है। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने स्वयं अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि 'शादी-ब्याह, हारी-बीमारी, जीवन-मृत्यु सभी में सूअर की महत्ता थी। यहाँ तक की पूजा-अर्चना भी सूअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते गंदगी के प्रतीक नहीं, बल्कि

सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं'⁹

यदि बात करें विधवा विवाह की तो मध्यकाल में संभ्रात हिंदू समाज की विधवाओं को सती होना पडता था। पुनर्जागरण के बाद भी भारतीय विधवाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता था। आधुनिक समय में विधवाओं को समाज द्वारा सुविधाहीन जीवन भोगने को बाध्य किया जाता है लेकिन दलित समाज इन सब विचारों से परे हैं। उनमें पुनःविवाह करने की मान्यता आदिकाल से थी। यही कारण है कि जहाँ बड़े भाई सुखबीर के गुजरने के बाद उसके अनुज जसबीर की भाभी से शादी करा दी जाती है, वहीं चाचा श्यामलाल की पत्नी को मायके वापिस भेज दिया जाता है। उसकी दूसरी शादी राम कटोरी से हो जाती है जो कि कुछ ही दिनों के उपरांत सोल्हड़ का हाथ थाम लेती है। 'कुछ दिन बाद ही माँ ने श्यामलाल चाचा के लिए रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे ननिहाल खजूरी (जिला सहारनपुर) के पास गराहू गाँव है। दोनों गाँवों के बीच हिडन नदी है गराहू में माँ के रिश्ते के भाई रहते थे। उनकी लडकी राम कटोरी रहती थी। माँ ने एक महीने के भीतर-भीतर शादी कर दी थी चाचा की। राम कटोरी के आ जाने से बसेडों का दंश भूल गए थे। श्यामलाल चाचा भी अब दिन-रात काम में लगा रहता था।'¹⁰ यह सब समस्त रिश्तेदारों और समाज द्वारा मान्य होता था।

अति दलित होने के कारण मेरे हुए जानवरों की खाल उतारकर कम आमदनी में जहाँ ये अपनी दैर्घ्यद्वनी गुजारते थे, वहीं परिवार में किसी के बीमार पड जाने पर पैसे ना होने से दवा-दारु करने की बजाए भूत-प्रेत और जादू-टोना-टोटका करने में गहन आस्था रखते थे। ओमप्रकाश ने स्पष्ट किया है 'बस्ती में जब भी कोई बीमार पड जाता, दवा-दारु करने की बजाए भूत-प्रेत की छाया से छुटकारा पाने के कार्य, झाड़-फूंक, टोने-टोटके, ताबीज, गंडे, भूत आदि की अजमाइश शुरू हो जाती थी। ये तमाम काम रात में किए जाते थे। जब बीमारी लंबी खिंच जाती थी या गंभीर रूप ले लेती तो किसी भक्त को बुलाकर 'पुच्छा' की जाती थी।'¹¹

इस प्रकार संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि 'जूठन' आत्मकथा जातिगत उत्पीड़न और दलित समाज (विशेष रूप से चूहड़) के संघर्ष की गाथा है। यह अतीत की घटनाओं और कष्टदायी अनुभवों से उपजी कराह को तो ब्यान करती ही है साथ ही साथ सुवर्ण द्वारा अति दलितों से उपेक्षा-अत्याचार के अनवरत् सिलसिले, आक्रोश-विरोध कारण इनकी चमड़ी-दमड़ी पर बने घावों के रिसते दर्द, घाव और कराह को भी सजीव रूप से उजागर करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- जूठन, ओमप्रकाश वाल्मीकि, नयी दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन, 2012, पृ०16.
- वही, 16.
- वही, 34.
- वही, 27.
- वही, 28.
- वही, 19.
- वही, 93.
- वही, 31.
- वही, 24.
- वही, 38.
- वही, 52

प्रकृति के सुकुमार कवि - पंत

डॉ. जिन्दर सिंह मुण्डा *

प्रस्तावना - सुमित्रानंदन पंत छायावाद काव्यधारा के सर्वथा अनूठे और विशिष्ट कवि हैं। पंत जी को छायावाद का चौथा स्तंभ माना जाता है। पंत जी का जन्म उत्तर भारत के जनपद कौसानी में प्रकृति की सुंदरता में हुआ। कौसानी की उन जुगनुओं की जगमगाती हुई एकांत घाटी का अवाक् सौंदर्य, उनकी रचनाओं में अनेक विस्मयभरी और भावनाओं में प्रकट हुआ है। उषा, संध्या, फूल, कपोल, कलरव औसों के वन और नदी-निर्झर उनके एकाकी किशोर मन को सदैव अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और सौंदर्य के अनेक सद्यः स्फूर्त उपकरणों से प्रकृति की मनोरम मूर्ति रच कर उनकी कल्पना समय-समय उसे काव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करती रहती है। पंत के काव्य में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम और कल्पना की उंची उड़ान है। पंत को अपने परिवेश से ही प्रकृति प्रेम प्राप्त हुआ है, अपने प्रकृति परिवेश के विषय में उन्होंने लिखा - 'कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्म भूमि कुर्माचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है मैं घंटो एकांत में बैठा प्रकृति दृश्य को एकटक देखा करता था।' यह प्राकृतिक परिवेश किसी अन्य छायावादी कवि को नहीं मिला था। पंत का यह साहचर्य प्रकृति प्रेम उनकी प्रथम रचना 'वीणा' से लेकर 'लोकायतन' नामक महाकाव्य तक समान रूप से देखा जा सकता है। 'बीसवीं शती में ऐसे कितने भारतीय कवि हुए हैं, जिन्होंने पंत जैसा जोखिम उठाकर अपने को बार-बार अतिक्रमित करके भी कविता को जीवन, प्रकृति और विचार की चिर-संगिनी बनाया हो। पंत ने वर्गों के भेदभाव, सांस्कृतिक प्रदूषण, मानसिक पराधीनता, वैज्ञानिक चेतना और उसके ध्वंस के साथ जाति-धर्म, कला और तमाम समकालीन प्रश्नों पर विचार जो किया है, उसके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है।'²

प्रकृति की गोद पर्वतीय सुरम्य वन स्थली में जन्मे और पले होने की वजह से उन्हें प्रकृति से बेहद प्यार था। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पंत जी मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे थे। छायावादी दौर के उनके काव्य में रोमानी दृष्टि से मानवीय सौंदर्य का चित्रण है तो प्रगतिवादी दौर में ग्रामीण जीवन के मानवीय सौंदर्य का यर्थावादी चित्रण। पंत जी प्रकृति के कण-कण में व्याप्त सौंदर्य की मुखरता से हमें खूबसूरत करते हैं। सुर्य की किरणों से बात करनी हो या पक्षियों की चहचहाहट में भोर का संदेश -

'प्रथम रश्मि का आना रंगिनी
तूने कैसे पहचाना?
कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनी!
पाया तूने यह गाना?'³

यह कहना अनुचित न होगा कि प्रकृति का सुन्दर रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी में मनन एवं चिंतन की शक्ति आई और वे हिन्दी-साहित्य

को अपना स्वर्ण-काव्य प्रदान कर सके। पंत को प्रकृति ने सौकुमार्य, सौन्दर्य तथा परिष्कृति दी है। इनका प्रभाव उनकी सांस्कृतिक अभिरुचियों, रहन-सहन, भाषा-शैली आदि सभी पर पड़ा। उनका व्यक्तित्व अनघड न होकर संस्कारित है। जीवन के वैविध्य से होकर उन्हें नहीं गुजरना पड़ा है। इसलिए उनमें अनुभूतिगत वह सम्पन्नता नहीं है जो निराला में मिलती है। उनकी कल्पना इसी कमी को पूरा करती है।⁴

पंत के यहाँ प्रकृति निर्जीव जड़ वस्तु होकर एक साकार और सजीव सत्ता के रूप में उपस्थित हुई है, उसका एक-एक अणु प्रत्येक उपकरण कभी मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है संध्या, प्रातः, बादल, वर्षा, वसंत, नदी, निर्झर, भ्रमर, तितली, पक्षी आदि सभी उसके मन को आंदोलित करते हैं। पंत ने प्रकृति के माध्यम से दार्शनिक उद्भावना की अभिव्यक्ति की है। विशेषकर 'नौका विहार' और 'एक तारा' आदि ऐसी ही कविताएँ हैं। नौका विहार की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य है -

शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल।

अपलक अनंत नीरव भूतल!

सैकत शर्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल
लेटी है श्रांत, कलांत निश्चला।⁵

प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण ही मानवीकरण कहलाता है। छायावादी काल में प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में ही देखा जाता है, जड़ के रूप में नहीं। छायावाद प्रकृति के इस रूप को विशेषतः अपनाकर चला है। 'संध्या' कविता में कवि संध्या को नव युवती के रूप के रूप में चित्रित किया है-

'कहो तुम रूपसी कौन?

व्योम से उतर रही चुपचाप
छिपी नीज छाया छबी में आप
सुनहला फैला केश कलाप
मधुर, मंथर, मृदु, मौन।'⁶

प्रकृति का कोमल रूप ग्रहण करने के कारण ही पंत जी ने प्रकृति को नारी रूप में देखा है। 'चांदनी' कविता में वह चांदनी का वर्णन किस प्रकार करते हैं-

नीले नभ के शतदल पर वह बैठी

शारद - हंसिनी

मृदु करतल पर शशि मुख घर निरख

अनिमिय एकाकिनी।⁷

कल्पनाशीलता के साथ-साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुखर विशेषताएँ हैं। युग परिवर्तन के साथ पंत जी की

काव्य चेतना बदली है। पहले दौर में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत छायावादी कवि हैं तो दूसरे दौर में वे मानव-सौंदर्य की ओर आकर्षित और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित कवि। तीसरे दौर की उनकी कविता में नई कविता की कुछ प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं तो अंतिम दौर में वे अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि के रूप में सामने आते हैं।

‘छोड़ दुमों की मृदु माया, तोड़ प्रकृति से भी माया।
बाले, तेरे बाल - जाल में कैसे उलझा दूँ लोचना
भूल अभी से इस जग को’ ।

हिन्दी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को ‘अमिताभ’ नाम दिया था। पद्यभूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ-साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। ‘पंत की प्रगति के चरण हैं - ईश्वर, प्रकृति, प्रणय, जीवन और संस्कृति अर्थात् रहस्यवाद, प्रकृति-प्रेम, रोमांस, प्रगतिशील और भविष्यवाद। युगांत के प्रारंभ से ही प्रगतिवाद उनके काव्य में प्रारंभ हो जाता है और युगवाणी तथा ग्राम्या में वह अपनी जड़ें जमा लेता है। व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर मुड़ना पंत के जीवन और काव्य की स्वाभाविक परिणति थी।’⁸

जैसा कि पंत जी का प्रकृति चित्रण अंग्रेजी कविताओं से प्रभावित है। फिर भी उनमें कल्पना की ऊँची उड़ान है, गति और कोमलता है, प्रकृति का सौंदर्य साकार हो उठता है। प्रकृति मानव के साथ मिलकर एकरूपता प्राप्त कर लेती है और कवि कह उठता है - ‘सिखा दो ना हे मधुप कुमारि/ मुझे भी अपने मीठे गाना प्रकृति प्रेम के साथ उनके यहाँ लौकिक प्रेम का भी अद्भुत संयोग मिलता है। कवि छायावाद एवं रहस्यवाद की ओर प्रवृत्त होते हुए कह उठता है-

न जाने नक्षत्रों से कौन,
निमंत्रण देता मुझको मौन।

‘पल्लव’ पंत के छायावादी काल का प्रोढ़तम काव्य संग्रह है। इसमें सन् 1918 से 1925 तक की रचनाएँ संगृहीत हैं। ‘पल्लव’ काव्य की तरह इसकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसे छायावाद का ‘घोषणापत्र’ भी कहा जाता है। यह भूमि मध्यकालीन रीति कविता की प्रतिक्रिया में लिखी गयी है। पंत ने लिखा है- ‘नवीन युग के लिए नवीन वाणी नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पंदन-कंपन्न तथा नवीन साहित्य ले आता और पुराना जीर्ण पतझड़ इस नवजात वसंत के लिए बीज तथा खाद रूप बन जाता है। नूतन युग संसार की शब्दावली में नूतन ठाठ जमा देता है, उसका विन्यास बदल जाता, नवीन युग की आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन ईच्छाओं के अनुसार उसकी वाणी में नये गीत, नये छंद, नये राग, नई कल्पनाएँ तथा भावनाएँ फूटने लगती हैं। पल्लव में कवि की नवीन वाणी, नवीन रहस्य, आंतरिकता और परिवेश में अद्भुत और आत्मनिष्ठ है। निराला अपने बहुआयामी परिवेश से संघर्ष करते हैं। उनके काव्य में इस संघर्ष की परुषता और कर्कशता सर्वत्र प्रतिफलित हुई है। महादेव अपनी वेदना में एकतान हैं। परंतु पंत में प्रकृति और सौंदर्य चेतना के प्रति सहज उल्लास है।’ वह प्रकृति में

रहस्यात्मक जीवन का बोध पाता है, मानवीय जीवन को प्रकृति की सम्पृक्ति में देखता है। वह पहाड़ियों, निर्झरों, प्राकृतिक दृश्यों, ध्वनियों से रूप, रंग, रस, गंध, शील, शक्ति ग्रहण करता है। प्रकृति के रूप, रस, गंध के साथ कवि की आंतरिकता का तादात्म्य हो उठा है।

मानव के कारण ही पंत को जग सुंदर लगता है। मानव कवि को प्रिय है वह कवि का गान उसके हृदय की धड़कन है, आत्मा है। सुमित्रानंदन पंत के मानवतावादी दृष्टिकोण पर विवेकानंद का प्रभाव स्पष्ट है। ‘गुंजन’ काव्य संग्रह की ‘मानव’ शीर्षक रचना में कवि मानव को प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि कहता है। ‘युगांत’ नामक संग्रह की ‘मानव’ शीर्षक कविता में कवि का रूख बिल्कुल अलग है। वह मनुष्य के समक्ष नतमस्तक है। उसे वह विश्व की परिपूर्ण रचना मानता है-

सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर
मानव तुम सबसे सुन्दरतम।

पंत के काव्य में प्रकृति के वे सभी रूप मिलते हैं जो छायावादी काव्य के प्रकृति-तत्व हैं, किंतु प्रकृति के प्रति सुकुमारता का दृष्टिकोण पंत की अपनी निजी विशेषता है। प्रकृति और मानव-जीवन की अन्तर्संगति और मूल-बोध के रूप में ग्रहण करने की जो पंत जी की प्रवृत्ति है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ छाया का चित्रण मात्र एक चमत्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं हुआ है, न ही कवि उसे अपने निजी अवसाद को संगुम्फित करने का माध्यम बनाता है। बल्कि कवि यहाँ पर समस्त मानव-जीवन के सत्य विषाद और हर्ष को गुम्फित करता चलता है। पंत जी ने शब्दों के माध्यम से रंग, कार्य, आकार और रूप का जितना सूक्ष्म चित्रण किया है वह अद्वितीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पंत और उनका रश्मिबंध - सं. प्रो. देशराज भाटी, अशोक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 24
2. कवि परम्परा : तुलसी से त्रिलोचन - प्रभाकर श्रोत्रिय, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, पृ. 99
3. काव्य सुधा - सं. डॉ. आनंद प्रकाश दीक्षित, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, पृ. 47
4. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास - बच्चन सिंह, लोकभरती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 170
5. प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएँ - वाचस्पति पाठक, लोकभरती प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 150
6. पंत और उनका रश्मिबंध - सं. प्रो. देशराज भाटी, अशोक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 192
7. प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएँ - वाचस्पति पाठक, लोकभरती प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 154
8. आधुनिक कवि - विश्वम्भर यमानव, रामकिशोर शर्मा, लोकभरती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 107
9. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास - बच्चन सिंह, लोकभरती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 172

शैलेश मटियानी का उपन्यास छोटे-छोटे पक्षी के सन्दर्भ में

डॉ. मनीषा टैगोर *

प्रस्तावना - उपन्यास नायक व नायिका इलाहाबाद निवासी सतीश और दीक्षा है। सतीश एम.ए. द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो अतिसंवेदनशील व दीक्षा से अत्यधिक प्रेम करता है। विवाह से पूर्व सतीश अपनी प्रेमिका के प्रति वासनापूर्ति का ही रहता है। दीक्षा अत्यधिक बुद्धिमान व आशावादी है। उसके भावी परिस्थितियों को समझने की क्षमता है। वह सतीश को प्रेम के नाम पर वासनापूर्ति की इजाजत नहीं देती है। सतीश अपने द्रढ निश्चय से दीक्षा पर इतना दबाव डालता है कि उसे प्रेम विवाह करने पर मजबूर करता है। क्योंकि दोनों के माता-पिता इस विवाह के खिलाफ हैं, क्योंकि सतीश अमीर घराने का है और दीक्षा निम्न मध्यमवर्गीय परिवार से है। ये वे दोनों परिवार वालों की अस्वीकृति के भय से विवाह करने के लिये शाम की ट्रेन से दिल्ली चले जाते हैं।

दिल्ली जंक्शन पर पहुंचने के बाद सतीश दीक्षा को लेकर आपने मित्र मुल्कराज त्यागी के वहा डिफेंस कालोनी में पहुंच जाता है। त्यागी की पत्नी सन्तोष सहमें हुए छोटे-छोटे पक्षियों को अपने घोंसले में शरण प्रदान करती है। शाम को सतीश त्यागी के समक्ष पूरी स्थिति स्पष्ट कर देता है। वह उसे आश्वासन देता है। कि उसे वहा पर किसी भी प्रेस में अपने मित्रों के सहयोग से काम दिलवा देगा तथा जल्दी ही दोनों की कोर्ट में रिज करवा देगा। और दूसरे ही दिन दोनों की शादी करवा देता है।

नवभारत टाइम्स में एक खबर छपती है कि 'माता-पिता की असहमति की आशंका से ग्रस्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सतीश एम.ए. द्वितीय वर्ष के छात्र सतीश शर्मा तथा श्री रामलोचन त्रिवेदी की बेटी कुमारी दीक्षा ने यहा कल शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट में प्रेम विवाह किया।'

शाम की पार्टी में मुल्कराज त्यागी अपने पत्रकार मित्रों दिग्विजय वर्मा वगैरह से सतीश का परिचय करवा देता है ताकि उसे नौकरी में सहायता मिल सके। सभी लोग दीक्षा की प्रशंसा करते हुए दोनों को प्रेम विवाह पर बधाई देते हैं। डिफेंस कालोनी के इस छोटे मकान में सतीश एवं दीक्षा को एकान्त नहीं मिल पाता। नौकरी की तलाश में सतीश अखबार वालों के चक्कर काटना शुरू कर देता है। मुल्कराज त्यागी के द्वारा दिल्ली में गुजारे हुए कठिन दिनों की कहानी सुनकर यह दोनों छोटे-छोटे पक्षी निराश हो जाते हैं। त्यागी उन्हें सलाह देता है कि हनीमून मनाकर वे दोनों वापस चले जाए। परन्तु दीक्षा वापसी के लिए तैयार नहीं होती है हालांकि सतीश का मनोबल काफी गिर जाता है। उसे भीतर से अपने इस प्रेम-विवाह पर पश्चताप होता है। उसके चेहरे पर अभी से ही भविष्य की आशंका के काले बादल मंडराते नजर आने लगते हैं।

दिलशाद कॉलोनी में वर्मा का खाली मकान सतीश को किराये पर मिल जाता है। एक चारपाई बर्तन तथा कुछ घर का प्रारंभ करती है। सतीश

वर्मा को छह महीने का किराया अग्रिम दे देता है। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी सतीश को कुछ काम नहीं मिल पाता है। हालांकि वह पत्रकारिता दुनिया से अच्छी तरह परिचित हो जाता है। विशेषकर सतीश बिलकुल खुले विचारों वाली आत्मविश्वास से प्रभावित होता है।

रविवार के दिन वर्मा अपने कुछ मित्रों के साथ सतीश के घर आता है। वहां वे दिन भी शराब पीकर अनाप-शनाप बकते रहते हैं। दीक्षा अपनी मजबूरी के कारण ये सब चुपचाप सहन करती रहती है। दूसरे दिन वर्मा सतीश की गैरहाजुरी में दोपहर के समय फिर आ पहुंचता है। चारपाई पर लेटते हुए वह दीक्षा को उसके सिर पर मालिश करने के लिए कहता है। वर्मा के अहसानों तले दबी हुई दीक्षा जब उसके करीब पहुंचती है। तब वह उसका हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करता है। और दीक्षा उसका हाथ छुड़ाकर भागती हुई रसोई से मिट्टी के तेल की बोतल लेकर आती है। वर्मा यह देखकर वहा से भाग जाता है।

नौकरी की दौडभाग से थककर लौटे हुए सतीश को दीक्षा इस घटना का जिक्र नहीं करती। उसे डर है कि वह मरने-मारने पर उतारू हो जायेगा। कुछ ही दिनों के बाद मुल्कराज त्यागी की पत्नी सन्तोष दीक्षा से मिलने दिलशाद कालोनी आती है। आकस्मिक रूप से घटित हुई इन दोनों घटनाओं से दीक्षा सन्तोष के समक्ष फूट-फूट कर रो पड़ती है। वह अच्छी तरह जानती है कि सतीश को यह बात बताने पर वह इलाहाबाद वापसी पर दबाव डालेगा। और वह अपने परिवार में बुझी हुई जिन्दगी जिने की बजाए आत्महत्या पसंद करेगी। संतोष दीक्षा की इस बात से प्रभावित होती है। कि यह लडकी अपने पति एवं घर परिवार को बचाने के लिए सघर्ष कर रही है।

इधर सतीश अपने अनुवादकार्य को दिखाने दिग्विजय के पास पहुंचता है। परन्तु वह नहीं मिलता। निराश होकर सतीश अपने मित्र नोटियाल के साथ कैंफी हारूस में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात वर्मा से होती है। दीक्षा का प्यार पाने में विफल वर्मा सतीश को अनाप-शनाप बोलता रहता है। सतीश गुस्से में आकर उसके साथ उलझ जाता है। परन्तु उसे अपने क्रोध होने में सिर्फ निराश्रय और करुणा महसूस होती है। उसे लगाकि वह मकान और जीविका के मामले में आत्मनिर्भर होता तो मन:स्थिति इससे काफी दुसरी होती। निराश होकर सतीश चुपचाप वहा से देता है।

मकान और जीविका की तलाश में भटकते हुए थका हुआ सतीश घर पहुंचकर सीधा दीक्षा को इलाहाबाद वापसी के लिए तैयार होने को कहता है। दीक्षा के चुप रहने पर सतीश आवेश में आकर अपने प्रेमविवाह को एक गलती मानकर पश्चताप करता है। दीक्षा महसूस करती है कि सतीश इस वक्त काफी गुस्से में है। दीक्षा दृढता से पराजित होकर घर वापसी का इन्कार कर देती है इसी बीच दीक्षा इलाहाबाद से सतीशके पिता का आया हुआ पत्र

उसे देती हैं। सतीश अपने पिता का पत्र पढ़कर और भी व्यथित हो जाता हैं क्योंकि, उसके पिता कुछ रुपये भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गये हैं तथा अपने घर के द्वार बन्द कर दिये हैं। सतीश दीक्षा से कहता है कि अगर डाकिया मनीआर्डर लेकर आये तो वापिस भेज देना।

दीक्षा सतीश के तनावमुक्त होने पर कहती है कि उसने यहां पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था परन्तु उनके प्रेमविवाह की बात यहां पर फेल गई है। और कॉलोनी के लोग अब उसे घूर-घूर कर देखते हैं और अब ट्यूशन बन्द हो गया। इसके अलावा इस मकान का असली मालिक आया था। वर्मा ने उसे एक पैसा नहीं दिया और अब यह मकान खाली करना पड़ेगा। इस प्रकार यह दोनों छोटे छोटे पक्षी प्रेम विवाह की स्वयं को निराधार और निराश्रय पति हैं। अब उनके लिए मुल्कराज त्यागी ही एक सहारा हैं। सतीश को लगा कि रात्री के अन्धकार के साये धीरे-धीरे उनकी जिन्दगी पर भी छाये जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि उनको नया जीवन शुरू होने से पहले दम तोड़ दे।

निराश एवं अन्धकार की गर्त में गिरा हुआ सतीश दूसरे दिन त्यागी के घर डिफ्रेंस कॉलोनी पहुंचा। परन्तु यहां पर उसे आशा के विपरीत घने अंधकार में उम्मीद की किरम दिखाई।

मुल्कराज त्यागी ने अपने मित्र नरेन्द्र कुमार की सहायता से सतीश की नौकरी हिन्दी अनुवादक के रूप में केन्द्रीय हिन्दी अनुवाद संस्था में पक्की कर दी यह सुनकर सतीश बहुत खुश हुआ। वह अपने मकान की बात त्यागी से कर उससे पहले ही उसने एक खुशखबरी और सुनाई। मुल्कराज

की बम्बई में एक पत्रिका में संपादक की मिल गई हैं। तथा वे शीघ्र ही यह मकान सतीश को देकर जाने वाले हैं। सतीश को महसूस हुआ कि अब दिल्ली जैसे अजनबी शहर में उसे रहने के लिए ठिकाना मिल गया। परन्तु वर्मा की घटियां हरकत के बारे में सुनकर त्यागी बौखला उठा और ये दोनों किराये के पैसे वापिस लेने उसके घर चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वर्मा का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो चुका हैं। उदास मन से दोनों वहां से चले गये।

घर पहुंचने पर सतीश की इस दोहरी सफलता से दीक्षा प्रसन्न हो जाती हैं। उसे लगा कि अब उसे अपनी मंजिल मि गई। वह अब अपने प्रेम - विवाह पर गर्व कर सकती हैं। खुशी से झूमते हुए वह अपना सामान बाँधने लगते हैं।

दूसरे दिन सबेरे दीक्षा और सतीश सामान टैक्सी में रखकर मुल्कराज त्यागी के घर की ओर चल पड़े। दीक्षा ने खिड़की से बाहर झांका और चल एकदम सतीश को अपनी ओर खींचलिया और उसे बाहर झांकने को कहा। छोटी - छोटी चिड़ियों का झुंड सुबह की पहली उडा भरते हुए ठिक उनकी टैक्सी के सामने आ गया था। टैक्सी के शोर के बावजूद इन छोटी- छोटी पक्षियों के चहकने की आवाजे साफ -साफ सुनाई दे रही थी ठीक उसी प्रकार सतीश तथा दीक्षा एक दूसरे से बतिया रहे थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

लोकजीवन के कवि त्रिलोचन

डॉ. प्रज्ञा गुप्ता *

प्रस्तावना - भाषा के प्रति हमेशा सजग रहनेवाले त्रिलोचन एक ऐसे सहज-सरल कवि हैं जो हमारे अत्यंत निकट हैं आत्मीय हैं। वे ग्राम्य संवेदना के सशक्त कवि हैं। वे लोकजीवन के सहज चितरे हैं। उनकी कविताओं में जो गाँव-घर, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी-तालाब चित्रित हैं वो सब उनके जीवन में शामिल रहे। उनकी रचनाओं में एक अलग तरह की ताजगी और पैनापन है जो उनके जीवन-संघर्ष से उपजी है। उनका मानना था कि 'संघर्ष जहाँ रचनाकार में जीने का हौसला बढ़ाता है, वही उसकी रचनाओं में ताजगी और पैनापन उभारता है।'¹ और यही वजह है कि त्रिलोचन जितने मानव-संघर्ष के कवि हैं, उतने ही प्रकृति और सौन्दर्य के भी। प्रकृति बहुत गहराई तक उनकी कविता में रची बसी है। जीवन, संघर्ष और प्रकृति उनकी कविताओं में घुली-मिली है वे कहते हैं 'मैंने कविता लिखने में जीवन के संघर्ष और मौसम के अनुसार गाँव के जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, कली-फूल, गन्ध, सुबह-शाम आकाश में बादलों के बदलते रूप को महसूस किया।'² प्रकृति का चित्रण करते हुए त्रिलोचन किसी विलक्षण सौन्दर्य लोक का निर्माण नहीं करते बल्कि वे किसान की चेतना का सहज परिचय देते हैं। वे प्रकृति में भी जीवन देखते हैं, बल्कि प्रकृति में उनकी दृष्टि वहीं जाती है जहाँ जीवन दिखता है-

'मेमने कुदकते हैं
जाड़े की धूप को जीवन के खेल से
आँक - आँक देते हैं।'³

त्रिलोचन ने बहुत लिखा, जीवन के कई रंग उनकी कविताओं में चित्रित हैं एक ओर यदि उनके यहाँ गाँव की धरती का सा ऊबड़-खाबड़पन है तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से एक अद्भुत अनुशासन भी। शब्दों की जो मितव्ययिता उनके काव्य में है वैसा निराला को छोड़कर आधुनिक हिन्दी कविता में अन्यत्र दिखाई नहीं देता। शब्दों के प्रयोग को लेकर वे बड़े सजग रहे। उन्होंने लिखा है- 'मैंने गाँव-गाँव, जिले-जिले और शहरों में भटकते हुए बदलती भाषा, लोक बोलियाँ, शब्दों और बदलते अर्थों की बारीकियाँ जानी - समझी।'⁴ अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों को बांधने का प्रयास किया है बल्कि उन्हें लगता है- 'मैंने करने जैसा/ क्या कोई काम किया/ शब्द ही तो थे केवल/ खेलता रहा जिनसे/ मैं जी-भर/ कुछ होंगे आगे भी/ जिनका नाता होगा शब्दों से/ वे ही उन शब्दों को देखेंगे/ जिन्हें मैंने बांधा है'

मरने पर शब्दों से संबंध छूट जायेगा ऐसा सोचकर दुखी होने वाले कवि त्रिलोचन अक्सर शब्दों के तत्सम् रूप मौजूद होने पर लोकरूचि एवं लोकराग के संरक्षण हेतु उनके तद्भव रूपों का अपनी कविता में प्रयोग करते हैं। शब्दों के तद्भव रूपों ने उनकी कविताओं के सौंदर्य को भरसक

बढ़ाया है। शब्दों के हिमायती त्रिलोचन का मानना था कि 'शब्दों का सही प्रयोग ऐसा अनुशासन है, जिसे जानने के लिए तुलसी, निराला और गालिब को बार-बार पढ़ना जरूरी है।'⁵ 'सच बात तो यह है कि त्रिलोचन की शब्द-साधना यह है कि उन्होंने अपनी कविता के लिए कोई नई भाषा गढ़ी नहीं बल्कि पहले से मौजूद जीवित भाषा को उसकी जीवन्तता में ग्रहण किया।'⁶

त्रिलोचन ने अपने सामाजिक परिवेश को कभी अपनी काव्य चेतना और लेखनी के दायरे से बाहर नहीं जाने दिया वे कहते हैं- ध्वनिग्राहक हूँ मैं/ समाज में उठनेवाली/ ध्वनियाँ पकड़ लिया करता हूँ/ मुझको है अधिकार। सिफारिश से सेवा से/ गला सत्य का कभी न घोटूंगा मेवा से/ लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा/ नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा- समाज की लड़ाई को नयी आशाओं और अभिलाषाओं को नये चित्रों और नयी भाषा में संजोने का संकल्प लेकर त्रिलोचन हमारे सामने आते हैं। दीन दुखियों और गरीबों की पीड़ा से त्रिलोचन दुखी हो उठते हैं। वे विचार धाराओं में जीवन की तलाश नहीं करते बल्कि आम आदमी के बीच रहकर, उनसे संवाद करते हुए उनके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। बल्कि वे तो घोषणा करते हैं- उस जनपद का कवि हूँ/ जो भूखा-दूखा है, गंगा है, अनजान है' कवि त्रिलोचन का हृदय तो मुक्ति की कामना लेकर संघर्षशील जनता की पैरों की आहट के साथ धड़कता है। वे उनके लिए लिखना चाहते हैं जो जीवन की बाजी लगाकर जूझ रहे हैं।

त्रिलोचन की भाषा में लोक-बोली का पुट गहरा है। कहीं-कहीं अवधी के शब्द भी मिलेंगे और पूरी लयात्मकता के साथ। कविता बातचीत के लहजे में और स्वाभाविक इस दृष्टिकोण से उनकी तीन कविताएँ महत्वपूर्ण हैं- 'चंपा काले-काले अच्छर नहीं चीन्हती', 'नगई महरा' एवं 'भोरई केवट के घर'। तीनों ही कविताएँ कम शब्दों में कहानी सा जीवन्त चित्र प्रस्तुत करती हैं। चंपा के माध्यम से स्त्री जाति की अशिक्षा, नगई महरा का सामाजिक संघर्ष एवं भोरई केवट की दरिद्रता से कवि व्याकुल हो जाते हैं और कविता सामने आती है। ये कविताएँ कवि के गहरे-लोक-प्रेम और लोक कल्याण का परिचायक है। अपने गाँव के गरीबों के प्रति उन्हें गहरी सहानुभूति है- 'भे रई केवट के घर/ मैं गया हुआ था बहुत दिन पर/ बाहर से बहुत दिनों बाद गाँव आया था/ पहले का बसा गाँव उजड़ा-सा पाया था/ ...भीतर की प्राणवायु सब बाहर निकाल कर/ एक बात उसने कही/ जीवन की पीड़ा भरी/ बाबू। इस महंगी के मारे किसी तरह अब तो/ और नहीं जिया जाता' - बातचीत की शैली में कविता है लेकिन इन पंक्तियों में गाँव के भोरई केवट की पीड़ा जिस तरह से प्रकट होती है वो हमें राष्ट्रीय नेताओं के अंध-स्वार्थ और कूटनीति से परीचित कराता है।

'त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अच्छर नहीं चीन्हती' पढ़कर

उस बात का अंदाजा होता है कि उस समय 'स्त्री शिक्षा' की क्या दशा थी। - 'उसे बड़ा अचरज होता/ इन काले चिह्नों से कैसे ये सब स्वर/ निकला करते हैं' से पता चलता है कि वो शिक्षा से कितनी अनजान और उसके प्रति उसे उत्सुकता है। इतना ही नहीं शिक्षा के महत्व के प्रति चंपा अनभिज्ञ भी है। जब कवि चंपा से कहता है कि 'चम्पा, तुम भी पढ़ लो/ हारे-गाढ़े काम सरेगा..... ब्याह तुम्हारा होगा..... कैसे उसे संदेसा दोगी तब चंपा कहती है कि 'और कही जो ब्याह हो गया तो/ मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी/ कलकत्ता कभी न जाने दूंगी/ कलकत्ते पर बजर गिरे।' यहाँ हम चंपा के मन में भावी दाम्पत्य जीवन के प्रति प्रेम के सौंदर्य को देख सकते हैं। इस तरह का चित्रण कवि की लोकसंवेदना को दर्शाता है। एक ग्राम्य - बाला की संवेदना को त्रिलोचन कितने सहज शब्दों में लोकभाषा के नजदीक जाकर चित्रित करते हैं- 'कलकत्ते पर बजरगिरे' साधारण सी पंक्ति में कितनी मार्मिकता है। त्रिलोचन की कविता में साधारण जनों के बीच से उठाए हुए ऐसे चरित्र हैं जो जीते-जागते से लगते हैं और सहजता से मार्मिक बातें कह जाते हैं। इस दृष्टि से नगई महारा कविता भी विचारणीय है।

त्रिलोचन के यहाँ आत्मपरक कविताओं की संख्या बहुत अधिक है। हिन्दी में आधुनिक काल के शायद ही किसी कवि ने अपने बारे में इतना अधिक लिखा है जितना त्रिलोचन ने। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं - 'वही त्रिलोचन है वह-जिसके तन पर गन्दे/ कपड़े हैं। कपड़े भी कैसे-फटे-लटे हैं/ यह भी फैशन है, फैशन से कटे-कटे हैं।/ कौन कह सकेगा इसका यह जीवन चन्दे/ पर अवलम्बित है।...../ कभी नहीं देखा है इसको चलते धीमे।/ धुन का पक्का है, जो चेतने वही चिताए।/ जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप-तपकर ही भट्टी में सोना निखरा है।'

अपने नाम, रूप, अपनी वेशभूषा, अपनी गरीबी, अपना भाव, अपने प्रेम और जीवन संघर्षों के बारे में इन्होंने जिस तरह से लिखा है उससे उनकी गहरी यथार्थ दृष्टि और कलात्मक क्षमता का पता चलता है। वे अपनी आत्मपरक कविताओं में त्रिलोचन का प्रयोग प्रायः अन्य पुरुष में करते हैं और अपने प्रति भी ऐसी बेलाग और तिलमिला देनेवाली पंक्ति बोलते हैं कि आश्चर्य होता है -

भीख माँगते उसी त्रिलोचन को देखा कल
जिसको समझे था है तो है यह फौलादी।

अपने प्रति इस तरह से बोलने वाले कविता में कम मिलेंगे।

त्रिलोचन ऐसे कवि हैं जिन्होंने पश्चिमी आधुनिकता के समस्त आकर्षणों को त्यागकर अपनी धरती और अपनी परम्परा का दामन पकड़े रखा। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आधुनिक नहीं थे। आधुनिक होते हुए भी उन्होंने देसी परम्परा को महत्व दिया और इसीलिए पश्चिम के 'सानेट' जब त्रिलोचन के काव्य में आये तो वे पश्चिम के सानेट का रूपांतरण नहीं बल्कि ठेठ देसी अंदाज में लिखे गये। त्रिलोचन के पूर्व कवियों ने भी सॉनेट का प्रयोग किया था लेकिन हिन्दी काव्य परंपरा को 'सॉनेट की देन' त्रिलोचन से मिली क्योंकि उन्होंने उस यूरोपीय काव्य रूप को जीवन की, धरती की लय से बांध दिया। भले ही त्रिलोचन कहते हों-

स्पेंसर, सिडनी, शेक्सपीयर, मिल्टन की वाणी
वर्षवर्ष, कीट्स की अनवरत प्रिय कल्याणी
स्वर धारा है। उसने नई चीज क्या दी है।
सॉनेट से मजाक भी उसने खूब किया है

जहाँ-तहाँ कुछ रंग-व्यंग का छिड़क दिया है'

लेकिन त्रिलोचन के गद्य काव्य को सॉनेट के रूप में न देखें तो भी वे सुन्दर काव्य का आस्वाद देते हैं।

धरती और जीवन दोनों का अभिप्राय त्रिलोचन के यहाँ बहुत व्यापक है। त्रिलोचन के मन में शब्दों का ऐसा महल खड़ा करने की इच्छा है जिसमें सबकी बोली, मुहावरे, भाव, इच्छाएँ, विभिन्न रूप सौन्दर्य एवं स्वर की तरंगे हो। अपनी इसी व्यापक काव्य चेतना के कारण त्रिलोचन बाद की सीमाओं एवं दलगत पाबन्दी को लांघ जाते हैं। अपनी व्यापक काव्य दृष्टि और काव्य विवेक के साथ त्रिलोचन जीवन ओर प्रकृति में प्रवेश करते हैं और प्रकृति से नये रंग एवं भावबोध लेकर रचनाकर्म में लीन होते हैं। बादल, सन्ध्या, प्रातः कालीन सूरज की किरणें, खिली धूप, गौरैया, वर्षा बसन्त आदि प्रकृति के कई रूप उनकी कविताओं में सुन्दर एवं सहज रूप से चित्रित हैं। - त्रिलोचन को तो धूप में सारा रूप सुन्दर दिखाई पड़ता है- धूप सुन्दर/ धूप में/ जग-रूप सुन्दर/ सहज सुन्दर/ व्योम निर्मल/ दृश्य जितना/ स्पृश्य जितना/ भूमि का वैभव/ तरंगित रूप सुन्दर/ सहज सुन्दर..... सर्वत्र सुन्दर/ धूप सुन्दर/ धूप में जगरूप सुन्दर।

प्रकृति चित्रण का अनोखा तरीका त्रिलोचन में दृष्टिगत होता है उनकी दृष्टि लोक दृष्टि है इसलिए प्रकृति को देखने परखने का उनका अंदाज अलग है। छायावादी प्रकृति चित्रण से नितांत भिन्न सौन्दर्य बोध उनकी प्रकृतिपरक कविताओं में मौजूद है।

त्रिलोचन सहज एवं सुन्दर के कवि हैं। वे गँवई कवि हैं लेकिन उनके यहाँ उनकी कविताओं में गाँव के साथ शहर भी है। जीवन और प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि त्रिलोचन पूरे भारतीय संस्कृति के कवि हैं। वे कहते हैं- 'विभिन्न भाषाओं के साहित्य और समाज को पढ़ते-जानते हुए मेरा विचार हमेशा दृढ़ होता गया कि अपने देश में ऐसी गहरी परम्पराएँ रही हैं। जिनके चलते आम जनता, जाति और धर्म से परे, एक दूसरे के साथ सहयोग करती रही हैं। परस्पर सहयोग का यह भाव पुराने साहित्य में भी है। आज के समाज को अलग-अलग काटकर देखना एक असहज मनोवृत्ति है। इससे बचना जरूरी है। भारतीय संस्कृति और समाज से अलग थलग रहकर देश में क्रांतिकारी चेतना का विकास संभव नहीं है। त्रिलोचन प्रगतिशील भी है साथ ही परंपरा के पालक भी है। वे तुलसी एवं निराला की परंपरा के हैं पर कुछ अर्थों में उनसे अलग भी हैं। वे उस दुनिया के कवि हैं जहाँ 'प्रेम व्यक्ति व्यक्ति से/ समाज को पकड़ता है/ जैसे फूल खिलता है/ उसका पराग किसी और जगह पड़ता है/ फूलों की दुनिया बन जाती है।' परंपरा के पालक त्रिलोचन के यहाँ कविता की नयी पृष्ठभूमि नयी भाषा है जो जीवन से प्रेम करना सिखाती है जो आस्था एवं विश्वास से उत्पन्न है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संवेद - सं. किशन कालजयी, अगस्त 2010, पृ. 35
2. संवेद - सं. किशन कालजयी, अगस्त 2010, पृ. 39
3. त्रिलोचन प्रतिनिधि कविताएँ - सं. केदारनाथ सिंह, पृ. 31
4. संवेद - सं. किशन कालजयी, अगस्त 2010, पृ. 40
5. संवेद - सं. किशन कालजयी, अगस्त 2010, पृ. 41
6. कविता की जमीन और जमीन की कविता - नामवर सिंह, पृ. 184
7. त्रिलोचन प्रतिनिधि कविताएँ - सं. केदारनाथ सिंह, पृ. 19

Constructivism In Science Education

Arti Arya*

Introduction - The progress and development of any society or nation is largely depends on the development and well being of its young generation. Science Education is powerful means and method of bringing required development and introducing desired modification in the behavior of the children for preparing them an effective and productive member of the society. For this purpose we need to organize science teaching learning process of our schools in a properly coordinated way resulting into desirable education out comes. Constructivism in general is perceived as the philosophical position which propounds that any reality is in most immediate and concrete sense. Constructivism is a holistic, realistic philosophy which advocates a kind of epistemology which talks about knowing rather than knowledge as such.

Introduction - Some teachers take a great interest when their pupils offer an incorrect answer to a question. In such a situation, these teachers proceed by asking pupils to explain how they arrived at that answer. It is likely that these teachers are operating from a constructivist perspective, which sees learners as constructors of meaning. By investigating, the origins of a wrong answer, the teacher can uncover the learner's thinking processes, subsequently challenging and refining faulty mental constructs.

It is difficult to draw a clear distinction between constructivism a cognitivism because constructivism is a natural progression from cognitivism and both are interested in cognitive processes. Whereas cognitivism focuses on how information is processed, constructivism focuses on what people do with information to develop knowledge. In particular, constructivism holds that people actively build knowledge and understanding by synthesizing the knowledge they already possess with new information. For constructivists, learning is an active process through which learners 'construct' new meaning.

Constructivism is the study of a learner's own construction of knowledge. This knowledge is constructed through one's own personal experiences and interactions with the outside world. The learner takes in new information and gives meaning to it using his or her own prior attitudes, beliefs, and experiences as references. Learners are active participants in the construction of knowledge while the

instructor serves as a facilitator.

Constructivists see learners as being active rather than passive. Knowledge is not received from the outside or from someone else; rather, it is the individual learner's interpretation and processing of what is received through the senses that creates knowledge. The learner is the center of the learning, with the instructor playing an advising and facilitating role. Learners should be allowed to construct knowledge rather than being given knowledge through instruction.

A major emphasis of constructivists is situated learning, which sees learning as contextual. Learning activities that allow learners to contextualize the information should be used in online instruction. If the information has to be applied in many contexts, then learning strategies that promote multi-contextual learning should be used to make sure that learners can indeed apply the information broadly. Learning is moving away from one-way instruction to construction and discovery of knowledge.

What Is Constructivism? - Constructivism is basically a theory, based on observation and scientific study about how people learn. It says that people construct their own understanding and knowledge of the world, through experiencing things and reflecting on those experiences. When we encounter something new, we have to reconcile it with our previous ideas and experience, maybe changing what we believe, or maybe discarding the new information as irrelevant. In any case, we are active creators of our own knowledge. To do this, we must ask questions, explore and assess what we know.

Definition Of Constructivism -

Glaserfeld(1995), "Constructivism does not claim to have made earth shaking inventions in the area of educations, it merely claims to provide a solid conceptual basis for some of the things that, untill now, inspired teachers had to do without theoretical foundation".

Marsh, "Constructivism is a theory of how the learner constructs knowledge from experience, which is unique to each individual".

Principles Of Constructivism -

- First, learning is a quest for understanding and meaning. Learning starts with the problem or question that students are trying to understand or make meaning

of.

- Second, learning is centered around main concepts and ideas instead of isolated facts. It is important for students to know and understand both the wholes of a concept, as well as the parts of a concept.
- Third, as teachers, we must understand the mental models of our students, which includes the way they perceive the world, and the assumptions that they make in their understanding of the world. By doing so, we will be able to better guide our students as they construct meaning.
- The last principle in constructivism is that students are constructing meaning as opposed to repeating facts and memorizing answers. The assessment must be tied to the learning process.

Concepts Of Constructivist Learning - Constructivist learning is a Constructivist process in which the learner is building an internal illustration of knowledge, a personal interpretation of experiences. This representation is a continually open to modification, it's structure and linkages forming the ground to which meaning is accomplished does not necessarily reject the existence of the real world, and agrees that reality places constraints on the concepts that are, but content that all we know of world are human interpretation of our experiences of the world.

Characteristics Of Constructivist Theory Of Learning

- learning is not only dependent on the learning environment, but also on the knowledge of the learners,
- learning involves the construction of meaning,
- the construction of meaning is a continuous and active process,
- meanings, once constructed, are evaluated and can be accepted or rejected,
- learners have the final responsibility for their learning, and
- students construct the meaning between the experience with the physical world through natural language.

Meaning Of Constructivist Teaching - Constructivist teaching is based on constructivist learning theory. Constructivist teaching is based on the belief that learning occurs as learners are actively involved in a process of meaning and knowledge construction as opposed to passively receiving information. Learners are the makers of meaning and knowledge. Constructivist teaching fosters critical thinking and creates motivated and independent learners. This theoretical framework holds that learning always builds upon knowledge that a student already knows; this prior knowledge is called a schema. Because all learning is filtered through pre-existing schemata, constructivists suggest that learning is more effective when a student is actively engaged in the learning process rather than attempting to receive knowledge passively. A wide variety of methods claim to be based on constructivist learning theory. Most of these methods rely on some form of guided discovery where the teacher avoids most direct

instruction and attempts to lead the student through questions and activities to discover, discuss, appreciate and verbalize the new knowledge.

Constructivist Pedagogical Theory - Constructivism is a way of thinking about knowing, a referent for building models of teaching, learning and curriculum. In this sense it is a learning philosophy and it may also become a teaching philosophy.

Common Tenets Of Constructivist Pedagogical Theory

- Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the issues around which students are actively trying to construct meaning.
- Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses on primary concepts, not isolated facts.
- In order to teach well, we must understand the mental models that students use to perceive the world and the assumptions they make to support those models.
- Students come to class with an established world-view, formed by years of prior experience and learning.
- Even as it evolves, a student's world-view filters all experiences and affects their interpretation of observations.
- For students to change their world-view requires work.
- Students learn from each other as well as the teacher.
- Students learn better by doing.
- Allowing and creating opportunities for all to have a voice promotes the construction of new ideas.

Characteristics Of Constructivist Teaching -

One of the primary goals of using constructivist teaching is that students learn how to learn by giving them the training to take initiative for their own learning experiences.

- the learners are actively involved
- the environment is democratic
- the activities are interactive and student-centered
- the teacher facilitates a process of learning in which students are encouraged to be responsible and autonomous

Constructivist Science Education - Constructivist learning is recognized as a valuable technique to increase the depth of understanding of scientific ideas through students building their own knowledge through inquiry-based exercises. There is also evidence that students taught by constructivist methods learn science concepts better than those taught even by talented lecturers. The constructivist approach differs from traditional laboratory exercises in that it is open-ended to some degree and is designed to make students confront a problem as a researcher does, looking at all angles, trying different hypotheses and tests, and using the power of collaborative thinking and their collected prior knowledge and problem-solving skills.

Science in constructivist paradigm may be explained by five Es such as -

Engage: In the stage Engage, the students first encounter and identify the instructional task. Here they make connections between past and present learning experiences, lay the organizational groundwork for the activities ahead and stimulate their involvement in the anticipation of these activities. Asking a question, defining a problem, showing a surprising event and acting out a problematic situation are all ways to engage the students and focus them on the instructional tasks.

Explore: In the Exploration stage the students have the opportunity to get directly involved with phenomena and materials. Involving themselves in these activities they develop a grounding of experience with the phenomenon.

Explain: The third stage, Explain, is the point at which the learner begins to put the abstract experience through which he/she has gone into a communicable form. Language provides motivation for sequencing events into a logical format. Communication occurs between peers, the facilitator, or within the learner himself. Working in groups, learners support each other's understanding as they articulate their observations, ideas, questions and hypotheses. Language provides a tool of communicable labels. These labels, applied to elements of abstract exploration, give the learner a means of sharing these explorations.

Elaborate: In stage four, Elaborate, the students expand on the concepts they have learned, make connections to other related concepts, and apply their understandings to the world around them. For example, while exploring light phenomena, a learner constructs an understanding of the path light travels through space.

Evaluate: Evaluate, the fifth "E", is an ongoing diagnostic process that allows the teacher to determine if the learner has attained understanding of concepts and knowledge. Evaluation and assessment can occur at all points along the continuum of the instructional process.

Constructivist View Of Learning Influences Several Aspects Of Science Education

The acceptance of a constructivist view of learning influences several aspects of science education, including curriculum, instruction, and assessment. In making decisions concerning science curriculum, educators must take into account what students already know and then attempt to modify and build upon this knowledge so that it agrees with currently accepted scientific explanations. Five basic elements of constructivist teaching are:-

1. **Activating prior knowledge:** In order to build on students' pre-existing understandings of a topic, teachers must become familiar with their prior knowledge. This can be done in many ways, including simply asking students what they know, brainstorming, administering surveys, and concept mapping.
2. **Acquiring knowledge:** Once prior knowledge is activated, students must interpret new information in the context of what they already know in order to

effectively acquire new knowledge. In other words, students must determine the extent to which the new knowledge fits with what they already know.

3. **Understanding knowledge:** This involves students exploring and communicating their own interpretations of the new knowledge. Teachers must provide many ways for new knowledge can be shared. Oral reports, individual projects, group activities in which students express their ideas, demonstrations, and role-playing are all ways in which students can communicate understandings.
4. **Using knowledge:** Teachers must immediately encourage students to use their new knowledge in unique situations in order to make meaningful connections to their prior understandings. Problem-solving activities are particularly effective strategies for encouraging students to use their new knowledge because they allow students to express their understandings and receive immediate feedback. This is especially useful when students are asked to work in groups to solve problems.
5. **Reflecting on knowledge:** At this point, teachers must provide activities like journal writing and portfolios that ask students to look back at and analyze what they have learned.

Constructivist science teacher preparation, programmes - Constructivist science teacher preparation programmes should be intentionally designed to be transformational, not just informational. The programmes must challenge preservice teachers to move toward self-directed life-long learning:

- Seek out and use student questions and ideas to guide lessons and instructional units.
- Encourage students to initiate ideas.
- Promote student leadership, collaboration, seeking of information and taking action as a result of the learning process.
- Use the thinking, the experiences, and the interests of students to drive the lesson.

Educational Implication-

- Children learn more, and enjoy learning more when they are actively involved, rather than passive listeners.
- Education works best when it concentrates on thinking and understanding, rather than on rote memorization. Constructivism concentrates on learning how to think and understand.
- Constructivist learning is transferable. In constructivist classrooms, students create organizing principles that they can take with them to other learning settings.
- Constructivism gives students ownership of what they learn, since learning is based on students' questions and explorations, and often the students have a hand in designing the assessments as well. Constructivist assessment engages the students' initiatives and personal investments in their journals, research reports, physical models, and artistic representations.

Engaging the creative instincts develops students' abilities to express knowledge through a variety of ways. The students are also more likely to retain and transfer the new knowledge to real life.

- By grounding learning activities in an authentic, real-world context, constructivism stimulates and engages students. Students in constructivist classroom learn to questions, things and to apply their natural curiosity to the world.

References :-

1. Jha,Kumar.Arvind(2009).Constructivist Epistemology and Pedagogy:Atlantic Publication, Darya Ganj, New Delhi
2. Husain,Noushad(2016).Learning and Teaching:Shipra Publications, Patparganj, Delhi
3. Sharma,S.(2006). Constructivist Approach to Teaching Learning (Ed): NCERT, New Delhi
4. Salvin,R.(1990).Cooperative Learning Theory:Prentice Hall.

उज्जैन जिले के पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 7वीं एवं 8वीं) में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की मूल्यों के प्रति जागरूकता का समीक्षात्मक अध्ययन।

डॉ. सुनीता शर्मा *

प्रस्तावना - हमारे देश की आदर्शों पर आधारित संस्कृति, मूल्य आधारित दर्शन और महान भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक चिन्तन के अपने विचार भारत की संस्कृति को समय-समय पर दिशा प्रदान करते रहे हैं।

मूल्य एवं आदर्शों पर आधारित भारतीय संस्कृति आज भी अलग से अपनी पहचान बनाए हुए है। किसी भी देश की पहचान इसी संस्कृति के द्वारा ही परिलक्षित होती है। सांस्कृतिक राष्ट्र के विकास की नींव को दृढ़ता प्रदान करती है। किसी भी राष्ट्र के विकास का भविष्य युवा पीढ़ी के कंधों पर टिका रहता है। शिक्षा राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। इस युवा पीढ़ी को न केवल शिक्षित किया जाये वरन् साधन व सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपनी प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हुए सर्वांगीण विकास कर सकें।

यह सत्य है कि युग समय व देशकाल में परिवर्तन के साथ-साथ संस्कृति व मूल्यों में भी परिवर्तन होता है अर्थात् युग परिवर्तन के साथ-साथ मूल्य भी बदलते रहते हैं। आज के वैज्ञानिकी युग में जबकि दुनिया ने बहुत प्रगति कर ली है। फिर भी मूल्यों का ह्रास क्यों हो रहा है। इन मूल्यों पर ही विद्यार्थी परिवार समाज राष्ट्र और मानवता का विकास निर्भर है। व्यक्ति के अन्दर मानवीय भाव तभी पैदा होंगे, जबकि वो मूल्यों की छाया तले रहकर कार्य व व्यवहार करें।

शिक्षा में मूल्यों का महत्व - शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपनी जन्म एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत तथा योग्य नागरिक बना सकता है। शिक्षा से ऐसा मनुष्य बनाना है जो स्वयं से शाश्वत मूल्यों के पालन का प्रयास करे। इसमें व्यक्ति, समाज सभी का कल्याण संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है।

शोध अध्ययन का औचित्य - मूल्यविहीन मनुष्य पशु के समान है। इस समस्या पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शिक्षा में मूल्य को स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, तो क्या विद्यालयों में मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है? क्या मूल्यों की शिक्षा को देने के लिए कुछ निर्देशक नियम होने चाहिए। क्या मूल्यों की शिक्षा एकांगी होती है? आदि अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। साथ ही क्या मूल्य समाज परिवार एवं माता-पिता तथा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को बदलने में सफल होंगे? क्या आज की बालिकायें मूल्यों के प्रति जागरूक हैं। इस प्रकार की

संशय युक्त आशंकाएँ ऐसे प्रश्नों पर गहनता से मनन करने के लिए उत्प्रेरित कर रहीं हैं। इसी जिज्ञासा के कारण इस अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत हुई, यही इस शोध का आधार हैं।

समस्या कथन - 'उज्जैन जिले के पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 7वीं एवं 8वीं) में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की मूल्यों के प्रति जागरूकता का समीक्षात्मक अध्ययन।'

शोध के उद्देश्य -

1. बालिकाओं में स्थापित मूल्यों का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों को जानना।
3. शहरी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों को जानना।
4. शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं एवं अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
5. ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं एवं शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

परिष्करण -

1. बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ग्रामीण शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. शहरी शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।
4. शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं एवं अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं एवं शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श चयन की प्रक्रिया - प्रस्तुत अध्ययन की पूर्ति में शोधकर्ता ने न्यादर्श चयन उज्जैन जिले के पूर्व माध्यमिक कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को समष्टि के रूप में ग्रहण किया एवं न्यादर्श चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया।

सर्वप्रथम उज्जैन जिले के तहसीलों को चुना गया। ग्रामीण क्षेत्र के 6 शासकीय एवं 6 अशासकीय विद्यालय तथा शहरी क्षेत्र की 6 शासकीय एवं 6 अशासकीय विद्यालय से कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं की 300 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन प्रणाली द्वारा किया गया।

न्यादर्श सारणी क्रमांक-1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

शोध उपकरण निर्माण प्रक्रिया - शोधार्थी के द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली

का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली में कुल 60 प्रश्नों को लिया गया।

जिसमें सामाजिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य व आर्थिक मूल्यों से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश है। प्रत्येक मूल्य से सम्बन्धित प्रश्नावली में 10-10 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की गई है।

प्रदत्तों का संकलन - शोधार्थी द्वारा विद्यालय के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर शोध समस्या के अध्ययन के लिए बालिकाओं से प्रश्नावली भरवायी गई व प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त प्रदत्तों का संकलन कर समीक्षात्मक निष्कर्ष निकाला गया।

प्रदत्तों का संकलन

सारणी क्रमांक 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रदत्तों का विश्लेषण - इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता को जानने हेतु प्रश्नावली के उत्तरों का विश्लेषण किया गया -

सारणी क्रमांक-2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक-3 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक-4 (देखे आगे पृष्ठ पर)

परिकल्पनाओं का सत्यापन - निम्न परिकल्पनाएँ का सत्यापन अधोलिखित है -

प्रथम परिकल्पना - 'बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।'

सारणी क्रमांक-1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बालिकाओं में सामाजिक मूल्यों 24% जबकि सौन्दर्यात्मक मूल्यों के प्रति 20% राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति 19% सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति 17% साथ ही धार्मिक मूल्यों के प्रति 15% तथा आर्थिक मूल्यों के प्रति 3% जागरूकता रही है।

अतः बालिकाओं में स्थापित मूल्यों का प्रतिशत अलग-अलग है इससे स्पष्ट होता है कि बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अंतर होता है। अतः परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाकर बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अन्तर है।

द्वितीय परिकल्पना - 'ग्रामीण शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।'

सारणी क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण शासकीय विद्यालय की बालिकाओं में धार्मिक मूल्य 25% सांस्कृतिक मूल्य 22% की अधिकता व आर्थिक मूल्य की न्यून रही जबकि ग्रामीण अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में सांस्कृतिक मूल्य 27% की सामाजिक मूल्य, 21% की अधिकता व धार्मिक मूल्यों की न्यून पाई गई।

स्पष्ट है कि ग्रामीण शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों ने सार्थक अंतर नहीं होता है अतः परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

तृतीय परिकल्पना - 'शहरी शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।'

सारणी क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शहरी शासकीय विद्यालय की बालिकाओं में सामाजिक मूल्य 25% सौन्दर्यात्मक मूल्य 25% की अधिकता तथा धार्मिक व आर्थिक मूल्यों की न्यूनता रही। जबकि शहरी अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में सामाजिक मूल्य 33% सौन्दर्यात्मक

मूल्य 24% की अधिकता एवं धार्मिक व आर्थिक मूल्यों की न्यूनता रही।

स्पष्ट है कि शहरी शासकीय व अशासकीय विद्यालय की बालिकाओं में स्थापित मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं होता है अतः परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

चतुर्थ परिकल्पना - 'शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं एवं अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।'

सारणी क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं सौन्दर्यात्मक मूल्यों 22% सामाजिक मूल्यों 21% की अधिकता तथा आर्थिक मूल्यों की न्यूनता देखी गई। अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में सामाजिक मूल्यों 28% की अधिकता व धार्मिक मूल्यों की न्यूनता देखी गई।

उपरोक्त विवरण के आधार पर हमें अपनी परिकल्पना (शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं एवं अशासकीय विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है) को स्वीकृत करना होगा। शासकीय व अशासकीय क्योंकि विद्यालयों से प्राप्त प्रतिशत लगभग समान है।

पंचम परिकल्पना - 'ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं एवं शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।'

सारणी क्रमांक 4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं में धार्मिक मूल्य 25% सांस्कृतिक मूल्य 24% की अधिकता तथा सौन्दर्यात्मक व आर्थिक मूल्यों की न्यूनता देखी जबकि शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में सामाजिक मूल्यों 29% सौन्दर्यात्मक मूल्यों 24% की अधिकता व धार्मिक मूल्यों 8% आर्थिक मूल्यों 5% की न्यूनता देखी गई। ग्रामीण विद्यालयों व शहरी विद्यालयों भी बालिकाओं के उत्तरों से प्राप्त प्रतिशत समान नहीं है।

इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं एवं शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर होता है। अतः परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाकर ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं एवं शहरी विद्यालयों की बालिकाओं में मूल्यों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

निष्कर्ष -

1. बालिकाओं में सामाजिक मूल्यों 24% सौन्दर्यात्मक मूल्यों के प्रति 20% सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति 17% राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति 19% साथ ही धार्मिक मूल्यों के प्रति 17% तथा आर्थिक मूल्यों के प्रति 3% जागरूकता रही। बालिकाओं में सामाजिक, सौन्दर्यात्मक व राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता अधिक है। सारणी क्रमांक 1 के अनुसार।
2. ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की अधिकांश बालिकायें सामाजिक परिस्थितियों में समाज के अनुरूप कार्य करने वाला बनने की कोशिश करती है इससे पता चलता है बालिकायें सामाजिक मूल्यों की समझ रखती है।
3. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की अधिकतम बालिकायें स्वच्छता के प्रति सकारात्मक भाव रखती है। वे बगीचे में घूमने जाने पर अपने द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु को डस्टबीन में डालने में विश्वास रखती है। एक प्रतिशत पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने में विश्वास रखता है। बालिकायें सौन्दर्यात्मक मूल्यों के प्रति जागरूक है।
4. ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की अधिकतम बालिकायें शिक्षक का सम्मान

सदैव करती है। वे इससे भली-भांति परिचित है। गुरु व बड़े-बूढ़ा का सम्मान करना चाहिये उनके मन में गुरु व बड़े के प्रति सम्मान का भाव है। जिससे पता चलता है कि बालिकायें सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक है।

5. ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालय व अशासकीय विद्यालय की बालिकायें गीता, रामायण, कुरान व बाईबिल को धार्मिक पुस्तक मानती है। प्राप्त प्रतिशत से स्पष्ट है बालिकायें धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 शर्मा, डॉ. राजेन्द्र - नैतिक मूल्य शिक्षा।
- 2 जैन, पायल भोला - मूल्य, पर्यावरण तथा मानवाधिकारों की शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन।
- 3 डॉ. कपिल एच.के. - 'अनुसंधान विधियाँ' हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन आगरा।
- 4 पाण्डेय, रामशकल एवं करुणाशंकर मिश्र मूल्य शिक्षण, अग्रवाल पब्लिकेशन।

न्यादर्श सारणी क्रमांक- 1

क्र.	क्षेत्र	शाला का स्वरूप	बालिकाएँ	योग
1.	ग्रामीण	शासकीय विद्यालय	65	140
		अशासकीय विद्यालय	75	
2.	शहरी	शासकीय विद्यालय	75	160
		अशासकीय विद्यालय	85	
योग				300

प्रदत्तों का संकलन सारणी क्रमांक 1

क्र.	मूल्य	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		योग
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय	
1.	सामाजिक मूल्य	10	16	19	28	73
2.	सौन्दर्यात्मक मूल्य	12	10	19	20	61
3.	राष्ट्रीय मूल्य	11	13	16	19	59
4.	सांस्कृतिक मूल्य	14	20	09	10	53
5.	धार्मिक मूल्य	16	16	06	07	45
6.	आर्थिक मूल्य	02	00	06	01	9
योग		65	75	75	85	300

सारणी क्रमांक-2

क्र.	मूल्य	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
		शास. विद्यालय प्रतिशत प्राप्तांक	अशासकीय विद्यालय प्रतिशत प्राप्तांक	शास. विद्यालय प्रतिशत प्राप्तांक	अशासकीय विद्यालय प्रतिशत प्राप्तांक
1	सामाजिक मूल्य	15	21	25	33
2	सौन्दर्यात्मक मूल्य	18	13	25	24
3	राष्ट्रीय मूल्य	17	18	21	22
4	सांस्कृतिक मूल्य	22	27	13	12
5	धार्मिक मूल्य	25	21	08	08
6	आर्थिक मूल्य	03	00	08	01

सारणी क्रमांक-3

क्र.	मूल्य	शासकीय विद्यालय		अशासकीय विद्यालय	
		प्राप्त उत्तर की संख्या	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्त उत्तर की संख्या	प्राप्तांक प्रतिशत
1	सामाजिक मूल्य	29	21	44	28
2	सौन्दर्यात्मक मूल्य	31	22	30	19
3	राष्ट्रीय मूल्य	27	19	32	20
4	सांस्कृतिक मूल्य	23	17	30	19
5	धार्मिक मूल्य	22	16	23	14
6	आर्थिक मूल्य	08	05	01	00
	कुल	140		160	

सारणी क्रमांक-4

क्र.	मूल्य	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय की बालिकायें प्राप्तांक प्रतिशत	शहरी क्षेत्र की विद्यालय की बालिकाएँ प्राप्तांक प्रतिशत
1	सामाजिक मूल्य	19	29
2	सौन्दर्यात्मक मूल्य	16	24
3	राष्ट्रीय मूल्य	17	22
4	सांस्कृतिक मूल्य	24	12
5	धार्मिक मूल्य	25	08
6	आर्थिक मूल्य	01	05

शिक्षा में नैतिकता

त्रिभुवन ठाकुर *

प्रस्तावना - शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि सभी समाहित हैं। इस प्रकार यह कौशल, व्यापार, व्यवसायों एवं मानसिक नैतिकता और सौन्दर्य विषय पर केन्द्रित होते हैं।

शिक्षा वह नीति है, जो समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी या अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी शिक्षा (ज्ञान) का हस्तांतरण कर उनके अन्दर उचित आचरण एवं शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इस दिशा से शिक्षा एक निस्वार्थ संस्था के रूप में कार्य करती है, तो प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अपने, समाज तथा राष्ट्र को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज में देश की संस्कृति को निरंतरता को बनाये रखने का कार्य करती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियम, व्यवस्था, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ता है। जब वह उस समाज को समझे, जाने एवं उसके विशेष इतिहास से रूबरू होता है।

शिक्षा का उद्देश्य - शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करना एवं शिक्षा उसे समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए रामाजिकृत करते हुए समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिये व्यक्ति को आवश्यक शिक्षा, दिशा तथा कौशल प्रदान करती है।

शिक्षा का अर्थ - शिक्षा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। इसी प्रकार शिक्षा का अर्थ सीखना एवं सिखाना तथा शिक्षा का अर्थ सीखने - सिखाने को कहा जाता है।

शिक्षा संबंध तथा शिक्षा के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा संबंधी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं-

1. **महात्मा गाँधी** - शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।
2. **स्वामी विवेकानंद** - मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।
3. **हर्बर्ट स्पेंसर** - शिक्षा का अर्थ अन्तः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है।

शिक्षा के प्रकार - वर्तमान समय में शिक्षा को दो भागों में बाँट दिया गया है उसी प्रकार शिक्षा को दो भागों में बाँटते हुये इसका वर्णन इस प्रकार है।



औपचारिक शिक्षा - आज के वर्तमान समय में जो शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही शिक्षा सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में पूर्ण की जा रही है। इस शिक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को वही शिक्षा प्रणाली (पद्धति) द्वारा समझाया तथा पढ़ाया जाता है, जो उसके पाठ्यक्रम में दर्शायी जाती है। उसी समय सारणी के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी को कार्य करना होता है इसमें शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में परीक्षा देने पर इन्हे उस शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र तथा डिग्री प्रदान की जाती है जो उन्हें किसी व्यवसाय का संचालन करने के योग्य बनाता है। परन्तु समय जैसे-जैसे जा रहा है, जैसे-जैसे शिक्षा व्यय साध्य होती जा रही है इसमें सभी जगहों पर धन, समय, ऊर्जा तथा सभी शिक्षा संबंधी वस्तुओं में अधिक व्यय खर्च करना पड़ते हैं आज के वर्तमान समय की शिक्षा केवल किताबों में सिमट कर रह गई है। वर्तमान समय के विद्यार्थी को केवल किताबी ज्ञान ही दिया जा रहा है। इन्हे किताबी ज्ञान के साथ-साथ इन्हे संस्कारवान तथा चरित्रवान बनाने की भी कोशिश की जाना चाहिए। किताबी ज्ञान तथा इन डिग्रीयों के सहारे व्यक्ति केवल व्यवसाय, उद्योग तथा अपने श्रेणी लक्ष्य तक ही पहुँच सकता है तथा उसी श्रेणी में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।

आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ की शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को उनके करियर संबंधी निर्णय लेने एवं रोजगार पाने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना होता है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ दिन-प्रतिदिन बेरोजगारी का आँकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण बेरोजगार युवा आज अनैतिक प्रक्रिया में शामिल होने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ उन्हे किताबी ज्ञान से परिचित किया जाता है तथा उनकी काउंसलिंग की कमी के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अपने करियर संबंधी मामलों में स्वयं निर्णय लेने में अपने आप का सक्षम नहीं समझते हैं। इसका प्रमुख कारण हमारे यहाँ संचालित की जा रही शिक्षण संस्थाओं में काउंसलिंग की कमी को माना गया है। स्कूल शिक्षा से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा देने वाली अधिकतर संस्थानों में काउंसलिंग की कमी को देखने को मिलता है।

अनौपचारिक शिक्षा - वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की तरह विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बाँधी जाती है। जो शिक्षण संस्थानों में हस्तांतरित नहीं की जाती है।

यह वह योजना है, जो बनाई नहीं जाती एवं शिक्षा को ग्रहण करने के लिये विद्यार्थी की कोई उम्र की बाधा नहीं होती है। यह शिक्षा व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु में सीखता रहता है इस शिक्षा में व्यक्ति का उद्देश्य निश्चित नहीं रहता है, और नहीं कोई शिक्षण कौशल विधि का उपयोग होता है यह

आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। मनुष्य का प्रभाव औपचारिक शिक्षा से बेहतर तथा अधिक प्रभाव समाज, जीवन इत्यादि में होता है।

व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ- न- कुछ ग्रहण करता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने आसपास के वातावरण, समाज एवं अपने सम्पर्क में रहने वाले व्यक्ति से सदैव सिखता रहा है। तथा उन्हें भी कुछ सिखाता रहता है। बच्चे के जन्म होने पर उसकी प्रथम गुरु 'माँ' को कहा गया है। जो शिक्षा माँ द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है जिनमें माँ अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव डाल उसे इस शिक्षा के अन्दर ढालने का प्रयास करती है। वह शिक्षा उसे अपने घर, परिवार तथा समाज में रहकर ही दी जाती है। बच्चा अनौपचारिक शिक्षा की उंगली पकड़कर ही औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये विद्यालय में प्रवेश लेता है। वह एक व्यक्तित्व के साथ शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने आता है, जो उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है।

व्यक्ति की भाषा, आचरण, ज्ञान, अनुभव एवं उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिये उसे औपचारिक शिक्षा दी जाना भी महत्वपूर्ण होता है। जो उसे अपनी योग्यता के आधार पर अपना व्यवसाय तथा उद्योग को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है।

प्राचीन काल में शिक्षा - भारत में प्राचीन काल की शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। यह शिक्षा, मुक्ति एवं आत्मबोध के लिये साधन के रूप में कार्य करती है। भारत की प्राचीनतम शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व इतिहास में प्रसिद्ध एवं बहुत ही प्राचीनतम मानी जाती है।

प्राचीनकाल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। जिसका परिणाम भारत को विश्वगुरु के रूप में देखा जा रहा था। उस युग की मान्यता थी कि जिस प्रकार अन्धकार को दूर करने के लिये दीपक के प्रकाश का उपयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के अन्दर छुपे भ्रम, संशय को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा को माना जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन के पूर्ण रूप से दर्शन कराता है तथा वह व्यक्ति को इस योग्य बनाती है, कि वह जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को पार करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त कर सके जो मानव जीवन का अंतिम चरण तथा लक्ष्य है। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देख सकते हैं। इस काल में ऋग्वेद युग का उद्देश्य तत्वसाक्षात्कार से था।

ब्रह्मचर्य, तन और योग से तत्व का साक्षात्कार करवाने वाले गुरुओं को ऋषि, मुनी, विप्र, कवि, मनिषी इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध थे। जैसे-जैसे साक्षात्कार तत्वों का आकार मंत्रों के आकार में संग्रहित होता गया वैदिक संहिताओं में श्रवण, मनन और निदिध्यासन वैदिक शिक्षा रही।

प्राचीन काल में विद्यालय को 'गुरुकुल', 'आचार्यकुल', 'गुरुगृह' अत्यादि नामों से जाने जाते थे। शिष्य आचार्य के कुल में ही निवास करते हुए शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त करते रहते थे। इस काल में शिक्षक को 'गुरु' और 'आचार्य' कहा जाता था, और इसी के साथ विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी तथा आचार्यकुलवासी कहा जाता था। आचार्य स्वर से मंत्रों का परायण करते थे, और शिष्य उनको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात उन मंत्रों का अर्थबोध करवाया जाता था। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता को उपनयन द्वारा प्रदान की जाती थी।

समावर्तन के अवसर पर गुरुदक्षिणा देने की प्रथा प्राचीन काल में होती थी। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा होने पर कोई उपाधि या डिग्री नहीं प्रदान की जाती थी। गुरुओं द्वारा नित्य पाठ पढ़ाने के पूर्व शिष्य

ने पढ़ाए हुए षष्ठ (विषय) को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया है या नहीं इसका पता आचार्य द्वारा स्वयं लगा लिया जाता था। शिष्य अध्ययन और अनुसांधान में हमेशा व्यस्त लगे रहते थे तथा बाद में विवाद और शास्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिया जाता था।

भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरवपूर्ण माना जाता था। गुरु का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता था। आचार्य पारंगत, विद्वान, सदाचारी, क्रियावान होते थे और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। प्राचीनकाल के विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। विद्यार्थी आचार्य का चरण स्पर्श कर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ किया करते थे।

विद्यार्थियों के कर्तव्य - गुरु के आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशुओं का चराना इत्यादि विद्यार्थियों के कर्तव्य माने जाते थे।

विद्यार्थियों के भिक्षाटन अनिवार्य हुआ करता था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन और ध्यान में लग जाते थे।

प्राचीन काल में शिक्षा सत्र श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर पोष की पूर्णिमा को उपार्जन से समाप्त होती थी। बाकि बचे शेष समय में विद्यार्थी अपने पाठों की पुनरावृत्ति करते थे। विद्यार्थी द्वारा अलग - अलग बैठकर पाठ ग्रहण करते थे एक साथ नहीं। प्राचीन काल में विनय के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था, उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को गुरु द्वारा दण्ड भी दिया जाता था। इस काल में पाठशाला, मठ, आश्रम और विहारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी।

वर्तमान काल में शिक्षा - आज वर्तमान काल की शिक्षा समाज तथा देश में एक प्रतिस्पर्धा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए उन्मुख होती जा रही है। आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत ने पूर्व पाँच दशकों में वैज्ञानिक, पेशेवर इत्यादि की रचना की है जिसमें भारत ने अपने क्षेत्रों में बड़ी उत्कृष्टता हासिल की है, और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गहरा निसाना सा बना दिया है। इसी के साथ हम वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली के सकारात्मक पहलुओं से कैसे इन्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तक हम अपने वर्तमान शिक्षा की आलोचना नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं। जिनपर हम सभी को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज के युग में नई तकनीकों से लेस नई चुनौतियों के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का निदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों को तैयार किया जा रहा है।

वर्तमान समय में दायित्व के रूप में बढ़ती जनसंख्या को देखने के बजाय, हमें अपनी वृद्धि को नियंत्रक करके जनसंख्या को परिसम्पत्ति से बदलना चाहिए। यह केवल शिक्षा और मानव विकास द्वारा ही किया जा सकता है।

केवल एक युवा व्यक्ति को या एक प्रशिक्षण पूर्ण व्यक्ति को डिग्री और प्रमाण पत्र देकर किसी जगह नियुक्ति के योग्य मानना, पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी वर्तमान युवा पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर करना होगा। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं को सोचने, विचारने के लिये प्रोत्साहित नहीं कर पाती है। उन्हें एक निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जो सिर्फ उन्हें उस क्षेत्र की ही शिक्षा प्राप्त होती है। आज के विद्यार्थियों का अधिक से अधिक सवाल पूछने के लिए आगे आने के लिये प्रोत्साहित करना होगा जो न

केवल उन्हें सोचने, पढ़ने में मदद देगा। बल्कि विद्यार्थियों को बार - बार सवाल पूछने पर शिक्षक को भी पढ़ाने एवं सिखाने पर मजबूर करेगा। हमें छात्रों को और अधिक गंभीरता से सिखाने एवं समझाने के लिए मजबूर करना होगा।

वर्तमान समय में छात्रों द्वारा हो रहे कार्य कक्षाओं को काटना, हड़ताल में शामिल होना तथा अंशकालीन अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिये शिक्षक को विद्यार्थियों को इनसे दूर करना होगा एवं राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण भी किया जाना चाहिये। विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ - साथ संस्कारवान विद्यार्थी बनने की भी शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में दी जाना चाहिये।

वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियों को निम्नानुसार वर्णित

किया जा सकता है -

1. वर्तमान शिक्षा हमारे बदलते समाज से संबंधित ज्ञान, हमारी संस्कृति के प्रकार को मजबूती से नहीं करती है।
2. ज्ञान के किसी विशेष अंक से संबद्ध रोजगार का पाने या उसमें निवेश की मांग के संदर्भ में विकास हमारे चरण के लिए अनुचित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <http://hi.wikipedia.org/wiki/oejm>
2. http://hi.wikipedia.org/wiki/^maoV`_oejm_dk_BoVhmg
3. <http://www.yourarticlelibrary.com/essay/education-in-the-past-present-and-future/39224>
4. स्वयं - श्री त्रिभुवन ठाकुर ।

रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. नमिता खोटेले * डॉ. के. नागमणी **

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु किया गया है। जिसका उद्देश्य शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करना है। न्यादर्श हेतु रायपुर जिले के 50 (25 शासकीय एवं 25 अशासकीय) विद्यालयों का चयन किया गया है। जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 1 प्राचार्य शामिल है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन को मापने हेतु उपिन्दी धर एवं संतोष धर द्वारा रचित प्रबंधकीय प्रभावशीलता मापनी (ORGANISATIONAL EFFECTIVENESS SCALE) का प्रयोग किया गया है। इस हेतु विद्यालयों का चयन दैव न्यादर्श के आधार पर किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष पाया गया कि रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया। शिक्षा वह माध्यम है जो मानव को पशु-तुल्य से मनुष्य बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही

प्रस्तावना - मनुष्य पहने जाने वाले परिधान के साथ-साथ अपने उठने-बैठने, चलने-फिरने और सामाजिक रीति-रिवाजों को सीखता है। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत ही मानव के सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवन की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अपनी मृत्यु से पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था- 'आत्मीयो भव' यानी अपने आप में प्रकाशवान बनों, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा ही मानव जीवन को सार्थक बनाती है। शिक्षा जहां एक ओर बालकों का सर्वांगीण विकास करती है, उन्हें चरित्रवान, बुद्धिमान बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह समाज के विकास हेतु एक अनिवार्य एवं शक्तिशाली साधन है। बालक की व्यक्तिगत प्रगति, उसका मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक विकास शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन (1972) के अनुसार, प्रबन्ध का कार्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित कर देना है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार कार्य किया जा सके कि जिनके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है, उन्हें सन्तुष्टि प्राप्त हो सके तथा जो कार्य कर रहे हैं, उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व निभाने की भावना बनी रहे। **जार्ज आर.टेरी (1986)**, प्रबन्ध एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण शामिल होते हैं। इन सभी क्रियाओं में कला एवं विज्ञान दोनों का ही प्रयोग होता है और इनका अपने इसी क्रम में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुसरण किया जाता है।

संबंधित शोध -

युवरा (2005) ने सिंगापुर में निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के मध्य नेतृत्व के गुणों का अध्ययन किया। न्यादर्श हेतु सिंगापुर के निजी विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन में तत्काल विषयों एवं प्राचार्य की भूमिका से संबंधित प्रश्नों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम यह है कि निजी विद्यालय के प्राचार्यों ने वित्तीय लक्ष्य को सभी लक्ष्यों में

ऊपर की रैंक में रखा है। अधिकतर विद्यालयों के प्राचार्य अपनी बौद्धिक ईमानदारी के साथ साथ शैक्षिक मूल्यों को भी खो दिया है, यह चिंता का विषय है।

गनिहर एवं नूरजहां (2005) ने माध्यमिक विद्यालय की प्रभावशीलता के सहसम्बन्ध का अध्ययन किया। कुछ चुने हुए व्यक्ति और संगठन से संबंधित संबंधों की जांच करना प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है, न्यादर्श के रूप में धारवाड़ शहर के 16 विद्यालयों में से 110 शिक्षक एवं 229 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से 6.7 शिक्षक एवं 10.15 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रदत्ता विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय के प्रकार को ध्यान में रखकर लिया गया है, Behaviour in school inventory students Involvement Questionnaire (BSISIQ) उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। प्रदत्तों का संग्रह जीवन स्केल की गुणवत्ता (QWLS), नेतृत्व के गुणों (LQQ), संगठनात्मक स्वास्थ्य (OHI), और अभिभावकों की भागीदारी (PIQ) के आधार पर किये गए। डाटा विश्लेषण हेतु एनोवा, परीक्षण और सहसम्बन्ध विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया। उच्च प्रभावशीलता विद्यालय के विद्यार्थी कम प्रभावशीलता विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक समायोजन करते हैं एवं उच्च प्रभावी विद्यालय के विद्यार्थी कम प्रभावी विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में गतिविधियों में अधिक शामिल होते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रश्न क्या रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सार्थक अंतर पाया जायेगा ?

अध्ययन की उपकल्पनाएँ रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

जनसंख्या - जनसंख्या के अंतर्गत रायपुर जिले के समस्त शासकीय एवं

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.) भारत

निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है।

न्यादर्श - इन विद्यालयों से यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि के द्वारा रायपुर जिले के 50 (25 शासकीय एवं 25 अशासकीय) विद्यालयों का चयन किया गया है। जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 1 प्राचार्य शामिल है।

शोध उपकरण - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन को मापने हेतु उपिन्दी धर एवं संतोष धर द्वारा रचित प्रबंधकीय प्रभावशीलता मापनी (ORGANISATIONAL EFFECTIVENESS SCALE) का प्रयोग किया गया है जिसमें 7 आयाम हैं: संचार, उन्नति के अवसर, समर्थक गतिविधि, अपनापन, कार्य महत्व, लक्ष्य अभिविन्यास, सुरक्षा। इन सातों आयामों के योग को ही प्रस्तुत अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन के प्राप्तांक माने गए हैं।

शोध प्रक्रिया - प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण अनुसंधान प्रविधि का प्रयोग किया गया। इस हेतु विद्यालयों का चयन दैव न्यादर्श के आधार पर किया गया है एवं प्राचार्यों का चयन उद्देशीय न्यादर्श तकनीकी के आधार पर किया गया है।

सांख्यिकीय उपचार - भेदात्मक परिकल्पनाओं की जांच हेतु टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण एवं परिणाम - रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

तालिका 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक के अनुसार रायपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन एवं उसके विभिन्न आयामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन के प्रथम आयाम सप्रेषण का माध्य 77.68, 75.96 प्रमाप विचलन 5.422, 4.148 एवं t मूल्य 1.230, विद्यालय प्रबंधन के द्वितीय आयाम उन्नति के अवसर का माध्य 95.28, 94.24 प्रमाप विचलन 7.569, 5.710 एवं t मूल्य .543, विद्यालय प्रबंधन के तृतीय आयाम समर्थक गतिविधि का माध्य 40.28, 39.96 प्रमाप विचलन 3.373, 3.397 एवं t मूल्य .334, विद्यालय प्रबंधन के चतुर्थ आयाम अपनापन का माध्य 21.88, 20.92 प्रमाप विचलन 1.878, 1.656 एवं t मूल्य 1.92,

विद्यालय प्रबंधन के पंचम आयाम कार्य महत्व का माध्य 38.04, 38.64 प्रमाप विचलन 2.821, 2.059 एवं t मूल्य 2.105 पाया गया तथा निजी विद्यालयों के प्रबंधन की अपेक्षा शासकीय विद्यालयों के प्रबंधन

का विद्यालय प्रबंधन के पंचम आयाम कार्य महत्व का मध्यमान अधिक पाया गया। विद्यालय प्रबंधन के षष्ठम आयाम लक्ष्य अभिविन्यास का माध्य 24.56, 24.68 प्रमाप विचलन 1.938, 1.626 एवं t मूल्य .238, विद्यालय प्रबंधन के सप्तम आयाम सुरक्षा का माध्य 7.72, 7.69 प्रमाप विचलन 1.021, .978 एवं t मूल्य .854, कुल विद्यालय प्रबंधन का माध्य 302.52, 298.36 प्रमाप विचलन 21.98, 19.35 एवं t मूल्य .118 प्राप्त हुआ।

कुल विद्यालय प्रबंधन एवं इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम एवं सप्तम आयाम से प्राप्त t मूल्य स्वतंत्र अंश 48 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया जबकि विद्यालय प्रबंधन के पंचम आयाम कार्य महत्व से प्राप्त t मूल्य स्वतंत्र अंश 48 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया। अतः परिकल्पना रायपुर जिले के शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा आंशिक रूप से स्वीकृत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डे, रामशकल (1997). शिक्षा का दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय पृष्ठ भूमि, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
2. Osunde, A. U. & Izevbigie, T. I. (2006). An assessment of teachers attitude towards teaching profession in Midwestern Nigeria. *Education*, 126 (3), 462 – 467.
3. Streers, R.M. (1977). Antecedents and outcomes of Organizational
4. Commitment. *Administrative Science Quarterly*, 22, 46-56.
5. Vuohijoki, T. (2006). One Just Has to Survive. A Study on Principal's
6. Work and Coping at Work from the Point of View of Gender and Position.
7. *Publications of University of Turku, Annales Universitatis Turkuensis*,
8. Series C, Scripta lingua Fennica edita, 250.
9. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8279.1968.tb01979.x/abstract>
10. <http://psycnet.apa.org/journals/apl/77/6/963/>

तालिका 1 रायपुर जिले के शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन के मध्य सांख्यिकीय मापन का विवरण

विद्यालयप्रबंधन के आयाम	शासकीय प्रबंधन			निजी प्रबंधन			t-Value
	M	SD	N	M	SD	N	
संप्रेषण	77.68	5.422	25	75.96	4.148	25	1.230 _{NS}
उन्नति के अवसर	95.28	7.569	25	94.24	5.710	25	.543 _{NS}
समर्थकगतिविधि	40.28	3.373	25	39.96	3.397	25	.334 _{NS}
अपनापन	21.28	1.878	25	20.92	1.656	25	1.92 _{NS}
कार्य महत्व	38.04	2.821	25	38.64	2.059	25	2.105 _*
लक्ष्यअभिविन्यास	24.56	1.938	25	24.68	1.626	25	.238 _{NS}
सुरक्षा	7.72	1.021	25	7.96	.978	25	.854 _{NS}
कुल विद्यालयप्रबंधन	302.52	21.98	25	298.36	19.35	25	.118 _{NS}

Df = 48

* = 0.05 सार्थकता स्तर

पर सार्थक

NS = .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं

विद्यार्थियों के व्यवसायिक निर्देशन में विद्यालय की भूमिका

राकेश पाण्डे *

प्रस्तावना - आमतौर पर लोग अपने पारम्परिक व्यवसाय को ही अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। यह बात पुराने समय में तो ठीक थी, कारण समाज सरल था। व्यवसाय कम थे आवश्यकताएँ सीमित थी परन्तु वर्तमान समय में बढ़ती बेरोजगारी के कारण समाज के युवा -वर्ग द्बन्द के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में उनमें प्रारम्भिक जीवन से ही उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि हम किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जिससे हम आत्म -निर्भर बन सकें ? व्यवसाय का चयन से कर सकें। युवा वर्ग की इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नीति -निर्माताओं ने व्यवसायिक निर्देशन पर बल दिया। व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्तियों को अपने व्यवसाय के चयन, व्यवसाय की यथार्थता, व्यावसायिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं आदि के सम्बन्ध में पथ - प्रदर्शक किया जाता है। इससे वे व्यवसाय के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनने में समर्थ होते हैं और उत्तम जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रस्तुत शोध में विद्यार्थियों के व्यावसायिक निर्देशन में विद्यालय की भूमिका अध्ययन किया गया है।

व्यवसायिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा - सामान्यता व्यवसायिक निर्देशन से आशय व्यवसाय के चयन, उपादेयता, समस्याओं के सामाधान के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया गया सुझाव या पथ प्रदर्शक से है। कतिपय विद्वानों ने व्यवसायिक निर्देशन को अपनी परिभाषा द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नवत् दी जा सकती हैं-

1. **सुपर** - महोदय ने अपनी पुस्तक 'एपराइजिंग वोकेशनल फिटनेस' में व्यवसायिक निर्देशन को व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय में समायोजन करने में सहायक निरूपित किया है - 'व्यवसायिक निर्देशन व्यक्तियों में समायोजित होने में मदद तथा मानवीय शक्ति के प्रभावशाली तरीके से उपयोग करके सामाजिक अर्थव्यवस्था को सरलतम ढंग से चलाने में सुविधाएँ प्रदान करता है।'
2. **क्रो व क्रो** ने कहा है कि - 'व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतया विद्यार्थियों को किसी व्यवसाय का चयन करने, उसके तैयारी करने तथा उसमें उन्नति के लिए दी जाने वाली सहायता के रूप में किया जाता है।'
3. मेयर्स की मान्यता है कि - 'व्यवसायिक निर्देशन मुख्यतः वह प्रक्रिया है, जो युवावस्था की प्रकृति, क्षमताओं तथा शिक्षा संस्थाओं में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को संकलित करती है यह एक मानवीय साधनों का संकलन करके सबसे अधिक मूल्यवान हो जाती है जहाँ पर उनको प्रयोग होना चाहिए और जहाँ से वे अधिकतम व्यक्तिगत आत्म संतुष्टि एवं सफलता तथा समाज के लिए अधिकाधिक कल्याण अर्जित कर सकें।'

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने व्यवसायिक निर्देशन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि - व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को उसकी व्यवसाय चयन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान तथा उसकी प्रगति हेतु दी गयी सहायता है जो उसके व्यावसायिक अवसरों सम्बन्धी योग्यताओं को दृष्टिगत रखकर दी जाती है।'

व्यवसायिक निर्देशन की उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् परिलक्षित होती है -

1. अधिगमकर्ता को उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यवसायिक निर्देशन पथ -प्रदर्शक का कार्य करता है।
2. किसी व्यवसाय से कुशलतम अनुकूलन में व्यवसायिक निर्देशन अत्यन्त उपयोगी है।
3. व्यवसाय सम्बन्धी किसी समस्या के उपस्थित हो जाने पर व्यवसायिक निर्देशन समाधान का मार्ग सुझाता है।
4. अधिगमकर्ता को व्यवसायिक अवसरों की उपलब्धता की जानकारी व्यवसायिक निर्देशन से मिलती है।
5. व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुकूल व्यवसाय में उनकी सहभागिता को व्यवसायिक निर्देशन मूर्त रूप देता है।

व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य - व्यक्ति को अपने व्यवसाय के चयन उसके संचालन के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी निर्देशन से ही होता है। व्यवसायिक निर्देशन कुछ मूलभूत उद्देश्यों के अनुसार दिया जाता है। व्यवसायिक निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् प्रकट किये जा सकते हैं -

1. छात्रों को विविध व्यवसाय, पेशा, नौकरी के बारे में महत्त्वपूर्ण सुचनाओं को प्रदान करने में सहायता देना।
2. छात्रों को विविध व्यवसाय, पेशा, नौकरी के लिए वांछित योग्यता के बारे में जानकारी देना।
3. छात्रों को श्रम के प्रति निष्ठा रखने तथा नौकरी के लिए वांछित योग्यता के बारे में जानकारी देना।
4. छात्रों को विविध व्यवसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के पता, नियम, प्रवेश प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी देना।
5. छात्रों की विविध व्यवसायिक, क्षमता एवं निपुणता की जाँच करना।
6. छात्रों को किसी व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा कार्य-नियोजक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना।
7. व्यवसाय हेतु योजना बनाने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों की आर्थिक मदद के बारे में जानकारी देना।
8. चयनित व्यवसाय के सामाजिक महत्व से छात्रों को परिचित कराना।
9. व्यवसाय के लिए अपेक्षित मानसिक तत्परता एवं अभिव्यक्ति के

विकास में छात्रों की मदद करना।

10. विकलांगो हेतु व्यवसाय मानसिक के चयन एवं उन्हें करने के तौर-तरीकों की जानकारी देना।

व्यवसायिक निर्देशन के मूलभूत उद्देश्यों अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका प्रयोजन मूलतः छात्रों के आयु एवं कक्षा के अनुरूप रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुरूप व्यवसाय के चयन में बहुविधि से सहायता करना है। कतिपय विचारक व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्यों को प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा उच्च स्तर में वर्गीकरण करके वर्णन करते हैं। वस्तुतः यह वर्गीकरण छात्रों की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप क्रमशः सरल से जटिल की मान्यता पर आधारित है।

व्यवसायिक निर्देशन के आवश्यकता - वर्तमान सदी परिवर्तनों से आच्छादित है। दिन- प्रतिदिन नयी मान्यताएँ उदित हो रही हैं। नये- नये व्यवसायों का सृजन हो रहा है। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि छात्रों को व्यवसाय के चयन, उसमें निहित क्रियावृत्ति, व्यवसाय हेतु योग्यता आदि से अवगत कराया जाए। इस कार्य में व्यवसायिक निर्देशन का आश्रय लेना अपेक्षित है। व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता को संक्षेप में निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है -

1. राष्ट्र में मौजूद कुशल जनशक्ति के सदुपयोग हेतु, जिससे राष्ट्र आत्म निर्भर एवं विकसित श्रेणी में आ सके।
2. शैक्षिक अवसरों की समानता, बेरोजगारी के अंत एवं लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में व्यवसायिक निर्देशन अत्यन्त उपयोगी है।
3. वर्तमान समय में विकसित सूचना-प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए श्रम एवं उद्योग में स्थापित नयी कार्य-प्रणाली से राष्ट्र के नौनिहालों को अवगत कराने में व्यवसायिक निर्देशन आवश्यक है।
4. राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को बनाये रखने तथा भूमण्डलीकरण द्वारा उपजी मान्यताओं से व्यक्तियों को अवगत कराने की दृष्टि से व्यवसायिक निर्देशन आवश्यक है।
5. राष्ट्र के नौनिहालों को अपना भविष्य सुखमय बनाने आजीविका के चयन एवं उसमें उनकी संलग्नता की ओर उन्मुख करने वाले व्यवसायिक निर्देशन अत्यन्त उपयोगी है।
6. व्यक्ति में आत्म संतुष्टि एवं स्वयं की कार्यक्षमता का आंकलन करने तथा तदसंबंधी व्यवसाय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में व्यवसायिक निर्देशन महती भूमिका अदा करता है।
7. सामुदायिक जीवन में मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसमें व्याप्त कुण्ठा, सन्नयान, तनाव को दूर करने में व्यासायिक निर्देशन अत्यन्त उपयोगी है।
8. व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा श्रम के प्रतिनिष्ठा की भावना का विकास करने में व्यावसायिक निर्देशन की अत्यन्त आवश्यकता है।
9. मायर्स के अनुसार - व्यवसायों की जटिल भूल-भूलैया में उपयुक्त व्यवसाय के चयन करने के लिए व्यक्ति को व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता है।
10. पारिवारिक उत्तर दायित्वों के निर्वाहन तथा उसे उन्नत बनाते हुए उच्चतम शिखर पर आरूढ़ करने हेतु व्यवसायिक निर्देशन आधार प्रदान करता है।
11. व्यक्ति में निहित सृजनात्मक शक्ति को कुशल ढंग से सदुपयोग करके यथोचित कार्य में संलग्न करके व्यवसायिक निर्देशन मानव जीवन

के समस्त पहलुओं के यथोचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस कारण इसकी आवश्यकता है।

12. व्यवसायिक निर्देशन की विधियाँ -

1. व्यवसायिक निर्देशन के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विविध पहलुओं का विधिवत् मूल्यांकन करने के बाद ही व्यवसाय संबंधी निर्देशन दिया जाय, जिससे उसे किसी प्रकार की असफलता का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रायः निम्नलिखित परीक्षण एवं विधियों का आश्रय लेना अपेक्षित होगा-
2. साक्षात्कार विधि द्वारा उसकी समस्त पृष्ठभूमि की जानकारी की जाय।
3. बौद्धिक परीक्षण का प्रयोग करके उसकी मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाय।
4. लिपिकीय योग्यता, संगीत योग्यता, कला योजना, यांत्रिक योग्यता का ज्ञान विशिष्ट रूप से बौद्धिक परीक्षण द्वारा किया जाए जिससे व्यक्ति की सामान्य योग्यता एवं विशिष्ट योग्यता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।
5. रुचि एवं अभिवृत्ति का मापन किया जाए।
6. व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा उसके व्यक्तित्व का आकलन अपेक्षित है।
7. इन सब के बारे में पूर्ण सूचना एकत्रित करने के बाद ही निर्देशन के लिए उत्सुक व्यक्ति को उचित व्यवसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए।

व्यावसायिक निर्देशन में विद्यालय की भूमिका - विद्यालय वह बौद्धिक केन्द्र है जहाँ बालक नियमित रूप से अधिगम करते हुए अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का यथोचित विकास करते हैं। विद्यालय बालक के जीवन को नई दिशा तथा विकास हेतु उचित आधार प्रदान करते हैं। विद्यालय बालकों को समय सापेक्ष विकसित नवीन मातृबन्धों नवाचारों के बारे में जानकारी देकर उसमें समसमायिक जीवन आदर्शों का नव निर्माण करते हैं, किन्तु वर्तमान समय में बढ़ती कोई बेरोजगारी तथा व्यवसाय चयन में उपजते द्वन्द्व के कारण विद्यालय में यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने यहाँ व्यवसायिक निर्देशन देने तथा बालकों में व्याप्त कुण्ठा, तनाव को दूर करने का उत्तम ढंग से प्रबंध करें। यदि विद्यालय अपने विद्यार्थियों को व्यासायिक निर्देशन नहीं देंगे तो विद्यार्थियों में हिन्ता, मनोमालिन्य का उदय होगा तथा समाज निन्नतर स्थिति को प्राप्त होगा। इसलिए विद्यालयों को व्यवसायिक निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना होगा। इसके लिए विद्यालय में व्यवसायिक निर्देशन एवं परामर्श के केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए तथा समय-समय पर छात्रों को विविध व्यवसायों की व्यवहारिक जानकारी देने के लिए भ्रमण की भी सुविधा प्रधान करनी होगी। सेमिनार भाषण व्यवसाय संबंधी दक्षता के मूल्यांकन हेतु विशेष कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किये जाने चाहिए। विद्यालय में एक सेवा योजना

कार्यालय भी होना चाहिए, जिससे समय-समय पर छात्रों की व्यवसायिक विज्ञप्तियों की जानकारी हो सके और उसमें वे सहभागिता कर सकें। मायर्स (1971) ने अपनी पुस्तक 'प्रिसिपल्स एण्ड टेक्निकस आफ वोकेशनल गाइडेंस' में व्यवसायिक निर्देशन हेतु विद्यालय में व्यवसाय निर्देशन सेवा की स्थापना करने तथा कुल 8 प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है -

1. व्यवसायिक सूचना सेवा
2. आत्म विश्लेषण सेवा
3. व्यक्तिगत आकड़े एकत्रित करने संबंधी सेवा

4. परामर्शदाता सेवा
5. व्यवसाय संबंधी तैयारी सेवा
6. समायोजन सेवा
7. अनुसंधान सेवा

प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ उपरोक्त आठ प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराके अपने छात्रों को व्यवसाय परक बना सकते हैं।

व्यवसायिक निर्देशन में शिक्षकों की भूमिका - शिक्षक अपने शिक्षार्थी का पथ-प्रदर्शक एवं भाग्य निर्माता है। उसकी भूमिका अपने शिक्षार्थी को उचित आधार प्रदान करने तथा उसकी त्रुटियों का समय-समय पर समाधान करते रहना है। वर्तमान समय में परिवर्तित मंतव्यों के अनुरूप शिक्षकों को भी परिवर्तित होना पड़ेगा। उन्हें नयी गतिविधियों में परांगत होकर अपने शिक्षार्थी को सम-सामयिक ढंग से शिक्षण देने हेतु नवाचारों को आत्मसात करना होगा। अन्तर्दृष्टि को प्रखर तथा पढ़ाये जाने वाले विषयों को शिक्षार्थी के जीवन की परिस्थितियों से समायोजन योग्य बनाना होगा। इससे छात्र अपनी सामर्थ के अनुरूप व्यवसाय की ओर उन्मुख होंगे। प्रत्येक शिक्षक को शैक्षिक तकनीकी, सूचना तकनीकी के नूतन आयामों की व्यापक जानकारी रखनी होगी तभी वे अपने शिक्षार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान कर उनमें निहित व्यवसायगत मान्यताओं का दिग्दर्शन करा सकते हैं। शिक्षक को समय-समय पर अपने छात्रों की योग्यता, अभिक्षमता एवं रुचि को भी जानना चाहिए उन्हें तदसम्बन्धी व्यवसाय के लाभ से अवगत कराना

चाहिए इससे छात्रों को व्यवसाय के चयन एवं उनमें अत्यधिक रुचि लेने और कार्य करने की अभिप्रेरीणा प्राप्त होगी अतएव स्पष्ट है कि शिक्षक व्यवसायिक निर्देशन में महत्पूर्ण भूमिका अदा करके अपने शिक्षार्थी के भविष्य को सुखमय बना सकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रत्येक शिक्षक इस दिशा में सक्रियता दिखाये और छात्रों का उत्साह वर्धन करें।

निष्कर्ष - व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति को उसकी व्यवसाय चयन संबंधी समस्याओं के समाधान तथा उसकी प्रगति हेतु दी गई सहायता है, जो उसके व्यवसायिक अवसरों संबंधी योग्यताओं को दृष्टिगत रखकर दी जाती है। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोजन छात्रों की आयु एवं कक्षा के अनुरूप रुचि अवश्यकता क्षमता के अनुरूप व्यवसाय के चयन में बहु विधि से सहायता करना है। वर्तमान समय में व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवसायिक निर्देशन अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जायसवाल सीताराम, शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 2005
2. मंगल, एस.के. शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन, इन्टरनेशनल पब्लिसर्स मेरठ 2005
3. शर्मा, आर.ए., शिक्षा तकनीकी, लॉयल बुक डिपो मेरठ 1996

रतलाम जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 'शालासिद्धि' योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन एक अध्ययन।

प्रकाशचन्द्र शर्मा * डॉ. भंवरलाल नागदा **

प्रस्तावना - गत कई वर्षों से सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य रहा है कि शाला में सुधार हो तथा वे अच्छा कार्य-प्रदर्शन कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्तरों पर लगातार ऐसी पद्धतियों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शालाओं के समग्र मूल्यांकन के माध्यम से, विकास की एक निश्चित योजना बनाकर उनका उन्नयन किया जा सके। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित 'प्रतिभा पर्व', 'हमारी शाला', 'शाला विकास योजना', 'शाला गुणवत्ता कार्यक्रम', 'शाला दर्पण' प्रायोजनाएँ इन्हीं प्रयासों के उदाहरण हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (NUEPA) द्वारा भी इस क्षेत्र में पहल की गयी है और शालाओं के मूल्यांकन और सुधार हेतु एक रूपरेखा तैयार की गई है जिसे 'शाला सिद्धि' कहा गया है। इसका शुभारम्भ माह नवम्बर 2015 में किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों से सीखते हुए तथा शाला सिद्धि फ्रेमवर्क को आधार बनाते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य की व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शालाओं के मूल्यांकन और उन्नयन के लिए 'हमारी शाला' ऐसी होय कार्यक्रम तैयार किया गया है।

शाला सिद्धि - हमारी शाला ऐसी हो कोई नया कार्यक्रम नहीं है अपितु पूर्व वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों को एकीकृत कर इन्हें सुनियोजित रूप से क्रियान्वयन करने का प्रयास है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शाला का उन्नयन से तात्पर्य यह है कि शाला का विकास इस प्रकार से हो कि शाला की अकादमिक एवं सह-अकादमिक प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण में सीखने के अवसर मिलें और प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आयु के अनुरूप निर्धारित दक्षताएँ एवं कौशल को अर्जित कर सके।

इस कार्यक्रम में शालाओं के मूल्यांकन और उन्नयन की एक सकारात्मक परिकल्पना और पहल की गई। इस कार्यक्रम में सहभागी हो कर शालाएँ अपने आप को सक्षम करने के लिए स्वयं का सतत मूल्यांकन कर चिन्हित क्षेत्रों में शाला उन्नयन की कार्य-योजना के माध्यम से शाला का विकास कर सकेंगी। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी।

कार्यक्रम के संवैधानिक और प्रशासनिक आधार - गत लगभग एक दशक में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं इन प्रयासों के आधार के रूप में अधिनियम, फ्रेमवर्क, प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेज हैं। इनमें संवैधानिक आधार है और इनका अनुपालन करना

अनिवार्य हैं इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख आधार निम्नांकित हैं -

1. भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, 2005
4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
5. लैंगिक अपराधों से विद्यार्थियों का संरक्षण अधिनियम, 2012
6. एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार परफॉर्मिस इंडिकेटर्स फॉर टीचर्स (पीडिक्स), 2013
7. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान, 2014

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य - इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. शालाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया विकसित करनेके लिए तकनीकी रूप से उत्तम वैचारिक प्रक्रिया का निर्माण करना तथा उनके प्रक्रिया और उपकरण (प्रपत्र) निश्चित करना।
2. शाला मूल्यांकन हेतु राज्य में एक संस्थागत प्रक्रिया निश्चित करना तथा उसका क्रियान्वयन करना।
3. शाला मूल्यांकन हेतु शालाओं तथा सम्बंधित अधिकारियों को सक्षम बनाना जिससे शालाएँ निरन्तर उन्नति कर सक्षम बनी रहे।
4. शाला को एक प्रकार सहयोग देना किवे अपनी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उनकी पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयास करने में सक्षम हो।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ - इस कार्यक्रम के प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. शालाओं के मूल्यांकन हेतु आयामों तथा उनके मानकों को चिन्हित किया गया है जो शाला के मूल्यांकन और उन्नयन का आधार बिन्दू होगी।
2. स्व-मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन हेतु व्यापक उपकरण प्रपत्र के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं।
3. शाला एवं बाह्य-मूल्यांकनकर्ताओं के लिए तार्किक, आसन तथा स्पष्ट मूल्यांकन उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है।
4. युक्तिसंगत और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन - 'हमारी शाला' ऐसी हो के प्रथम चरण में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में चार प्राथमिक एवं चार माध्यमिक शालाओं का चयन किया जाकर, कार्यक्रम के अनुसार उन्नयन कार्य किया जाएगा। इन शालाओं से जनशिक्षा केन्द्र की अन्य शालाओं के शिक्षक व

विद्यार्थी इस प्रक्रिया को सीख, समझ और अनुसरण कर सकेंगे।

कार्यक्रम के अन्तर्गत शालाओं का चयन एवं उनके मापदण्ड - इस कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं का चयन निम्नलिखित आधारों पर होगा-
अनिवार्यता -

1. प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत न्यूनतम चार प्राथमिक एवं चार माध्यमिक शालाएँ, इस प्रकार आठ शालाएँ चयनित की जाएँगी।
2. जनशिक्षा केन्द्र की चयनित शालाओं में दोनों जनशिक्षकों में से प्रत्येक को 2 प्राथमिक एवं 2 माध्यमिक, इस प्रकार 4 शालाओं में कार्य करना होगा। इनमें 1-1 शाला 'डी' अथवा 'ई' ग्रेड की सम्मिलित हो। यदि किसी जनशिक्षा केन्द्र के अंतर्गत आने वाली शालाओं में 'डी' अथवा 'ई' ग्रेड की कोई शाला न हो तो 'सी' ग्रेड की शाला को चयनित किया जा सकेगा।
3. जनशिक्षा केन्द्र की शाला को अनिवार्यतः चयनित किया जाएगा।
4. जहाँ तक संभव हो यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ एक ही परिसर में स्थित हों। यदि जनशिक्षा केन्द्र में ऐसी शाला न हो तो अन्य शालाओं का चयन किया जा सकेगा।

प्राथमिकता -

1. पूर्व में 'मॉडल क्लस्टर कार्यक्रम' के अन्तर्गत चयनित शालाओं को प्राथमिकता के क्रम में ऊपर रखा जाएगा।
2. प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में पृथक-पृथक नामांकन 100 से कम न हो अथवा कक्षा 1 से 8 तक न्यूनतम 200 विद्यार्थी दर्ज हों।
3. विद्यालय में यथा संभव छात्र संख्या के मान से शिक्षकों की उपलब्धता हो अर्थात् शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (पी.टी.आर.) आर.टी.ई. के मापदण्डानुसार हो।
4. शैक्षिक गुणवत्ता के क्षेत्र में जागरूक एवं क्रियाशील शाला प्रबंधन समिति या ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. ऐसी शालाएँ जिनमें विशेष योजनाएँ जैसे 'हेडस्टार्ट', 'स्मार्ट क्लास' या 'स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट' क्रियान्वित हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
6. कार्यक्रम में वे शालाएँ सम्मिलित की जा सकेंगी जहाँ शिक्षक स्वयं नवाचारी प्रयोगों के लिए तत्पर हो।

चयन का उत्तरदायित्व - राज्य स्तर से जारी निर्देशों का समय सीमा में पालन करते हुए प्रत्येक संकुल में न्यूनतम चार प्राथमिक एवं चार माध्यमिक शालाओं का चयन ऊपर दिए गए मापदण्ड एवं प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

1. संकुल की शालाओं का चयन संबंधित विकासखण्ड के अकादमिक शिक्षा समन्वयक तथा जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी प्राचार्य, डाइट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
2. सम्बंधित विकासखण्ड शिक्षा समन्वयक एवं जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी प्राचार्य शालाओं के नाम प्रस्तावित करने से पूर्व स्वयं इन शालाओं का व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करेंगे।
3. चयनित शालाओं का अनुमोदन जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कलेक्टर से प्राप्त किया जाएगा।

प्रशिक्षण - कार्यक्रम की अवधारणा साझा करने एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस क्रम में निम्नांकित गतिविधियाँ होंगी-

1. 'कार्यक्रम की अवधारणा एवं मॉनिटरिंग' पर जिला स्तर के अधिकारियों का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण।
2. राज्य-स्तरीय स्रोत समूह का राज्य स्तर/जिला स्तर पर प्रशिक्षण।
3. जिला-स्तरीय स्रोत समूह का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण।
4. कार्यक्रम की अवधारणा पर जनशिक्षा केन्द्र प्रभारियों का जिला स्तर पर उन्मुखीकरण।
5. बाह्य-मूल्यांकनकर्ताओं का जिला स्तर पर प्रशिक्षण।
6. 'हमारी शाला ऐसी होय कार्यक्रम में शिक्षकों/शाला प्रमुख के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।

मूल्यांकन के आयाम एवं मानक -

1. गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे शाला में उपलब्ध भौतिक संसाधन, प्रशिक्षण शिक्षक, उनका व्यावसायिक उन्नयन, कक्षागत प्रक्रियाएँ, शैक्षणिक सहायक सामग्री की उपलब्धता, उनका उपयोग, शाला में शाला प्रमुख की भूमिका, शाला के विकास में समुदाय का सहयोग इत्यादि। इन क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में मूल्यांकन के आयाम कहा गया है।
2. प्रत्येक आयाम शाला के सुधार हेतु एक बड़ा कार्य क्षेत्र है, इसलिए प्रत्येक आयाम को छोटे-छोटे मानकों में बांटा गया है, जैसे 'विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास' इस आयाम पर शाला का मूल्यांकन इस बात से किया जाएगा कि शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शाला कार्यों में उनकी भागीदारी एवं संलग्नता, उनकी उपलब्धि और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के बारे में शाला की क्या स्थिति है। ये क्षेत्र इस आयाम के मानक हैं। प्रत्येक मानक में किए गए मूल्यांकनों के समग्र मूल्यांकन को उस आयाम का मूल्यांकन माना जाएगा। इस प्रकार ये छोटे-छोटे मानक मिलकर एक बड़े आयाम के मूल्यांकन को पूर्ण करते हैं।
3. प्रत्येक मानक के मूल्यांकन हेतु तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं और तीनों स्तरों में शाला की संभावित स्थिति का विवरण दिया गया है। इन विवरणों को उस स्तर के लिए शाला से की जा रही अपेक्षाओं के रूप में भी समझा जा सकता है। इन विवरणों के आधार पर (1) शाला अपने स्तर का निर्धारण कर सकेगी तथा (2) स्तर उन्नयन के लिए कार्य-योजना का निर्माण करने के लिए क्षेत्रों को चिन्हित कर सकेगी। शाला मूल्यांकन के आयाम, उनके मानक तथा आशयका विवरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है- **(देखें आगे पृष्ठ पर)** तालिका से स्पष्ट है कि शाला का मूल्यांकन निम्नलिखित सात आयामों पर किया जाएगा-

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शाला में उपलब्ध संसाधन एवं उनकी उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता
2. सीखना-सिखाना और उसका आकलन
3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास
4. शिक्षकों का कार्य-प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन
5. शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन
6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा
7. समुदाय की सहभागिता

आयाम	मानक
1. शाला में उपलब्ध संसाधन – उनकी उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता (शाला में अधोसंरचना व उनकी गुणवत्ता, मानव संसाधन और सीखाने के स्त्रोतों की उपलब्धता कैसी है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. शाला परिसर 2. खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण 3. कक्षा और अन्य कक्ष 4. विद्युत और उपकरण 5. पुस्तकालय 6. प्रयोगशाला (जहाँ प्रावधान हो) 7. कम्प्यूटर (जहाँ प्रावधान हो) 8. रैंप 9. मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन 10. पेयजल 11. हाथ धोने की सुविधाएँ 12. शौचालय
2. सीखना-सिखाना और उसका आकलन (शाला में शिक्षण-अधिगम और आकलन कितना प्रभावी है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ 2. शिक्षक का विषय और शैक्षणिक ज्ञान 3. शिक्षण के लिए योजना 4. सीखने का वातावरण 5. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया 6. कक्षा प्रबंधन 7. विद्यार्थियों का आकलन 8. सीखने-सिखाने के संसाधनों का उपयोग 9. सीखने-सिखाने की विधियों पर शिक्षकों द्वारा स्व-चिंतन
3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास (विद्यार्थियों की उपस्थिति, सहभागिता और उपलब्धि स्तर क्या है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यार्थियों की उपस्थिति 2. विद्यार्थियों की भागीदारी एवं संलग्नता 3. विद्यार्थियों की प्रगति 4. विद्यार्थियों का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास 5. विद्यार्थियों की उपलब्धि
4. शिक्षकों का कार्य-प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन (शिक्षकों के कार्य-प्रदर्शन का प्रबंधन तथा विकास किस प्रकार किया जाता है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. नवागत शिक्षकों का उन्मुखीकरण 2. शिक्षक उपस्थिति 3. कार्य-वितरण और कार्य-प्रदर्शन के लक्ष्य 4. पाठ्यक्रम की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी 5. शिक्षकों की कार्य-प्रदर्शन की मॉनिटरिंग 6. शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन
5. शाला नेतृत्व और प्रबंधन (शाला में नेतृत्व और प्रबंधन किस प्रकार का है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. विज्ञान और दिशा निर्धारण 2. परिवर्तन और सुधार के लिए नेतृत्व 3. सीखने-सिखाने के लिए नेतृत्व 4. शाला प्रबंधन के लिए नेतृत्व
6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा (शाला कितनी समावेशी और सुरक्षित है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. समावेश का वातावरण 2. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का (CWSN) समावेश 3. शारीरिक सुरक्षा 4. भावनात्मक सुरक्षा 5. स्वास्थ्य और साफ-सफाई
7. समुदाय की सहभागिता (शाला का समुदाय के साथ सम्बंध कितना लाभकारी है?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन और प्रबंधन 2. शाला प्रबंधन समिति का सशक्तिकरण 3. शालाय-समुदाय सहसम्बंध 4. समुदाय, सीखने के संसाधन के रूप में 5. समुदाय का सशक्तिकरण

भारतीय दर्शन का स्वरूप

नमिता कुमारी *

शोध सारांश - भारतीय दर्शन मूल रूप से आध्यात्मिकता पर बल देता है। यहाँ आध्यात्मिक प्रयोजन को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है जहाँ पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा दर्शन का मूल उद्देश्य ज्ञान के स्तर पर सत्य को अधिष्ठित करना बतलाया गया वहीं प्राचीन भारतीयों के द्वारा इसे 'तत्त्वज्ञान' की संज्ञा दी गई। और ऐसा बतलाया गया कि सत्य का दर्शन अनुभूति में ही संभव है। प्लेटो ने जो बात कही थी कि 'एक दार्शनिक ही समाज का शासक एवं निर्णायक होता है' इस कथन को भारत में ही क्रियात्मक रूप प्रदान किया गया। भारतीय दर्शन में यह कहा गया है कि जिसे हम परम सत् कहते हैं वह आध्यात्मिक सत्य ही है और इसी के प्रकाश में हमारे जीवन के सारे संस्कार फलते-फुलते हैं। इस तरह से भारतीय विचार धारा ने मानव-मस्तिष्क के इतिहास में अपना एक अति शक्तिशाली तथा भावपूर्ण जगह बनाया है।

प्रस्तावना - भारतीय दर्शन शुरू से ही मानवकेन्द्रित रहा है। किसी काल्पनिक एकांत में रहना इसने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उद्भव जीवन में से होता है तथा भिन्न-भिन्न शाखाओं एवं सम्प्रदायों से होते हुए यह फिर जीवन में ही प्रवेश करता है। डॉ. रामशकल पाण्डेय कहते हैं - 'भारत में दर्शन को कोरा विवेचन मानने की अपेक्षा सत्य के साक्षात्कार का उपकरण माना गया है।' दृश्यते अनेन इति दर्शनम् 'अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। यह ध्यान देने की बात है कि दर्शन में देखने, साक्षात्कार करने अथवा प्रत्यक्षीकरण करने की प्रधानता है। फिर यह देखना चाहे चर्म-चक्षुओं से न होकर ज्ञान-चक्षुओं द्वारा ही क्यों न हो।'¹ इस प्रकार दर्शन समग्र जीवन तथा जगत की व्याख्या के साथ सत्ता के समग्र सत्य की खोज तथा उपलब्धि है। डॉ. अर्जुन मिश्र के अनुसार 'यह मानसिक अथवा बौद्धिक व्यायाम और गन्वेषणा मात्र नहीं, यह दर्शन है, सत्य का, जीवन के तत्व का। इसलिए दर्शन जीवन का पथ-प्रदर्शक बनता है, जीवन को तृप्त करता है।'² हमारे भारत देश में जीवन की इसी सार्थक प्रवृत्ति को दर्शन के रूप में बताया गया है। पुनः डॉ अर्जुन मिश्र कहते हैं कि 'बुद्धि का स्वभाव है कि वह सम्मतियों के मोह में फँस जाती है और सम्मतियाँ बनाने में उसे रस आने लगता है, परन्तु दर्शन जीवन की गम्भीर प्रवृत्ति है, समूचे जीवन की तृप्ति इसका उद्देश्य है, केवल बुद्धि की नहीं।'³ इस तरह दर्शन केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रहती बल्कि चिन्तन एवं मनन के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करता है। बुद्धि को हम अपने सामान्य जीवन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकारते हैं। यह हमें जीवन का रास्ता दिखाती है। चिन्तन, मनन एवं विचार के द्वारा हम अपने जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान ढूँढते हैं। और उन प्रश्नों का समाधान भी हम यहीं पाते हैं। बुद्धि ही वह तत्व है जो अपने सामान्य रूप से ऊपर उठकर हमारी जिज्ञासा समग्र जीवन और सम्पूर्ण सत्ता के प्रति बढ़ाती है। जब हमारी जिज्ञासा इस प्रकार की होती है तो बुद्धि सत्य-प्रेम से प्रेरित एवं प्रचालित होते हुए शुद्ध तटस्थ भाव में विचरण करने लगती है। फलस्वरूप वह जीवन को बहुत हद तक जान पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन के सामान्य विकास में बुद्धि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। डॉ. अर्जुन मिश्र के अनुसार 'दर्शन वास्तव में एक

सजग जिज्ञासा है। जैसे कोई भी ज्ञान का क्षेत्र तत्संबंधी जिज्ञासा की अपेक्षा रखता है, बिना जिज्ञासा के ज्ञानोपलब्धि नहीं होती, परन्तु दर्शन विशेष रूप से जिज्ञासा की अपेक्षा करता है। इसके विषय- अन्तिम सत्य और अन्तिम सत्ता, स्वरूपतः, बिना सजग जिज्ञासा के कल्पना से भी ग्राह्य नहीं होंगे।'⁴ मानव की यही जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति उसे आधारभूत प्रश्न उठाने को मजबूर करती है। डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने कहा है कि 'यह जिज्ञासा ही हमारी विवेकशीलता की पहचान है। कोई भी विवेकशील प्राणी दार्शनिक विश्वासों के अभाव में रह नहीं सकता। भावनात्मक व रहस्यात्मक धरातल पर अर्थ एवं प्रयोजन की खोज बाद में धर्म बन जाती है, वही तार्किक व बौद्धिक धरातल पर दर्शन को जन्म देती है।'⁵

भारतीय दर्शन का इतिहास अति प्राचीन है परन्तु फिलॉसफी (Philosophy) के अर्थों में दर्शनशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस ने किया था। प्लेटो ने अपने दर्शन को विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष पेश किया। 'उसकी उत्पत्ति दास-स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत तथा स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। यह मानव इतिहास के आरंभिक सोपानों में ज्ञान के विकास के निम्न स्तर के कारण सर्वथा स्वाभाविक था। सामाजिक उत्पादन के विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न-भिन्न विज्ञान दर्शनशास्त्र से पृथक होते गये और दर्शनशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा।'⁶ इस प्रकार दर्शनशास्त्र का जन्म जगत के विषय में सामान्य विचार को विस्तार करने एवं सत्य के विषय में चिंतन की तर्कबुद्धिपरक, तर्क और संज्ञान के सिद्धांत को विकसित करने की आवश्यकता से एक अतिविशिष्ट अनुशासन के रूप में होता है। साधारणतः दर्शन को अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी (Philosophy) का समानार्थक समझा जाता है, किन्तु दोनों में स्पष्ट अंतर है। फिलॉसफी एक पाश्चात्य शब्द है यह दो शब्दों फिलॉस (प्रेम) और सोफिया (प्रज्ञा) के मेल से बना है। जिसका अर्थ होता है बुद्धि प्रेम अथवा 'ज्ञान के प्रति अनुराग' (Love for wisdom) पश्चात्य दार्शनिकों की महत्वकांक्षा शुरू से बुद्धिमान या प्रज्ञावना बनने की रही। उन्होने विषय

ज्ञान के आधार पर ही स्वयं को बुद्धिमान बनाना चाहा। फिलॉसफी (Philosophy) विभिन्न विषयों का विश्लेषण है जबकि भारतीय 'दर्शन यथार्थता, जो सदैव एक ही है, का तत्वज्ञान है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि 'दर्शनशास्त्र तर्क के रूप में हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि हम बौद्धिक धारणाओं का उपयोग करना छोड़ दे, क्योंकि वे हमारी क्रियात्मक आवश्यकता की सापेक्ष है और इस भौतिक सृष्टि से सम्बद्ध हैं। दर्शनशास्त्र हमें बतलाता है कि जब तक हम बुद्धि के अधीन रहेंगे और इस अनेकत्वपूर्ण जगत में खोए रहेंगे, तब तक उस विशुद्ध सत्ता के समीप वापस पहुंचने के लिए हमारी खोज असफल रहेगी।'⁷ इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन की भारतीय व्याख्या पाश्चात्य के तुलना में कहीं अधिक गहराई तक पैठ बनाती है। भारतीय दर्शन का क्षेत्र मात्र ज्ञान तक ही सीमित न हो कर समूचे व्यक्तित्व को अपने आप में समाहित कर लेता है। भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'दर्शन चिंतन का विषय न होकर अनुभूति का विषय माना जाता है। दर्शन के द्वारा बौद्धिक तर्क का आभास न होकर समग्र व्यक्तित्व बदल जाता है। यदि आत्मवादी भारतीय दर्शन की भाषा में कहा जाए तो यह सत्य है कि दर्शन द्वारा केवल आत्म ज्ञान ही न होकर आत्मानुभूति हो जाती है। दर्शन हमारी भावनाओं एवं मनोदण्डों को प्रतिबिम्बित करती है और ये भावनायें हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है।'⁸ सभी मनुष्यों का चरम लक्ष्य होता है जीवन के समस्त दुःखों से छुटकारा पाकर चिर आनंद की प्राप्ति करना। यही लक्ष्य समस्त दर्शनों का भी होता है कि वह मनुष्य को दुःखों के मूल में बसने वाले अज्ञान से मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाये। अर्थात् मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है अज्ञान व परम्परावादी एवं रूढ़िवादी विचारों को समाप्त कर सत्य ज्ञान को प्राप्त करना। मनुष्य की यह जिज्ञासा और अन्वेषण प्रवृत्ति हमें सनातन काल से देखने को मिलती है। मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति उसके उद्भव के साथ-साथ सूर्य, चन्द्र और विभिन्न नक्षत्रों व ग्रहों की स्थिति के अलावा परमात्मा के बारे में भी रही है। आज हमलोग जो इतने सुविकसित समाज के अंग बने हैं, वह इन्हीं जिज्ञासाओं का शमन हेतु उसके अनवरत प्रयास का ही फल है। किन्तु हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों को इसप्रकार का भौतिक सुख नहीं भाया। वे इस भौतिक समृद्धि से न तो संतुष्ट हुए और न ही उन्हें चिर आनंद की प्राप्ति हुई। अंत में वे इसी सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हेतु सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं गूढ़तम साधनों से ज्ञान को खोजना प्रारंभ कर दिये। उनका यह प्रयास सफल हुआ। उनके इसी सफल प्रयास का नाम 'दर्शन' है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में दर्शन का जन्म असन्तोष अथवा अतृप्ति से हुआ है। हम सदैव अपने वर्तमान से असंतुष्ट होकर उससे बेहतर की खोज की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी यही खोज दार्शनिक गन्वेशणा का रूप लेती है।

'दर्शन' शब्द 'दृश' धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है 'देखना'। यहाँ 'देखना' शब्द का अर्थ 'साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने से है। उपनिषद में कहा गया है 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्' अर्थात् जिसके द्वारा देखा अथवा साक्षात् ज्ञान प्राप्त किया जाए वही दर्शन है। कोई भी दर्शन या तो इन्द्रियजन्य हो सकता है या प्रत्ययी ज्ञान अथवा अन्तर्दृष्टि द्वारा अनुभूत ज्ञान। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि 'साधारणतः दर्शन से तात्पर्य आलोचनात्मक व्याख्याओं (भाष्य), तार्किक सर्वेक्षणों अथवा दार्शनिक पद्धतियों से होता है।'⁹ भारत में साक्षात् ज्ञान को ही तत्वज्ञान अथवा तत्व दर्शन कहा गया है। इसी कारण भारत में ऋषि-मुनियों अथवा तत्वज्ञानियों को द्रष्टा कहा गया है। अतः सभी दार्शनिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य अनुभूतियों की युक्ति संगत व्याख्या कर वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। इस यथार्थ ज्ञान

का साक्षात्कार केवल आध्यात्मिक अनुभूति में ही संभव है। डॉ. अर्जुन मिश्र अपनी पुस्तक 'दर्शन के मूलधाराएँ' में कहते हैं कि 'यह आध्यात्मिक अनुभूति केवल बौद्धिक ज्ञान की भाँति नहीं होती। केवल बौद्धिक ज्ञान में तो ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत बना रहता है, किन्तु इस अनुभूति में दोनों एक हो जाते हैं। यह अनुभूति अनायास ही नहीं प्राप्त हो जाती, प्रत्युत इसे प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। अतः भारतीय मत के अनुसार दर्शन जीवन का अंश है केवल बौद्धिक क्रीड़ा नहीं।'¹⁰ इस तरह से भारतीय दर्शन में बौद्धिक व्याख्या को दार्शनिक गवेषणा की इतिश्री न मानते हुए तत्व-साक्षात्कार को ही उसका चरम लक्ष्य माना गया है। इसे ही संस्कृत में ऐसे कहा गया है- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः।

भारतीय दर्शन शुरू से ही मनुष्य की आत्मा में विश्वास करता है। 'आत्मानंविद्धि', अर्थात् अपनी आत्मा को पहचानो - यह ऐसा सिद्धांत है जिसमें दर्शन की समस्त आदेश एवं शिक्षाएँ समाविष्ट हैं। स्वयं मनुष्य के भीतर आत्मा विद्यमान है जो समस्त वस्तुओं का केन्द्र है। भारतीय दर्शन की मानव आत्मा में रूची रखने का मतलब यह नहीं है कि इसने भौतिक ज्ञान के विषय में कुछ किया ही नहीं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं 'यदि हम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलताओं की ओर दृष्टिपात करें तो हमें मालूम होगा कि स्थिति इससे ठीक विपरीत है। प्राचीन भारतीयों ने गणित विद्या एवं यंत्र विद्या की नींव डाली थी। उन्होने भूमि का माप किया, वर्ष के विभाग किए, आकाश में नक्षत्र तैयार किए, सूर्य अन्यान्य ग्रहों के, राशिमण्डलीय परिधि के अंदर घूमने के मार्ग का परिशीलन किया, प्रकृति की रचना का विश्लेषण किया, एवं प्रकृतिक पक्षियों, पशुओं, पेड़-पौधों और बीजों आदि तक का अध्ययन किया। ज्योतिशास्त्र-सम्बन्धी उन विचारों का, जो संसार में प्रचलित हैं, आदिश्रोत क्या था इस विषय में हम चाहे जो भी परिणाम निकालें, यह सर्वथा संभव है कि बीजगणित का अविष्कार हिन्दुओं ने किया और उसका प्रयोग ज्योतिषशास्त्र एवं ज्यामिति में भी हुआ।'¹¹ यूरोप में सर्वत्र प्रचलित बीजगणित के विश्लेषण विचार, अमूल्य अंक-सम्बन्धी चिन्हों और दशमलव के विचार अरबवासियों की देन मानी जाती है। किन्तु, वास्तव में इन अरबवासियों को ये विचार भारतवासियों से ही प्राप्त हुआ। भारत में हिन्दुओं ने चॉद और सूरज की गतियों का भी बहुत ही बारिकी से अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन यूनानियों की तुलना में कहीं अधिक पूर्ण एवं सही था। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं: 'भारतीय ज्योतिषी ग्रहों में से जो सबसे अधिक उज्ज्वल है उनसे भी विशेष रूप से अभिज्ञ थे। वृहस्पति का परिक्रमणकाल सूर्य एवं चन्द्रमा के परिक्रमणकाल के साथ-साथ उनके वर्ष में नियमित होकर 60 वर्ष के कालचक्र में उनके और बेबिलन के भविष्यवक्ता ज्योतिषियों में एक समान है।'¹² यह तो सर्वविदित है कि तर्कशास्त्र एवं व्याकरण का जन्म एवं विकास बहुत समय पहले हिन्दुओं ने किया था। उन्होंने ज्योतिष और अध्यात्मविद्या के साथ-साथ आयुर्वेद एवं शैल्य - चिकित्सा में भी पूर्ण महारथ हासिल की थी। हाँ, यह सत्य है कि चिकित्सा - संबंधी विशाल यंत्रों के अविष्कार के क्षेत्र में भारत सबसे पीछे था। कारण यह है कि उस दयालु ईश्वर ने भारतवासियों को बड़ी-बड़ी नदियाँ और भरपूर अनाज से परिपूर्ण रखा था। परन्तु गहराई से देखने से यह प्रतीत होता है कि ये सारे यांत्रिक अविष्कार उस सोलहवीं शताब्दी की देने हैं। जब भारत अपनी ही जन्मभूमि में पराश्रयी बन चुका था। कोई भी देश, राष्ट्र या समाज जितना विकास स्वतंत्र रहकर कर सकता है पराधीन होकर कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार की स्थिति भारत के साथ हुई। अपनी स्वतंत्रता खोकर और पराये देशों से झूठा प्रेम बनाकर वह

किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया। परन्तु यह सत्य है कि भारतीयों की रूचि ज्यादातर वस्तुओं के एकत्व की ओर रही। चालाकी, धूर्तता अथवा विघटन से वो कोशों दूर रहते थे।

यह कथन बिल्कुल सही है कि कल्पनात्मक मस्तिष्क अधिकतर संश्लेषणप्रिय होता है और वैज्ञानिक मस्तिष्क विश्लेषणात्मक होता है। कल्पनात्मक मस्तिष्क वाले व्यक्ति का प्रेम ब्रह्माण्ड-सम्बन्धि दर्शन की रचना की ओर अग्रसर रहता है। ये लोग एक व्यापक दृष्टि कोण से समस्त वस्तुओं के निकास, युगों के इतिहास तथा सृष्टि के विघटन व विनाश की व्याख्या के लिए तत्पर रहते हैं। जबकि वैज्ञानिक मस्तिष्क केवल संसार के जड़ एवं अंशव्यापी भागों पर ही खुद को केन्द्रित कर पाता है। इस कारण वह सदैव एकत्व और पूर्णता के भाव से वंचित रहता है। 'भारतीय दर्शन' में पंडित बलदेव उपाध्याय कहते हैं- 'भारतीय दर्शन संश्लेषण प्रधान है। उसमें नाना दृष्टियों से विवेचित तत्वों को एक साथ एक लड़ी में पिरोने का श्लाघनीय उद्योग है। यह पाश्चात्य दर्शन के समान विश्लेषण-प्रधान नहीं है।'¹³ भारत में कल्पनात्मक प्रवृत्ति के अन्तर्गत आत्मज्ञान के ऊपर बल दिया गया है। भारतीय दर्शन ' में डॉ. राधाकृष्णन् का कथन है कि ' ये भारत की अनुकूल प्राकृतिक स्थितियां ही हैं जिनके कारण भारतीयों की प्रवृत्ति कल्पनापरक रही, क्योंकि उनके पास संसार की सुन्दर वस्तुओं का आनंद लेने के लिए और अपनी आत्मिक संपत्ति को कविता, कहानी, संगीत, नृत्य कर्मकाण्ड और धर्म के रूप में प्रकट करने के लिए पर्याप्त अवकाश था, क्योंकि बाह्य जगत के प्रलोभन' उनका ध्यान बंटाने को नहीं थे। 'विचार- मग्न पूर्व' का नाम जो प्रायः उपहास के रूप में हमारे देश को दिया जाता है वह बिल्कुल निराधार नहीं है।' 14 पुनः राधाकृष्णन् कहते हैं 'यदि हम भारतीय मस्तिष्क की आत्मनिष्ठ रूचि को इसके संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ रखकर विचार करें तो हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि अद्वैतपरक बाह्य शून्यवाद ही वास्तविक तथ्य है। वैदिक विचार का सम्पूर्ण विकास इसीकी ओर निर्देश करता है। इसी पर बौद्ध एवं ब्राह्मणधर्म आश्रित हैं। यह वह परम सत्य है जिसका अविष्कार भारत में हुआ है।' 15 विभिन्न मतों के सारतत्व के निचोड़ पर यदि बारिकी से ध्यान दिया जाये तो यह प्रतीत होता है कि सामान्यतः भारतीय दर्शन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जगत एवं जीवन की अद्वैतपरक बाह्य

शून्यवादी व्याख्या की ओर ही सदैव रही है। अब तक जितनी भी बातें दर्शन के संदर्भ यहाँ कही गईं उसके फलस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जिसप्रकार की व्यापकता, उदार-हृदयता एवं विवेचना-शक्ति भारतीय तत्वज्ञान में देखने को मिलती है वह किसी अन्य देश के तत्वज्ञान में नहीं पायी जाती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, डॉ. रामशकल - शिक्षा की दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, पृ.-311 अग्रवाल पब्लिकेशन्स, एच.ओ.-28/115, ज्योतिब्लाक संजय प्लेस, आगरा- 282002.
2. मिश्र, डॉ. अर्जुन - दर्शन की मूल धाराएँ, पृ.-3 प्रकाशक- मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण - 1983, पृ.-3
3. वही, वही
4. वही, वही, पृ.-9
5. नेगी, डॉ. सुरेन्द्र सिंह - भारतीय दर्शन की रूपरेखा, पृ.-1 मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल- 462003.
6. दर्शनशास्त्र- विकिपिडिया, <https://hi.m.wikipedia.org>
7. राधाकृष्णन्, डॉ. सर्वपल्ली: भारतीय दर्शन - वैदिक युग से बौद्ध काल तक, पृ.-29 अनुवादक- नन्दकिशोर
8. दर्शन का अर्थ, परिभाषा, www.scotbuzz.org
9. राधाकृष्णन्, डॉ. सर्वपल्ली - भारतीय दर्शन, वैदिक युग से बौद्ध कालका तक, पृ.-35
10. मिश्र, डॉ. अर्जुन - दर्शन की मूल धाराएँ, पृ.-9, प्रकाशक-मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, प्रथम संस्करण-1983
11. राधाकृष्णन्, डॉ. सर्वपल्ली - भारतीय दर्शन, वैदिक युग से बौद्ध काल तक, पृ.-23-24
12. वही, वही, पृ.-24
13. उपाध्याय, पंडित बलदेव - भारतीय दर्शन, पृ.-36
14. राधाकृष्णन्, डॉ. सर्वपल्ली - भारतीय दर्शन, वैदिक युग से बौद्ध काल तक, पृ.-25
15. वही, वही, पृ.-25-26

ग्रामीण स्वास्थ्य की दशा में योग शिक्षा एक प्रभावी विकल्प

डॉ. महेश कुमार मुछाल *

प्रस्तावना – जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। यहाँ विश्व के 40 प्रतिशत से अधिक गरीब मिलते हैं। विशाल जनसंख्या भारत की प्रमुख समस्या है। पिछली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या जहाँ तीन गुना बढ़ी है, वहीं भारत की जनसंख्या में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। जहाँ विश्व की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है वहीं भारत में केवल 30 से 35 प्रतिशत जनसंख्या ही शहरों में रहती है। भोजन, वस्त्र व आवास के बाद सबसे अधिक आवश्यकता स्वास्थ्य सम्बन्धी है। भौतिक संसाधनों के असीमित प्रयोग, विलासितापूर्ण जीवनपद्धति तथा प्रतिस्पर्धावादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है। आर्थिक सम्पन्नता के कारण उच्च स्तरीय चिकित्सा पद्धति और तकनीकी सेवाएँ शहरी अंचलों में ही सीमित रह गयी हैं और ग्रामवासी इससे अछूते रहे गए हैं। इसलिए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ शहरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक हैं।

परन्तु यदि विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शहरी व्यक्तियों की मोटी पूँजी चिकित्सा क्षेत्र में ही खर्च होती जा रही है। जिससे दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं, जैसे – पोषित बीमारियाँ चेचक, चिकनगुनिया, कुष्ठ रोग, मलेरिया, टी0बी0, एच0आई0वी0 (एड्स), स्वाइन फ्लू आदि अनेक बीमारियों ने अपना पाँव पसारा है। इसके उन्मूलन के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी विशेषीकृत योजना तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न कर शहरी विकास से जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हर प्रकार की बीमारियों के बढ़ने के बाद भी कुल सरकारी खर्च के अनुपात में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च लगातार घट रहा है और यह भी आश्चर्यजनक सत्य है कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का लगभग 80 प्रतिशत भाग इन कार्यक्रमों के कार्यकर्ताओं पर खर्च होता है। शेष शहरों तक सिमट जाता है। गाँवों तक इसकी भनक भी नहीं पहुँच पाती। गाँवों के लोग यदि पैसा खर्च करके इलाज पाना चाहते हैं तो उनके लिए गाँवों में कोई सुविधा नहीं मिल पाती। इस सत्य से भी बचा नहीं जा सकता कि शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोग कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि उनकी नित्य दैनिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित है। शारीरिक श्रम स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसका प्रमाण है कि गाँव के 4 प्रतिशत लोग मधुमेह से ग्रसित हैं तो शहरी क्षेत्रों के 12 प्रतिशत लोग मधुमेह से ग्रसित हैं। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि लोगों को योग एवं प्राणायाम के प्रति जागरूक

किया जाए चाहे वे ग्रामीण हो या शहरी, उन लोगों का शारीरिक श्रम के साथ-साथ आंतरिक अंगों का भी व्यायाम हो सकता है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है और सरकार द्वारा आवश्यक व्यय तथा संचालित कार्यक्रमों से बचा जा सकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य की दशा – वर्तमान में देश के 5.76 लाख गाँवों में भारत की कुल जनसंख्या का 73 प्रतिशत निवास करता है, फिर भी यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएँ शहरों के मुकाबले 15 प्रतिशत भी नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 662 की आबादी पर एक डाक्टर है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 8,333 आबादी पर एक डाक्टर है। इस प्रकार गाँव की अपेक्षा शहरों में डाक्टरों का अनुपात अधिक है। अधिकांश डॉक्टर शहरों में काम करना पसन्द करते हैं। तथ्यों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार देश में 2083 लोगों पर एक चिकित्सक एवं प्रति 6,000 लोगों पर एक सहायक नर्स उपलब्ध होने चाहियें, लेकिन 70 से 80 प्रतिशत चिकित्सक तथा 90 प्रतिशत नर्स शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए सन् 1946 में बनी डॉ0 जोसेफ भोर समिति की सिफारिश थी कि देश में 500 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक हो। लेकिन यह केवल कागजी रह गई। इसके तीन वर्ष पश्चात् 1975 तक कोई बदलाव नहीं आया। इन वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई फिर भी गाँवों में चिकित्सकों के पद खाली रहे। 1972 में कुल 5,192 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। सरकार ने प्रत्येक केन्द्र के लिए 2-3 चिकित्सक पद सृजित किए थे परन्तु 2951 पर 2-2 डाक्टर जा सके। 2101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 1-1 डाक्टर रह गए तथा 140 खाली रहे।

चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि तथा ग्रामीणों क्षेत्रों में नौकरी के बढ़ते अवसरों के बाद भी उनका शहर प्रेम नहीं छूटा तथा 1960-70 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर विदेश चले गए जिससे ग्रामीण चिकित्सा की रीढ़ टूट गयी। 1978 में 41 प्रतिशत डाक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। 25 प्रतिशत सरकारी तथा 10.3 प्रतिशत विदेश में थे। 1990 तक 73 प्रतिशत निजी चिकित्सक प्रैक्टिस में आ गए थे। इस कारण ग्रामीण भारतीय रोगों की चपेट में आ गए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भारत में निम्न कारण उत्तरदायी हैं जो उसके स्वस्थ रहने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

- पिछले एक दशक में बढ़ती जनसंख्या व बीमारियों के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाएँ घटी हैं। इस दौरान जनसंख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा प्रति हजार व्यक्तियों में बीमार लोगों की संख्या में 86 प्रतिशत की। इस दौरान बैड का घनत्व प्रति 1000 जनसंख्या पर 7 प्रतिशत कम हो गया।
- देश के 6 राज्यों (मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू

कश्मीर, हरियाणा) में बैड उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर (0.86/1000) से कम है।

- चार दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश) में देश की करीब 20 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ देश के 1/3 डाक्टर व 40 प्रतिशत नर्स हैं।
- आंकड़ों के अनुसार देश के तीन-चौथाई रोगी ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते हैं लेकिन यहाँ देश की कुल बैड संख्या का 1/9 भाग तथा स्वास्थ्यकर्मियों का एक-चौथाई भाग पाया जाता है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत ढाँचे की कमी है। इन केन्द्रों में 62 प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक, 49 प्रतिशत प्रयोगशाला सहायकों तथा 30 प्रतिशत फार्मसिस्टों की कमी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यगत सुविधाओं की कमी का एक बड़ा कारण बिजली, सड़क परिवहन साधनों की कमी है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई, प्रशिक्षित कर्मचारियों, जाँच सुविधाओं तथा उचित प्रबन्धन का भारी अभाव है।
- देश की मात्र 12 प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा सुविधा लेती है। विशाल जनसंख्या इसका लाभ नहीं ले रही है।
- किसी रोगी को अस्पताल में दाखिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 19 किमी० तथा शहरों में 6 किमी० तक की दूरी तय करनी पड़ती है। सामान्य बीमारियों के इलाज में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में यह दूरी क्रमशः 5.9 किमी० तथा 2.2 किमी० है।

उपर्युक्त कारणों के साथ व्यक्ति स्वयं में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है इसलिए कई रोगों से व्यक्ति ग्रसित है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

देश में प्रमुख रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका

क्र. सं.	रोग का नाम	ग्रसित व्यक्ति	कुल रोगियों में ग्रामीण रोगियों की संख्या
1.	क्षय रोग (टी०बी०)	78.34 लाख	85 प्रतिशत
2.	कुष्ठ रोगी (लेप्रोसी)	45 लाख	72 प्रतिशत
3.	दमा (अस्थमा)	63 लाख	85 प्रतिशत
4.	मधुमेह (डायबिटीज)	90 लाख	58 प्रतिशत
5.	उच्च रक्तचाप (हाईपर टेनान)	96 लाख	63 प्रतिशत
6.	मिर्गी (एपिलेप्सी)	23 लाख	60 प्रतिशत
7.	कैंसर (कार्सिनोमा)	1.8 करोड	70 प्रतिशत
8.	प्रदर (ल्यूकोरिया)	3 करोड	90 प्रतिशत (महिलाएं)
9.	एड्स	25 लाख	35 प्रतिशत
10.	समस्त प्रकार की निशक्तता (डिसेबीलिटी)	1.7 करोड	65 प्रतिशत
11.	मलेरिया (वार्षिक रोगी)	17 लाख	70 प्रतिशत
12.	हैजा एवं दस्त (वार्षिक रोगी)	1 करोड 2 लाख	86 प्रतिशत
13.	न्यूमोनिया (वार्षिक रोगी)	2.6 करोड	78 प्रतिशत

14. आन्तरिक ज्वर (वार्षिक रोगी)	7.8 लाख	80 प्रतिशत
15. वाइरल हिपेटाइटिस (वार्षिक रोगी)	1.6 लाख	70 प्रतिशत
16. कुपोषण (मालन्यूट्रीशन)	4.5 करोड	66 प्रतिशत
17. स्क्वाल्पता (एनीमिया)	1.5 करोड	70 प्रतिशत
18. चर्मरोग समस्त	3.1 करोड	80 प्रतिशत
19. मानसिक व्याधियां	7 करोड	48.9 प्रतिशत

भारत में शिशु मृत्यु दर 64 शिशु प्रति 1000 है। मातृत्व से जुड़ी मृत्यु भी बड़ी संख्या में है। प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं में से 570 महिलाएं गर्भ से जुड़ी समस्याओं के कारण मौत के मुंह में चली जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व में गर्भ के दौरान होने वाली 5 लाख 29 हजार मौतों में से 1 लाख 36 हजार (25.7 प्रतिशत) भारत में होती हैं। यह विश्व में सर्वाधिक है। देश की 52 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। देश के 47 प्रतिशत बच्चे (3 साल तक) कम वजन के शिकार हैं। देश में प्रतिवर्ष 20 लाख से भी अधिक मलेरिया के रोगी मिल रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार देश में इस समय 56 लाख के करीब एड्स के मरीज हैं जो दक्षिणी अफ्रीका के बाद विश्व में सर्वाधिक हैं। 1995 में एड्स के कारण भारत में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दस्तों के कारण मृत्यु आज भी भारत में बड़े पैमाने पर होती है। विश्व में दस्तों के कारण होने वाली 30 लाख मौतों में से एक तिहाई (10 लाख) मृत्यु सिर्फ भारत में ही हो रही है। दुनिया में टी०बी० के मरीज सबसे अधिक (विश्व का एक तिहाई) भारत में हैं। देश में इस समय लगभग डेढ़ करोड़ सक्रिय टी०बी० के मरीज हैं और प्रतिवर्ष 22 लाख नये टी०बी० के मरीज इसमें जुड़ रहे हैं। हर वर्ष भारत में साढ़े चार लाख से भी अधिक मौतें टी०बी० से होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 2025 तक भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन जाने की आशंका है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का 4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4 से अधिक 11.6 प्रतिशत संख्या मधुमेह की शिकार है।

अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों में से 30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, 73 प्रतिशत निरक्षर हैं, 75 प्रतिशत आर्थिक रूप से अपने परिजनों पर निर्भर हैं, 45 प्रतिशत किसी न किसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हैं और 5.4 प्रतिशत बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर की शोधकर्ता नीला पटेल ने एक अध्ययन में बताया कि भारत में 55 प्रतिशत बुजुर्ग (इंग्लैण्ड की आबादी से थोड़ा कम) हर रात भूखे पेट सोते हैं, जबकि 30 करोड़ वृद्ध (ऑस्ट्रेलिया की आबादी के लगभग बराबर) एकाकी जीवन बिता रहे हैं। देश के 90 प्रतिशत बुजुर्गों को अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी सामाजिक-आर्थिक दशाएं बुजुर्गों के स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और ज्यादातर मामलों में ये खुद को नियमित इलाज कराने में असमर्थ पाते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य एक समस्या - वैज्ञानिकों का विचार है कि अनेक ऐसे गाँव हैं जिनमें निवास करने वाले लोग पर्याप्त स्वास्थ्य के रक्षक तत्वों को नजरअंदाज कर देते हैं। इनके मुख्यतः दो भाग हैं-

1. ऐसे अनेक तत्व हैं, जिनका हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे - अंसतुलित भोजन, प्रदूषित वातावरण, निराशा, गहरे नकारात्मक संवेग, हीन भावना, कलुषित विचार तथा विषैले तत्व जो

हमारे शरीर के भीतर भी उत्पन्न होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अहितकर रसायन, विषैली गैस, अनिद्रा, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक श्रम आदि।

2. दूसरी स्थिति वह है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने शारीरिक अवयवों को सहयोगी न समझकर उन पर ही आक्रमण करने लगती है। चिकित्सक मानते हैं कि रक्ताल्पता, एडिसन रोग, मधुमेह, चर्मरोग तथा स्नायु प्रणाली की व्याधियाँ, जिनमें मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं के ऊतकों की कठोरता जैसे जटिल गंभीर रोग पैदा होते हैं।

इसके अतिरिक्त निम्न कारण इसमें बढ़ावा देते हैं -

भोजन तथा पानी - समुचित मात्रा में भोजन तथा पानी के अभाव में शरीर में न सिर्फ प्रतिरक्षक कोशिकाओं की कमी होती है बल्कि प्रतिरोधक कोशिकाओं की कमी हो जाती है तथा कमजोर व दोषपूर्ण प्रतिरोधक क्षमताएँ तथा कोशिकाएँ उत्पन्न होती हैं।

व्यायाम - व्यायाम हमारे शरीर में रक्तप्रवाह को बढ़ाने के साथ-साथ कोशिकाओं में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में भी सुधार करता है। इससे न सिर्फ तनाव दूर होता है, अपितु क्षुधा भी जागृत तथा उद्दीप्त होती है तथा सूजन में कमी आती है। बहुत अधिक व्यायाम या श्रम से तनाव उत्पन्न होने के कारण शरीर में एड्रीलीन तथा कार्टिसोल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे प्रतिरक्षा अवयवों को सुस्त कर देता है।

संवेग तथा तनाव - सांवेगिक तनाव से हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। हर चार में से एक रोगी में किसी कठिन रोग के उत्पन्न होने के पूर्व कोई न कोई भीषण पारिवारिक कलह अथवा व्यावसायिक उपद्रव हो चुका होता है। इतना ही नहीं देखा गया है कि 90 प्रतिशत तनावग्रस्त लोग सर्दी-जुकाम जैसे साधारण रोगों से भी बार-बार पीड़ित होते रहते हैं।

सिगरेट तथा शराब - जो लोग सिगरेट तथा शराब का सेवन करते हैं उनके दमा तथा सांस की अन्य तकलीफों, जीर्ण रोगों, वायु विवरशोध, फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, नपुंसकता की अधिक संभावनाएँ होती हैं।

एक अध्ययन में पाया गया है कि सिगरेट के धुएँ के कारण हमारे शरीर से बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी निकल जाता है, जिससे रोग प्रवणता बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित एक शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि सिगरेट पीने वाले लोगों में मोतियाबिंद तथा रेटिना के रोग उत्पन्न होने की अधिक आशंका होती है।

गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन - आधुनिक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व सरकार पर होता है। यद्यपि इन अवधारणाओं के प्रसार से स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित आधारभूत ढाँचा तथा अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक का प्रसार तेजी से हो रहा है, परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में स्थिति जटिल है।

भारत में मानसिक - शारीरिक रूप से गंभीर माने जाने वाली बीमारियों यथा - टी0बी0, कुष्ठ, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, कैंसर, एड्स, मिर्गी के रोगियों की संख्या करोड़ों में है। विश्व के 30 प्रतिशत टी0बी रोगी भारत में हैं। इस रोग से प्रतिदिन 1000 रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देश में प्रतिवर्ष 18 लाख नए टी0बी0 रोगी बढ़ जाते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 करोड़ बच्चे एवं महिलाएँ कुपोषण एवं रक्त की कमी के शिकार हैं। भारत में नवजात शिशु तथा 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे प्रायः रोते हुए मिलते हैं क्योंकि निमोनिया, भूखे रहने के कारण होते हैं।

भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुँह, गला, फेफड़े, गर्भाशय, यकृत तथा स्तन कैंसर के पंजीकृत रोगी 1.8 करोड़ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 2/3 जनसंख्या

धूम्रपान करती है। विडम्बना है कि भारतीय ग्रामीण समाज में 'हुक्का' सामाजिक मान-मर्यादा से जुड़ा हुआ है। देशी कच्ची एवं जहरीली शराब के कारण प्रतिवर्ष करीब 13,000 व्यक्ति मौत के शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त 80,000 व्यक्ति शराब से उत्पन्न हुई यकृत की बीमारी 'सिरोसिस' एवं शराब पीकर वाहन चलाने या झगड़ा करने के कारण प्राण गंवाते हैं। 27 प्रतिशत कार्मिकों को उच्च रक्तचाप, 10 प्रतिशत को मधुमेह तथा 47 प्रतिशत को मोटापे से ग्रस्त माना गया है।

उपचार - प्राचीनकाल से ही शास्त्रों एवं उपनिषदों में योग प्राणायाम आसन आदि की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इनके विश्लेषण के उपरान्त यह विदित होता है कि प्राचीनकाल में चिकित्सा पद्धति का एक मुख्य अवयव योग विद्या थी। योग जीवनशैली का अंग था। आज की अपेक्षा प्राचीनकाल में रोगियों की, प्रतिशत रूप में, संख्या नगण्य थी और न ही आज के समान प्रतिरोधक क्षमता वाली एंटीबायोटिक दवाएँ विकसित थीं। फिर भी अधिकांश लोग स्वस्थ थे। जिसका कारण है कि स्वस्थ वातावरण के साथ शारीरिक श्रम और पौष्टिक आहार उपलब्ध था जबकि आज के समय में न तो शुद्ध वातावरण है और न ही शारीरिक श्रम तथा पौष्टिक आहार। एक भी घटक जिनकी जीवन-शैली का हिस्सा बना हुआ है वे इस युग में स्वयं को अपेक्षाकृत स्वस्थ एवं ऊर्जावान महसूस करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों और जीवनशैली को छोड़कर हम इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपना स्थान नियत नहीं कर सकते। साथ ही स्वास्थ्य भी आवश्यक है। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए तथा सामाजिक, राष्ट्रीय व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है कि हम समय के साथ चलते हुए योग व प्राणायाम को जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बना लें। जिससे सम्पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

प्रस्तुत तालिका में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित सभी रोगियों का परीक्षण करने के उपरान्त उन्हें सात दिन तक योग व प्राणायाम कराने के पश्चात बीमारियों पर योग एवं प्राणायाम का सार्थक प्रभाव पाया गया। जिसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है - **(तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सारणी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि आवासीय योग शिविर में टी0बी0 के 230 रोगियों को उपचार के रूप में योग-प्राणायाम सात दिनों तक कराया गया। उसके बाद पुनः परीक्षण करने पर 65 प्रतिशत रोगियों में सार्थक एवं प्रत्याशित लाभ पाया गया। अस्थमा के 235 रोगियों को योग-प्राणायाम कराने पर 60.43 प्रतिशत लाभ स्पष्ट परिलक्षित हुए जो परीक्षण में भी पाये गये। रक्तचाप के 338 रोगियों को योग-प्राणायाम कराने के उपरान्त 82.25 प्रतिशत लोग लाभान्वित हुए। इसी प्रकार मधुमेह के 779 रोगियों को योग-प्राणायाम कराया गया और 53.79 प्रतिशत रोगी लाभान्वित हुए। हीमोग्लोबिन की कमी वाले 25 रोगियों को योग-प्राणायाम द्वारा उपचार सात दिनों तक किया गया और 24 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला। हिपेटाइटिस (यकृत रोग) से पीड़ित 874 रोगियों को उक्त उपचार कराया गया और परीक्षण के उपरान्त 67.73 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला। थायराइड ग्रन्थि से पीड़ित 112 रोगियों को योगाभ्यास व प्राणायाम कराया गया और शिविर के समापन में उक्त रोगियों का परीक्षण किया गया जिसमें 76 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला। कोलेस्ट्रॉल के 868 रोगियों को उक्त उपचार प्रदान किया गया और उपचार के बाद परीक्षण में 61.98 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला। एच0एच0डी0एल0 (जिन्हें अच्छा कौलेस्ट्रॉल कहते हैं) के 109 रोगियों में से 63.30 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला तथा वी0एल0डी0एल0 (जिन्हें कष्टदायी कौलेस्ट्रॉल कहते हैं) से पीड़ित 813 रोगियों को योग-प्राणायाम

का सात दिनों तक अभ्यास कराया गया और पाया गया कि अभ्यासोपरान्त 38.75 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला। ट्राइग्लिसराइड के 834 रोगियों को सात दिनों तक शिविर में योग-प्राणायाम कराया गया तथा उसके उपरान्त परीक्षण में 62.59 रोगियों में आशानुकूल सकारात्मक परिवर्तन पाये गये। सीरम यूरिया के 839 रोगियों को उक्त उपचार दिया गया और उपचारोपरान्त परीक्षण में 50.77 रोगियों में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त किए गए। क्रिएटीनीन (किडनी से सम्बन्धित) बीमारी से ग्रसित 841 रोगियों को सात दिनों तक योगाभ्यास के पश्चात परीक्षण में 60.64 रोगियों में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। इसी प्रकार यूरिक एसिड के 38 रोगियों पर भी अभ्यासोपरान्त पाया गया कि 55.26 प्रतिशत रोगियों को लाभ मिला।

उपरोक्त सभी योग - प्राणायाम अभ्यास आवासीय योग शिविर में मात्र सात दिनों तक के लिए पतंजलि योग पीठ की ओर से आयोजित किए गए थे, जिसमें उक्त बीमारियों से पीड़ित रोगियों का परीक्षण शिविर के प्रारंभ में ही किया गया था। विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने के प्रयास से सम्बन्धित अंगों को प्रभावित करने वाले योग तथा समस्त आंतरिक अंगों को नियंत्रित करने वाले प्राणायाम शिविर में सात-दिनों तक योगाभ्यास कराया गया और शिविर के समापन पर पुनः उन रोगियों के सम्बन्धित परीक्षण कराये गये। परीक्षणोपरान्त जो परिणाम प्राप्त हुए वे निःसन्देह समूची मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। यदि रोगोपचार की दृष्टि से उपयोगी प्राणायाम का अभ्यास नियमित जीवनशैली के रूप में किया जाए तो अधिकांश रोगों में कुछ ही दिनों के अभ्यास से मुक्ति पाई जा सकती है। प्राणायाम का हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अधिकांश व्याधियाँ मस्तिष्क के कारण उत्पन्न होती हैं। प्राणायाम के अभ्यास से हम तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण सीखकर हम सभी तंत्रों पर अपना नियन्त्रण कर सकते हैं। जिसमें मस्तिष्कीय तरंग तंत्र, हार्मोन्स स्राव, चयापचय क्रियाएं आदि प्रमुख हैं। उपर्युक्त सभी रोगोपचारों में उपयोगी प्राणायाम की क्रिया विधि, समय एवं सावधानियाँ एवं लाभ को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

भस्त्रिका प्राणायाम -

विधि - किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखासन, सिद्धासन में सुविधापूर्वक बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को फेफड़ों में भरना तथा छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम को मध्यम गति से सामर्थ्यानुसार कर सकते हैं। इस प्राणायाम में श्वास को गहरा भरना एवं छोड़ना होता है।

समय - इस प्राणायाम को 5 मिनट तक करना चाहिए। दो-दो-दो सेकण्ड श्वास लेने में तथा दो-दो-दो सेकण्ड श्वास छोड़ने में लगना चाहिए। इस प्रकार करीब एक मिनट में बारह बार हो जाता है।

सावधानियाँ - श्वास पेट में न भरें, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगी तीव्र गति से यह प्राणायाम न करें। प्राणायाम के समय आँखें बंद रखें व ओम का मानसिक जाप करें।

लाभ - इससे फेफड़े सबल, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, पुराना नजला एवं समस्त कफ रोग, थायराइड, टान्सिल, रक्त परिशुद्ध होता है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एवं सक्रियता को बढ़ाने हेतु तथा समस्त विजातीय पदार्थों के निष्कासन में बहुत उपयोगी है।

कपालभाति प्राणायाम -

विधि - कपालभाति प्राणायाम की विधि भस्त्रिका से भिन्न है। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरक श्वास लेना तथा रोचक श्वास छोड़ने पर बल दिया जाता है जबकि कपालभाति में केवल श्वास छोड़ने पर। पेट अंदर जाना चाहिए, श्वास लेना नहीं है, आवश्यकतानुसार श्वास स्वतः चला जाता है। इस

प्राणायाम को भी मध्यम गति से कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय मन में विचार करें कि शरीर के समस्त रोग मिट रहे हैं, श्वास छोड़ने से सारे दोष-विकार नष्ट हो रहे हैं- इस भावना का विचार करें। इस प्राणायाम को 15 मिनट तक किया जा सकता है।

सावधानियाँ - हृदय व उच्च रक्तचाप के रोगी तीव्र गति से यह क्रिया न करें।

लाभ - इस प्राणायाम से मुख तेज, आभा, सौन्दर्य बढ़ता है। समस्त कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, लीवर से सम्बन्धित हिपेटाइटिस-बी एवं पेट के समस्त रोगों का नाश होता है। इस प्राणायाम से 1 माह में 4 से 8 किलो वजन कम कर सकते हैं एवं इस प्राणायाम का एड्रीनल, थायराइड ग्रन्थि एवं पेन्क्रियाज पर अब अच्छा प्रभाव होता है।

बाह्य प्राणायाम -

विधि - इस प्राणायाम के द्वारा मणिपुर व मूलाधार चक्र की शक्तियों का उर्ध्व गमन होता है। श्वास लेकर श्वास को बाहर छोड़ते हुए त्रिबंध लगाए जाते हैं। मूलबंध, उड्डियन बंध एवं जालंधर बंध इस प्रक्रिया में मूल बंध हेतु नाभि के नीचे वाले भाग को ऊपर खींचते हैं। इस प्राणायाम में त्रिबंध लगते हैं। प्राणायाम की तीन आवृत्ति करते हैं। यह 5 व 11 बार भी किया जा सकता है।

सावधानियाँ - हृदय रोगी एवं हाई ब्लड प्रेशर रोगी इस प्राणायाम को न करें।

लाभ - जालंधर बंध से थायराइड रोग से मुक्ति, उड्डियन बंध से पेट संबंधी रोग एवं हर्निया में आराम तथा मूलबंध से कुंडलिनी जागरण होता है।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम -

विधि - दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बायीं नासिका छिद्र से गहरा श्वास लेते हैं। बांये को बंद कर दाहिनी से छोड़ते हैं। दाहिनी नासा छिद्र से ही पुनः श्वास लेते हुए बायें से छोड़ते, पुनः लेते हैं। बायें से लेना दायें से छोड़ना, पुनः दांये से ही लेना, इस प्रकार इस प्राणायाम को 15 मिनट तक किया जा सकता है एवं असाध्य रोगों में 30 मिनट तक कर सकते हैं। शुरु में कम समय एवं मध्यम गति से अभ्यास करें।

सावधानियाँ - हृदय एवं उच्च रक्तचाप रोगी तीव्र गति से न करें।

लाभ - हृदय के अवरोध पूरी तरह खुल जाते हैं। उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। रक्त का संपूर्ण शरीर में प्रवाह होता है। लकवा, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि रोग से मुक्ति तथा कुंडलिनी जागरण में भी यह सहायक है। नाडी शुद्धीकरण, स्नायु दुर्बलता, रक्ताल्पता, केंसर, मिर्गी, डिसेबिलिटी (समस्त कमजोरी), जोड़ों के दर्द, गठिया, नेत्र ज्योति एवं टान्सिल आदि में विशेष लाभ होता है। इससे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण उत्पन्न हार्मोन्स की अनियमितता भी दूर होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही विचार पवित्र होते हैं। विचारों के साथ-साथ आहार एवं व्यवहार भी पवित्र होता है। मानसिक कारणों से उत्पन्न तनाव को दूर करने में यह प्राणायाम उपयोगी है।

भ्रामरी प्राणायाम -

विधि - तर्जनी अंगुली को आङ्गा चक्र पर लगाते हैं। मध्यमा अंगुली से आंखें बंद एवं अंगूठे से कानों को बंद करके गहरा श्वास लेकर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं। इससे भ्रमर के समान ध्वनि होती है। इस प्राणायाम की तीन आवृत्ति कर सकते हैं। अधिक से अधिक 11 एवं 21 बार भी कर सकते हैं।

लाभ - इस प्राणायाम से तनाव व अनिद्रा में लाभ होता है तथा उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है। विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति बढ़ती है एवं इस प्राणायाम से भावनात्मक तनाव दूर होते हैं, साथ ही विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं।

उद्गीथ प्राणायाम -

विधि - इस प्राणायाम में आंखें बंद करके गहरा श्वास लेकर ओम का उच्चारण किया जाता है। इसकी कम से कम तीन आवृत्ति करें। यह और अधिक बार भी किया जा सकता है। अंत में दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए गरम-गरम ऊष्मा का आंखों पर अंजन करते हुए आंखें खोल लेते हैं।

लाभ - इस प्राणायाम से मन की वृत्ति, तनाव, अनिद्रा व डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक चिन्तन दूर होता है, विचारों में पवित्रता आती है, मन की चंचलता दूर होती है, अर्न्त के व्यवधान मिटते हैं तथा अर्न्त से ही समाधान होता है। सभी प्राणायाम के बीच में आंखें बंद रख ओम का मानसिक चिंतन करना, ध्यान करना यह भी प्राणायाम का ही एक प्रकार है।

शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर के विजातीय पदार्थों का सुचारु रूप से निष्कासन आवश्यक है। निष्कासन हेतु कैफडे, आंत, किडनी (वृक्क) एवं त्वचा आदि अंगों का स्वस्थ रहना आवश्यक है, जो प्राणायाम द्वारा ही सम्भव है। योग व प्राणायाम सहित प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को विज्ञान की कसौटी पर प्रमाणित कर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा संचालित पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ने केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के रोगियों को भी स्वस्थ कराकर एक विकसित, गौरवशाली, समृद्धशाली, रोगमुक्त एवं स्वावलम्बी भारत का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल जे० एल०, सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्या है, मासिक पत्रिका 'विज्ञान प्रगति', दिसम्बर 2005
2. आचार्य बालकृष्ण, 'विज्ञान की कसौटी पर योग', दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार, वर्ष 2007, संस्करण प्रथम।
3. फारूकी, उमर, 'ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बदलते आयाम', कुरुक्षेत्र, फरवरी 2010, वर्ष 56, अंक 4
4. गुप्ता गौरव, 'मनोरोग में घातक है उपेक्षा', दैनिक जागरण 'जीवन' 3 अगस्त, 2006

5. कटारिया, सुरेन्द्र, 'ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन', कुरुक्षेत्र, वर्ष 2008, वर्ष 54, अंक 12
6. मुछाल महेश कुमार, 'तनाव मुक्ति में योग', 'योजना' अप्रैल 2007
7. मुछाल, महेश कुमार, 'प्राणायाम रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया', योजना, जनवरी 2009, वर्ष 53, अंक 1
8. मुछाल, एम०के०, 'योग के वैज्ञानिक पहलू', कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2004, वर्ष 51, अंक 2
9. मुछाल एम०के० 'मानसिक अवसाद एवं योग', 'योजना', दिसम्बर 2005, वर्ष 49, अंक 9
10. नागेन्द्र एच०आर०, 'प्राणायाम कला और विज्ञान', वर्ष 1999, संस्करण द्वितीय, विवेकानन्द केन्द्र योग प्रकाशन, बेंगलोर।
11. शर्मा श्री राम, चिरयौवन एवं शाश्वत सौन्दर्य, प्रकाशक 'अखंड ज्योति संस्थान मथुरा' वर्ष 1998, संस्करण द्वितीय।
12. शर्मा श्री राम, व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधानाय 'अखंड ज्योति संस्थान मथुरा' वर्ष 1998, संस्करण द्वितीय।
13. श्री वास्तव निरूपमा, जितना चलोगे उतना चलोगे, 'विज्ञान प्रगति', दिसम्बर 2005।
14. श्री स्वामी ओमानंद तीर्थ, 'पतंजलि योग प्रदीप', वर्ष 2001, संस्करण बीसवाँ, गीता प्रेस गोरखपुर।
15. स्वामी रामदेव, 'प्राणायाम रहस्य', वर्ष 2004, दिव्य योग मंदिर, हरिद्वार।
16. स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, 'योग निद्रा', संस्करण परिवर्द्धित 2002, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार।
17. स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, 'प्राण-प्राणायाम-प्राण विद्या', वर्ष 2001, संस्करण प्रथम, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार।
18. सक्सेना, जगदीप, 'बुजुर्गों को सेहत का तोहफा', योजना, अक्टूबर 2009, वर्ष 53, अंक 10
19. यादव, विजय कुमार, 'भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य', कुरुक्षेत्र, वर्ष 2008, वर्ष 54, अंक 12

बीमारियों के नाम	योग से पूर्व अनियमित जांच संख्या	योग के पश्चात जांच		रोगियों को प्रतिशत लाभ
		अप्रत्याशित लाभ	प्रत्याशित लाभान्वित	
टी०बी० (पी०एफ०टी० परीक्षण)	230	80	150	65.22
अस्थमा	235	93	142	60.43
रक्तचाप (130/90 से 160/100)	338	60	278	82.25
मधुमेह	779	360	419	53.79
हीमोग्लोबिन	25	19	6	24
हिपैटाइटिस	874	282	592	67.73
थायराइड	112	26	86	76
कोलेस्ट्रॉल	868	330	538	61.98
एच०एच०डी०एल०	109	40	69	63.30
वी०एल०डी०एल०	813	498	315	38.75
ट्राइग्लिसराइड	834	312	522	62.59
सीरम यूरिया	839	413	426	50.77
क्रिएटीनीन	841	331	510	60.64
यूरिक एसिड	38	17	2	55.26

संगीत एवं पर्यावरणीय सापेक्षता

डॉ. बी. वर्षा *

प्रस्तावना - संगीत का अर्थ - किसी भी देश की संस्कृति का निर्माण वहां की कला, साहित्य एवं संगीत पर आधारित होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में का विशेष महत्व होता है। ललित कलाओं में संगीत का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। संगीत और जीवन का अटूट संबंध है। संगीत में वह शक्ति है, वह जादू है, जो समस्त मानव जीवन के साथ-साथ समस्त पर्यावरण को भी प्रभावित करने की शक्ति रखता है। पर्यावरण का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो परि+आवरण अर्थात् हमारे चारों ओर छाया हुआ वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। जिसमें प्रमुख रूप से पाँच तत्वों यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का सम्मिश्रण है। जहाँ तक संगीत तथा पर्यावरण के आपसी संबंध का प्रश्न है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पर्यावरण के प्रत्येक अंश पर संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। वह किस प्रकार से है - यह समझने से पहले हमें संगीत की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। प्रायः हम संगीत, अर्थात् शास्त्रीय कठिन बंधनों से युक्त गायन यह समझते हैं। किन्तु यदि विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया जाय तो गायन, वादन तथा नृत्य इन तीन कलाओं का संगम संगीत है, यह स्पष्ट होता है। संगीत के विद्वान पं. शारंग देव ने अपने ग्रंथ '**संगीत रत्नाकार**' में संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी है - '**गीत वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते**' अर्थात् गायन वादन तथा नर्तन तीनों कलाये मिलकर संगीत कहलाता है। ये तीनों कलाये एक दूसरे के अधीन होते हुये भी अपना स्वतंत्र अस्तीत्व रखती है। संगीत की पारिभाषिक पृष्ठभूमि तथा उसका कृमिक विकास समझने से पूर्व मैं थोड़ा ध्यान आपका संगीत के जन्म पर चाहूँगी। **संगीत का जन्म तथा उसका विकसित स्वरूप** - संगीत का जन्म तथा उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ इस विषय पर विद्वानों ने कई मत दिये हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको इसके कुछ मुख्य बिन्दुओं से अवगत करवाने का प्रयास कर रही हूँ -

धार्मिक दृष्टिकोण -

1. वेदों निर्माता तथा सृष्टि के जनक ब्रह्म जी ने सर्वप्रथम यह विद्या शिव जी को दी, शिवजी ने सरस्वती को तथा सरस्वती ने अपने मानस पुत्र नारद को, नारद ने यह विद्या अप्सरा, गांधर्व तथा किन्नरों को दी फिर उनसे यह कला भारत के माध्यम से पृथ्वी पर अवतारित हुई।
2. कुछ विद्वानों का मत है कि पार्वती जी की शयन मुद्रा देखकर शिवजी ने रुद्रवीणा बनाई तथा उससे राग की उत्पत्ति की।
3. ओम् के द्वारा संगीत नाद रूप में विकसित हुआ।
4. फ्रायड जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक आधार पर संगीत का जन्म हुआ।
5. जेम्स लोंग के मतानुसार जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से मनुष्य ने

बोलना, चलना, फिरना, सीखा उसी प्रकार उसने शनैः शनैः संगीत को भी आत्मसात किया।

अन्य भी कई मत संगीत के जन्म के संबंध में दिये जाते हैं, किन्तु पर्यावरण से संबंधित यह मत बहुत रोचक जान पड़ता है - संगीत के विद्वान पंडित दामोदर जिन्होंने 1625 ई. में '**संगीत दर्पण**' नामक ग्रंथ की रचना की तथा उसमें उन्होंने सात सुरों की उत्पत्ति पशु-पक्षियों द्वारा बताई है - **जिसमें मोर से सा (षड्ज), चातक से ऋषभ (रे), बकरा से गांधार (ग), कौआ से मध्यम (म), कोयल से पंचम (प), मेढक से धैवत (ध) और हाथी से निषाद (नि)**

इस प्रकार यहाँ हमने सात सुरों की उत्पत्ति को समझा। संगीत के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला जाए तो संगीत का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के अवशेषों में कई मूर्तियाँ वाद्य यंत्र बजाती हुई आर्यों के भी आगमन से पहले संगीत असित्व में था इसके इतिहास को प्रमुख रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है -

1. अति प्राचीन काल
2. प्राचीन काल
3. मुगल काल
4. आधुनिक काल

अति प्राचीन काल अर्थात् वैदिक काल में संगीत बहुत विकसित अवस्था में था। संगीत की बागडोर ब्राम्हणों के हाथ में थी। संगीतज्ञों को राज्याश्रय प्राप्त था। उनका समाज में सम्मान था। स्त्रियाँ भी संगीत सिखती थीं। उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी। किन्तु पौराणिक काल आते-आते संगीत का पतन होने लगा था। रियासतों में राजा केवल संगीत को मनोरंजन के रूप में देखते थे और पूरे समय संगीत में ही डूबे रहते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा और मुगलों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया।

मुगल काल में संगीत का खूब विकास हुआ। लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने संगीत को बढ़ावा दिया। इस काल में कई ग्रंथ लिखे गये कई नये वाद्यों का, कई नये रागों का निर्माण हुआ। अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद संगीत में घराना परंपरा का विकास होने लगा। संगीत बंधनों में बंध गया, किन्तु आधुनिक काल आते-आते हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दो महान विभूतियों पं. विष्णु नारायण भातखण्डे तथा पं. विष्णु दिगम्बर पत्युस्कर ने दिशा ही बदल दी। इन दोनों संगीतज्ञों के प्रयास से हमारी सांगीतिक धरोहर, घराना परंपरा से संस्थागत शिक्षण के रूप में प्रचलित हुई। संगीत का सार्वजनिक रूप समाज में प्रचलित हुआ तथा विभिन्न

महाविद्यालयों, संस्थाओं में यह विषय के रूप में मान्यता प्राप्त कर सामान्यजन के लिए सुलभ हुआ। वर्तमान में संगीत के तीनों अंग विभिन्न संस्थाओं अपने निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुलभ है तथा आज म्यूज़िक का अपनी लोकप्रियता के शिखर पर होते हुए भारत का नाम विभिन्न कलाकारों के माध्यम से रोशन हो रहा है।

इस इतिहास को बताने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आज हम यहां जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशों की चर्चा करेंगे वे सारी बंदिशें विद्वानों द्वारा स्वरलिपिबद्ध कर पुस्तक रूप में प्रकाशित की गई हैं। संगीत में मौसम पर कई बंदिशें रची गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से है **बसंत** तथा **वर्षा**। संगीत में कुछ राग ऐसे हैं, जिन्हें मौसमी राग कहा जाता है, उन्हीं में से है, बसंत तथा वर्षा ऋतु के कुछ राग। बसंत अर्थात् सर्दी के मौसम का अन्त एवं ग्रीष्म ऋतु का आगाज का संकेत। बसंत अर्थात् ऋतुराज। सभी ऋतुओं में बसंत को अधिक महत्व दिया गया है, यह सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर ऋतु मानी जाती है। इसलिए इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। यह मौसम बहुत सुहाना होता है, इस मौसम में रंगों का त्यौहार होली, जो कि फागुन माह में आता है, का भी सूचक है। फागुन उत्सव अथवा भगोरिया जो कि हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र झाबुआ में मनाया जाता है। सभी नव यौवनाओं एवं नव युवकों को आनंदित करता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में बसंत ऋतु, होली तथा फागुन इन विषयों पर कई बंदिशों का सृजन किया गया है। फिल्म संगीत भी इसस अछुता नहीं है। बसंत ऋतु तथा बसंत राग दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं। बसंत ऋतु में ही बसंत राग गाया जाता है। यह बहुत कर्णप्रिय एवं मधुर राग है। इस राग की उत्पत्ति पूर्वी थाट से मानी जाती है। दोनों मध्यम इस राग में प्रयुक्त होते हैं वादी स्वर तार सां व संवादी प है। इस राग की बंदिशों में प्रायः बसंत ऋतु का वर्णन मिलता है। इस राग का स्वरूप कुछ इस प्रकार है - 'साग, मे ध रेंसां, रे नि ध प, मेग, मेग, रे सा, मे ध रेंसां'

बंदिश -

1. 'फगवा ब्रिज देखन को चलो री' राग बसंत में निबद्ध है
2. 'आई ऋतु बसंत' राग बसंत में निबद्ध है
3. 'ऋतु बसंत मन भाये सखी' राग बसंत में निबद्ध है

इसी प्रकार फाग का वर्णन अन्य रागों में इस प्रकार से है -
राग मारू बिहाग जो कि 1. आयो SS फागुन मास, ब्रिज में कल्याण थाट का है। कैसी होरी मची है।
राग अभोगी कानडा, कानडा 1. आज कैसो फाSSग मास, ब्रिज में का एक प्रकार है रच्चो है अबीर गुलाल की झोरी भर भर मारत है'

शास्त्रीय स्वरूप पश्चात् इसका फिल्मी स्वरूप भी देखे (देखे आगे पृष्ठ पर)

बसंत तथा फाग के पश्चात् हम थोड़ा वर्षा ऋतु की भी चर्चा करेंगे।

जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि संगीत मौसम के अनुरूप बंदिशें रची गई हैं, उसमें वर्षा ऋतु भी महत्वपूर्ण है। राग मल्हार वर्षा ऋतु की बंदिशों का माध्यम है। मेघ अर्थात् बादल के मल्हार कहा जाता है। मल्हार जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है, मेल को हरने वाला। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघों के बरसने से धरती का मेल साफ होता है। उसी प्रकार संगीत के सात सुरों के वर्षा व से मन का मेल धुल जाता है। मल्हार की उत्पत्ति के पीछे भी एक किंवदंती है। बादशाह अकबर के दरबार में नौ रत्न थे। जिनमें तानसेन भी मुख्य रूप से थे। एक बार बादशाह के आग्रह पर मियां तानसेन ने दीपक राग गाया तो दीये तो जलने लगे, किन्तु दीपक राग गाने से तानसेन के शरीर में दाह (ताप) होने लगा और वह खतम नहीं हुआ तब तानारीरी ने मल्हार राग गाकर उस दाह को शांत किया तभी से संगीत में मल्हार राग अमर हो गया। ऐसी मान्यता है कि यदि सही तरीके से इस राग को गाया जाय तो वाकई में बारिश लाने की इसमें क्षमता है। तानसेन को मियां कहकर बुलाया जाता था। अतः मल्हार राग ही आगे चलकर मियां मल्हार के नाम से प्रसिद्ध हुआ मियां मल्हार जो कि विशेषकर बारिश के मौसम में गाया जाता है इसकी बंदिशों में प्रायः वर्षा ऋतु का वर्णन मिलता है। इसके कई प्रसिद्ध प्रकार हैं, जैसे सूर मल्हार, गौड़ मल्हार, मेघ मल्हार, धुलिया मल्हार, जयंत मल्हार आदि। मियां मल्हार काफी थाट जन्य है इस राग में कोमल तथा दोनों निषादों का प्रयोग होता है। इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है - 'रे म रे सा, म रे प, नि ध नि सां, सां नि प, म प, SS म रे सा'

कुछ बंदिशें :-

1. मिया मल्हार	1. बोल रे पपीहरा 2. बिजुरी चमके बरसे रे
2. गौड़ मल्हार	3. बरसन लागी रे बदरिया 1. गरजत बरसत भीजत आइलो 2. झुक आई बदरिया सावन की
3. सूर मल्हार	1. बादखा बरसन को आये 2. अब धन गरजे री
4. रागेश्री	1. बदखा देखे सावन के
5. मधुवंती	1. बैरन बरखा ऋतु आयो रे

यहाँ कुछ ऐसी रचनाये आपके समक्ष रख रही हूँ, जिसमें हमारा समस्त पर्यावरण अर्थात् पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चांद-तारे, दिन-रात, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे समाहित है। गीतों में किस प्रकार इन सभी तत्वों का समावेश किया गया है। पहले ये देखते हैं - **(देखे आगे पृष्ठ पर)**

कुछ उदाहरणों द्वारा मैंने मौसम तथा संगी के संबंध को समझाने का प्रयास किया है। जिससे ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि समस्त पर्यावरण के कण-कण में संगीत निहित है। शायद संगीत के बिना खुशहाल पर्यावरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

शास्त्रीय स्वरूप पश्चात् इसका फिल्मी स्वरूप भी देखे -

राग बसंत	1	केतकी गुलाब जूही, चंपक बन फूले	-	फिल्म - बसंत बहार (1956) गायक - पं. भीमसेन जोशी/ मन्नाडे संगीतकार - शंकर जय किशन
	2	बसंत है आया रंगीला	-	फिल्म - स्त्री (1961) गायक - आशा भोंसले/मन्ना डे संगीतकार - सी. रामचन्द्र
	3	संग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया	-	फिल्म - राजा और रंक (1965) गायक - लता मंगेशकर/ मो. रफीसंगीतकार - लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
	4	रुत आ गई रे, रुत झा गई रे	-	फिल्म - (1947 पृथ्वी) गायक - सुखविंदर सिंह संगीतकार - ए.आर. रहमान
फाग/होरी	1	होली आई रे कन्हाईरंग भर के बजा दे जरा बांसुरी		
	2	होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं	-	शोले
	3	होली खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा	-	बागवान
	4	रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे	-	सिलसिला
लोग गीतों में भी होरी गीत	5	होलिया में उड़े रे गुलाल कहियो रे मंगेतर से		
	6	अरे जा रे हट नटखट न खोल मेरा घुंघट	-	नवरंग

शास्त्रीय स्वरूप	फिल्मी स्वरूप
<p>1. पशु पक्षियों से संबंधित - कोयल - भ्रमर (भौरा)</p> <p>1. राग कलावती - बोलन लागी कोयलियां</p> <p>2. राग मालकौंस - कोयलिया बोले अंबुवा की डार पर</p>	<p>1. कोयल बोली, दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।</p> <p>2. निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार कोयल कुंके गाये मल्हार</p> <p>3. कूहूं कूहूं बोले कोयलियां</p> <p>4. भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर</p>
<p>2. पपीहा</p> <p>1. राग ललित - पियु पियु रटत पपीहरा बोले और कोयलिया सकून देत मोहे पियु के मिलन को आSSये।</p>	<p>1. बोल रे पपीहरा - फिल्म गुड़ी</p>
<p>3. मोर</p> <p>1. राग देस - मेहा रे बन बन डार डारमुरला बोले मेहा बीछारन बरसे</p>	<p>1. म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैय्या थैय्या।</p> <p>2. मोरनी बागां में बोले आधी रात मां</p>
<p>4. पेड़-पौधे/पवन</p> <p>1. राग गौड सारंग - 1. पाडतीड झर गैय्या बेलरियां एरी मां 2. राग बहार - बालमवा भाई री SSS बरन बरन की कलिया खिलियां</p>	<p>1. पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं</p> <p>2. पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार</p> <p>3. पवन दीवानी ना मानी उडाये मोरा घूंघटा आरी</p>
<p>5. मेघ/बादल</p> <p>1. राग रागेश्री - बदखा देखे सावन के SSS</p> <p>2. राग गौड़ मल्हार - झुक आयी बदरिया सावन की सावन की मन भावना की</p>	<p>1. बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है (बेताब)</p> <p>2. मेघा रे मेघा रे मत परदेस जा रे (प्यासा सावन)</p> <p>3. मेघा छाये आधी रात बैरन बन गई निंदिया (शर्मिली)</p> <p>4. बरसो रे मेघा, मेघा बरसो रे मेघा (गुरू)</p> <p>5. बदरा हाय, छाये झूमें पर्वत हाय रे घूमें बदरिया को घूम के, आया सावन झूम के</p> <p>6. जा रे जा रे बादरा, कारे, कारे, बादरा मोरी अटटिया ना शोर मचा।</p>
<p>6. आकाश/धरती</p> <p>1. आकाश गंगा सूर्य चन्द्र तारा संध्या उषा कोई ना नहीं</p>	<p>1. नीले नीले अम्बर पे चांद जब आये</p> <p>2. नीला आसमां सो गया (सिलसिला)</p> <p>3. मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।</p>
<p>7. सावन</p> <p>1. राग श्याम कल्याण साSSवन को सांझ, 2. सावन में लारे - लारे, भादौ में घटा घोर कारे करेला पान लीवर लावर पीपर पान झूमर जा रे पंछी झूमर जा रे अरररर रंपा हरे, अररर रंपा हारे मोको तरस रही SSS SSभादो</p>	<p>1. लगी आज सावन की फिर वो झडी है (चांदनी)</p> <p>2. रिमझिम गिरे सावन, सुलग-सुलग जाये मन (मौसम)</p> <p>3. सावन का महीना पवन करे शोर</p> <p>4. मेरे नैना सावन</p>
<p>8. चांद-सूरज-भोर</p> <p>1. राग हंसध्वनि - चंद्रमा भाल लोचन विशालगले रुद्रमाल, शंभु महाकाल</p> <p>2. राग रामकली - सगरी रैन के जागे पागे सुधर चतुर सुर बनवा बलया भोर ही मेरे आSSये</p>	<p>1. छुप जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला</p> <p>2. चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया</p> <p>3. चौदहवी का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम</p> <p>4. सूरज कब दूर किरण से कब दूर बहार चमन से (करण अर्जुन)</p> <p>5. भोर गये पनघट पे मोहे नटखट श्याम सताये (सत्यं शिवं सुंदरम्)</p>

आचार्य प्रणव शारत्री का पत्रकारिता में योगदान

डॉ. देवेन्द्र कुमार जाटव *

प्रस्तावना - 'पत्रकारिता' शब्द का उद्भव 'पत्र' शब्द में है जिसका सामान्यतः अभिप्राय खत अथवा चिट्ठी से लिया जाता है। जिस प्रकार से खत अथवा चिट्ठी के माध्यम से हम अपने घर तथा अपने परिवेश के समाचार अपने इष्ट मित्रों एवं सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं। वैसे ही समाचार पत्र में देश- दुनिया की घटनाओं की जानकारी जनसाधारण तक देने की कला को ही पत्रकारिता कहते हैं।

हिन्दी का 'पत्रकारिता' शब्द अंग्रेजी के जर्नलिस्ट का हिन्दी शब्द रूपांतरण है। जर्नलिस्ट शब्द 'जर्नल' से अद्भुत है दैनिक विवरण जर्नल शब्द की जड़े फ्रेंच शब्द जर्नी में अंतर्निहित है। जिसका अभिप्राय है दैनिक विवरण प्रस्तुत करना। हालांकि इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटैनिका के अनुसार 'जर्नल' शब्द इटालियन है और इसकी व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के डियोनां शब्द से हुई है। प्रारंभ में पत्रकारिता से अभिप्राय दैनिक घटनाओं के लिखित विवरण से जनता को उपलब्ध कराने मात्र से लिया है। आज यह प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यमों से बंट गया है और इसमें इतनी विविधता आ गयी है कि आज की पत्रकारिता में अनेकानेक नवीन प्रकार की घटनाएं एवं विवरण दिन-प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। विख्यात पत्रकार एवं अनेक पत्र-पत्रिकाओं के प्रखर संपादक प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता के महत्व को सुस्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'न्याय पालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका और प्रेस में यदि मे चौथा खम्भा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीनों खम्भों को मैं जज करूँ।

डॉ. वेद प्रताप वैदिक का कथन है, 'विधायिका, कार्यपालिका तथा खबर पालिका भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकार को किसी विशेषाधिकार की आकांक्षा न रखते हुए न्यायाधिकार की आकांक्षा न रखते हुए न्यायाधीश किसी निस्पक्षता और यौद्धा किसी निर्भीकता के साथ सच्चाई उजागर करनी चाहिए। वे अपनी स्वयं की आचार संहिता के साथ पत्रकारिता को लोकतंत्र में अभिव्यक्त का सशक्त माध्यम स्वीकारते हुए कहते हैं कि 'लोकतंत्र' में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एक प्रमुख स्तंभ होता है इस लिए लोकतंत्र की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को पूरा करने का दायित्व समाचार पत्रों पर आता है।

डॉ. अर्जुन तिवारी ने पत्रकारिता के 6 कर्तव्यों को महत्वपूर्ण माना है -

1. प्रतिदिन की न्यूनतम घटनाओं का सही-सही सुवोधदृग् से विवरण प्रकाशित करना।
2. विचारों के आदान-प्रदान का सफल माध्यम बनना।
3. अग्रलेखों, समाचार, समीक्षाओं, स्तम्भों समाजोपयोगी एवं स्वस्थ मनोरंजन के साथ उपलब्ध कराना।
4. आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास हेतु दिशा-निर्देश करना।

5. राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना।

विश्व में पत्रकारिता का प्रारंभ कहा, कब और कैसे हुआ, परन्तु कतिपय विद्वानों द्वारा देवर्षि नारद को विश्व का प्रथम पत्रकार घोषित किया गया है। जिनका मुख्य कार्य समाचारों का देवलोक से पृथ्वीलोक के बीच प्रसारण करना था। हालांकि वे एक सच्चे पत्रकार के दायित्व का निर्वहन नहीं करते थे, अपितु विश्व कल्याण के लिए समाचार में उपेक्षित परिवर्तन-परिवर्धन भी कर देते थे, जिससे कभी-कभी उनकी निस्पक्षता संदिग्ध हो जाती थी। यदि मिथकीय पात्रों को अलग रखते हुए विचार किया जाये तो हम पाते हैं कि चिरकाल से भारत में मुनादी पिटवाकर या ठगठगी बजाकर समाचार सुनाने की प्रथा विद्यमान थी। राजकीय सूचनाओं तथा आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथी-घोड़े पर नगाड़ा बजाकर भी उद्घोषणाएं की जाती थी।

रामायण तथा महाभारत के काल से सूचनाओं के संकलन के लिए सम्राटों द्वारा गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे जो खुफिया जानकारी लेने के लिए तथा जनता का दृष्टिकोण भांपने के लिए भेष बदलकर घूमा करते थे। गुप्त वंश, मौर्यवंश, सातवाहक वंश, चालुक्य वंश इत्यादि वर्षों के प्रतापी नरेशों के समाचार प्रचार-प्रसार हेतु शिला लेखों के स्तंभों तथा गुप्त चरों का सहारा लिया था। मुगलकाल में बादशाहों ने अपनी रियासत की गतिविधियों को आंकने के लिए वाकियानवीस नियुक्त किये थे, जिनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर शाहजहाँ ने आगरा के मुहम्मद के दरबार में कहा था कि अखबार पढ़कर पता चलता है। कि इलाहाबाद कि हिन्दु-प्रजा में विद्रोह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विभिन्न विदेशी यात्रियों ने भी जाने अनजाने पत्रकारिता की भूमिका का निर्वाह किया है। मेगास्थनीज, इब्नवतुता, हवेनसांग, फाह्यान आदि ने अपने ग्रंथों में भारत से संबंधित अमूल्य विवरण लिखकर भारतीय सूचनाओं को विश्व में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर तथा अवां के नवाबों ने भी गुप्तचर तथा वाकियानवीस नियुक्त किये थे। जिनका कार्य सरकार को जनता की भावनाएँ बताना मात्र था। बहादुर शाह जफर के जमाने में हस्त लिखित सिराजुल नामक अखबार निकालता था लेकिन यह अखबार आम जनता के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य बादशाह को जनता की नब्ज पहचानने हेतु सहयोग करना था। विदेशी एवं आन्तरिक षडयंत्रों की जानकारी देना था मुगल काल में फरमान दस्तक, परबाना, हुकुमनामा, जनता दरबार आदि प्रचलित थे, जिनके माध्यम से जनता तथा प्रशासन के मध्य अंतर् संबंध बना रहता था, छत्रपति शिवाजी, राजा रणजीतसिंह के दरबारों में भी

वाकियानवीस, गुप्तचर तथा खबरनवीस हुआ करते थे। जो सप्ताह में कम से कम एक बार सप्ताह भर की घटनाओं साजिशों, रहस्यों तथा जनभावनाओं की खबरे शासको तक पहुँचाया करते थे।

भारत में सर्वप्रथम सन् 1766 ई. पत्रकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। 30 मई सन् 1826 ई. को कलकत्ता से प्रत्येक मंगलवार पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 'उदन्त मातृाण्ड' शीर्षक से भारत का पहला हिन्दी भाषा का पत्र प्रकाशित किया है। इसके पश्चात् राजा राममोहन राय ने बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला और फारसी में 10 मई सन् 1829 से प्रकाशित करना आरंभ किया। तत्पश्चात् 21 जून सन् 1834 को ब्रजेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय ने कलकत्ता से ही प्रजामित्र शीर्षक से अंग्रेजी तथा हिन्दी में साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया भारत में दैनिक समाचार पत्रों की परम्परा भी प्रारम्भ करने का प्रयास किया कलकत्ता के श्याम सुन्दर सेन जिन्होंने जून 1854 में समाचार सुधावर्षण। नामक पत्र प्रकाशित किया इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 1875 ई. में काशी से हरिश्चन्द्र मेग्जीन नामक मासिक पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। भारतेन्दु मण्डल के वरिष्ठ सदस्य पं. बालकृष्ण भट्ट ने सन् 1876 में अलमोड़ा से अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ किया। भारतेन्दु युग से ही वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता का उन्नयन प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात् द्विवेदी युग में तो हिन्दी समाचार पत्रों की मानो आंधी ही आ गई इस समय गांधीजी के नेतृत्व में पत्रकारिता का विकास हुआ। साहित्यिक पत्रकारिता की बात की जाये तो सन् 1900ई में 'सरस्वती' का प्रकाशन हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता की अमर घटना है। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में नारगी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका ने अनेक कवि लेखक, पत्रकार, तैयार किये। जयशंकर प्रसाद की 'इन्दु' हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी की खण्डवा से सन् 1913 से सन् 1990 में प्रारम्भ 'हंस' इत्यादि पत्रिकाओं ने 'साहित्य' पत्रकारिता का सूत्रपात किया।

इक्कीसवीं शताब्दी की आहत से पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। अब समाचार पत्र प्रायः रंगीन तथा आकर्षक चित्रों से युक्त होने लगे तथा उनमें 'उत्तेजनापूर्ण' एवं 'बिकाऊ' खबरों को प्रमुखता देने की प्रवृत्ति बड़ने लगी। अब खबर दूँढकर ही नहीं लाई जाने लगी वरन खबर पैदा की जाने लगी। इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन तथा कथित खोजी पत्रकारिता तथा पीत पत्रकारिता जैसे जुमले अस्तित्व में आ गये सेटेलाइट चैनलों की पत्रकारिता ने तो आग में घी का कार्य किया है। अब उनमें भी भड़काऊ एवं उत्तेजक घटनाओं का सचित्र प्रसारण करने की होड़ लग गई है। अभी हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की सनसनी खोज खबरों के पीछे दौड़ने की होड़ स्पष्ट प्रदर्शित हुई।

पत्रकारिता आज देश सेवा समाज सेवा का विशेष माध्यम बनती जा रही है। इसके द्वारा बहुत से लोगो द्वारा समाज सेवा जैसे पुनीत कार्य की प्रतिपूर्ति की जा रही है। मोबाईल, इंटरनेट, सेटेलाइट, ई-मेल, के इस दौर में जनसंचार अब परीलोक की कहानी नहीं रहा। पलक झपकते ही अमेरिका के सामाचार हमारी टी.वी. स्क्रीन पर होते हैं। अथवा हमारे देश में घटित कोई भी घटना-दुर्घटना विदेशों में बैठे हमारे परिजनो द्वारा सुन, पढ़ी व देखी जा सकती है।

डॉ. प्रणव शास्त्री द्वारा सम्पादित एक प्रासंगिक ग्रन्थ है। इसमें लगभग 40 इतिहासविदो, पत्रकारो, जनसंचार, विशेषज्ञों, लेखकों, प्राध्यापको के शोधपत्र समाहित किये गये हैं। इस ग्रन्थ के माध्यम से समाज में पनप रही पीत-पत्रकारिता को सिरे से नकारा गया है। इस पीत-पत्रकारिता ने ही आज पत्रकारिता के पावन एवं शुभ व्यवसाय पर प्रश्न चिन्ह लगादिये हैं। इस ग्रन्थ का भी साहित्य जगत में पर्याप्त स्वागत हो रहा है।

निष्कर्ष - यह कहा जा सकता है कि आचार्य प्रणव शास्त्री ने साहित्य की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। रीतिकालिन काव्यग्रथ चन्द्रकान्ता जैसे महत्वपूर्ण विषय पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसी चर्चित एवं चुनौती भरा क्षेत्र, प्रसाद जैसे क्लिष्ट रचना धर्मों के समान रूप से अधिकार पूर्वक लेखक, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष, हिन्दी-हिन्दी शब्दकोष, संस्कृत-हिन्दी शब्दकोष तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है। सभी क्षेत्रों में आप समीक्षक आलोचक की दृष्टि से सफल सिद्ध हुए हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. जेम्स मैकडॉनल, डॉ. अर्जुन तिवारी की पुस्तक आधुनिक पत्रकारिता से अद्भुत प्र.271
2. प्रभाष जोशी, दिनमान 10-16 मार्च 1985 उद्देश्य परक पत्रकारिता, प्र.-61
3. डॉ. वेद प्रताप वैदिक, द्वारा 3सितम्बर सन् 1986 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पत्रकारिता विभाग में दिया गया व्याख्यान।
4. डॉ. रामचन्द्र तिवारी, पत्रकारिता स्वरूप एवं सन्दर्भ, प्र-61-62।
5. विनोद गोदरे, हिन्दी पत्रकारिता: स्वरूप एवं सन्दर्भ, प्र. 42।
6. कृष्ण बिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, प्र. 56।
7. विनोद गोदरे हिन्दी पत्रकारिता स्वरूप एवं संदर्भ प्र.52।

उमरावजान 'अदा' उपन्यास पर निर्मित फिल्मों का आकलन

डॉ. मजीद कुरैशी *

प्रस्तावना - मिर्जा हादी 'रूसवा' के मशहूर उपन्यास उमरावजान 'अदा' पर दो बार फिल्म बनाई गई। सर्व प्रथम सन् 1981 में निर्देशक मुजफ्फर अली ने फिल्म बनाई। और दूसरी फिल्म सन् 2006 में जे.पी. दत्ता द्वारा निर्मित की गई।

सबसे पहले बात करे मुजफ्फर अली निर्देशित 'उमरावजान' की जिसमें मुख्य भूमिका रेखा द्वारा निभाई गई। मुजफ्फर अली ने इस उपन्यास को इतने सार्थक ढंग से परदे पर उतारा है कि आज भी यह फिल्म बेजोड है। 'उमरावजान' को परदे पर रेखा ने अपने बेमिसाल अभिनय से जीवंत बना दिया है। इस फिल्म की अपार सफलता के कारण ही रेखा अत्यंत चर्चित अभिनेत्री बन गई-

'रेखा ने 'उमरावजान' के प्रदर्शन के बाद जितनी ख्याति और दाद दर्शकों से प्राप्त की उतनी उन्हें अपनी पूरे फिल्मी कैरियर में किसी फिल्म से नहीं मिल पाई।'

इस उदाहरण से स्पष्ट को किस गुणवत्ता के साथ परदे पर उतारा गया है। जिसके कारण यह फिल्म सफल हुई। अगर मूल कथा से हम पटकथा की तुलना करे तो कुछ स्थानो पर सहायक घटनाओ को फिल्म में स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन फिल्म की ताजगी पर कोई असर नहीं पडता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तवायफ की जिन्दगी पर बनने वाली यह एक मात्र बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के बाद ऐसी कोई फिल्म तवायफ की जिन्दगी पर नहीं बन पाई है, जो इसको फीकी कर सके।

अब बात करे जे.पी. दत्ता निर्देशित 'उमरावजान' की तो फिल्म मूल कथा से बिल्कुल अलग है। कई काल्पनिक घटनाओ को जोडकर और कई सहायक कथाओ को हटाकर फिल्म का निर्माण किया है। जिससे इसकी सुरत ही बदल गई। निर्देशक महोदय ने मूल कथा में परिवर्तन जरूर किया है। फिर भी वे तवायफ के जिन्दगी के सभी पहलुओ को नहीं उभार पाये है। 'उमरावजान' एक तवायफ की जिन्दगी में आये अच्छे और बुरे दौर पर आधारित उपन्यास है जिसमें अमीरन से उमरावजान तक का सफर है। मगर फिल्म में हमने देखा की जिस 'उमरावजान को उपन्यास में देखते हे। वह फिल्म में हमें

दिखाई नहीं देती है-

'2006 में जे.पी.दत्ता ने अभिषेक और ऐश्वर्या को लेकर फिल्म बनाई वो शहीद हो गई।'²

इस उदाहरण से पता चलता है कि फिल्म में मूल विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया है।

तुलनात्मक आकलन

मुजफ्फर अली एवं जे.पी.दत्ता निर्देशित 'उमरावजान' का तुलनात्मक आकलन हम इस प्रकार कर सकते है- फिल्म के लिये उहत्वपूर्ण उसकी पटकथा होती है। दोनो फिल्म की पटकथा की तुलना करने पर हम पाते है कि मुजफ्फर अली की पटकथा ज्यादा सशक्त है। इसके समक्ष जे.पी.दत्ता की फिल्म नहीं टिकती है मुजफ्फर अली ने मूल कथा में कोई छेड छाड न करते हुये अपनी पटकथा लिखी और इसके समस्त किरदारो के न्याय किया है। छोटे-छोटे कलाकारो का भी ध्यान दिया व्योकि सहकलाकारो का असर मुख्य पात्रो पर पडता है। जबकि ते.पी. दत्ता ने अपनी फिल्म में ऐसा कोई खास कमाल नहीं दिखा पाये। निर्देशक द्वारा जो परिवर्तन किये गये। उससे कथा की मौलिकता नष्ट हो गई। पात्रो को जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया वह बेअसर रहा। जिसके कारण कोई भी पात्र अपनी प्रमाणिकता सिध्द नहीं कर पाया।

निष्कर्ष - दोनो फिल्मो के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है। कि मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित 'उमरावजान' ही सार्थक व सटीक फिल्म है। जिसमें 'उमरावजान' के वास्तविक रूप को दिखाया गया है। अतः यह फिल्म ही मूल कथा के ज्यादा करीब है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 26 दिसम्बर 1982 धर्मयुग , संपादक मनमोहन सरल, गणेश मंत्री पृ.क्र. 11
2. दैनिक भास्कर के रविवरी 'रसरंग' में प्रकाशित 15 नवम्बर 2009

‘अग्ग’ वहानी ते उग्गरवाद दी समस्या

कामिनी देवी *

प्रस्तावना - इस कहानी दे रांए लेखका असेंगी एह समझाना चाहंदी ऐ जे उग्गरवाद गी भइकाने लेई मते सारे दोशी अस बी ऐ। किश समाज च ऐसे लोक होंदे न जेहड़े अपनी सुआर्थ साधने लांई उग्गरवाद दा इस्तेमाल करदे ना। इस कहानी दी मुख पात्र शीला, कहानी, उग्गरवाद (सुधा-शीला दी धीऽ बेटा अरुण) ना। शीला बड़े जोरे-शोरें कन्नै कहानी दे ओने दा इंतजार करा करदी ऐ। ओह बैठक गी सजांदी ऐ ते कन्नै गै अपने ऋचाने गी हिदायत दिंदी ऐ जे बैठक दा दरवाजा नेई खोह्लेओ। शीला दी धीऽ सुधा आखदी ऐ, मम्मी कहानी आई ऐ। उसी टरकाई उड़ा जां अंदर औन देआं ते शीला उसगी ओहदी आदर-खातर करने लेई आखदी ऐ। उदाहरण- ‘कहानी दा नांऽ सुनियै शीला गी फंघ लग्गी गे। ‘जा शैल आदर-मानै कन्नै उनेगी बैठका च बठाला। सुन, पीढे पर बठालेआ ते झोलने आरतै घुघरियें आह्नी पक्खी देआं।’¹

जिसलै कहानी दी बड़ी आदर-खातर औंदी ऐ ते ओह संनादी ऐ जे ओहदे कन्नै उग्गरवाद भी आया ऐ जेड़ा बाह खड़ोते दा ऐ। उग्गरवाद दा नांऽ सुनिये शीला डरी जंदी ऐ ते कहानी गी आखदी ऐ की मिगी नेह-जेह तत्व च दिलचस्पी नेई ऐ तुसे इस्सी की लेआन्दा ते कहानी शीला गी समझांदी ऐ के जेहड़े समाज च तत्व मजुंद ने अस्स ओहदे कौलां नजरां नेई चुराई सकदे। कदेन कदे ओहदा सामना करना पेई सकदा ऐ। ऐस करिऐ अस्से ओहदे कौला नजरां नई चुरानियां समा उसी समझिए खत्म करने दी युक्ती लोइनी चाहदी ऐ।

अस्स लोग उग्गरवाद-उग्गरवाद करदे रोह्ले आं पर उग्गरवाद जम्मने दे कारणे गी नई समझने दी कोशश करदे।

इस कहानी दी ‘कहानी’ दे जरिये लेखका इस गल्ला गी साबित करदी ऐ-‘जनेही झुल्लग, उ’ऐ नेही पुनने पौनी ऐ। जे किश बी समाज च होग, ओहदे कन्नै कुतै नां कुतै टाकरा होई गै जाना ऐ। वर्तमान शा नजरा चराइएँ तुस भक्खिख कन्नै झत नेई करी सकदियां शीला जी। जेकर फंडूके दी तांहग होऐ तां लूहें शा बचने दी जुक्ती बी औनी लोइचदी ऐ जाओ ते उस्सी अंदर लेई लाओ।’²

कहानी दे आखने ऊप्पर शीला उग्गरवाद गी अंदर लेई औंदी ऐ। शीला उग्गरवाद गी तांनै-मीहें करसना शुरू करी दिंदी ऐ कि अति कुसै चीज दी चंगी नेई होंदी। उग्गरवाद गी जिन्ना समझाने दी

कोशिश करो ए और मच्छरदा ऐ।

ते उग्गरवाद अपने आप गी बेकसूर ठहरांदा ऐ की जे उग्गरवाद गी भइकाने आह्ले समाज दे केह किश लोग ने जेहड़ी अपने फायदे आस्ते उग्गरवाद गी होर भइकां दे ना। उग्गरवाद आखदा ऐ।-‘मिगी हर निक्का-बड्डा निंददा ऐ जे मेरे कारण केई मसूमें दियां जानां जंदियां ना। मिगी दस्सो जे ऐहदे च मेरा केह कसूर ऐ? सारे ते उग्गरवादी नेई हैन। मैरा असर सारें पर ते नेई होंदा। समझदार ते स्याने लोक ते मिगी कोल बी नेई फडकन दिंदे। जेकर अग्गी कन्नै कोई अपना घर फूकी लै तां ‘दस्सो ऐहदे च अग्गी दा कसूर ऐ जां फूकने आह्ले दा। किश लोक आपूं गै अपने सुआर्थे दी पूर्ति आरतै मिगी भइकादे न,’ मिगी शैह दिंदे ना। जेकर ओह चाह्तां मिगी काबू करी सकदे न, पर आपूं गै ओह ऐसा नेई चाहदें।’³

लेखक सारें लेखक वर्ग गी इस्स कहानी दे जरिए एह आखना चाहदी ऐ जे इस उग्गरवाद गी खत्म करने दा जरिआ तुदिया रचना ना। तुस अपनी रचनाएं दे जरिए लोके च नैतकता जगाई उग्गरवाद गी घटाई सकदे ओ।

कहानी दा पात्र उग्गरवाद आखदा ऐ -‘तुन्दे अग्गे एह बिनती ऐ जे अपनी रचनाएं राहें लोके गी ज्ञान देओ, उन्दी नैतकता गी जगाओ, जेहड़ी इनलप दे गदे पर कूलरें दी ठहाएं च, कलर टी वी ते वी सी आर दे रंगीन सुखने अक्खीं च भरियै, लम्मी तानियै सौने दी ध्याई बैठी दी ऐ। जनता गी जागरूक करो।’⁴

लेखक उनें लेखकें दा बी विरोध करदी ऐ जैहड़े सिर्फ अपने नांऽ चमकाने ताई उग्गरवाद कन्नै जुड़ी दियें घटनाएं गी लून-मर्च लाईयै पेश करदे ना। इस चाली ऐस कहानी च लेखका ने उग्गरवाद दी समस्या गी उजागर कीते दा ऐ। उनें गी नई समां उसी भइकाने आह्ले तत्वें गी दोशी करार कीते दा ऐ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कथा कुंज भाग-2, सफा-47
2. कथा कुंज भाग-2, सफा-49
3. कथा कुंज भाग-2, सफा-49-50
4. कथा कुंज भाग-2, सफा-50

शरत्चन्द्र कृत ' देवदास ' पर बनी हिन्दी फिल्मों का आकलन

डॉ. मुजीद कुरैशी *

प्रस्तावना - बंगाल साहित्य के बिना हिन्दी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि पाठक जितना प्रेमचंद को पढ़ते हैं, उतना ही शरत्चन्द्र व बंकिमचंद्र तथा विमल मित्र को पढ़ते हैं। और इन लेखकों को रचनाएं जब किताबों से निकालकर सिनेमा के बड़े परदे पर अवतरित हुईं तो पाठकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है, कि जिस कथा को हमने अभी तक पढ़ा वो परदे पर कैसी नजर आयेगी। तब लोगो ने शरत् के 'देवदार' को परदे पर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस फिल्म की अपार सफलता के कारण कई निर्माता निर्देशकों की नजर बंगाल साहित्य पर पड़ी। जिसके कारण कई उत्कृष्ट फिल्मों देखने को मिली।

लेकिन हम यहाँ सिर्फ शरत्चन्द्र कृत 'देवदास' पर बनी फिल्मों का अवलोकन करेंगे। क्योंकि यही उपन्यास से जिस पर अधिक फिल्मों निर्मित हुई हैं। और सभी फिल्में सफल और चर्चित रही हैं। फिर चाहे वह प्रमथेश बरूआ की देवदास हो विमल राय की या संजय लीला भुसाली की। इन तीनों फिल्मों को अलग-अलग विशेषताएं हैं। जिनका उल्लेख हम उनके प्रदर्शन क्रम के अनुसार आगे प्रस्तुत कर रहे हैं-

सबसे पहले बात करें सन् 1935 में प्रदर्शित 'देवदास' की। जिसके निर्देशन प्रमथेश बरूआ है। यह फिल्म तकलीक दृष्टि से धीमी रफ्तार वाली फिल्म थी इसके कलाकार अपने समय के माने हुए कलाकार थे। जो अपने स्टार वैल्यू के स्थान पर अपनी छवि पत्रानुकूल बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं। परिणाम स्वरूप बरूआ ने देवदास के चरित्र को आत्मसात करके उसे कुंदनलाल सहगल के रूप में परदे पर इस तरह पेश किया कि भारतीय सिनेमा को एक कामयाब फिल्म तथा देवदास की भूमिका को अमर करने वाले कुंदनलाल सहगल मिले।

फिल्म देखने के बाद स्वयं शरत् बाबू ने कहा कि 'यदि मैं देवदास लिखने के लिये पैदा हुआ था तो तुम उस पर फिल्म बनाने के लिये।'

अब बात करें विमल राय निर्देशन देवदास की जो सन् 1955 में प्रदर्शित हुई जब बरूआ ने देवदास बनाई थी उस समय विमल राय उनके कैमरा मेन के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वे 'देवदास' की कथा और उसके पात्रों को वे भली भांति पहले ही समझ चुके थे। इसलिये जब विमल राय ने दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन को लेकर 'देवदास' बनाई तो इन्होंने भी उन पात्रों के साथ पूरा-पूरा न्याय किया इन्हीं कारणों से विमल राय की प्रतिभा का लोहा सब मानते हैं - 'विमल राय अपने लिए इन्तेमाल कर लेते थे। इसीलिए उनकी फिल्मों को देखते

समय मशहूर कलाकार यथा दिलीप कुमार भी दिलीप की जगह 'देवदास' ही नजर आते हैं तथा फिल्म को 'यथार्थ की छाया' ही बनाकर छोड़ते हैं।²

इसके पश्चात् बात करें तीसरी देवदास की जो संजय लीला भुसाली द्वारा निर्देशित की गई है। यह फिल्म सन् 2002 में प्रदर्शित हुई। जब भंसाली ने इस फिल्म को रजत पठ पर उतारा तो कई कारणों से यह फिल्म चर्चा का विषय बनी। जैसे यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत की सबसे मंहगी फिल्म मानी गई। फिल्म का मुख्य आकर्षण थे इससे भव्यसेट व उसके कलाकार जिससे देवदास बने शहरूख खान, पारो बनी ऐश्वर्या राय एवं चंद्रमुखी का किरदार निभाया माधुरी दीक्षित ने।

भंसाली ने अपनी फिल्म में कला और तकनीक का अच्छा संयोजन किया जिसके कारण इस फिल्म को अपार सफलता मिली। यदि हम उपन्यास की दृष्टि से देखें तो फिल्म की पटकथा उपन्यास की मूल कथा से मेल नहीं खाती है। काल्पनिक कथाओं को जोड़कर इसकी मौलिक कथा को चोट पहुंचाई गई है। पटकथा के स्तर से यह फिल्म पूर्व की दोनों फिल्मों से कमतर है। इससे सम्बंधित यह अवतरण देखिए -

'संजय लीला भंसाली की ' देवदास ' बेहूदा फिल्म थी। शरत्चन्द्र न्यू थियेटर्स और विमल राय का नाम लेकर निर्देशक ने कहानी कि कि हत्या की है।'³

निष्कर्ष - तीनों फिल्मों के अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'देवदास' उपन्यास पर निर्मित तीनों ही फिल्में अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण सफल हुईं। बरूआ की देवदास में के.एल. सहगल तथा विमल राय की देवदास में दिलीप कुमार साहब का बेजोड अभिनय था। इधर भंसाली की देवदास के भव्य सेट साज-सज्जा व संगीत ने लोगो को स्वाभाविक तौर पर आकर्षित किया है। मगर उपन्यास के कथानक दृष्टि से देखें तो प्रारंभ की दोनों फिल्मों उत्कृष्ट हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहा! जिन्दगी वार्षिक विशेषांक, सं. यशवंत व्यास पृ. क्र. 39 प्रकाशन वर्ष 2007
2. सिनेमा के सौ बरस सं. मृत्युंजय शिल्पायन प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. क्र. 154
3. अहा! जिन्दगी (फिल्म विशेषांक) पत्रिका सं. यशवंत व्यास जनवरी 2008 पृ. क्र. 24

गीता में सेवा का स्वरूप

डॉ. जयराम त्रिपाठी *

प्रस्तावना – भक्तियोग के विधि-विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है- यथा ब्राह्ममुहूर्त में जागना, स्नान करना, मन्दिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा-विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा-विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं, जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर-प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवद्दाम तक उसका पहुँचाना ध्रुव है। विधि विधानों के अन्तर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्तियों निश्चय ही भगवत्प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। यह ईश्वरप्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वरप्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण-प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्तियोग की पूरी विधि है।

यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्तियोग के विधि-विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाय, इसकी व्याख्या ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्णभावनामृत के प्रचार हेतु सहनुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं, जो कृष्णभावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्तियोग के विधि-विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूँजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूँजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णसेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इन्द्रियतृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तो वह कृष्णभावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मन्दिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुँचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्णभावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्णभावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत्प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो

सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी।

हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्णभावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, या अन्य कठिनाइयाँ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएँ लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियाँ वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे-धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्णभावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनःस्थिति में वह कृष्णभावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्णभावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्णभावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है, किन्तु यदि कृष्णभावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किये जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान् की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद्गीता में ही कहा गया है- यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण हैं, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही हैं।

जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं- विधि-विधानों से पूर्ण तथा भगवत्प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किन्तु जो लोग कृष्णभावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुँचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियाँ हैं, जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के

लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद्गीता के अन्तिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का परित्याग करना होगा-जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना।

संक्षेपतः, सर्वोच्च लक्ष्य, भगवान् तक पहुँचने की दो विधियाँ हैं- एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्णभावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था की प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अन्त में भगवान् की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक-एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए सम्भव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है, जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं हैं। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है।

शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान् इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। न वह अपने शत्रु का शत्रु बनाता है। वह तो सोचता है 'यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है।' श्रीमद्भागवत में कहा गया है- जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है, तो वह सोचता है कि यह भगवान् की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत्कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दण्ड नहीं मिल रहा है। भगवत्कृपा से थोड़ा ही दण्ड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शान्त तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी, दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुःख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत्कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है, उसी से सन्तुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्णयोगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूँकि उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं, अतः वह दृढनिश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यन्त दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान् कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान् उसकी कृष्णभावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं।

इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त

द्वारा के कोई व्यक्ति कष्ट, चिन्ता, भय या असन्तोष को प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्त सर्वोपरि दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता, जिससे किसी को चिन्ता हो। साथ ही, यदि अन्य लोग भक्त को चिन्ता में डालना चाहते हैं, तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत्कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्णभावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इन्द्रियतृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यन्त प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्वों के पास इन्द्रियतृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है, जो उसके पास नहीं है, तो वह दुःख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, तो वह भयभीत रहता है और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता, तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त, जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यन्त प्रिय होता है।

भक्त को धन दिया जा सकता है, किन्तु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत्कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो, तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिनभर में दो बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढविश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिन्तामुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता, जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता, जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान् के लिए मन्दिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिन्ताएँ उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता।

शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुःखी होता है, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुःखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुःखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ, अशुभ तथा पापकर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है, तो कभी उसकी निन्दा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुःख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यन्त धैर्यवान् होता है। वह कृष्णकथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान् के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किन्तु वह सन्तुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिन्ता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है, तो कभी अत्यन्त उच्च

प्रासाद में, किन्तु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः जो भक्त नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है, उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं।

भगवान् ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है, वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान् की सेवा में भगवान् ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म-साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान् की भक्ति निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में, इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि-विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान् की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भगवत्प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म-साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की

गई है, जब तक मनुष्य आत्म-साक्षात्कार के लिए अपने आपको समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है, जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्णभावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म-साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद्गीता के बीच के छः अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यन्त हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिन्ता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत्कृपा से सारी वस्तुएँ स्वतः सुलभ होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री श्रीमद् ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद : श्रीमद्भगवद्गीता, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, 1983, मुंबई
2. डॉ० खुशदीप बंसल : श्रीमद्भगवद्गीता, महावस्तु, प्रथम संस्करण, 2020, नई दिल्ली
3. ऋग्वेद
4. प्रश्न उपनिषद्
5. ब्रह्म-संहिता
6. बृहद् आरण्यक उपनिषद्
7. बृहद् विष्णु स्मृति
8. बृहन्नारदीय पुराण

राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापको की जीवन सन्तुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश पाल सिंह *

प्रस्तावना - शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाने में अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्यापक के द्वारा ही बालक में सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक गुण विकसित किये जाते हैं। बालको को शिक्षा प्रदान करना अध्यापको का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए प्राचीन काल में अध्यापक द्वारा बालको को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। परन्तु आज आधुनिक युग में शिक्षा का व्यावसायीकरण होने के कारण अध्यापको को जितना वेतन प्रदान किया जाता है उससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। और उनका संतुष्टि का स्तर बढ़ता है अध्यापको में और पाने की इच्छा निरन्तर बनी रहती है। अध्यापक को जितना उनके पास है। उसी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए तभी वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है अन्यथा अपने जीवन में असंतुष्ट अध्यापक बालको में उच्च आदर्श व नैतिक गुणों का विकास नहीं कर सकता है।

वर्तमान युग में जीवन संतुष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संतुष्टि के बिना व्यक्ति सुख व समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। जीवन संतुष्टि मनोविज्ञान व वातावरणीय जीवन परिस्थितियों से सम्बन्धित बहुआयामी प्रत है तथा यह किसी व्यक्ति के अच्छे जीवन, जीवन की गुणवत्ता तथा आनन्द से सम्बन्धित है। विल्सन (1968) का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं से संतुष्ट है तो वह पूरी तरह से सुखद होगा।

एक ऐसा जीवन जिसके साधारण इच्छाओं की पूर्ति में संतुष्टि शामिल होती है और जो हमारे लिए अत्यधिक आनन्दमय होता है। ये इच्छाएँ अनेक व्यावहारिक क्रियाओं जो व्यक्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारों से सम्बन्धित है अथवा वातावरण में जैसे सामाजिक, मानसिक व शारीरिक वातावरण से संबंधित है। जीवन संतुष्टि में आनन्द प्राप्ति की क्षमता सम्मिलित होती है। जितना अधिक हम अपने जीवन में प्राप्त कर उससे खुश रहते हैं, उससे हमें अधिक संतुष्टि होती है। उच्च संतुष्टि वाले व्यक्ति से यह आशा होती है कि उसका जीवन के साथ सुखद समायोजन होगा तथा जिनका संतुष्टि स्तर कम है, उनका जीवन के साथ कम सुखद समायोजन होगा। जीवन संतुष्टि स्वनिर्णय द्वारा जीवन की प्रसन्नता में मूल्यांकन से संबंधित है। जीवन संतुष्टि के दो पक्ष हैं- सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। एक तरफ तो यह व्यक्ति के समायोजन व प्रगति के लिए आवश्यक है, परन्तु दूसरी तरफ यह प्रगति को रोकता भी है। यह ऐसा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसके लिए मानव अपने सम्पूर्ण जीवन काल में तरसता रहता है। एक व्यक्ति की जीवन संतुष्टि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हो सकते हैं। अघ्न के आधार पर निम्न कारको को लिया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य - शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य

निर्धारित किये हैं:

1. राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि तुलनात्मक अध्ययन।
2. राजकीय विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
3. राजकीय विद्यालय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष व महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
4. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
5. राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष+महिला) की जीवन सन्तुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध की परिकल्पनाएं :

1. राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
2. राजकीय विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
3. राजकीय विद्यालय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष व महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
4. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
5. राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष+महिला) की जीवन सन्तुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

शोध का सीमांकन - यह अध्ययन केवल बागपत जनपद तक ही सीमित है। इसमें राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 60 अध्यापको की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन के लिये लिया जायेगा।

जनसंख्या एवं न्यादर्श - प्रस्तुत शोध अध्ययन में बागपत जनपद के राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक शोध की जनसंख्या है। न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया न्यादर्श हेतु बागपत जनपद के राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 60 अध्यापको को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

अनुसंधान उपकरण - शोधकर्ता द्वारा ने समस्या के विशिष्ट स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये डॉ० व्यू०जी० आलम व रामजी श्रीवास्तव द्वारा निर्मित 'जीवन सन्तुष्टि मापनी' (Life Satisficed Scale) का प्रयोग किया है। इसमें कुल 60 प्रश्न कथन है। जिनमें कथनों के उत्तर हां व

नहीं में दिये गये है। हां के लिये +1 व नहीं के लिये -1 अंक निधारित है। इनमें से किसी एक पर सही (1) का निशान लगाकर उत्तरदाता को अपना मत व्यक्त करना है।

तालिका - 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि राजकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 48.5 तथा विद्यालयों के शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 39.3 है। इन दोनों समूहों के मध्य परिगणित टी का मान 10 हैं जो टी तालिका मान से अधिक है तथा 0.01 व 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है। इस प्रकार राजकीय विद्यालय में कार्यरत एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है।

राजकीय विद्यालय में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन संतुष्टि का स्तर अनुदानित विद्यालय में कार्यरत पुरुष शिक्षकों से अधिक है। इसका कारण यह है कि राजकीय विद्यालय में कार्यरत प्रमुख शिक्षकों को वेतन प्रोन्नति के अवसर, स्थायित्व एवं अन्य सुविधायें अधिक है। आर्थिक दृष्टि से सबल होने के कारण ये पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन में भी अधिक साथ ही सामाजिक रूप से भी अधिक प्रतिष्ठित है इसके विपरीत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के वेतन, प्रोन्नति के कम अवसर एवं अस्थायित्व को भावना अधिक है। आर्थिक दृष्टि से भी अधिक सबल न होने के कारण इनका पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। समाज में भी इन्हें वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। राजकीय विद्यालया में कार्यरत पुरुष शिक्षकों का जीवन सन्तुष्टि का स्तर विद्यालय में कार्यरत पुरुष शिक्षकों से अधिक है।

तालिका - 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 2 के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों मेकी महिला शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 46.3 तथा विद्यालयों के शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 40.96 है। इन दोनों समूहों के मध्य परिगणित टी का मान 5.39 हैं जो टी तालिका मान से अधिक है तथा 0.01 व 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त होती है। इस प्रकार राजकीय विद्यालय में कार्यरत एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों मेकार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन संतुष्टि का स्तर अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों से अधिक है। इसका कारण यह है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों को वेतन प्रोन्नति के अवसर, नौकरी स्थायित्व एवं अन्य सुविधायें अधिक है। साथ इन्हें अपने परिवार के लिये अधिक समय उपलब्ध रहती है। ये अपने शिक्षण कार्य के साथ-साथ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी भलीभांति निर्वहन करने में समर्थ है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने के कारण भी ये अपने जीवन में अधिक संतुष्ट है। अतः इनकी जीवन संतुष्टि का स्तर विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों से अधिक है।

तालिका - 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 3 के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि राजकीय विद्यालयों की व पुरुष महिला शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 48.5 तथा राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों

का मध्यमान 46.3 है। इन दोनों समूहों के मध्य परिगणित टी का मान 1.02 हैं जो टी तालिका मान से कम है तथा 0.01 व 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना को स्वीकृत होती है।

इस प्रकार राजकीय विद्यालयों में कार्यरत एवं पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों का जीवन सन्तुष्टि का स्तर समान हैं इसका कारण यह है कि दोनों का समान सुविधायें, समान वेतन प्रोन्नति के अवसर, नौकरी, में पूर्ण सुरक्षा तथा पारिवारिक दायित्वों के लिये, पर्याप्त समय तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं समान समाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। अतः दोनों की जीवन सन्तुष्टि व उच्च स्तर की पायी गयी।

तालिका-4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 4 के अध्ययन से ज्ञात होता है, अनुदानित विद्यालय में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 39.3 तथा अनुदानित विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 40.96 है। इन दोनों समूहों के मध्य टी परिगणित टी का मान 1.93 हैं जो टी तालिका मान से कम है। अतः यह 0.01 व 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इसीलिये शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों का जीवन सन्तुष्टि का स्तर समान हैं इसका कारण यह है कि दोनों में नौकरी के प्रति असुरक्षा की भावना, पर्याप्त वेतन व अन्य सुविधाओं की कमी, निम्न आर्थिक स्तर व जीवन में समझौतेवादी दृष्टिकोण समान है। साथ ही कार्य एवं प्रबन्धन के अनावश्यक दबाव के कारण मानसिक तनाव समान है। इस कारण ये अपने दाम्पत्य जीवन एवं परिवार में अपेक्षित व्यवहार सहते है। सामाजिक रूप से भी इनकी प्रतिष्ठा का स्तर कम है। अतः इनकी जीवन संतुष्टि का स्तर निम्न व समान है।

तालिका-5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 5 के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि राजकीय विद्यालय में शिक्षकों (पुरुष+महिला) के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 47.4 तथा पोषित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष+महिला) के जीवन सन्तुष्टि प्राप्तांकों का मध्यमान 40.13 है। इन दोनों समूहों के मध्य टी का गुणात्मक मान 11.35 हैं जो टी तालिका मान से अधिक है। अतः यह 0.01 व 0.05 स्तर पर सार्थक है। इसीलिये शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है।

इस प्रकार राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) की जीवन सन्तुष्टि के स्तर में सार्थक अन्तर है। राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) की जीवन सन्तुष्टि का स्तर अनुदानित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) को उच्च वेतन व अन्य सुविधाओं के कारण जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुख समृद्धि के साधनों के उपयोग की दक्षता प्राप्त है।

साथ ही उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं पारिवारिक दायित्वों एवं सामाजिक सक्रियता के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध है। इसके विपरीत पोषित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) को कम वेतन व कम सुविधाओं के कारण जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में जटिलता का समाना करना पडता है एवं

समझौतावादी दृष्टि कोण अपनाने को बध्य होना पडता है। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, मानसिक तनाव के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास एवं सामाजिक सक्रियता के लिये समय का अभाव रहता है। अतः राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) का जीवन अन्तुष्टि का स्तर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) में अधिक है।

इसका कारण यह है कि राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) को योग्यता व क्षमताओं के प्रदर्शन के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता, कार्य के नियत घण्टे, प्रोन्नति के अधिक व उचित अवसर, शिक्षणोत्तर दायित्वों से मुक्ति, प्रबन्धन में अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति कार्य के दबाव में मुक्ति, साथ ही सहकर्मियों का सहयोगिता पूर्ण व्यवहार इत्यादि स्वविप्रपोषित विद्यालय में शिक्षकों (पुरुष + महिला) की अपेक्षा अधिक है।

निष्कर्ष:

1. राजकीय विद्यालय में कार्यरत एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है।
2. राजकीय विद्यालय में कार्यरत एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर है।
3. राजकीय विद्यालयों में कार्यरत एवं पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष + महिला) की जीवन सन्तुष्टि के स्तर में सार्थक अन्तर है।

प्रत्येक अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्वज्ञात है कि व्यक्ति के संतुष्ट होने का उसके व्यक्तित्व, कार्यक्षमता, निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतियोगिता के युग में प्रत्येक व्यवसाय में भाग दौड़ की स्थिति है। इस होड़ के कारण संतुष्टि नाम का भाव कहीं खो गया है। प्रस्तुत शोध के आधार पर यही जानने का प्रयास किया जायेगा कि सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों में से किस प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों का जीवन संतुष्टि का स्तर उच्च है। किस प्रकार उच्च आकांक्षा स्तर एवं असीमित इच्छायें तथा उच्च आकांक्षा असंतुष्टि

का कारण बनती है तथा व्यक्ति को अपनी ईहलीला समाप्त करने की स्थिति में ला खड़ी करती है।

सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों और गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन उनके प्रशिक्षण कार्यभार व छात्रों की संख्या में असमानता देखने को मिलता है। इस कारण हो सकता है कि दोनों विद्यालयों के अध्यापकों की जीवन संतुष्टि में विभिन्नता है। जहाँ तक जीवन संतुष्टि पक्ष से संबंधित शोधों के अध्ययन का प्रश्न है। अधिकतम अध्ययन विदेशों में हुए हैं तथा बीमारों, विकलांगों, नर्सों, कार्यरत तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों से संबंधित है। शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग शिक्षक पूर्णतः उपेक्षित रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लाल रमन बिहारी (2007) 'भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं', रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ।
2. सक्सेना एन० आर० स्वरूप, चतुर्वेदी शिखा (2007) 'उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षक' आर लाल बुक डिपो।
3. शर्मा आर. ए. (2005) 'शिक्षा अनुसंधान' आर० लाल० बुक डिपो, मेरठ, पेज नं० 99-121।
4. मूरजनी जे.डी. और गेरानी ममता (2004) 'कॉलेज स्टूडेंट्स के जीवन संतोष और सामान्य अध्ययन का एक अध्ययन साइको-लिंगू', साइको-भाषाई एसोसिएशन इंडिया (पीएलएआई), आगरा। वॉल्यूम-34 (1)।
5. कौल, लोकेश (2005) 'मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन', रिसर्च विकास पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, नई दिल्ली, पीपी 91-92।
6. रानी सी. शोभा और देवी एम. शारदा (2007) 'विवाहित कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं की जीवन संतुष्टि', मानसिक-सांस्कृतिक आयानों की प्राची जर्नल, वॉल्यूम 23(2)।
7. अहमद अनीस अहमद फुजैल, 'वृद्ध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के जीवन की संतुष्टि', सामुदायिक मार्गदर्शन और अनुसंधान के जर्नल, नील कमल प्रकाशन हैदराबाद, वॉल्यूम.26 नंबर 3।
8. दास इरा और सत्सगी अर्चना, 'सैटिरफैक्शन के निर्धारक के रूप में ऑफ साइकोमेट्री एंड एजुकेशन', शिप्रा वॉल्यूम 38 (आई), ।
9. सूक डॉ. रंजेंदर (2009), 'शिक्षक की प्रभावित करने जीवन संतुष्टि को वाले कारक एट्र ट्रेक', नील कमल पब्लिकेशन प्रा लिमिटेड सुल्तान बाजार हैदराबाद वॉल्यूम-9 नंबर, 12.।

राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का मध्यमान, मानक विचलन, (t) अनुपात को दर्शाने वाली तालिका - 1

समूह के प्रकार	समूह के प्रयोज्यों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	(t)मान	सार्थकता स्तर
राजकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षक	30	48.5	2.70	10	0.01 व 0.05 पर सार्थक
अनुदानित विद्यालय के शिक्षक	30	39.3			

राजकीय विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि मध्यमान, मानक विचलन (t) अनुपात को दर्शाने वाली तालिका - 2

समूह के प्रकार	समूह के प्रयोज्यों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	(t)मान	सार्थकता स्तर
राजकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षक	30	46.3	5.11	5.39	0.01 व 0.05 पर सार्थक
अनुदानित विद्यालय के शिक्षक	30	40.96	1.87		

राजकीय विद्यालय व अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष व महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का मध्यमान, मानक विचलन (t) अनुपात को दर्शाने वाली तालिका - 3

समूह के प्रकार	समूह के प्रयोज्यों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	(t)मान	सार्थकता स्तर
राजकीय विद्यालयों के पुरुष शिक्षक	30	48.5	2.70	1.02	0.01 व 0.05 पर असार्थक
राजकीय विद्यालय की महिला शिक्षक	30	46.3	5.11		

अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षकों की जीवन सन्तुष्टि का मध्यमान, मानक विचलन (t) अनुपात को दर्शाने वाली तालिका- 4

समूह के प्रकार	समूह के प्रयोज्यों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	(t)मान	सार्थकता स्तर
अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षक	30	39.3	4.32	1.93	0.01 व 0.05 पर सार्थक नहीं
अनुदानित विद्यालय की महिला शिक्षक	30	40.96	1.87		

राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (पुरुष+महिला) की जीवन सन्तुष्टि का मध्यमान, मानक विचलन (t) अनुपात को दर्शाने वाली तालिका- 5

समूह के प्रकार	समूह के प्रयोज्यों की संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	(t)मान	सार्थकता स्तर
राजकीय विद्यालयों के पुरुष+ महिला शिक्षक	30	47.4	3.91	11.35	0.01 व 0.05 पर सार्थक
अनुदानित विद्यालय के शिक्षक पुरुष+ महिला	30	40.13	3.10		

भारतीय लोकपाल : एक परिचयात्मक अध्ययन

डॉ. वंदना शर्मा *

शोध सारांश – प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में भ्रष्टाचार चिरकाल से चला आ रहा है। यह एक सर्वव्यापक बुराई हो गयी है। जिसने जीवन के हर क्षेत्र को इस सीमा तक प्रभावित कर दिया है कि अब तो इसे जीवन पद्धति के रूप में ही माना जाने लगा है। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी तंत्र की नैतिक व्यवस्था को ही क्षति पहुँचाता है। अपितु नागरिकों के सदाचार को भी नष्ट कर देता है। जनप्रतिनिधि एवं लोकसेवक अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना आज की एक महती आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन की समस्या में समाधान हेतु आवश्यक है कि एक ऐसा अधिकरण बनाया जाय जो नागरिकों में विश्वास के यह भावना जाग्रत कर सके कि उनकी शिकायतों का न्यायोचित एवं सम्यक् रूप से विचार किया जा सकेगा। सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन ने सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों की सहायता के उद्देश्य से 'ओम्बुड्समैन' संख्या का विचार खोज निकाला। जिसे भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से अपनाया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय लोकपाल का एक परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – ओम्बुड्समैन, प्राधिकरण, लोकायुक्त, जन आन्दोलन, सामुहिक क्रोध, लोपाला, न्यायविद्, अधिनियम, बिल, स्टैडिंग समिति, अन्वेषण, विहसल ब्लोअर, अपराधिक, मंत्रालय, आयोग।

प्रस्तावना – भ्रष्टाचार एक ऐसी अपराधिक गतिविधि है, जो कि दीमक की तरह है और देश को खोखला करती जा रही है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सरकार द्वारा एवं अन्य ईमानदार लोगों द्वारा कई सारे तरीके अपनाये जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक लोकपाल बिल है। जिसे कुछ साल पहले पास किया गया है, और इस साल मार्च महीने में पहले लोकपाल की घोषणा भी की गई है। लोकपाल बिल क्या है और इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत में कोई ऐसी जाँच एजेंसी नहीं हैं, जो सरकार से ऊपर हो, जैसे कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आईबी पीएमओ के तहत आता है। इस तरह से भारत में जितनी भी जाँच एजेंसी हैं, वे किसी ना किसी मंत्रालय के तहत आती ही हैं ऐसे में कोई भी एजेंसी अपने ऊपर के विभाग की जाँच नहीं कर सकती है। इसलिए हमेशा एक ऐसी एजेंसी बनाने की मांग की जा रही थी, जो सरकार और मंत्रालयों दोनों से ऊपर हो। अतः भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ऐसी अवधारणा बनाई गई, जो सभी सरकारी विभागों से भी ऊपर हो। और इसे ही लोकपाल बिल कहा गया।

लोकपाल का इतिहास – भारत में लोकपाल शब्द की उत्पत्ति स्वर्गीय कांग्रेस राजनेता श्री लक्ष्मण सिंघवी जी द्वारा सन 1963 में की गई थी। किन्तु यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके पहले से ही मौजूद था, जिसे लोग 'ओम्बुड्समैन' के नाम से जानते हैं। इस कांसेप्ट की शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में सबसे पहले यह आईडिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए निकाला गया था, जोकि वहाँ की जनता के हित में बनाया गया था। दरअसल उनका मानना था, कि कई बार भ्रष्टाचार में जनता की सेवा करने वाले लोग भी शामिल हो जाते हैं, तब हम इससे निपटने के हर समय न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक अलग प्राधिकरण को शुरू करने के लिए इसकी उत्पत्ति की। स्वीडन में इसकी उत्पत्ति सन 1809 में की गई थी। फिर एक के बाद एक दुनिया के कई सारे

देशों में इसे अलग-अलग नाम से शुरू किया गया। हालाँकि सभी का उद्देश्य एक ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना।

भारत में इस कांसेप्ट को लाने का विचार 'लोकपाल' के नाम से सन 1963 में आया था। इसके बाद इसके बारे में कई बार बात की गई। सन 1966 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग, उस दौरान जिसके प्रमुख मोरारजी देसाई जी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें लिखा था, कि अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी है और जनता को इससे राहत देनी है, तो भारत में एक लोकपाल कांसेप्ट को लाना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह भी कहा कि 'लोकपाल' केन्द्रीय स्तर के लिए होना चाहिए और राज्य स्तर पर इसके लिए कार्य करने के लिए 'लोकायुक्त' होना चाहिए। किन्तु उस दौरान भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद सन 1968 में इस बिल को संसद में पेश किया गया था, वहाँ भी इसे पास नहीं किया गया। फिर तब से लेकर सन 2011 तक 8 बार इस बिल को पास किये जाने के बारे में बात होती रही। किन्तु जनता को इसके बारे में सही से जानकारी नहीं होने की वजह से इसे पास नहीं किया गया और सरकार द्वारा भी अधिक महत्वता नहीं दी गई। सन 2002 में बात उठी, की लोकपाल बिल पास होना चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री को इससे दूर रहना चाहिये, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी होती है। सन 2005 में फिर से इसे पेश किये जाने के बारे में बात की गई, किन्तु इस बार भी इस बिल को पास नहीं किया जा सका। सन 2011 में, सरकार ने प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। उसमे यह चर्चा हुई, कि किस तरह से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है। और तभी से इस बिल को पास करने के बारे में बेहतर तरीके से चर्चाएँ शुरू हो गईं। इसमें भारत के एक समाज सुधारक एवं कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने आन्दोलन कर जन लोकपाल बिल पास करने के लिए भारत की सरकार के ऊपर दबाव डाला।

अन्ना हजारे का 'जन लोकपाल बिल आन्दोलन' – समाज सुधारक एवं कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल को भारत में पास कराने के लिए सन 2011 में 'जन लोकपाल बिल आन्दोलन' शुरू किया। इस आन्दोलन को शुरू करने का अन्ना हजारे जी का भी एक मात्र उद्देश्य था, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बेहतर तरीके अपनाएँ और उसे लागू करना। उनका कहना था, कि देश में राजनेताओं और सरकारी सेवकों द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया जाता है, तो सरकार की अनुमति के बिना उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए, जोकि सरकार से भी ऊपर हो। इसके लिए लोकपाल की नियुक्ति आवश्यक है और इसके अंदर में निष्पक्ष हो कर सभी जाँच की जायें। इस तरह से इस आन्दोलन के दौरान अन्ना हजारे जी ने देश की जनता को इससे अवगत कराया, कि असल में यह होता क्या है और इससे क्या फायदा है। इससे जनता को इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त हुई। हालाँकि यह किस तरह से काम करता है, यह जानकारी जनता को नहीं दी गई, किन्तु उन्होंने जनता को इस कांसेप्ट को बेहतर तरीके से समझाया। अन्ना हजारे जी द्वारा किये गए आन्दोलन में अन्ना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 दिन का अनशन किया था। हालाँकि उन्होंने इस बिल को पास कराने के लिए आमरण अनशन करने की बात की थी, किन्तु उस दौरान इस बिल को पास करने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।

इस आन्दोलन में अन्ना हजारे जी के साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, श्री श्री रविशंकर, मल्लिका साराभई, सुप्रीमकोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संतोष हेगड़े और आरटीआई कार्यकर्ता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आदि लोग भी शामिल थे। यह न सिर्फ एक जन लोकपाल बिल आन्दोलन था, बल्कि इसे 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' भी कहा जाता है। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के लोगों के सामूहिक क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तरह से अन्ना हजारे जी का इस लोकपाल बिल को पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था।

भारतीय लोकपाल – 'लोकपाल' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'लोपाला' से हुई है, जिसका मतलब होता है 'लोगों की देखभाल करने वाला'। अतः लोकपाल शब्द से ही पता चलता है, कि यह जनता के हित के लिए होता है। दरअसल लोकपाल एक भ्रष्टाचार/विरोधी प्राधिकरण है, जो भारत के गणतंत्र में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है।

लोकपाल एवं उसके सदस्य के लिए पात्रता मापदंड – लोकपाल एक बाँडी है, जिसमें एक चेयरपर्सन यानि अध्यक्ष होता है और इसके अलावा इसमें 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों के चयन के लिए निम्न पात्रता निर्धारित की गई है :

1. लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है लोकपाल या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
2. इसके अलावा उन लोगों को भी लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो एक निर्दोष, ईमानदार और बेहतरीन योग्यता वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। साथ ही उन्हें कुछ विशेष श्रेणियों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और उसमें विशेषज्ञता होनी भी आवश्यक है। वे व्यक्ति लोकपाल के अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होंगे। वे कुछ विशेष श्रेणी भ्रष्टाचार
3. विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग सहित वित्त एवं कानून और प्रबंधन से सम्बंधित हो सकती है।

4. लोकपाल के सदस्यों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य और 50% सदस्य एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलायें होती हैं। लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य हैं, वह या तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या एक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, उनके लिए वहीं पात्रता मापदंड हैं, जोकि लोकपाल अध्यक्ष के लिए हैं।

5. एक लोकपाल की अधिकतम उम्र 70 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर के किसी भी उम्रीदवार को लोकपाल के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

लोकपाल की चयन प्रक्रिया – लोकपाल का चयन लोकपाल चयन समिति द्वारा किया गया था। इस समिति में 5 लोग होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। लोकपाल चयन समिति में शामिल होने वाले 5 लोगों में पहले देश के प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथे विपक्ष के अध्यक्ष और पाँचवें एवं अंतिम राष्ट्रपति द्वारा चयनित एक प्रसिद्ध न्यायविद आदि होते हैं। इस समिति द्वारा ही लोकपाल का चयन होता है।

इस साल देश के पहले लोकपाल का चयन किया गया है, जोकि पिनाकी चंद्र घोष जी है। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी एवं प्रसिद्ध न्यायविद पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आदि की एक समिति द्वारा किया गया है। इस समिति में विपक्ष के अध्यक्ष शामिल नहीं थे। क्योंकि समिति में शामिल होने के लिए विपक्षी दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% से अधिक सीटें होनी चाहिए। जोकि इस साल के लोकपाल के चयन के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं थी। इसलिए इसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया था।

भारत में लोकपाल बिल की मंजूरी के बाद लोकपाल की नियुक्ति लोकपाल बिल को सन 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त, दोनों के रूप में संसद के दोनों सदनो में पास कराया गया। इसके बाद सन 2016 में लोकसभा ने लोकपाल अधिनियम में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की और इस बिल की समीक्षा के लिए इसे एक स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजा गया।

इस तरह से भारत में लोकपाल बिल को मंजूरी मिली एवं पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई।

लोकपाल बिल की मुख्य विशेषताएँ :

1. भ्रष्टाचार के विरोध में पास किये गए इस बिल में यह बताया गया है, कि केंद्रीय स्तर पर इसके लिए लोकपाल नियुक्त होंगे और राज्य स्तर पर इसके लिए लोकायुक्ता की नियुक्ति होगी।
2. राज्य स्तर में राज्यों को इस अधिनियम के शुरुआत में एक साल के अंदर लोकायुक्त का गठन करना होता है।
3. लोकपाल द्वारा संबन्धित मामलों में परिक्षण करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जायेगा।
4. लोकपाल प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के लोक सेवकों को कवर करता है। यदि उन्हें पता लगता है, कि उनके खिलाफ कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो लोकपाल इसके लिए अपनी जाँच शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भले ही अन्य एजेंसी द्वारा जाँच की जा रही हो, फिर भी वे खुद से अपनी तरफ से जाँच शुरू कर सकते हैं। सशस्त्र बल लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं।

5. हालांकि लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री जी को कुछ छूट दी गई है। दरअसल जब प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो लोकपाल कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोकपाल के अन्य 8 सदस्यों की सहमति भी होना आवश्यक होती है। इसमें एक चीज यह भी है, कि कुछ चीजों में लोकपाल प्रधानमंत्री जी को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मामलों में, आंतरिक या बाहरी सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस आदि में। इन सभी मामलों में प्रधानमंत्री जी को छूट दी गई है। इससे यह समझ आता है, कि हालही में राफेल हेलीकॉप्टर का मुद्दा सामने आ रहा है, तो इस मामले की जाँच करने की शक्ति लोकपाल के पास नहीं होगी।

6. इसके अलावा यदि लोकपाल या लोकायुक्त के किसी अधिकारी के खिलाफ किसी भी शिकायत की जाँच आती है और वह आरोप सही पाया जाता है, तो अधिकारी 2 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया जाएगा।

7. लोकपाल बिल में यह अनिवार्य किया गया है, कि जो भी लोक सेवक होंगे, उन्हें अपने पूरे परिवार, जमीन - जायदाद और उनकी देनदारियों की घोषणा पहले से करनी होगी।

8. इस अधिनियम में यह भी सुनिश्चित किया गया है, कि सार्वजनिक कर्मचारी जो विस्सल ब्लोअर के रूप में कार्य करते हैं, वे इसमें सुरक्षित है। यानि यदि कोई नागरिक का सरकारी काम या अन्य इस तरह का कोई काम निर्धारित समय में नहीं किया जाता है, तो वह लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकता है। जिससे किसी भी सरकारी कार्यालय में लोकपाल दोषी अधिकारियों पर वित्तीय जुर्माना लगा सकते हैं और शिकायत करने वाले को यह मुआवजे के रूप में प्रदान कर सकते हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा का पूरा दायित्व भी लोकपाल अपने सिर लेते हैं। इस तरह से इसके लिए एक अलग विस्सल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है।

9. यदि लोकपाल की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या वे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके स्थान पर लोकपाल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अगले लोकपाल की नियुक्ति तक पदभार संभालने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा यदि लोकपाल किसी कार्य के चलते उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी जगह भी लोकपाल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को दी जाती है।

लोकपाल की शक्तियाँ :

1. लोकपाल के पास केंद्र सरकार पर उनके सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने और उससे जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार होता है।
2. लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जाँच एजेंसी का अधिकार होता है। यदि सीबीआई ने किसी भ्रष्टाचार के आरोपी की जाँच की है और यदि उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो लोकपाल उस एजेंसी द्वारा की गई जाँच की भी जाँच कर सकता है। साथ ही लोकपाल की अनुमति के बिना वह कहीं और स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं।
3. भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले में जाँच के लिए 6 महीने की अवधि तय

की गई है। 6 महीने के अंदर जाँच एवं परिक्षण पूरा किया जायेगा, ताकि कोई भी भ्रष्ट राजनेता, अधिकारी या न्यायाधीश को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाये। हालांकि लोकपाल या लोकायुक्त एक बार में 6 महीने के एक्स्टेंशन की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के एक्स्टेंशन की जरूरत के लिए लिखित आवेदन देना होगा।

4. लोकपाल के पास यह भी शक्ति होती है, कि यदि उनके पास कोई गलत शिकायत आती है, जोकि पूरी तरह से बेबुनियाद है, तो लोकपाल शिकायत करने वाले व्यक्ति या संगठन पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं।

5. इस अधिनियम के तहत यदि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और प्रॉसिक्यूशन पेंडिंग है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है।

इस तरह से लोकपाल के पास यह सारी शक्तियां होती है। जिसका उपयोग वे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए करते हैं।

लोकपाल का वेतन - लोकपाल एवं उसके सदस्यों को वेतन 'कंसोलिडेटेड फण्ड ऑफ इंडिया' के माध्यम से दिया जाता है। चूकी लोकपाल या उसके सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीमकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही होते हैं, इसलिए उनकी पेंशन निर्धारित होती है। तो जब वे लोकपाल के रूप में नियुक्त होते हैं, तो उनके वेतन से उनकी पेंशन की राशि काट ली जाएगी। और बाकी बचे वेतन को उन्हें प्रदान कर दिया जायेगा।

निष्कर्ष - भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पहले ऐसी कोई जाँच एजेंसी नहीं थी जो स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके अन्ना हजारे के जन आन्दोलन में पश्चात् अनवरत लोकपाल में गठन की मांग उठती रही। सर्वप्रथम 1963 में एक ऐसी संस्था संगठन कर सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने रखा था जो भ्रष्टाचार कुप्रशासन के मामलों की जांच कर सके। किन्तु यह सपना साकार हुआ। 2013 में जब लोकपाल/लोकायुक्त बिल संसद में दोनों सदनो में पास हुआ। 2019 में भारत में प्रथम लोकपाल भी नियुक्ति की गयी। लोकपाल ही एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों में विश्वास को बनाये रखती है किन्तु अभी भी लोकपाल को प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता है। अधिकांश जनता इसके कार्य एवं कार्यप्रणाली के प्रति अनभिज्ञ है। अतः लोकपाल जनता का मित्र बन सके ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, 1963
2. के.स्थानम प्रतिवेदन, 1964
3. डॉनाल्ड सी.रोवट 'द औम्बुड्समैन' (जार्ज एलन एण्ड अनबिल लिमालन्दन, 1966)
4. डी.आर. सक्सेना, 'औम्बुड्समैन' (लोकपाल) नयी दिल्ली: दीप एण्ड दीप प्रकाशन, प्रकाशन, 1987
5. एम.पी.जैन, 'लोकपाल : औम्बुड्समैन इन इण्डिया', (नयी दिल्ली : ए एकेदमिक बुक लि.1970)

भारतीय राजनीति का अनीतिशास्त्रीय आचरण

डॉ. सोमवती शर्मा*

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संसदीय लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, हमने लोकतंत्र की मूल विचारधारा को स्वीकार करके समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक समता, समरसता, एकात्मकता, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुत्व और साम्प्रदायिक सद्भाव जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया है। भारतीय राजनीति में अनीतिगत आचरण में सुधार के लिए विभिन्न सुझावों को ध्यान रखकर हम राजनीति को नीतिशास्त्र पर अवलम्बित कर उसने आवश्यक परिमार्जन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यही इस शोध पत्र का मुख्य आशय है।

शब्द कुंजी – अनीतिशास्त्रीय, स्वार्थवादी, व्यक्तिपरक, राष्ट्रवादी, आतंकवाद, अलगाव, अनैतिकता, अविश्वास, सत्ता, भोग, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवादी राजनीति, उपभोक्ता, योजनाबद्ध, कट्टरपंथी, तुष्टीकरण, अन्ततोगत्वा, लोकतान्त्रिक, दायित्वहीनता, लोक नियन्त्रण, विश्वासघात।

प्रस्तावना – प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आदर्श प्रतिरूप का समर्थन करती है। इसके उच्च नैतिक आधार रहे हैं। किन्तु भारतीय राजनीति में धीरे-धीरे 'मूल्यों' की अपेक्षा 'सत्ता प्राप्ति' पर बल दिया जाने लगा। आज शक्ति, स्वार्थ, शोषण और सत्ता पर आधारित राजनीति का स्वरूप अत्यन्त धिनौना हो गया है। इससे भारतीय राजनीति में अस्थायित्व एवं अविश्वसनीयता का खतरा उत्पन्न हो गया है। आज राजनीति ने लोक विश्वास को भुलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर का यह कथन विचारणीय है कि 'यदि देशवासी राजनीतिज्ञों को सतर्क रखने में चूक गए तो भविष्य में उन्हें गुण्डों की, गुण्डों द्वारा और गुण्डों के लिए सरकार का संताप भोगना पड़ेगा। फिर झूठ का बोलबाला होगा और सत्य को देश निकाला!'

भारतीय राजनीति का अनीतिशास्त्रीय आचरण कारण एवं दिशा निर्धारण – भारतीय राजनीति के अनीतिगत आचरण में सुधार के लिए उन कारणों को जान लेना आवश्यक है जो इसकी गलत दिशा एवं विकृत स्वरूप के लिए उत्तरदायी रहे हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नांकित हैं-

1. राष्ट्र चिन्तन एवं चेतना का अभाव – देश की राजनीति के विकृत स्वरूप के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण देश के नेतृत्व, राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों में राष्ट्रवादी चिन्तन का अभाव होना है। जब नेताओं का चिन्तनस्वार्थवादी, व्यक्तिपरक और स्व-केन्द्रित होगा तो देश की राजनीतिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होगी ही।

2. आदर्शों से जुड़े राष्ट्रार्पित आचरण का अभाव हमारे राजनेता छोटे-छोटे स्वार्थों से बंधे हैं। सतही सिद्धान्तों, स्वार्थ पर केन्द्रित सोच और शब्द-पाखण्ड के द्वारा ये जनता को गुमराह करते रहते हैं।

आजादी के बाद राजनेताओं ने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करके इस देश के लोगों को केवल मतदाता, केवल पेट, केवल उपभोक्ता और केवल मजहब बनाने की योजनाबद्ध ढंग से चाल चली। उनकी दृष्टि यह रही कि नागरिक केवल शुद्ध बातों में उलझे रहें और वे स्थायी रूप से सत्ता का सुख भोगते रहें। स्वार्थ केन्द्रित आचरण के कारण हमारा अन्तर्यामी

भी आँख मूँद लेता है और जब वह आँख खोलता है तो हमारे 'स्व' को हमारा ही 'स्वार्थ' निगल चुका होता है। हमारी निजी, जातीय, वर्गीय और मजहबी इच्छाओं का उन्माद हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा को कुचल देता है। किन्तु देश के राजनेताओं ने अपने राष्ट्रार्पित आचरण को भुलाकर अपने कपटमय व्यवहार से इस देश को छलने का प्रयास किया है। वे सदैव अपने विलासपूर्ण जीवन और भौतिक वैभव के कर्क रोग से पीड़ित रहे। फलतः देश की राजनीति अनीतिगत आचरण के मार्ग पर अग्रसर होती रही।

3. स्वतन्त्र सोच एवं सिद्धान्तों का अभाव – भारतीय राजनीति के प्रदूषित होने का एक कारण हमारे राजनेताओं के पास स्वयं की स्वतन्त्र सोच का अभाव होना भी है। राजनीतिक नेतृत्व सत्ता के में फँसकर विदेशी ताकतों के पास अपने सिद्धान्त एवं नीतियाँ गिरवी रख देता है। सत्तालोलुप राजनीतिक दल आपसी समझौते एवं गठबन्धन करके समाज व राष्ट्र के हितों की बलि चढ़ा देते हैं।

4. साध्य की अपेक्षा साधन को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति – भारतीय राजनीति के विकास में बाधक बनने का वाला तत्त्व यह भी है कि राजनेताओं ने लोकहित व जनकल्याण के साध्य पर ध्यान देने की अपेक्षा शक्ति, सत्ता और वैभव को ही अपना लक्ष्य मान लिया। उन्होंने आदर्श मूल्यों की पालना के बजाए स्वार्थ पूर्ति को ही अपना ध्येय बना लिया। मूल्यों के आधिकारिक वितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति का अर्जन राजनीति कहलाती है। किन्तु आज राजनेता 'मूल्यों' की बात भूलकर केवल शक्ति व सत्ता अर्जन में मशगूल हो गए हैं। प्लेटो व अरस्तू से लेकर हीगल व मार्क्स तक की राजनीतिक व्यवस्था आदर्शवादी प्रतिरूप पर आधारित थी। किन्तु साधन को ही 'साध्य' मान लेने की प्रवृत्ति के कारण भारतीय राजनीति आदर्शवाद से मुक्त हो चुकी है।

5. परम्पराओं और आधुनिकता में परस्पर विरोध की प्रवृत्ति – मोदी एवं मोदी के अनुसार भारतीय राजनीति में परम्पराओं और आधुनिकता में परस्पर विरोधाभास की प्रवृत्ति बहुत है और इस आधार पर कई राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बनाये हुए हैं।

तुष्टीकरण की नीति – राजनीति में 'तुष्टीकरण' एक बड़ा हथियार है।

तुष्टीकरण की नीति के द्वारा राजनेता तथा राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। दबाव समूहों, जाति-समूहों, सामाजिक वर्गों, विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, व्यापार संघों, कर्मचारी संघों, महिला व किसान संगठनों आदि के हितों व स्वार्थों की तुष्टि को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं।

7. अकर्मण्य नागरिकता – राजनीतिक विकास की दिशा में यह कैसे संभव है कि हम राजनेताओं से तो सचित्र की उम्मीद करें और नागरिक स्वयं अनैतिकता की राह पर चलने की आकांक्षा पाले रहें राजनीतिक विकृतियाँ तब ही उत्पन्न होती हैं जब नागरिकता अकर्मण्य हो जाती है और जनमत अस्पष्ट और शिथिल पड़ जाता है।

8. कमजोर संविधान – अनेक मुद्दों के संदर्भ में आज यह सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या भारतीय संविधान इस स्थिति में है कि वह भविष्य में भारतीय लोकतंत्र को आवश्यक सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान कर सकेगा ? संसदीय प्रणाली की सबसे कमजोर बात यह है कि इस व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिज्ञों को जिम्मेदार बनाने वाले उपाय नहीं अपनाए गए। संवैधानिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि आज सम्पूर्ण राजनीति सौदेबाजी अर्थात् कि राजनीतिक बलेकमेल पर आकर टिक गई है।

9. शिथिल एवं अप्रभावी कानूनी व्यवस्था – हमारे देश में राजनीतिक अपराधों एवं भ्रष्टाचार के मामलों में कानून एवं न्याय व्यवस्था बहुत ही लचर एवं अप्रभावी रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 'कानून' अपराध को संरक्षण प्रदान करने वाले सिद्ध होते जा रहे हैं जब तक हमारे पास भ्रष्टाचारी राजनेताओं को दण्डित करने वाले प्रभावी कानून नहीं होंगे, तब तक देश में राजनीतिक एवं कानून पनपते रहेंगे।

10. अन्य कारण – राजनीति में बढ़ते हुए अनीतिशास्त्रीय आचरण के पीछे अन्य कोई महत्त्वपूर्ण कारण भी हैं। राजनीति में सत्ता के लिए बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा इनमें से एक राजनीतिक दलों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा इनके लिए राजनीति एक व्यवसाय बन गई है।

मानव में आर्थिक लालच भी बढ़ता जा रहा है। लोग राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करके कोई महत्त्वपूर्ण पद हासिल करके 'रातों-रात धनी बन जाना चाहते हैं'। आज राजनीति में 'धन' ही सफलता का मापदण्ड बन गया है। राजनीतिज्ञों में स्वार्थ की भावना निरन्तर बढ़ती जा रही है वे प्रायः अपने निर्णय अपने ही हितों को ध्यान में रखकर लेने लगे हैं। समाज के हितों की अवहेलना की जा रही है। राजनेताओं में चरित्र व भरोसे

भारतीय राजनीति के अनीतिशास्त्रीय आचरण में सुधार हेतु सुझाव एवं दृष्टि – भारतीय राजनीति आज नैतिक अवमूल्यन का तेजी से शिकार हो रही है। आम जनता से सम्पर्क साधिए, समाज में घूमिए, मतदाता से मिलिए, सत्ता के गलियारे में घूमिए, राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलिए, लोकतन्त्र तथा राजनीतिक क्षेत्र का यथार्थ उजागर हो जाएगा। अब भारतीय राजनीति के आचरण में सुधार का समय आ गया है ताकि इसके अवमूल्यन को रोक जा सके।

1. राजनीतिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन – इस वक्त भारत में लोकतन्त्र 'दायित्वहीनता' की बुराई से पीड़ित है। लोकतन्त्र की कोई भी संस्था अपने दायित्व के प्रति सजग नहीं है। भारत में आज जो राजनीतिक व्यवस्था है, वह 'व्यक्तिवाद पर आधारित राजनीति', राजनीतिक सौदेबाजी तथा अस्थिर सरकार के गठन को प्रोत्साहित करती है। अमेरिका में राजनीति को दो भागों में विभाजित करने वाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था के कारण ही लोकतन्त्र सुरक्षित एवं सुदृढ़ है।

2. चैतन्य नागरिकता – देश में सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए न केवल ईमानदार, बुद्धिमान तथा निःस्वार्थ राजनेताओं की आवश्यकता होती है, वरन चैतन्य व जागरूक नागरिकों की भी जरूरत होती है जो सकारात्मक सोच, राष्ट्र प्रेम व संवेदनशील भावनाएँ रखते हों। नागरिकों की निष्क्रियता तथा अज्ञानता के कारण देश में आज भ्रष्ट तथा अपराधी प्रवृत्ति के राजनेताओं का बोलबाला हो गया है। भारत की अधिकांश जनता (45 प्रतिशत) निर्वाचन एवं राजनीति से कोसों दूर रहती है। वह सरकार की नीतियों, राजनीतिक उठा-पटक, सरकारी निर्णयों एवं राजनेताओं के क्रियाकलापों से बेखबर बनी रहती है। भारत में जागरूक नागरिकों के अभाव में राजनीतिज्ञ संविधान की मर्यादाओं की अनदेखी करते हैं तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हैं।

3. राजनीतिक शुचिता – भारतीय राजनीति राजनीतिक प्रताड़ना और प्रतिरोध की पीड़ा भी झेल रही है। राजनीतिज्ञ सत्ता का निष्कण्टक सुख भोगने के लिए अपने मार्ग से विरोधी को हटा देना चाहते हैं। इसके लिए वे 'षडयंत्रकारी राजनीति' का सहारा लेते हैं। साम, दाम, दण्ड, भेद तो राजनीति के पुराने प्रकार हैं। अब राजनीतिज्ञ जोड़-तोड़, छल-छद्म, उकसाना भड़काना, बाहुबल, तस्करी, अपराधियों से साँठ-गाँठ, साजिशें चालें, हिसाब चुकाने आदि हथकण्डों का प्रयोग करके अपने विरोधी को पराजित करते हैं। किन्तु इन सबका खमियाजा जनता को चुकाना पड़ता है। आज सम्पूर्ण राजनीतिक वातावरण राजनेताओं के आपसी वैमनस्य से प्रदूषित हो चुका है जिसे स्वच्छ एवं वित्र बनाये बिना राजनीतिक विकास संभव नहीं है।

4. सिद्धान्तयुक्त राजनीति – देश में रीढ़विहीन राजनीति की स्थिति को समाप्त करना होगा। सिद्धान्तहीन राजनीति पूरी जनता का विश्वास खोती जा रही है। प्रचलित शासन पद्धति पर से लोगों का भरोसा उठ गया। आज की राजनीति का सम्बन्ध 'लोक सेवा' से न होकर 'सत्ता प्राप्ति' से हो गया है। ऐसी दशा में आज यह प्रथम जरूरत बन गई है कि राजनीति में सिद्धान्तयुक्त आधार तैयार किये जाएँ। किन्तु यह तभी संभव है जब राजनीति लोभ लालच, सत्ता की कामना के दल-दल से मुक्त हो।

5. पारदर्शी जाँच एवं संसद की निगरानी – राजनीतिक भ्रष्टाचार की दशा में आरोपों की जाँच पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। जानबूझ कर मनगढ़न्त या दुर्भावना के अन्तर्गत झूठे आरोप लगाने के अपराध में कठोर कानूनी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए आरोप प्रामाणित हो जाने पर उस व्यक्ति को मुकदमा दायर हो जाने के बाद किसी भी सार्वजनिक पद पर बने रहने का तब तक अधिकार नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह निरपराध सिद्ध न हो जाए। कोई भी जाँच किसी भी स्तर पर राजनीतिज्ञ द्वारा प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में भी कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

6. लोक मत का परिष्कार – लोकमत प्रजातन्त्र का प्राण है। लोकमत की उपेक्षा करके कोई भी राजनीतिक व्यवस्था सफल नहीं सकती है। किन्तु लोकमत विवेकपूर्ण एवं समस्त जनता के हित में होना चाहिए। लोकमत संगठित, प्रासंगिक एवं समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए। पं. दीनदयालजी ने कहा था कि जब तक लोकसभा का परिष्कार नहीं किया जाएगा, तब तक सार्थक और सकारात्मक लोकाभिव्यक्ति संभव नहीं है। परिष्कृत लोकमत के अभाव में लोकतन्त्र भीड़तन्त्र बन जाता है। जो दुर्जन और दुराग्रही होते हैं वे अपनी बात मनवाकर समाज के अगुआ बन जाते हैं और धीरे-धीरे लोकतन्त्र एक विकृत रूप में उपरिथत होकर समाज के लिए

कष्टदायक हो जाता है।

7. राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश - आज अपराधियों, राजनीतिज्ञों और विशिष्ट व्यक्तियों के बीच अपवित्र गठबन्धन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों ने पूरे राजनीतिक तन्त्र को अपने शिकंजे में कस रखा है। अब समय आ गया है कि सरकार आपराधिक खलनायकों के विरुद्ध अपने अधिकार एवं वर्चस्व का प्रयोग करे। चुनावी राजनीति पर अंकुश लगाकर राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसके लिए चुनाव प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। गठजोड़ की राजनीति के कारण भी इस दुष्प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। अतः इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। अपराधियों के महिमामंडन पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। मीडिया द्वारा आपराधिक किस्म की पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक उम्मीदवारों का प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। सम्पत्ति की घोषणा की अनिवार्यता, आचरण के नियमों की कड़ाई, सुविधाओं का न्यूनीकरण जैसे कदम उठाकर भी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

8. राजनीतिक भ्रष्टाचार के ब्रह्मरक्षस पर नियंत्रण - आज राजनीतिक भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए एक नये सांस्कृतिक माहौल को उत्पन्न करने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा। हमें धन व सम्पत्ति को बहुत अधिक महत्त्व देना छोड़ना होगा। हमारी उपभोगवादी संस्कृति ने ही भ्रष्टाचार को जन्म दिया है।

चुनाव कानून में सुधार की मांग काफी पुरानी है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुधारों की जरूरत सभी पार्टियाँ महसूस करती हैं लेकिन जब अमल की बात आती है तब मतभेद बाहर आने लगते हैं। सबसे ज्यादा मतभेद चुनावी खर्च जुटाने के तरीके पर है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की प्रत्याशियों के खर्च पर सीमा है। हिसाब भी देना पड़ता है। पर पार्टियों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है और न हिसाब देना जरूरी है। भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा जरिया बन चुका है।

10. साम्प्रदायिकता की राजनीति पर अंकुश - भारत में साम्प्रदायिकता की राजनीति का जहर दिनों-दिन फैलता जा रहा है। 'सम्प्रदाय' जातीय एवं वर्गीय भावना है। साम्प्रदायिक शक्तियाँ देश के राजनीतिक ढाँचे को तहस-नहस करती जा रही हैं। साम्प्रदायिकता जनतंत्र पर सीधा हमला है। साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाले राजनीतिज्ञ राजनीति को अनिवार्यतः एक चुनावी खेल समझने लगे हैं। चुनाव अपने आप में लक्ष्य बन गए हैं। राजनीति अपने अस्तित्व को कायम रखने का हथकंडा भर बनकर रह गई है।

11. जन सहभागिता - लोकतंत्र शासक और प्रशासन की खुली पुस्तक है। अतः जन सामान्य को इसके प्रत्येक पृष्ठ और पंक्ति को पढ़ने का प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए। जनता को सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहमलिनकन ने कहा था कि 'यदि अपने देश को बचाना है, उसका अनुशासन ठीक रखना है और विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो देशवासियों की राजकीय और प्रशासनिक व्यवस्था और संचालन में सक्रिय सहभागिता आवश्यक होगी।'

12. राजनीति का आधार एवं केन्द्र 'धार्मिकता' हो - आज राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत आध्यात्मिक आधार उत्पन्न करने की है। धर्म व्यक्ति को संवेदनशील, सेवानिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा-प्रवृत्ता एवं त्यागशील बनाता है। धार्मिक व्यक्ति सदैव दूसरों के लिए जीना चाहता है। वह स्व-केन्द्रित नहीं होता वह जन कल्याण की भावना से कार्य करता है। अतः राजनेता धर्मनिष्ठ होने चाहिए। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था तभी आदर्श एवं कारगर

हो सकती है जबकि उसको चलाने वाले लोग नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों से सम्पन्न हों। गाँधी ने कहा है कि शासन का आधार नैतिक सत्ता होना चाहिए।

13. प्रभावी कानूनी व्यवस्था - राजनीतिक अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान में हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत ही कमजोर एवं प्रभावहीन है। भारत में हुए विभिन्न राजनीतिक प्रकरणों ने हमारी न्याय व्यवस्था को भी गंभीर चुनौती दे रखी है। अपराध से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान तथा कानून ही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अपराध से सम्बन्धित भारतीय कानून राजनीतिक व्यवस्था में अपराध को संरक्षण देने वाले बनते जा रहे हैं।

14. राजनीतिज्ञों के लिए आचार संहिता - आज संसद और राज्य विधानमंडल अव्यवस्था, हंगामा, धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी के स्थल बन गए हैं। इससे इनकी गरिमा घटती जा रही है। खेद है कि हम पचास वर्ष बाद भी ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार नहीं कर पाए जिनसे देश का मानस आदर्श सीखता। संसद एवं विधानमंडल में असंसदीय बर्ताव भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडम्बना है और चुनौती भी। संसद में सदस्यों के आचरण में उच्च स्तर की गरिमा, शालीनता, परस्पर सम्मान एवं भद्रता अपेक्षित होती है।

15. राजनीति 'लोकसेवा' बने - राजनीति की प्रतिष्ठा सत्ता के उपभोग के रूप में है। किन्तु इस विचारणा से समाज का बहुत अहित हुआ है। राजनीति अभी महत्तवाकांक्षी लोगों का व्यवसाय बनी हुई है। वस्तुतः राजनीति लोक सेवा का कार्य है। अतः राजनीति करने वाले व्यक्ति ईमानदार, कर्मठ एवं जवाबदेह होने चाहिए। अभी राजनीति धन बटोरने का माध्यम बनी हुई है। इसी कारण राजनीति में अपराध, स्वार्थ, उपभोगवादी मानसिकता तथा स्व-विकास की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं।

16. सत्ताविहीन राजनीति - वास्तविक राजनीति का लक्ष्य सत्ता पर अधिकार जमाना अथवा सत्ता का भोग करना नहीं होना चाहिए। सत्ता का उपयोग अधिक से अधिक मानव कल्याण के लिए होना चाहिए अथवा सत्ता को मात्र एक साधन समझा जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को सेवा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

17. हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हों - देश के राजनीतिक संकट का एक प्रमुख कारण हमारे समाज के सांस्कृतिक पतन में निहित है। भारतीय संस्कृति में भोगवाद, पदार्थवाद, धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाग्यवाद, चमत्कारवाद, हिंसा आदि प्रवृत्तियों ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवसरवाद बढ़ा है।

निष्कर्ष - भारतीय समाज एवं व्यक्ति के चिन्तन व आचरण में आई विकृतियों के कारण ही देश की राजनीति का चारित्रिक नैतिक हास हुआ है और यह अन्धकार की ओर बढ़ रही है। राजनीति का नैतिक आधार कहीं खो गया है। इस नैतिक अवमूल्यन को रोकने की दिशा में दिये गए उपर्युक्त सुझाव कुछ सीमा तक सहायक हो सकते हैं। अपना रास्ता अपने आप बनाने का समय आ गया है। गौतम बुद्ध का 'अप्पदीपोभव' का मंत्र सिद्ध किये बिना यह अंधकार कटेगा नहीं। आज की राजनीतिक संस्कृति केवल अनीतिगतता का जहर उगल रही है। से अमृत पाने की अपेक्षा करना अंधकार को पना करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। प्रकाश, अमृत और राह पाने के लिए नैतिकता के अवमूल्यन को रोकना ही होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भानुप्रताप शुक्ल, काल चिन्तन (खण्ड-दो) पृ. 23-4
2. उपर्युक्त पृ. 236-237

3. राजस्थान पत्रिका, मिलाप चन्द्र चौरडिया, 'अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार कमजोर संविधान', 12 सितम्बर, 01, पृ. 8
4. मिलाप चन्द्र चौरडिया, 'आपराधिक न्याय व्यवस्था को चुनौती' राजस्थान पत्रिका, 27 मार्च, 02 5. भानुप्रताप शुक्ल, वही, पृ. 43-44
6. मिलाप चन्द्र चौरडिया, 'क्या भारत में लोकतन्त्र विफल हो रहा है?', राजस्थान पत्रिका, 11 अप्रैल, 2001
7. इतवारी पत्रिका, 29 जुलाई, 2001, पृष्ठ-4
8. के. पी. श्रीवास्तव, 'चुनाव सुधार में किसी की रुचि नहीं, राजस्थान पत्रिका, 19 अप्रैल, 2001 9. सुरेन्द्र मोहन, 'चुनावों में भ्रष्टाचार व हिंसा', राजस्थान पत्रिका, 16, अप्रैल, 2001
10. मिलाप चन्द्र चौरडिया, 'निर्वाचन व्यवस्था में आई खामियाँ', राजस्थान पत्रिका, 6 फरवरी, 2002
11. उपर्युक्त
12. रजनी कोठारी, 'साम्प्रदायिकता और भारतीय राजनीति', पृ. 11
13. खुशबू, 'धर्म, राजनीति एवं मूल्यहीनता', पृष्ठ 162
14. भानुप्रताप शुक्ल, वही, पृ. 135
15. उपर्युक्त, पृ. 136

Diphospholes : Synthesis and Reactions


Dinesh Chandra Sharma *

Introduction -

DIPHOSPHOLES




Synthesis : The reaction 1,2,4,5-tetraazinedicarboxylates (1) with four equivalents tertiarybutylphosphacetyne results in the formation of a 1,2,3-azadiphosphole derivative (2)¹⁰ (Scheme. 1.0).



Scheme 1.0

Pyrolysis of bis(diisopropylamino) phosphine 1-isopropyl-5-methyl-1,2,3-azadiphosphole other products¹¹ together with gives 1,2,3,5-Diazadiphospholes (5) synthesized by the condensation of methane (3) with primary hydrazines triethylamine¹ (Scheme 2.0).




Scheme 2.0

Reactions : The reactivity of 1,2,3-azadiphospholes as well as of 1,2,3,5-diazadiphospholes has not been much widely investigated; only a few reactions have been reported.

1. Addition of Protic Reagents : Protic reagents like hydrogen chloride, methanol and diethylamine add to both

P=O as well as P=N bonds of 1,2,3,5-diazadiphospholes (6) yield 33 dng tetrahydro derivatives(7)³ (Scheme 3.0).



Scheme. 3.0

In case of diphosphoryl substituted 1,2,3-azadiphospholes, the hydrogen chloride or methanol add to the bond of the substituent¹⁰

2. Coordination : 1-Phenyl-1,2,3,5-diazadiphosphole is not alkylated by methyl iodide or trimethyloxonium tetrafluoroborate and it does not react with diacetyl quinone¹

References:-

- Schmidpeter A., Leyh Ch., Karaghiosoff K., *Angew. Chem.* 97 (1985) 127; *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 24(1985) 124.
- Guth W., Niecke E., Westermann H., *Phosphorus Sulfur* 30 (1987) 798.
- Kalinowski H.O., Berger S., Braun S., *13C-NMR Spectroskopie*, Thieme Verlag, Stuttgart (1984) 349.
- Vilkov L.V., Khalkin L.S., Vasilev A.F., Ignatova N.P., Melnikov N.N., Negrebetskii V.V., Shvetsov-Shilovskii N.I., *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 197 (1971) 1081.
- Negrebetskii V.V., Bogelfer L.Ya., Vasilev A.V., Bobkova R.G., Ignatova N.P. Shvetsov-Shilovskii N.I., *Zh. Strukt. Khim* 19 (1978) 64; *J. Struct. Chem. USSR* 19 (1978) 52.
- Schmidpeter A., Wrackmeyer B., *Z. Naturforsch.* 41b (1986) 553.
- Negrebetskii V.V., Kessenikh A.V., Vasilev A.F., Ignatova N.P., Shvetsov-Shilovskii N.I., Melnikov N.N.,

- Zh. Strukt. Khim. 12 (1971) 798.
8. Heinicke J., Tzschach A., Tetrahedron Lett. 23 (1982) 3843.
9. Schmidpeter A., Karaghisoff K., Z. Naturforsch. 36b (1981) 1273.
10. Markl G., Dietl S., Ziegler M.L., Nuber B., Tetrahedron Lett. 29 (1988) 5867.
11. Guth W. Busch T., Schoeler W.W., Niecke E., Krebs B., Dartmann M., Rademacher P., New J. Chem. 13 (1989) 309.

Impact of CSR Advertisements on IPO of Coal India Limited

Devendra Prasad Pandey*

Introduction - Corporate Social Responsibility (CSR) is mandatory for eligible companies in India. Under the Companies Act, 2013, all eligible companies with a sizable business will have to spend every year at least 2 per cent of three-year average profit on CSR. This would apply to companies with a turnover of Rs 1,000 crore and more, or net worth of Rs 500 crore and more, or a net profit of Rs 5 crore and more. The new rules also require the companies to set up a CSR committee, including at least one independent director.

As per UNIDO, Corporate Social Responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives ("Triple-Bottom-Line- Approach"), while at the same time addressing the expectations of shareholders and stakeholders.

Corporate social reporting is referred as the process of communicating the social and environmental effects of economic organisations. The reporting is a form of corporate self-regulation integrated into a business model. Its policy functions as a self-regulating mechanism whereby business monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law ethical standards and international norms. Corporate social reporting (CSR) has been broadly defined as the "process of communicating the social and environmental effects of organisation's economic actions to particular interest groups within society and to society at large." (Gray et al., 1996: 3)

CSR and IPO: The Triple Bottom Line theory implies that the sustainability can be achieved when all three aspects – profit, people, and planet can be assured and balanced. The profit means the economic sustainability that a business organization needs to achieve. Once a business has sustainable profit, it can meet demands of shareholders, who invest in such a business, and it can also use financial resources obtained from its economic sustainability to implement social and environmental performance. The people aspect refers to the social sustainability or the well-being of all stakeholders of a business such as employees, customers, suppliers, etc. (Elkington, 1999). Using profit

generated, a business can create social programs that ensure the well-being of its people such as good compensation and benefits and training programs for its people, the fair-trade programs for its suppliers, the health and safety for its people and customers, etc.. A business can also support the development of its communities by investing in infrastructure (road, hospital, schools, etc.). The planet aspect implies the environmental responsibility of a business (Elkington, 1999).

CSR strengthens the relationship between firms and stakeholders, leading to the improvement of firms' performance (Freeman et al., 2010). It has been found that CSR as a long-term investment that helps IPOs to create a conducive environment. CSR engagement enables IPOs to reduce information asymmetry and to raise additional financial resources for funding their investments. In the context of asymmetric information, IPO's potential investors may not have positive information regarding the issuing company, leading to their purchasing reluctance, so CSR information can provide investors more information of firm's performance, and thus, improve their confidence. Furthermore, investors usually want to associate themselves with companies that have CSR goals, especially since CSR are increasingly concerned by different stakeholders of the society.

Other studies found insignificant effects of CSR on IPO's short-term and long-term performance. For example, Jia & Zhang (2014) found insignificant effects of CSR on market premiums of IPO's.

The marketing literature suggests that Advertising and CSR could improve the image and reputation of companies before consumers and allow them to achieve corporate reputation, which has reach as an enterprise synonym for identity, image, goodwill, esteem, and prestige.

Advertising on social initiatives: Since Bowen's (1953) first work, the relationship between corporate social responsibility (CSR) and financial performance in the business context has become a topic of significant relevance.

Advertising is an important tool for corporates to increase brand awareness and expand market share, and will affect financial performance. Research has fully shown that advertising investment can beneficially affect a

corporate competitive position, product/service competitive advantage, consumer preference, and brand image.

Bragdon and Marlin (1972) conducted an empirical study on the relationship between CSR and financial performance for the first time and found that active fulfillment of CSR and great attention to environmental protection can promote financial performance.

Trends in Corporate Social Reporting: There has been a significant increase in the level of corporate social reporting in most countries in recent years. A survey by KPMG (2005) for the period 2002 to 2005 showed a 19 per cent increase in corporate responsibility reporting in the top 250 companies of the Global Fortune 500, and an 18 per cent increase in the top 100 companies in 16 countries (Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Norway, South Africa, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States). The two countries with the highest separate corporate responsibility reporting in 2005 were Japan (80 per cent) and the United Kingdom (71 per cent). From 2002 to 2005, South Africa showed a tremendous increase (of 17 per cent) in corporate responsibility reporting. Italy, Spain, Canada and France showed a nearly two-fold increase since 2002.¹¹⁶ The KPMG report also showed a significant change in the type of corporate responsibility reporting conducted. It changed from predominantly environmental reporting up until 1999 to sustainability (social, environmental and economic) reporting in recent years.¹¹⁷ KPMG's 2005 survey results also highlighted a range of drivers for corporate social reporting that businesses considered important. These drivers were economic considerations (74 per cent), ethical considerations (53 per cent), innovation and learning (53 per cent), employee motivation (47 per cent), risk management or risk reduction (47 per cent), access to capital or increased shareholder value (39 per cent), reputation or brand (27 per cent), market position improvement (21 per cent), strengthened supplier relationships (13 per cent), cost saving (9 per cent), improved relationships with governmental authorities (9 per cent), and other reasons (11 per cent).¹¹⁸ Clearly, economic reasons were the most common driver for sustainability reporting, which makes sense, since company directors are obliged to maximise shareholders' long-term and short-term wealth, and profit-making is at the core of all business entities. The Emergence of Socially Responsible Investment With the increasing interest in Corporate Social Responsibility, a new class of investment has attracted more attention than ever — the socially responsible investment (sometimes used interchangeably with the term 'ethical investment'). Although more has been heard recently regarding socially responsible investments, the concept itself is not new. It has its roots in 18th century religions and 1960s anti-war sentiments. At the core of socially responsible investment is the fundamental idea that investments that are deemed harmful and unethical to society should be screened out from investment portfolios,

regardless of how potentially profitable they are. Typically this means avoiding investing in companies that are involved in firearms, military weapons, alcohol, tobacco, gambling and so on. Even though there are certain issues that are by their nature contrary to both international law and many state laws such as environmental degradation and child exploitation, the notion of ethics can at times be subjective — what is considered as ethical and socially responsible to one person might be considered as unethical and socially irresponsible to the next. For example, how we judge a pharmaceutical company that produces contraceptives or one that uses nuclear energy in the production process sometimes is largely a matter of perspectives. To bring the argument to the extreme, it is possible to even argue that investing is greed. Nowadays socially responsible investment mainly focuses on sustainability — a term used to describe the capacity of maintaining a certain process or state indefinitely. In recent years, indexes have been established to respond to investors' increasing demand for socially responsible investment. The Dow Jones Sustainability Index (DJSI) launched in 1999, the FTSE4Good Index launched in 2001, and KLD's Domini 400 Social Index launched in 1990, are among the most popular investment indexes in this category. Trade organisations are set up around the world supporting the notion of socially responsible investment, such as the Social Investment Forum in the US, EuroSIF in the EU, the Responsible Investment Association of Australasia in Australia and Asia, and the Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia. On a national scale, the British Government's Pension Disclosure Regulation, which came into effect in July 2000 and which amended the 1995 Pensions Act, requires all UK occupational pension funds to disclose the degree to which they take into account ethical, social, and environmental considerations. On a global scale, the United Nations Environment Program has launched a voluntary 'Principles for Responsible Investment' in partnership with UNEP Finance Initiative and the UN Global Compact in 2006.

Benefits of corporate social reporting: With modern communications technologies democratizing the availability of information, stakeholders from all walks of life are making more informed decisions. Efforts to communicate CSR efforts are now an essential part of businesses. In other words, they are only as good as how well they are communicated. For a business to succeed amidst heightening environmental consciousness, not only does a company have to engage in CSR, but they must also find ways to report their CSR endeavors to stakeholders in forms that resonate with them.

In this fast-paced world, one of the quickest and easiest ways that companies can communicate their CSR initiatives is through their product's package or label. In fact, in the 2013 Cone Communications Global CSR Study, 24% of respondents agreed that reading product labels is the most preferred way of learning about a company's CSR activities,

surpassing eight other communication mediums.

The 2013 Cone Communications Global CSR Study emphasizes the importance of consumer purchase in the simultaneous success of CSR initiatives and business. Almost all of the respondents in the Cone Communications study (91%) said that they will more likely patronize products and services that are for a good cause over those that aren't. With companies indicating in their product labels that they recycle, conserve water or energy in manufacturing their goods, not only do they report their CSR efforts to consumers but they also have opportunities to gain loyal customers.

With the growing availability of CSR reports, lenders and investors are now aware of the importance of financing businesses which demonstrate innovativeness and environmental-change-readiness by operating sustainably today. One of the reputable institutions that capital markets turn to for credible sustainability reports is the Carbon Disclosure Project, or CDP. Having the largest repository of companies' annual sustainability performance reports, CDP propagates transparency on the environmental risks and opportunities associated with a business by sharing such reports. For example, investors can request CDP reports. The CDP data is picked up and reported by a variety of financial reporting initiatives like Bloomberg, and the DOW Jones Sustainability Index uses CDP data in its scoring processes. From this, CDP asserts that companies who report their environmental CSR performance are more likely to gain access to capital with which they can expand their business along with their CSR endeavors.

Corporate social and environment reporting by Coal India Limited (CIL) in issue of IPO: In response to SEBI's insistence on enforcing clause 35 of the agreement for the listing of companies with stock exchanges, CIL proposed to off load 10 percent stake in the public. The amended clause insisted that non-promoters should hold a minimum of 25 percent of a listed company's shares. CIL changed its logo with phrase of black diamond to new logo with three phrases-Empowering India, Enabling Life and Nurturing Nature-that are wound around in a circle around a sleeker version of the venerable black diamond. The reworked logo pays emphasis on sustainability issue. The Rs. 20 crore pre-IPO campaigns managed by Adfactors PR, consisting of print, electronic and outdoor advertising, pushed the pro-environment agenda further with the new logo on green background. The entire logo revamping process was undertaken in-house and company's four empanelled advertising firms including Ogilvy& Mather, Mudra and Grey. (Jacob 2010)

While proposing, CIL issued wide advertisement in business magazines and newspapers. Each advertisement carried beautiful picture of afforestation at its mines. The strategic corporate social reporting in the form of advertisements was issues in the business magazines like Businessworld, Business India and newspapers like Business Standard, Times of India, and Economic Times. The social reporting helped wooing sensitive FIIs and other environment conscious investors looking for investment in

manufacturing sector. The advertisement highlighted the statement that CIL allocates 5% of retained earnings of previous fiscal year, subject to a minimum of Rs. 5/ ton of raw coal production, for corporate social responsibility budget. The CSR policy of the CIL lays stress on health, education, watershed development, women empowerment. The advertisement in the form of social report paved way for many other companies to think positively on corporate social reporting.

A view of few advertisements showing CSR of Coal India



The corporate social and environmental reporting became a tool even at the time of listing of issue in BSE and NSE. The company in its advertisement thanked investors with a picture of afforestation at WCL.



Result: The result of advertisements issued by Coal India Limited was visible in the IPO. Initial public offer of shares by Coal India Ltd closed with a thumping collection of Rs 236,148 crore, 15.2 times the targeted amount. Both institutional and retail investors jumped in to take advantage of the issue, betting on what many said was an attractive price and vast coal reserves underlying the company, which is the world's largest coal mining firm and impact of advertisements of company's increased role in the implementation of social and environmental responsibility programmes.

Qualified institutional buyers (QIBs) for whom there was a reservation of 50 per cent of the shares had oversubscribed by as much as 24.7 times. They had put in bids of a phenomenal Rs 1,72,000 crore. In the retail segment 16.45 lakh applications were received, which was the highest amongst the PSU IPOs at that time.

References:-

1. Elkington, J. (1999). Triple bottom line revolution: reporting for the third millennium. *Australian CPA*, 69(11), pp.75-76.
2. Freeman, R. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
3. Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S. (1996) "Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
4. Beretta, S. and Bozzolan, S., 2004. A framework for the analysis of firm risk communication. *The International Journal of Accounting*, 39(3), pp.289-295.
5. Mammatt, J., Marx, B. and van Dyk, V., 2010. Sustainability reporting and assurance: the way of the future. *ASA Accountancy Journal*, December 2009/ January 2010 Issue, pp.22-25.
6. Brammer, S. and Pavelin, S., 2006. Voluntary environmental disclosures by large UK companies. *Journal of Business Finance and Accounting*, 33(7), pp.1168-1188.
7. Silva Monteiro, S.M., and Aibar-Guzman, B., 2009. Determinants of environmental disclosure in the annual reports of large companies operating in Portugal. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. [online] Available at: <<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122437579/PDFSTART>>
8. Bowman, E.H. and Haire, M., 1976. Social Impact Disclosure and Corporate Annual Reports. *Accounting, Organizations and Society*, 1(1), pp.11-21.
9. Waddock, S.A. and Graves, S.B., 1997. The corporate social performance – financial performance link. *Strategic Management Journal*, 18(4), pp.303–319.
10. Hackston, D. and Milne, M., 1996. Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(1), pp.77–108.
11. Belkaoui, A. and Karpik, P., 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2(1), pp.36-51

Exploring the Impact of Urbanization on Social Structures in Contemporary India: A Sociological Analysis

Dr. Gouri Shanker Meena*

Abstract - Urbanization in contemporary India has led to profound transformations in social structures, reshaping the dynamics of communities and interpersonal relationships. The rapid migration from rural to urban areas has spurred demographic shifts, altering traditional family setups. Nuclear families are becoming more prevalent, challenging the extended family system that was once a cornerstone of Indian society. As people navigate the complexities of urban life, there's an evident impact on social connections and support systems. Economic disparities are accentuated in urban centers, giving rise to distinct social classes. The juxtaposition of affluence and poverty creates societal divisions, affecting access to education, healthcare, and employment opportunities. Additionally, urban living fosters cultural diversity and social pluralism, bringing together individuals from various regions and backgrounds. In conclusion, the impact of urbanization on social structures in contemporary India is intricate, encompassing both positive and negative dimensions. A comprehensive sociological analysis is crucial for understanding these complexities and formulating strategies to ensure that urban development aligns with the principles of equity, inclusivity, and social cohesion.

Keywords: Economic disparities, Family Dynamics, Occupational Structures, Heritage Conservation.

Introduction - The dynamic landscape of India is undergoing a profound transformation, marked notably by the rapid pace of urbanization. As the second-most populous country in the world, India's journey towards urban development carries immense sociological significance. Against the backdrop of a rich historical tapestry, India has witnessed waves of urbanization, each leaving an indelible mark on the nation's social dynamics. The present era, however, is witnessing an unprecedented surge in urban growth, driven by factors such as industrialization, rural-to-urban migration, and economic shifts. Understanding the nuances of this transformation is pivotal, as it not only shapes the destiny of millions but also contributes to the broader narrative of societal evolution.

Moreover, the urban environment has given rise to a more cosmopolitan and multicultural society, where individuals from various backgrounds coexist. This blending of diverse cultures has both enriched the social tapestry and posed challenges in terms of cultural assimilation. The urban setting has also spurred the growth of non-traditional social institutions, such as professional networks and social media communities, influencing social relationships. However, urbanization has not been without its drawbacks, contributing to the rise of social inequalities and the formation of informal settlements. The disparity between affluent and marginalized communities within urban areas raises issues of social justice and inclusion. Additionally, the fast-paced urban lifestyle often leads to social isolation and mental health concerns.

In conclusion, the impact of urbanization on social structures in contemporary India is multifaceted. While it has facilitated cultural diversity and the evolution of new social institutions, it has also given rise to challenges related to inequality and social well-being. A comprehensive sociological analysis is crucial for understanding and addressing these complex dynamics in the context of India's ongoing urban transformation.

Literature Review

The historical context of urbanization in India provides a lens through which to comprehend the contemporary landscape. Early urban centers like Harappa and Mohenjo-Daro bear witness to the ancient roots of urban living, setting the stage for the present transformation. Furthermore, insights from studies such as Ghertner's exploration of urbanization in colonial India offer a nuanced understanding of historical processes shaping urban spaces. Existing sociological research on urbanization in India has primarily focused on economic aspects, migration patterns, and governance structures. Scholars like Sassen and Davis have delved into the global dimensions of urbanization, offering frameworks that contextualize India's experiences within broader socio-economic trends.

Theoretical foundations, including social mobility theories by Sorokin and Lenski, provide frameworks for understanding how urbanization may impact social structures. Additionally, the works of Bourdieu and Giddens contribute to understanding cultural changes and power dynamics in urban settings.

*Assistant Professor (Sociology) S. B. P. Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

Research Methodology: The sociological analysis of the impact of urbanization on social structures in contemporary India relies on a secondary data research methodology. Utilizing existing data sources such as government reports, academic studies, and demographic surveys, this approach enables a comprehensive examination of urbanization trends and their sociological implications. By synthesizing and analyzing relevant information from diverse secondary sources, the study aims to uncover patterns, correlations, and nuances in the changing social fabric. This method allows researchers to gain insights into the multifaceted aspects of urbanization and its effects on family structures, community dynamics, and social inequalities in the Indian context.

Urbanization Trends in Contemporary India: India, with its diverse tapestry of cultures and traditions, is undergoing a seismic shift in its demographic landscape fueled by rapid urbanization. In examining the urbanization trends in contemporary India, a nuanced exploration of population growth, migration patterns, and changes in economic structures provides a comprehensive understanding of the multifaceted impact on social structures.

1. Urban Population Growth: One of the defining features of contemporary India is the unprecedented growth of urban populations. According to recent census data, the percentage of people residing in urban areas has steadily increased. This surge is attributed to factors such as rural-to-urban migration, natural population growth, and the expansion of urban boundaries. The influx of people into cities presents both opportunities and challenges, with urban centers becoming crucibles for cultural exchange, economic activities, and social transformations.

2. Migration Patterns: Urbanization in India is intricately linked to migration, as individuals and families seek better economic prospects and improved living standards in cities. Rural-to-urban migration, often driven by agricultural transformations, is reshaping the demographic composition of urban areas. Understanding the push and pull factors behind migration is crucial for deciphering how different regions contribute to the urbanization narrative. Additionally, internal migration between urban centers influences the dynamics of cities, creating unique socio-cultural amalgamations.

3. Changes in Economic Structures: Contemporary urbanization in India is closely intertwined with shifts in economic structures. The evolution from agrarian economies to industrial and service-based economies has been a key driver. Cities have become hubs for diverse industries, technology, and the service sector, attracting a skilled and unskilled workforce. This transition not only alters occupational patterns but also shapes the socio-economic landscape, giving rise to new opportunities and disparities. The informal sector, prevalent in urban areas, further complicates the economic narrative, with a significant portion of the population engaged in unregulated employment.

4. Social Structures in Urban India: The impact of ur-

banization on social structures in India is evident in the reconfiguration of familial, communal, and occupational dynamics.

5. Family Dynamics: Urbanization often brings about changes in family structures. Extended families, once common in rural settings, may give way to nuclear families due to spatial constraints and evolving societal norms. The role of women within families undergoes transformation as employment opportunities and educational access expand. These shifts contribute to altered power dynamics and re-define traditional gender roles, impacting the very fabric of familial relationships.

6. Community Relations: The communal fabric of urban India is shaped by the coexistence of diverse communities. Cities, as melting pots of cultures, witness interactions between individuals from varied linguistic, religious, and regional backgrounds. While this diversity fosters cultural richness, it also poses challenges related to social integration and cohesion. Understanding the dynamics of community relations in urban settings is essential for addressing issues of social harmony and identity.

7. Occupational Structures: The economic metamorphosis accompanying urbanization alters occupational structures significantly. Traditional occupations give way to a spectrum of opportunities in diverse sectors, contributing to social mobility and the emergence of a middle class. Simultaneously, the informal sector burgeons, presenting challenges related to job security, working conditions, and access to social benefits. Examining these occupational transformations is crucial for understanding the socio-economic disparities within urban communities.

Social Structures in Urban India: In urban India, social structures undergo dynamic transformations shaped by the complexities of modernization and urbanization. The traditional joint family system prevalent in rural areas is gradually giving way to nuclear families in urban settings. Economic opportunities, education, and career prospects often lead to migration, breaking the geographical proximity that traditionally characterized social relationships. The urban landscape fosters a diverse and cosmopolitan environment, bringing together people from various cultural, linguistic, and religious backgrounds. This diversity influences social interactions, community dynamics, and lifestyle choices. In cities, social structures extend beyond familial ties to include professional networks, interest-based communities, and virtual relationships facilitated by digital platforms.

However, urbanization also exacerbates social inequalities. Disparities in wealth, education, and access to resources are more pronounced, leading to the formation of distinct social strata. Informal settlements, characterized by economic vulnerability and limited infrastructure, highlight the challenges of inclusivity within urban social structures. Moreover, the fast-paced urban lifestyle can contribute to social isolation and mental health issues as individuals navigate the demands of work and city life. Balancing

tradition and modernity becomes a key aspect of the evolving social structures in urban India, reflecting the nation's ongoing socio-cultural transformation in response to the forces of urbanization.

Challenges and Opportunities: As India undergoes rapid urbanization, the landscape is marked by a confluence of challenges and opportunities. The complexities inherent in the urbanization process present a dynamic scenario that necessitates strategic planning, innovative solutions, and a keen understanding of the diverse needs of urban communities.

Challenges:

1. Social Inequalities: Rapid urbanization has the potential to exacerbate existing social inequalities. Disparities in access to education, healthcare, and economic opportunities persist, creating socio-economic stratification within cities. The challenge lies in addressing these inequalities through targeted interventions that ensure inclusivity in urban development policies.

Mitigation Strategies:

- i. Implementing affirmative action policies to address historical inequities.
- ii. Investing in education and skill development programs in marginalized urban areas.
- iii. Designing urban policies that prioritize equitable distribution of resources.

2. Infrastructure Strain: The pace of urbanization often outpaces infrastructural development, leading to challenges such as inadequate housing, insufficient public services, and environmental degradation. The strain on urban infrastructure not only affects the quality of life but also amplifies socio-economic disparities. Marginalized communities often bear the brunt of inadequate amenities, exacerbating existing inequalities.

Mitigation Strategies:

- i. Implementing sustainable urban planning practices to accommodate population growth.
- ii. Investing in robust public transportation systems to alleviate congestion.
- iii. Promoting eco-friendly initiatives for waste management and resource conservation.

3. Housing Shortages: The demand for housing in urban areas surpasses the available supply, leading to housing shortages, especially for low-income groups. This exacerbates issues of homelessness and informal settlements.

Mitigation Strategies:

- i. Implementing affordable housing initiatives for low-income families.
- ii. Encouraging public-private partnerships to increase housing stock.
- iii. Developing policies that regulate and upgrade informal settlements.

4. Environmental Degradation: Urbanization often contributes to environmental degradation through increased pollution, deforestation, and the depletion of natural

resources. This poses a threat to the overall well-being of urban residents and the sustainability of cities.

Mitigation Strategies:

- i. Promoting green urban spaces and sustainable architecture.
- ii. Encouraging public transportation and eco-friendly modes of commuting.
- iii. Implementing strict environmental regulations for industries and construction.

Opportunities:

1. Economic Growth: Urbanization provides a platform for economic growth by becoming centers of commerce, industry, and innovation. The concentration of businesses and skilled labor in urban areas fosters economic development and contributes to national prosperity.

Leveraging Opportunities:

- i. Encouraging entrepreneurship and innovation hubs within urban centers.
- ii. Fostering collaboration between industries and educational institutions.
- iii. Creating policies that attract investment and business development.

2. Technological Advancements: Urbanization often goes hand in hand with technological advancements. Smart cities, powered by technology, have the potential to enhance the quality of life, improve efficiency in services, and create a more sustainable urban environment.

Leveraging Opportunities:

- i. Investing in smart city initiatives, including digital infrastructure and data analytics.
- ii. Implementing technology-driven solutions for efficient public services.
- iii. Promoting the use of technology for citizen engagement and participation.

3. Cultural Exchange and Diversity: Urban areas, as melting pots of cultures, provide opportunities for cultural exchange and diversity. The coexistence of people from diverse linguistic, religious, and regional backgrounds enriches the cultural fabric of cities.

Leveraging Opportunities:

- i. Promoting cultural events, festivals, and exhibitions to celebrate diversity.
- ii. Supporting initiatives that encourage cross-cultural interactions and understanding.
- iii. Incorporating cultural considerations into urban planning and design.

4. Education and Skill Development: Urbanization facilitates increased access to educational institutions and skill development opportunities. This, in turn, enhances the human capital of the population, contributing to individual empowerment and overall societal progress.

Leveraging Opportunities:

- i. Investing in education infrastructure and quality education programs.
- ii. Establishing vocational training centers to enhance employability.

iii. Creating partnerships between industries and educational institutions for skill development.

5. Community Resilience: Urban communities often exhibit resilience in the face of challenges. Grassroots initiatives, community organizations, and social networks play a crucial role in fostering solidarity and addressing local issues.

Leveraging Opportunities:

1. Supporting and amplifying community-led initiatives and organizations.
2. Facilitating platforms for community engagement and collaboration.
3. Incorporating community feedback into urban development policies.

Achieving a harmonious balance between the challenges and opportunities of urbanization requires a holistic and inclusive approach. Policymakers, urban planners, and community leaders play pivotal roles in navigating this complex landscape.

Case Studies

Case Study :Dharavi Redevelopment Project, Mumbai: Dharavi, Asia's largest slum located in Mumbai, has been a focal point for urban redevelopment efforts.

Challenges: Dharavi faced challenges such as overcrowded living conditions, inadequate sanitation, and limited access to basic amenities. The informal settlements were characterized by a lack of proper infrastructure, posing health and safety risks to residents. The challenge lay in transforming Dharavi into a sustainable urban space while addressing the socio-economic needs of its diverse population.

Opportunities: The Dharavi Redevelopment Project aimed to leverage the central location of the slum for economic and social development. The project envisioned creating mixed-use developments, including affordable housing, commercial spaces, and social amenities. This approach sought to harness the economic potential of the area while improving living conditions for residents.

Implementation: The redevelopment project involved a combination of public and private sector collaboration. Developers were invited to participate, and the plan included rehabilitating existing residents in improved housing units. The project emphasized community engagement, seeking input from residents to ensure that the redevelopment aligned with their needs and aspirations.

Outcomes: While the Dharavi Redevelopment Project is ongoing, early outcomes include improved infrastructure, better housing conditions, and enhanced community facilities. The project illustrates the complexity of balancing economic opportunities with the socio-economic needs of the existing population. Continuous evaluation and community involvement are crucial for the project's success. Urbanization is not just about infrastructure; it is about creating livable, resilient, and vibrant spaces that enhance the quality of life for all residents.

Policy Implications: As India undergoes rapid

urbanization, policymakers face the critical task of shaping policies that address the challenges and harness the opportunities inherent in this transformative process. The implications of urbanization extend across diverse sectors, requiring a nuanced and integrated approach to ensure inclusive and sustainable urban development.

1. Equitable Access to Basic Services:

Challenge: One of the foremost policy imperatives is to ensure equitable access to basic services such as education, healthcare, and sanitation. Rapid urbanization often leads to the concentration of services in certain areas, leaving marginalized communities underserved.

Policy Implications: Policymakers should prioritize the development of infrastructure in underserved urban areas. This involves strategic investments in schools, healthcare facilities, and sanitation services. Implementing policies that address the digital divide and ensure access to information and services for all residents is crucial for creating inclusive urban environments.

2. Affordable Housing and Slum Rehabilitation:

Challenge: The increasing demand for housing in urban areas often results in a shortage of affordable housing options, leading to the proliferation of informal settlements and slums.

Policy Implications: Policies should focus on creating affordable housing options through a combination of public-private partnerships, regulatory measures, and innovative financing models. Slum rehabilitation projects, coupled with community involvement, can transform informal settlements into sustainable urban spaces. Incentivizing developers to invest in affordable housing and adopting inclusive zoning regulations are essential components of this policy approach.

3. Sustainable Urban Planning:

Challenge: Unplanned urban expansion contributes to congestion, environmental degradation, and inadequate infrastructure.

Policy Implications: Policymakers need to prioritize sustainable urban planning that integrates environmental considerations, efficient land use, and smart infrastructure development. Implementing transit-oriented development, creating green spaces, and adopting eco-friendly building practices contribute to environmentally sustainable urbanization. Additionally, participatory urban planning involving local communities ensures that development aligns with the needs and aspirations of residents.

4. Skill Development and Employment Opportunities:

Challenge: Urbanization leads to an influx of individuals seeking employment opportunities, necessitating policies that address the evolving job market.

Policy Implications: Policymakers should invest in skill development programs aligned with the needs of emerging industries. This involves collaborating with the private sector to identify skill gaps and designing training initiatives that enhance employability. Urban employment strategies should prioritize both formal and informal sectors,

recognizing the diversity of occupations within urban areas.

5. Technology Integration for Efficient Governance:

Challenge: The rapid growth of urban populations poses challenges for efficient governance, service delivery, and infrastructure management.

Policy Implications: Policymakers should prioritize the integration of technology for smart governance, utilizing data analytics, digital platforms, and Internet of Things (IoT) devices. Implementing e-governance initiatives enhances transparency, efficiency, and citizen engagement. Investing in digital infrastructure, promoting digital literacy, and fostering public-private partnerships in technology adoption contribute to the development of smart cities.

6. Social Inclusion and Community Engagement:

Challenge: Social inequalities and exclusionary practices can intensify within urban areas, necessitating policies that foster inclusivity and community engagement.

Policy Implications: Policymakers should design policies that prioritize social inclusion through targeted interventions. This includes affirmative action measures, community-driven development projects, and initiatives that address discrimination based on caste, gender, or ethnicity. Recognizing the importance of community engagement in decision-making processes ensures that urban development reflects the diverse needs of residents.

7. Climate Resilience and Disaster Preparedness:

Challenge: Urban areas are vulnerable to the impacts of climate change and natural disasters, requiring policies that enhance resilience and preparedness.

Policy Implications: Policymakers should prioritize climate-resilient urban planning, incorporating measures for flood control, water management, and disaster preparedness. Implementing green infrastructure, enforcing building codes, and investing in early warning systems contribute to urban resilience. Community awareness programs are integral for ensuring that residents are prepared for and can respond effectively to emergencies.

8. Cultural Preservation and Heritage Conservation:

Challenge: The rapid pace of urbanization can lead to the erosion of cultural heritage and traditional practices.

Policy Implications: Policymakers should implement policies that balance economic development with the preservation of cultural heritage. Incentivizing adaptive reuse of heritage structures, supporting cultural festivals and events, and integrating cultural considerations into urban planning contribute to the sustainable development of cities. Community involvement in heritage conservation

ensures that the unique cultural identity of urban areas is preserved.

9. Affordable and Sustainable Transportation:

Challenge: Urbanization often results in increased traffic congestion, air pollution, and inadequate public transportation systems.

Policy Implications: Policymakers should prioritize sustainable and accessible transportation options. Investing in public transportation infrastructure, promoting non-motorized transport, and implementing congestion pricing are effective measures. Integrating technology for smart mobility solutions and adopting policies that incentivize the use of electric vehicles contribute to creating environmentally friendly transportation systems.

Conclusion: In essence, urbanization in India is a canvas waiting to be painted with policies that blend economic dynamism with social equity, technological advancements with cultural preservation, and environmental consciousness with community well-being. Policymakers serve as the artists, crafting a masterpiece that reflects the aspirations and dreams of a burgeoning urban population. As the journey unfolds, the success of urban policies will be measured not just in economic metrics but in the enhanced quality of life, inclusivity, and sustainability of India's urban spaces. The road ahead is challenging, but with informed, adaptive, and community-centric policymaking, India's urban future holds the promise of vibrant, resilient, and inclusive cities.

References:-

1. Yadav, B.S & Sharma, S. (2004). Urbanization and Rural Development. New-Delhi. Shree publishers and distributors.p.56.
2. Udry, J.R. (1966). The social context of marriage. J.B. Lippincot.co. Philadelphia.
3. Johnson, E.H. (1973). Social problems of urban man. Homewood, Illinois: The Dorsey press.
4. Singh, J. R. (2003). Nuclearization of household and family in urban India. Sociological Bulletin. 52, (1). Pp. 53-70.
5. Rao, M .S. A. (ed.), 1974. Urban Sociology in India, Orient Longman, New Delhi.
6. Ramachandran, R., 1989. Urbanization and Urban Systems In India, OUP, Delhi.
7. Mishra, R. P., 1998. Urbanization in India: Challenges and Opportunities, Regency Publications, New Delhi.
8. <https://sdinet.org/wp-content/uploads/2015/04/ReDharavi1.pdf>

समाजनिष्ठ उपन्यासकार अमृतलाल नागर

डॉ. सिद्धि जोशी*

प्रस्तावना – अन्य गद्य विद्याओं की तरह उपन्यास साहित्य का भी प्रारम्भ भारतेन्दु – युग में हुआ। परन्तु उसे सिर्फ प्रारम्भ कह सकते हैं। सही मायने में आज जिसे हम आधुनिक उपन्यास कहते हैं, उसके प्रवर्तक मुंशी प्रेमचन्द हैं। हिन्दी कथा साहित्य (उपन्यास कहानी) में प्रेमचन्द निर्विवाद रूप से एक शिखर पुरुष है कारण कि उन्होंने ही हिन्दी में ही एक नये और सार्थक औपन्यासिक युग का प्रवर्तन किया। उन्होंने एक पूरे के पूरे समाज की साहित्यिक रूचि का परिष्कार किया, उसे सोद्देश्य तथा सार्थक रचना का आस्वाद लेने और इस आस्वाद के फलस्वरूप उस बैचेनी का अहसास कर सकने योग्य बनाया, जो कर्म की सच्ची प्रेरणा बनती हुई सार्थक और क्रांतिकारी बदलाव का माध्यम हुआ करती है।

प्रेमचन्द के आविर्भाव के पहले हिन्दी में बाबू देवकीनन्दन खत्री के तिलस्मी उपन्यासों तथा गोपालराम गहमरी के जासूसी उपन्यासों की धूम मची हुई थी। 'परीक्षा गुरु' जैसे शिक्षाप्रद और नीतिवादी उपन्यास भी लिखे गये थे। परन्तु उन उपन्यासों में अपने समय के यथार्थ से लेखक के भिड़ने का संकेत मात्र मिलता है। कहने का आशय यह है कि प्रेमचन्द को अपनी परंपरा से कोई बड़ी विरासत नहीं मिली थी। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर। देश की गुलामी हो अथवा उसकी अकथनीय दरिद्रता, इनकी विधायक शक्तियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए उन्होंने अपने कृतित्व को उस मानवीय गरिमा से संयुक्त किया, जिसकी समकालीन साहित्य में मिसाल नहीं है।

वे हिन्दी के पहले कथाकार हैं, जिन्होंने सांमती तथा अभिजात मानसिकता को तार-तार करते हुए सड़क के साधारण आदमी को कथा नायक का गौरव प्रदान किया और इस प्रकार हिन्दी कथा साहित्य में यथार्थ की एक नयी परम्परा की बुनियाद रखी। मिश्रजी यह बात जोर देकर कहते हैं कि प्रेमचन्द लेखन के क्षेत्र में शौकिया नहीं आए थे, एक मिशन लेकर आये थे। वास्तव में वे स्वाधीनता संग्राम की उपज थे, एक मिशन लेकर आए थे।

इनके बाद अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अशक, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा जैसे कथाकार आते हैं, जो किसी 'वाद' अथवा आंदोलन से संचालित नहीं हैं, परन्तु उनके लेखन पर प्रेमचन्द की परम्परा का प्रभाव लगातार दिखाई पड़ता है। प्रेमचन्द की परम्परा के प्रभाव से मिश्रजी का आषय है – 'कथा को असली जीवन तथा समाज की समस्याओं से जोड़ना, न कि प्रेमचन्द के ढंग का अनुकरण करना।'

अमृतलाल नागर भी ऐसे कथाकार हैं, जिनको प्रेमचन्द की परम्परा से भी जोड़ा जाता है और आंचलिक उपन्यासकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। परन्तु मिश्रजी का मानना है कि अमृतकाल नागर का कृतित्व उस प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल है जिसे प्रेमचन्द ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप

में परिभाषित किया था। वे प्रेमचन्द की उस शुरूवाली मानवतावादी परम्परा के निकट भी हैं, जो प्रेमचन्द में आगे चलकर अनुभवों के क्रम में प्रखर से प्रखर होते हुए एक स्पष्ट पक्षधरता में तब्दील हो गई, वर्ग – चेतना के ताप से निखर उठी, किन्तु नागर जी में जो बराबर अपने उदारतम आशयों के साथ विद्यमान रही, उसका गुणात्मक विकास नहीं हो पाया। नागर जी की रचनाशीलता पुराण युग से लेकर आधुनिक युग तक फैली हुई है।

सामान्य जन की पीड़ा तथा व्यथा के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति है। वे उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करते हैं और अन्यायियों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। किन्तु जैसा कि मिश्रजी का मानना है, चूंकि उनकी सोच समाज के वर्ग के वर्ग – विभाजन की सच्चाई को और उसके उन्मूलन की क्रांतिकारी आवश्यकता को उस चिंता-धारा के तहत पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। जो सामाजिक विकास की वैज्ञानिक समझ के अनुकूल विकसित हुई है और वास्तविक मानव-मुक्ति की एकमात्र सही चिंता है।

इसी कारण वह आदर्शवाद-सुधारवाद तथा सदिच्छाओं की भूल-भूलैयों में भटक जाती है कभी भूतकाल से और कभी वर्तमान की नाना चिंता धाराओं से समाधान पाने लगती है।

नागरजी की रचनाशीलता की एक अन्य अंवाछित प्रवृत्ति है – उनके काम संबंधी चित्रण। उन्होंने अपनी तमाम कृतियों में, यहां तक कि 'बूढ़ और समुद्र' तथा 'अमृत और विष' जैसी चर्चित कृतियों में साधारण मध्यवर्ग के लोगों के काम-प्रसंगों का चित्रण करते समय बहुत साफ रूख नहीं रखा है और महज यथार्थ का अंग बनाकर ही उन्हें प्रस्तुत कर दिया है। इन प्रसंगों का संबंध बिगड़े रईसों के जीवन से भी हैं और निम्न मध्यवर्ग तथा मध्य वर्ग के लोगों से भी। मिश्रजी का कहना है कि वर्गों या व्यक्तियों की यथार्थ जिन्दगी को प्रस्तुत करते हुए उनके जीवन से जुड़े काम-प्रसंगों का चित्रण गलत बात नहीं है क्योंकि ये प्रसंग वर्ग या व्यक्ति के जीवन यथार्थ का एक अंग हैं। किन्तु इन प्रसंगों का चित्रण करते समय लेखक के रूख से यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह उन्हें समग्र यथार्थ के एक अंग के रूप में उभारते हुए आखिर पाठक तक संप्रेषित क्या करना चाहता है? ...

यथार्थ को यथार्थ – चित्रण के धरातल तक ही सीमित कर देना और उसके बारे में अपनी सोच को खुले रूप में सामने न लाना यह इंगित कर सकता है कि ये प्रसंग कथा-रस के लिए नियोजित किये गये हैं, वे कितने भी यथार्थ क्यों न हो?

नागर जी की रचनाशीलता के इन दुर्बल पक्षों के साथ-साथ उसके सशक्त पक्षों को भी मिश्र जी ने बड़ी ईमानदारी से उभारा है। मिश्र जी का कहना है कि नागर जी रचनाशीलता के विरोधाभास से परिचित होकर ही,

उसकी असंगतियों को जानकर ही उसका सही मूल्यांकन हो सकता है।

उनकी रचनाशीलता के वे कौन - कौन से पक्ष हैं, जो उन्हें न केवल आधुनिक कथा - साहित्य की प्रथम पंक्ति का रचनाकार बनाते हैं, बल्कि उन्हें प्रेमचंद और उनकी परम्परा से भी जोड़ते हैं। जिन व्यक्तियों के या वर्गों के जीवन को नागर जी अपने उपन्यास का विषय बनाते हैं। उनके जीवन में गहराई से उतरकर उसे मूर्त कर देने की कला में नागर जी अनुपम हैं। समाज के ऊपरी स्तर की उन्हें अच्छी-खासी पहचान है और वे समस्याओं अथवा जिदंगी को जहां तक की ऊपरी स्तरों का संबंध हैं, बड़ी जीवंतता के साथ उभारते हैं।

समाज के विभिन्न वर्गों के स्त्री-पुरुषों के हाव-भाव, बोली - बानी, आदतों, तौर-तरीकों, यहां तक कि बातचीत करने के लहजे तक कि नागर जी को अच्छी पहचान है और अपनी इस पहचान का उपयोग अपने यथार्थ-चित्रण को जीवंत बताने में नागर जी बखूबी करते हैं। इसी कारण नागर जी के उपन्यास अपनी सुपाठ्यता बनाए रखते हैं।

नागर जी की एक अन्य विशेषता है - उनकी सेक्यूलर दृष्टि। अर्थात् जी नागर जी समाज के छोटे-बड़े लोगों, विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के व्यक्तियों को समान लेखकीय संवेदना का पात्र बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उनका उदार मानवतावाद उन्हें विपन्नों की व्यथा के प्रति द्रवित करता है और सम्पन्नों तथा शक्तिवानों, झूठ तथा बेइमानी को प्रश्रय देने वालों की कटु आलोचना भी करता है। मिश्र जी के मत से, ये बातें नागर जी को समाज विरोधी और मानव विरोधी रूख के विपरीत समाजोन्मुख और मानवोन्मुख रूख के रचनाकार के रूप में हमारी आशंसा का पात्र बनाती हैं। किन्तु जैसा कि हम जानते हैं कि रचना और रचनाकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष मिश्र जी के आलोचकीय दृष्टि-पथ में निरन्तर विद्यमान रहते हैं। इसीलिए वे नागर जी की रचनाशीलता के कमजोर पक्ष को उभारते हुए लिखते हैं कि नागर जी का उदार मानवतावाद अंततः उदार ही बना रहता है, सही और वैज्ञानिक वर्ग - चिंतन के संदर्भ में मंजता हुआ, सोच का अंग नहीं बन पाता, जो वर्ग - विभक्त समाज में शोषित और पीड़ित वर्गों के साथ जुड़कर वर्गहीन समाज में शोषित और पीड़ित वर्गों के साथ जुड़कर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए वर्ग-संघर्ष को आवश्यक मानती है और इसके परे अथवा इससे भिन्न किसी भी सोच का यातनाग्रस्त मुनष्य की यातना को लंबा करने का उसके संकल्प को कमजोर करने का दोषी मानती है। 'नाच्यौ बहुत गोपाल' नामक उनका उपन्यास आज की सबसे बड़ी ज्वलंत हरिजन समस्या से संबंधित होते हुए भी समस्या का उसकी गहराई और पैनेपन के साथ नहीं उभार पाता। इसका प्रधान कारण यह मानते हैं कि नागर जी समस्याएं जरूर उठाते हैं : उन्हें सही संदर्भों में पेश भी करना चाहते हैं। किन्तु थोड़ी दूर जाने के उपरान्त समस्या का सही परिप्रेक्ष्य उनकी निगाह के सामने से हट जाता है, जो एक सही सोच उन्हें दे सकती थी और वे समस्या को उसी जगह छोड़ या तो उसके गैर-जरूरी पहलुओं में उलझ जाते हैं या फिर दूसरी बातों को ही महत्व देने लगते हैं।

सबसे पहले सामाजिक और मानवतावादी उपन्यासों को लें। हिन्दी - उपन्यासों की यह प्रकृत धारा कही जा सकती है। स्वयं प्रेमचन्द का दृष्टिकोण सब मिलाकर मानवतावादी ही था। 'उपन्यास मूलतः मनुष्य के जीवन में साहित्यकार की बढ़ती हुई दिलचस्पी का ही घोटक है। मानवतावादी कलाकार मनुष्य की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। वह उसे सभी प्रकार की दुर्बलताओं के बावजूद सहानुभूति ही देना चाहता है। वह मनुष्य के मंगल में, उसके विकास और अभ्युदय में, रुचि लेता है। प्रेमचन्द, विश्वम्भर नाथ कौशिक,

सियारामधरण गुप्त, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदयशंकर भट्ट आदि मानवतावादी उपन्यासकारों में अग्रणी है।

श्री अमृतलाल नागर आलोचकों के अतिरिक्त स्वयं अपनी दृष्टि में भी मानवतावादी कलाकार हैं। आप भी घृणा के स्थान पर प्रेम और ध्वंस के स्थान पर निर्माण में विश्वास करते हैं। आपका प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास महाकाल 1946 ई. में प्रकाशित हुआ था। महाकाल उपन्यास में मास्टर पाँचू गोपाल के मानसिक संघर्ष के माध्यम से लेखक का जीवन-दर्शन स्पष्ट होता है। मास्टर पाँचू गोपाल जमींदार दर्यालचंद और पूंजीपति मोनाई केवट दोनों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। 'महाकाल' के भयंकर वातावरण में उसका आदर्शवाद ढह जाता है, किन्तु एक मृत माता के शरीर से चिपके हुए एक सघ-जात शिशु को देखकर उसमें पुनः साहस का संचार होता है। उसे जीवन की अजेयता का विश्वास होता है। वह पुनः घर लौट आता है।

स्मृष्टि-मंगल की भावना की विजय दिखाते हुए उपन्यास समाप्त होता है। बूढ़ और समुद्र (1956ई.) में नागर जी का उपन्यास पूरी शक्ति के साथ सामने आया है। यों तो इस उपन्यास में प्राचीन रूढ़ियों का खोखलापन, जातिभेद की व्यर्थता, पूंजीवाद का विरोध, राजनीतिक दृष्टि की यान्त्रिकता आदि अनेक बातें उमरकर सामने आयीं हैं, किन्तु उपन्यास के सूत्रधार बाबा रामजी पूर्णतः गांधीवादी और सर्वोदयी हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः अहिंसावादी है। वे 'समाजवाद' की व्याख्या करते हुए कहते हैं - खरा समाजवादी वही है जो दूसरों के लिए जिये-जिये और जीने देय। 'उपन्यासकार ने अनेक पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। अन्त में व्यक्ति और समाज के समन्वय के आधार पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वह कहता है - मनुष्य का आत्म-विश्वास जगना चाहिए। सुख-दुख में व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट सम्बन्ध बना रहे - जैसे बूढ़ से बूढ़ जुड़ी रहती है.. लहरों से लहरें। लहरों से समुन्द्र बनता है - इस तरह बूढ़ में समुद्र समाया है। व्यक्ति की सामाजिक चेतना जागकर ही रहेगी। नागर जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास शतरंज के मोहरे (1959 ई.) में भी अपना यह मानवतावादी दृष्टिकोण विस्मृत नहीं किया। अवध की नबाबी की हासकालीन स्थिति का सजीव अंकन करते हुए वे नबाब को पूरी सहानुभूति देते हैं। उन्होंने उसकी विवशता उसके अन्तर्मन का द्धन्द उसकी निरवलम्बता का पूरी सहानुभूति के साथ चित्रण किया है। सुहाग के नूपुर (1960 ई.) में भी अपनी संस्कारगत सीमाओं के बावजूद उन्होंने 'नगर-वधू' को भी सहानुभूति प्रदान की है। उपन्यास के अन्त में वेश्या माधवी (बौद्ध बिहार की पगली) कहती है -

'सारा इतिहास सच-सच ही लिखा है देव। केवल एक बात अपने महाकाव्य में और जोड़ दीजिए-पुरुष जाति के स्वार्थ और दम्भभरी मूर्खता से ही सारे पापों का उदय होता है। उसके स्वार्थ के कारण ही उसका अर्धांग नारी-जाति-पीड़ित है। एकांगी दृष्टिकोण से सोचने के कारण ही पुरुष न तो स्त्री को 'सती' बनाकर ही सुखी कर सका न 'वेश्या' बनाकर ही।

इसी कारण वह स्वयं ही झकोले खाता है और खाता रहेगा। नारी के रूप में न्याय रो रहा है महाकवि। उसके आसूँओं में अग्नि - प्रलय भी समाई है और जल-प्रलय भी। उपर्युक्त शब्द किसी महान् मानवतावादी लेखक की कलम से ही लिखे जा सकते हैं।

सन् साठ के बाद नागर जी के कई ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास प्रकाशित हुए। ऐतिहासिक उपन्यासों की चर्चा हम आगे करेंगे। 'अमृत और विष' (1966 ई.) 'नाच्यौ बहुत गोपाल' (1978ई) 'बिखरे तिनके' (1982ई.) तथा 'अविनगर्भा' (1983ई.) सामाजिक उपन्यास हैं। 'अमृत

और विष' - गुण-दोष मय मानव जीवन एवं मानवीय प्रकृति की एक महागाथा है। इसमें अंग्रेजी शासन के आरम्भ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक की जीवन-स्थितियों का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने स्वतंत्र भारत में चतुर्दिक गिरते हुए मानव मूल्यों पर गहरा क्षीभ व्यक्त किया है। 'नाच्यौ बहुत गोपाल' में बेहतर समाज के इतिहास, उनके रीति-रिवाज, वेष-भूषा, बोली-वाणी तथा नित्य के दुःख दर्द को साकार किया गया है।

सवर्णों द्वारा उन पर किये जाने वाले अत्याचारों का भी पर्दाफाश किया गया है। इसमें सबसे सशक्त चरित्र 'निर्गुणियां' का है। निर्गुणियां जन्म से ब्राह्मण है। सामाजिक अन्याय का शिकार होकर वह एक मेहतर युवक 'मोहना' के साथ भागने को विवश होती है। इस उपन्यास में मेहतरों के प्रति सहानुभूति के साथ ही वर्णव्यवस्था की कमजोरियों को भी उभार कर सामने रखा गया है। 'बिखरे तिनके' में राजनेताओं, नगरपालिका के अधिकारियों, पत्रकारों, व्यापारियों तथा छात्र नेताओं के चारित्रिक पतन का उजागर किया गया है।

'अग्निगर्भा' में दहेज की प्रथा और उसके दारुण परिणाम की ओर संकेत किया गया है। नागर जी ने इन परवर्ती उपन्यासों में सामाजिक

कुरूपताओं को अधिक दृढ़ता और साहस के साथ उजागर किया है। इन उपन्यासों में बाबा राम जी दास जैसा कोई आध्यात्मिक चेतना सम्पन्न पात्र समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे नहीं आता।

इससे यह जाहिर होता है कि अन्ततः नागर जी मनुष्य को उसकी दुर्बलताओं के साथ जीवित और विश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। यों, मानव की मंगल कामना का लक्ष्य नागर जी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर औपन्यासिक दस्तक - डॉ. विरेन्द्र सिंह यादव, टामेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 110002 प्रथम संस्करण 2012
2. सम्पूर्ण उपन्यास - जयशंकर प्रसाद (दिव्यम् प्रकाशन, दिल्ली 110009) प्रथम संस्करण 2018
3. टुकड़े-टुकड़े दास्तान - अमृतलाल नागर - डॉ. दामोदर वशिष्ठ, आदर्श नगर कैथल, प्रथम संस्करण 2019
